चतुर्दश माला, खंड 36, अंक 11

शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2008
21 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G' 76
Acc. No.
Dated 25 March 2011

(खंड 36 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इलेक्ट्रानिक अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 36, चौदहवां सत्र (भाग-दो), 2008/1930 (शक)]

अंक 11, शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2008/21 अग्रहायण, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
उपाध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
संसद भवन पर 13 दिसम्बर, 2001 को हुए आतंकी हमले की सातवीं वर्षगांठ	1–3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 204 और 206	3–39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 205 और 207 से 220	39–103
अतारांकित प्रश्न संख्या 1993 से 2222	103–592
सभा पटल पर रखे गए पत्र	592–598
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	598
संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष का विनिश्चय	598
54वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन	599
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
26वां प्रतिवेदन	599
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
34वां और 35वां प्रतिवेदन	599–600
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
36वां से 38वां प्रतिवेदन	600
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
211वां प्रतिवेदन	601
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	601–604
(एक) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	601–602

*किसी भी सदस्य के नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	602–603
(तीन)	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 63वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	श्री प्रेमचंद गुप्ता	603–604
(चार)	आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008 और 2008-2009) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 59वें और 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	श्री पवन कुमार बंसल	604
सभा का कार्य		604–607
समितियों के लिए निर्वाचन		608–616
(एक)	प्राक्कलन समिति	608
(दो)	लोक लेखा समिति	608–609
(तीन)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	609–610
(चार)	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	610–616
सदस्यों द्वारा निवेदन		616–630
(एक)	17 नवम्बर, 2008 को सोमालिया के जलदस्युओं द्वारा अपहृत ईरानी जलपोत में कार्यरत एक भारतीय कर्मचारी की रिहाई सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में	616–620
(दो)	कच्चे तेल के मूल्य में हुई गिरावट के अनुरूप पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में कटौती न किये जाने तथा परिवाहकों द्वारा 20 दिसम्बर, 2008 से हड़ताल करने संबंधी निर्णय के बारे में	620–622
(तीन)	पश्चिम बंगाल में जूट कामगारों द्वारा हड़ताल के बारे में	622–630
विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008		630–665
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	630
	श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	631–635
	श्री एस.के. खारवेनथन	635–637
	श्री रूपचंद पाल	637–639
	श्री आलोक कुमार मेहता	639–641
	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	641–644
	श्री प्रबोध पाण्डा	644–645
	श्री शैलेन्द्र कुमार	645–646
	श्री बिक्रम केशरी देव	647–649
	श्री बसुदेव बर्मन	649–651
	डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	651–652
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	652–655
	श्री कपिल सिब्बल	655–665

विषय	कॉलम
खण्ड 2 से 22 और 1	665
पारित करने के लिए प्रस्ताव	666
सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2008	666–678
विचार करने के लिए प्रस्ताव	666
श्री रूपचंद पाल	666–668
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	668–670
श्री आलोक कुमार मेहता	670–671
श्री शैलेन्द्र कुमार	671
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	671–673
श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा	673–674
श्री प्रेम चंद गुप्ता	674–677
खण्ड 2 से 81 और 1	677
पारित करने के लिए प्रस्ताव	678
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 37वें प्रतिवेदन पर प्रस्ताव के बारे में	678
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित*	679–685
(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2008 (धारा 2 आदि का संशोधन)	
श्री हंसराज गं. अहीर	679
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (नए अनुच्छेद 45क का अंत:स्थापन)	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	679
(तीन) प्रवेश परीक्षा (उत्सादन) विधेयक, 2008	
डा. आर. सेनथिल	680
(चार) समान पाठ्यक्रम (उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर) विधेयक, 2008	
डा. आर. सेनथिल	680–681
(पांच) राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्र पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2008	
श्री बालासाहिब विखे पाटील	681
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (नए अनुच्छेद 279क आदि का अंत:स्थापन)	
श्री काशीराम राणा	681–682
(सात) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008 (धारा 304क आदि का संशोधन)	
श्री काशीराम राणा	682
(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)	
श्री काशीराम राणा	682–683
(नौ) विद्युत (निरसन) विधेयक, 2008	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	683

विषय	कॉलम
(दस) उपशामक देखरेख (शिक्षा और प्रशिक्षण) विधेयक, 2008	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	683–684
(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (अनुच्छेद 130 का संशोधन)	
श्री हंसराज गं. अहीर	684
(बारह) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) संशोधन विधेयक, 2008 (धारा 2 का संशोधन)	
श्री हंसराज गं. अहीर	684–685
(तेरह) आत्महत्या को दण्डनीय अपराध के रूप में मानना विधेयक, 2008	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	685
निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006	685–724
श्री कीरेन रिजीजू	686–690
श्री शैलेन्द्र कुमार	690–696
श्री आलोक कुमार मेहता	696–700
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	700–704
डा. आर. सेनथिल	704–708
श्रीमती तेजस्विनी गौडा	708–712
एडवोकेट सुरेश कुरूप	712–714
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	715–717
श्री तथागत सत्पथी	717–721
डा. सिबैस्टियन पॉल	721–722
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल	722–723
श्री पन्नियन रविन्द्रन	723–724
आधे घंटे की चर्चा	
बच्चों में कुपोषण	724–746
श्री हंसराज गं. अहीर	724–727
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	727–728
श्रीमती रेनुका चौधरी	728–746
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	759
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	760–766
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	767–768
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	767–770

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2008/21 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष द्वारा उल्लेख

संसद भवन पर 13 दिसम्बर, 2001 को हुए आतंकी हमले की सातवीं वर्षगांठ

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों जैसा कि आपको ज्ञात है कि संसद पर हुए आतंकी हमले की सातवीं वर्षगांठ कल दिनांक 13 दिसम्बर, 2008 को मनायी जाएगी।

इस अवसर पर हम दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षा कर्मियों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल और संसद सुरक्षा प्रहरी दल के दो सुरक्षा सहायकों द्वारा दिये गये सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक माली को भी इस मामले में अपनी जान गंवानी पड़ी। इलैक्ट्रानिक मीडिया के एक पत्रकार जो भी इस हमले में घायल हो गए थे, बाद में उनकी भी मृत्यु हो गयी।

आतंकवाद का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। यह हम हाल में असम और मुम्बई में हुए आतंकी हमलों में देख चुके हैं।

हमारे सुरक्षा बलों ने अनेक बार अपने अदम्य साहस द्वारा आतंकियों के आतंक फैलाने के प्रयासों को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है हालांकि हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है।

यह सभा देश की एकता, अखण्डता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारे सुरक्षा बलों द्वारा किये गये समर्पण और बलिदान को नमन करती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए एक नोटिस दिया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा लोक महत्व का मामला है। महाराष्ट्र सरकार बचावत अवार्ड का उल्लंघन करके अवैध रूप से निर्माण करती है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में अवसर प्रदान करूंगा।

श्री किन्जरपु येरनायडु: बचावत अवार्ड का उल्लंघन करके महाराष्ट्र सरकार निर्माण कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने आपका नोटिस पढ़ लिया है। मैं आपको शून्य काल में अवसर प्रदान करूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: एक करोड़ बीस लाख लोग प्रभावित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको शून्यकाल में अवसर प्रदान करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: माननीय प्रधानमंत्री को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र में एक विशेषज्ञ समिति भेजने की मांग कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। मैंने आपसे अनुरोध किया है कि मैं आपको शून्यकाल में अवसर प्रदान करूंगा। यही मैं अब कह सकता हूं।

अब, हम प्रश्नकाल शुरू करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव-उपस्थित नहीं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं। मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देख लिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे पहले ही अनुरोध किया है कि आपको शून्य काल में अवसर प्रदान करूंगा। श्री येरननायडु, कृपया बैठ जाइए।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 201 श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधार

*201. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न वृहत विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अपने लक्ष्यों से काफी पीछे होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी निजी कंपनी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समझौते की निबंधन और शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत सरकार ने त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रिड विकास ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण कार्यक्रम इत्यादि जैसे अनेकों महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं।

एपीडीआरपी को 2002-03 में, राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देने, समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानियों को घटाने, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने तथा उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत, देश भर में लगभग 906 नगरों को शामिल करते हुए 571 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं। देश में 215 एपीडीआरपी नगरों में, नगर स्तर पर तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को घटाकर 20% से नीचे लाया जा चुका है और उनमें से 163 नगरों में इन हानियों को घटाकर 15% से नीचे लाया गया है। शेष नगरों में कमी के कारण थे-राज्यों द्वारा कार्यक्रम का धीमा कार्यान्वयन, घटा हुआ परियोजना चक्र, क्रियान्वयन एजेंसियों का अपर्याप्त परियोजन प्रबंधन कौशल, राज्य सरकारों का यूटिलिटियों को निधि का अंतरण करने में विलंब तथा कार्यों की गलत प्राथमिकताएं।

विद्युत मंत्रालय ने एपीडीआरपी कार्यक्रम का वृहत् मूल्यांकन किया है। श्री पी. अब्राहम, पूर्व सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में इस उद्देश्य के लिए कार्यबल का गठन किया गया तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों, योजना आयोग, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्ताओं तथा विभिन्न अन्य स्टेकहोल्डरों ने भी इसका मूल्यांकन किया तथा कार्यक्रम में कई संशोधनों के सुझाव दिये हैं।

इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में, 11वीं योजना में अनुमोदित पुन:संरचित एपीडीआरपी का ध्यान क्षति घटाने के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर केन्द्रित किया गया है। परियोजना क्षेत्रों में, राज्य विद्युत यूटिलिटियों से ए.टी. एंड सी. हानियों को घटाकर 15% तक लाने की अपेक्षा की जाती है। यूटिलिटियों को ए.टी. एंड सी. हानियों को घटाने के निम्नलिखित लक्ष्यों को भी अपने स्तर पर पूरा करना है:

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* 30% से ऊपर की ए.टी. एंड सी. हानि वाली यूटिलिटियां-3% प्रति वर्ष की कमी।

* 30% से कम ए.टी. एंड सी. हानि वाली यूटिलिटियां-1.5% प्रति वर्ष की कमी।

योजना के तहत परियोजनाओं को दो भागों में लिया जाना है। भाग-क में आधारभूत आंकड़ों की स्थापना तथा ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का अनुप्रयोग करने तथा आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की परियोजनाएं शामिल हैं।

विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत उत्पादन क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आकलन किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत विद्युत उत्पादन क्षमता की स्थापना किये जाने का पर्याप्त रूप से उदारीकरण किया गया है। मंत्रालय ने योजना आयोग के साथ परामर्श करके, 11वीं योजना में 78,760 मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के आधार पर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने अनुमान लगाया है कि 11वीं योजना के दौरान पारंपरिक स्रोतों से 79,790 मेगावाट की विशाल विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करना संभव है। 11,322 मेगावाट क्षमता पहले ही जोड़े जा चुकी है तथा 68,468 मेगावाट निर्माणाधीन है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत अब तक, 1,16,124 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युत प्रदान करने, 3,49,855 पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण करने, 4.09 करोड़ ग्रामीण परिवारों (जिसमें 2.43 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार शामिल हैं) को विद्युत कनैक्शन जारी करने के लिए 25,679.64 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 558 परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं। संचयी सफलताओं में अब तक अविद्युतीकृत 53,048 गांवों का विद्युतीकरण, पहले से ही विद्युतीकृत 66,808 गांवों का गहन विद्युतीकरण तथा 48.18 लाख ग्रामीण परिवारों (जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के 40.76 लाख परिवार शामिल है) के लिए विद्युत कनैक्शन का प्रावधान करना शामिल है।

राष्ट्रीय ग्रिड का विकास करना विद्युत मंत्रालय का एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम है। देश भर में संसाधन परिपूर्ण क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पर भारी मात्रा में विद्युत के पारेषण के लिए, लगभग 17,000 मेगावाट अंत:क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

ऊर्जा दक्षता प्रबंधन करने तथा इसे बढ़ाने के लिए मंत्रालय विद्युत उपकरणों तथा वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन के लिए मानक बनाते हुए विद्युत के उपयोग में उच्चतर ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि कृषि तथा नगर निगम की मांग संबंधी प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया जा सके तथा राज्यों द्वारा मनोनीत एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण द्वारा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को प्रचालनाधीन किया जा सके। इन हस्तक्षेपों, से 11वीं योजना के अंत तक मांग में कुल क्षमता में 5% की लक्षित कमी रखी गई है। इसका अर्थ है क्षमता अभिवृद्धि में 1000 मेगावाट की कम आवश्यकता।

प्रशुल्क निर्धारण तथा सेवाओं में सुधार के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोगों की स्थापना करना एक प्रमुख सुधार संबंधी कदम था। 28 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के साथ-साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन किया जा चुका है। अधिकतर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने प्रशुल्क आदेश तथा खुली पहुंच विनियम जारी कर दिये हैं। 14 राज्यों ने अपने राज्य विद्युत मंडलों को विकेंद्रीकृत/निगमित कर दिया है। 22 राज्यों में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों का गठन तथा लोकपालों की नियुक्ति की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) 11वीं योजना में एपीडीआरपी के प्रचालन के लिए विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन के लिए, विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) नोडल एजेंसी है। ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो और पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के राष्ट्रीय ग्रिड के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: महोदय, विद्युत मंत्रालय ने एपीडीआरपी कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है और योजना आयोग ने भी मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन करने के बाद उन्होंने कई संशोधनों के सुझाव दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे संशोधन सुझाव कौन से हैं?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: एपीडीआरपी योजना अधिकारिक रूप से इस वर्ष सितम्बर में शुरू की गई थी। यह गैर विशेष श्रेणी के

राज्यों में 30,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में 10,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले कस्बों तथा शहरों में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार वाली 50,000 करोड़ रुपये की योजना है। इस योजना से कुल 1,808 कस्बों तथा शहरों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम का लाभ दो माह पूर्व शुरू किया गया था। अगले कुछ सप्ताहों में विभिन्न राज्यों में यह कार्यक्रम वास्तव में शुरू किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्युत वितरण में कुल तकनीकी तथा व्यावसायिक हानियों को कम करना है जो आज 11वीं योजना अवधि के अंत तक लगभग 34 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक है।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: महोदय, मांग और आपूर्ति के बीच में सबसे बड़ी कमी आती है। इस कमी को दूर करने के लिए शासन कौन से प्रयास कर रहा है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: यह प्रश्न विद्युत की मांग तथा इसकी कमी को पूरा होने के वृहत्तर प्रश्न से संबंधित है। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय की ऐसी इच्छा हो। आज देश के सामने प्रमुख चुनौती वर्ष दर वर्ष क्षमता उत्पादन में वृद्धि करने की है। इस देश ने सबसे अच्छा 7वीं योजना के दौरान 4,500 मेगावाट प्रतिवर्ष प्राप्त की है, जिसके दौरान कुल 22,000 मेगावाट विद्युत जोड़ी गई। 8वीं योजना, 9वीं योजना तथा 10वीं योजना विद्युत उत्पादन क्षमता के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं थी। 20,000 मेगावाट से कम विद्युत इन प्रत्येक योजनावधि में जोड़ी गई लेकिन मुझे सभा को यह कहने में अत्यधिक खुशी होती है कि 11वीं योजना अवधि में क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य 78,000 मेगावाट है। अतएव, 11वीं योजना में हम 7वीं, 8वीं, 9वीं तथा 10वीं योजना में प्राप्त की गई कुल क्षमता के बराबर प्राप्त करेंगे। 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों में, हम 18,000 से 19,000 मेगावाट क्षमता प्राप्त कर लेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 78,000 मेगावाट की इस क्षमता में से, 72,000 मेगावाट के आदेश वास्तव में दिये जा चुके हैं। यह मुझे इस सभा में यह बताने का विश्वास देता है कि 11वीं योजना में हम क्षमता लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यदि यह देश प्रत्येक वर्ष, वर्ष दर वर्ष, 11वीं, 12वीं तथा 13वीं योजना में लगभग 14,000 से 15,000 मेगावाट विद्युत क्षमता प्रतिवर्ष जोड़ता गया तो हम विद्युत की कमी को पार कर लेंगे, जिसके बारे में माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि चूंकि नाफ्था के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है, इसलिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कायमकुलम में विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने तथा इसका विस्तार करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं। हाल तक कायमकुलम में विस्तार के लिए ईंधन (फीडस्टॉक) तरलीकृत प्राकृतिक गैस थी। अब मूल्य अंतर के चलते नाफ्था और अधिक व्यावहारिक है।

श्री जयराम रमेश: मैं शुरू में ही कहना चाहता हूं कि नाफ्था को विद्युत उत्पादन के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाती है। यह गैस या कोयला है। नाफ्था का उपयोग केवल गैस टर्बाइन में आपात परिस्थितियों में होता है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हाल के माहों में नाफ्था का मूल्य गिरा है। यही कारण है कि इस सरकार ने हाल में कुछ दिनों पूर्व नाफ्था पर आयात शुल्क को शून्य कर दिया।

हम आशा करते हैं कि इससे नाफ्था के उपयोग में अंतर आएगा लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से एक बार फिर यह कहना है कि विद्युत उत्पादन के लिए नाफ्था का उपयोग इस ईंधन का सबसे अच्छा उपयोग नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खास तौर से विद्युत मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि जैसा इन्होंने बताया कि 11वीं योजना में 78 हजार मेगावाट बिजली क्षमता बढ़ाने की योजना है और राजस्थान में खास तौर से पवन ऊर्जा की बहुत महत्ता है।

पहले सरकार उसके लिए सब्सिडी देती थी, जिसके कारण जगह-जगह हमारे राज्य में पवन ऊर्जा के माध्यम से काफी बिजली पैदा हुई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां 42 प्रतिशत लॉसेज हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या सहायता कर रहे हैं? पवन ऊर्जा के उत्पादन में सब्सिडी देने के लिए क्या आपने ग्यारहवीं योजना में कोई प्रावधान रखा है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: जहां तक पवन ऊर्जा का संबंध है, माननीय मंत्री, श्री विलास मुत्तेमवार यहां उपस्थित हैं और वे इस प्रश्न का उत्तर देंगे।

मैं उनके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने से पहले अन्य माननीय सदस्य से सूचित करने हेतु कायमकुलम के बारे में एक बात बताना चाहता हूं।

वर्तमान में कायमकुलम संयंत्र की क्षमता 360 मेगावाट है। एक गैस टरबाइन को अनुरक्षण हेतु बंद किया गया है। 23 दिसंबर तक दूसरा गैस टरबाइन वापस आ जाएगा और हम आशा करते हैं कि 23 दिसम्बर तक कायमकुलम संयंत्र अपनी 360 मेगावाट की पूर्ण क्षमता हासिल कर लेगा। इससे केरल और तमिलनाडु को काफी लाभ मिलेगा।

जहां तक राजस्थान का संबंध है, जैसाकि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं एपीडीआरपी का उद्देश्य ग्यारहवीं योजना के अंत तक उत्तर भारत के अनेक राज्यों में इन हानियों को 34-35 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करना है। जैसाकि मैंने उल्लेख किया था अभी हाल ही में सितंबर में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान के 30,000 से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों और शहरों को शामिल किया जाएगा।

यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं तो मैं यह बता दूं कि राजस्थान में 30,000 से अधिक आबादी वाले 84 शहर और कस्बे हैं जिन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में ग्यारहवीं योजना में उत्पादन कम और डिमान्ड ज्यादा है, इसलिए आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में आपने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की है, लेकिन जब आपके पास बिजली नहीं थी तो आपका इस योजना को लागू करने का मतलब क्या था? आपने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में अभी तक क्या उपलब्धि प्राप्त की है और आपके क्या लक्ष्य हैं?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: आर.जी.जी.वी.वाई. का उद्देश्य 1,15,000 गांवों का जिन्होंने पिछले 60 वर्षों से बिजली नहीं देखी है, वाणिज्यिक विद्युतीकरण के माध्यम से तथा 9000 गांवों को गैर-वाणिज्यिक स्रोतों के माध्यम से इस प्रकार कुल 1,25,000 गांवों का विद्युतीकरण करना है।

अन्य उद्देश्य यह था कि हम गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 2.34 करोड़ परिवारों (बी.पी.एल. परिवारों) को बिजली कनेक्शन देंगे। हम अब तक इन 1,16,000 गांवों में से 53,000 गांवों का विद्युतीकरण कर चुके हैं और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने इन 53,000 गांवों में से पहली बार 44,000 गांवों के नाम वेबसाइट पर डाले हैं। यह सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध हैं, यह संसद सदस्यों के देखने के लिए उपलब्ध हैं, हमने वस्तुत: मात्र संख्या ही नहीं बल्कि उन गांवों के नाम भी दिये हैं जहां बिजली की आपूर्ति की गयी है।

अब आरजीजीवीवाई के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की एक नई परिभाषा अपनायी गयी है। पहले, यदि किसी गांव में बिजली का खंभा गाड़ दिया जाता था तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाता था। परन्तु संशोधित परिभाषा के अंतर्गत किसी गांव को विद्युतीकृत तभी माना जाएगा जब कम से कम दस प्रतिशत घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया हो, जब दलित बस्तियों और जनजातीय बसावटों के पास बिजली कनेक्शन हों, जब ग्रामीण विद्युतीकरण वितरण अवसंरचना विद्यमान हो तथा जब विद्युत वितरण के लिए उत्तरदायी फ्रेन्चाइजी हो।

इस प्रकार, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर यह है कि हमने अब तक 1,15,000 गांवों में से 53,000 गांवों को विद्युतीकृत किया है तथा 2.34 करोड़ बी.पी.एल. परिवारों में से 40 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन हासिल हो चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का लक्ष्य है एक निश्चित समय में ग्रामीण इलाकों में बिजली देना। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस सूची में बिहार है? आपने अभी बताया कि 40 लाख गांवों की लिस्ट हमारे पास है। आपने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बताया कि इतने गांव वेबसाइट पर दे दिये हैं। क्या उस वेबसाइट में बिहार के गांवों की लिस्ट भी शामिल हैं? दूसरे, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट में, विशेषकर बिहार में जब फ्लड या कोई साइक्लोन आता है तो उसके लिए क्या केन्द्र सरकार की कोई ऐसी योजना है ताकि फ्लड अफेक्टिड इलाके में बिजली की विशेष व्यवस्था की जा सके? उस इलाके में यदि किसान, मजदूर या छोटे व्यापारी फ्लड से बर्बाद हो जाते हैं, तो वहां के किसानों का विशेष रूप से बिजली ऋण माफ किया जा सके और युद्धस्तर पर कोई योजना चला कर उस इलाके का सौन्दर्यीकरण किया जाए, क्या ऐसी कोई योजना आपके पास है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, मैं बिहार से संबंधित प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत 53,000 गांवों में से 14,300 गांव सिर्फ बिहार के हैं। इन सभी 14,300 गांवों के नाम वेबसाइट पर दिए गए हैं।

माननीय सदस्य वेबसाइट पर इन गांवों के नाम देख सकते हैं और आश्वस्त हो सकते हैं कि वेबसाइट पर दी गयी सूचना विश्वसनीय है अथवा नहीं। वेबसाइट पर ये सभी 14,300 नाम जिलावार, प्रखंडवार उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत आपका जो लक्ष्य था, उसके लिए आपको जो दूसरी किश्त अप्रैल में जारी करनी थीं, अप्रैल में दूसरी किश्त न जारी करने के कारण आपका जो लक्ष्य था, वह धूमिल हो रहा है। आपने भेदभावपूर्ण तरीके से कुछ जनपदों में दूसरी किश्त जारी की है, जबकि हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, बलिया, कुशीनगर तथा उधर के जो दूसरे पूर्वांचल के जनपद हैं उनमें दूसरी किश्त जारी नहीं की। अगर वहां दूसरी किश्त जारी नहीं होती है तो आपका जो विद्युतीकरण का, लोगों को प्रकाश देने का लक्ष्य है, वह धूमिल हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना की दूसरी किश्त कब जारी करेंगे?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: सर्वप्रथम, मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और राज्य वितरण कम्पनियों दोनों द्वारा उनका कार्यान्वयन हो रहा है। सर्वप्रथम, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, विद्युतीकृत 53,000 गांवों में से करीब 27,500 गांव सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। जैसा कि मैंने बिहार के संबंध में बताया, इन गांवों के नाम उसी वेबसाइट पर जिलावार, प्रखण्डवार उपलब्ध हैं।

महोदय, योजना का उद्देश्य ग्रामीण विद्युतीकरण और कनेक्टिविटी के लिए अवसंरचना मुहैया कराना है। विद्युत आपूर्ति राज्य इकाइयों से होनी है। यदि राज्य वितरण नेटवर्क में बिजली की समग्र कमी है तो मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हम कनेक्शन, ट्रांसफार्मर और कनेक्टिविटी उपलब्ध करा सकते थे परन्तु कोई विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को इसकी पूर्णता में देखें। इसका काम अवसंरचना और कनेक्टिविटी मुहैया करना है परन्तु अंतत: विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य इकाई का है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: मंत्री जी, आप यह बताइए कि दूसरी किश्त कब जारी करेंगे? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको पहले टाइम दिया है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बार-बार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत डेढ़ लाख गावों के टारगेट की बात कही है, जिनमें से 53 हजार गांव इलैक्ट्रिफाइ हो गए हैं। क्या आपने इसकी कभी जांच कराई है? महाराष्ट्र के जो विशेषकर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या अन्य कई जिले हैं, जहां बीपीएल परिवार बहुत कम संख्या में हैं, उनकी जो बस्तियां हैं, जहां कहीं उनके चार-आठ या दस मकान हैं, जो गांव के रिमोट एरिया में रहते हैं, ऐसे आदिवासी बहुल डिस्ट्रिक्ट्स में यह स्थिति है कि आपने इस योजना के तहत वहां जो कांट्रैक्टर्स एपाइंट किये थे, अब वे विदड्रा हो चुके हैं।

इस बारे में, मैं आपको अमरावती जिले का संदर्भ दूंगा, क्या आपको इसकी जानकारी है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस वेबसाइट का आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं, वह कौन सी वेबसाइट है, यह भी तो सदन को बताइए?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, यह वेबसाइट सुविख्यात है और इसके उद्घाटन के समय इसका काफी प्रचार-प्रसार किया गया था। मुझे माननीय सदस्य और अन्य प्रत्येक व्यक्ति को इसका ब्यौरा पुन: देने में खुशी होगी। जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है इन 53,000 गांवों में यहां के 3000 जनजातीय बहुल गांव शामिल हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के भाग के रूप में एक त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली है जो योजना के अंतर्गत स्वमेव तैयार की गयी है। प्रथम स्तर की प्रणाली का संचालन कार्यों को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। दूसरा निगरानी स्तर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा तीसरे स्तर पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेन्सी है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराने का कार्य गांवों के विद्युतीकरण की तरह प्रभावी नहीं रहा है। हमने गांवों के लिए निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है परन्तु हम बी.पी.एल. परिवारों के लिए निर्धारित संबंधित लक्ष्य का 20 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल कर पाए हैं। मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से सहमत हूं और यदि इस संबंध में शिकायतें हैं तो मैं आश्वस्त हूं कि यह त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली इसकी जांच करेगी।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: उपाध्यक्ष महोदय, देश के डैवलपमेंट के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार बहुत समय से कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र हो या कोई और

राज्य हो, वहां लोड शेडिंग का पर्सेंटेज बहुत ज्यादा है। वहां 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है मेरा प्रश्न है कि देश को बिजली में परिपूर्ण होने के लिए कितने मेगावाट की आवश्यकता है और देश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए कितना समय लगेगा?

महोदय, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है। महाराष्ट्र के ही हमारे श्री सुशील कुमार शिंदे, विद्युत मंत्री हैं, क्या वे महाराष्ट्र को ज्यादा पैकेज देंगे, क्योंकि आगे इलैक्शन आ रहा है, *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: थैंक्यू, थैंक्यू।

श्री रामदास आठवले: महाराष्ट्र को ज्यादा बिजली मिले, इसके लिए वे क्या कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। कृपया बैठ जाइए। वे इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

[हिन्दी]

बाह्य और आन्तरिक ऋण

*202. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में प्रति व्यक्ति विदेशी और घरेलू ऋण भार कितना है;

(ख) क्या हाल ही में भारत के बाह्य और आन्तरिक ऋण में तीव्र वृद्धि देखी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इससे देश का सकल घरेलू उत्पाद और ऋण का अनुपात कितना प्रभावित हुआ है;

(ङ) क्या हाल ही में कच्चे तेल के मूल्यों में आई गिरावट के कारण ऋण की स्थिति में कोई सकारात्मक प्रभाव महसूस किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा बाह्य और आंतरिक ऋण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी ऋण तथा आंतरिक देनदारियों की मात्रा, सकल घरेलू उत्पाद से उसका संबंध तथा तदनुरूपी प्रति व्यक्ति मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

सारणी: विदेशी ऋण तथा आंतरिक देनदारियों का ब्यौरा

वर्ष (मार्चान्त)	कुल विदेशी ऋण (बिलियन अमरीकी डालर)	प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण (अमरीकी डालर)	विदेशी ऋण एवं स.घ.उ. का अनुपात (प्रतिशत)	आंतरिक देनदारियां (करोड़ रुपये)	प्रति व्यक्ति आंतरिक देनदारियां (रुपये)	आंतरिक देनदारियां एवं स.घ.उ. का अनुपात (प्रतिशत)
2003-04	111.6	104.2	17.8	1690554	15770.01	61.4
2004-05	133.0	122.1	18.6	1933544	17755.2	61.4
2005-06	138.1	124.9	17.2	2165902	19583.2	60.5
2006-07	169.7	151.2	17.8	2435880	21710.2	58.8
2007-08 (सं.अ.)	220.7	194.0	18.7	2784351	24467.1	59.1
2008-09 (जून 2008 के अंत तक)	221.3			2939237 (ब.अ.)		

लगातार राजकोषीय घाटे के कारण केन्द्र सरकार के सरकारी ऋण (आंतरिक तथा बाह्य) में समग्र रूप से बढ़ोत्तरी होती आ रही है। सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का वित्तपोषण आंतरिक अथवा विदेशी उधार लेकर किया जाता है जिससे घाटे में वृद्धि होती है। आंतरिक देनदारियों में हुई वृद्धि 2004-05 से बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के कारण भी हुई है। विदेशी ऋण के संदर्भ में, वाणिज्यिक उधारों और अनिवासी भारतीय जमाराशियों ने अल्पावधिक ऋण में वृद्धि करने के अलावा दीर्घावधिक श्रेणी के ऋण की वृद्धि में भी योगदान किया है।

(ङ) और (च) कच्चे तेल की कीमत में कमी होने के परिणामस्वरूप, अगस्त 2008 से कच्चे तेल तथा उसके उत्पादों के आयातों का मूल्य कम हो गया है। इससे व्यापार ऋण, जो अल्पावधिक ऋण का हिस्सा है, संतुलित हुआ है।

(छ) सरकार द्वारा अपनाई जा रही विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीतियों से विदेशी ऋण की स्थिति को संतोषजनक स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है। इनमें रियायती शर्तों पर और दीर्घावधिक परिपक्वताओं वाले अपेक्षाकृत कम महंगे स्रोतों से निधिया जुटाने पर बल देना, अल्पावधिक ऋण को मॉनीटर करना, उच्च लागत वाले ऋणों की समय-पूर्व अदायगी करना तथा ऋण सृजित न करने वाले पूंजीगत प्रवाहों को प्रोत्साहन देना शामिल है।

अत्यधिक पूंजीगत अंतर्प्रवाहों को अवरुद्ध करने के लिए, विगत में बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत अधिक प्रतिभूतियां जारी करने के परिणामस्वरूप भी आंतरिक ऋण में वृद्धि हुई है। पूंजीगत अंतर्प्रवाहों में कमी होने के चलते, बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत निर्गमन के कारण आंतरिक देनदारियों में शायद वृद्धि न हो।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 202-श्री अजीत जोगी-उपस्थित नहीं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी ऋण का कुशल प्रबंधन न हो पाने के कारण, मार्च 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत का विदेशी ऋण 50 बिलियन डालर तक बढ़ गया है तथा यह गत 18 वर्ष में हुई सर्वाधिक वृद्धि है। गत वित्तीय वर्ष में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार का विदेशी ऋण 221.3 बिलियन डालर तक पहुंच गया है जिसमें लगभग 30.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा ऋण सेवा अनुपात इस स्तर तक पहुंच गया है कि वह गत वर्ष की तुलना में 5.4 प्रतिशत अधिक है। महोदय, अप्रैल से अक्तूबर 2008 के दौरान राजस्व बिल के माध्यम से लिया गया उधार 1,77,270 करोड़ रुपये हो गया है। इसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की उधारी इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल-अक्तूबर के दौरान 2,83,270 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.6 प्रतिशत अधिक है। महोदय, आर्थिक मंदी के कारण सरकार ने हाल ही में 20,000 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है जिसके अंतर्गत अधिकतर कर छूट सम्मिलित है जिससे इस सरकार के वित्तीय घाटे में और वृद्धि होगी। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या सरकार और उधारी पर निर्भर करेगी जो पहले से ही खतरनाक स्थिति में है?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, सर्वप्रथम, माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी संकेत को देख लें, हमारी स्थिति सुविधाजनक है। विदेशी ऋण में वृद्धि का प्रारम्भिक कारण विदेशी वाणिज्यिक उधारी में वृद्धि होना है और अप्रवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि है जो एक अच्छा संकेत है, इसलिए इसके बारे में किसी प्रकार की चिन्ता करने की कोई बात ही नहीं है। यदि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाए तो वास्तव में भारत उस स्थिति में 57 देशों में पहले स्थान पर है जब यह सकल घरेलू उत्पाद ऋण के अनुपात में तुलना की जाती है।

इसके बाद दूसरे भाग में आन्तरिक ऋण का उल्लेख है। आन्तरिक ऋण के बारे में भी मेरा कहना है कि इसका कारण वर्षों से देयता के एक महत्वपूर्ण भाग के ऊपर राजस्व का घाटा है जो लगभग 45 प्रतिशत है तथा जो चालू खर्च को पूरा करने के लिए अनुबंधित था। लेकिन सरकार एफआरबीएम अनुबंधों का पालन करने हेतु प्रतिबद्ध थी। आज तक हमने इसका पालन किया है तथा इस वर्ष के बजट में यह घोषणा की गई कि हमारा राजस्व घाटा अनुबंध के अनुरूप 3 प्रतिशत की बजाए 2.5 प्रतिशत 0.5 प्रतिशत के 'हेड रूम' के साथ निर्धारित किया जाएगा। ऋण माफी और विभिन्न अन्य उपायों पर विचार करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने अनुपूरक मांगों में एक लाख करोड़ रुपये की अन्य धनराशि की मांग की है। फिर भी, सरकार की परिसम्पत्ति बकाया देय के 55 प्रतिशत के बराबर होगी और इसमें चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है। किसी स्थिति पर सरकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होने वाली स्थिति निर्भर करती है। इस समय चिन्ता का कोई कारण नहीं है। पूरे विश्व में मंदी के बावजूद भारत में स्थिति संतोषजनक है। हम इस उठापटक को महसूस कर रहे हैं तथा किसी भी संकेतक के अनुसार कार्य करके चाहे वह विदेशी ऋण हो या सरकार का आन्तरिक ऋण हो, आन्तरिक देयताएं जो प्रारंभिक तौर पर विपणन उधारी आदि हैं, स्थिति ठीक है तथा इसलिए चिन्ता की कोई बात नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मंत्री जी का उत्तर इतना संतोषजनक नहीं है। तथापि, वित्तीय एवं राजस्व घाटा बढ़ रहा है। मंत्रालय स्वयं कह रहा है कि मैं बाहर से नहीं बता रहा हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करके और उधार लेने की योजना बना रही है जिससे तरलता की स्थिति और गंभीर होगी।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, सरकार अपना खर्च पूरा करने के लिए उधार लेती है और बजट प्रस्तुत करते समय हम यह संकेत देते हैं कि यहां से क्या उधार लिया जाएगा। यह राजस्व घाटे की संख्या होती है। जैसाकि मेरे सहकर्मी ने कहा, हमने अपने लिये एक 'हेड रूम' छोड़ रखा था लेकिन सरकार ने राजस्व प्रेरणादायक पैकेज की घोषणा की है। मैं इस सदन में अनुपूरक मांग लाया था और सभा ने सहर्ष अनुपूरक मांग के पक्ष में मत दिया था जिसमें लगभग 1,05,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय सम्मिलित था। उसके बाद प्रधानंत्री ने दूसरे राजकोषीय पैकेज की घोषणा की है। हमें यह देखना होगा कि यह राजस्व कैसे कार्य करेगा, लेकिन यदि और ऋण की आवश्यकता होगी तो मेरे विचार से यह चिन्ता का कारण नहीं है। मान लीजिए यदि राजस्व घाटे सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से ऊपर चला जाता है तो चालू वर्ष में यह चिन्ता का कारण नहीं है क्योंकि इस वर्ष हमें राजस्व घाटे के बारे में ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिए। बजट के कागजातों के अनुसार इस सरकार ने राजस्व घाटे को 4.5 प्रतिशत से कम करके 2.5 प्रतिशत तक कम किया है। मान लीजिए इस वर्ष यह तीन प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो यह चिन्ता की बात नहीं है तथा मैंने सदैव कहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पाल कुगमान की बातों को याद रखें:

> 'यह किसी देश के लिए राजस्व घाटे के बारे में चिन्ता करने का वर्ष नहीं है। हमें अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करनी है।''

डा. सी. कृष्णन: महोदय, इस प्रश्न का संबंध कुछ हद तक विदेश मामलों से है। यह वित्त से संबंधित नहीं हो सकता है लेकिन हमारे मानीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं तथा मेरे प्रश्न का उत्तर देने हेतु वे सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। कृपया मुझे प्रश्न रिकार्ड करवाने की अनुमति दीजिए। श्रीलंका में भयानक लड़ाई चल रही है जिसमें भारतीय मूल के तमिल मारे जा रहे हैं

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: डा. कृष्णन, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, यह संगत कैसे हो सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं। यह संगत नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। डा. कृष्णन, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

*...(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल: महोदय, तथ्य यह है कि जिस राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा की गई है उसे उद्योग जगत तथा आम आदमी दोनों काफी अपर्याप्त मानते हैं जो कि इसकी सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। आम आदमी की गंभीर पीड़ा तथा कृत्रिम एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, जो कि केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तर पर अधिक सरकारी व्यय के रास्ते में रुकावट बना हुआ है, की पृष्ठभूमि में मैं माननीय मंत्री महदोय से यह जानना चाहूंगा क्योंकि सरकार विदेशी तथा आंतरिक दोनों ऋण के स्तर को सहज स्तर पर रखना चाहती है तथा 57 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी प्रथम स्थान पर मानी जाती है। क्या सरकार एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, ताकि आम आदमी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिक सरकारी व्यय को सुकर बनाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को समर्थ बनाया जा सके।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, माननीय सदस्य के प्रति काफी आदर के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विवेकपूर्ण सुझाव नहीं है। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसकी अधिसूचना यू.पी.ए. सरकार द्वारा सत्ता में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आने के कुछ ही दिन बाद जारी की गई थी। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के कारण सरकारी व्यय में काफी अनुशासन आया है। सरकारी व्यय में अनुशासन के बिना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार नहीं दिया जा सकता था और न ही दिया जा सकता है। अगर हम इस वर्ष एफ.आर.बी.एम. अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, तो हम संसद को इसकी सूचना देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में संशोधन किये जाने अथवा इसे निरस्त किये जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एफ.आर.बी.एम. एक दीर्घावधिक उपाय है। यह देश के हित में है। अगर हम एफ.आर.बी.एम. लक्ष्य का उल्लंघन करते हैं तो हम संसद में वापस आकर इसकी सूचना देंगे।

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, भूतपूर्व वित्त मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल ऋण का अनुपात सहज है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित था, जिसका उत्तर वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है और इसकी व्याख्या गृह मंत्री कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह मंत्रिपरिषद का सामुहिक कार्य है।

महोदय, मेरा प्रश्न विदेशी ऋण के संबंध में है। वास्तविकता यह है कि यह बढ़ रहा है। लेकिन, हाल ही में डालर का मूल्य कम हुआ है और हमारा मानना है कि इस कारण दर कम होनी चाहिए। अत:, इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, माननीय सदस्य कई मुद्दों का उल्लेख कर रहे हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है। मेरे मित्र ने यह उल्लेख किया कि 57 देशो में भारत पहले स्थान पर है। मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा। मूल परिपक्वता देश तुलना के अनुसार सकल विदेशी ऋण स्थिति के लिए 57 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर विचार किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में भारत का विदेशी ऋण 18.9 प्रतिशत है और 995.8 प्रतिशत के साथ 57वां देश आयरलैंड है। संयुक्त राज्य इतना विशाल देश 100 प्रतिशत है, युनाइटेड किंगडम 420 प्रतिशत है। अत:, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण के रूप में 57 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी स्थिति सर्वोत्तम है। ऐसा इस कारण है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से पूर्णतया जुड़ी हुई नहीं थी तथा विगत 15-16 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था को खोला गया है। अत:, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में हमारा विदेशी ऋण काफी सहज स्थिति में है।

माननीय सदस्य विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति के बारे में पूछ रहे हैं। विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से निर्धारित की जाती है। ऐसे समय आते हैं जबकि विदेशी उधारों की उच्चतम सीमा निर्धारित किये जाने की आवश्यकता होती है। ऐसा समय आता है जबकि हमें उदार होना पड़ता है। उदाहरणार्थ, पिछले वर्ष 2007 में हमने विदेशी वाणिज्यिक उधारों संबंधी कतिपय सख्त सीमा निर्धारित की थी क्योंकि पूंजी प्रवाह काफी अधिक था।

इस वर्ष वैश्विक मंदी के कारण पूंजी प्रवाहों में कमी आई है और भारतीय कंपनियों को कम लागत पर पूंजी जुटाने के लिए हमने विदेशी वाणिज्यिक उधार संबंधी नियमों को उदार बनाया है। लेकिन यह अर्थव्यवस्था की स्थिति पर तथा विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करेगा।

राज्य वित्त निगम

*203. **डा. के.एस. मनोज:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य वित्त आयोगों के गठन के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राज्य सरकारों और राज्य वित्त आयोगों के सहयोग से राज्य वित्त आयोगों की देयताओं के पुनर्निर्धारण हेतु पैकेज तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य वित्त आयोगों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) लघु और मध्यम उद्योगों को मध्यावधि तथा दीर्घ अवधि ऋण प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राज्य वित्त निगम (एसएफसी) गठित किये गये थे।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने सिडबी के परामर्श से अगस्त 2003 में राज्य वित्त निगमों के पुनरुज्जीवन के लिए एक पैकेज तैयार किया था। इन राहत और रियायतों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य वित्त निगमों द्वारा अनुरूप उपायों की अपेक्षा थी। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं ये थीं:

(1) राज्य वित्त निगम के सभी बकाया ऋणों पर ब्याज में 2% की कमी की जाएगी।

(2) भविष्य में प्रदान किये जाने वाले सभी पुनर्वित्त के लिए सिडबी द्वारा ब्याज दर में 2% की छूट प्रदान की जाएगी।

(3) वर्तमान बकाया की वापसी अदायगी के लिए एक वर्ष का अधिस्थगन दिया जाना चाहिए।

(4) सिडबी द्वारा 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष सिडबी बांड्स पर 174 करोड़ रुपये की राशि के सभी ब्याज की अदायगी को आस्थगित किया जाना।

इसके अतिरिक्त, राज्य वित्त निगम को अपनी अनुप्रयोज्य आस्तियों को 10% से कम करने तथा साथ ही उनके आकार को भी कम करने की सलाह दी गई थी।

भारत सरकार द्वारा घोषित उपर्युक्त पैकेज के अनुसरण में, 11 राज्य वित्त निगमों ने [आंध्र प्रदेश (एपीएसएफसी), दिल्ली (डीएफसी), हरियाणा (एचएफसी), हिमाचल प्रदेश (एचपीएफसी), केरल (केएफसी), कर्नाटक (केएसएफसी), मध्य प्रदेश (एमपीएफसी), राजस्थान (आरएफसी), तमिलनाडु (टीआईआईसी), उत्तर प्रदेश (यूपीएफसी) तथा पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबीएफसी) सिडबी और संबंधित राज्य सरकारों के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्योगों को मध्यावधिक एवं दीर्घावधिक ऋण प्रदान करना था।

महोदय, हमारे देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए नोडल मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है। वास्तव में सिडबी नोडल वि पोषण एजेंसी है। सिडबी द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ दिशानिर्देश राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकरण के लिए अनुकूल नहीं है।

महोदय, हाल ही में भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा 7000 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पुनरुद्धार पैकेज में लघु एवं मध्यम उद्यमों को केवल अल्पावधिक ऋण ही उपलब्ध थे। जहां तक वित्तीय निगमों का संबंध है वे लघु एवं मध्यम उद्यमों को मध्यावधिक एवं दीर्घावधिक ऋण प्रदान कर रहे हैं। अल्पावधिक ऋण मात्र 90 दिन का होता है और कोई भी लघु उद्यमी 90 दिन के अंदर कोई लघु उद्यम नहीं स्थापित कर सकता है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार राज्य वित्तीय निगमों को मध्यावधिक एवं दीर्घावधिक ऋण देने पर विचार कर रही है ताकि वे मध्यम तथा लघु उद्योगों को ऋण प्रदान कर सकें।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, वर्तमान प्रश्न राज्य वित्तीय निगमों तथा उनका पुनरुद्धार करने तथा उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए उन्हें समर्थ बाने हेतु सिडबी के साथ सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से संबंधित हैं, जिसके लिए इनकी स्थापना की गई थी। हाल का पैकेज उन पहलों अथवा कदमों से भिन्न है जो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये थे कि राज्य वित्तीय निगम उस भूमिका को अदा कर सके जो उन्हें राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अंतर्गत सौंपा गया था।

महोदय, 17 राज्य वित्तीय निगमों अथवा मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विभाजन के बाद 18 राज्य वित्तीय निगमों में से 11 ने सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस संबंध में इनमें से किसी भी निगम ने इस बारे में शिकायत नहीं की है। इस मामले में सिडबी के हस्तक्षेप के पश्चात् इनमें से अधिकांश निगमों की शुद्ध आस्ति में वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकांश में पांच वर्षों का प्रथम चरण मार्च, 2009 में लगभग पूरा हो जाएगा और इसके पश्चात् यह प्रश्न उठता है कि समझौता ज्ञापन की समीक्षा किन शर्तों पर की जाएगी।

डा. के.एस. मनोज: राज्य वित्तीय निगमों को निधियां जुटाने की अनुमति नहीं है। केरल राज्य वित्तीय निगम ने विदेशों में अनिवासी भारतीयों से निधियां जुटाने का प्रस्ताव पेश किया है ताकि जब वे भारत वापस आएं तब वे लघु उद्यम शुरू कर सकें।

अत:, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केरल राज्य वित्तीय निगम के इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं काफी विनम्रतापूर्वक यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य वित्तीय निगम बैंक नहीं हैं जैसाकि इन्हें समझा जाता है। इनकी स्थापना पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी। सिडबी राज्य वित्तीय निगमों को पुनर्वित्त प्रदान करेगी जो कि लघु उद्योगों को ऋण देते हैं। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। लघु, मध्यम तथा सूक्ष्म उद्यमों ने देश की अर्थव्यवस्था में जो भूमिका अदा की है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि ये उद्यम फलते-फूलते रहें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुवीर सिंह कौशल-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

*204. **श्री पी. करुणाकरन:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पूरे किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष के दौरान अब तक उक्त योजना के समग्र कार्यान्वयन के बारे में सरकार का मूल्यांकन क्या है?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक रिलीज की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक पूरे हो चुके कार्यों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) एनआरईजीए देशभर में ग्रामीण परिवारों को रोजगार अवसरों की विधिक गारंटी देने वाला एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिनियम सिद्ध हुआ है। चालू वर्ष के दौरान अब तक (अक्तूबर, 08 तक) 3.11 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, रोजगार के 119.96 करोड़ श्रमदिवस सृजित किये गये हैं जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए 30%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 25% और महिलाओं के लिए 50% श्रमदिवस शामिल हैं। अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि खर्च का कम से कम 60% कुशल श्रमिकों की मजदूरी के रूप में कुल खर्च की 70% राशि दी गई है। इस अधिनियम में जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण से संबंधित कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण क्षेत्र के अंतर्गत अभी तक लगभग 50% कार्य शुरू किये गये हैं।

एनआरईजीए में वित्तीय समावेशन को बढ़ाया गया है क्योंकि एनआरईजीए कर्मियों को डाकघरों और बैंकों में खोले गए खातों के जरिये मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अभी तक डाकघरों/बैंकों में एनआरईजीए कर्मियों के 4.92 करोड़ खाते खोले गए हैं। डाकघर/बैंक खातों के जरिये मजदूरी के भुगतान से एनआरईजीए कर्मियों में बचत की आदत विकसित हुई है। 15.7.2008 से एनआरईजीए कर्मियों का बीमा जनश्री बीमा योजना का एक हिस्सा बन गया है।

एनआरईजीए के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। एक वेब आधारित एमआईएस www.nrega.nic.in शुरू किया गया है जिसमें वित्तीय और कार्यक्रम निष्पादन से संबंधित सभी आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। 95.48 मास्टर रोलों का सत्यापन किया गया है। जिला स्तर पर 2.29 लाख कार्यों के क्षेत्र स्थल पर सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है और ब्लॉक स्तर पर 14.07 लाख कार्यों की जांच की गई है। 1.59 लाख ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा कराई गई है।

एनआरईजीए से पंचायती राज संस्थाएं सुदृढ़ हुई हैं। पंचायती राज संस्थाएं योजना के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए प्रधान प्राधिकरण हैं। योजना के अंतर्गत इसकी लागत के संबंध में कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने होते हैं। एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए समर्पित स्टाफ तैनात किया गया है।

एनआरईजीए से क्षेत्रीय कर्मियों तथा निचले स्तर की संस्थाओं की क्षमता भी बढ़ी है। अब तक ग्राम पंचायतों में 1.92 लाख ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त किये गये हैं जिनमें से 163832 ग्राम रोजगार सहायको को एनआरईजीए के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर 5454 कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किये गये हैं तथा 5067 को प्रशिक्षण दिया गया है, 23196 तकनीकी स्टाफ नियुक्त किये गये हैं जिनमें से 19687 को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, 12325 गैर-तकनीकी स्टाफ भी नियुक्त किये गये हैं तथा 11238 को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्था के 7.19 लाख कर्मियों तथा सतर्कता एवं निगरानी समितियों के 6.17 लाख सदस्यों को भी एनआरईजीए के तहत प्रशिक्षण दिया गया है।

रिपोर्टों से पता चलता है कि एनआरईजीए के कार्यान्वयन से मजदूरों की मजदूरी की मोल-तोल करने की क्षमता बढ़ी है तथा श्रमिकों के बड़े शहरों की ओर पलायन में कमी आई है। एनआरईजीए के कार्यान्वयन का कृषि उत्पादकता संवर्द्धित सिंचाई सुविधाओं तथा जल स्तरों को बढ़ाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अनुबंध I

2008-09 के दौरान एनआरईजीए जिलों को रिलीज की गई केन्द्रीय निधि

क्र.सं.	राज्य	लाख रु. में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	241745.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	1715.89
3.	असम	50087.39
4.	बिहार	88344.29
5.	छत्तीसगढ़	101691.46
6.	गुजरात	7513.5
7.	हरियाणा	7607.71
8.	हिमाचल प्रदेश	20134.34
9.	जम्मू व कश्मीर	8035.36
10.	झारखंड	112267.1
11.	कर्नाटक	25275.1
12.	केरल	11646.72
13.	मध्य प्रदेश	260263.32
14.	महाराष्ट्र	10495.81
15.	मणिपुर	19011.08
16.	मेघालय	3780.87
17.	मिजोरम	11009.47
18.	नागालैंड	8500.47
19.	उड़ीसा	42622.97
20.	पंजाब	4819.19
21.	राजस्थान	404035.63
22.	सिक्किम	1299.29
23.	तमिलनाडु	92869
24.	त्रिपुरा	30405.5
25.	उत्तराखण्ड	6613.79
26.	उत्तर प्रदेश	190914.23
27.	पश्चिम बंगाल	55684.72
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	702.75
29.	दादरा और नगर हवेली	45.1
30.	दमन और दीव	21.86
31.	लक्षद्वीप	34.26
32.	पुडुचेरी	419.44
33.	चंडीगढ़	20
34.	गोवा	139.21
	कुल	1817771.99

अनुबंध II

राज्य	2008-09 के दौरान (अक्तूबर 08 तक) पूरे हो चुके कार्यों का ब्यौरा								
	ग्रामीण संपर्कता	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण	सूखा रोधन	लघु सिंचाई कार्य	एससी/एसटी/ बीपीएल/आईएवाई/ भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि पर सिंचाई सुविधा की व्यवस्था	पारंपरिक जल निकायों का पुनरुत्थान	भूमि विकास	ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलाप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	4326	1109	50175	4387	15782	8634	9966	55762	0
अरुणाचल प्रदेश	37	14	7	30	24	0	0	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	1364	623	242	119	195	41	169	329	2
बिहार	11937	2595	6239	642	3377	470	3430	1201	21
छत्तीसगढ़	6732	214	2797	715	685	7965	3792	10726	0
गुजरात	896	671	11560	4242	44	1383	574	169	324
हरियाणा	440	43	233	379	79	4	120	146	0
हिमाचल प्रदेश	4705	811	909	62	726	174	385	227	109
जम्मू व कश्मीर	431	403	110	3	77	22	68	86	3
झारखंड	9282	263	14606	512	604	8753	1967	4429	0
कर्नाटक	1109	673	4952	1007	275	5415	1274	689	8
केरल	652	6390	1865	297	1529	167	2085	14[illegible]	0
मध्य प्रदेश	7477	260	11105	6549	1031	53658	2191	24736	0
महाराष्ट्र	77	1	4492	168	3	109	277	1217	20
मणिपुर	329	1690	47	277	49	3	4	34	0
मेघालय	310	26	502	273	49	4	91	123	0
मिजोरम	673	83	35	3	2	1	12	351	0
नागालैंड	78	57	784	273	102	0	31	442	0
उड़ीसा	1258	7	1589	33	63	97	473	7	16
पंजाब	49	15	8	99	0	0	15	0	0
राजस्थान	5104	294	7718	712	1192	27975	3041	752	5
सिक्किम	63	59	2	12	18	1	2	7	3
तमिलनाडु	1279	46	791	0	1059	0	2976	2	0
त्रिपुरा	3168	1002	1280	945	3271	2162	3368	6045	6753
उत्तर प्रदेश	16123	2687	5935	8525	1248	5297	5566	3255	881
उत्तराखण्ड	81	560	1419	331	319	21	97	69	49
पश्चिम बंगाल	8928	2626	4611	3713	1628	757	3770	1554	0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	1	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	1	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	1	0
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	1	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	0
कुल	86908	23222	134013	34308	33431	124113	46058	120028	8194

*0 संबंधित राज्यों द्वारा सूचना न देने की स्थिति को दर्शाता है।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, एनआरईडीएस एक उत्तम परियोजना है जो हमने देश में लागू की है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैंने कई स्थानों का दौरा किया है। यहां काम करने वाले में 90 से 95 प्रतिशत महिलाएं हैं। तथापि यह बहुत ही सकारात्मक कदम है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मानदंड एकरूप हैं। एकरूपता अच्छी बात है। लेकिन साथ ही प्रत्येक राज्य की आवश्यकताएं एवं मांग अलग-अलग हैं। केरल सरकार ने और अधिक नौकरियां सृजित करने तथा परिसम्पत्तियों के सृजन को ध्यान में रखते हुए कुछ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं। इसमें और मदें भी शामिल की जा सकती हैं। केरल सरकार का सुझाव पनधारा कार्य, जो कि कृषि क्षेत्र, सीमान्त कृषक, धान की खेती आदि के संबंध में महत्वपूर्ण हैं, को शामिल कराने का था। यदि हम मानदंडों में इन मदों को शामिल कर लें तो रोजगार के और अवसरों का सृजन हो सकता है तथा कृषि उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन सुझावों पर गौर किया है। यदि हां, तो सरकार का इन सुझावों के बारे में क्या दृष्टिकोण है?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने वाटरशेड की चर्चा की है, वाटरशेड का आलरेडी उसमें प्रावधान है। निजी जमीन पर जो किसान धान की खेती करते हैं, अभी तक कानून में प्रावधान है कि जो शैडयूल्ड कास्ट्स/शैडयूल्ड ट्राइब्स और आईएवाई के बेनीफिशियरीज किसान हैं, उनके खेत में आलरेडी काम हो रहा है। 17 फीसदी जमीनों पर लैंड डेवलपमैंट और इरीगेशन का काम हुआ है। शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जो जमीनें हैं, उनमें सिंचाई की सुविधा दी गयी है। उनमें सभी तरह का काम हो सकता है। उसमें प्रावधान है कि इन कंसल्टेशन विद दी स्टेट गवर्नेंट, हम नयी चीजों को भी उसमें जोड़ सकते हैं। जब राज्य सरकार से प्रस्ताव आता है, तब हम उस पर विचार करते है।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन: माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह पता चलता है कि कई राज्यों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है। केवल ऐसा ही नहीं है। इन्होने कोई भी लेखे नहीं बनाए हैं या कोई भी लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इन खामियों के क्या कारण हैं? संवीक्षण या निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं? क्या खराब कार्य-निष्पादन वाले राज्यों के बारे में सरकार के पास कोई रिपोर्ट है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून है, देश में 2 लाख 78 हजार पंचायतें और 614 जिले हैं, वह उनमें कहीं-कहीं राज्यवार, जिलेवार और कहीं पंचायतवार वेरी करता है। इसलिए यह कहना कि किस राज्य की स्थिति खराब है और किस राज्य की अच्छी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मिला-जुलाकर यह बहुत ही क्रान्तिकारी और गरीबोन्मुखी कार्यक्रम है जिससे 3 करोड़ 11 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। इसके अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से गरीबों के खाते में पैसे जमा हो रहे हैं, गरीबों को पैसे मिल रहे हैं और उनकी फूड सिक्योरिटी हुई है। गरीबों को गरीबी से लड़ने में बड़ा भारी प्रबल औजार मिला है। इसलिए हम सब जगह सम्यक दृष्टि देख रहे हैं। जहां-जहां राज्य या जिलों में ढिलाई होती है, हम उसके लिए राज्य सरकार से अनवरत् सम्पर्क में हैं। सभी तरह के प्रयास, पीपल्स अवेयरनैंस, जनरेशन, पीपल्स पार्टीसिपेशन और स्ट्रिक्ट विजिलेंस, मानीटरिंग, ट्रांसपेरेंसी, इसके महत्वपूर्ण अंश हैं। राइट टू इन्फोर्मेशन कानून आलरेडी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून में है। इसलिए राइट टू इन्फोर्शन अधिकार का प्रयोग हो रहा है। सोशल ऑडिट का प्रावधान है। सिविल सोसायटी, जज लोगों का ध्यान भी नालसा (नैशनल लीगल सर्विसेज अथारिटी) की ओर गया है।

देश भर के माननीय जजों और वकीलों ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के लिए बैठकें की हैं। इंटलैक्चुअल्स, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और दुनिया भर के देशों के लोगों का ध्यान भी इस ओर गया है। इसका अध्ययन चल रहा है और यह बहुत सफलता की ओर जा रहा है। इससे उद्देश्य की आपूर्ति हो रही है। जहां-तहां कमियां हैं, उन कमियों को भी निर्मूल करने के लिए हमने प्रयास किया है।

इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग भी हमें मिल रहा है। इसमें हमें उनके और सहयोग की जरूरत है, जिस सहयोग से हम इस क्रान्तिकारी और गरीबोन्मुखी कार्यक्रम को ठीक ढंग से लागू कर सकें और गरीबी एवं बेरोजगारी की इस देश से विदाई कर सकें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस तेजी से माननीय मंत्री जी बोलते हैं और सफाई देते हैं, वैसा हकीकत मे होता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके प्रश्न का जवाब आया या नहीं?

श्री शैलेन्द्र कुमार: अगर आप गांवों में जाइए तो हकीकत का पता लगेगा।

महोदय, वर्ष 2008-09, चालू वर्ष के जो आंकड़े मंत्री जी ने प्रस्तुत किये हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में 190914.23 लाख रुपये आपने आवंटित किये हैं। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है। कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, इन चार जिलों का आप अगर सर्वे करा लें, वहां अपनी ओर से एजेंसी भेज दें, तो आपको हकीकत पता लग जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का जो भी पैसा वहां जाता है, वहां के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वे उस पैसे पर पूरी डकैती डाल रहे हैं। पूरा पैसा उनके खातों में जा रहा है और ग्राम सभा से जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन पर कोई अमल नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इसे ग्राम स्तर तक ले जाने के लिए, ग्राम सभा से जो प्रस्ताव हो रहे हैं, उन पर अमल कराने की क्या आपके पास कोई कार्ययोजना है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, रोजगार गारन्टी योजना में ही इसके लिए प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा को जो अधिकार दिये गये हैं, जो विलेज असेम्बली हैं, उसी से सारी योजनाएं पास होंगी। उसके सामने कार्यक्रम को रखा जाता है, उसकी सारी सूचनाएं ग्राम सभा में देने का प्रावधान है। कहीं-कहीं कानून के कार्यान्वयन में कमी है। जब कोई माननीय सदस्य उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, तो हम उसकी छानबीन कराते हैं, लेकिन कानून में ही यह प्रावधान है, ग्राम सभा को सारे अधिकार दिये गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया गया है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कराया जा रहा है। हरेक पंचायत में डेडीकेटिड टेक्नीकल, नॉन-टेक्नीकल स्टाफ का प्रावधान है। सभी राज्यों ने इसे किया है, कहीं-कहीं कमी है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। हम कमियों को केवल यह कहकर स्वीकार नहीं करते हैं कि कमियां हैं, बल्कि उन कमियों को समाप्त करने के लिए सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ महीनों में जो भी त्रुटियां माननीय सदस्य बता रहे हैं, उन सभी त्रुटियों का समाधान होने वाला है।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेलथन: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2008-09 के दौरान अक्तूबर 2008 तक पूरे हुए कार्यों का ब्यौरा दिया है। तमिलनाडु राज्य में ग्रामीण सम्पर्क से संबंधित 1,279 कार्य पूरे किये गये हैं। बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई के संबंध में यह संख्या 46, जल संरक्षण तथा जल संचयन के संबंध में 79 कार्य पूरे किये गये हैं, लघु सिंचाई से संबंधित 1059 कार्य पूरे किये गये हैं, परम्परागत जल निकायों के पुनरुद्धार के संबंध में 2976 कार्य शुरू किये गये हैं तथा भूमि विकास के संबंध में 2 कार्य पूरे किये गये हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बीपीएल, आईएवाई तथा भूमि सुधार लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने का प्रावधान है लेकिन इस श्रेणी के अंतर्गत कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु सरकार ने इन श्रेणियों के लोगों के लिए किसी कार्यक्रम का चयन नहीं किया है या कोई कार्यक्रम लागू नहीं किया है। यदि हां, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बीपीएल, आईएवाई तथा भूमि सुधार लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर उनका चयन करने के लिए तमिलनाडु सरकार को निदेश देगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इरीगेशन और माइनर इरीगेशन के लिए आलरेडी कानून में प्रावधान है और उसके लिए पंचायतवार जहां लोग जरूरत समझते हैं, योजना तैयार करते हैं। इसलिए माननीय सदस्य ने जो पूछा कि राज्यवार विवरण आप दें, राज्यवार ब्यौरा हमने दे दिया है। थर्ड फेज के लिए पीक पीरिएड अभी शुरू हुआ है, दिसंबर से जून महीने तक ही ज्यादा मांग होती है

और ज्यादा काम होता है। अभी शुरुआत हुई है। जहां माननीय सदस्य कहते हैं कि इरीगेशन की योजना कम ली गयी है, उसके बारे में हम राज्य सरकार को बार-बार कहते हैं कि हमारी टॉप प्रायरिटी वाटर कंजर्वेशन, इरीगेशन, प्लांटेशन, लैण्ड डेवलपमेंट के लिए है और पंचायती राज संस्थाओं को बताया जाए कि इस तरह की योजनाओं को टाप प्रायरिटी दी जाए, जिससे आम किसानों को भी सहूलियत मिल सके। जैसे वाटर कंजर्वेशन होगा तो उसका लाभ चाहे अनुसूचित जाति के किसान हों, जनजाति के किसान हों या जनरल किसान हों, सभी को लाभ होगा। इसलिए जब गांवों में सिंचाई की सुविधा होगी तो सभी किसान उससे लाभान्वित होंगे।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने सांसदों की एक कमेटी बनाई थी, जिसका काम यह था कि इस योजना में जो धांधली हो रही है, उसकी जांच करे, लेकिन आज भी 'नरेगा' में हर जगह लूट मची हुई है। मंत्री जी बहुत लम्बा जवाब देते हैं। जितनी राशि वे राज्यों को देते हैं, क्या उन्हें खबर है कि वह सही जगह पर पहुंचती है या नहीं? मंत्री जी स्वयं बिहार से आते हैं। वहां सबसे कम पैसा दिया जा रहा है। बिहार में जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां सब कुछ बाढ़ में बह गया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस इलाके में लोगों को राहत देने के लिए आपने कोई विशेष योजना बनाई है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि मैं लम्बा उत्तर देता हूं। मैं लम्बा उत्तर नहीं देता, बल्कि माकूल उत्तर देता हूं। जैसा प्रश्न होता है, उसके मुताबिक उत्तर देता हूं। इन्होंने बिहार के सबंध में कहा कि वहां पैसा कम दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि यह डिमांड ड्रिवन योजना है। जहां अन्य राज्यों में 100 करोड़ रुपये प्रति जिले के हिसाब से राज्य खर्च कर रहे हैं, वहीं बिहार में 400-500 करोड़ रुपये रखे हैं। 38 जिलों में 400-500 करोड़ रुपया भी नहीं बांट पाए हैं। वहां जितनी मांग थी, उतने लोगों को जॉब कार्ड भी नहीं बंटे गए हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं आप अपनी-अपनी राज्य सरकार को इसके लिए प्रेरित करें। माननीय सदस्य शाहनवाज हुसैन जी भी अपनी राज्य सरकार को प्ररित करें कि वह उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम को लागू करे। मैं महीने में तीन पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखता हूं कि बिहार क्यों पीछे है। वहां सबसे ज्यादा लाभ दिया जा सकता है, जिससे गरीब को फायदा पहुंच सकता है और डिस्ट्रैश माइग्रेशन रुक सकता है। लेकिन मुख्य मंत्री जी को लिखने से ज्यादा काम हम नहीं कर सकते। हमारे पास पैसा रोकने का अधिकार है, लेकिन हम रोक नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राज्य सरकार पैसा खुद खर्च करे। बाढ़ से प्रभावित इलाकों को राहत देने के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बैठक की थी और एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिला था। उसी समय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए अलग से प्रावधान किया था। जिन खेतों में बालू भर गई थी, वहां सफाई कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में सुधार करके हमने खास तौर से बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए प्रावधान कराया। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना के तहत 58,000 मकान स्वीकृत किये, लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना का इस्तेमाल नहीं किया और एक भी मकान का निर्माण नहीं किया गया। मैंने इस संबंध में दर्जनों पत्र लिखे हैं। *...(व्यवधान)* आप सुन लें, हम उत्तर दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: कहीं कोई राहत नहीं दी जा रही है। सारा पैसा अन्यत्र ले जाया जा रहा है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप सुन लें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इन्होंने सवाल उठाया है इसलिए उत्तर भी सुनना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: सवाल इंदिरा आवास योजना पर नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इन्होंने बाढ़ पीड़ित इलाकों की बात कही थी।

उपाध्यक्ष महोदय: वैसे मंत्री जी इंदिरा आवास योजना का प्रश्न तो नहीं था।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: माननीय सदस्य ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के बारे में सवाल किया था। हमने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में अलग से प्रावधान किया है। हम बार-बार राज्य सरकार को इसके लिए कह रहे हैं। अभी तक के कानून में यह व्यवस्था है कि उसी पंचायत के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन हमने कहा कि जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों से विस्थापित हो गए हैं, किसी कैम्प में या मैगा कैम्प में डेरा डाले हुए हैं, अगर कोई गरीब आदमी वहां काम करना चाहे तो कानून में उसके मुताबिक सुधार करके, इस तरह की व्यवस्था की है। इन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के बारे में सवाल किया है इसलिए वहां के विस्थापितों के लिए हमने 58,000 मकान इंदिरा आवास योजना के

तहत दिये हैं, लेकिन एक का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह से जो सड़कें बाढ़ से बर्बाद हो गई थीं, उनके लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। लेकिन अभी तक एक भी सड़क की रिपेयरिंग का जवाब हमें नहीं आया। ...*(व्यवधान)* जब इन्होंने सवाल पूछा है तो उसका माकूल उत्तर दिया जाएगा और इन्हें सुनना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

***श्री शरनजीत सिंह डिल्लो:** धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। जब सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एनआरईजीएस) शुरू की गई थी तो यह दावा किया गया था कि यह योजना देश के लिए एक वरदान साबित होगी। उस समय बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराये जाने से संबंधित बड़े बड़े वायदे किये गये थे। तथापि, पंजाब के लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, कपूरथला तथा अन्य जिलों में इस योजना के अंतर्गत एक भी व्यक्ति को रोजगार प्रदान नहीं किया गया है। यह बात तथ्य अपने आप ही बताते हैं। मेरी बात की पुष्टि सरकार की वेबसाइट भी करती है। यदि इस योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ देना है तो सभी राज्यों में इस योजना के अंतर्गत अलग से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। अलग-अलग राज्यों की समस्याएं अलग-अलग हैं। पंजाब की समस्याएं हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा केरल की समस्याओं से अलग हैं। अत: इस योजना के अंतर्गत लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य विशिष्ट सर्वेक्षण कराए जाने चाहिएं। यदि यह योजना इसी स्वरूप में चलती रही तो किसी भी राज्य को लाभ नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: उपाध्यक्ष जी, इनका 100 दिनों का काम देने का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, लेकिन हमारे यहां पंचायत इलेक्शन जीतने के बाद हमारे पास इंफोर्मेशन आयी कि पिछले 6 महीने से हमारे स्टेट की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कोई काम पंचायतों को करने नहीं दे रही है। पूरे काम को कंप्यूटर में लॉक कर दिया गया है। 100 डेज काम को कम्प्यूटर में लॉक करके अभी तक नहीं खोला गया है, आप प्लीज उसे खोल दीजिए। दिल्ली में बोलते हैं कि हमने इसे कम्प्यूटर में लॉक कर दिया है और जनवरी से पहले नहीं खुलेगा। अभी आदिवासी लोगों का जो मूवमेंट हुआ है, यहां तक कि उन्हें 100 दिनों का काम भी नहीं मिल रहा है। आपने आदिवासियों, माइनोरिटीज, महिलाओं और गरीबों के लिए काम किया है। हमारे यहां आदिवासियों का मूवमेंट इतने दिन हुआ है, लेकिन उनको भी 100 दिन के काम का मौका नहीं मिलता है। इसलिए आप लॉक को खोलने के लिए अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन्स दीजिए कि वेस्ट बंगाल का लॉक खुलवा दिया जाए। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट (ईस्ट) में हारे जिला परिषद् के लोग डीएम से मिले, लेकिन वहां डीएम कोई काम नहीं करने दे रहा है। वह कहता है कि काम लॉक किया गया है और 100 डेज का काम नहीं होगा। आप मेहरबानी करके इसे खोलने के लिए इंस्ट्रक्शन्स दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, कुमारी ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया है, उस सवाल के बारे में हम बंगाल सरकार से पूछेंगे कि उस जिले की क्या स्थिति है?

कुमारी ममता बैनर्जी: उस लॉक को खुलवाइये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: लॉक है या नहीं, अभी हम नहीं जानते हैं।

श्री शरनजीत सिंह डिल्लों: मेरा जवाब नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न पूछा ही नहीं।

आपका प्रश्न क्या है?

[अनुवाद]

***श्री शरनजीत सिंह डिल्लो:** महोदय, जिस प्रकार से यह योजना चल रही है उसे बदलने की तत्काल आवश्यकता है अन्यथा पंजाब तथा अन्य राज्य के लोगों को कोई लाभ नहीं होगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मांग के आधार पर ही रोजगार मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय: इनका कहना यह है कि वहां की स्थिति अलग है।

[अनुवाद]

यहां की स्थिति देश के अन्य भागों से अलग है।

[हिन्दी]

क्या आप कोई ऐसा फार्मूला अपना सकते हैं जिससे वहां के लोगों को भी रोजगार मिल सके।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, वहां दूसरे राज्यों की तुलना में जिलों की स्थिति भिन्न है, यह मैं समझता हूं। वहां यदि मजदूरों की मांग होगी, तभी तो मजदूरी मिलेगी। पलायन को रोकने के लिए रोजगार गारंटी प्रोग्राम है लेकिन रोजगार गारंटी प्रोग्राम से यदि कहीं अधिक मजदूरी मिलती है तो लोग इस स्कीम में नहीं आयेंगे और हमें खुशी होती है कि गरीबी हट रही है। जब रोजगार गारंटी प्रोग्राम में तब काम है जब अन्य जगह कहीं काम नहीं है। जो लोग उसमें आते हैं उनको काम मिलता है। लेकिन पंजाब में तो हमारे बिहार का मजदूर जाकर काम करता है तो वहां कहां से मजदूरी मांगने वाले लोग होंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम अगला प्रश्न सं. 205 लेंगे।

डा. सत्यनारायण जटिया-उपस्थित नहीं।

श्री विजय कृष्ण-उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 206, श्री महावीर भगोरा।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा उत्पादन

***206. श्री महावीर भगोरा:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में, राज्यवार कितने पवन ऊर्जा संयंत्र कार्य कर रहे हैं तथा उनसे कितनी मात्रा में विद्युत उत्पन्न की जा रही है;

(ख) केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इन संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अपने राज्यों में इन संयंत्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश में दिनांक 30 सितम्बर, 2008 तक 9522 मेगावाट समग्र संस्थापित क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं से कुल 52.424 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिये गये हैं।

सरकार की ओर से किसी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता अथवा पूंजी सब्सिडी के बिना, निजी क्षेत्र निवेश से देश में वाणिज्यिक रूप से ग्रिड-इंटरएक्टिव पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। ऐसी वाणिज्यिक निजी क्षेत्र पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्तावों हेतु भारत सरकार की किसी अनापत्ति (क्लीयरेंस) की आवश्यकता नहीं होती है।

तथापि, सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन, जैसे पवन इलैक्ट्रिक जनरेटर के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से अर्जित आय पर दस वर्ष का कर-अवकाश, त्वरित मूल्यह्रास का लाभ और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से ऋण, उपलब्ध कराकर देश में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है। विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन सहित आगे और संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान के लिए पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चेन्नई द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संभाव्यता वाले राज्यों द्वारा पवन विद्युत हेतु अधिमान्य शुल्क कर दी जा रही है।

अनुबंध

राज्यवार पवन विद्युत संस्थापित क्षमता और संचयी उत्पादन (30.9.2008 तक)

क्र.सं.	राज्य	संचयी संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	संचयी उत्पादन (बिलियन यूनिट)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	122.5	1.336
2.	गुजरात	1414.7	4.413
3.	कर्नाटक	1166.4	5.661

1	2	3	4
4.	केरल	18.0	0.047
5.	मध्य प्रदेश	187.7	0.469
6.	महाराष्ट्र	1823.9	7.358
7.	राजस्थान	673.0	2.320
8.	तमिलनाडु	4115.8	30.820
	कुल	9522.0	52.424

श्री महावीर भगोरा: महोदय, क्या पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना लागत और हाइड्रो पावर विद्युत परियोजनाओं की लागत में कोई अंतर है या कमीबेशी है और क्या आप पवन विद्युत योजनाओं को उन राज्यों में ज्यादा लागू करेंगे, जहां इसकी संभावना अधिक है? मैं जानना चाहता हूं कि पवन विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत ज्यादा है या कम है?

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदय, माइक्रो हाइड्रो और पवन विद्युत परियोजना, लगभग दोनों की लागत समान है, लेकिन पवन विद्युत परियोजना में एक्सीलरेट डिप्रेसिएशन आदि बाकी जो रियायतें हैं, उसकी वजह से इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। दोनों परियोजनाओं में निजी क्षेत्र में ही इन्वेस्टमेंट होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत की मांग और आपूर्ति

[हिन्दी]

*205. **डा. सत्यनारायण जटिया:**
श्री विजय कृष्ण:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत की कुल मांग और आपूर्ति के संबंध में पृथक-पृथक कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इन क्षेत्रों के लिए विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) 11वीं योजना (2011-12) के समापन वर्ष में बिजली की खपत हेतु, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित 17वें बिजली विद्युत सर्वेक्षण (ई.पी.एस.) के अनुसार राज्यवार तथा क्षेत्रवार पूर्वानुमान संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पूर्वानुमानित खपत की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्युत स्टेशनों के बस बार पर अनुमानित बिजली की आवश्यकता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय बिजली नीति में 2012 तक सभी के लिए विद्युत की परिकल्पना की गई है तथा 2011-12 तक विद्युत की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता को 1000 यूनिटों से अधिक बढ़ाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 11वीं योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा 78,700 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अद्यतन मूल्यांकन के आधार पर 11वीं योजना के दौरान 79,790 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि का लक्ष्य व्यवहार्य है जिसमें से 30 नवम्बर, 2008 तक 11,322 मेगावाट की स्थापना की जा चुकी है शेष 68,468 मेगावाट क्षमता वृद्धि का कार्य निर्माणाधीन है। इस क्षमता वृद्धि से अखिल भारतीय स्तर पर अपेक्षित विद्युत की मांग को 11वीं योजना के समापन वर्ष तक पूरा किये जाने की संभावना है। 11वीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि का राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

देश में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अपनाई गई रणनीति का विवरण नीचे दिया गया है:

(1) 11वीं योजना हेतु अपारम्परिक ऊर्जा से 78,700 मेगावाट तथा नवीन तथा नवीकरणीय स्रोतों से 15,000 मेगावाट की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

(2) प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के तहत् 4000 मेगावाट प्रत्येक के कई अल्ट्रामेगापावर प्रोजेक्टों का विकास।

(3) अतिरिक्त कैप्टिव पावर को ग्रिड में भेजना। 11वीं योजना के दौरान 12000 मेगावाट क्षमता को अतिरिक्त कैप्टिव पावर की प्रणाली में जोड़ना।

(4) मर्चेन्ट पावर प्लांट के माध्यम से लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता का विकास।

(5) देश में जल विद्युत से त्वरित विकास हेतु 50,000 मेगावाट जलविद्युत उपक्रम को लागू करना। कुल 48,000 मेगावाट क्षमता की 162 परियोजनाओं की प्राथमिक

व्यवहार्यता रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है जिसमें से लगभग 37,000 मे.वा. की कुल क्षमता की 77 परियोजनाओं, जिसके लिए पहले वर्ष का टैरिफ 2.50 रुपये प्रति यूनिट से कम की संभावना है, को निष्पादित करने का चयन कर लिया गया है। इन परियोजनाओं को मेजबान राज्य सरकारों द्वारा स्थापना हेतु आवंटित किया जाना है।

(6) चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि की कड़ाई से मानीटरिंग।

(7) बढ़ती निर्माण क्षमता की आवश्यकताओं के लिए तथा मुख्य संयंत्र उपकरण तथा कोयला हैंडलिंग संयंत्र, राख हैंडलिंग संयंत्र और जल उपचार संयंत्र आदि के लिए विक्रेता आधार बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सभाओं, क्षेत्रीय कार्यशालाओं इत्यादि के आयोजन द्वारा उद्योग जगत को सुग्राही बनाना। अन्य क्षेत्रों यथा महत्वपूर्ण सामग्रियों और आवश्यक निधियों की निर्माण से पूर्व व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

(8) राष्ट्रीय ग्रिड के विकास के माध्यम से क्षमता वृद्धि कार्यक्रम तथा नवीन अर्न्तराज्यीय पारेषण क्षमताओं सहित उच्च वोल्टता पारेषण का व्यापक रूप से विकास करना।

(9) मांग पक्षीय प्रबन्धन (डीएसएम) तथा अंतिम उपभोक्ता पहल के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा कार्यकुशलता बढ़ाना। उपभोक्ता मार्गदर्शिका सहित ऊर्जा कार्यकुशलता उपकरणों को विकसित करने हेतु ऊर्जा लेबलिंग तथा स्टार रेटिंग के माध्यम से डीएसएम को प्रोत्साहित करना।

(10) सीडीए लाभों को प्राप्त करने के लिए बचत लैम्प योजना को लागू करना तथा इन्केन्डेसेंट बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्बों को प्रयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करना।

(11) ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड बनाए गए हैं तथा उन्हें ऊर्जा कार्यकुशलता बिल्डिंग के निर्माण तथा समुचित सामग्रियों के उपयोग हेतु जारी किया गया है।

(12) पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के माध्यम से विधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जिससे कि व्यवहार्य परियोजनाओं का कार्य बाधित न हो।

विवरण I

2011-12 के दौरान अखिल भारत और राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा खपत की गई वैद्युत ऊर्जा

(मि.यू. में)

राज्य	घरेलू	वाणिज्यिक उपभोक्ता	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	सार्वजनिक जल व्यवस्था	सिंचाई- पंपसैट्स/ राज्य नलकूप/सिंचाई योजना	एल.टी. उद्योग	एल.टी. उद्योग	रेलवे ट्रेक्सन	गैर औद्योगिक उपभोक्ता (एचटी थोक आपूर्ति)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	14095	6730	314	439	72	3021	1217	774	544
हरियाणा	6064	1805	64	680	10955	1877	5955	293	946
हिमाचल प्रदेश	1139	502	19	606	93	627	4305	0	326
जम्मू और कश्मीर	3497	916	92	538	306	454	1208	0	1069
पंजाब	10392	3552	179	513	15699	3821	12453	171	649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	9657	2948	357	1526	10081	3241	8219	393	0
उत्तर प्रदेश	23339	4304	604	994	9474	4724	9063	2018	4388
उत्तराखण्ड	2297	1135	67	250	836	196	1760	0	0
चंडीगढ़	766	485	20	49	4	207	251	0	46
उप-योग (उत्तरी क्षेत्र)	71246	22377	1716	5594	47519	18168	44430	3649	7967
गोवा	818	396	78	354	34	169	1896	0	0
गुजरात	11285	5140	341	1478	16683	11445	17972	766	315
छत्तीसगढ़	3996	604	63	142	2024	744	8570	948	0
मध्य प्रदेश	10976	2162	307	967	10134	1403	8022	2160	0
महाराष्ट्र	23526	9133	1621	2783	15784	9299	28683	2929	0
दादरा और नगर हवेली	80	81	13	7	13	638	3494	0	0
दमन और दीव	73	59	12	3	5	325	2104	0	0
उप-योग (पश्चिमी क्षेत्र)	50754	17574	2435	5732	44657	24023	70742	6803	315
आंध्र प्रदेश	16035	5024	1644	940	26049	5755	15223	1900	196
कर्नाटक	6532	4348	1201	3211	16099	5957	7606	57	229
केरल	7251	2831	358	406	384	1092	3813	75	135
तमिलनाडु	25495	7399	957	1768	14082	9489	13158	835	518
लक्षद्वीप	22	10	2	0	0	2	0	0	0
पांडिचेरी	657	164	21	38	146	175	2469	0	7
उप-योग (दक्षिणी क्षेत्र)	55971	19766	4181	6363	56761	22468	42270	2867	1086
बिहार	9940	540	42	313	1871	360	1323	540	0
झारखंड	5512	382	87	100	123	381	10663	1116	0
उड़ीसा	9162	841	81	258	530	528	7962	515	485
पश्चिम बंगाल	11663	3109	326	575	1227	1509	13484	1423	312
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	169	58	12	2	0	8	0	0	29
सिक्किम	96	46	51	4	0	31	9	0	4
उप-योग (पूर्वी क्षेत्र)	36373	4918	586	1250	3751	2809	33441	3593	800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	3801	480	23	103	88	426	862	0	324
मणिपुर	352	25	6	25	6	52	38	0	102
मेघालय	564	263	5	55	1	20	698	0	180
नागालैंड	242	30	12	7	0	51	130	0	73
त्रिपुरा	528	66	13	101	142	90	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	150	86	30	10	0	11	0	0	0
मिजोरम	201	13	22	38	6	6	4	0	17
उप-योग (पूर्वोत्तर)	5836	964	109	340	243	657	1731	0	696
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	169	58	12	2	0	8	0	0	29
लक्षद्वीप	22	10	2	0	0	2	0	0	0
कुल	220372	65666	9043	19281	152931	68135	192614	16913	10893

विवरण II

2011-12 के दौरान अखिल भारतीय एवं राज्यवार/संघ शासित प्रदेश वार विद्युतीय ऊर्जा आवश्यकता तथा विद्युत केन्द्र भार पर व्यस्ततम समय की मांग का पूर्वानुमान
(केवल यूटिलिटियां)

राज्य/संघ क्षेत्र	ऊर्जा की आवश्यकता (मि.यू.)	व्यस्ततमकालीन भार (मे.वा.)
1	2	3
दिल्ली	36293	6092
हरियाणा	38417	6839
हिमाचल प्रदेश	9504	1611
जम्मू और कश्मीर	11202	2063
पंजाब	60489	11000
राजस्थान	48916	8482
उत्तर प्रदेश	79268	13947
उत्तराखण्ड	8445	1533
चंडीगढ़	2308	420
उप-योग (उत्तरी क्षेत्र)	294841	48137
गोवा	4583	721
गुजरात	85445	14374
छत्तीसगढ़	21785	3565
मध्य प्रदेश	49338	8642
महाराष्ट्र	125661	21954
दादरा और नगर हवेली	5042	778
दमन और दीव	3005	552
उप-योग (पश्चिमी क्षेत्र)	294860	47108
आंध्र प्रदेश	89032	14721
कर्नाटक	53540	8826
केरल	19230	3528
तमिलनाडु	87222	14224

1	2	3
पांडिचेरी	4419	683
उप-योग (दक्षिणी क्षेत्र)	253443	40367
बिहार	19905	3607
झारखंड	23408	4296
उड़ीसा	27149	4459
पश्चिम बंगाल	41020	7407
सिक्किम	320	83
उप-योग (पूर्वी क्षेत्र)	111802	19088
असम	7585	1443
मणिपुर	932	203
मेघालय	2101	428
नागालैंड	698	152
त्रिपुरा	1229	282
अरुणाचल प्रदेश	386	116
मिजोरम	398	115
उप-योग (पूर्वोत्तर)	13329	2537
द्वीपसमूह	0	0
अंडमान और निकोबार	344	77
लक्षद्वीप	40	11
कुल (अखिल भारत)	968659	152746

विवरण III

11वीं योजना के द्वारा संभावित लाभों के लिए क्षमता अभिवृद्धन का सार

(आंकड़े मे.वा. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	0	1500	108	1608
2.	हरियाणा	1500	1800	0	3300
3.	हिमाचल प्रदेश	2763	210	1462	4435
4.	जम्मू और कश्मीर	449	450	0	899
5.	पंजाब	0	500	540	1040
6.	राजस्थान	690	1790	1080	3560
7.	उत्तर प्रदेश	980	2000	2200	5180
8.	उत्तराखंड	1520	304	330	2154
9.	चंडीगढ़	0	0	0	0
	उप-योग (उत्तरी क्षेत्र)	7902	8554	5720	22176

1	2	3	4	5	6
10.	चंडीगढ़	3980	1250	1600	6830
11.	गुजरात	0	2782	5368	8150
12.	महाराष्ट्र	740	2500	1450	4690
13.	मध्य प्रदेश	520	1210	1720	3450
14.	गोवा	0	0	0	0
15.	दमन और दीव	0	0	0	0
16.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
	उप-योग (पश्चिमी क्षेत्र)	5440	7742	10138	23120
17.	आंध्र प्रदेश	1000	2444	1275	4719
18.	कर्नाटक	440	1480	1615	3535
19.	केरल	0	160	0	160
20.	तमिलनाडु	4000	1952	0	5952
21.	पांडिचेरी	0	0	0	0
	उप-योग (दक्षिणी क्षेत्र)	5440	6036	2890	14366
22.	बिहार	3070	0	0	3070
23.	झारखंड	3050	0	0	3050
24.	उड़ीसा	0	150	600	750
25.	सिक्किम	510	0	1299	1809
26.	पश्चिम बंगाल	4242	2720	250	7212
	उप-योग (पूर्वी क्षेत्र)	10872	2870	2149	15891
27.	अरुणाचल प्रदेश	2600	0	0	2600
28.	असम	750	37	0	787
29.	मणिपुर	0	0	0	0
30.	मिजोरम	0	0	0	0
31.	मेघालय	0	124	0	124
32.	नागालैंड	0	0	0	0
33.	त्रिपुरा	726	0	0	726
	उप-योग (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	4076	161	0	4237

1	2	3	4	5	6
34.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	33530	25363	20897	79790

टिप्पणी–केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों की क्षमता विद्युत आवंटन के यथा लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप लाभ ग्राही राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित है।

[अनुवाद]

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छ गांव/जिले

***207. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:**
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत देश में अनेक गांव/जिले संपूर्ण स्वच्छ गांव/जिले घोषित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के कार्य-निष्पादन के स्तर के बारे में अब तक कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को नया बल प्रदान करने के लिए खुले में शौच की प्रथा से मुक्त एवं पूर्णत: साफ-सुथरी ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिलों के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान के घटक के रूप में 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' (एनजीपी) नामक वित्तीय प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। वित्तीय पुरस्कार के लिए शत-प्रतिशत स्वच्छता कवरेज हासिल करने वाली ग्राम पंचायतों, मध्य स्तरीय (ब्लॉक) पंचायतों और जिला पंचायतों पर विचार किया जाता है, यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं:

* पंचायती राज संस्था के क्षेत्र में सभी परिवारों में वैयक्तिक शौचालय या सामुदायिक स्वच्छता परिसर हों।
* सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में शौचालय हों। प्राथमिक स्तर से ऊपर के सभी सह-शैक्षिक विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग मूत्रालय और शौचालय खंड हों।
* पंचायती राज संस्था के क्षेत्र के भीतर खुले में शौच की प्रथा से पूर्णत: मुक्ति। बाहरी व्यक्ति सहित कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता हो और बच्चों का मल-मूत्र शौचालयों में बहा दिया जाता हो।
* सभी जल स्रोतों के चारों ओर उचित जल निकासी व्यवस्था एवं प्लेटफार्म हो।
* ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था। पीआरआई की क्षेत्रीय सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जल जमाव या कूड़ा-करकट इकट्ठा न हो।

आबादी मानदंड के आधार पर पीआरआई को पुरस्कार राशि दी जाती है जो कि निम्नानुसार है:

मद	ग्राम पंचायत					मध्य स्तरीय पंचायत		जिला पंचायत	
जनगणना 2001 के अनुसार आबादी	1000 से कम	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से 9999	10000 और उससे अधिक	50000 तक	50001 और उससे अधिक	1000000 तक	1000000 से अधिक
पुरस्कार राशि (रु. लाख में)	0.50	1.00	2.00	4.00	5.00	10.00	20.00	30.00	50.00

निर्मल ग्राम पुरस्कार को इस क्षेत्र में जबर्दस्त सफलता मिली है। प्रथम एनजीपी अवार्ड का वितरण 2004-05 में किया गया था जिसमें 38 ग्राम पंचायतें और 2 मध्य स्तरीय पंचायतें पात्र पाई गई थीं और इन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया था। 2005-06 में यह संख्या बढ़कर 760 ग्राम पंचायतें और 9 मध्य स्तरीय पंचायतें हो गई। 2006-07 में 4945 ग्राम पंचायतों और 14 मध्य स्तरीय पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कृषि वित्त निगम द्वारा 2004 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की मध्यावधि समीक्षा की गई थी। अन्य बातों में यह इंगित किया गया था कि केवल 61.5% शौचालयों का इस्तेमाल किया गया था और इकाई लागत को एवं कार्यक्रम के कुछ अन्य मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि जन संचार अभियान सहित आईईसी क्रियाकलापों को बेहतर बनाने की जरूरत थी। यह भी महसूस किया गया था कि निचले स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत थी और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिए। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के लिए अधिसंरचना का प्रावधान करने और उस पर वित्तीय प्रोत्साहन देने की सिफारिश भी की गई थी।

सिफारिशों के आधार पर, निजी पारिवारिक शौचालय इकाई लागत को संशोधित करके बढ़ाया गया था और यह वर्तमान में 2500 रु. प्रति इकाई तथा दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 3000 रु. है। टीएससी के हिस्से के रूप में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन नामक एक नया घटक शुरू किया गया था तथा शौचालय बनाने के लिए एपीएल परिवारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिक्रामी निधि की अवधारणा शुरू की गई थी।

इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या टीएससी के विस्तार के दौरान एनजीपी की भावना, सिद्धांतों तथा गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, वर्ष 2008 में यूनिसेफ के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया था। प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य उद्देश्यों में यह बात शामिल होती है कि क्या खुले में शौच से मुक्त वातावरण सहित मौजूदा पुरस्कार प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं में एनजीपी के सिद्धांतों का अनुपालन किया जा रहा है तथा क्या इसकी प्रक्रिया सामाजिक रूप से विशिष्ट थी तथा एनजीपी पुरस्कार से स्वच्छता संबंधी अन्य क्रियाकलापों और पुरस्कार प्राप्त करने वाली पंचायती राज संस्थाओं में समग्र सामाजिक विकास को बढ़ावा मिला है। यह अध्ययन उन छह राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में एनजीपी पुरस्कार प्राप्त करने वाली 162 ग्राम पंचायतों में कराया गया था। इनमें वर्ष 2004-05 में एनजीपी पुरस्कार प्राप्त करने वाली 37 ग्राम पंचायतें तथा वर्ष 2005-06 में एनजीपी पुरस्कार प्राप्त करने वाली 125 ग्राम पंचायतें शामिल हैं जिनका यादृच्छिक आधार पर चयन किया गया था।

इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 85% घरों में निजी, सामुदायिक अथवा संयुक्त शौचालय की सुविधा है। शौचालयों का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण शौचालय सही तरीके से न बनाया जाना तथा अधिसंरचना का अभाव होना है। इससे यह भी पता चलता है कि एनजीपी शुरू करने से अधिकांश राज्यों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की दिशा में अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 70% लोग शौचालय का उपयोग करते हैं। अधिकांश विद्यालयों (96%) में शौचालय हैं तथा 89% विद्यालयों में मूत्रालय हैं और 84% विद्यालयों में लड़कियों तथा लड़कों के लिए अलग-अलग मूत्रालय हैं। जिन ग्राम पंचायतों तथा परिवारों का निरीक्षण किया गया, उनमें से आधे से अधिक में ठोस तथा तरल अपशिष्ट के निपटान की कमी पर ध्यान नहीं दिया गया तथा इसे पर्याप्त सुविधाएं जैसे नालियां, कूड़ेदान तथा सामाजिक एकजुटता के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, सृजित करके और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आरंभिक आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि सामाजिक एकजुटता तथा विभिन्न स्वच्छता संकेतकों के कार्य निष्पादन के बीच सकारात्मक संबंध है। एनजीपी पुरस्कार से टीएससी को गति प्रदान करने में काफी हद तक मदद मिली है तथा इसने स्वच्छता संबंधी आदतों को सुधारने में भी मदद की है। तथापि, बेहतर निगरानी तथा जांच प्रक्रिया की आवश्यकता है।

इस रिपोर्ट के आधार पर सभी छह राज्यों को पुरस्कार प्राप्त गांवों में एनजीपी के स्तर को बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। पहले एनजीपी पुरस्कार प्राप्त कर चुके गांवों के सदस्यों द्वारा नमूने के तौर पर पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया को शामिल करने के लिए एनजीपी के लिए भी निरीक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाया गया है। निर्मल स्तर को स्थायित्व का पता लगाने के बाद अब पुरस्कार की राशि किस्तों में रिलीज की जाती है। योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन की मौजूदा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एनजीपी का फिर से मूल्यांकन का काम शुरू किया गया है।

विवरण

निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त पंचायतों की राज्य-वार संख्या

राज्य	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		
	ग्राम पंचायत	मध्य स्तरीय पंचायत	ग्राम पंचायत	मध्य स्तरीय पंचायत	ग्राम पंचायत	मध्य स्तरीय पंचायत	ग्राम पंचायत	मध्य स्तरीय पंचायत	जिला पंचायत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश			10		143		660	1	
अरुणाचल प्रदेश					2		4		
असम			1		3		14		
बिहार			4		39	1	156		
छत्तीसगढ़			13		90		288		
गुजरात	1		4		576		739		
हरियाणा					60		798	1	
हिमाचल प्रदेश					22		245		
जम्मू-कश्मीर							12		
झारखंड					12		142		
कर्नाटक					121		453	1	
केरल	1		6		220	6	600	81	4
मध्य प्रदेश			1		190		520		
महाराष्ट्र	13		381	1	1974		4301	2	
मणिपुर							1		
मेघालय							11		
मिजोरम					3		8		
नागालैंड							8		
उड़ीसा			8		33		94		
पंजाब							22		
राजस्थान					23		141		
सिक्किम					27		137		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	12	1	119		296		1474	5	
त्रिपुरा	1		36		46		30		
उत्तर प्रदेश			40		488		729		
उत्तराखंड			13		109		160		
पश्चिम बंगाल	10	1	134	8	468	7	328	14	
कुल	38	2	760	9	4945	14	12075	105	8

बैंकों द्वारा किसानों के ऋण माफ करना

*208. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऋण माफी योजना के अंतर्गत अब तक बैंक-वार कुल कितनी धनराशि के ऋण माफ किए गए हैं;

(ख) क्या बैंक अभी भी उक्त योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों की संपत्ति कुर्क कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बैंकों को निधियां प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार ऋण राहत धनराशि को 60,000 करोड़ रुपये से अधिक करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना, 2008 के अंतर्गत, अन्य किसानों को दी गई राहत राशि सहित, माफ किये गए ऋण की राशि का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के अंतर्गत कवर किये गये किसानों की संपत्ति को कुर्क करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2008-09 में पहली किस्त के रूप में ऋणदात्री संस्थाओं को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली 25,000 करोड़ रुपये की राशि में से सरकार ने अब तक 15,000 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। शेष 10,000 करोड़ रुपये भी शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।

(च) और (छ) ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त बैंकवार अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2008 में 60,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आकलन की तुलना में ऋण माफी और ऋण राहत की कुल राशि 66,569.22 करोड़ रुपये है। अंतिम आंकड़े ऋणदात्री संस्थाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे।

विवरण

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008
(बैंक-वार आंकड़े (अनंतिम)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल पात्र माफी/राहत
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	1520.54
2.	आंध्रा बैंक	1014.16
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	921.69
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1342
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	574.45
6.	केनरा बैंक	1631.17

1	2	3
7.	सेन्ट्रल बैंक	2135.61
8.	कॉरपोरेशन बैंक	183.18
9.	देना बैंक	156.57
10.	इंडियन बैंक	709.51
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	791.47
12.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	537.07
13.	पंजाब नेशनल बैंक	2033
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	152.19
15.	सिंडिकेट बैंक	1060.34
16.	यूनियन बैंक	979.49
17.	यूनाइटेड बैंक	262.22
18.	यूको बैंक	667.81
19.	विजया बैंक	227.12
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10341
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	797.24
22.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	319.89
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	878.09
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	414.09
25.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	358.41
26.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	427.33
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	176.45
28.	आई.डी.बी.आई.	60.02
	कुल	30672.11
29.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारिताएं	35368.31
30.	शहरी सहकारी बैंक	5.06
31.	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	525.57
32.	स्थानीय बैंक	1.17
	कुल योग	66569.22

[हिन्दी]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह

***209. श्री हंसराज गं. अहीर:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त समूहों कं ोय सहायता प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन समूहों को राज्यवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2005-06, 2006-07 और चालू वित्त वर्ष 2008-09 (अक्टूबर, 2008 तक) के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत बनाए गए स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और चालू वित्त वर्ष 2008-09 (अक्टूबर, 2008 तक) के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत स्वरोजगारियों (जिसमें स्व-सहायता समूहों के सदस्य शामिल हैं) को दी गई कुल वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय संचार के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक तथा आउटडोर पब्लिसिटी के जरिए अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने का सतत प्रयास करता है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 से 2008-09 (अक्टूबर, 2008 तक) के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत बनाए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2005-06 वर्ष के दौरान बनाए गए एसएचजी की संख्या	2006-07 वर्ष के दौरान बनाए गए एसएचजी की संख्या	2007-08 वर्ष के दौरान बनाए गए एसएचजी की संख्या	2008-09 (अक्टूबर, 08 तक) वर्ष के दौरान बनाए गए एसएचजी की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	30633	19921	71926	86717
2.	अरुणाचल प्रदेश	96	110	65	6
3.	असम	21066	15511	14333	13568
4.	बिहार	20692	17977	14005	10530
5.	छत्तीसगढ़	3271	2819	3934	3029
6.	गोवा	156	145	103	60
7.	गुजरात	5065	4051	4901	2790
8.	हरियाणा	2303	2120	2261	1594
9.	हिमाचल प्रदेश	523	497	465	476
10.	जम्मू-कश्मीर	635	518	918	229
11.	झारखंड	6851	8881	14668	4389
12.	कर्नाटक	4019	7271	7226	4047
13.	केरल	5581	6549	1789	615
14.	मध्य प्रदेश	7262	21600	23141	12746
15.	महाराष्ट्र	19608	20765	29678	18339
16.	मणिपुर	705	767	627	123
17.	मेघालय	1000	1660	1428	465
18.	मिजोरम	131	146	229	129
19.	नागालैंड	307	334	383	282
20.	उड़ीसा	18741	16032	16403	5102
21.	पंजाब	1052	509	757	391
22.	राजस्थान	3218	5076	7952	89537

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	377	444	379	203
24.	तमिलनाडु	70830	37475	19061	6354
25.	त्रिपुरा	1918	1396	2410	3243
26.	उत्तर प्रदेश	13573	16884	29351	18239
27.	उत्तराखण्ड	540	66	27	85
28.	पश्चिम बंगाल	35953	36590	37423	14818
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	47	28	68	2
30.	दमन और दीव				
31.	दादरा और नगर हवेली				0
32.	लक्षद्वीप		4	8	
33.	पुडुचेरी	261	163	269	113
	कुल	276414	246309	306688	298221.46

विवरण II

वर्ष 2005-06 से 2008-09 (अक्तूबर, 2008 तक)के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत वित्तीय प्रगति का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06				2006-07			
		कुल रिलीज (केन्द्र+राज्य)	कुल वितरित ऋण	कुल वितरित सब्सिडी	कुल निवेश (ऋण+सब्सिडी)	कुल रिलीज (केन्द्र+राज्य)	कुल वितरित ऋण	कुल वितरित सब्सिडी	कुल निवेश (ऋण+सब्सिडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6994.81	15054.18	5556.52	20610.7	8453.19	47173.34	7133.47	54306.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	183.89	140.15	142.61	282.76	220.00	173.92	141.27	315.19
3.	असम	7036.97	6000.59	3812.98	9813.57	8716.08	8852.49	5115.20	13967.69
4.	बिहार	16378.94	20959.12	11087.01	32046.12	15213.93	17823.578	10746.14	28569.72
5.	छत्तीसगढ़	3494.12	4663.545	3008.87	7972.415	4127.78	7149.576	3726.05	10875.622
6.	गोवा	39.14	95.11	37.24	132.35	58.33	103.33	41.99	145.32
7.	गुजरात	2661.43	5351.65	2312.40	7664.05	2939.97	4863.48	2117.93	6981.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हरियाणा	1529.98	3544.966	1427.26	4972.23	1739.90	3829.74	1350.22	5179.963
9.	हिमाचल प्रदेश	584.49	2324.57	555.34	2879.91	625.17	1625.66	427.91	2053.67
10.	जम्मू-कश्मीर	681.99	2048.6	532.90	2581.5	909.82	2247.03	582.86	2829.89
11.	झारखंड	4663.35	7522.912	4789.88	12312.787	6021.33	6613.374	4425.87	11039.24
12.	कर्नाटक	4770.77	7944.018	4055.90	11999.914	5486.64	8499.589	3921.08	12420.671
13.	केरल	2397.09	3479.49	1808.98	5288.47	2649.95	3929.92	1985.79	5915.71
14.	मध्य प्रदेश	7604.65	14242.41	5900.85	20143.26	8750.47	14973.87	6408.53	21382.4
15.	महाराष्ट्र	9965.02	11744.66	6906.10	18650.76	11655.34	14442.78	8109.20	22551.98
16.	मणिपुर	184.34	212.98	81.18	294.16	307.35	289.25	293.98	583.23
17.	मेघालय	387.90	135.88	110.85	246.73	360.00	165.39	173.30	338.69
18.	मिजोरम	166.31	58.98	116.09	175.07	155.25	66.85	73.51	140.36
19.	नागालैंड	215.90	114.95	125.10	240.05	314.97	74.4	153.53	227.93
20.	उड़ीसा	8199.34	10697.45	5948.07	16645.52	8984.68	14006.77	6219.98	20226.75
21.	पंजाब	864.65	1315.06	550.34	1865.4	838.20	2485.71	986.13	3471.84
22.	राजस्थान	3549.49	10302.804	2839.78	13142.586	4309.02	12560.492	3489.12	16049.613
23.	सिक्किम	198.35	179.35	134.63	313.99	201.22	165.15	131.63	276.78
24.	तमिलनाडु	6255.53	7181.371	2380.47	9561.842	6939.21	8911.07	3442.24	12353.306
25.	त्रिपुरा	1246.97	1498.116	915.41	2413.527	1433.49	1555.536	729.45	2284.986
26.	उत्तर प्रदेश	22744.62	39606.84	22041.43	61648.27	26549.70	41121.15	21743.27	62864.42
27.	उत्तराखण्ड	2008.67	3197.1	1609.37	4806.47	1414.69	2005.84	1042.99	3048.83
28.	पश्चिम बंगाल	7478.84	2252.39	1614.98	3867.37	8368.96	3161.11	2254.15	5415.26
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.25	0	6.90	6.9	0.00	0	6.10	6.1
30.	दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	12.50	4.34	1.99	6.33
32.	लक्षद्वीप	0.00	3.9	1.55	5.45	0.00	8.9	4.45	13.33
33.	पुडुचेरी	100.00	142.93	71.98	214.91	150.00	237.79	125.77	363.56
	कुल	122593.91	182316.07	90482.98	272799.05	137907.12	229121.43	97105.10	326226.52

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08				2008-09 (अक्तूबर, 08 तक)			
		कुल रिलीज (केन्द्र+राज्य)	कुल वितरित ऋण	कुल वितरित सब्सिडी	कुल निवेश (ऋण+सब्सिडी)	कुल रिलीज (केन्द्र+राज्य)	कुल वितरित ऋण	कुल वितरित सब्सिडी	कुल निवेश (ऋण+सब्सिडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	12034.53	27763.96	5337.21	33100.487	7328.46	17816.49	3885.53	21702.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	336.82	127.55	412.87	540.42	186.94	89.75	8.85	17.6
3.	असम	16155.80	13207.21	8074.07	21281.28	7335.52	18159.765	5299.17	23458.935
4.	बिहार	14283.84	15084.45	9681.32	24765.77	10300.34	10817.533	8408.36	19225.893
5.	छत्तीसगढ़	6252.53	10028.494	4883.66	14912.154	4726.63	5024.468	2209.28	7233.745
6.	गोवा	80.78	121.98	38.09	160.07	73.90	57.65	18.40	76.05
7.	गुजरात	4458.95	6326.54	3061.59	9388.13	2850.01	3406.92	1656.71	5063.63
8.	हरियाणा	2573.77	5399.063	2042.62	7441.683	1880.43	1866.378	635.10	2510.481
9.	हिमाचल प्रदेश	985.82	2166.046	503.73	2669.78	664.63	1218.655	311.87	1530.522
10.	जम्मू-कश्मीर	1070.58	2435.358	616.40	3051.755	585.01	628.962	137.37	766.33
11.	झारखंड	9912.28	8858.61	5442.61	14301.22	6262.25	4752.215	3322.84	8075.059
12.	कर्नाटक	8878.10	15447.1	6704.19	22151.29	5330.03	6264.288	2498.20	8762.488
13.	केरल	3980.49	6536.41	2851.32	9387.73	2614.96	3189.97	1311.01	4500.98
14.	मध्य प्रदेश	12998.44	26557.7105	15322.03	41879.741	8332.85	8910.68	3730.08	12640.763
15.	महाराष्ट्र	17271.04	21599.63	11285.02	32884.65	10613.39	8669.66	4658.74	13328.4
16.	मणिपुर	208.32	155.7	141.90	297.6	297.66	1.5	5.58	7.08
17.	मेघालय	548.52	186.96	237.90	424.86	251.08	45.49	83.03	128.615
18.	मिजोरम	293.31	87.93	122.07	209.996	206.39	37.35	53.80	91.15
19.	नागालैंड	431.78	32.97	76.13	109.1	247.71	58.17	95.52	153.69
20.	उड़ीसा	13002.89	17738.54	7856.81	25595.35	8359.67	926.43	450.02	1376.45
21.	पंजाब	1234.30	3156.56	1175.91	4332.47	626.78	823.64	364.69	1188.33
22.	राजस्थान	6763.57	13605.953	3881.65	17487.602	4599.33	5417.01	1613.82	7030.83
23.	सिक्किम	303.93	203.35	163.51	366.86	171.64	153.77	104.28	258.05
24.	तमिलनाडु	10587.26	14510.032	5827.21	20337.238	11915.99	3874.548	1911.98	5786.524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	त्रिपुरा	2346.60	1473.826	1341.69	2815.512	1143.21	747.4294	469.77	1217.1968
26.	उत्तर प्रदेश	39196.55	55552.52	27642.31	83194.83	27825.40	46469.17	239885.61	70454.778
27.	उत्तराखण्ड	2158.12	3140.45	1362.58	4503.03	1672.07	1469.606	660.18	2129.786
28.	पश्चिम बंगाल	13091.33	4310.56	2736.04	7046.6	9361.22	3858.4738	3163.05	7021.51911
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.25	0	5.38	5.38	0.00	0	1.13	1.13
30.	दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	0.00	41.47	15.80	57.27	12.50	0	0.00	0
33.	पुदुचेरी	150.00	174.57	66.73	241.3	100.00	23.19	7.87	31.06
	कुल	201596.48	276030.80	128910.34	404941.14	135875.98	154698.26	71061.83	225760.09

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध फर्जी कंपनियां

*210. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में अनेक फर्जी कंपनियां सूचीबद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसी कुल कितनी कंपनियों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों में निवेशकों द्वारा किए गये अपने निवेश की वसूली में उनकी मदद करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को ऐसी किन्हीं "फर्जी" कंपनियों की जानकारी नहीं है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। स्टॉक एक्सचेंजों के पास कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए पात्रता मानदंड और विस्तृत प्रक्रिया है। तथापि, कुछ ऐसी कंपनियां हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी पंजीयक की सूचीयन/विहित शर्तों का अनुपालन करने में दो वर्ष की अवधि तक असमर्थ रहती हैं और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किए गए निरीक्षण के समय अपने पंजीकृत कार्यालय के पते पर नहीं पाई जाती है। इन कंपनियों को समन्वयन और निगरानी समिति (सीएमसी), जो सेबी और कारपोरेट कार्य मंत्रालय का एक संयुक्त प्रक्रम (एमसीए) है, द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार "लुप्त हो गई कंपनियों" की श्रेणी में रखा जाता है। सेबी ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान, आठ कंपनियो को "लुप्त हो गई कंपनियां" की सूची में शामिल किया गया है। ये सभी कंपनियां आंध्र प्रदेश राज्य की हैं।

(ग) से (ङ) सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत और कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराओं के तहत सेबी को प्रत्यायोजित प्रावधानों के तहत कंपनियों की इक्विटी में निवेशों की वसूली के लिए कार्रवाई करना संभव नहीं है। तथापि, दांडिक कार्रवाई के भाग के रूप में सेबी ने अब तक 102 लुप्त हो गई कंपनियों और 391 प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार में कारोबार प्रतिषिद्ध करते हुए आदेश जारी किये हैं।

बीएसयूपी और आईएचएसडीपी

*211. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 और 2007-2008 के दौरान शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं (बीएसयूपी) और समेकित आवास तथा मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत आवास और अवसंरचना संबंधी क्या-क्या सुविधाएं सृजित की गई;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए कोई लक्ष्य/समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) सरकार ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाओं (बीएसयूपी) के तहत 265 परियोजनाएं तथा समेकित आवास तथा मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत 419 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसमें शहरी गरीबों हेतु आवास और अवसंरचना सुविधाएं शामिल हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:

स्कीम/वर्ष	बीएसयूपी		आईएचएसडीपी	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
परियोजनाओं की संख्या	151	114	194	225
कुल परियोजना लागत (करोड़ में)	8796.16	7926.02	1938.00	2062.87
अनुमोदित केन्द्रीय अंश (करोड़ रु. में)	4435.87	3975.84	1404.56	1459.48
अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	435788	296559	144415	114649

(ख) और (ग) यह अनुमानित है कि मिशन अवधि अर्थात् 2011-2012 के अंत तक बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत शहरी गरीबों के लिए लगभग 12 लाख आवासों का निर्माण हो जाएगा। दिनांक 30.9.2009 (मध्य-अवधि) तक यह संभावना है कि 3 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और अन्य 2 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी)

*212. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की अब तक क्षेत्र-वार क्या उपलब्धि रही है;

(ख) बोर्ड को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा;

(ग) क्या सरकार ने परिवहन, जल बंटवारा आदि के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु कोई समेकित योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अंतर्गत निर्धारित कार्यों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने निम्नलिखित योजनाएं तैयार की है।

* क्षेत्रीय योजना-2001
* परिवहन, विद्युत, दूरसंचार और उद्योग के संबंध में कार्यात्मक योजना।
* क्षेत्रीय योजना-2021

सहभागी राज्यों उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने अपने संबंधित उप-क्षेत्रों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाएं तैयार की हैं। इसके अतिरिक्त, सहभागी राज्यों द्वारा 25 कस्बों के लिए मास्टर प्लान तैयार किये गए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार क्षेत्रीय योजना, उप-क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजनाओं

और परियोजना कार्यक्रमों की नीतियों और प्रस्तावों का कार्यान्वयन सहभागी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजना:

* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने सहभागी राज्यों और उनकी एजेंसियों को 13942 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत से 214 परियोजनाओं के लिए ब्याज युक्त ऋण मुहैया कराया है। 5299 करोड़ रु. की ऋण राशि अनुमोदित की गई है तथा 3490 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। राज्यों ने सितम्बर, 2008 तक 5302 करोड़ रु. खर्च किये हैं।

* $154 परियोजनाओं पर कार्य पूरा हो गया है तथा 60 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

* स्वीकृत की गई सेक्टर-वार परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

* जल आपूर्ति-32 संख्या

* सीवरेज/ठोस कचरा प्रबंधन-28 संख्या

* परिवहन-37 संख्या

* विद्युत-14 संख्या

* भूमि विकास-97 संख्या

* अन्य-6 संख्या

(ख) वित्तीय संसाधनों की कमी एक बड़ी कठिनाई है। अवस्थापना (उपलब्धता और उन्नयन) के प्रावधान के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कोर अवस्थापन के विकास के लिए 1,94,903 करोड़ रु. (वर्ष 2001 का मूल्य स्तर) की आवश्यकता है। इसमें क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति हेतु तीन बांधों के निर्माण तथा क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित परिवहन नेटवर्क विकास के दूसरे फेज की लागत शामिल नहीं है। ये निवेश सहभागी राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय और उनकी एजेंसियों/विभागों द्वारा किये जाने हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को 11वीं योजना के लिए नियतन 900 करोड़ रु. है तथा वर्ष 2007-08 के दौरान 100 करोड़ रु. जारी किए गए और वर्ष 2008-09 के दौरान 50 करोड़ रु. का नियतन किया गया है तथा अब तक बोर्ड को 37 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2021 तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिवहन और जल सेक्टरों के लिए एकीकृत योजनाओं के विकास हेतु विस्तृत नीतियों और प्रस्तावों की व्यवस्था है। विस्तृत योजनाएं और परियोजनाएं सहभागी राज्य सरकारों, संबंधित मंत्रालयों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा तैयार की जानी है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

***213. श्री सुव्रत बोस:**
श्री हितेन बर्मन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में प्रत्येक राज्य में कितने आंगनवाड़ी और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन आंगनवाड़ी और लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों पर खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) कार्यरत आंगनवाड़ी एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आंगनवाड़ी एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्र समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अंतर्गत सेवा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र बिन्दु होते हैं। इस समय आंगनवाड़ी केन्द्रों में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:

(1) बच्चों (0-6 वर्ष), गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पूरक पोषण।

(2) बच्चों (3-6 वर्ष) को अनौपचारिक प्री-स्कूल शिक्षा

(3) गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

---

*प्रश्न के भाग (क) के शीर्षक 'एन.सी.आर.पी.बी.' द्वारा वित्तपोषण परियोजना के अंतर्गत भाग (2) के उत्तर को 19.12.2008 को सभा में दिए गए शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से तदुपरांत ठीक किया गया था।

(4) स्वास्थ्य विभाग के साथ संकेन्द्रण से बच्चों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य जांच

(5) स्वास्थ्य विभाग के साथ संकेन्द्रण से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीके लगाना

(6) स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैफरल सेवाएं

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम (सामान्य) तथा पूरक पोषण हेतु निर्मुक्त राशि इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि	भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण हेतु निर्मुक्त राशि
2005-06	229940.10	97458.55
2006-07	269138.48	151920.57
2007-08	310803.27	206231.05

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई मांग के आधार पर 213589 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 77102 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तीसरे चरण के विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की मांग तथा सरकार द्वारा अनुमोदित आंगनवाड़ी/लघु आंगवाड़ी केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

30.6.2008 तक की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत एवं कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	रिपोर्ट का माह	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या		वर्ष 2008-09 के दौरान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या*
			30.6.2008 तक संस्वीकृत	कार्यरत (कॉलम 2 में उल्लिखित माह तक की स्थिति)	
1	2	3	4	5	6
1.	06/08	आंध्र प्रदेश	81564	71420	9743
2.	06/08	अरुणाचल प्रदेश		4277	1751
3.	06/08	असम	37082	36849	44477
4.	04/07	बिहार	81088	80211	10880
5.	04/08	छत्तीसगढ़	37256	29550	27134
6.	06/08	गोवा	1112	1112	100

*अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अतिरिक्त मांग तथा सरकार द्वारा अनुमोदित मांग की राज्यवार संख्या।

1	2	3	4	5	6
7.	06/08	गुजरात	44179	43444	4438
8.	06/08	हरियाणा	17444	17444	8255
9.	06/08	हिमाचल प्रदेश	18248	18248	677
10.	05/08	जम्मू-कश्मीर	25483	16409	3094
11.	06/08	झारखंड	32097	31978	6089
12.	06/08	केरल	54665	54665	8772
13.	06/08	कर्नाटक	32115	32267	1000
14.	04/08	मध्य प्रदेश	71488	68665	19511
15.	06/08	महाराष्ट्र	94238	78222	16248
16.	03/08	मणिपुर	7621	7621	3889
17.	06/08	मेघालय	4622	3305	493
18.	06/08	मिजोरम	1682	1682	298
19.	06/08	नागालैंड	3194	3194	261
20.	06/08	उड़ीसा	46516	41697	26525
21.	05/08	पंजाब	20169	20169	7117
22.	06/08	राजस्थान	51053	50972	10066
23.	06/08	सिक्किम	988	988	245
24.	06/08	तमिलनाडु	50433	50433	4006
25.	06/08	त्रिपुरा	7351	7351	2527
26.	05/08	उत्तर प्रदेश	150727	149386	36790
27.	06/08	उत्तराखंड	12340	9065	10819
28.	06/08	पश्चिम बंगाल	92152	88416	25018
29.	06/08	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	672	672	48
30.	05/08	चण्डीगढ़	370	370	130
31.	08/08	दिल्ली	6106	6106	500
32.	12/08	दादर और नागर हवेली	253	219	0
33.	03/08	दमन और दीव	107	102	0

1	2	3	4	5	6
34.	03/08	लक्षद्वीप	87	87	20
35.	06/08	पुडुचेरी	688	688	100
		अखिल भारत	1085190	1027284	290961

*अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अतिरिक्त मांग तथा सरकार द्वारा अनुमोदित मांग की राज्य-वार संख्या

[हिन्दी]

जनजातियों का विस्थापन

***214. श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वन निवासियों और जनजातीय समुदायों के अपने जन्म स्थानों से विस्थापित होने के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो ततंसंबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर ठरांव): (क) से (ग) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय को ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई है। तथापि, जनजातीय समुदायों को वन भूमि से हटाने का आरोप लगाने वाली शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेज दिया गया है।

प्राकृतिक रबड़ पर सीमा शुल्क

***215. श्री पी.सी. थामस: क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राकृतिक रबड़ पर सीमा शुल्क की मौजूदा दर क्या है;

(ख) क्या मौजूदा सीमा शुल्क ढांचे के कारण प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में हाल ही में आई गिरावट के कारण केरल राज्य के रबड़ उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) प्राकृतिक रबड़ पर 20 प्रतिशत यथामूल्य बुनियादी शुल्क लगता है। इस पर 4 प्रतिशत यथा मूल्य विशेष अतिरिक्त शुल्क तथा 3 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा उपकर भी लगता है। कुल शुल्क 25.424 प्रतिशत होता है।

(ख) सरकार को केरल के रबड़ उत्पादकों की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाए और इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि हाल के महीनों में घरेलू कीमतों में काफी कमी आई है जिसके कारण केरल में कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) 20 प्रतिशत यथा मूल्य बुनियादी सीमा शुल्क की वर्तमान दर घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ता उद्योगों के हित को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। डब्ल्यू.टी.ओ. प्रतिबंधों और अन्य प्रासंगिक कारक रबड़ उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करते हैं। फिलहाल प्राकृतिक रबड़ पर सीमा शुल्क को संशोधित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

***216. श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नोटरी पब्लिक की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में नोटरी पब्लिक की संख्या बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने राज्य-वार कितने नोटरी पब्लिक नियुक्त किया है;

(ङ) क्या सरकार को नोटरी पब्लिक के कार्यकरण में किन्ही अनियमितताओं का पता चला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या राज्यों को भी नोटरी पब्लिक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं तब राज्यों में नोटरियों की संख्या में वृद्धि की जाती है।

(ग) राज्यों द्वारा अनुरोध किये जाने पर नोटरी नियम, 1956 की अनुसूची में संशोधन करके निम्नलिखित राज्यों में नोटरियों की संख्या में वृद्धि की गई है:

1.	आंध्र प्रदेश	575 से 863
2.	गुजरात	625 से 1407
3.	केरल	375 से 845
4.	मध्य प्रदेश	1125 से 1688
5.	तमिलनाडु	725 से 1088
6.	महाराष्ट्र	875 से 1313
7.	कर्नाटक	675 से 1013
8.	राजस्थान	800 से 1200
9.	उत्तर प्रदेश	1750 से 2625
10.	जम्मू-कश्मीर	350 से 525
11.	गोवा	50 से 250
12.	छत्तीसगढ़	400 से 600
13.	हिमाचल प्रदेश	300 से 450

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये नोटरियों की संख्या दर्शित करने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी हां, जब कभी नोटरियों की अनियमितताओं के संबंध में, उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब नोटरियों के विरुद्ध नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाती है। हाल ही में, निम्नलिखित नोटरियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है:

(1) श्री जकी अहमद खान	उच्चतम न्यायालय	हटा दिए गए
(2) श्री संजीव जैन	नई दिल्ली	चेतावनी दी गई
(3) श्री पी.जे. देशमुख	पुणे	पांच वर्ष के लिए निलंबित
(4) श्री पी.ए. मारु	गोरेगांव, मुंबई	हटा दिये गये
(5) श्री बी.एस. रंधावा	दिल्ली	व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण को नामंजूर किया गया

(छ) और (ज) राज्य सरकारें भी नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन अपने-अपने राज्यों में नोटरी नियुक्त करने के लिए सशक्त हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये नोटरियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	नियुक्त किये गये नोटरियों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	–
2.	आंध्र प्रदेश	157
3.	अरुणाचल प्रदेश	–
4.	असम	2
5.	बिहार	11
6.	चंडीगढ़	32
7.	छत्तीसगढ़	3

1	2	3
8.	दादरा और नगर हवेली	–
9.	दमन और दीव	–
10.	दिल्ली	86
11.	गोवा	3
12.	गुजरात	416
13.	हिमाचल प्रदेश	4
14.	हरियाणा	307
15.	झारखंड	5
16.	जम्मू-कश्मीर	–
17.	केरल	381
18.	कर्नाटक	268
19.	लक्षद्वीप	–
20.	मेघालय	–
21.	महाराष्ट्र	925
22.	मणिपुर	–
23.	मध्य प्रदेश	31
24.	मिजोरम	–
25.	नागालैंड	–
26.	उड़ीसा	5
27.	पंजाब	270
28.	पुडुचेरी	61
29.	राजस्थान	178
30.	सिक्किम	–
31.	तमिलनाडु	316
32.	त्रिपुरा	–
33.	उत्तर प्रदेश	534
34.	उत्तराखण्ड	4
35.	पश्चिमी बंगाल	21

कर संग्रहण संबंधी रुझान

*217. **श्री श्रीपाद येसो नाईक:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से संसाधन जुटाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक संग्रहीत करों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से संसाधन जुटाने से संबंधित लक्ष्य (बजट अनुमान (बअ) एवं वसूलियां इस प्रकार हैं:

प्रत्यक्ष कर (करोड़ रुपये में)

कर शीर्ष	बजट अनुमान 2008-09	नवम्बर, 2008 तक निवल वसूली
निगम आय कर	2,26,361	1,09,735
वैयक्तिक आयकर (एफ बी टी, एसटीटी, बीसीटीटी सहित)	1,38,314	67,215
अन्य कर	325	301
योग	3,65,000	1,77,251

अप्रत्यक्ष कर (करोड़ रुपयों में)

अप्रत्यक्ष कर शीर्ष	बजट अनुमान 2008-09	अप्रैल-अक्टूबर, 2008 के दौरान वसूल किया गया राजस्व (अनंतिम)
सीमा शुल्क	1,18,930	66,621
के.उ.शु.	1,36,610*	65,322**
सेवा कर	64,460	30,59$
कुल अप्रत्यक्ष कर	3,20,000	1,62,535

*के.उ.शु. के राजस्व लक्ष्य में वे उपकर शामिल नहीं हैं जिन्हें राजस्व विभाग द्वारा नहीं लगाया जाता है और इनकी राशि 1264 करोड़ रु. है।

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़ों में वे उपकर शामिल नहीं हैं जिन्हें राजस्व विभाग से इतर अन्यों द्वारा लगाया जाता है।

सेवा कर के आंकड़े केवल अप्रैल-सितम्बर, 2008 के दौरान के ही हैं।

(ग) वर्तमान वर्ष की बकाया अवधि के दौरान संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय आरंभ किये हैं:

1. शीर्ष कर दाताओं के अग्रिम कर भुगतानों पर कड़ी निगरानी रखना।
2. बकाया मांग की वसूली पर जोर देना तथा प्रमुख चूककर्त्ताओं के मामलों पर निगरानी रखना।
3. उद्देश्यपूर्ण वित्तीय मानदंडों पर आधारित जांच के तहत मामलों का चयन करना।
4. विभागीय कारोबारी प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना को जोड़ने के लिए आंकड़ा आधार एवं बड़े मूल्यों के लेन-देनों की सूचना।
5. आयुक्त स्तर के 13 पदों का सृजन करके स्थापित किये गये केन्द्रों के माध्यम से स्रोत पर कटौती/स्रोत पर कर वसूली को सुदृढ़ बनाना तथा प्रभावी सर्वेक्षणों द्वारा प्रत्यक्ष कर मामलों में स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर वसूली का भुगतान न करने संबंधी मामलों का पता लगाना।
6. बेहतर कर दाता सेवा के माध्यम से स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहन देना।
7. कर कानूनों के स्वेच्छापूर्ण अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक माध्यमों से अभियान चलाना।
8. कर आधार में वृद्धि करने के लिए प्रयासों को बढ़ाना।
9. कर अनुपालन स्तर में वृद्धि करने के लिए लेखा परीक्षा एवं अपवंचन-रोधी स्थापना को सुदृढ़ बनाना।
10. मामलों की क्षेत्रवार, जिन्स/सेवावार मासिक राजस्व वसूली पर कड़ाई से निगरानी करना तथा ऐसे मामलों की गहराई से जांच करना जहां राजस्व वसूली आशाओं से कम हो।
11. वरिष्ठ अधिकारियों को अधिक कर देने वालों लोगों से मिलने के निदेश जारी किये गये हैं जिससे वे जहां आवश्यक हो कम राजस्व वसूली के कारणों का पता लगा सकें।
12. कर अनुपालन स्तर को मापने के लिए "तीसरा पक्ष स्रोत" का विकास करना।
13. प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि कर अनुपालन लागतों में कमी की जा सके।
14. करदाताओं द्वारा दायर की गयी विवरणियों की जांच करके वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना ताकि कर/शुल्क के संबंध में किये गये कम भुगतान का पता लगाया जा सके।

आर्थिक अपराध

*218. **श्रीमती निवेदिता माने:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान धनशोधन सहित आर्थिक अपराधों के कितने मामले प्रवर्तन निदेशालय के ध्यान में आए हैं;

(ख) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत जांच हेतु 58 मामले लिये गये हैं।

(ख) दो मामलों की जांच पूर्ण हो गई है और अभियोजन संबंधी शिकायतों को पदनामित विशेष न्यायालयों के समक्ष दायर किया गया है। शेष 54 मामलों के संबंध में चल रही है। अभी तक की गई जांच के परिणामस्वरूप 8 मामलों में चालीस करोड़ रुपये मूल्य की संदेहास्पद परिसंपत्तियां/अपराध से हुई आय को जब्त किया गया है।

(ग) मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिकाएं तैयार करना और उनके वितरण के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना; और

(2) विभिन्न राज्यों की राजधानियों में वरिष्ठ अधिकारियों की 7 बैठकें आयोजित करके राज्य सरकारों को धन शोधन निवारण अधिनियम के उपबंध के प्रति जागरूक किया गया है।

इंटरनेट बैंकिंग से धोखाधड़ी

*219. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से धोखाधड़ी से धन निकालने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बैंकों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में खाताधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इंटरनेट/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कपटपूर्ण तरीके से धन निकासी के मामले सामने आए हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (सितम्बर 2008 तक) के दौरान बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित की गई ऐसी घनटाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को यह मामला पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को रिपोर्ट करना होता है और इसके बाद दोषी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने, अपनी पर्यवेक्षी जिम्मेदारी के एक भाग के रूप में, बैंक धोखाधड़ी की रोकथाम करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं तथा 14 जून, 2001 के परिपत्र के तहत सभी वाणिज्यिक बैंकों को, विशेष रूप से, इंटरनेट बैंकिंग के संबंध में, दिशा-निर्देश जारी किए थे जिनमें भारत में इंटरनेट बैंकिंग के संबंध में प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा मानक, विधिक मामले तथा विनियामक/पर्यवेक्षी मामले शामिल किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिशिंग अटैक्स (अर्थात बैंकों की जाली वेबसाइट बनाना एवं ग्राहकों का ब्यौरा जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड, आदि एकत्र करना और इसके द्वारा जाली क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके ग्राहकों के खाते से कपटपूर्ण तरीके से धन निकालना) के संबंध में सभी वाणिज्यिक बैंकों को 26 फरवरी, 2006 को एक सतर्कता परिपत्र भी जारी किया था। परिपत्र में ऐसे अटैक्स के संबंध में कार्यप्रणाली और फिशिंग अटैक्स से निबटने के लिए कुछ निवारात्मक/छानबीन उपायों का ब्यौरा दिया गया है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) संबंधी मानदण्डों का पालन करने तथा वास्तविक ग्राहकों के ही खातों को खोलने/परिचालित करने के संबंध में बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों में ग्राहक की स्वीकृति से संबंधित नीति, ग्राहक की पहचान से संबंधित कार्य पद्धति विकसित करना, लेन-देन की निगरानी करना एवं ग्राहक को जागरुक करना, आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि जाली तथा चुराए गए चेक/मांग ड्राफ्ट झूठे/नकली नाम/पते से खोले गए बैंक खातों के माध्यम से भुनाए जाते हैं, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि इन कार्य प्रणालियों को रोकने के उद्देश्य से केवाईसी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इसके अतिरिक्त, गत वर्षों में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को विभिन्न दिशा-निर्देश/कार्यप्रणाली परिपत्र जारी किये हैं जिनमें जाली/नकली/चुराए गए लिखतों को कपटपूर्ण तरीके से भुनाने की रोकथाम करने के लिए उनके द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा सकें।

विवरण

बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (सितम्बर 2008 तक) के दौरान इंटरनेट/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से बैंक से कपटपूर्ण तरीके से धन की निकासी की घटनाओं की राज्यवार संख्या

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	अप्रैल 2005-मार्च 2006		अप्रैल 2006-मार्च 2007		अप्रैल 2007-मार्च 2008		अप्रैल 2008 से सितम्बर 2008	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2	4.32	5	11.50	7	14.77	8	13.63
असम	0	0	0	0	1	5.00	1	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	0	0	0	0	1	1.00	0	0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	2.65
दिल्ली	1	1.00	6	10.72	18	24.55	8	10.90
गोवा	0	0	0	0	1	2.00	0	0
गुजरात	0	0	1	1.00	3	23.00	4	5.51
हरियाणा	1	30.87	1	1.00	1	1.02	1	1.00
झारखण्ड	0	0	1	1.50	0	0	0	0
कर्नाटक	1	2.40	5	12.76	5	6.59	4	5.90
केरल	0	0	1	1.06	3	3.67	2	17.60
मध्य प्रदेश	2	4.33	3	3.31	8	11.52	1	1.00
महाराष्ट्र	4	6.03	18	30.04	44	88.57	19	40.91
राजस्थान	0	0	0	0	0	0	2	89.93
उड़ीसा	1	5.55	0	0	2	5.63	1	1.96
तमिलनाडु	2	3.79	2	3.00	16	43.56	7	209.74
उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	1	1.00
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	8	19.53	2	4.00
पश्चिम बंगाल	1	2.98	2	3.56	12	28.70	4	12.48
1.00 लाख रुपए प्रत्येक से कम की राशि अंतर्ग्रस्त घटनाएं	198	35.51	102	28.38	244	279.11	46	17.43

जिन घटनाओं में 1.00 लाख रुपये प्रत्येक से कम की राशि अंतर्ग्रस्त है, उनका राज्य-वार ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) परियोजनाएं

***220. श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में आरसीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा (आी.सी.डी.एस.) स्कीम शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका कार्यान्वयन राज्यों के माध्यम से किया जाता है। आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां

उनके यहां प्रचालित परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या तथा व्यय विवरणों में उनके द्वारा दर्शाई गई व्यय की गति के आधार पर जारी की जाती है।

आई.सी.डी.एस. (सामान्य), पूरक पोषण, आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण और किशोरी शक्ति योजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक सस्वीकृत की गई निधियों तथा उनके द्वारा सूचित व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण I से IV में दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 792 अतिरिक्त परियोजनाओं, 2.13 लाख अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 77,102 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों को संस्वीकृत करने वाले समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के विस्तार के तीसरे चरण को अनुमोदित कर दिया है।

संस्वीकृत की गई अतरिक्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-5 में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 के दौरान (30.11.2008 तक) आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत जारी की गई/उपयोग में लाई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई कुल निधियां	सूचित व्यय	वह तारीख, जब तक किया गया व्यय सूचना में दर्शाया गया है
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	17399.86	6138.92	30.06.2008
2.	बिहार	9094.13	3329.40	30.06.2008
3.	छत्तीसगढ़	6397.66	1563.84	30.06.2008
4.	गोवा	358.02	–	–
5.	गुजरात	8514.36	4959.59	30.06.2008
6.	हरियाणा	3743.60	1523.45	30.09.2008
7.	हिमाचल प्रदेश	6202.08	1150.29	30.06.2008
8.	जम्मू-कश्मीर	3080.98		
9.	झारखंड	6436.43	5325.02	30.09.2008
10.	कर्नाटक	12146.53	–	–
11.	केरल	6173.00	5520.14	30.09.2008
12.	मध्य प्रदेश	10233.82	8812.36	30.09.2008
13.	महाराष्ट्र	14684.06	19692.00	30.09.2008
14.	उड़ीसा	8845.95	3244.13	30.06.2008
15.	पंजाब	4246.39	1406.06	30.06.2008
16.	राजस्थान	7550.02	7377.03	30.09.2008

1	2	3	4	5
17.	तमिलनाडु	10429.82	–	–
18.	उत्तराखंड	2079.74	1247.38	30.09.2008
19.	उत्तर प्रदेश	30534.00	16011.53	30.09.2008
20.	पश्चिम बंगाल	23766.66	4681.12	30.06.2008
21.	दिल्ली	1579.44	104.16	30.06.2008
22.	पुडुचेरी	206.19	–	–
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	206.86	–	–
24.	चण्डीगढ़	150.44	87.68	30.09.2008
25.	दादरा और नागर हवेली	76.07	35.86	30.09.2008
26.	दमन और दीव	42.13	20.67	30.09.2008
27.	लक्षद्वीप	28.95	19.62	30.06.2008
28.	अरुणाचल प्रदेश	1308.69	1116.22	30.09.2008
29.	असम	7339.27	6357.33	30.09.2008
30.	मणिपुर	1483.21	–	–
31.	मेघालय	819.68	577.65	30.09.2008
32.	मिजोरम	547.75	690.19	30.09.2008
33.	नागालैंड	887.69	425.03	30.06.2008
34.	सिक्किम	333.48	100.97	30.06.2008
35.	त्रिपुरा	1496.59	1115.27	30.09.2008
	कुल	208475.55	103233.81	

विवरण II

वर्ष 2008-09 के दौरान (8.12.2008 तक) पूरक पोषण के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों तथा राज्यों के हिस्से सहित उनके द्वारा सूचित व्यय का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई कुल निधियां	राज्यों के हिस्से सहित उनके द्वारा सूचित व्यय	वह तारीख, जब तक किया गया व्यय सूचना में दर्शाया गया है
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12835.56	6175.10	30.6.08
2.	बिहार	10876.12		सूचना नहीं दी

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	3463.10	6808.20	30.9.08
4.	गोवा	123.83		सूचना नहीं दी
5.	गुजरात	5949.31	6197.62	30.9.08
6.	हरियाणा	3019.00	5196.26	30.9.08
7.	हिमाचल प्रदेश	807.80	2107.70	30.9.08
8.	जम्मू-कश्मीर	697.98		सूचना नहीं दी
9.	झारखंड	3238.96	6545.80	30.9.08
10.	कर्नाटक	6047.05	9491.77	30.9.08
11.	केरल	3369.07	2578.80	30.6.08
12.	मध्य प्रदेश	8290.06	7350.00	30.9.08
13.	महाराष्ट्र	13837.15	10283.03	30.9.08
14.	उड़ीसा	8268.49	11145.00	30.9.08
15.	पंजाब	1674.76	0	30.6.08
16.	राजस्थान	5624.36	9810.90	30.9.08
17.	तमिलनाडु	2223.56	1078.00	30.6.08
18.	उत्तर प्रदेश	43747.38	37543.63	30.9.08
19.	उत्तराखण्ड	1202.36	240.11	30.9.08
20.	पश्चिम बंगाल	11914.56	6930.11	30.6.08
21.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	55.78		सूचना नहीं दी
22.	चण्डीगढ़	87.73	70.28	30.9.08
23.	दादरा और नागर हवेली	47.33		सूचना नहीं दी
24.	दमन और दीव		2.96	30.6.08
25.	लक्षद्वीप	32.98		सूचना नहीं दी
26.	दिल्ली	1129.94		सूचना नहीं दी
27.	पुडुचेरी	82.97	0	30.6.08
28.	अरुणाचल प्रदेश	326.68		सूचना नहीं दी
29.	असम	4872.55	12177.16	30.6.08

1	2	3	4	5
30.	मणिपुर	566.30		सूचना नहीं दी
31.	मेघालय	932.96	1261.78	30.9.08
32.	मिजोरम	392.78	1018.76	30.9.08
33.	नागालैंड	603.18	301.59	30.6.08
34.	सिक्किम	95.53		सूचना नहीं दी
35.	त्रिपुरा	575.68	670.86	30.9.08
	कुल	1557012.85	154986.06	

विवरण III

वर्ष 2008-09 में किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत जारी की गई/उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2008-09 में (अब तक) जारी की गई निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां (राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	206.8	सूचना नहीं दी
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.45	सूचना नहीं दी
3.	असम	120.45	सूचना नहीं दी
4.	बिहार	216.15	सूचना नहीं दी
5.	छत्तीसगढ़	83.6	सूचना नहीं दी
6.	गोवा	6.05	3.74
7.	गुजरात	139.15	सूचना नहीं दी
8.	हरियाणा	70.4	सूचना नहीं दी
9.	हिमाचल प्रदेश	41.25	8.91
10.	जम्मू-कश्मीर	77	सूचना नहीं दी
11.	झारखंड	112.2	सूचना नहीं दी
12.	कर्नाटक	101.75	सूचना नहीं दी
13.	केरल	154.65	89.65
14.	मध्य प्रदेश	201.85	सूचना नहीं दी
15.	महाराष्ट्र	381.24	115.02
16.	मणिपुर	18.7	सूचना नहीं दी
17.	मेघालय	21.45	सूचना नहीं दी
18.	मिजोरम	11.55	सूचना नहीं दी
19.	नागालैंड	29.7	सूचना नहीं दी
20.	ठड़ीसा	179.3	सूचना नहीं दी
21.	पंजाब	81.4	1.23
22.	राजस्थान	150.7	सूचना नहीं दी
23.	सिक्किम	6.05	सूचना नहीं दी
24.	तमिलनाडु	272.62	सूचना नहीं दी
25.	त्रिपुरा	28.5	सूचना नहीं दी
26.	उत्तर प्रदेश	918.5	सूचना नहीं दी
27.	उत्तराखण्ड	98.76	सूचना नहीं दी
28.	पश्चिम बंगाल	199.65	सूचना नहीं दी

1	2	3	4
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2.75	सूचना नहीं दी
30.	चण्डीगढ़	1.65	सूचना नहीं दी
31.	दिल्ली	15.95	सूचना नहीं दी
32.	दादरा और नागर हवेली	0.55	सूचना नहीं दी
33.	दमन और दीव	1.1	सूचना नहीं दी
34.	लक्षद्वीप	0.55	सूचना नहीं दी
35.	पुडुचेरी	2.75	सूचना नहीं दी
	कुल	3998.16	218.55

विवरण IV

आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2008-09 के दौरान जारी और व्यय की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	5.12.2008 तक जारी की गई निधियां	तिमाही प्रगति रिपोर्ट (30.9.2008 तक) में दर्शाया गया व्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	211.30	342.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00
4.	बिहार	260.03	188.87
5.	छत्तीसगढ़	0.00	77.69
6.	गोवा	0.00	0.00
7.	गुजरात	202.10	43.30
8.	हरियाणा	80.99	48.37
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	13.71
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00
11.	झारखंड	63.00	0.00
12.	कर्नाटक	66.17	92.32
13.	केरल	24.58	13.28
14.	मध्य प्रदेश	366.67	0.00
15.	महाराष्ट्र	138.14	158.63
16.	मणिपुर	0.00	34.22
17.	मेघालय	0.00	4.99
18.	मिजोरम	0.00	4.16
19.	नागालैंड	12.70	3.47
20.	उड़ीसा	109.80	25.89
21.	पंजाब	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	13.95
23.	सिक्किम	5.72	76.45
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	27.30	20.73
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	203.64
27.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	181.70	163.05
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	0.76	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	
32.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00
33.	दिल्ली	31.16	24.09
34.	लक्षद्वीप	0.00	
35.	पुडुचेरी	0.00	
	कुल	1782.12	1553.49

वर्ष 2008-09 में जहां कहीं भी व्यय जारी की गई निधियों से अधिक है अथवा निधियां जारी न किये जाने पर भी व्यय सूचित किया गया है, वहां व्यय पिछले वित्तीय वर्ष के अव्ययित शेष में से किया गया है।

विवरण V

आई.सी.डी.एस. स्कीम के तीसरे चरण के विस्तार हेतु लघु आंगनवाड़ी केन्द्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपेक्षित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या							
		परियोजनाएं				आंगनवाड़ी केन्द्र/लघु आंगनवाड़ी केन्द्र			
		ग्रामीण	आदिवासी	शहरी	कुल	नई परियोजनाओं में अतिरिक्त आं.के.	मौजूदा परियोजनाओं में अतिरिक्त आं.के.	अपेक्षित कुल आंगनवाड़ी केन्द्र	अपेक्षित कुल लघु आंगनवाड़ी केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	2	2	358	6179	6537	3206
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	0	4	8	293	1458	1751	0
3.	असम	1	0	4	5	584	40926	41510	2967
4.	बिहार	0	0	0	0	0	5440	5440	5440
5.	छत्तीसगढ़	72	105	3	180	11096	9676	20772	6362
6.	दिल्ली	0	0	5	5	0	500	500	0
7.	गोवा	0	0	0	0	0	100	100	0
8.	गुजरात	41	27	8	76	1542	1770	3312	1126
9.	हरियाणा	10	0	1	11	560	7435	7995	260
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	138	138	539
11.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	3094	3094	0
12.	झारखंड	0	0	0	0	0	3538	3538	2551
13.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	5786	5786	2926
14.	केरल	95	0	0	95	0	871	871	129
15.	मध्य प्रदेश	61	6	19	86	0	9691	9691	9820
16.	महाराष्ट्र	67	19	16	102	2075	10533	12608	3640
17.	मणिपुर	0	4	0	4	175	2162	2337	1552
18.	मेघालय	0	0	0	0	0	493	493	0
19.	मिजोरम	4	0	0	4	121	177	298	0
20.	नागालैंड	0	3	0	3	0	261	261	0
21.	उड़ीसा	0	0	3	3	0	21128	21128	5397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	पंजाब	4	0	2	6	630	5267	5897	1220
23.	राजस्थान	17	8	1	26	2205	4338	6543	3523
24.	सिक्किम	1	1	0	2	45	200	245	0
25.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	2234	2234	1772
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	2527	2527	0
27.	उत्तराखंड	3	0	3	6	446	7929	8375	2444
28.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	14604	14604	22186
29.	पश्चिम बंगाल	117	39	4	160	9030	15988	25018	0
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	17	17	31
31.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	130	130	0
32.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	8	0	8	8	1	9	11
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	100	100	0
	कुल	497	220	75	792	29168	184691	213859	77102

राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विस्तार के तीसरे चरण में परियोजनाओं, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों का विस्तार किया गया है।

कर अपवंचकों की सम्पत्ति को जब्त किया जाना

1993. श्री नवीन जिन्दल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी राशि के कर वंचन का पता लगाया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार बड़े कर अपवंचकों की संपत्तियों को जब्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोल तथा डीजल से उपकर

1994. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल पर उपकर से कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस निधि से सड़क सुरक्षा के लिए कुछ राशि को अलग से रखने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) चालू वित्तीय वर्ष में (अक्तूबर, 2008 तक) पेट्रोल और डीजल (एचएसडी) पर वसूली गयी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की धनराशि क्रमश: 2108.5 करोड़ रुपये तथा 6714.25 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) सरकार ने सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन के लिए एक समर्पित एजेंसी के गठन पर विचार करने और सिफारिशें देने के लिए श्री एस. सुन्दर, भूतपूर्व सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड के गठन (एनआरएसटीएमबी) की सिफारिश के अलावा, समिति ने पेट्रोल एवं डीजल से प्राप्त उपस्कर की कुल राशि के 1 प्रतिशत को चिन्हित करके राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा निधि (एनआरएसएफ) सृजित करने की भी सिफारिश की है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नवरत्न का दर्जा

1995. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नवरत्न का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नया दर्जा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) सरकार ने पहले ही 5 मई, 2008 को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन को नवरत्न का दर्जा प्रदान कर दिया है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों हेतु अनुसंधान संस्थान

1996. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बायो-गैस, बायो-डीजल तथा सौर ऊर्जा हेतु कोई अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई तथा संस्वीकृत की गई?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) मंत्रालय ने ग्वालपहाड़ी, गुड़गांव में सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना पहले ही कर रखी है जो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के परीक्षण, मानकीकरण और विकास के कार्यों में लगा है। एक अन्य संस्थान राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान, पंजाब में कपूरथला में स्थापित किया जा रहा है जहां बायोगैस तथा बायोडीजल सहित बायोऊर्जा के क्षेत्र में इसी प्रकार के कार्य किए जाएंगे। इसके लिए 37.69 करोड़ रु. की कुल राशि मंजूर की गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में नगरपालिकाओं को सहायता

1997. श्री सुभाष महरिया: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान में नगरपालिकाओं को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में भेजा गया कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) तथा छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	प्रतिबद्ध एसीए	जारी एसीए
2005-06	0	0	0
2006-07	5	256.29	41.47
2007-08	5	275.61	106.54
यूआईडीएसएसएमटी			
2005-06	12	26.67	13.84
2006-07	10	88.66	43.00
2007-08	4	58.45	35.56

(ग) से (ङ) अवस्थापना और शासन के अंतर्गत जयपुर के लिए 293.46 करोड़ रु. की लागत से बीआरटीएस पैकेज 3 तथा राजस्थान में 86.81 करोड़ रु. की लागत से अजमेर-पुष्कर के लिए बरसाती पानी की निकासी नामक दो विस्तृत परियोजनाएं (डीपीआर) प्राप्त हुई है। तथापि, राजस्थान के लिए उपलब्ध शेष धनराशि केवल 30 लाख रु. है (7 वर्षीय नियतन 598.69 करोड़ रु. में से) जो कि इनमें से किसी भी परियोजना के लिए अपर्याप्त है।

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत झुनझुनू, सरदारशहर तथा कोटा में सीवरेज शोधन संयंत्र से संबंधित तीन परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय सहायता के लिए लंबित है। इन परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि राजस्थान राज्य के लिए उपलब्ध शेष नियतन इनमें से किसी भी परियोजना की स्वीकृति के लिए अपर्याप्त है।

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण महिलाओं हेतु कल्याणकारी योजना

1998. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री हरिसिंह जावड़ा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने गुजरात सहित देश मे ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु कोई कल्याणकारी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) विभिन्न कल्याणकारी और विकास गतिविधियों में महिलाओं की अधिक भूमिका के लिए और संस्थागत ऋण में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने गुजरात सहित पूरे देश के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई हैं:

* महिला विकास प्रकोष्ठ (डब्ल्यूडीसी)-इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए बढ़े हुए ऋण प्रवाह के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी समितियों में स्थापित डब्ल्यूडीसी को अनुदान देकर वित्तीय सहायता दी जाती है।

* गैर-कृषि विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को सहायता (एआरडब्ल्यूआईएनडी)-एआरडब्ल्यूआईएनडी ऋण और संवर्धन हिस्सों से बनी एकल खिड़की योजना, को ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यम संबंधित विकास के उद्देश्य से बनाया गया है।

* ग्रामीण महिलाओं के गैर-कृषि उत्पादों के विपणन में सहायता (एमएचआईएमए)-यह योजना ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं के विपणन के संवर्धन के लिए किये गये विभिन्न पहलों को सहायता पहुंचाने के लक्ष्य पर केन्द्रित है।

* स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सम्बद्ध कार्यक्रम एसएचजी का निर्माण कर औपचारिक ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था में ग्रामीण निर्धनों की वित्तीय पहुंच के संवर्धन के लिए हैं। ज्यादातर स्वयं सहायता समूह (ऋण संबद्ध एसएचजी की कुल संख्या का करीब 80%), महिला समूह हैं। 31 मार्च, 2008 तक की स्थिति के अनुसार 34.77 लाख (अनंतिम आंकड़े, एसएचजी, बैंकिंग व्यवस्था से ऋण संबद्ध हैं।)

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और वर्ष 2008-09 (30 सितम्बर, 2008 तक की स्थिति के अनुसार), के दौरान आरडब्ल्यूआईएनडी एवं एमएचआईएमए के अंतर्गत लाभार्थियों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। वहीं वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (30 सितम्बर, 2008 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान एसएचजी-बैंक सम्बद्ध कार्यक्रम के लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 (30 सितम्बर 2008 की स्थिति के अनुसार) के लिए एआरडब्ल्यूआईएनडी तथा एमएएचआईएमए के अंतर्गत हिताधिकारियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	(एआरडब्ल्यूआईएनडी)								(एमएचआईएमए)							
		2005-06		2006-07*		2007-08**		2008-09***		2005-06		2006-07*		2007-08**		2008-09***	
		संस्वीकृत केन्द्रकों की संख्या	संस्वीकृत कुल राशि	संस्वीकृत केन्द्रकों की संख्या	संस्वीकृत कुल राशि	संस्वीकृत केन्द्रकों की संख्या	संस्वीकृत कुल राशि	संस्वीकृत केन्द्रकों की संख्या	संस्वीकृत कुल राशि	संस्वीकृत केन्द्रकों की संख्या	संस्वीकृत कुल राशि	संस्वीकृत केन्द्रकों की संख्या	संस्वीकृत कुल राशि	संस्वीकृत केन्द्रकों की संख्या	संस्वीकृत कुल राशि	संस्वीकृत केन्द्रकों की संख्या	संस्वीकृत कुल राशि
1.	आंध्र प्रदेश	7	4.66							3	5.33						
2.	असम	1	7.21														
3.	बिहार	1	0.89														
4.	छत्तीसगढ़	6	10.76														
5.	दिल्ली									3	0.97						
6.	गुजरात	17	96.57	1	1					2	15.73	1	5.24				
7.	गोवा	1	0.19														
8.	हिमाचल प्रदेश	17	24.51														
9.	जम्मू-कश्मीर	4	8.98							1	0.53						
10.	कर्नाटक	14	40.56							11	4.49						
11.	केरल	8	23.65							3	8.36						
12.	मध्य प्रदेश	3	1.17							1	6.38						
13.	महाराष्ट्र	5	9.49							2	10.24						
14.	मणिपुर	1	0.79							2	2.07						
15.	उड़ीसा	30	38.98														
16.	पंजाब-हरियाणा	4	3.90							1	0.55						
17.	राजस्थान	4	4.22							1	1.88						
18.	तमिलनाडु	3	6.32					1	4.72							1	2.5
19.	त्रिपुरा	2	5.08														
20.	उत्तर प्रदेश	9	16.85		0.54	1	0.95			1	0.98	1	0.67	1	0.50		
21.	उत्तराखंड	2	3.60			1	1.00			2	5.23					1	2.5
22.	पश्चिमी बंगाल	2	4.64			1	0.95							1	0.38		
	कुल	141	312.44	2	1.54	3	2.90	1.00	4.72	33	82.74	2	5.91	2	0.88	2	5.00

विवरण II

तीन वर्षों (2005-06, 2006-07, 2007-08) के लिए ऋण संबंधी एसएचजी का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	नए एसएचजी जिन्हें वर्ष के दौरान बैंक ऋण प्रदान किया गया	वर्ष के दौरान संवितरित बैंक ऋण	नए एसएचजी जिन्हें वर्ष के दौरान बैंक ऋण प्रदान किया गया	वर्ष के दौरान संवितरित बैंक ऋण	नए एसएचजी जिन्हें वर्ष के दौरान बैंक ऋण प्रदान किया गया	वर्ष के दौरान संवितरित बैंक ऋण	नए एसएचजी जिन्हें वर्ष के दौरान बैंक ऋण प्रदान किया गया	वर्ष के दौरान संवितरित बैंक ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. उत्तरी क्षेत्र									
1.	हिमाचल प्रदेश	51.22	2,989.59	4879	3882.7	4,100	1370.77	0	0
2.	राजस्थान	38,165	10,338.98	39666	14474	35,355	12542.43	3534	1364
3.	हरियाणा	1,516	11,53.88	1966	1833.1	5,821	5971.21	245	111
4.	पंजाब	1,470	930.96	1893	1177.4	2,511	2638.56	154	77
5.	जम्मू-कश्मीर	707	438.98	405	442.5	770	584.43	0	0
6.	नई दिल्ली	99	54.44	112	86.5	165	279.38	54	30
	उप-योग	47,079	15,906.83	48921	21896.2	48,722	23386.78	3987	1582
ख. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र									
7.	असम	25,125	4,821.71	25005	7944	25,644	5746.53	4661	1017
8.	मेघालय	486	84.10	476	174			0	0
9.	त्रिपुरा	481	120.46	910	184	1,442	242.26	0	0
10.	सिक्किम	85	5.05	33	11.2	177	186.41	0	0
11.	मणिपुर	672	417.53	1215	408			0	0
12.	नागालैंड	328	296.94	101	57.2	70	29.30	0	0
13.	अरुणाचल प्रदेश	66	15.18	576	335	202	उ.न.	0	0
14.	मिजोरम	946	613.00	921	705.6	568	328.33	0	0
	उप-योग	28,279	6,373.97	29237	9818.9	28,103	6532.89	4661	1017
ग. पूर्वी क्षेत्र									
15.	उड़ीसा	57,640	22,367.11	53555	32742.7	73,140	39193.45	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	बिहार	18,206	3,703.36	26118	9602.8	21,071	10388.39	0	0
17.	झारखंड	9,288	3,996.74	6496	3919.6	5,288	4241.78	0	0
18.	पश्चिम बंगाल	43,553	11,617.54	45312	20606.4	46,832	22662.59	0	0
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36	2469	47	45.8	77	62.98	166	65
	उप-योग	1,28,723	41,711.44	131530	66917.2	1,46,408	76549.19	166	65
घ. मध्य क्षेत्र									
20.	मध्य प्रदेश	12,020	5,560.95	13787	4992.3	12,424	8737.10	234	105
21.	छत्तीसगढ़	12,722	1,658.57	10412	2184.4	19,060	8569.25	0	0
22.	उत्तर प्रदेश	42,263	19,977.477	33676	17784.8	38.342	19805.31	0	0
23.	उत्तराखण्ड	3,545	3,158.10	3939	3826.9	3,152	3670.03	0	0
	उप-योग	70,550	30,355.09	64814	20788.4	72,978	40781.69	234	105
ङ. पश्चिमी क्षेत्र									
24.	गुजरात	9,448	5,580.65	9412	8854.6	2,954	1664.81	0	0
25.	महाराष्ट्र	60,324	17,175.63	94386	29838.6	1,00,569	37950.48	5900	6682
26.	गोवा	216	249.94	395	282.8	5691	943.10	35	38
	उप-योग	69,988	23,066.22	104193	38876	1,04,114	40558.39	5935	6719
च. दक्षिणी क्षेत्र									
27.	आंध्र प्रदेश	94,311	1,59,942.52	96381	277545.5	40,098	124004.36	14714	59902
28.	कर्नाटक	61,730	44,260.02	92708	81638.9	29,000	40810.26	6344	12688
29.	केरल	26,179	23,259.53	30925	28894	29,071	23165.62	0	0
30.	तमिलनाडु	92,080	1,03,428.70	87699	109844.8	54.498	46969.26	0	0
31.	पांडिचेरी	1,190	1,664.30		0			0	0
	उप-योग	2,75,490	3,32,555.07	307713	497923.2	1,52,667	234949.50	21058	72590
	सकल योग	6,20,109	4,49,908.62	6,86,408	664319.9	5,52,992	422758.44	36041	82078

*एसएलबीसी स्रोतों द्वारा सूचित आंकड़े

**अनंतिम आंकड़े

''हुपा'' में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा योजनाएं

1999. श्री गिरिधारी यादव: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों को आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन (हुपा) की योजनाओं में संबद्ध किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा कितनी राशि आवंटित की गई तथा उनके द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) (1) इस मंत्रालय की एकीकृत कम लागत सफाई व्यवस्था (आईएलसीएस) स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य पर्याप्त अनुभव वाले गैर-सरकारी संगठनों का चयन कर सकता है और कुल परियोजना लागत के अतिरिक्त अधिकतम 15% का वित्तपोषण किया जा सकता है, जिसका वहन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में 5 : 1 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। गैर-सरकारी संगठनों को सीधे कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है।

(2) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और अन्य सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यकलापों हेतु गैर-सरकारी संगठनों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तथापि, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, एसजेएसआरवाई के तहत, गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से धनराशि जारी नहीं करता है।

(3) जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत, सेमीनार/कार्यशालाओं के संचालन के लिए 3 गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि जारी की गई थी।

क्र.सं.	एनजीओ के जरिए कार्यान्वित स्कीमें	राज्य	वास्तविक व्यय 2007-08	एनजीओ द्वारा उपयोग की गई धनराशि (2007-08) (रु. लाख में)
1.	सेमीनारों/कार्यशालाओं के संचालन हेतु 1% जेएनएनयूआरएम निधि के तहत धनराशि जारी की गई थी			
	1. गुजरात महिला आवास सेवा ट्रस्ट	गुजरात	1.26	1.26
	2. नगरपालिकाओं और विकास प्राधिकरणों का संघ (एएमडीए)	दिल्ली	2.00	उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित
	3. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र (सीईई)	अहमदाबाद	2.00	-वही-

मलिन बस्ती मुक्त उड़ीसा

2000. श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य को मलिन बस्ती मुक्त बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा उक्त अवधि के दौरान कितना कार्य किया गया; और

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) उड़ीसा के लिए अब तक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) घटक के अंतर्गत 5 परियोजनाएं और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत 15 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। उड़ीसा के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

उड़ीसा के लिए अनुमोदित रिहायशी आवासों की संख्या इस प्रकार है:

बीएसयूपी	2316
आईएचएसडीपी	4884
	7200

विवरण

उड़ीसा के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

स्कीम/वर्ष	बीएचयूपी (उप मिशन-2)			आईएचएसडीपी		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	0	0	5	0	0	15
कुल अनुमोदित परियोजना लागत	0	0.00	67.17	0.00	0.00	83.63
अनुमोदित केन्द्रीय अंश	0	0.00	48.77	0.00	0.00	59.13
जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0	0.00	12.19	0.00	0.00	14.92
कुल अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की संख्या	0	0	2316	0	0	4884

[अनुवाद]

रुपये का मूल्य

2001. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 की तुलना में रुपये का वर्तमान मूल्य कितना है;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अमेरिकी डालर की तुलना में रुपये के मूल्य ह्रास का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रुपये की मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) अंकित मूल्य के संदर्भ में, अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये का मूल्य मार्च 1991 के 19.64 रुपये से गिरकर सितम्बर-अंत 2008 में 46.94 रुपये हो गया।

(ख) अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये की मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	2006-07 (अप्रैल-मार्च)	2007-08 (अप्रैल-मार्च)	2008-09 (अप्रैल से 8 दिसम्बर 2008)
अवधि के प्रारंभ की तुलना में अवधि के अंत में रुपये की मूल्यवृद्धि (+)/मूल्यह्रास (-)	(+)2.3	(+)9.1	(-)18.7

(ग) रुपये की विनिमय दर मुख्यतया बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थितियों से निर्धारित होती है सिवाय तब जब सुव्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिक अस्थिरता को संभालने के लिए घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। हालांकि, कोई निश्चित लक्ष्य अथवा पूर्व घोषित लक्ष्य अथवा सीमा नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की खलबली का घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर 2008 के मध्य से अनेक उपाय किये हैं:

* रिजर्व बैंक ने घोषित किया कि वह घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एजेंट बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर) की बिक्री करना जारी रखेगा अथवा मांग-आपूर्ति के किसी अंतर को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करेगा।
* रिजर्व बैंक ने यह घोषित किया कि वह तेल बांड उपलब्ध हो जाने पर, उनके प्रति सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष बाजार परिचालनों को शुरू करेगा।
* विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता जमाराशियों में प्रत्येक पर ब्याज दरों को संचयी रूप से कई चरणों में 175 आधार बिंदु बढ़ाया गया।
* स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत अंतिम उपयोग के लिए रुपया व्यय और/अथवा विदेशी मुद्रा व्यय के लिए प्रति उधारकर्ता प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक के विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की अनुमति दी गई।
* विदेशी वाणिज्यिक उधार के लिए सम्पूर्ण लागत (ऑल-इन-कॉस्ट) सीमा को तीन वर्ष से पांच वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि के लिए लिबोर से अधिक 300 आधार बिंदु और पांच वर्ष से अधिक विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए लिबोर से अधिक 500 आधार बिंदु बढ़ाया गया।
* तीन वर्ष से कम के व्यापार ऋण के लिए संपूर्ण लागत सीमा को बढ़ाकर छह महीने लिबोर जमा 200 आधार बिंदु तक किया गया।
* अस्थायी रूप से जमाराशियां स्वीकार करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधारों को उगाहने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे पूंजी पर्याप्तता और जोखिम मानदण्डों के विवेकपूर्ण मानदण्डों का अनुपालन करें। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कपनियों को भी राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों का अनुपालन करने के अध्यधीन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अल्पावधिक विदेशी मुद्रा उधार जुटाने की अनुमति दी गई है।
* रिजर्व बैंक ने विदेश स्थित शाखाओं वाले बैंकों को उनकी अल्पावधिक निधिपोषण संबंधी आवश्यकताओं की प्रबंध-व्यवस्था में सुविधा प्रदान करने के लिए रुपया-डालर अदला-बदली सुविधा शुरू की है।
* भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 नवंबर 2008 को भारतीय कारपोरेटों द्वारा जारी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) की वापसी-खरीद के लिए एक स्कीम की घोषणा की और 6 दिसम्बर 2008 को इस बारे में और रियायतें दी गई।

[हिन्दी]

कंपनियों द्वारा सेवा कर का भुगतान नहीं किया जाना

2002. **श्रीमती करुणा शुक्ला:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कार्यरत कतिपय घरेलू तथा विदेशी कंपनियों ने अपने सेवा कर का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबद्ध विभाग ने इन कंपनियों को कोई नोटिस जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों का पुनरुद्धार

2003. श्री जुएल ओराम: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सहकारी बैंकों के कार्यकरण का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किस प्रकार की राहत दी गई है/दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार देश के अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को सशक्त करने के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज का पहले से ही कार्यान्वयन कर रही है। सरकार दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिए भी उसी तरह का पैकेज बना रही है। एसटीसीसीएस के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज, ग्रामीण भारत, विशेषकर छोटे एवं सीमान्त किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस संरचना को सुप्रबंधित और जीवन्त बनाने के लक्ष्य पर केन्द्रित है। इसका उद्देश्य (क) इस व्यवस्था को स्वीकार्य स्तर पर लाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना; (ख) इनके लोकतांत्रिक, आत्मनिर्भरता और सामर्थ्यकारी क्रियाकलाप के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत सुधार लाना; और (ग) एकीकृत पैकेज के रूप में प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उपाय करना है।

अब तक, देश के पच्चीस राज्य एसटीसीसीएस पैकेज का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

पूंजी बाजार में विदेशी निधि

2004. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री कीरेन रिजीजू:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पूंजी बाजार विदेशी पूंजी प्रवाह पर निर्भर होता जा रहा है जिससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पूंजी बाजार में निधि/पूंजी प्रवाह की निगरानी/नियंत्रण हेतु योजना तैयार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने खुदरा निवेशकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का निवेश निफ्टी स्क्रिपों सहित भारतीय बाजार के पूंजीकरण के प्रतिशत के रूप में दिसम्बर, 2007 में 16.15 प्रतिशत से 30 सितम्बर, 2008 तक 15.8 प्रतिशत के बीच रहा है। भारतीय पूंजी बाजार में कोई अस्थिरता नहीं है। बाजारों की प्रकृति गतिशील है और बाजार में मूल्यों और परिमाण की घट-बढ़ मांग और पूर्ति की अंतरक्रियाओं द्वारा प्रभावित होती है जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, बाजार के संवेगों, कारपोरेट निष्पादन और भावी आर्थिक विकास सहित अन्य कारकों का भी योगदान होता है। शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों के विकास का मूल्यांकन करते हुए विकास के अवसरों के वर्तमान और भावी मूल्यों से लाभ उठाते हैं।

पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की निधियों का प्रवाह सेबी (एफआईआई) विनियम, 1992 के अनुसार विनियमित होता है और भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी द्वारा इसकी मानीटरिंग होती है।

(ग) और (घ) सरकार और सेबी ने एक सुरक्षित, पारदर्शी और कार्यकुशल बाजार को संवर्धित करने तथा बाजार की निष्ठा को संरक्षित करने हेतु प्रणालियां और पद्धतियां कार्यान्वित की हैं। संस्थापित प्रणालियों में आधुनिक जोखिम प्रबंधन प्रणालियां शामिल

हैं जिसमें आन-लाइन मानीटरिंग और निगरानी, स्थितियों पर विभिन्न सीमाएं, मार्जिन आवश्यकताएं, सर्किट फिल्टर्स आदि शामिल हैं। बाजारों को व्यापक और सुदृढ़ बनाने हेतु किये गये उपायों में स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग प्रणाली, प्रतिभूतियों की भौतिकता दूर करना, एक्सचेंजों का निगमीकरण और पारस्परिकता को दूर करना, निपटान निगमों के माध्यम से निपटान, व्युतपन्नों में व्यापार आदि शामिल है।

प्रणालियों और पद्धतियों की अनवरत पुनरीक्षा की जाती है और उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सेबी बाजार में लगातार निगरानी रखता है और किसी प्रकार की असामान्य स्थिति में संबंधित इकाईयों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करता है। सेबी और बाजार के अन्य भागीदार निवेशकों को प्रतिभूतियों में कारोबार करते समय उनके लिए जरूरी सावधानियों के बारे में शिक्षित करने और उनकी शिकायतों को किस प्रकार दूर किया जाए, इस बारे में भी अनेक जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

2005. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध दहेज, बलात्कार तथा उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय महिला आयोग के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि दहेज, बलात्कार एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों में वृद्धि हुई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के पास दर्ज मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। शिकायतों की संख्या में वृद्धि लोगों में बढ़ रही जागरुकता के कारण हो सकती है।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा बलात्कार से संबंधित कानूनों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए इनमें संशोधन का प्रस्ताव किया है। कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित एक कानून भी तैयार किया जा रहा है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के पास दर्ज मामलों की राज्य-वार संख्या

राज्य	2006				2007				2008			
	दहेज	बलात्कार	महिला उत्पीड़न	कुल	दहेज	बलात्कार	महिला उत्पीड़न	कुल	दहेज	बलात्कार	महिला उत्पीड़न	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	3	1	1	5	17	8	5	30	6	9	22	37
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	3	0	0	3	5	0	2	7	1	1	6	8
बिहार	60	11	7	78	87	25	4	116	81	21	50	152
छत्तीसगढ़	7	3	0	10	23	4	3	30	9	8	10	27
गोवा	0	0	0	00	0	0	1	1	0	0	0	0
गुजरात	8	2	0	10	10	1	2	13	5	9	24	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हरियाणा	101	22	8	131	175	38	17	230	132	38	123	293
हिमाचल प्रदेश	1	0	2	3	5		2	7	5	1	5	11
जम्मू-कश्मीर	1	1	1	3	2	1	1	4	2	0	6	6
झारखंड	18	5	6	29	43	7	1	51	33	5	27	65
कर्नाटक	6	0	6	12	11	2	1	14	2	0	23	25
केरल	1	0	2	3	1	0	1	2	0	1	2	3
मध्य प्रदेश	48	4	7	59	120	19	14	153	100	14	71	185
महाराष्ट्र	19	1	7	27	29	4	11	44	34	8	44	86
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
उड़ीसा	3	2	6	11	5	0	1	6	8	3	10	26
पंजाब	39	1	6	46	27	5	9	41	35	4	31	70
राजस्थान	145	60	19	224	214	76	30	320	184	85	114	383
सिक्किम	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
तमिलनाडु	7	0	0	7	4	3	5	12	11	9	22	42
त्रिपुरा	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	3
उत्तर प्रदेश	857	165	68	1090	1989	384	100	2473	1497	264	620	2381
उत्तराखंड	44	3	3	50	77	9	8	94	47	4	34	85
पश्चिम बंगाल	5	1	3	9	17	3	2	22	15	4	23	42
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
चण्डीगढ़	1		1	2	4	0	0	4	5	1	3	9
दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
दिल्ली	281	18	44	343	443	45	51	539	348	49	326	724
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2
कुल	1658	300	197	2155	3312	634	272	4218	2565	544	1603	4712

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से आरक्षित ऋण

2006. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आरक्षित ऋणों के संवितरण में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों से ऋण लेने वाली कंपनियों ने भुगतान करने में चूक की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-जमानती अग्रिम राशि मार्च 2006 में 2,08,108 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2007 में 2,69,305 करोड़ रुपये तथा मार्च 2008 में बढ़कर 3,79,340 करोड़ रुपये हो गई। प्रतिशत की दृष्टि से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-जमानती अग्रिम राशि मार्च 2006, 2007 एवं 2008 के अंत में उनकी कुल अग्रिम राशि का क्रमश: 18.3%, 18.4% तथा 20.9% थी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा प्रबंधन सूचना प्रणाली से गैर-जमानती अग्रिम राशि का क्षेत्र-वार ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है।

(ग) से (ङ) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। तथापि, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के "आय की पहचान, आपत्ति वर्गीकरण एवं अग्रिम राशि से संबंधित प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्डों के संबंध में मास्टर परिपत्र" के अनुसार अतिदेय अग्रिम राशि को अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करते हैं तथा अपनी ऋण वसूली नीति के अनुसार अपनी देयराशि वसूल करने का प्रयास करते हैं।

लॉकरों की सुरक्षा और संरक्षा

2007. श्री रनेन बर्मन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक ग्राहकों को उनके लॉकरों में रखी बहुमूल्य वस्तुओं को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों की लॉकर की सुरक्षा का कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें पाई गई विसंगतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लॉकरों में रखी बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपने लाकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लाकर धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जार किये हैं। तथापि, विगत दो वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा चोरी/चोरी के प्रयास की कुछ घटनाओं की सूचना दी गई है, जो निम्नानुसार है:

वर्ष	बैंक तथा शाखा का नाम	ब्यौरा
2006-07	(i) इलाहाबाद बैंक, गड़िया, जिला कोलकाता, पश्चिम बंगाल	एक लॉकर पर डेंट पाया गया। उस लॉकर में कोई वस्तु नहीं थी।
	(ii) भारतीय स्टेट बैंक, न्यू बालीगंज, पश्चिम बंगाल	एक लॉकर का केबिनेट तोड़ा गया था और उसमें पड़ी वस्तुएं चुराई गई थीं।
2007-08	केनरा बैंक, कमला नगर, आगरा शाखा	एक लॉकर को खोलने का प्रयास किया गया था। लॉकर खाली पाया गया। लॉकर धारक ने कोई दावा नहीं किया था।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंक लॉकर की सुरक्षा के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2001 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें बैंकों तथा लॉकर धारकों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है तथा बैंकों को यह सलाह दी गई है कि यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी कि लॉकर सुरक्षित रहे और लॉकर की सुरक्षा के मामले में कमियों अथवा उपेक्षा से लॉकर धारक द्वारा संबंधित बैंक पर दावा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक जागरुकता, सुरक्षा पहलु, सेफ डिपॉजिट लॉकरों तक पहुंच, आदि जैसे मामलों के संबंध में अप्रैल 2007 में दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं।

लोअर सुबनसारी जल विद्युत परियोजना के कारण आई बाढ़

2008. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोअर सुबनसारी जल विद्युत परियोजना, असम के धानाजी, लखीमपुर तथा माजुली जिले के लोगों के लिए बाढ़ का गंभीर खतरा बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किये गये हैं; और

(घ) इन क्षेत्रों में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कितनी राशि प्रदान की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) अरुणाचल प्रदेश/असम के लावर सुबंसिरी/धीमाजी जिले में मैसर्स एनएचपीसी लि. द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में लोअर सुबनसारी विद्युत परियोजना (8%250=2000 मे.वा.) कार्यान्वयनाधीन यह परियोजना बहते पानी की योजना है और नदी के तल से 116 मीटर ऊंचाई की बांध की संकल्पना की गई है, साथ में स्पिल-वे है जिसकी 35,500 क्यूमेक्स बाढ़ के पानी को रोकने की क्षमता है। सुबनसारी लोअर जल विद्युत परियोजना में जलाशय संचयन 720एम क्यूमिक न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (ईएल 181 एम) और 1365 एम क्यूमिक पूर्ण जलाशय स्तर (ई एल 205 एम) पर है। जलाशय प्रचालन की दो स्तरों पर योजना बनाई गई है ताकि इस क्षेत्र में कुछ हद तक बाढ़ नियंत्रण के लिए जलाशय के उपयोग का ध्यान रखा जा सके। इस प्रकार इससे परियोजना के डाउनस्ट्रीम के लोगों को बाढ़ का गंभीर खतरा नहीं है।

राज्यों में जल-मल व्ययन हेतु सहायता

2009. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को कई राज्यों से अपने राज्यों में जल-मल व्ययन प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितना वित्तीय आवंटन किया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) मल-जल व्ययन प्रणाली में सुधार राज्य का विषय है और इसके लिए अपने राज्यों में ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन तथा रखरखाव करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की है। तथापि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक, जेएनएनयूआरएम के छोटे तथा मझोले कस्बों की एकीकृत विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थापना विकास के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त स्कीम के जरिए मदद देता है। जेएनएनयूआरएम (यूआईजी) के अंतर्गत अनुमोदित जल आपूर्ति/जल निकासी/सीवरेज परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत अनुमोदित जलापूर्ति/जल निकासी/सीवरेज परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण I

जल आपूर्ति क्षेत्र में अनुमोदित परियोजनाएं (जेएनएनयूआरएम)

क्र.सं.	सेक्टर	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत (लाख रु.)	निर्धारित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)	जारी धनराशि	जारी प्रतिशत	जारी तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	साहेबनगर टीबीआर से प्रसन्न नगर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	27 मार्च, 2006	9493.00	3322.55	1662.00	50	17/03/2008 और 29/03/06
2.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	कृष्णा जल को सिकन्दराबाद के लिए पोइन्ट	27 मार्च, 2006	8120.00	2842.00	1421.50	50	17/03/2008 और 29/03/06
3.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुसी के उत्तर में ग्रिड सुधार निर्माण कार्य अतिरिक्त भंडार सुविधा	19 सितम्बर, 2006	2981.00	1043.35	260.83	25	10/13/2006
4.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुसी के उत्तर में ग्रिड सुधार निर्माण कार्य अतिरिक्त भंडार सुविधा	19 सितम्बर, 2006	3355.00	1174.25	293.56	25	10/13/2006
5.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	एचएमडब्ल्यूएसबी की संपूर्ण प्रणाली में सभी जलस्रोतों और बड़ी मात्रा में पाइप लाइनों की सप्लाई के लिए प्रवाह, स्तरों एवं क्लोरीन उपायों और पर्यवेक्षण नियंत्रक तथा डाटा अधिग्रहण प्रणाली प्रदान करना	9 मार्च, 2007	990.00	346.50	86.62	25	5/8/2007
6.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	कृष्णा पेयजल आपूर्ति परियोजना (फेज-2)	26 नवम्बर, 2007	60650.00	21227.50	21227.50	100	28/12/2007 और 17.3.2008
7.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	पुराना हैदराबाद नगर निगम के दस जोनों में वितरण नेटवर्क	28 जनवरी, 2008	23222.00	8127.70	2031.92	25	3/17/2008
8.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जिन क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा नहीं उन क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुविधा देना	27 मार्च, 2006	3548.00	1774.00	1332.00	75	17/03/2008 और 29/03/2006, 24.10.2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा नगर निगम में जल आपूर्ति की उपयोगिता बढ़ाना	2 फरवरी, 2007	7231.00	3615.50	903.88	25	10/08/2007 और 22/02/2007
10.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	टीएसआर से मेनदादा और कुमादी जंक्शन तक जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाना	10 मई, 2006	2340.00	1170.00	877.50	75	17/03/2008 और 05/10/2006, 24/10/2008
11.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	तातीपुडी जलाशय से सर्विस जलाशय और पंपिंग यूनिटों तक मौजूदा तातीपुडी पाइप लाइन को बदलने हेतु डीपीआर	10 मई, 2006	6228.00	3114.00	2336.00	75	17/03/2008 और 08/06/2006, 24/10/2008
12.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	गाजुवाका क्षेत्र में जल की आपूर्ति बढ़ाना	5 मार्च, 2007	3976.00	1988.00	497.00	25	10/08/2007 और 28/03/07 और 31/03/07
13.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जीवीएमसी (फेज-2) क्षेत्र के गाजुवाका में जल आपूर्ति वितरण प्रणाली प्रदान करना	7 सितम्बर, 2007	4600.00	2300.00	575.00	25	10/16/2007
14.	जल आपूर्ति	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	बाहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाना	20 दिसम्बर, 2007	24074.00	12037.00	2407.40	20	1/8/2008
15.	जल आपूर्ति	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	इटानगर में जलआपूर्ति बढ़ाना	26 मार्च, 2007	7725.32	6952.79	1738.20	25	6/28/2007
16.	जल आपूर्ति	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी मेट्रो नगर विकास क्षेत्र में दक्षिण गुवाहाटी पश्चिम जल आपूर्ति स्कीम का प्रस्ताव	29 फरवरी, 2008	28094.00	25284.60	6321.15	25	4/22/2008
17.	जल आपूर्ति	चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में शहरी क्षेत्र की सिंचाई के लिए क्षेत्रीय शोधन सीवेज द्वारा जल आपूर्ति का संरक्षण	25 अगस्त, 2006	3672.60	2938.08	734.52	25	5/23/2007
18.	जल आपूर्ति	चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़	24×7 जलापूर्ति दुरस्त कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली वाले समुचित मिसरानी एवं ऑटोमिशन जलापूर्ति बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	25 अगस्त, 2006	2026.00	1620.80	810.40	50	23/05/2007 और 22.2.08
19.	जल आपूर्ति	छत्तीसगढ़	रायपुर	विस्तारित अरएमसी क्षेत्रों सहित जल आपूर्ति स्कीम को बढ़ाना	8 सितम्बर, 2006	30364.00	24291.20	6072.80	25	10/08/2007 और 31/10/06
20.	जल आपूर्ति	गुजरात	अहमदाबाद	नर्मदा मुख्य नहर रो कतारपुर डब्ल्यूटीपी तक पाईप लाइन; कतारपुर के निकट साबरमती में 330 एमएलडी युक्त कुआं; रसाक में जल शोधन संयंत्र	21 मार्च, 2006	5383.25	1884.14	1413.03	75	10/06/2007 और 4/1/2008 और 25/03/08 और 29/03/06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	जल आपूर्ति	गुजरात	राजकोट	राजकोट के लिए जल आपूर्ति परियोजना	27 मार्च, 2006	8562.00	4281.00	3210.00	75	04/01/2008 और 17.3.08 और 29/03/06
22.	जल आपूर्ति	गुजरात	सूरत	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण के वेसू शहरी बस्ती हेतु जल आपूर्ति परियोजना	10 मई, 2006	1919.00	959.50	959.50	100	04/01/2008 और 17.3.08 और 08/06/06
23.	जल आपूर्ति	गुजरात	सूरत	पास-पासनपुर क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजना	10 मई, 2006	995.00	497.50	497.50	100	04/01/2008 और 17.3.2008 और 08/06/06
24.	जल आपूर्ति	गुजरात	सूरत	एसएमसी के सर्वांगीण, कटारगम और रेन्डर जल निर्माण कार्य का विकास	26 मार्च, 2007	14068.65	7034.33	5275.74	75	08/06/2007 और 17.3.08, 01.10.08
25.	जल आपूर्ति	गुजरात	सूरत	सूरत नगर निगम के नव पूर्वी जोन क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणाली	29 फरवरी, 08	16743.43	8371.71	2092.94	25	22/04/2008, 12.11.08
26.	जल आपूर्ति	गुजरात	वडोदरा	जलापूर्ति के स्रोतों का विकास	28 जून, 2006	4105.00	2052.50	1026.26	50	17/03/2008 और 19/07/06
27.	जल आपूर्ति	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर	ग्रेटर श्रीनगर के तंग नहर जोन (जोन-5) को जल आपूर्ति प्रणाली	23 नवम्बर, 07	14837.00	13353.30	3338.33	25	08/01/2008 और 17/03/08
28.	जल आपूर्ति	झारखण्ड	रांची	रांची के लिए जल आपूर्ति परियोजना	19 अगस्त, 2008	28939.15	23071.32	5767.63	25	01.10.08
29.	जल आपूर्ति	कर्नाटक	बंगलौर	सीडब्ल्यूएसएस स्टेज-4 फेज-1 से 100 एमएलडी अतिरिक्त जल की आपूर्ति	8 दिसम्बर, 2006	1226.00	429.10	193.09	45	04/01/2008 और 20/12/06, 25.11.08
30.	जल आपूर्ति	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर वाटर ट्रांसमिशन नेटवर्क हेतु वल्क फ्लो मीटर प्रणाली	8 दिसम्बर, 06	1531.00	535.85	133.96	25	20/12/2006, 20.11.08
31.	जल आपूर्ति	कर्नाटक	बंगलौर	जलापूर्ति बढ़ाने के लिए वृषभवती घाटी में क्षेत्रीय जल शोधन का सम्मेकित जल वृद्धि एवं पुनःप्रयोग	18 जनवरी, 2008	47133.00	16496.55	0.00	0	
32.	जल आपूर्ति	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर शहर के लिए जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क की रीमोडलिंग	8 दिसम्बर, 06	19454.00	15563.20	3890.80	25	10/08/2007 और 15/01/07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	जल आपूर्ति	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर के लिए जल आपूर्ति परियोजना	7 मार्च, 08	10881.99	8705.59	0.00	0	
34.	जल आपूर्ति	केरल	कोचिन	कोचिन चरण-1 की जल आपूर्ति में सुधार	22 फरवरी, 07	20117.00	10058.50	2514.65	25	26/02/2008 और 28/03/07
35.	जल आपूर्ति	केरल	तिरुवनंतपुरम	जल आपूर्ति में सुधार	26 मार्च, 07	8716.00	6972.80	1743.20	25	26/02/2008 और 31/03/07
36.	जल आपूर्ति	मध्य प्रदेश	भोपाल	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति	21 मार्च, 06	1418.00	709.00	354.58	50	17/3/2008 और 29/3/06
37.	जल आपूर्ति	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल के लिए नर्मदा जल आपूर्ति परियोजना	15 फर. 08	30604.16	15302.08	3825.52	25	3/17/2008
38.	जल आपूर्ति	मध्य प्रदेश	इंदौर	यशवंत सागर जल आपूर्ति प्रणाली सुधार स्कीम	27 मार्च, 06	2375.00	1187.50	594.00	50	29/03/2006, 18.7.08
39.	जल आपूर्ति	मध्य प्रदेश	उज्जैन	जल आपूर्ति स्कीम का पुनर्गठन	7 मार्च, 08	6686.04	5349.15	1337.28	25	3/25/2008
40.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	मुम्बई-4 के लिए मिडिल वैतरणा जल आपूर्ति परियोजना	22 फरवरी, 07	132950.00	46532.50	23266.00	50	10/08/2007 और 26/03/07, 01.10.08
41.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाने की अतिरिक्त 110 एमएलडी जल आपूर्ति स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	8 जनवरी, 07	7118.00	2491.30	1245.54	50	10/08/2007 और 17.3.08 और 31/01/07
42.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	भातसवार हिल जलाशय से क्रास मैदान तक भूमिगत टनल (3.6 कि.मी.)	20 जुलाई, 07	9398.79	3289.58	822.39	25	8/29/2007
43.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	मरोशी से रफायेल कॉलेज तक भूमिगत सुरंग तक (12 कि.मी.)	7 सितम्बर, 07	29486.76	10320.37	2580.09	25	10/31/2007
44.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर शहर में जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क का विस्तार उन्नयन	21 मार्च, 06	3793.00	1896.50	948.24	50	08/01/2008 और 29/03/06
45.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति की ऊर्ध्व लेखा परीक्षा परियोजनाएं	21 मार्च, 06	2503.62	1251.81	625.90	50	04/01/2008 और 29/03/06
46.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नागपुर	जल क्षेत्र (जल रिसाव का पता लगाना)	21 मार्च, 06	329.77	164.89	41.22	25	3/29/2006
47.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नागपुर	जल लेखापरीक्षा परियोजनाएं	21 मार्च, 06	2500.00	1250.00	312.50	25	3/29/2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नागपुर	पेंच जलाशय से जल उठाकर महादुल्ला तक नहर के स्थान पर पोटर एमएस पाइप लाइन के जरिए पानी पहुंचाना	8 सितम्बर, 06	14463.70	7231.85	1807.96	25	08/01/2008 और 31/10/06
49.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति पेंच 4 (भाग 2)	28 दिस., 06	6196.00	3098.00	774.50	25	1/31/2007
50.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति पेंच 4 (भाग 3)	28 दिस., 06	8059.27	4029.64	1007.36	25	1/31/2007
51.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति पेंच 4 (भाग 4)	28 दिस., 06	10460.68	5230.34	1307.56	25	2/20/2007
52.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नागपुर	कनहान जल वृद्धि योजना	22 दिस., 06	8217.00	4108.50	1027.12	25	1/31/2007
53.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नागपुर	गंदे जल का पुनर्चक्रीकरण एवं पुनरुपयोग	22 दिस., 06	13011.00	6505.50	11626.38	25	10/06/2007 और 20/02/07
54.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नान्देड़	उत्तरी नांदेड में जलापूर्ति सुधार	31 जुलाई, 06	9087.00	7269.60	3634.90	50	10/13/2006
55.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नान्देड़	नांगेड (दक्षिण) में जलापूर्ति	25 अगस्त, 2006	4945.00	3956.00	2967.00	75	08/02/2008 और 13/10/06, 1.10.08
56.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	नासिक	चालू जलापूर्ति परियोजनाओं का निर्माण	10 नवं., 06	5052.00	2526.00	1263.00	50	08/01/2008 और 31/01/07
57.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपरी चिंचवार के लिए जलापूर्ति परियोजनाएं (सं. 4)	22 दिसम्बर, 06	35862.00	17931.00	4482.75	25	20/2/2007 और 31/03/07
58.	जल आपूर्ति	मेघालय	शिलांग	शिलांग को जलापूर्ति बढ़ाने के लिए ग्रेटर शिलांग जल आपूर्ति परियोजना (फेज-3)	19 अगस्त, 08	19349.72	17414.75	4353.69	25	20.10.08
59.	जल आपूर्ति	मिजोरम	एजवाल	ग्रेटर आइजोल जल आपूर्ति स्कीम फेज-2 का पंपिंग मशीनरी एवं उपकरणों का नवीकरण एवं ट्रांसमिशन प्रणाली	23 नवम्बर, 07	1681.80	1513.62	378.41	25	1/4/2006
60.	जल आपूर्ति	उड़ीसा	पुरी	पुरी नगर को 24×7 पाइप जलापूर्ति	18 जुलाई, 08	16690.00	13352.00		0	
61.	जल आपूर्ति	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर के लिए जल आपूर्ति, सीवरेज एवं सीवेज शोधन	19 सितम्बर, 06	17934.00	8967.00	2241.75	25	12/20/2006
62.	जल आपूर्ति	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर शहर के लिए जलापूर्ति	6 अक्टू., 06	18873.00	15098.40	11323.80	75	20/09/2007 और 20/12/06, 21.8.08
63.	जल आपूर्ति	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर-पुष्कर के लिए जलापूर्ति	28 दिसम्बर, 07	16642.00	13313.00	3328.25	25	5/29/2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में जलापूर्ति प्रणाली में सुधार	24 नवं. 06	32200.00	11270.00	2817.50	25	12/16/2006
65.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में आईटी कारीडोर के लिए जल आपूर्ति एवं सीवेज प्रणाली बुनियादी सुविधा प्रदान करना (7 पैकेज)	22 दिसम्बर, 07	4177.00	1461.95	730.98	50	30/3/2008 और 23/01/07
66.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	तांबरम नगरपालिका में जलापूर्ति नई सुधार	8 जनवरी, 07	3261.60	1141.56	570.78	50	23/01/2007 और 31/03/07, 1.10.08
67.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	मीनजुर में समुद्री जलसल डीसेलीनेशन संयंत्र	2 फरवरी, 2007	8780.00	7024.00	5268.00	75	30/03/2008 और 07/03/07, 24.10.08
68.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	पोरुर टाउन पंचायत को जल आपूर्ति में सुधार	18 मई, 2207	1235.79	432.53	108.13	25	6/13/2007
69.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	मदुरावाइल को जलापूर्ति में सुधार	20 जुलाई, 07	2330.00	815.50	203.88	25	8/29/2007
70.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	कच्चे जल शोधन संयंत्र के लिए पुंडी जलाशय निकट 90 क्यूसेक नहर से अधिक संप कंप पंप गृह का निर्माण	06 अगस्त, 07	911.00	318.85	79.71	25	8/29/2007
71.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	आवाडी नगर निगम की व्यापक जलापूर्ति स्कीम	26 अक्टू., 07	10384.00	3634.40	908.60	25	12/20/2007
72.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	नेरकुन्दरम ग्राम पंचायत सुधार जल आपूर्ति	18 जनवरी, 08	1917.00	670.95	67.09	10	2/8/2008
73.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	उलग्राम पुडुविक्कम नगर निगम को व्यापक जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना	23 नवम्बर, 07	2424.00	848.40	212.10	25	1/4/2008
74.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	जलापूर्ति स्कीम में सुधार	28 दिसम्बर, 06	11374.30	5687.15	1421.79	25	15/01/2007 और 31/03/07
75.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै निगम सुधार निर्माण एवं प्रणाली सुधार को जलापूर्ति (फेज-1 और फेज-2)	14 जुलाई, 06	5931.60	2965.80	2224.35	75	25/03/2008 और 18/08/06, 24.10.08
76.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	मदुरै	तिरुपकुन्द्रम नगरपालिका एवं हरवेपति नगर पंचायत की संयुक्त जलापूर्ति स्कीम के लिए तिरुपकुन्द्रम नगरपालिका डीपीआर	8 जनवरी, 07	969.57	484.79	96.96	20	23/01/2007 और 31/03/2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	मदुरै	अवनूर नगरनिगम की जलापूर्ति स्कीम के बारे में अवनूर नगरनिगम डीपीआर	5 मार्च, 07	788.00	394.00	98.50	25	5/8/2007
78.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै के लिए वैगई नदी पर चेक डैम का निर्माण	22 फरवरी, 07	477.00	238.50	59.63	25	3/31/2007
79.	जल आपूर्ति	त्रिपुरा	अगरतला	अगरतला जलापूर्ति परियोजना (उत्तरी जोन)	19 सित., 08	7826.00	7043.40	1760.85	25	24.10.08
80.	जल आपूर्ति	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा जलापूर्ति	22 फरवरी, 08	8270.50	4135.25	1033.81	25	3/25/2008
81.	जल आपूर्ति	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद नगर की जलापूर्ति कम्पोनेंट	6 अगस्त, 07	8969.00	4484.50	1121.13	25	8/29/2007
82.	जल आपूर्ति	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर के इंदर ओल्ड एरिया का जलापूर्ति निर्माण	26 अक्तूबर, 07	27094.89	13547.44	3386.86	25	20/12/2007 01.10.08
83.	जल आपूर्ति	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ जलापूर्ति निर्माण (फेज 1 पार्ट 1 खंड 1 स 5)	7 सितम्बर, 07	38861.00	19430.50	4857.63	25	10/31/2007
84.	जल आपूर्ति	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ के लिए जल आपूर्ति	11 जनवरी, 08	27301.00	13650.00	3412.63	25	1/8/2008
85.	जल आपूर्ति	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी की जलआपूर्ति घटक प्राथमिकता	6 अगस्त, 07	11102.00	5551.00	1387.75	25	6/29/2007
86.	जल आपूर्ति	उत्तराखण्ड	देहरादून	जलापूर्ति स्कीम (फेज-1)	28 दिसम्बर, 07	7002.70	5602.16	1400.54	25	04/01/2008, 01.10.08
87.	जल आपूर्ति	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	जल आपूर्ति पुनर्गठन स्कीम	28 जन., 08	4784.43	3827.54	956.77	25	17/03/2008, 01.10.08
88.	जल आपूर्ति	उत्तराखण्ड	नैनीताल	जलापूर्ति भाग-1 की सुरक्षा और नवीकरण	28 दिस., 07	547.00	437.60	109.40	25	1/4/2008
89.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	7 एमजीडी डब्ल्यूटीपी टू गेदर विद रीसर्वर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एलाइड वर्क	28 जून, 08	2878.00	1439.00	1079.25	75	17/03/2008 और 19/07/06 और 30/06/ 2008
90.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल शहरी क्षेत्र पं. बंगाल के तहत रानीगंज में 42 एमएलडी जलापूर्ति योजना	25 अक्तू., 06	3627.00	1813.50	453.38	25	11/22/2006
91.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल शहरी क्षेत्र पं. बंगाल के तहत जमूरिया में 22.7 एमएलडी जलापूर्ति परियोजना	25 अक्तू., 06	1453.00	726.50	544.89	75	17/03/2008 और 22/11/06 और 30/06/ 2008
92.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल नगर निगम हेतु जलापूर्ति स्कीम	22 फरवरी, 07	8982.96	4491.48	1122.87	25	3/31/2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	धापा में जल शोधन यंत्र 30 एमबीडी फेज-1	26 जून, 06	9875.00	3456.25	864.06	25	7/19/2006
94.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मौजूदा जल वितरण नेटवर्क सहित माहेशतला भूमिगत रीजर्वर का एकीकरण	28 जून, 06	1717.00	600.95	300.48	50	17/03/2008 और 19/07/06
95.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	गांधी मैदान अकरा में भूमिगत जल रीजर्वर सह बूस्टर पंपिंग स्टेशन	28 जून, 06	1066.00	373.10	93.28	25	7/19/2006
96.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बासबेरिया में 15 एमबीडी जल शोधन यंत्र	28 जून, 06	4492.00	1592.20	786.10	50	19.7.2006 और 24.10.06
97.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	उलुबेरिया में 10 एमबीडी जल शोधन यंत्र	28 जून, 06	4558.00	1595.30	797.66	50	17/03/2008 और 19/07/06
98.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	डब्ल्यू नगरपालिका हेतु जलापूर्ति स्कीम	22 फर., 07	951.86	333.15	83.29	25	3/31/2007
99.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हावड़ा नगर निगम में सम्मिल किये गये क्षेत्रों हेतु जलापूर्ति स्कीम	18 मई, 07	9088.91	3174.12	793.53	25	6/13/2007
100.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सर्क लेक में सैक्टर-5, नया डीबीओअंता इन्डस्ट्रियल टाउन शिप में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	28 दिस., 07	2606.62	912.32	456.16	50	04/01/2008, 24.10.08
101.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बैरकपुर और नॉर्थ बैरकपुर नगरीय क्षेत्र	11 जन., 08	12950.88	4532.81	1133.20	25	08/01/2008, 21.8.08
102.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	चन्द्रानगौर नगर निगम हेतु 24×7 जलापूर्ति स्कीम	8 फरवरी, 08	2521.87	882.67	220.67	25	17/03/2008, 21.8.08
103.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नेहाटी हालीशहर कंचनपाड़ा गेसपुर और कल्याणी के असम्मिलित क्षेत्रों, कोलकाता के नगरीय क्षेत्रों हेतु भूतल जलापूर्ति स्कीम	22 फरवरी, 08	14194.25	4967.98	1242.00	25	22/04/2008, 12/08/08
104.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	टल्ला, पलटा, डैलिकेटेड ट्रांसमिशन मेन	16 मई, 08	30492.48	10672.37	2668.09	25	16 जून, 08
105.	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	गारुलिया नगरपालिका हेतु 24×7 व्यापक जलापूर्ति स्कीम	14 अक्तू, 08	4719.26	1651.74	0.00	0	
106.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	कल्याण डोमबिवली नगर निगम हेतु 150 एमएलडी जलापूर्ति	14 अक्तू., 08	10681.49	3738.52	0.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	जल आपूर्ति	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	सीस-वरुणा क्षेत्र की जलापूर्ति भाग-2	30 अक्टू., 08	8610.00	4305.00			
108.	जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	नवी मुम्बई नगर निगम हेतु जलापूर्ति प्रणाली की शुरुआत	30 अक्टू., 08	23052.03	8068.21	0.00		
109.	जल आपूर्ति	झारखण्ड	धनबाद	धनबाद तक जलापूर्ति में सुधार	21 नवम्बर, 08	36585.00	18292.65	0.00		
110.	जल आपूर्ति	तमिलनाडु	चेन्नई	तिरुवोत्तियूर नगरपालिका के लिए व्यापक जलापूर्ति स्कीम मुहैया कराना	21 नवम्बर, 08	8511.70	2979.00	0.00		
				कुल		1305403.39	662403.14	208058.62		

जल निकासी/वर्षा जल निकासी सेक्टर में अनुमोदित परियोजनाएं (जेएनएनयूआरएम)

क्र.सं.	सेक्टर	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	निर्धारित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)	जारी धनराशि	जारी प्रतिशत	जारी तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	वर्षा जल निकासी	18 जुलाई, 08	5540.26	1939.09	484.77	25	28.8.08
2.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	मेघालय	शिलांग	शिलांग के लिए मास्टर प्लान जल निकासी (फेज-1)	19 जून, 08	2446.00	2201.40	0.00	0	
3.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	पुरानीनला सेकेन्डरी रेन-वर्षा जल निकासी की रीमॉडलिंग	21 मार्च, 06	4231.00	1480.85	370.00	25	3/29/2006
4.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	पुरानीनला सेकेन्डरी रेन-वर्षा जल निकासी की रीमॉडलिंग पी-11 पी-21	21 मार्च, 2006	3299.00	1154.65	288.00	25	29/03/2006 और 29/03 2006
5.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	कुकटपल्ली (बेगमपेट) नाला पी-7-वर्षा जल निकासी के लिए रीमॉडलिंग	21 मार्च, 2006	3136.00	1097.60	548.00	50	29/03/2006, 24.10.08
6.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	बल्लकापुर चैनल	21 मार्च, 06	3579.00	1252.65	313.00	25	3/29/2006
7.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	शेष क्षेत्रों के लिए भूमिगत जल निकासी सुविधाएं	27 मार्च, 06	5656.00	2828.00	2121.00	75	17/03/2008 और 29/03/06, 24.10.08
8.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सर्कल-1, 2, 3 और एमजी रोड, वीएमसी में शेष क्षेत्रों के लिए वर्षा जल निकासी प्रणाली	10 नवम्बर, 06	4912.00	2456.00	1228.00	50	23/11/2006, 24.10.2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	एसएस कैनाल का नियमितिकरण	10 मई, 06	339.00	169.50	84.60	50	08/06/2006, 24.10.08
10.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	सीवेज ट्रेन सहित वेरिगेटा वर्षा जल निकासी में-सुधार	10 मई, 06	921.00	460.50	345.00	75	17/03/2008 और 8/6/06, 24.10.08
11.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	गुजरात	अहमदाबाद	एएमसी क्षेत्र के वेस्ट जोन के लिए वर्षा जल निकासी प्रणाली	19 सितम्बर, 06	5914.00	2069.90	517.47	25	10/13/2006
12.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	गुजरात	अहमदाबाद	एएमसी क्षेत्र अहमदाबाद के केन्द्रीय जोन और दक्षिणी जोन के लिए वर्षा जल निकासी	25 अक्तूबर, 06	12088.00	4230.80	1057.70	25	12/20/2006
13.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	गुजरात	अहमदाबाद	एएमसी क्षेत्र अहमदाबाद के उत्तरी जोन और पूर्वी जोन के लिए वर्षा जल निकासी	25 अक्तूबर, 06	12283.00	4299.05	2149.52	50	20/12/2006, 26.9.08
14.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	गुजरात	अहमदाबाद	जल निकाय विकास और बाढ़ राहत परियोजना के लिए कैचमेंट विकास और जल निकासी	18 जनवरी, 08	10475.43	3666.40	0.00	0	
15.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	गुजरात	राजकोट	भूमिगत जल निकासी फेज-2 और फेज-2 (पार्ट-1) (सीवेज नेटवर्क और एसटीपी)	31 जुलाई, 06	7542.00	3771.00	2828.10	75	04/01/2008 और 17.03.08 और 18/08/06
16.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	गुजरात	सूरत	वेसू क्षेत्र के लिए वर्षा जल निकासी	28 जून, 06	4995.00	2497.50	624.38	25	7/19/2006
17.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	गुजरात	सूरत	एसएमसी क्षेत्र के लिए सूरत क्षेत्र की वर्षा जल निकासी प्रणाली	20 अप्रैल, 07	13382.54	6691.27	1672.81	25	6/13/2007
18.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	गुजरात	सूरत	नए जोन के लिए वर्षा जल निष्टान प्रणाली	28 जनवरी, 2008	3426.82	1713.41	428.35	25	5/29/2008
19.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा शहर की वर्षा जल निकासी	22 फरवरी, 07	14594.56	7297.28	1824.32	25	5/8/2007
20.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	हरियाणा	फरीदाबाद	पुराने फरीदाबाद जोन में अवस्थापना विकास कार्य (जल निकासी)	20 अप्रैल, 07	3064.70	1532.35	383.09	25	5/16/2007
21.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	कर्नाटक	बंगलोर	वर्षा भावती वेली व कैटटा मानहल्ली और अरकावती माइनवेली एक और कवरीगुप्पा माइनरवेली-3 में बंगलौर शहर में प्राथमिक और द्वितीयक वर्षा जल निकासी प्रणाली की रीमॉडलिंग (3डीपीआर)	24 नवम्बर, 06	22826.00	7989.10	3994.54	50	08/01/2008 और 15/01/07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर शहर जल्ला घट्टा बेसी मे प्राथमिक और द्वितीयक वर्षा जल निकासी की रीमॉडलिंग	24 नवम्बर, 06	11857.00	4149.95	2074.96	50	08/01/2008 और 15/01/07
23.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर शहर कोरा मंगला में प्राथमिक और द्वितीयक वर्षा जल निकासी की रीमॉडलिंग	24 नवम्बर, 06	11149.00	3902.15	1951.06	50	08/01/2008 और 15/01/07
24.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर शहर हेबल में प्राथमिक और द्वितीयक वर्षा जल निकासी की रीमॉडलिंग	24 नवम्बर, 06	18474.00	6465.90	3232.94	50	08/01/2008 और 15/01/07
25.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	कर्नाटक	बंगलौर	बायरासनपुरा में भूमिगत जल निकासी कार्य	11 जनवरी, 08	12517.00	4380.95	1095.23	25	1/8/2008
26.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	कर्नाटक	बंगलौर	आरआर नगर सीएमसी के लिए भूमिगत जल निकासी प्रणाली और सड़क सुधार	11 जनवरी, 08	4153.80	1453.83	363.46	25	08/01/2008, 25.11.08
27.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	केरल	कोचीन	कोच्ची के केन्द्रीय क्षेत्र की भूमिगत जल निकासी प्रणाली का सुधार	19 मार्च, 07	978.00	489.00	122.25	25	3/31/2007
28.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	मध्य प्रदेश	भोपाल	नाले का वैनसाइकेशन (वर्षा जल निकासी)	25 मई, 06	3057.00	1528.50	382.13	25	6/14/2006
29.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाने के लिए एकीकृत जल विकास परियोजना फेज-2	22 जनवरी, 07	11659.00	4080.65	2040.32	50	10/08/2007 और 20/02/07, 24.10.08
30.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाने के लिए एकीकृत जल विकास परियोजना फेज-1	8 जनवरी, 2007	9239.00	3233.65	1616.82	50	10/08/2007 और 31/01/07 और 29/05/08
31.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	थाने के मुरबा और कल्याण क्षेत्र के लिए एकीकृत जल विकास परियोजना फेज-3	21 नवम्बर, 08	5789.27	2026.24	0.00	0	
32.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक नगर निगम के लिए वर्षा जल निकासी	6 दिसम्बर, 07	31031.00	15515.50	3878.75	25	1/8/2008
33.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	महाराष्ट्र	पुणे	सीवेज शोधन संयंत्रों और पंपिंग स्टेशन का संवर्द्धन और सुधार	10 मई, 2006	8613.00	4306.50	2153.23	50	04/01/2008 और 08/06/06
34.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे में विशेष स्थलों का विकास करने और प्राकृतिक जल निकायों के प्रदूषण को रोकने के लिए नदियों का निर्माण और सुधार (मूलमुठा नदी का पर्यावरणीय संरक्षण)	8 सितम्बर, 06	9996.00	4998.00	1249.50	25	10/13/2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे में सीवरेज और जल निकासी निपटान प्रणाली का नवीकरण और प्रबंध (नालियों का संवर्धन, झीलों का सुधार, नालाओं और नदियों की रीमॉडलिंग और भूदृश्यांकन)	8 सितम्बर, 06	9778.00	4889.00	1222.25	25	10/13/2006
36.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	तमिलनाडु	पुणे	वर्षा जल निकासी और प्राकृतिक नालों की गाद निकालना (वर्षा जल नालों का सुधार और निर्माण)	20 अप्रैल, 07	25181.00	12590.50	3147.63	25	6/13/2007
37.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	खारदा, पानीहट्टी, नॉर्थ दमदम और साउथ दमदम में जल निकासी में सुधार	25 अक्तूबर, 06	4530.14	1585.55	792.63	50	08/01/2008 और 22/11/06, 24.10.08
38.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हावड़ा में जल निकासी सुधार	8 जनवरी, 07	9338.03	3268.31	817.08	25	23/01/2007 और 31/03/2007
39.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	एसएटएच क्षेत्र के जोन-1 और 2 में वर्षा जल निकासी का सुधार	14 अक्तूबर, 08	12410.00	4344.00	0.00	0	
40.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा में मंगलगिरि में वर्षा जल निकासी	30 अक्तूबर, 08	31.00	1508.00	0.00	0	
41.	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी के लिए वर्षा जल निकासी	21 नवम्बर, 2008	19162.00	9581.00	0.00	0	
					कुल	366579.55	155095.48	47402.89		

सीवरेज क्षेत्र में अनुमानित परियोजनाएं

क्र.सं.	सैक्टर	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत (लाख रुपये)	प्रतिशत एसेप (लाख रुपए)	जारी धनराशि (लाख रुपये)	जारी प्रतिशतता	जारी होने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सीवरेज	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुसी के दक्षिण में पुराने शहर क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली का पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण (जोन-1 में एस-1 से एस-6, एस-12 और एस-14	19 मार्च, 07	14881.00	5208.35	1302.08	25	5/8/2007
2.	सीवरेज	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुसी के दक्षिण में पुराने शहर क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली का पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण (जोन-1 में एस-7 से एस-11, एस-13 और एस-15	17 अगस्त, 2007	25125.00	8793.75	2198.44	25	03/10/2007 और 17.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	सीवरेज	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	सैटेलिंगमपल्ली नगरपालिका में सीवरेज मास्टरप्लान का कार्यान्वय	6 दिसम्बर, 07	20038.00	7013.30	490.93	7	5/29/2008
4.	सीवरेज	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा के कृष्णा संका क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली का प्रावधान	19 सितम्बर, 06	743.00	371.50	185.74	5	04/01/2008 और 13/10/06
5.	सीवरेज	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सिंह नगर (यूएसबीआर) (सैक्टर-8) में सीवरेज शोधन संयंत्र	25 अक्तूबर, 06	949.00	474.50	118.63	25	11/22/2006
6.	सीवरेज	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	वीएमसी क्षेत्र में आवासीय बोर्ड कालोनी, गुंडाला, देवीनगर, केदारेश्वरपेट इत्यादि में सीवरेज सुविधायें	2 फरवरी, 07	1985.00	992.50	494.26	50	10/08/2007 और 22/02/07, 24.10.08
7.	सीवरेज	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	विशाखापटनम के पुराने शहर क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली	10 नवम्बर, 06	3708.00	1854.00	927.00	50	17/03/2008 और 23/11/06
8.	सीवरेज	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	विशाखापटनम शहर के मध्य भाग में सीवरेज प्रणाली	22 फरवरी, 07	24444.00	12222.00	3055.50	25	08/05/2007 और 10/08/07
9.	सीवरेज	आंध्र प्रदेश	अहमदाबाद	पिराना में मौजूदा सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	28 जून, 06	6922.00	2422.70	1817.04	75	19/07/2006, 26.9.08
10.	सीवरेज	गुजरात	अहमदाबाद	वासना में सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	28 जून, 06	1135.00	397.25	198.62	50	19/07/2006, 26.9.08
11.	सीवरेज	गुजरात	अहमदाबाद	ईस्ट एसूडीए क्षेत्र के लिए विंजोल के समीप टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन तथा सीवरेज शोधन संयंत्र	2 फरवरी, 07	3681.26	1288.44	322.11	25	10/08/2007 और 22/02/07
12.	सीवरेज	गुजरात	अहमदाबाद	ईस्ट एसूडीए क्षेत्र के लिए वासना के समीप टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन तथा सीवरेज शोधन संयंत्र	2 फरवरी, 07	10692.01	3742.20	935.55	25	21/03/2007 और 31/03/07
13.	सीवरेज	गुजरात	अहमदाबाद	वैस्ट एसूडीए का सीवरेज नेटवर्क	21 नवम्बर, 08	23541.00	8239.00	0.00	0	
14.	सीवरेज	गुजरात	अहमदाबाद	ईस्ट एसूडीए का सीवरेज नेटवर्क	21 नवम्बर, 08	7765.00	2718.00	0.00	0	
15.	सीवरेज	गुजरात	सूरत	अंजना सीवरेज शोधन संयंत्र का सुधार	27 मार्च, 06	1098.00	549.00	549.00	100	04/01/2008 और 17.3.08, 29/03/06
16.	सीवरेज	गुजरात	सूरत	अठवा सीवरेज का संवर्धन	27 मार्च, 06	1193.00	596.50	596.50	100	04/01/2008 और 17.3.08, 29/03/06
17.	सीवरेज	गुजरात	सूरत	वेसन सीवरेज शोधन संयंत्र का संवर्धन	27 मार्च, 06	1509	754.50	754.50	100	04/01/2008 और 17.3.08 29/03/06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	सीवरेज	गुजरात	सूरत	कामरोली में द्वितीयक सीवरेज शोधन संयंत्र	26 मई, 06	1522.47	661.24	661.23	100	04/01/2008 और 17.3.08, 29/03/06
19.	सीवरेज	गुजरात	सूरत	वेसू क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एसटीपी	28 जून, 07	3437.00	1718.50	429.63	25	7/19/2006
20.	सीवरेज	गुजरात	सूरत	पाल पालन क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एटीपी	28 जून, 06	2128.00	1064.00	532.00	50	17/03/2008 और 19/07/06
21.	सीवरेज	गुजरात	सूरत	न्यू ईस्ट जोन क्षेत्र के लिए सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणाली	28 जून, 08	11065.73	5532.86	1383.21	25	5/29/2008
22.	सीवरेज	गुजरात	सूरत	सूरत नगर निगम के एसटीपी और मौजूदा पंपिंग स्टेशन के ऑटोमेशन/एसीडीए का प्रावधान	29 फरवरी, 08	3063.43	1537.71	382.93	25	25/03/2008, 12.11.08
23.	सीवरेज	गुजरात	सूरत	एसएमसी के न्यू नार्दन जल निकासी जोन के लिए सीवरेज प्रणाली	14 मार्च, 08	18404.35	9202.18	2300.52	25	04/04/2008, 12.11.08
24.	सीवरेज	गुजरात	वड़ोदरा	वड़ोदरा शहर के लिए सीवरेज प्रणाली	22 जनवरी, 07	10514.93	5257.47	1314.37	25	10/08/2007 और 20/02/07
25.	सीवरेज	जम्मू तथा कश्मीर	फरीदाबाद	फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली और सीवरेज शोधन कार्यों का नवीकरण	22 जनवरी, 07	10383.00	5191.50	2595.76	50	20/02/2007 और 31/03/07, 28.8.08
26.	सीवरेज	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू	ग्रेटर जम्मू के ठीवीजन-ए के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	22 दिसम्बर, 06	12923.00	11630.70	2907.68	25	10/08/2007 और 21/03/07
27.	सीवरेज	जम्मू तथा कश्मीर	श्रीनगर	ग्रेटर श्रीनगर के जोन-3 सैक्टर-1 के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	22 दिसम्बर, 06	13292.00	11962.80	2990.70	25	10/08/2007 और 20/02/07
28.	सीवरेज	कर्नाटक	बंगलौर	मौजूदा सीवरेज प्रणाली के पुनर्वास के लिए पर्यावरणीय कार्ययोजना	14 फरवरी, 07	17675.00	6186.25	1546.56	25	08/05/2007 और 10/08/07
29.	सीवरेज	कर्नाटक	बंगलौर	वेलत्का में भूमिगत जल निकासी कार्य	7 सितम्बर, 07	1500.63	525.22	131.30	25	10/16/2007
30.	सीवरेज	कर्नाटक	बंगलौर	केनगेरी में भूमिगत जल निकासी कार्य	7 सितम्बर, 07	1876.36	656.73	164.18	25	10/16/2007
31.	सीवरेज	कर्नाटक	कोचीन	कोच्ची के छ: जोन और वार्डों सहित (संख्या 43, 49, 50, 51, 54 और 56 में केन्द्रीय जोन के लिए सीवरेज स्कीम	26 मार्च, 07	7841.00	3920.50	953.13	24	3/31/2007
32.	सीवरेज	कर्नाटक	तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम नगर निगम में सीवरेज स्कीमों का सुधार	26 मार्च, 07	21541.00	17232.80	4308.20	25	26/02/2008 और 31/03/2007
33.	सीवरेज	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर सीवरेज परियोजना	8 सितम्बर, 06	30717.00	15358.50	3829.62	25	10/08/2007 और 31/10/06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	सीवरेज	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज और सीवेज शोधन परियोजना फेज-1	10 मई, 06	7801.00	3900.50	975.00	25	6/8/2006
35.	सीवरेज	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज और सीवेज शोधन परियोजना फेज-2	10 मई, 06	7081.00	3540.50	3[illegible]5.00	25	6/8/2006
36.	सीवरेज	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	मुम्बई सीवेज निपटान परियोजना चरण-2 प्राथमिकता कार्य	8 सितम्बर, 06	36447.00	12756.45	3189.11	25	10/08/2007 और 15/11/ 2006
37.	सीवरेज	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	बाने के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम फेज-1	20 अप्रैल, 07	14956.79	5234.86	1308.72	25	6/13/2007
38.	सीवरेज	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	विकेन्द्रीकृत प्रणाली के आधार पर मीरा-भयंदर भूमिगत सीवरेज परियोजना	6 दिसम्बर, 07	33142.27	11599.80	2899.95	25	9/2/2008
39.	सीवरेज	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	बाने के लिए सीवरेज प्रणाली परियोजना फेज-2	22 फरवरी, 08	14009.00	4903.15	1225.79	25	4/22/2008
40.	सीवरेज	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	बाने के लिए सीवरेज प्रणाली परियोजना फेज-3	22 फरवरी, 08	4181.00	1463.35	365.84	25	3/25/2008
41.	सीवरेज	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	केडीएमसी के आंशिक भाग के लिए भूमिगत सीवरेज	18 जुलाई, 08	16963.35	5937.17	1484.29	25	9/15/2008
42.	सीवरेज	महाराष्ट्र	नांदेड़	नार्थ नांदेड़ जोन-1 में सीवरेज प्रणाली	31 जुलाई, 06	4025.00	3220.00	805.00	25	08/01/2008 और 13/10/06
43.	सीवरेज	महाराष्ट्र	नांदेड़	नार्थ नांदेड़ जोन-2 में सीवरेज प्रणाली	31 जुलाई, 06	4889.00	3911.20	977.75	25	10/13/2006
44.	सीवरेज	महाराष्ट्र	नांदेड़	नार्थ नांदेड़ जोन-3 में सीवरेज प्रणाली	31 जुलाई, 06	3931.00	3144.80	786.25	25	10/13/2006
45.	सीवरेज	महाराष्ट्र	नांदेड़	भूमिगत सीवरेज और सीवेज शोधन (नांदेड़-साउथ)	25 अगस्त, 06	4093.00	3274.40	2455.80	75	13/10/2006, 28.8.08, 01.10.08
46.	सीवरेज	महाराष्ट्र	नांदेड़	नासिक शहर के लिए भूमिगत सीवरेज परियोजना फेज-1	22 दिसम्बर, 06	14846.00	7423.00	1855.75	25	10/08/2007 और 20/02/07
47.	सीवरेज	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपरी चिंचवड़ के लिए सीवरेज प्रस्ताव	25 अक्तूबर, 06	11938.88	5969.44	2984.72	50	08/01/2008 और 20/12/06
48.	सीवरेज	महाराष्ट्र	पुणे	पीसीएमसी के लिए सीवरेज प्रणाली फेज-2	19 अगस्त, 2008	12070.45	6035.23	1207.05	20	01.10.08
49.	सीवरेज	उड़ीसा	भुवनेश्वर	एकीकृत सीवरेज परियोजना	22 फरवरी, 07	49891.35	39913.08	9978.27	25	24/04/2007 और 17/03/08
50.	सीवरेज	पुडुचेरी	पुडुचेरी	पुडुचेरी के शहरी क्षेत्रों के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	20 अप्रैल 07	20340.00	16272.00	4068.00	25	2/25/2008
51.	सीवरेज	पंजाब	अमृतसर	वाल्ड सीटी क्षेत्र के लिए मौजूदा सीवरेज प्रणाली का पुनर्वास फेज-2	14 मार्च, 08	3690.00	1845.00	461.25	25	22/04/2008 और 31/03/ 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	सीवरेज	पंजाब	लुधियाना	सीवरेज और सीवेज शोधन संयंत्र	14 मार्च 2008	24139.00	12069.50	3017.37	25	4/4/2008
53.	सीवरेज	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	सीवरेज परियोजना	19 अगस्त, 2008	11208.00	5200.00	1300.00	25	1.10.08
54.	सीवरेज	राजस्थान	जयपुर	जयपुर के लिए सीवरेज प्रणाली फेज-1	8 दिसम्बर, 06	7495.97	3747.99	1874.00	50	17/03/2008 और 20/12/06
55.	सीवरेज	राजस्थान	जयपुर	जयपुर सीवरेज परियोजना फेज-2	22 जनवरी, 07	11086.00	5543.00	2721.50	49	10/8/2007 और 20/02/07, 26.9.08
56.	सीवरेज	सिक्किम	गंगटोक	गंगटोक में सीवरों की पुनर्स्थापना	23 नवम्बर, 07	2392.01	2152.81	538.20	25	1/4/2008
57.	सीवरेज	तमिलनाडु	चेन्नई	पुरुलगुडी में 54 एमएलडी के अतिरिक्त सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण	2 फरवरी, 07	3147.98	1101.79	275.45	25	22/02/2007 और 31/03/07
58.	सीवरेज	तमिलनाडु	चेन्नई	पुनूतिवक्कम (उल्लग्राम) के लिए सीवरेज सुविधायें	28 दिसम्बर, 07	2808.05	982.80	99.75	10	1/4/2008
59.	सीवरेज	तमिलनाडु	चेन्नई	आवड़ी नगर पालिका के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	29 फरवरी, 08	15805.41	5531.89	276.59	5	4/22/2008
60.	सीवरेज	तमिलनाडु	चेन्नई	अम्बेटूर नगर पालिका के लिए सीवरेज सुविधायें फेज-3	29 फरवरी, 08	13091.00	4581.85	1145.46	25	4/22/2008
61.	सीवरेज	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	विस्तृत भूमिगत सीवरेज स्कीम	28 जून, 07	37712.88	18856.44	4714.11	25	7/31/2007
62.	सीवरेज	तमिलनाडु	मदुरै	फेज-3 क्षेत्र के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम तथा मौजूदा सीवरेज प्रणाली का नवीकरण	20 जुलाई, 07	22934.00	11467.00	2866.75	25	8/23/2007
63.	सीवरेज	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा में उत्तरी और पश्चिमी जोन में सीवर लाइनों के लिए यमुना कार्य योजना फेज-2	26 अक्तूबर, 07	2162.00	1081.00	270.25	25	12/20/2007
64.	सीवरेज	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर के लिए सीवरेज कार्य (आंतरिक मुख्य क्षेत्र)	6 दिसम्बर, 07	19088.22	9544.11	2386.03	25	08/01/2008 और 17/03/08
65.	सीवरेज	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ सीवरेज जिला-1 (खंड-1 और 2) के लिए सीवरेज कार्य	17 अगस्त, 07	23623.00	11811.50	2952.87	25	10/3/2007
66.	सीवरेज	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ सीवरेज जिला-3 पार्ट-1 के लिए सीवरेज कार्य	21 नवम्बर, 08	26216.00	13108.00	0.00	0	
67.	सीवरेज	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर के लिए सीवरेज शोधन	30 अक्तू, 08	10100.45	5050.22	0.00	0	
68.	सीवरेज	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता सीवर प्रणाली का सुधार फेज-1	19 सित., 06	9712.00	3399.20	849.80	25	10/13/2006
69.	सीवरेज	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता के लिए मैन एंट्री ब्रीक सीवर प्रणाली का सुधार	25 अक्तू., 06	40291.00	14101.85	3525.46	25	08/01/2008 और 20/12/06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	सीवरेज	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	साल्ट लेक में नया दीर्घतल औद्योगिक टाउनशीप के अंतर्गत सैक्टर-5 में जल निकासी और सीवरेज प्रणाली (पार्ट-2 सीवरेज प्रणाली) का विकास और प्रबंधन	19 सितम्बर, 08	3407.15	1192.50	298.13	25	24.10.08
71.	सीवरेज	कर्नाटक	बंगलौर	दासराहल्ली शहर नगर पालिका परिषद के लिए भूमिगत सीवरेज प्रणाली और सड़क सुधार (जल निकासी जोन-7 और 8)	14 अक्तूबर, 08	13657.00	4780.00	0.00	0	
73.	सीवरेज	कर्नाटक	बंगलौर	महादेवपुरा शहर नगर पालिका परिषद के लिए भूमिगत सीवरेज प्रणाली और सड़क सुधार (जल निकासी जोन-3)	14 अक्तूबर, 08	11018.00	3856.00	0.00	0	
74.	सीवरेज	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई महानगरपालिका के लिए सीवरेज सुविधायें	30 अक्तू., 08	5745.00	2011.00	-	-	-
				कुल		907019.38	439867.83	107394.18		

विवरण II

यूआईडीएसएसएमटी: राज्यवार/वर्षवार मंजूर जल आपूर्ति व सीवरेज परियोजनायें तथा जारी एसीए (10.12.2008 तक) (वर्तमान वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्ष के दौरान)

क्र.सं.	राज्य	घटक						जारी कुल एसीए		
		जल आपूर्ति		सीवरेज		बरसाती पानी की नाली		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	कुल
		सं.	जारी एसीए	सं.	जारी एसीए	सं.	जारी एसीए			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2005-06					
1.	आंध्र प्रदेश	5	49.20	-	-	-	-	49.20	-	49.20
2.	गुजरात	9	24.44	-	-	-	-	24.44		24.44
3.	राजस्थान			1	1.33			1.33		1.33
	उप योग	14	73.64	1	1.33	0	0.00	74.97	0.00	74.97
					2006-07					
1.	आंध्र प्रदेश	25	143.72	6	87.92	5	14.92	246.56		246.56
2.	असम	1	4.91			3	8.73	13.64		13.64
3.	छत्तीसगढ़	3	24.47					24.47		24.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	गुजरात	25	60.03					60.03		60.03
5.	हिमाचल प्रदेश					2	1.04	1.04		1.04
6.	जम्मू-कश्मीर	6	42.64			7	34.46	77.10		77.10
7.	केरल	2	28.41					28.41		28.41
8.	कर्नाटक	5	17.88	8	22.85	1	21.00	61.73		61.73
9.	मध्य प्रदेश	17	66.44	5	6.24	1	0.11	72.79		72.79
10.	महाराष्ट्र	10	44.57	4	29.32	1	22.12	96.01		96.01
11.	उड़ीसा	1	2.09	1	1.28			3.37		3.37
12.	राजस्थान	1	20.61	3	16.17	4	4.68	41.46		41.46
13.	तमिलनाडु	35	75.81	2	3.93	1	1.37	81.11		81.11
14.	उत्तर प्रदेश	7	30.69	3	70.51			101.20		101.20
15.	पश्चिम बंगाल	10	49.64					49.64		49.64
	उप योग	148	611.91	32	238.22	25	108.43	958.56	0.00	958.56

2007-08

1.	आंध्र प्रदेश	आंशिक शेष	167.71	आंशिक शेष	34.54	आंशिक शेष	20.62	222.87		222.87
2.	असम	2	3.68			8	12.78	16.46		16.46
3.	छत्तीसगढ़			1	42.85			42.85		42.85
4.	गुजरात	7	26.79					26.79		26.79
5.	हिमाचल प्रदेश					1	3.20	3.20		3.20
6.	हरियाणा		1		18.99			19.99		19.99
7.	झारखंड	2	33.45					33.45		33.45
8.	जम्मू-कश्मीर	आंशिक शेष	11.5			8	9.29	20.79		20.79
9.	केरल	आंशिक शेष	26.43	1	20.66			47.09		47.09
10.	कर्नाटक	आंशिक शेष	35.69	आंशिक शेष+2 नये	5.95	आंशिक शेष+2 नये	9.38	51.02		51.02
11.	मध्य प्रदेश	आंशिक शेष+6 नए	105.14					105.14		105.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	महाराष्ट्र	आंशिक शेष+1 नया	101.75					101.75		101.75
13.	मणिपुर	1	6.45					6.45		6.45
14.	उड़ीसा	आंशिक शेष+1 नया	11.94	आंशिक शेष	1.19			13.13		13.13
15.	पंजाब	1	10.57	5	65.30			75.87		75.87
16.	राजस्थान	आंशिक शेष	1.78	2	25.59	आंशिक शेष+1 नये	3.62	30.99		30.99
					1.30				1.30	1.30
17.	सिक्किम	1	7.35					7.35		7.35
19.	तमिलनाडु	आंशिक शेष	89.09	आंशिक शेष+2 नये	4.91			94.00		94.00
20.	उत्तर प्रदेश	आंशिक शेष+6 नए	49.43	आंशिक शेष+1 नये	33.72			83.15		83.15
21.	पश्चिम बंगाल	आंशिक शेष+3 नए	15.79	1	5.01	आंशिक शेष+2 नये	20.43	41.23		41.23
	उप योग	31	705.54	14	260.01	12	79.32	1043.57	1.30	1044.87
					2008-09 (10.12.2008 तक)					
1.	असम					8	12.29	12.29		12.29
2.	गुजरात	16	48.03					48.03		48.03
3.	कर्नाटक	6	70.33	1	3.47			73.8		73.8
4.	मध्य प्रदेश	3	26.4					26.4		26.4
			3.50							
5.	महाराष्ट्र	6	57.89	2	38.01			95.9		95.9
								3.50	3.5	
6.	राजस्थान	2	39.4	5	67.2			106.6		106.6
7.	तमिलनाडु			3	48.78			48.78		48.78
		14	72.73						72.73	72.73
8.	उत्तर प्रदेश	10	63.93					63.93		63.93
9.	पश्चिम बंगाल	3	51.59					51.59		51.59
	उप योग	60	433.8	11	157.46	8	12.29	527.32	76.23	603.55
	सकल योग	253	1824.89	58	657.02	45	200.04	2604.42	77.53	2681.95

विवरण III

वर्ष 2005-06 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान तथा जारी धनराशि के ब्यौरे

(लाख रु.)

क्र.सं.	स्कीम/राज्य	मंजूर राशि	जारी राशि
1.	कस्बा मास्टर प्लान क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के साथ बरसाती पानी की निकासी स्कीम (फेज-1 (निष्पादन एजेंसी-राज्य सरकार	671.09	223.70
2.	सेरपा कस्बा, अरुणाचल प्रदेश के लिए जल आपूर्ति का संवर्द्धन (निष्पादन एजेंसी-राज्य सरकार)	826.20	275.40
3.	कोहिमा, नागालैंड में जल निकासी और बचाव कार्य (निष्पादन एजेंसी-राज्य सरकार)	333.23	166.62
4.	नामसाई बरसाती पानी की स्कीम, अरुणाचल प्रदेश (निष्पादन एजेंसी-राज्य सरकार)	237.05	79.02

वर्ष 2006-07 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान तथा जारी धनराशि के ब्यौरे

(लाख रुपये)

क्र.सं.	स्कीम/राज्य	मंजूर राशि	जारी राशि
1	2	3	4
1.	धेमाजी, असम के लिए जल निकासी प्रणाली (निष्पादन एजेंसी-राज्य सरकार)	1095.30	365.10
2.	सिलचर बरसाती पानी की निकासी परियोजना (फेज-1) असम (निष्पादन एजेंसी-एनबीसीसी)	1700.70	425.18
3.	नाहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश में बरसाती पानी की निकासी स्कीम (राज्य सरकार)	656.13	218.78

1	2	3	4
4.	तिनसुकिया मास्टर प्लान क्षेत्र, बरसतानी पानी की निकासी स्कीम फेज-1, असम (राज्य सरकार)	1252.00	417.00
5.	मोकोक चुंग, नागालैंड में सफाई और कचरा बाक्स का निर्माण (राज्य सरकार)	78.91	39.46

वर्ष 2007-08 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान तथा जारी धनराशि के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र.सं.	स्कीम/राज्य	मंजूर राशि	जारी राशि
1.	करीमगंज बरसाती पानी की निकासी स्कीम (फेज-1), असम का निर्माण (राज्य सरकार)	1065.21 (90%)	355.07
2.	गंगटोक, सिक्किम में सीवरेज नेटवर्क और 6 मील) का विस्तार	474.08 (90%)	158.03

राष्ट्रीय महिला कोष

2010. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा व्यक्तियों/समूहों को कितनी निधि संस्वीकृत तथा संवितरित की गई; और

(ख) उपर्युक्त ऋणों की वसूली की स्थिति क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय महिला कोष व्यक्तियों तथा समूहों को सीधे तौर पर ऋण स्वीकृत/वितरित नहीं करता है। यह कोष गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक एजेंसियों, राज्य महिला विकास निगमों, महिला सहकारी समितियों, राज्य सरकारों के अभिकरणों, जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, नगर परिषदों आदि जैसे मध्यस्थ संगठनों द्वारा आगे महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए उन्हें ऋण देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा मध्यस्थ संगठनों को स्वीकृत एवं वितरित की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	स्वीकृत	वितरित
2005-06	19.37	20.68
2006-07	29.21	24.11
2007-08	33.89	25.58

(ख) वसूली की स्थिति* इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	बकाया	वसूली
2005-06	5.31	4.68
2006-07	5.91	5.45
2007-08	6.59	6.92

*प्राप्त सूचना संचयी न हो कर उपर्युक्त वर्षों से संबंधित है।

सती प्रथा

2011. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इसकी जानकारी है कि देश के कई भागों में सती प्रथा अब भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किये गये?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के तहत "सती प्रथा" का निषेध किया गया है। वर्ष 2003 से 2007 के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2005 में सती होने की केवल एक घटना की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

राज्यों को सहायता

2012. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को विदेशी सहायता सहित दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत उपयोग नहीं की गई धनराशि का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों ने कितनी राशि का उपयोग प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के पास प्रस्तुत नहीं किया है; और

(घ) उन राज्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है जिन्होंने उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 2005-06 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र में कुल 1,12,167.71 करोड़ रुपये की केन्द्रीय योजना सहायता जारी की गई थी, जिसमें से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.) के लिए 25,144.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। विगत तीन वर्षों में ई.ए.पी. के तहत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) विभिन्न स्कीमों के तहत् राज्य सरकारों को जारी केन्द्रीय सहायता संबंधित दिशानिर्देश द्वारा शासित होती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें निधियों के उपयुक्त उपयोग हेतु संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अपने-अपने संबंधित राज्य विधान मंडलों के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

विवरण

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत् जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	801.81	620.17	1377.84
2.	अरुआचल प्रदेश	7.04	5.14	3.60
3.	असम	479.10	90.99	414.39
4.	बिहार	0.00	0.93	465.75
5.	छत्तीसगढ़	31.93	124.91	247.51

1	2	3	4	5
6.	गोवा	0.00	1.59	0.19
7.	गुजरात	978.24	417.70	281.31
8.	हरियाणा	29.34	38.50	97.43
9.	हिमाचल प्रदेश	39.46	32.28	452.18
10.	जम्मू-कश्मीर	37.49	43.03	101.42
11.	झारखंड	2.06	12.44	16.75
12.	कर्नाटक	912.35	916.21	1004.41
13.	केरल	335.84	309.40	512.58
14.	मध्य प्रदेश	420.31	724.52	780.63
15.	महाराष्ट्र	605.66	499.60	417.64
16.	मणिपुर	2.92	15.53	17.14
17.	मेघालय	14.81	10.07	9.44
18.	मिजोरम	37.29	38.10	80.56
19.	नागालैंड	5.76	6.50	5.08
20.	उड़ीसा	70.06	842.2	235.92
21.	पंजाब	31.39	24.79	276.56
22.	राजस्थान	524.78	500.05	624.31
23.	सिक्किम	7.14	7.69	9.23
24.	तमिलनाडु	491.14	474.05	1037.25
25.	त्रिपुरा	3.41	4.27	4.02
26.	उत्तर प्रदेश	424.89	528.18	526.97
27.	उत्तराखण्ड	34.82	47.95	85.67
28.	पश्चिम बंगाल	1009.07	1104.42	1279.23
	कुल	7338.10	7441.32	10365.02

विदेशी वाणिज्यिक उधार

2013. श्री नीरज शेखर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान नियमों के अंतर्गत विदेशी वाणिज्यिक उधार के आवेदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति आवश्यक होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उधारकर्ताओं से कितने आवेदन प्राप्त और स्वीकृत किये गये;

(ग) ऐसे आवेदनों की स्वीकृति तथा अस्वीकृत किये जाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(घ) सरकार विदेशी वाणिज्यिक उधार लेने वालों को स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना किस प्रकार देती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार दो मार्गों अर्थात स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग, के तहत प्राप्त किये जा सकते हैं। पात्र उधारकर्ताओं द्वारा विदेशी मुद्रा और/अथवा भारतीय रुपयों में अनुमत अंतिम उपयोग के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर तक के विदेशी वाणिज्यिक उधार स्वचालित मार्ग के तहत प्राप्त किये जा सकते हैं। विदेशी वाणिज्यिक उधारों के ऐसे आवेदक जो स्वचालित मार्ग के तहत शामिल नहीं किये गये हैं और स्वचालित मार्ग के तहत उधार लेने के लिए पात्र नहीं है, अनुमोदन मार्ग के तहत रिजर्व बैंक को अनुरोध [illegible] हैं। रिजर्व बैंक ने अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उधारकर्ताओं से प्राप्त और अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमोदित आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1.	जुलाई, 2005 से जून, 2006	74	53*
2.	जुलाई, 2006 से जून, 2007	67	58*
3.	जुलाई, 2007 से जून, 2008	349	217*
4.	जुलाई, 2008 से आज तक	110	107*

*शेष आवेदन-पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है अथवा उन पर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

(ग) विदेशी वाणिज्यिक उधार के दिशा-निर्देश इन आवेदन पत्रों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का आधार होते हैं। यह सुनिश्चित करना संबंधित उधारकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी है कि मांगा गया/उपयोग किया गया विदेशी वाणिज्यिक उधार विदेशी वाणिज्यिक उधारों से संबंधित दिशा-निर्देशों और रिजर्व बैंक के विनियमों/निर्देशों के अनुरूप है। नामित प्राधिकृत डीलर बैंक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रमाणन के समय यह सुनिश्चित करे कि विदेशी वाणिज्यिक उधार की मांग/उपयोग विदेशी वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(घ) पात्र उधारकर्ता प्राधिकृत डीलर के माध्यम से फार्म सं. 83 भर कर तथा रिजर्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करके स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी वाणिज्यिक उधार प्राप्त कर सकते हैं। उधारकर्ताओं द्वारा अनुमोदन मार्ग के तहत विदेशी वाणिज्यिक उधार रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर फार्म सं. 83 भर कर प्राप्त किया जा सकता है। जिन उधारकर्ताओं के आवेदन-पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाता है उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा उचित रूप से सलाह दी जाती है।

उद्योगों का ऋण बट्टे खाते में डालना

2014. **श्री ई. दयाकर राव:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा उद्योगों से संबंधित बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बैंक की अनुप्रयोज्य आस्ति (एनपीए) खातों की बट्टे खाते डाली गई राशि उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, या तो उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान के रूप में होती है अथवा जहां, ऋण को "हानि" आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा पूछे गए ढंग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान समझौता सहित बट्टे खाते डाली गई राशि का बैंक समूह-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

बैंक समूह	31.3.2006	31.3.2007	31.3.2008
सरकारी क्षेत्र के बैंक	8,833	9,423	8,021
गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंक	1,409	1,232	1,577
गैर-सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक	544	618	724
विदेशी बैंक	905	590	1,339
योग	11,691	11,863	11,661

इसके अतिरिक्त, तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों में भी, जिन मामलों में कुछ राशि की वसूली की कोई गुंजाइश होती है, बैंक अपने वसूली प्रयास जारी रखता है।

जनजातीय महिलाओं का शोषण

2015. श्री ए. साई प्रताप: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बड़े शहरों में नौकरानी के रूप में कार्यरत दक्षिण राज्यों की जनजातीय महिलाओं के शोषण के बढ़ते मामलों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) बड़े शहरों में नौकरानी के रूप मे कार्यरत दक्षिणी राज्यों की जनजातीय महिलाओं के शोषण के बढ़ते मामलों को दर्शाने वाली रिपोर्ट विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्थिति के अध्यन तथा उपचारात्मक सुझावों के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी कुछ महिलाओं की पीड़ा से अवगत है तथा नियोजन एजेंसियों की कार्यप्रणाली को नियमित करने के लिए तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और जनजातीय महिलाओं सहित घरेलू कामगारों के अन्य लाभों के लिए दो मसौदा विधेयक का अंतिम रूप प्रक्रियाधीन है।

कम्पनियों का परिसमापन

2016. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पणधारकों के हितों की रक्षा के लिए कम्पनियों के परिसमापन की प्रक्रिया को त्वरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार कितनी कम्पनियां परिसमापनाधीन हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) कम्पनी विधेयक, 2008 को संसद में दिनांक 23.10.2008 को पुर: स्थापित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किसी कम्पनी के कार्यों के समापन और परिसमापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रस्ताव सम्मिलित हैं।

(ग) दिनांक 31.10.2008 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के भिन्न-भिन्न उपबंधों के अंतर्गत 5931 कम्पनियां समापनाधीन थीं।

विद्युत क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग

2017. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेपाल के साथ विद्युत उत्पादन और उसे आपस में बांटने से संबंधित किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने महाकाली नदी पर

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए फरवरी, 1996 में नेपाल के साथ महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किये हैं। इस संधि के मुख्य प्रावधान ये हैं: (1) पंचेश्वर परियोजना से उत्पादन होने वाली कुल बिजली में भारत और नेपाल का समान हिस्सा होगा। (2) भारत सरकार टनकपुर पावर हाउस से नेपाल को प्रतिवर्ष 70 मिलियन किलोवॉट आवर्स (यूनिटें) बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी कालोनियों की जीर्ण-शीर्ण दशा

2018. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर वसंत बिहार में सीपीडब्ल्यूडी कालोनियां अपनी जीर्ण-शीर्ण दशा के कारण निवासियों के जान-माल के लिए खतरा बन गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सीपीडब्ल्यूडी के रखरखाव के अधीन सरकारी क्वार्टर्स के कुछ भवन तत्व कभी-कभी संकट की स्थिति दर्शाते हैं। वसंत विहार कॉलोनी में मकानों की कुछ अवसंरचनागत मरम्मत की आवश्यकता है जैसेकि शार्टक्रिटिंग, प्लास्टर, छज्जा, सीढ़ियां इत्यादि। इन मकानों की विशेष मरम्मत शुरू हो चुकी है।

[अनुवाद]

सुधार गृह

2019. श्रीमती मिनाती सेन:
श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री किरिप चालिहा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुधार गृहों की दयनीय स्थिति ने उन्हें एक ऐसा स्थल बना दिया है जहां रहने वाले बालक-बालिकाएं और अधिक अपराध और किशोर अपराध के लिए प्रेरित होते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन सुधार गृहों में स्वच्छता की कमी के कारण कई किशोर तपेदिक जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास इस विषय में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। वर्ष 2006 में संशोधित किये गये किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत तैयार की गई मॉडल नियमावली, 2007 के अध्याय 6 में पर्यवेक्षण गृहों की भौतिक अवसंरचना तथा इन गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं निर्धारित की गई हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम की धारा 58 में यह उपबंध है कि यदि बच्चे कुष्ठ रोग, यौन रोग, हैपीटाइटस बी, क्षयरोग तथा ऐसे अन्य किसी रोग से पीड़ित पाए जाएं अथवा उनकी मानसिक स्थिति ठीक न हो तो विभिन्न विशिष्ट रेफरेल सेवाओं के माध्यम से उनकी अलग से सहायता की जाए। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उक्त अधिनियम और इसकी मॉडल नियमावली के उपबंधों के अनुसार इन गृहों का संचालन करना होता है।

स्टॉक एक्सचेंज में निवेश सीमा

2020. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनन्द राव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में किसी एक निवेशक द्वारा वर्तमान निवेश सीमा को बढ़ाने की संभावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या किसी निवेशक के लिए सीमा बढ़ाने पर आम सहमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि शेयरधारकों की छः श्रेणियों, नामतः लोक वित्तीय संस्थाएं, स्टॉक एक्सचेंज, निक्षेपागार, समाशोधन निगम, बैंक और बीमा कंपनियां, को संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 15% तक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, धारित करने की अनुमति दी जाए। निवेशकों की उपर्युक्त छः श्रेणियों के अलावा, कोई भी शेयरधारक विद्यमान मानदंडों के अनुसार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी स्टॉक एक्सचेंज की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का अधिकतम 5% धारित कर सकता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम

2021. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की है कि हिन्दू विवाह अधिनियम परिवारों को जोड़ने के बजाए उन्हें तोड़ रहा है जैसाकि दिनांक 18 जून, 2008 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां।

(ख) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त संप्रेक्षण गौरव नागपाल द्वारा अपने अवयस्क पुत्र की अभिरक्षा की मांग करते हुए फाइल किये गये मामले की सुनवाई के दौरान साधारण संप्रेक्षण के रूप में किया था, किंतु माननीय न्यायालय ने सरकार को कोई निदेश जारी नहीं किया था, इसलिए सरकार द्वारा किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है।

राज्यों द्वारा आर.आर.बी. से जमा राशि आहरण

2022. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से जमा राशि आहरित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि इस कार्रवाई से आरआरबी बड़ी मात्रा में न्यून लागत जमा राशि से वंचित हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो बदहाली के कगार पर पहुंचे आरआरबी को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ऐसे किसी भी मामले की सूचना नहीं दी गई है। तथापि, कुछ राज्य सरकारें अपनी जमाराशियां केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को परामर्श दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए विभिन्न विभागों को समुचित निदेश जारी करने के लिए, वे उचित प्राधिकारियों के साथ इस मसले पर विचार-विमर्श करें और व्यवसाय/जमाराशियों का एक उचित हिस्सा देने के जरिए उन्हें प्रोत्साहित करें।

आरआरबी को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किये गये हैं:

(1) राज्य स्तर प्रायोजक बैंक-वार आरआरबी का समामेलन। समामेलित आरआरबी को बड़े परिचालन क्षेत्र और बढ़ी हुई ऋण एक्सपोजर सीमाओं का लाभ मिलेगा।

(2) चरणबद्ध तरीके से कमजोर आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण।

(3) गैर-निधि आधारित व्यवसायिक कार्यकलापों जैसे कि बीमा पालिसियों का विक्रय, पेंशन का संवितरण, वेतन, आदि को बढ़ाना और आय सृजन को बढ़ाने के लिए सरकारी व्यवसाय को देखना।

(4) आरआरबी को विदेशी मुद्रा गैर-निवासी (एफसीएनआर) जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति देना।

(5) आरआरबी को संघीय उधार देने की अनुमति देना।

आयातित कारों की जब्ती

2023. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल ही में देश में तस्करी कर लायी गयी बड़ी संख्या में ऐसी आयातित कारों को जब्त किया है जिनके लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर इस ढंग से पेश किया गया कि वे कानून सम्मत लगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी घटनाक्रमों को रोकने हेतु कदम उठाना सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के लिए विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	जब्त की गई कारों की संख्या	जब्त की गई कारों का मूल्य	अन्तर्निहित विभेदक सीमा शुल्क
2005-06	104	34.20	19.62
2006-07	82	22.02	7.15
2007-08	22	16.24	7.26
2008-09 (सितम्बर, 2008 तक)	19	3.76	2.15

(ग) और (घ) ऊपर (ख) में दिये गये विवरण के अनुसार सीमाशुल्क, अधिनियम 1962 के उपबंधों के तहत कार्रवाई आरंभ की गई थी और शुल्क की मांग करने व जुर्माना/अर्थदंड लगाने हेतु चूककर्ता आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अयथार्थ तथ्यों के द्वारा कानूनी माध्यमों से देश में आयातित कारों की तस्करी को रोकने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों को सुग्राही बना दिया गया है और सतर्क कर दिया गया है।

कृषि बैंक खाता

2024. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नए कृषि खाते खोलने हेतु बैंकों द्वारा बैंकवार क्या लक्ष्य निर्धारित व प्राप्त किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): विगत तीन वर्षों के दौरान नए कृषि खातों के संबंध में लक्ष्य और प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

(लाख रुपए)

क्र.सं.	वर्ष	2005-06		2006-07		2007-08	
	अभिकरण	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	वाणिज्यिक बैंक	50	47.27	50	50.77	50	55.25
2.	सहकारी बैंक		14.43		12.81		9.83
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		17.03		19.92		20.11
	कुल	50	78.73	50	83.50	50	85.19

वर्ष 2008-09 के दौरान (अक्तूबर 2008 तक) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 38 लाख नए किसान खाते खोले जा चुके हैं।

आयकर दर की समीक्षा

2025. श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा': क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को 800 रुपये प्रति माह तक परिवहन भत्ता आयकर से छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छठे केन्द्रीय वेतन आयोग रिपोर्ट के कार्यान्वयन के मद्देनजर 3200 रुपये तक के परिवहन भत्ते और उस पर मिलने वाले महंगाई भत्ते तक छूट की सीमा बढ़ाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 3200 रुपए प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते तथा उस पर महंगाई भत्ते की छूट सीमा में वृद्धि करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित के मद्देनजर व्यवहार्य नहीं समझा गया है:

(1) परिवहन भत्ता वैयक्तिक भत्ता है तथा सभी वैयिक्तक भत्ते (वेतन समेत) कर्मचारी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के स्वरूप के हैं तथा इसलिए वे कराधेय होते हैं। सिद्धान्त के रूप में, कर संव्यवहार ऐसे सभी भत्तों एवं बुनियादी वेतन के मामले में निष्पक्ष होना चाहिए।

(2) वित्त वर्ष 2005-06 से, कर निर्धारिती को मजूंर किये गये कुल वैयक्तिक भत्तों में भारी वृद्धि हुई है जिन्हें आयकर से छूट प्राप्त है। मुद्रास्फीति के कारण अपेक्षित समायोजन की यह वृद्धि काफी अधिक है।

(3) अधिकतम 800 रुपए प्रतिमाह (9600 रुपये प्रति वर्ष) तक के परिवहन भत्ते पर छूट जारी रहेगी। फलस्वरूप कनिष्ठ स्तर के कर्मचारी 800 रुपये प्रतिमाह से अधिक परिवहन भत्ते की कराधेयता से अत्यधिक प्रभावित नहीं होंगे।

(4) वैयक्तिक आयकर की दरों के स्लेब में विस्तार करके सभी आय श्रेणी के करदाताओं की पिछले चार वर्षों में काफी राहत प्रदान की गई है। इस तरह के पुनर्गठन से करदाताओं को काफी कर राहत प्राप्त हुई है।

(5) छूट सीमा में वृद्धि से सरकार को राजस्व का काफी नुकसान होगा।

सनदी लेखाकार फर्में

2026. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सनदी लेखाकार फर्मों को विदेश में अपना व्यवसाय करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) सनदी लेखाकार सदस्यों/फर्मों पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 19 के अंतर्गत भारत से बाहर प्रैक्टिस करते हुए प्रैक्टिस का ग-पत्र धारित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं बशर्ते कि संबंधित बाहरी देश द्वारा इस कार्य के लिए अनुमति प्रदान की जा रही है।

वनों, राष्ट्रीय उद्यानों इत्यादि में रह रहे जनजातीय लोग

2027. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन भूमि पर रह रहे जनजातीय लोगों के उत्पीड़न के मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार देश में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय उद्यानों/रिजर्व/अभ्यारण्यों में रह रहे जनजातीय लोगों का पुनर्वास करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.रामेश्वर उरांव): (क) मंत्रालय को ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, पहले अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को निर्धारित करना है तथा उनके कब्जे

की वन भूमि पर ये अधिकार उन्हें सौंपना है, इसमें राष्ट्रीय उद्यानों/आरक्षित वनों/अभ्यारण्यों में रहने वाले शामिल हैं। जब तक यह नहीं हो जाता राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास में भी बेदखली की अनुमति नहीं है। तथापि, अधिनियम की धारा 4(2) में उल्लिखित कार्यविधि के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास में वन अधिकारों में संशोधन अथवा पुन:स्थापन का प्रावधान है।

[हिन्दी]

जटरोफा की खेती

2028. श्री रामजीलाल सुमन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को देश में परती भूमि पर जटरोफा की खेती करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी खेती की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और लाभ की जांच के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. ने जटरोफा की खेती, बायो-डीजल प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने तथा टिशू कल्चर विकास के लिए जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, उत्तरांचल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह जटरोफा पौधरोपण के लिए मानक प्रक्रिया आरंभ करने हेतु मुख्यत: अनुसंधान एवं विकास (आर. एण्ड डी.) परियोजना है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में जटरोफा के पौधरोपण तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के संबंध मे व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है और यह 15000 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर जटरोफा की खेती के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तथा छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (सी.आर.ई.डी.ए.) के साथ शीघ्र ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना तैयार कर रहा है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आर. एण्ड डी.) ने विभिन्न वनस्पति तेलों, जिसमें जटरोफा करकास, कारंजिया, ताड़, धान की भूसी, सूर्यमुखी आदि से प्राप्त तेल शामिल है, के मानक ईंधन विनिर्देशन (ए.एस.टी.एम.डी. 6751 या आई.एस. 15607) को पूरा करने के लिए बायो-डीजल तैयार करने की संश्लिष्ट प्रक्रिया को इशष्टतम बना दिया है। इस प्रक्रिया को आई.सी.सी. अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के प्रायोगिक संयंत्र मे आगे बढ़ाया गया है और विभिन्न वनस्पति तेलों का प्रयोग करके भारी तादाद में 60 कि.ग्रा. बैचों का बायो-डीजल तैयार किया गया है।

विकसित की गई प्रौद्योगिकी मैसर्स वीनस इथोजाइहेर्स, गोवा, मेसर्स के.एफ. टेक्नोलाजी लि., कोलकाता को गैर अनन्य आधार पर तथा नाम मात्र के प्रौद्योगिकी शुल्क तथा रॉयल्टी बांटने के आधार पर दी गई है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बायो-डीजल के महत्व की पूर्ण श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस तर्ज पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने गुजरात में सुरेन्द्रगढ़ में रेलवे की 62 हैक्टेयर भूमि पर पौधरोपण आरंभ किया है। इस स्तल पर जटरोफा के लगभग एक लाख पचास हजार पौधे लगाये गये हैं। यह परियोजना देश में अपने प्रकार की एक ऐसी परियोजना है, जहां जटरोफा बायो डीजल के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाएगा। यह परियोजना वर्ष 2004 में आरंभ की गई है। आशा है कि जटरोफा के बीजों का उत्पादन इस वर्ष के अंत से आरंभ हो जाएगा।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हरियाणा रोडवेज के साथ संयुक्त रूप से अप्रैल, 2004 में गुड़मांव डिपो की 40 बसों पर क्षेत्र स्तरीय परीक्षण आरंभ किया है। बीस बसें 5% बायो डीजल डीजल मिश्रण से चलायी गई थी और उनके धुएं, ईंधन क्षमता तथा संचालनीयता की तुलना अन्य 20 बसों से की गई थी। बायो-डीजल के प्रयोग से धुएं की सघनता में 10-15% की कमी देखी गयी है।

ये परीक्षण डीजल में 5%, 10% तथा 20% बायो-डीजल मिश्रण के साथ 16 सिलिन्डर पर किये गये हैं। इसके अलावा पॉवर, ईंधन की विशिष्ट खपत, फायरिंग प्रेसर, निर्वातक गैस तापमान के संबंध मे डीजल लोकोमोटिव इंजन बनाया गया है। परीक्षण के रूप में शताब्दी तथा जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनो को 5% तथा 10% बायो डीजल पर चलाया गया है। इसके अलावा लखनऊ से होकर चलने वाली अन्य ट्रेनों पर बायो परीक्षण आरंभ करने की योजना है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने टाटा मोटर्स के साथ संयुक्त रूप से पुणे में टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए लगायी गई 43 बसों पर 10% बायो-डीजल-डीजल मिश्रण का प्रयोग करके क्षेत्र स्तरीय अध्ययन पूरा किया है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ऊर्जा फसल पौधरोपण आरंभ करके बायो-डीजल उत्पादन की योजना तैयार की है। इस प्रयोजन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने मध्य प्रदेश में 30000 हैक्टेयर वनेतर बंजरभूमि के लिए आवेदन किया है। अभी तक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन को मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला में 2000 हैक्टेयर का आवंटन प्राप्त हो गया है। राज्य में बायो-डीजल व्यापार आरंभ करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने संयुक्त उपक्रम तैयार करने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 19.11.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

(ग) जटरोफा के समेकित विकास के लिए विभिन्न शोधजनक मुद्दों के समाधान हेतु जटरोफा पर एक राष्ट्रीय नेटवर्क का गठन किया गया था जिसमें राज्य के कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद् के संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान परिषद्, ऊर्जा अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल किये गये और यह नवम्बर, 2004 से कार्य कर रहा है।

(घ) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप जटरोफा के केंडिडेट प्लस ट्रीज (सी.पी.टी.एस.) (सं. 2399) का पता लगाया गया है और इन्हें भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक, नई दिल्ली में निम्न ताप पर संरक्षित किया गया है। इन पता लगाये गये सी.पी.टी.एस. का परीक्षण किया जा रहा है और इन्हें क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परीक्षणों के तहत परखा जा रहा है। संकरण एवं बैंक-क्रॉसिंग के माध्यम से अंतर-विशिष्ट संकर बीजों को विकसित किया जा रहा है। आकृति मूलक विशेषताओं में व्यापक भिन्नता दर्ज की गई है। कार्यविधियों के अवस्थिति विशिष्ट पैकेज को मानकीकृत किया जा रहा है। डी.एन.ए. निष्कर्षण एवं डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग के लिए प्राइमरों की स्क्रीनिंग हेतु जटरोफा के उन्नत सम्मिश्रण का प्रयोग किया गया है।

[अनुवाद]

सिगरेट विनिर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन

2029. श्री कीर्ति वर्धन सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुक्तालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, फरीदाबाद ने सिगरेट विनिर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भारी अपवंचन का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्ग्रस्त शुल्क सहित उनमें से प्रत्येक से वसूले गये शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या इस मामले में कोई सतर्कता जांच हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एम. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, फरीदाबाद ने कुछ ऐसे मामलों का पता लगाया है जिसमें सिगरेट विनिर्माताओं ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन किया है। हालांकि अपवंचन के केवल दो मामलों का पता चला है जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक की मांग निहित है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किये गये मामलों की संख्या और उनमें निहित राशि को निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	निहित शुल्क (लाख रुपये)
2006-07	4	17.32
2007-08	10	63.21
2008-09 (नवम्बर, 2008 तक)	1	108

उन दो मामलों का ब्यौरा, जिनमें 50 लाख रुपये या इससे अधिक शुल्क निहित है, नीचे दिया गया है:

(1) मैसर्स यश टुबैको: सिगरेट को छिपाकर हटाने का एक मामला दिनांक 11.3.2008 को दर्ज किया गया है। जांच पूरी होने पर दिनांक 9.9.2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके तहत 42,72,038 रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग की गई थी। पक्षकार ने शुल्क और इस पर ब्याज समेत कुल 54,93,678 रुपये की राशि जमा कर दी गई है।

(2) मैसर्स पेलिकन टुबैको: कच्चे माल को अन्य प्रयोजनों में प्रयोग करने के लिए मैसर्स पेलिकन टुबैको कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दिनांक 21.4.2008 को एक मामला दर्ज किया गया है। उक्त इकाई द्वारा चोरी-छिपे माल को हटाये जाने के मामले में उसके खिलाफ जांच चल रही है। अभी तक 1.08 करोड़ रुपये के शुल्क अपवंचन का अनुमान है। इस ईकाई ने स्वेच्छा से 70 लाख रुपये का भुगतान किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

आई.आई.बी.एम., गुवाहाटी

2030. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में उपर्युक्त संस्थान में कितने शैक्षणिक और शिक्षकेत्तर पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) इस संस्थान में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस संस्थान में कितने अतिरिक्त पद सृजित किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी, ने सूचित किया है कि वह सेवारत बैंक अधिकारियों के लिए ऋण एवं जोखिम प्रबंधन; बैंकिंग परिचालन; व्यष्टि वित्त एवं विकास बैंकिंग; और प्रबंधन विकास, आदि को कवर करने वाले क्षेत्रों में 3-8 दिन की अवधि के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(ख) आईआईबीएम ने सूचित किया है कि, फिलहाल, संस्थान में कोई रिक्त पद (शैक्षणिक और अशैक्षणिक) नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आईआईबीएम का 11वीं योजनावधि के दौरान पदों को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

2031. **श्री कीरेन रिजीजू:**
श्री भाईलाल:
श्री उदय सिंह:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री काशीराम राणा:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री निखिल कुमार:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री रामदास आठवले:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी उच्च न्यायालयों को लिखा है कि संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने को बाध्य करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि देश में घूसखोरी के मामलों से निपटने के लिए पृथक् न्यायालय स्थापित करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने ऐसा उपबंध करने के विचार से सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को संबोधित अपने तारीख 14.10.2008 के पत्र द्वारा यह सिफारिश की थी कि ऐसे किसी न्यायिक अधिकारी को, जो अनुपयुक्त, निष्प्रभावी, अक्षम है या जिसकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद है, आल इंडियन जजेज एसोसिएशन के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के निबंधनों के अनुसार उसकी निरंतर उपयोगिता का मूल्यांकन करने से पूर्व ही सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकेगा। प्रथमत:, न्यायिक अधिकारियों द्वारा 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर मूल नियमों के नियम 56(ञ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और उसके पश्चात् जब वे 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, पुनर्विलोकन किया जाए। यह ऐसे मूल्यांकन के अतिरिक्त होगा, जिसे आल इंडियन जजेज एसोसिएशन के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के निबंधनों के अनुसार 58 वर्ष की आयु में किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह और लिखा कि यदि ऐसे किसी उपबंध को सही अर्थों में गंभीरता से कार्यान्वित किया जाता है तो वह विसामान्य आचरण पर रोक लगाएगा और साथ ही ऐसे न्यायिक अधिकारियों से छुटकारा दिलाएगा जो अकर्मण्य, निष्प्रभावी हैं अथवा संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले हैं।

(ग) और (घ) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 7 अप्रैल, 2008 के अपने पत्र द्वारा सरकार से यह अनुरोध किया था कि सीबीआई द्वारा अन्वेषित किये जाने वाले भ्रष्टाचार के मामलों का विचारण करने के लिए 69 अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किये जाएं।

यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

भूमि सुधार में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए उपबंध

2032. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन अनन्य रूप से संबंधित राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि सुधारों के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकारी और समन्वयकारी स्वरूप की ही है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों और राजस्व सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। भूमि सुधार कार्यक्रमों/ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है। तथापि, इस विषय पर उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श किया गया है। इस विषय के संबंध में व्यापक सिफारिशें प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित के गठन का निर्णय लिया गया है:

(1) ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति"।

(2) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्"।

समिति तथा परिषद् के संघटन, विचारार्थ विषय आदि को 9 जनवरी, 2008 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। 9 जनवरी, 2008 के संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय विशिष्ट रूप से जनजातीय भूमि के अंतरण और वन आश्रित जनजातियों के पारम्परिक अधिकारों से संबंधित मामलों को देखना है, जिनमें उन्हें ऐसी भूमि वापस दिलाने हेतु संगत कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन करना भी शामिल है। परिषद् द्वारा समिति की सिफारिशों के आधार पर भूमि सुधार के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत तथा नीति तैयार की जा सकती है। तथापि, इस प्रयोजन हेतु निश्चित समयावधि इंगित करना संभव नहीं है।

विवरण

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग 1—खण्ड 1
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 15] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2008/पौष 19, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

विषय: "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति" का गठन।

सं. 21013/4/2007-एल.आर.डी.-भूमि प्रशासन में बेहतर नियंत्रण तथा कृषि संबंधों का कारगर प्रबंधन, गरीबी में कमी लाने तथा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं। आर्थिक संवृद्धि और सतत् विकास की वांछित गति और स्तर को प्राप्त करने हेतु भूमि तथा भूमि से संबंधित सेवाओं की सामाजिक तौर पर न्यायोचित प्राप्ति और भूमि अधिकारों का संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

2. भूमि सुधार से अपवर्जन के मौजूदा स्वरूप को बदला जा सकता है ताकि गरीब व्यक्ति भूमि, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार तथा अन्य उत्पादनकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और वे उनकी जीविका को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सक्रिय भागीदार बन सकें।

3. भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य की जांच करने की दृष्टि से ''राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी एक समिति'' गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति का संघटन निम्नानुसार होगा:

1.	ग्रामीण विकास मंत्री	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय	–	सदस्य
3.	प्रो. ए.के. सिंह निदेशक, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	–	सदस्य
4.	श्री बी.के. सिन्हा, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।	–	सदस्य
5.	श्री के.बी. सक्सेना, भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार फ्लैट सं. 158, रास विहार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, प्लॉट सं. 99, पटपड़गंज, दिल्ली।	–	सदस्य
6.	प्रो. पी.के. झा, स्कूल ऑफ इकोनोमिक साइंसेज एण्ड प्लानिंग, जे.एन.यू, नई दिल्ली।	–	सदस्य
7.	श्री आर.सी. वर्मा 321, गुरु जाम्बेश्वर नगर, जयपुर, राजस्थान	–	सदस्य
8.	श्री सुभाष लोमटे नेशनल कैंपेन कमिटी फॉर रूरल वर्क्स, 125, समर्थ नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	–	सदस्य
9.	डॉ. टी. इक, अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि भवन, नई दिल्ली।	–	सदस्य
10.	श्री आचार्य राममूर्ति बी-173, पुलिस कॉलोनी, अनसाबाद, पटना-2, बिहार।	–	सदस्य

11.	श्री जगदानन्द सदस्य सचिव, सेंटर फॉर यूथ एण्ड सोशल डेवलपमेंट (सी.वाई.एस.डी.) ई-1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गंगाधर मेहर मार्ग, भुवनेश्वर-751013, उड़ीसा।	–	सदस्य
12.	सुश्री नीलिमा खेतान सेवा मंदिर, पुरा फतेहपुर उदयपुर-313004, राजस्थान	–	सदस्य
13.	श्री रामदयाल मुंडा, ग्राम-हात्मा (रांची कॉलेज के पीछे) मोरहाबादी, रांची-834008 झारखंड।	–	सदस्य
14.	सुश्री शशीकला अध्यक्ष, दलित बहुजन श्रमिक संघ, मकान सं. 1/48/79/87/01, बकराम नगर, गांधी नगर, हैदराबाद।	–	सदस्य
15.	श्री बी.के. पिपेरसेनीया प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, असम सरकार, दिसपुर-781006	–	सदस्य
16.	श्रीमती विलासनी रामचन्द्रन प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधी नगर-382010	–	सदस्य
17.	श्री एस.एम जामदार प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, कर्नाटक सरकार, एम.एस. बिल्डिंग, बंगलौर-560001	–	सदस्य
18.	श्रीमती नीता चौधरी प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, बापू भवन, लखनऊ	–	सदस्य
19.	डॉ. पी.के. अग्रवाल प्रधान सचिव, भूमि तथा भूमि सुधार विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता-700001	–	सदस्य

20. अपर सचिव, सदस्य सचिव
भूमि संसाधन विभाग,
ग्रामीण विकास मंत्रालय।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:

(1) देश में फालतू घोषित की गई भूमि के वितरण की स्थिति, आबंटित भूमि पर ग्रामीण गरीबों द्वारा कब्जा बनाए रखने और फालतू घोषित की गई परन्तु मुकदमें बाजी में रुकी हुई भूमि के शीघ्रता से निपटान सहित भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कार्यक्रम की गहराई से समीक्षा करना तथा इस संबंध में समुचित और कारगर कार्यनीतियों का सुझाव देना।

(2) सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों की गरीबों को प्राप्ति सुनिश्चित करना, सरकारी/बंजरभूमि की पहचान, प्रबंधन, विकास तथा भूमिहीनो ंको इसके वितरण के संबंध में उपाय सुझाना।

(3) राज्यों में भू-दान भूमि के वितरण की प्रगति की समीक्षा करना तथा शेष पड़ी भू-दान भूमि भूमिहीन लोगों को वितरित करने के लिए उपाय सुझाना।

(4) भू-धृति और उप भू-धृतियों के मामले की जांच करना तथा सभी कृषि काश्तकारो ंको अभिलेखबद्ध करने और किसानो ंको उचित लगान, काश्तकारी अवधि और पुनर्ग्रहण के अधिकार की सुरक्षा हेतु उचित आश्वासनों के साथ भूति पट्टे पर लेने और पट्टे पर देने हेतु समर्थ बनाने के लिए एक संरचना तैयार करने के लिए उपाय सुझाना।

(5) वन आश्रित जनजातीय लोगों के पारम्परिक अधिकारों सहित जनजातीय भूमि के अंतरण से संबंधित मामलों की जांच करना तथा ऐसी अंतरित भूमि को उन्हें वापस दिलाने से संबंधित संगत कानूों में अपेक्षित परिवर्तनों सहित यथार्थवादी उपाय सुझाना।

(6) भूमि से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए फॉस्ट ट्रैक न्यायालयों/तंत्र की स्थापना करने के मामले की जांच करना।

(7) भूमि उपयोग पहलुओं, विशेषरूप से कृषि भूमि से संबंधित की जांच करना और कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग को रोकने अथवा कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अंतरण को देश की विकास आवश्यकताओं के समरूप न्यूनतम करने हेतु उपायों की सिफारिश करना।

(8) वासभूमि अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना तथा वासभूमि विहीन परिवारों को गृह निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपाय सुझाना।

(9) भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने, भूमि अधिकारों को उचित रूप से अभिलेखबद्ध करने और भूमि से संबंधित विरोधों और विवादों का शीघ्रता से निपटान करने पर विशेष ध्यान देते हुए भूमि प्रबंधन के आधुनिकीकरण हेतु उपाय सुझाना।

(10) भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्रों का सुझाव देना।

(11) भूमि तथा अन्य उत्पादनकारी परिसम्पत्तियों की महिलाओं को अधिक प्राप्ति का लाभ देने हेतु उपायों की जांच करना।

(12) कोई अन्य सुसंगत मामला।

(13) कोई अन्य विचारार्थ विषय, जिसके बारे में समिति की प्रथम बैठक में निर्णय लिया जाए।

5. समिति राज्य का दौरा कर सकती है और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की दृष्टि से उनके साथ परामर्श कर सकती है।

6. समिति राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ परामर्श करके उपर्युक्त मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए भूमि सुधारों के कारगर कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशें करेगी।

7. समिति विचारार्थ विषयों के उपर्युक्त संघटकों को गहराई से अध्ययन करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो उप-समूहों/कार्यबलों का गठन कर सकती है।

8. समिति अन्य एजेंसियों के किसी अन्य अधिकारिक/गैर-अधिकारिक/विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकती है।

9. समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट इसके गठन की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगी और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् के समक्ष इसके विचारार्थ तथा दिशानिर्देशों के लिए प्रस्तुत करेगी।

10. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए समिति के सरकारी सदस्यों के संबध में होने वाले व्यय का वहन संबंधित मूल विभाग/मंत्रालय/संगठनों द्वारा, उनके लिए लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा। गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन समुचित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

11. समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली में अवस्थित होगी और इसके द्वारा सेवित होगी।

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

विषय: ''राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्'' का गठन

सं. 21013/4/2007-एल.आर.डी.-भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य की जांच करने की दृष्टि से दिनांक 9 जनवरी, 2008 के सम संख्यक संकल्प के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में ''राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी एक समिति'' का गठन किया गया है।

2. ''राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति'' की सिफारिशों के आधार पर अथवा अन्यथा कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने और नीति संबंधी सिफारिशें करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक ''राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्'' गठित करने का निर्णय लिया गया है।

परिषद् का संघटन निम्नानुसार होगा:

प्रधान मंत्री		–	अध्यक्ष
(क) भारत सरकार के मंत्री			
(1)	ग्रामीण विकास मंत्री	–	सदस्य
(2)	कृषि मंत्री	–	सदस्य
(3)	पर्यावरण एवं वन मंत्री	–	सदस्य
(4)	पंचायती राज मंत्री	–	सदस्य
(5)	जनजातीय कार्य मंत्री	–	सदस्य
(6)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	–	सदस्य
(7)	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	–	सदस्य
(ख) राज्यों के मुख्य मंत्री			
(1)	मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	–	सदस्य
(2)	मुख्य मंत्री, बिहार	–	सदस्य
(3)	मुख्य मंत्री, कर्नाटक	–	सदस्य

(4)	मुख्य मंत्री, केरल	–	सदस्य
(5)	मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	–	सदस्य
(6)	मुख्य मंत्री, उड़ीसा	–	सदस्य
(7)	मुख्य मंत्री, राजस्थान	–	सदस्य
(8)	मुख्य मंत्री, त्रिपुरा	–	सदस्य
(9)	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	–	सदस्य
(10)	मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल	–	सदस्य

(ग) अन्य सदस्य

(1)	डा. वीणा अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	–	सदस्य
(2)	डा. सी.एच. हनुमंत राव, 240-बी, सड़क सं. 18, जुबिली हिल्स, हैदराबाद-500033	–	सदस्य
(3)	डा. जी.के. चड्ढा, सदस्य प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् कमरा सं. 249 विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली	–	सदस्य
(4)	श्री पी.वी. राजगोपाल एकता परिषद्, गांधी पीस फाउन्डेशन, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली	–	सदस्य
(5)	श्री एस. आर. शंकरण, भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार, फ्लैट सं. 114, सफिरे बिल्डिंग, अमृता हिल्स, पुंजागुट्टा, हैदराबाद-500082	–	सदस्य
(6)	डा. एस.एस. जोहल, 2920, गुरुदेव नगर, लुधियाना, पंजाब	–	सदस्य
(7)	प्रो. वी.एस. व्यास अध्यक्ष इंस्टीट्यूट फॉर डिवलपमेंट स्टडीज (आई.डी.एस.), 8वीं झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	–	सदस्य

(8)	श्री वाल्टर फर्नांडीस, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, 10 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली	–	सदस्य
सचिव, भूमि संसाधन विभाग		–	सदस्य
ग्रामीण विकास मंत्रालय		–	सदस्य

3. अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को, जैसा कि अपेक्षित हो, परिषद् के सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकते हैं।

4. परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए इसके सरकारी सदस्यों के संबंध में होने वाले व्यय का वहन उनके मूल विभाग/मंत्रालय/संगठनों द्वारा, उनके लिए लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा। गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन उपयुक्त नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

भास्कर चटर्जी, अपर सचिव

[हिन्दी]

कचरा आधारित ऊर्जा परियोजनाएं

2033. डा. शफीकुर्रहमान बर्क:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्रीमती प्रिया दत्त:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यशील कचरा आधारित ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किसी कंपनी को कूड़े से ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) देश में म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) से विद्युत उत्पादन पर केवल दो परियोजनाएं प्रचालन में हैं। हैदराबाद और विजयवाड़ा में संस्थापित परियोजनाएं क्रमश: 6.6 मेवा. और 6.0 मेवा. क्षमता की हैं। दोनों परियोजनाएं एमएसडब्लू से उत्पादित कचरा जनित ईंधन (आरडीएफ) के दहन पर आधारित हैं। इसके अलावा, देश में डिस्टिलरियों, साबूदाना, स्टार्च, कुक्कुट आदि जैसे औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित लगभग 59 मेगावाट समतुल्य की कुल क्षमता की 43 परियोजनाएं प्रचालन में हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कूड़े-कचरे से ऊर्जा प्राप्ति पर कोई परियोजना मंजूर नहीं की है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष राशि

2034. श्री रामकृपाल यादव:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाए बिना अपनी राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराने की सलाह दी है;

(ख) क्या इस निदेश से उनके ब्याज अर्जन पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो होने वाले हानि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) बैंकों के बीच अवांछनीय प्रतिस्पर्धा, जिससे जमाराशि दरों में मनमाने ढंग से वृद्धि होती है और जिसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, को

दूर करने के लिए और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में ऋण लागत कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) को अपनी अतिरिक्त निधियों को प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के बिना, बैंकों के पास रखने की सलाह दी है। यद्यपि, इससे कुछ सीपीएसई की ब्याज आय में कमी आ सकती है किन्तु, इस कदम से व्यापक रूप से सीपीएसई सहित अर्थव्यवस्था को लाभ होने की संभावना है, जो निधि लागत में हुई समग्र कमी के कारण है।

जैव ईंधन नीति

2035. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काफी समय से लम्बित जैव ईंधन नीति को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समुदायों को अ.ज.जा. सूची में शामिल करना

2036. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:**
श्री रशीद मसूद:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समुदायों के पर्यायों सहित उन्हें शामिल करने हेतु पिछले वर्षों में प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में दावों को शामिल करने, हटाने तथा अन्य संशोधनों हेतु जून, 1999 में स्थापित स्वीकृत प्रविधियों के अनुसार इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है। दिनांक 8.1.2003 के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से दस समुदायों को 8 पर्यायों सहित उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[अनुवाद]

बेसहारा बच्चे

2037. **श्रीमती प्रिया दत्त:**
श्री हितेन बर्मन:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में बेसहारा बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में इस बुराई को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) देश में बेसहारा बच्चों की संख्या का कोई निश्चित अनुमान नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेसहारा बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु 'बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम' नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

(घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.) नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का निरूपण किया है, जिसके तहत शहरी तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में ऐसे बच्चों को परामर्श, ब्रिज एजुकेशन तथा व्यावसायिक शिक्षा आदि सेवाएं प्रदान करने के लिए 'अस्थायी आश्रय' स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

रंगानाडी बांध से अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जाना

2038. **डा. अरुण कुमार शर्मा:**
श्री किरिप चालिहा:
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जून, 2008 के दौरान नीपको के रंगानाडी बांध से अचानक अधिक मात्रा में पानी छोड़ने के कारण हुई तबाही की कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रंगानाडी बांध को चालू करने से पहले रंगानाडी से डिकरोंग नदी में पानी का बहाव मोड़ने को तर्कसंगत ठहराने हेतु कोई डाउनस्ट्रीम प्रभाव का आकलन किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) अरुणाचल प्रदेश राज्य में रंगानाडी नदी पर नीपको द्वारा विकसित रंगानाडी जल विद्युत परियोजना 405 मेगावाट (3×135 मेगावाट) 5.7 क्यूमेक क्षमता के काफी छोटे जलाशय वाले रन-ऑफ-दि-रिवर योजना है। 160 क्यूमेक जल की अधिकतम निकासी का विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।

13 जून, 2008 को रंगानाडी के आवाह क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण नदी में जल का प्रवाह सुबह 5.10 बजे पर लगभग 2120 क्यूमेक तक बढ़ गया था। भारी प्रवाह (अर्थात् अचानक आई बाढ़) को रंगानाडी (5.7 क्यूमेक क्षमता) के छोटे जलाशय में भरा नहीं जा सकता था और इसलिए इस उद्देश्य हेतु बनाए गए स्पिलवे के माध्यम से इसे डाउनस्ट्रीम से गुजरना था। मुख्य नदी में आने वाली बाढ़ और अधिक भयंकर होती, यदि परियोजना बंद होती और सारे जल को मुख्य नदी से गुजरने की अनुमति दे दी जाती।

विद्युत उत्पादन के पश्चात् परियोजना का जल डिकरोंग नदी में छोड़ा जाता है और अतिरिक्त जल को मुख्य रंगानाडी नदी में मिलने की अनुमति दे दी जाती है।

(घ) और (ङ) रंगानाडी जल विद्युत परियोजना जो कि जनवरी, 2002 में शुरू की गई थी, मैं डिकरोंग नदी बेसिन तक रंगानदी जल विद्युत परियोजना से जल का अंत:बेसिन स्थानांतरण होता है। 160 क्यूमेक की अधिकतम निकासी रंगानाडी जल विद्युत परियोजना बेसिन से डिकरोंग नदी तक की जाती है।

जल के अतिरिक्त प्रभाव का पता लगाने की दृष्टि से नीपको ने सैंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस) पूणे को विद्युत गृह के डिकरोंग नदी बेसिन डाउनस्ट्रीम का गणितीय मॉडल अध्ययन करने का कार्य सौंपा था। बाढ़ नियंत्रण विभाग, असम सरकार द्वारा आपूर्ति किये गये आंकड़ों के आधार पर, सीडब्ल्यूपीआरएस ने गणितीय मॉडल का अध्ययन किया और मई, 1994 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा बनाए गए बाढ़ मार्ग के अनुसार, असम के भाग में डिकरोंग नदी के जलस्तर की बढ़ोत्तरी में हॉज पावर स्टेशन (आरएचईपी, स्टेज-1) से 160 क्यूमेक की अधिकतम निकासी के कारण बांडेरडुवा और सिस्सापत्थर के बीच 7 से.मी. से 12 से.मी. तक परिवर्तन हुआ है।

आईसीडीएस के अंतर्गत घटिया भोजन

2039. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री निखिल कुमार:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्रीमती के. रानी:
श्री नरहरि महतो:
श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी:
श्री रनेन बर्मन:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आईसीडीएस योजना के अंतर्गत बच्चों को घटिया भोजन दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत आने वाली छह सेवाओं में से एक सेवा पूरक पोषण को भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्कीम के मानदंडों के अनुसार राज्य सरकारें प्रदान करती है। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, राज्य सरकारों को निवारणात्मक कार्रवाई करने के लिए लिखा जाता है।

समेकित कम लागत वाली सफाई योजना

2040. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को जल आधारित शौचालयों में परिवर्तित करने वाली समेकित कम लागत वाली सफाई योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ख) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित "समेकित कम लागत वाली सफाई योजना" (आईएलसीएस) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2009-2010 तक समयबद्ध तरीके से मौजूदा शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) संशोधित समेकित कम लागत वाली सफाई योजना में शुष्क शौचालयों को 3 वर्षों (2007-2010) की अवधि के भीतर जलवाही शौचालयों में परिवर्तित किये जाने की परिकल्पना की गयी हैं। इस स्कीम में चालू वित्त वर्ष हेतु 150 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिए गए हैं। 1222/8586 शौचालयों के परिवर्तन/निर्माण हेतु बिहार राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के पहले बैच को अनुमोदित कर दिया गया था।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन

2041. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत में केरल सहित कुछ राज्यों से त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत अतिरिक्त राशि आवंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) वर्ष 2008-09 में केरल तथा राजस्थान राज्य सरकारों ने एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत वार्षिक आवंटन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा था। इस पर भारत सरकार ने विचार किया था तथा राज्य सरकारों को यह जानकारी दी गई थी कि वार्षिक आवंटन में बढ़ोत्तरी के अनुरोध पर विचार राज्य द्वारा किये गये व्यय तथा निधियों की उपलब्धता और राज्य के कार्यनिष्पादन/आवश्यकता के आधार पर वर्ष के अंत में किया जा सकता है।

टिहरी बांध के विस्थापित लोगों का पुनर्वास

2042. श्री के.सी. सिंह "बाबा":
श्री विजय बहुगुणा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टिहरी बांध के कारण हुए भूस्खलन से प्रभावित नए गांवों के पुनर्वास पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टिहरी बांध के विस्थापित लोगों को कृषि भूमि भी प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके समुचित पुनर्वास में क्या बाधाएं आ रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां। भागीरथी घाटी में तीन गांव अर्थात् नाकोट, रोलाकोट और स्यांसु भू-स्खलन के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील पाये गये हैं। यह निर्णय जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिमोट सेंसिंग, सैंट्रल सोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन विभाग, उत्तराखंड सरकार, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) और उत्तराखंड सरकार की पुनर्वास निदेशालय से शामिल सदस्यों वाली एक अंतर-विभागीय समिति द्वारा लिया गया है। मकानों एवं अन्य संपत्तियों के सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यों से संबंधित इन गांवों के पुनर्वास कार्य पूरे कर लिये गये हैं। प्रभावित गांवों के मकानों एवं अन्य संपत्तियों की लागत तय करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। नाकोट और रोलाकोट गांवों के भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी करने के लिए पहल की जा चुकी है।

(ग) और (घ) जी हां। टिहरी बांध के सभी 5187 पात्र प्रभावित ग्रामीण परिवारों को दो एकड़ विकसित सिंचाई वाली भूमि का कृषि भू-खंड अथवा देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश शहरों की नगरपालिका सीमाओं के निकट आधा एकड़ विकसित सिंचाई वाली भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

(ङ) उचित ढंग से पुनर्वास करने में आ रही मुख्य बाधा भूमि की कमी है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी निदेशक

2043. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बैंकों ने सरकार को अपने बोर्ड में किसी गैर-सरकारी निदेशक को नियुक्त न करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार को सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक से इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

मानव अवैध देह व्यापार

2044. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानव अवैध देह व्यापार के प्रति संघर्ष के बारे में वियना में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी शिष्टमंडल को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। श्रीमती रेणुका चौधरी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल ने 13-15 फरवरी, 2008 को मानव अवैध देह व्यापार के निवारण हेतु आयोजित वियाना फोरम में हिस्सा लिया। इस प्रतिनिधिमण्डल में गृह मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। फोरम में विचारित मुख्य विषयों में अवैध देह व्यापार हेतु व्यक्तियों की संवेदनशीलता तथा इसके प्रभाव के अलावा मानवों के अवैध देह व्यापार के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई शामिल थे।

(ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अवैध देह व्यापार के निवारण हेतु पहले से ही कई उपाय कर रहा है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता में वेश्यावृत्ति हेतु बच्चों सहित मानवों के देह व्यापार के निषेध तथा

अवैध देह व्यापार के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान है। मंत्रालय महिलाओं एवं बच्चों के देह व्यापार के निवारण हेतु प्रचार-प्रसार, जागरूकता विकास तथा संचेतना कार्यक्रमों का आयोजन करता है। मंत्रालय अवैध देह व्यापार के निवारण और देह व्यापार पीड़ितों को छुड़ाने, उनके पुनर्वास, पुन:समेकन तथा समाज से पुन: जोड़ने के लिए 'उज्जवला' स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। मंत्रालय स्वाधार आश्रय गृह भी चलाता है, जहां अवैध देह व्यापार की पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रही महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, भावनात्मक समर्थन, परामर्श, पुनर्वास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

पार्टिसिपेटरी नोट रूट के माध्यम से निवेश पर से प्रतिबंध हटाना

2045. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पार्टिसिपेटरी नोट के माध्यम से निवेश पर रोक का समर्थन करता रहा है क्योंकि यह प्रक्रिया अस्पष्ट स्वरूप की है जिससे राशि की गुणवत्ता का आकलन करना कठिन हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों द्वारा पार्टिसिपेटिंग नोट (पीएन) के माध्यम से निवेश पर पहले से लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक का मत है कि विदेशी व्युत्पाद दस्तावेजों (ओडीआई/पार्टिसिपेटरी नोटों (पीएन) की अनुमति नही दी जानी चाहिए और तदनुसार उन्होने यह सुझाव दिया गया है कि पार्टिसिपेटरी नोटों के नए निर्गमों की अनुमति नहीं दी जाए। तथापि "विदेशी संस्थागत निवेशों के प्रवाह को प्रोत्साहित करना और प्रवाहों के प्रति पूंजी बाजारों की संवेदनशीलता को नियंत्रण करना" के संबंध मे डा. अशोक लाहिड़ी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित विशेष समूह ने भागीदारी नोटों के मुद्दे की जांच की और सिफारिश की कि भागीदारी नोटों का वर्तमान वितरण जारी रहे। सरकार का विचार यह रहा है कि भागीदारी नोट (पीएन) बाजार के दस्तावेज हैं जिनका निर्माण और व्यवसाय विदेशों में होता है। अत:, भारतीय विनियामक पीएन के निर्गमों पर नियंत्रण या रोक नहीं लगा सकते, इन्हें केवल विनियमित किया जा सकता है, और वास्तव में इन्हें सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ग) और (घ) सेबी ने 25 अक्तूबर, 2007 को विदेशी व्युत्पाद दस्तावेजों पर कतिपय प्रतिबंध लगाए थे जिनकी बाद में पुनरीक्षा की जानी थी। ये प्रतिबंध निम्नानुसार थे:

1. विदेशी संस्थागत निवेशक और उनके उप-खाते व्युत्पादों के रूप में रखे हुए विदेशी व्युत्पाद दस्तावेजों के नए निर्गम जारी नहीं करेंगे/नवीकरण नहीं करेंगे। विद्यमान स्थिति की 18 महीने के बाद पुनरीक्षा की जाएगी।

2. विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खाते कोई भी पीएन/ओडीआई जारी नहीं करेंगे। विद्यमान स्थिति की 18 महीने के बाद पुनरीक्षा की जाएगी।

3. जो विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में अपने एयूसी के प्रतिशत के रूप में 40% से कम के बकाया पीएन के सांकेतिक मूल्य (व्युत्पादों के अतिरिक्त) ओडीआई जारी कर रहे थे, उन्हें भारत में उनके एयूसी के 5% की वृद्धिकारी दर पर ही और ओडीआई जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

4. वे विदेशी संस्थागत निवेशक जो अपने एयूसी के प्रतिशत के रूप में भारत में 40% से अधिक के बकाया पीएन के सांकेतिक मूल्य (व्युत्पादों के अतिरिक्त) रखे हुए हैं वे केवल बराबर की राशि पर विद्यमान पीएन को रद्द होने/विमोचित होने/बंद होने के विरुद्ध ही पीएन जारी करेंगे।

लगाए गए इन प्रतिबंधों की 6 अक्तूबर, 2008 को समीक्षा की गयी थी और निर्णय लिया गया कि ओडीए की स्थितियों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया जाए और यह भी कि विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय प्रतिभूतियों में धारित अपनी आस्तियों को प्राप्त कर सकें। इसके अतिरक्त, यह भी निर्णय लिया गया कि व्युत्पन्नों पर जारी किये गये ओडीआई पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिये जाएं। तथापि, पहले की तरह के वाईसी मानदंडों के अधीन केवल विनियमित इकाइयों पर ओडीआई को जारी करने की आवश्यकता पूर्व की भांति बनी रहेगी।

तम्बाकू कंपनी में इक्विटी धारिता

2046. डा. अरविन्द शर्मा:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) की तम्बाकू कंपनियों में इक्विटी धारिता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तम्बाकू कंपनियों में इक्विटी धारिता रखने के क्या कारण हैं जबकि सरकार तम्बाकू के सेवन को हतोत्साहित कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) एलआईसी और सूटी की निम्नलिखित कंपनियों में निम्न इक्विटी धारिता है:

	आईटीसी	वीएसटी इंड
एलआईसी	53,68,89,861	9,72,703
सूटी	44,84,34,405	

एलआईसी के निवेश वित्तीय निवेश प्रकृति के होते हैं। भूतपूर्व भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 के पारित होने से पहले, आईटीसी के शेयरों सहित विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किया था। ऐसे निवेश भी वित्तीय निवेश की प्रकृति के थे और विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों मे किये गये थे। आईटीसी में निवेश सहित इनमें से अनेक निवेश वर्तमान में यूटीआई की उत्तरवर्ती कंपनी सूटी द्वारा धारित हैं।

तथापि, उल्लेखनीय है कि आईटीसी की तम्बाकू के अलावा, अनेक क्षेत्रों जैसे होटल, पैकेजिंग और खुदरा व्यापार में विद्यमानता है। वीएसटी इंडस्ट्रीज में एलआईसी द्वारा अप्रैल, 2001 से पहले निवेश किये जाते थे और बाद में एलआईसी द्वारा और कोई निवेश नहीं किये गये हैं।

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत दिशानिर्देश

2047. प्रो. एम. रामदास:
श्री भर्तृहरि मेहताब:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के क्रियान्वयन हेतु गांवों की पहचान और सड़कों के चुनाव हेतु कोई विशेष निदेश/दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने उक्त योजना के क्रियान्वयन पर आपत्तियां की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। राज्यों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन की दृष्टि से सड़कों के चयन और गांवों के निर्धारण के लिए कोई नए निदेश/दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। तथापि, पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों में [illegible] और विरल आबादी वाली अनेक बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में इस तरह से संशोधन किया गया है कि पहाड़ी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे ब्लॉकों में 10 कि.मी. के भीतर आने वाली सभी बसावटों को पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों के 1.5 कि.मी. के दायरे की बजाय आबादी का विस्तार निर्धारित करने वाले समूह के रूप में माना जाएगा। साथ ही, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के अंतर्गत, जो कि पीएमजीएसवाई का ही उपसमूह है, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास करे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पीएनबी द्वारा सचल एटीएम सेवा

2048. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री पंकज चौधरी:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सचल एटीएम सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य बैंकों का विचार भी ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक ने, प्रायोगिक आधार पर, दिल्ली तथा गौतम बुद्ध नगर उ.प्र. में एवं इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम सेवा उपलब्ध कराई है।

(ग) और (घ) अन्य बैंक भी दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में हैं। आंध्र प्रदेश और केरल में आंध्रा बैंक द्वारा, तमिलनाडु में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, दिल्ली, जालन्धर, देहरादून, अहमदाबाद और श्रीगंगानगर में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स द्वारा तथा महाराष्ट्र के सतारा जिले में आईडीबीआई द्वारा शुरुआत में मोबाइल एटीएम सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। तथापि, नेटवर्किंग मसले सहित, कम ग्राहक आधार, संभार तंत्र और बुनियादी समस्याओं के कारण, बैंक दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में और मोबाइल एटीएम सेवाएं स्थापित करने में असमर्थ है। बैंक, अन्यथा वायरलेस टर्मिनल्स आदि और बैंकिंग सम्पर्कियों के माध्यम से बढ़ोत्तरी करते हुए कवरेज प्रदान कर रहे हैं।

धर्मार्थ कार्यकलाप

2049. डा. राजेश मिश्रा:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ''धर्मार्थ कार्यकलाप'' की संकल्पना को पुन: परिभाषित करने और उसे सीमित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल योग्य संगठन ही ऐसे लाभ का पात्र बनें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई धर्मार्थ ट्रस्ट कर-लाभ का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 का खंड 15, जो धर्मार्थ कार्यकलाप को परिभाषित करता है, वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा पहले ही संशोधित किया जा चुका है। संशोधन के बाद, जो 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है, 'सामान्य सार्वजनिक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य' की उन्नति को अब धर्मार्थ नहीं माना जाएगा, यदि इसमें मौद्रिक प्रतिफल के लिए वाणिज्यिक या कारोबार गतिविधियां सम्पन्न करना शामिल होगा।

(ग) और (घ) जब भी कर छूट संबंधी प्रावधानों के दुरुपयोग के मामले जानकारी में आते हैं, आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, प्रत्यक्ष कर जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट (दिसम्बर, 1971) में दिए गए सुझावों को लोक लेखा समिति (2005-06) द्वारा अपनी चौदहवीं रिपोर्ट (निजी स्कूलों, कालेजों एवं कोचिंग सेंटरों का कर निर्धारण) में की गई टिप्पणियों तथा क्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कतिपय मामलों में गुमनाम दान पर कर लगाने के लिए धारा 115 खखग पुर:स्थापित करके वित्त अधिनियम, 2006 के जरिये आयकर अधिनियम, 1961 में एक संशोधन किया गया ताकि गुमनाम दान के भेष में धर्मार्थ संस्थाओं को बेहिसाबी धन का प्रेषण रोका जा सके।

अदावाकृत खातों पर ब्याज

2050. श्री एस. अजय कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को परिपक्वता अवधि के बाद निष्क्रिय खातों और मियादी जमा में जमा धनराशि पर ब्याज देने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरबीआई ने बैंकों से निष्क्रिय खाताधारकों से संपर्क करने के लिए कहा था;

(घ) यदि हां, तो बैंकों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बैंकों के पास निष्क्रिय खातों की कुल कितनी राशि जमा है; और

(च) बैंक इस राशि का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं और उस पर कितना ब्याज जमा हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (च) भारतीय

रिजर्व बैंक ने दिनांक 22.8.2008 के अपने परिपत्र द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बचत बैंक खाते में नियमित आधार पर ब्याज जमा किया जाना चाहिए, चाहे खाता सक्रिय हो अथवा नहीं। यदि कोई मियादी जमा राशि परिपक्व हो जाती है और प्राप्त राशि अदत्त रहती है तो बैंकों के पास अदावी खाते पर बचत बैंक ब्याज दर देय होगी। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्तें भी रखी गई है कि जिन खातों में एक वर्ष से अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, बैंकों द्वारा उनकी वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए और जिन ग्राहकों के खाते निष्क्रिय पड़े हों, उनसे सम्पर्क किया जाना चाहिए। यदि पत्र बिना वितरित हुए वापस आ जाएं तो ग्राहकों या यदि उनका देहान्त हो गया हो तो उनके कानूनी वारिसों का पता-ठिकाना जानने के लिए उन पत्रों की तत्काल जांच-पड़ताल करनी चाहिए। जिन मामलों में ग्राहकों का पता-ठिकाना ढूढ़ना कठिन हो, वहां बैंकों को उन व्यक्तियों से सम्पर्क करने पर विचार करना चाहिए, जिन्होंने खाता धारक का परिचय दिया हो। वे नियोक्ता/या ऐसे अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क करने पर विचार कर सकते हैं, जिनका ब्यौरा उनके पास उपलब्ध हो। खाते को 'निष्क्रिय' के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन से नामे डाले गये और साथ ही ऋण प्रकार के लेन-देन दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। निष्क्रिय खाते को पुनः चालू करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के आधारभूत आंकड़ों डाटा बेस द्वारा मांगे गए तरीके से सूचना नहीं रखी जाती, तथापित पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान अदावी जमाराशि पर संचयी राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

कैलेण्डर वर्ष	2005	2006	2007
अदावी जमाराशि की कुल राशि रुपयों में	929,53,96,111	1050,13,74,675 तथा यूएसडी 6513	1095,46,84,927 तथा यूएडी 6513.05

इस समय अदावी जमाराशि संबंधित बैंकों के पास पड़ी रहती है, जो इसका नियोजन किसी अन्य जमाराशि की तरह अपने सामान्य व्यवसाय में करते हैं।

सरकारी और निजी बीमा कंपनियां

2051. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री नरहरि मैहतो:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और साधारण बीमा निगम (जीआईसी) ने क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान एलआईसी और जीआईसी का बाजार हिस्सा कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या एलआईसी और जीआईसी की तुलना में निजी बीमा कंपनियां अपने बीमा क्षेत्र में बेहतर कारोबार कर रही हैं;

(ङ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या निजी बीमा कंपनियां एलआईसी और जीआईसी के लिए एक चुनौती बन गई है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा साधारण बीमा निगम (जीआईसी) द्वारा निर्धारित और प्राप्त किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां, उपर्युक्त अवधि के दौरान एलआईसी का मार्केट शेयर कम हुआ है। जहां तक जीआईसी का संबंध है यह देश में एकमात्र पुनर्बीमा कंपनी है।

(ग) मार्केट में नई बीमा कंपनियों के आने से और प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से यह स्वाभाविक है कि पहले से ही विद्यमान बीमा कंपनियों के मार्केट शेयर में कमी आएगी।

एलआईसी ने मार्केट में अपनी अग्रणी स्थिति को सुनिश्चित रूप से बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सम्मिलित हैं:

* एलआईसी ने पिछले वर्ष तक 342 नए सेटलाइट कार्यालय खोले हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 89 और सेटलाइट कार्यालय खोले हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में एलआईसी की और अधिक व्याप्ति सुनिश्चित होगी।

* इसने विपणन अधिकारियों की बड़े स्तर पर नियुक्ति करने की योजना बनाई है तथा 3 वर्षों में अपनी एजेंसी फोर्स को दुगना करने का लक्ष्य है।

* शेयर मार्केट में अस्थिरता को रोकने तथा अच्छी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपने कुछ प्रसिद्ध परम्परागत उत्पादों का प्रतिस्थापन किया जा रहा है।

* जीवन बीमा मार्केट में निगम को एक प्रमुख बीमा कंपनी के रूप में अस्तित्व सुनिश्चित रखने के लिए बहुत से नई अवधारणाओं जैसे अपने एजेंट्स तथा विकास अधिकारियों का सशक्तीकरण उनके अंतर्गत पर्यवेक्षित एजेंट्स के रूप में कार्य करने के लिए पात्र व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अपनी वरिष्ठ और अनुभवी एजेंट्स को सक्षम बनाने के लिए मुख्य जीवन बीमा सलाहकार (सीएलआईए) योजना आरंभ करना तथा बीमा उद्योग में विश्वस्तरीय उपलब्ध श्रेष्ठ तकनीकी तथा प्रक्रिया को अपनाना कार्यान्वित किया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र को मुक्त करते समय यह अभिकल्पित किया था कि निजी बीमा कंपनियों के आगमन से उद्योग द्वारा हामीदार किये गये प्रीमियम के अनुसार सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के शेयर में कमी आएगी। उस समय से जीवन खण्ड में भागीदारों की संख्या वर्ष 2000 मे एक बीमा कंपनी से बढ़कर अब तक 21 बीमा कंपनियां हो गई हैं। यद्यपि, आशा के अनुरूप निजी बीमा कंपनियों के शेयर में वृद्धि हो रही है। सभी बीमा कंपनियों द्वारा हामीदार किये गये प्रीमियम में वर्धित मात्रा के साथ समग्र कारोबार के आकार में वृद्धि हुई है। यह जीवन बीमा व्याप्ति (जीडीपी के % के रूप में सकल प्रामियम) वर्ष 2000 में 1.77% से वर्ष 2007 में 4.00% की वृद्धि में परिलक्षित होता है।

(च) जीवन खंड में 20 निजी बीमा कंपनियां परिचालन कर रही हैं तथा प्रत्येक निजी कंपनी का औसत मार्केट शेयर पालिसियों की संख्या के संबंध में 1.70% और प्रथम प्रीमियम आय के संबंध में 2.20% है। 31 अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार, एलआीसी की प्रथम प्रीमियम आय में मार्केट शेयर के 55.12% तथा पालिसियों की संख्या में 66.51% की तुलना में आईसीआईसीआई प्रुडेन्सियल द्वारा निजी बीमा कंपनियों में अधिकतम मार्केट शेयर प्रथम प्रीमियम आय में 9.75% तथा पालिसियों की संख्या में 6.52% है।

(छ) वर्ष 2006-07 से अब तक एलआईसी सरकार को एक आशय विवरण प्रस्तुत करती रही है जिसके अंतर्गत विभिन्न मानदंडों के लिए वार्षिक लक्ष्य सरकार के परामर्श से निर्धारित किये जाते हैं जिनकी तुलना में उनके कार्यनिष्पादन की सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

विवरण

एलआईसी का कार्य-निष्पादन

केवल वैयक्तिक बीमा पर (पेंशन तथा समूह सेवानिवृत्ति तथा प्रथम वर्ष प्रीमियम को छोड़कर) पिछले तीन वर्षों के दौरान एलआईसी का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	पालिसियों की संख्या (आंकड़ों में)	प्रथम वर्ष प्रीमियम आय (रु. करोड़ में)	पालिसियों की संख्या (आंकड़ों में)	प्रथम वर्ष प्रीमियम आय (रु. करोड़ में)
2005-06	3,32,00,000	16,896.01	3,15,72,547	18,085.49
2006-07	3,72,55,000	24,415.00	3,82,08,575	39,541.58
2007-08	4,28,00,000	52,500.00	3,75,89,995	43,812.86
2008-09*	4,35,00,000	57,000.00	1,65,32,967	14,856.29

*नवम्बर 2008 (अनंतिम) तक कार्यनिष्पादन दर्शाते हैं।

जीआईसी का कार्य-निष्पादन

पिछले तीन वर्षों के दौरान जीआईसी का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	सकल प्रीमियम	कुल प्रीमियम	सकल प्रीमियम	कुल प्रीमियम
2005-06	5,650	4,966	4,880	4,235
2006-07	7,160	6,297	7,404	6,421
2007-08	8,150	6,925	9,315	8,311
2008-09	8,200	7,200	3,713**	3,272**

**सितम्बर, 2008 तक अर्ध वार्षिक अनुमान

विदेशी बैंकों और बीमा कंपनियों में निवेश

2052. श्री मोहन सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिका में आर्थिक संकट के मद्देनजर ग्राहकों द्वारा विदेशी बैंकों, बीमा कंपनियों और रीयल एस्टेट कंपनियों में निवेश करने के जोखिम के बारे में कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी हां। संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में सब-प्राइम संकट के बाद, भारतीय बैंकों पर यूएसए के बैंकिंग संकट के प्रभाव की सतत आधार पर निगरानी करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सब-प्राइम संकट की पृष्ठभूमि में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत में, बैंकों पर इसके प्रभाव का आकलन करने और आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए सितम्बर 2007 के महीने में पन्द्रह प्रमुख बैंकों के साथ कई बैठकें कीं। यह पाया गया था कि किसी भी भारतीय बैंक और विदेशी बैंक (भारत मे परिचालन वाले), जिनके साथ विचार-विमर्श किया गया था, का यूएसए मे सब-प्राइम बंधक बाजार और अन्य बाजारों में कोई प्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं था और कोई प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई नही दिया। तथापि, कुछ बैंकों को उनके विदेशी परिचालनो में प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) में हानि हुई थी। विदेशों में परिचालन वाले उन कुछ भारतीय बैंकों ने अमेरिका के सब-प्राइम बाजारों में कोई प्रत्यक्ष एक्सपोजर न होते हुए भी कतिपय संपार्श्विक ऋण बाध्यताओं (सीडीओ)/बाण्डों में निवेश किया था, जिनकी सब-प्राइम एक्सपोजर वाली कुछ आधारभूत संस्थाएं थीं।

भारतीय संयुक्त उद्यम बीमा इकाइयों की स्थिति काफी सुदृढ़ बनी रही और वे भारत और भारत के बाहर दोनों स्थानों के घटनाक्रमों से प्रभावित नहीं हुई हैं। सभी कम्पनियों की शोधन क्षमता का मार्जिन काफी अच्छा है और आज की तारीख के अनुसार पालिसी धारकों के दावों का निपटान करने की क्षमता के संबंध में कोई विनियामक अड़चनें नहीं हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है।

इसके अलावा, भारतीय बैंकों और उनकी विदेशी अनुषंगियों पर सब-प्राइम संकट के प्रभाव की सतत आधार पर निगरानी करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण व्युत्पन्नों और अन्य निवेशों तथा संबंधित एमटीएम में हानियों के संबंध में भारतीय बैंकों के, उनके विदेशी परिचालनों और अनुषंगियों के माध्यम से, निवेश की मासिक आधार पर रिपोर्टिंग के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भी स्टाक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों के परामर्श से स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रहा है। आरबीआई-सेबी की तकनीकी समिति सार्वभौमिक वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों और भारतीय बाजारों पर उसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी कर रही है।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों द्वारा सेवा कर

2053. श्री अधीर चौधरी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदशी बैंक देश में सरकारी बैंकों की तुलना में अधिक सेवा कर ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को विदेशी बैंकों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डीडीए द्वारा निजी डवलपरों को जमीन बेचना

2053. श्री रशीद मसूद: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रिज के नजदीक की लगभग 35 एकड़ जमीन निजी बिल्डरों को बेच दी है;

(ख) यदि हां, तो मामले के क्या तथ्य हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त क्षेत्र के विशिष्ट भूमि उपयोग को आवासीय उपयोग में बदल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तन के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि उसने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत आनंद माई मार्ग के पूर्व साइड के निकट तेहखंड में अप्रैल 2006 में 14.3 हैक्टेयर का एक प्लाट नीलाम किया है। नीलाम के निबंधनों और शर्तों में विकास के लिए यह अपेक्षित है कि वह 3500 ईडब्ल्यूएस मकान बनाए और झुग्गी-झोपड़ी वासियों के पुनर्वास हेतु डीडीए को हस्तांतरित करे। विकासक को बाजार में निपटान के लिए 80,000 वर्ग मी. के अधिकतम निर्मित क्षेत्र वाले 750 उच्च श्रेणी मकान रखने की अनुमति दी गई है।

(ग) 'जिला पार्क' से 'रिहायशी' में भू-उपयोग में परिवर्तन, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर अधिसूचित किया गया था।

(घ) यह परिवर्तन 'स्वस्थाने स्लम और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास के लिए पायलेट परियोजना के रूप में किया गया।

एन.पी.ए. का प्रावधान

2055. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निधि को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) के अंतर्गत रखने के लिए बैंकों द्वारा क्या प्रावधान अपनाए गए हैं;

(ख) क्या कानूनी प्रावधानों के बावजूद बैंकों की निधियां एन.पी.ए. में बदल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो समय पर ऋण की वसूली में क्या समस्याएं आ रही हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने "अग्रिमों के संबंध में आय की पहचान, आस्ति के वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में विवेकपूर्ण मानदण्डों के संबंध में मास्टर परिपत्र" जारी किया है। इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, पट्टे पर दी गई आस्ति से कोई आस्ति उस समय अनुप्रयोज्य हो जाती है, जब उससे बैंक को आय होनी बंद हो जाती है। अनुप्रयोज्य आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है, जिसमें सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है, ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'अनियमित' रहता है, खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है, अल्पकालिक फसलों के लिए मूलधन या उसके ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती

है, दीर्घकालिक फसलों आदि के लिए मूलधन या उसके ब्याज की किस्त एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है।

(ख) अनुप्रयोज्य आस्तियों के लिए जिम्मेदार कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋणकर्ता द्वारा निधियों का अन्यत्र उपयोग तथा चुकौती में जान-बूझ कर चूक, ऋण मूल्यांकन और पर्यवेक्षण में कमी, वित्तपोषित एकक का अकुशल प्रबंधन, खराब अनुवर्तन एवं निगरानी, प्रौद्योगिकी, मांग पैटर्न एवं अन्य नीति, आदि में परिवर्तन के कारण एकक का गैर-अर्थक्षम या रुग्ण होना, लागत और समय के अत्यधिक बढ़ जाने एवं कतिपय अन्य बाह्य कारकों जैसे: कच्चे माल आदि के उपलब्ध न होने, श्रमिक समस्याओं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना का पूरा न होना, आदि शामिल हैं। तथापि, बैंक विभिन्न स्तरों पर अपने ऋण खातों की निगरानी करते हैं और सतत आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं ताकि ऋणों को अनुप्रयोज्य आस्ति की श्रेणी में जाने से रोका जा सके।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने, वसूली का अच्छा वातावरण बनाने और अनुप्रयोज्य आस्तियों की शीघ्र वसूली के लिए विभिन्न उपाय किये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, अनुप्रयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान करने और उनके वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करना, ऋणो को अनुप्रयोज्य आस्ति की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए मार्गनिर्देश, कंपनी ऋण पुनर्गठन व्यवस्था शुरू करना, एकबारगी निपटान योजनाएं, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणओं की वसूली (डीआरटी) अधिनियम, 1993 का अधिनियमन, आदि शामिल हैं। बैंक अपनी ऋण वसूली नीतियों के अनुसार अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए उपयुक्त उपाय करते हैं।

[अनुवाद]

किशोरियों के लिए राजीव गांधी योजना

2056. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किशोरियों को विद्यालय में रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एक समय भोजन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी लड़कियां लाभान्वित हुई हैं;

(घ) उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस पर कितना व्यय किये जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) इस समय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा दो स्कीमों, अर्थात् किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम तथा किशोरी शक्ति योजना का विलय करके तथा कार्यकलापों में सुधार करके "राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम" नामक एक व्यापक स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव है। स्कीम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

महिला स्व-सहायता समूह

2057. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिला स्व-सहायता समूहों को चार प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण तथा नि:शुल्क बीमा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार की ब्याज विभेदक दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रु. तथा अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में 24,000 रु. की वार्षिक पारिवारिक आय वाले उधारकर्ता, डीआरआई योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी, 15,000 रु. तथा 20,000 रु. तक आवास ऋण प्रति वर्ष 4% की ब्याज दर से लेने के पात्र हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कम्पनी अधिनियम का अनुपालन

2058. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग पचास प्रतिशत कम्पनियां कम्पनी अधिनियम का अनुपालन नहीं कर रही है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी कम्पनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हित प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कम्पनियों के विरुद्ध अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या विद्युत वितरण करने वाली कम्पनियां यथा बी.एस.ई.एस. राजधानी ने भी गत दो वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) निवेशकों के हित बड़े पैमाने पर मुख्यत: बड़ी सरकारी या सूचीबद्ध कम्पनियों के साथ जुड़े हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी 50% कम्पनियों द्वारा गैर-अनुपालन किये जाने से उन कम्पनियों में निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है जिसे आंकड़ों में नहीं दर्शाया जा सकता। तथापि, गैर-अनुपालन पाए जाने पर यथोचित और कानून के अंतर्गत आदेशित कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डेरिवेटिव कारोबार

2059. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए विदेशी मुद्रा से व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) कारोबार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) व्युत्पन्न लेन-देनों के कारण बैंकों के कुछ ग्राहकों को हुई हानियों के संबंध में वर्ष 2007 में, समाचार-पत्रों में आई मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर, रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों (एचडीएफसी बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटीबैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक) की विशेष जांच की और व्युत्पन्न लेन-देनों में सक्रिय रहे बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के दौरान व्युत्पन्न पोर्टफोलियों का व्यापक कवरेज किया। रिजर्व बैंक ने उन 22 बैंकों, के मुख्य कार्यपालकों के साथ विचार-विमर्श भी किया जो व्युत्पन्न कारबार में सक्रिय दिखायी दिये थे। ये विचार-विमर्श बैंकों की व्युत्पन्न नीतियों, उनके द्वारा एफईएमए विनियमों और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन, ग्राहक कृत्रिमता के सापेक्ष व्युत्पन्न उत्पादों की अनुकूलता एवं समुचितता का मूल्यांकन करने के लिए बैंकों में लागू प्रणालियों, एसएमई सहित उपयोगकर्त्ताओं को एक्सपोजर, उनकी बाजार-चिन्हित (एमटीएम) परिस्थितियों, न्यायालय के मामलों, यदि कोई हो, के ब्यौरे, ग्राहकों द्वारा चूकों, और इन लेन-देनों के प्रणालीगत प्रभाव, आदि पर संकेन्द्रित थे।

विचार-विमर्शों के दौरान इकट्ठी की गई सूचना और चयनित बैंकों की विशेष संवीक्षाओं तथा एएफआई के दौरान व्युत्पन्न पोर्टफोलियो के व्यापक कवरेज के दौरान हुई खोजों के आधार पर, रिजर्व बैंक ने यह पाया कि हालांकि वर्तमान फेमा विनियमों के अंतर्गत, बैंकों से अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बैंक के निदेशक मंडल, ने जोखिम प्रबंध नीतियां तैयार कर ली हों, बैंकों के साथ लेन-देन करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय कर लिये हों, परिचालनों की सावधिक समीक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था, विनियमों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए लेन-देनों की वार्षिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था की हो, और संबंधित उपयोगकर्ता से सावधि समीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्ति कर ली हो। तथापि, बैंकों द्वारा यह सूचित किया गया है कि ज्यादातर ग्राहक गोपनीयता के नाम पर इस तरह के नीतिगत दस्तावेज देने से मना कर देते हैं। परिणामस्वरूप, बैंकों ने इस अपेक्षा के अनुपालन में उपयोगकर्ता से यह घोषणा पत्र लिया कि उनके संगठन में इस तरह की जोखिम प्रबंधन नीति स्थित है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी पाया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्राहक इस सुविधा के अंतर्गत, दूसरे बैंकों के लिए नए व्युत्पन्नी सीमा को या तो प्रकट नहीं करता है या गलत बयानी करता है और इस तरह कुल मिलाकर सभी बैंकों

से, इन विनियमों के अंतर्गत स्वीकार्य सीमा से काफी ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। इन ग्राहकों ने, गलत घोषणा करके एक ही अंतर्निहित पर कई बैंकों से कई व्युत्पन्नी सौदे किये थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न कदम उठाए जिसमें बैंकों के तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के लिए निर्धारित किये गये विवेकपूर्ण ढांचे की समीक्षा करना शामिल है। समीक्षा के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड सुदृढ़ किये हैं।

[हिन्दी]

राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज

2060. श्री संतोष गंगवार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को शहरी विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) भारत सरकार ने 3 दिसंबर 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया है जिसमें 1,00,000 करोड़ रु. के निवेश की परिकल्पना की गई है। इसमें 50,000 करोड़ रु. की केन्द्र सरकार की सहायता निर्धारित की गई है। राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय शेष राशि का अंशदान देगी। मिशन का उद्देश्य शहरी अवस्थापना और सेवाओं का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना, परिसंपत्ति सृजन और प्रबंधन के बीच प्रभावी संपर्क बनाना और शहरी अवस्थापना में कमियों को दूर करने के लिए निधियों का पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना है। इसमें शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं देने पर विशेष जोर दिया गया है। शहरी विकास हेतु राज्यों के लिए 11वीं योजना के दायरे से बाहर जेएनएनयूआरएम से अलग किसी विशेष आर्थिक पैकेज पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सोलर पैनल फैब सुविधा

2061. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सोलर पैनल फैब सुविधा की स्थापना के लिए किसी विदेशी फर्म के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों की शिकायतें

2062. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद बैंक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ से पेंशन से संबंधित मामलों सहित उनकी शिकायतें एवं सुविधाओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार/बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) (1) अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व. कर्मचारी संघ का दिनांक 12.3.2008 का अभ्यावेदन जो उनकी विभिन्न शिकायतों/सुविधाओं से संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से इलाहाबाद बैंक को प्राप्त हुआ था। संघ द्वारा फाइल किये गये प्रत्युत्तर के जवाब में बैंक ने दिनांक 1.10.2008 के अपने शपथ पत्र द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचति जाति आयोग को उत्तर दे दिया है।

(2) पेंशन से संबंधित दिनांक 1.12.2007 के संघ का अभ्यावेदन अनु. जाति/अनु. जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के समिति अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इस संबध में कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 12.1.2008 को अनु. जाति/अनु. जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति, नई दिल्ली को सौंप दी गयी थी।

क्रेडिट कार्ड कंपनियां

2063. श्री निखिल कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने क्रेडिट कार्ड कारोबार करने वाली कंपनियों को अपना कार्य शुरू करने के पूर्व केन्द्रीय बैंक के साथ अपना पंजीकरण कराने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां बैंकों के साथ सम्बद्ध होकर कार्य कर रही हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनके कार्य में कुछ कमियां पायी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारत में, बैंक अपने ग्राहकों को, वीजा और मास्टर कार्ड के सहयोग से क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। देश में क्रेडिट कार्ड प्रदाताओं सहित, विविधीकृत भुगतान प्रणाली का निरीक्षण करने तथा विनियमों का स्पष्ट प्रयोग करने के लिए एक संगत विधिक और विनियामक संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 बनाया गया है। इसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियम और विनियमों में अपेक्षित है कि क्रेडिट कार्ड परिचालन से जुड़े संबंधितों सहित, सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता देश में भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करें।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता

2064. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कौन-कौन से राज्य ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ई.सी.बी.सी.) का कार्यान्वयन कर रहे हैं;

(ख) क्या इस संहिता के कार्यान्वयन में इन राज्यों को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) 500 कि.वा. से अधिक भार अथवा 600 केवीए के ऊर्जा उपभोग वाले नए व्यावसायिक भवनों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और यह स्वैच्छिक आधार पर है।

(ख) और (ग) ईसीबीसी के कार्यान्वयन को सुगम बनाने तथा किसी समस्या को दूर करने के लिए ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) ने केन्द्र और राज्य सरकार के संगठनों दोनों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ईसीबीसी विशेषज्ञ वास्तुकारों (आर्किटेक्ट) की एक सूची तैयार की है। 12 आर्किटेक्ट के एक पैनल को अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14(पी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास भवन या भवन परिसर में ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण हेतु ईसीबीसी को आदेश देने की शक्ति है। राज्य सरकारें अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ईसीबीसी को संशोधित कर सकती है। ईसीबीसी पर सूचना प्रसारित करने के लिए राज्य सरकारों के उपयुक्त विभागों को संवेदनशील बनाने के लिए राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट एजेंसियों (एसडीए) की सहायता से 13 राज्यों में 25 जागरूकता कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इसमें 1500 पेशेवरों द्वारा भाग लिया गया था।

विभेदकारी ब्याज दर योजना

2065. श्री विक्रम केशरी देव:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के लाभार्थियों के लिए विभेदकारी ब्याज दर (डी.आर.आई.) योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में इंदिरा आवास योजना के राज्य-वार कितने लाभार्थी डी.आर.आई. योजना का लाभ उठा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2008-09 की बजट घोषणा के बाद भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 2 मई, 2008 को आदर्श योजना जारी की है, ताकि इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के लाभार्थियों को विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) के तहत आवास ऋण दिये जा सकें।

(ख) चूंकि आदर्श योजना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही प्रारंभ की गई है, अत: इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या के संबंध में कोई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में विसंगति

2066. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग के वेतन व अन्य अनुलब्धियों के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में विसंगति के बारे में किसी व्यक्ति या संघ द्वारा कोई अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से कुछ वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अपग्रेडिड वेतनमानों की मांग की गई है।

(ग) व्यय विभाग के दिनांक 29.8.2008 के संकल्प सं. 1/1/2008-आईसी. के पैरा 6 के अनुसार, सरकार ने विसंगति-समितियों का गठन करने की अनुमति दे दी है?

सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी

2067. श्री पी.एम. गढ़वी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सहकारी बैंकों में क्षेत्र-वार एवं बैंक-वार धोखाधड़ी के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) ऐसे मामलों में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त हैं;

(ग) उक्त राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा इस अवधि के दौरान बैंक-वार कितनी राशि वसूल की गई है; और

(घ) इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पर्यवेक्षी दायरे में आने वाले राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा सूचित 31 मार्च, 2008 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान धोखाधड़ी के मामलों की संचयी स्थिति निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

एजेंसी	की स्थिति के अनुसार	लिप्त बैंक	मामलों की संख्या	बकाया राशि
एससीबी	31.3.2006	26	180	3649.95
	31.03.07	25	311	6976.32
	31.03.08	20	456	7589.22
डीसीसीबी	31.03.06	306	2857	31239.18
	31.03.07	299	2349	31522.13
	31.03.08	287	2464	33126.41

(ग) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, राज्य-वार तथा एजेंसी-वार वसूली की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी के मालमों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है:

* सहकारी बैंकों में सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना।
* आंतरिक जांच के संबंध में मैनुअल/पत्रादि तैयार करना तथा इन्हें परिचालित करना और सहकारी बैंकों के लिए शाखा नियंत्रण।
* नाबार्ड की सलाह सभी एससीबी तथा डीसीसीबी को वर्गीकरण में अशोधन करने/युक्तियुक्त बनाने तथा धोखाधड़ियों की सूचना देने तथा निगरानी हेतु जारी कर दी गई है।

* 10 लाख रुपये तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा करने के लिए नाबार्ड में केन्द्रीयकृत धोखाधड़ी निगरानी कक्ष (सीएफएमसी) की स्थापना।

विवरण

31 मार्च, 2008 तक की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी की राज्य-वार और एजेंसी-वार स्थिति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	मामलों की संख्या	शामिल बैंक	शामिल संख्या	वसूली गयी राशि	बकाया राशि	किया गया प्रावधान एससीबी	मामले जो आरबीआई/ सीबीआई को भेजा गया	मामलों की संख्या	शामिल बैंक	शामिल संख्या	वसूली गयी राशि	बकाया राशि	किया गया प्रावधान डीसीसीबी	मामले जो आरबीआई सीबीआई को भेजा गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	296	11	30	83.72	749.45	649.24	1
2.	गोवा	239	1	5	53.08	220.09	1.01	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3.	केरल	4	1	4	शून्य	4.02	4.01	शून्य	190	9	33	23.59	223.15	214.38	शून्य
4.	उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	178	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	133.67	82.98	उ.न.
5.	राजस्थान	11	1	3	शून्य	225.32	शून्य	शून्य	55	15	33	468.81	432.91	281.09	2
6.	कर्नाटक	5	1	4	शून्य	540.52	उ.न.	उ.न.	134	21	107	4.94	1232.94	उ.न.	उ.न.
7.	तमिलनाडु	5	1	4	29.73	29.73	29.73	शून्य	73	20	57	73.65	446.85	189.36	1
8.	उड़ीसा	7	1	2	शून्य	45.08	0.00	शून्य	14	14	23	89.66	477.25	101.82	शून्य
9.	पंजाब	2	1	1	0	3.00	3.00	उ.न.	167	14	42	11.19	615.90	352.44	उ.न.
10.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	19	9	15	13.56	478.79	26.21	उ.न.
11.	चंडीगढ़	1	1	1	-	9.69	9.69	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-	उ.न.	उ.न.	उ.न.
12.	असम	6	1	5		72.00	25.91	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.		उ.न.	उ.न.	उ.न.
13.	महाराष्ट्र	40	1	11	शून्य	173.97	173.97	शून्य	455	31	227	65.92	22336.78	21757	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	50	1	7		267.26	0.00	उ.न.	84	32	74		525.17	0	उ.न.
15.	पश्चिम बंगाल	16	2	8	2.09	54.61	10.23	शून्य	51	14	22	131.97	373.66	382.71	शून्य
16.	बिहार	4	1	3	शून्य	934.74	0.00	उ.न.	80	17	53	5.42	622.13	193.5	उ.न.
17.	आंध्र प्रदेश	31	1	7		1701.64	1574.95	उ.न.	122	16	68		536.27	324.91	उ.न.
18.	जम्मू-कश्मीर	1	1	1	28.4	24.57	26.00	उ.न.	12	3	12	30.24	143.43	93.87	उ.न.
19.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	29	6	29	लागू नहीं	234.57	105.87	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
21.	झारखण्ड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	71	8	38	12.3	765.65	726.92	शून्य
22.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
23.	हिमाचल प्रदेश	19	1	4	शून्य	41.66	उ.न.	उ.न.	29	2	7	शून्य	78.78	उ.न.	उ.न.
24.	उत्तर प्रदेश	4	1	2	शून्य	24.79	शून्य	शून्य	255	45	154	9.62	2719.06	1217.33	शून्य
25.	मेघालय	3	1	3		363.53	336.27	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
26.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
27.	अरुणाचल प्रदेश	8	1	14	15	28.53	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
28.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	456	20	89	128.3	7589.22	2194.77	0	2464	287	1024	1013.52	33126.41	26699.63	4

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा बीमा

2068. श्री गणेश सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक/कंपनियां क्रेडिट कार्ड धारकों की लिखित सहमति के बिना उन्हें बीमा प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों/कंपनियों द्वारा की जा रही इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान बैंकिंग ओमबड्समैन के कार्यालयों को बैंकों के विरुद्ध क्रेडिट कार्ड के संबंध में कुल क्रमश: 7,688 और 10,107 शिकायतें प्राप्त हुई। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान प्रबंध सूचना प्रणाली से शिकायतों के स्वरूप के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में एक अध्ययन किया था, जिसमें बिना मांगे क्रेडिट कार्डों का जारी किया जाना भी शामिल था। अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों में क्रेजिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा, कार्डों के साथ क्रेडिट कार्ड और प्रस्तावित अन्य उत्पादों को जारी करने के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 23.7.2008 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें बैंकों को अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में दिनांक 1 जुलाई, 2008 को एक मास्टर परिपत्र भी जारी किया है, जिसमें बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि बिना मांगे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किये जाने चाहिएं और यदि बिना मांगे कार्ड जारी किया जाता है और प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना सक्रिय किया जाता है और उसके लिए प्राप्तकर्ता को बिल भेजा जाता है, तो कार्ड जारी करने वाला बैंक न केवल प्रभारों को तत्काल रद्द करेगा बल्कि प्राप्तकर्ता को बिना आपत्ति के रद्द किये गये प्रभार के मूल्य के बराबर जुर्माने का भुगतान भी करेगा। इसके अतिरिक्त, जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया जाता है, वह बैंकिंग ओमबड्समैन के पास भी जा सकता है, जो बैंकिंग ओमबड्समैन स्कीम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार अर्थात् शिकायतकर्ता के समय की बर्बादी, हुए खर्च, उसके उत्पीड़न एवं मानसिक व्यथा के लिए बिना मांगे क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बैंक द्वारा देय क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करेगा। मार्गनिर्देशों मे यह प्रावधान है कि बिना मांग

वाले ऐसे कार्डों के दुरुपयोग से होने वाली कोई भी क्षति केवल कार्ड जारी करने वाले बैंक की जिम्मेदारी होगी और जिस व्यक्ति के नाम कार्ड जारी किया गया है, उसे इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

[अनुवाद]

भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान

2069. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आई.आई.सी.ए.) की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में इसकी क्षेत्रीय शाखाओं की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना सहक्रियान्वित ज्ञान प्रबंधन, वैश्विक भागीदारियों और यथोचित समयबद्ध समाधानों के माध्यम से कारपोरेट वृद्धि, सुधारों और नियमन मे सहायता करने के लिए एक साकल्यवादी विचारक मण्डल (होलिस्टिक थिंक टैंक), क्षमता निर्माण, सेवाआपूर्ति संस्थान के रूप मे कार्य करने के लिए की गई है। इसका पंजीकरण दिनांक 12.9.2008 को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किया गया है। आईआईसीए की आधारशिला दिनांक 10.11.2008 को आईएमटी, मानेसर, हरियाणा में की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीएस.टी. को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किये जाने से संबंधित क्षतिपूर्ति

2070. श्री हरिन पाठक: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से खत्म किये जाने के कारण होने वाले राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) अधिकार प्राप्त समिति की व्यवस्था के द्वारा राज्य सरकारें एवं केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के फलस्वरूप राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की किस प्रकार क्षतिपूर्ति की जाए इस बात पर सहमत हो गई हैं। इस फार्मूले के अनुरूप गुजरात सरकार ने भी केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया है। गुजरात सरकार ने वर्ष 2007-08 के लिए 764.06 करोड़ रुपये की तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में जून 2008 तक की अवधि में 91.23 करोड़ रुपये की हानि की सूचना दी है। क्षतिपूर्ति फार्मूले एवं अन्य रिकार्डों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति के रूप में 338.14 करोड़ रुपये की राशि तदर्थ रूप से जारी की है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकों के लिए एक नाम

2071. श्री घुरन राम: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक राज्य में ग्रामीण बैंकों के लिए एक नाम रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं

2072. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र वार एवं बैंक-वार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अधिक शाखाओं तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता के आकलन के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों का विचार देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं बंद करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं बैंक-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओ को इस प्रकार बंद किये जाने से रोकने तथा बंद की गई शाखाओं को खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विगत तीन वर्षों के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं बैंक-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

(ख) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1.7.2008 के मास्टर परिपत्र के तहत जारी की गई उदारीकृत तथा युक्तियुक्त शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार, बैंक अपनी शाखाओं को खोलने/बंद करने/विलयित करने/स्थानान्तरित करने/परिवर्तित करने के लिए अपनी आवश्यकताओं का स्वयं निर्धारण करते हैं और अपने निदेशक मडंल के अनुमोदन से, भारतीय रिजर्व बैंक को उसके अनुमोदन हेतु एक वार्षिक शाखा विस्तार योजना प्रस्तुत करते हैं। कुछ कारकों यथा कारबार संभावना, अर्थक्षमता, अवसंरचना, सुरक्षा आदि पर विचार करने के पश्चात् देश के किसी क्षेत्र में बैंक शाखाओं को खोलने/बंद करने की जरूरत का निर्धारण बैंक के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। तथापि, यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1.7.2008 के मास्टर परिपत्र (ऊपर उल्लिखित) के तहत जारी किये गये उक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी विद्यमान केन्द्रीय बैंक सुविधा रहित नहीं होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बंद किये जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं का राज्य-वार/बैंक-वार ब्यौरा, इसके कारणों के साथ, सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों तथा 30 सितम्बर, 2008 तक चालू वर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006	1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2007	1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008	1 अप्रैल, 2008 से 30 सितम्बर, 2008
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	3	–	–
आंध्र प्रदेश	75	153	286	65
अरुणाचल प्रदेश	2	2	1	–
असम	15	17	36	9
बिहार	21	42	72	27
चण्डीगढ़	10	13	25	6
छत्तीसगढ़	12	25	56	17
दादरा और नगर हवेली	–	2	–	–
दिल्ली	74	94	100	53

1	2	3	4	5
गोवा	12	9	24	2
गुजरात	50	95	183	29
हरियाणा	57	75	103	33
हिमाचल प्रदेश	9	23	31	11
जम्मू और कश्मीर	7	13	12	2
झारखण्ड	23	26	70	13
कर्नाटक	84	115	184	75
केरल	45	87	114	45
लक्षद्वीप	1	–	–	–
मध्य प्रदेश	27	52	148	56
महाराष्ट्र	86	124	226	97
मणिपुर	–	1	–	1
मेघालय	4	2	3	–
मिजोरम	–	4	3	1
नागालैंड	1	2	2	–
उड़ीसा	53	68	95	26
पुडुचेरी	2	9	8	1
पंजाब	47	104	134	46
राजस्थान	45	87	124	47
सिक्किम	3	3	7	–
तमिलनाडु	74	185	220	88
त्रिपुरा	2	3	8	1
उत्तर प्रदेश	127	219	397	117
उत्तराखण्ड	18	20	67	14
पश्चिम बंगाल	37	78	147	49
कुल योग	1024	1755	2886	931

टिप्पणी: 1. '–' 'शून्य' दर्शाता है।

2. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा आईडीबीआई लिमिटेड शामिल हैं।

स्रोत: बैंकों के संबंध में मास्टर कार्यालय फाइल (नवीनतम अद्यतन संस्करण)।

विवरण II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विगत तीन वर्ष तथा 30 सितम्बर, 2008 तक चालू वर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की कुल संख्या का बैंक-वार ब्यौरा

बैंक का नाम	1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006	1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007	1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008	1 अप्रैल, 2008 से 30 सितम्बर, 2008
1	2	3	4	5
इलाहाबाद बैंक	48	65	93	33
आंध्रा बैंक	44	73	79	21
बैंक ऑफ बड़ौदा	26	50	125	38
बैंक ऑफ इंडिया	36	101	161	8
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9	45	30	9
केनरा बैंक	20	46	101	34
सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11	68	117	77
कारपोरेशन बैंक	57	61	83	44
देना बैंक	–	13	27	10
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	16	32	67	3
इंडियन बैंक	25	45	99	26
इंडियन ओवरसीज बैंक	20	175	85	17
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	23	120	43	24
पंजाब एंड सिंध बैंक	55	20	11	19
पंजाब नेशनल बैंक	37	54	127	63
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	12	27	21	5
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	16	22	36	11
भारतीय स्टेट बैंक	226	208	1,002	305
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	6	14	20	7
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	10	11	26	5
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	10	29	49	14
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	10	36	9	–

1	2	3	4	5
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	22	15	8	12
सिंडिकेट बैंक	209	121	53	21
यूको बैंक	17	110	95	21
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	36	132	167	55
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10	8	78	33
विजया बैंक	13	54	74	16
कुल योग	1,024	1,755	2,886	931

टिप्पणी: 1. '-' 'शून्य' दर्शाता है।

2. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा आईडीबीआई लिमिटेड शामिल हैं।

स्रोत: बैंकों के संबंध में मास्टर कार्यालय फाइल (नवीनतम अद्यतन संस्करण)।

नया कम्पनी विधेयक

2073. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना नया कम्पनी विधेयक लाने की है जिसमें सरकारी नियंत्रण की बजाय कारपोरेटों द्वारा स्व-विनियमन पर जोर दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन करते हुए कम्पनियों के नियमन के लिए सरकार ने कम्पनी विधेयक, 2008 को लोक सभा में दिनांक 23.10.2008 को पुर:स्थापित किया है। विधेयक में शेयरधारकों की भागीदारी सहित पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेय नियमन हेतु एक ढांचा बनाए जाने का विचार है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

2074. श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री के. सुब्बारायण:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी मात्रा में ऋण का संवितरण किया गया;

(ख) इनकी वापसी/अदायगी की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत ऋणों के संवितरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत मार्च 2006, 2007 और 2008 में समाप्त वर्षों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की मात्रा और वसूली की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

प्रगति वर्ष (में समाप्त वर्ष के लिए)	संवितरित		मार्च में समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार वसूली की प्रतिशतता
	आवेदनों की संख्या	राशि लाख रुपये में	
मार्च, 2006	257606	162399	41.99
मार्च, 2007	250138	159269	41.34
मार्च. 2007	245611	187981	38.57

पीएमआरवाई को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक मंत्रालय, यथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के साथ मिला दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। केवल प्रशासनिक मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करता है।

[अनुवाद]

बीमा दावे

2075. श्री नरहरि महतो:
श्री रनेन बर्मन:
श्री हितेन बर्मन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा कंपनी-वार एवं जोन-वार मोटर वाहन बीमा दावों का निपटान किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ अधिकारियों को कर्त्तव्यविमुख होने का दोषी पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार, जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपयुक्त कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भूदान भूमि का वितरण

2076. श्री रामदास आठवले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भूमि-हीन लोगों के वितरण के लिए भूदान भूमि का राज्य-वार कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने भूमिहीन लोगों को इसका वितरण करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (ग) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पात्र भूमिहीन गरीबों को वितरित किये जाने हेतु 5.01 लाख एकड़ भू-दान भूमि उपलब्ध है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भूमि सुधार से संबंधित मामले अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। केन्द्र सरकार को इसमें सीमित भूमिका अदा करनी होती है, जो मुख्यत: सलाहकारी स्वरूप की है। भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों/सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर की जाती हैं। राज्य सरकारों से कार्य-योजनाएं तैयार करके पात्र ग्रामीण गरीबों को उपलब्ध भू-दान भूमि वितरित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

भूमि सुधार से संबंधित मामलों के संबंध में व्यापक सिफारिशें प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित के गठन का निर्णय लिया गया है:

(1) ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति"।

(2) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्"।

समिति तथा परिषद् के संघटन, विचारार्थ-विषय आदि को 9 जनवरी, 2008 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय राज्यों में भू-दान भूमि के वितरण की प्रगति की समीक्षा करना तथा शेष भू-दान भूमि भूमिहीनों को वितरित करने हेतु उपायों का सुझाव देना है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

परिषद् द्वारा समिति की सिफारिशों के आधार पर भूमि सुधार के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत तथा नीति तैयार की जा सकती है। तथापि, इस प्रयोजन हेतु निश्चित समयावधि इंगित करना संभव नहीं है।

विवरण

(क्षेत्र लाख एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य	वितरण के लिए उपलब्ध भूदान भूमि
1.	आंध्र प्रदेश	1.42
2.	असम	शून्य
3.	बिहार	1.53
4.	छत्तीसगढ़	0.01
5.	गुजरात	0.07
6.	हरियाणा	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	नगण्य
8.	जम्मू-कश्मीर	नगण्य
9.	झारखंड	असूचित
10.	कर्नाटक	0.07
11.	केरल	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	0.31
13.	महाराष्ट्र	0.77
14.	उड़ीसा	0.59
15.	पंजाब	0.04 @
16.	राजस्थान	0.01
17.	तमिलनाडु	0.03
18.	त्रिपुरा	राज्य में भू-दान भूमि नहीं है।
19.	उत्तर प्रदेश*	0.16
20.	पश्चिम बंगाल	भू-दान भूमि उपलब्ध नहीं है।
	योग	5.01

@कब्जे में नहीं लिया गया क्षेत्र
*उत्तराखंड सहित

[अनुवाद]

बेरोजगार युवकों का ऋण माफ किया जाना

2077. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षित बेरोजगार युवकों को दिये गये ऋण की बकाया राशि को माफ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए ए.एस.सी.आई. के सुझाव

2078. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ए.एस.सी.आई.), हैदराबाद ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुझाव लागू कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ सुझाव, जो व्यवहार्य पाए गए, डीडीए द्वारा स्थापित कॉडर रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिये गये हैं। प्रधान आयुक्त (भू प्रबंधन एवं निष्पादन) का एक पद पहले से ही डीडीए में सृजित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

शिक्षा ऋण

2079. श्री के. सुब्बारायण: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये कुल ऋण की तुलना में शिक्षा ऋण की प्रतिशतता क्या रही है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान शिक्षा ऋण के पुनर्भुगतान की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान बैंकों द्वारा की गई कुल ऋण वसूली की तुलना में शिक्षा ऋण वसूली की प्रतिशतता क्या रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाया अग्रिम के कुल बकाया शिक्षा ऋण का बैंक-वार प्रतिशत (आईबीए से उपलब्ध अद्यतन सूचना) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि शिक्षा ऋणों की वसूली के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाया अग्रिम के बकाया कुल शिक्षा ऋणों के प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण

	बैंक का नाम	कुल अग्रिम के शिक्षा ऋण का %		
		2005-06	2006-07	2007-08
	1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	0.71	0.78	0.93
2.	आंध्रा बैंक	3.07	3.24	3.41
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	0.73	0.81	0.86
4.	बैंक ऑफ इंडिया	0.72	0.85	0.90
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.64	0.74	0.85
6.	केनरा बैंक	1.20	1.27	1.62
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.69	0.73	0.78
8.	कारपोरेशन बैंक	0.65	0.87	1.15
9.	देना बैंक	0.74	0.89	0.91
10.	इंडियन बैंक	1.67	2.38	2.88
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1.20	1.15	1.21
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0.85	0.92	1.07
13.	पंजाब नेशनल बैंक	0.91	0.99	0.87
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.77	0.86	0.81
15.	सिंडिकेट बैंक	1.10	1.19	1.33
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	0.65	0.74	0.91
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.98	1.02	0.99
18.	यूको बैंक	0.42	0.51	0.60

1		2	3	4
19.	विजया बैंक	0.84	0.86	0.98
20.	भारतीय स्टेट बैंक	0.92	0.98	1.06
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	0.47	0.56	0.75
22.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.42	0.42	0.48
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1.29	1.19	1.67
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1.05	1.12	1.31
25.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0.61	0.63	0.70
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.87	3.14	3.74
27.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.46	0.54	0.64
28.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	0.00	0.00	0.05
	कुल	0.91	0.99	1.10

[हिन्दी]

जैव-गैस संयंत्रों की स्थापना

2080. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री अजीत जोगी:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कार्यशील जैव-गैस संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने जैव-गैस संयंत्र स्थापित किये गये; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को राज्य-वार कितना अनुदान/राजसहायता प्रदान की गई तथा उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) बायोगैस संयंत्रों के विस्तृत ब्यौरे, जिसमें अकार्यशील संयंत्रों संबंधी सूचना भी शामिल है, सामान्यतया ब्लॉक/जिला स्तर पर राज्य नोडल विभागों/एजेंसियों; खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालयों में रखे जाते हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग द्वारा वर्ष 2000-2001 में 19 राज्यों में किये गये नैदानिक (डायनोस्टिक) नमूना अध्ययन से रिपोर्ट है कि अखिल भारतीय औसत आधार पर सर्वेक्षण किये गये लगभग 81 प्रतिशत संयंत्र कमीशन किये गये। वर्ष 2005-06 के दौरान मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये गये हाल ही के नमूना निरीक्षण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्यों में निरीक्षण किये गये बायोगैस संयंत्रों के लिए 91 प्रतिशत औसत कार्यशीलता की रिपोर्ट दी गई है।

(ख) वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान देश में स्थापित बायो गैस संयंत्रों की कुल संख्या 2,48,533 है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संस्थापना की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के कार्यान्वयन हेतु जारी और उपयोग की गई निधियों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण I

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08) के दौरान बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संस्थापना की स्थिति

(संयंत्रों की संख्या)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7500	18002	10195
अरुणाचल प्रदेश	34	60	100
असम	0	0	2500
बिहार	0	250	0
छत्तीसगढ़	3862	4446	2095
गोवा	86	75	21
गुजरात	5001	7905	7801
हरियाणा	985	1068	1034
हिमाचल प्रदेश	79	155	151
जम्मू और कश्मीर	0	0	0
झारखंड	125	110	186
कर्नाटक	1747	3023	2433
केरल	2100	4214	2144
मध्य प्रदेश	6738	11222	7042
महाराष्ट्र	7599	12660	15066
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	55	60	200
मिजोरम	100	100	100
नागालैंड	100	200	131
उड़ीसा	1500	3922	3895
पंजाब	1685	1789	3000
राजस्थान	3	0	0

1	2	3	4
सिक्किम	100	185	172
तमिलनाडु	1492	727	1223
त्रिपुरा	0	32	0
उत्तर प्रदेश	3753	3636	2856
उत्तराखण्ड	306	351	370
पश्चिम बंगाल	7578	8500	11000
केवीआईसी एवं अन्य	10000	15053	15125
कुल	62528	97165	88840

विवरण II

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के कार्यान्वयन हेतु पिछले तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08) के दौरान जारी तथा उपयोग की गई निधियों की राज्यवार स्थिति

(करोड़ रु. में)

राज्य/एजेंसी	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4.32	8.47	9.22
अरुणाचल प्रदेश	0.33	0.64	0.28
छत्तीसगढ़	1.25	2.07	0.38
गुजरात	1.98	3.88	5.12
हरियाणा	0.12	0.21	0.21
हिमाचल प्रदेश	0.06	0.10	0.07
कर्नाटक	3.66	0.84	–
केरल	0.17	1.19	0.86
मध्य प्रदेश	–	6.64	5.35
महाराष्ट्र	2.64	2.73	4.79
मणिपुर	0.18	0	–
मेघालय	0.16	0.16	0.25

1	2	3	4
मिजोरम	0.06	0.06	0.06
नागालैंड	0.06	0.12	1.63
उड़ीसा	2.25	3.49	1.70
पंजाब	0.18	0.80	0.92
सिक्किम	0.26	0.26	0.33
तमिलनाडु	0.36	0	0.32
त्रिपुरा	–	0	0.30
उत्तर प्रदेश	0.40	0.84	3.66
उत्तराखण्ड	0.26	0.08	0.10
पश्चिम बंगाल	3.19	7.33	5.61
केवीआईसी, मुम्बई	5.03	10.17	12.79
अन्य	1.19	1.42	1.95
कुल	28.10	51.50	55.90

[अनुवाद]

अफीम की खेती

2081. श्री दुष्यंत सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफीम की खेती में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे राज्यवार अफीम के कितने उत्पादक प्रभावित हुए हैं; और

(घ) उन्हें उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। अफीम की खेती में तीव्र गिरावट नहीं आई है। तथापि, अफीम पोस्त की खेती के अंतर्गत क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे कम हुआ है क्योंकि प्रत्येक वर्ष लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं कर पाने के कारण कुछ किसानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तथापि, चालू फसल वर्ष (2008-09) के दौरान प्रत्येक कृषक के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को 10 आरी से बढ़ाकर 20 आरी अर्थात् दोगुना क्षेत्र करके कुल लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। साथ ही, जिन कृषकों ने वर्ष 2007-08 के दौरान औसत उपज 60 कि.ग्रा./ हैक्टेयर से ज्यादा दिया है उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर अतिरिक्त 10 आरी का लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जिन कृषकों का लाइसेंस रद्द किया गया है उनकी संख्या निम्न प्रकार है:

	2005-06	2006-07	2007-08
मध्य प्रदेश	6,063	2,555	5,897
राजस्थान	8,877	7,074	9,808
उत्तर प्रदेश	1,034	979	224
कुल	15,974	10,608	15,929

(घ) कृषकों का लाइसेंस तभी रद्द किया जाता है जब वे न्यूनतम अर्हक उपज नहीं देते हैं, मिलावटी अथवा जलयुक्त अफीम प्रस्तुत करते हैं, एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों अथवा नियमावली अथवा विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन करते हैं, आदि।

सामाजिक सुरक्षा कर

2082. श्री के.एस. राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राजस्व जुटाने हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं पर पृथक से सामाजिक सुरक्षा कर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एम. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पेट्रोल, डीजल तथा कच्चे तेल पर सीमा शुल्क

2083. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल एवं डीजल पर सीमा शुल्क कम करने तथा कच्चे तेल पर सीमा शुल्क पूरी तरह से हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) फिलहाल पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क को कम करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। कच्चे तेल पर पहले से ही दिनांक 4 जून, 2008 से बुनियादी सीमा शुल्क शून्य है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

माइक्रो वित्तीय एजेंसियां

2084. श्री सुव्रत बोस: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में माइक्रो वित्तीय एजेंसियों को विनियमित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार ने व्यष्टि वित्त क्षेत्र के संवर्द्धन, विकास और विनियमन के लिए औपचारिक सांविधिक संरचना प्रदान करने के लिए दिनांक 20.3.2007 को लोक सभा में "सूक्ष्म वित्त क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007" पेश किया है। इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:

(क) व्यष्टि वित्त क्षेत्र के विकास और विनियमन का कार्य राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सौंपना;

(ख) व्यष्ठि वित्त की गतिविधियों मे शामिल विभिन्न संस्थाओं जैसी सहकारी समितियां, राज्य अधिनियमितियों के अंतर्गत पंजीकृत पारस्परिक लाभ समितियां अथवा परस्पर सहायता प्राप्त समितियां अथवा बहुराज्यीय सहकारी समितियां, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा ऐसी समितियों को अधिशासित करने वाली किसी अन्य अधिनियमिती के अंतर्गत पंजीकृत समितियां और भारतीयन न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत सृजित न्यास अथवा किसी राज्य अधिनियमिती के अंतर्गत पंजीकृत लोक न्यास, जो प्रस्तावित विनियमन ढांचे द्वारा अधिशासित होंगे, को परिभाषित करना;

(ग) व्यष्ठि वित्तीय सेवाओं के लाभार्थियों के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) अथवा ऐसे पात्र ग्राहकों के संयुक्त देयता समूहों सहित विभिन्न वर्गों को पात्र ग्राहकों के रूप में परिभाषित करना;

(घ) प्रस्तावित उच्चतम सीमा के अध्यधीन वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य वित्तीय सेवाओं के रूप में पात्र ग्राहकों को व्यष्टि वित्तीय सेवाओं का प्रावधान;

(ङ) बचत सेवा अर्थात् चालू खाते के रूप में के अलावा पात्र ग्राहकों के बचत अथवा राष्ट्रीय बैंक द्वारा पंजीकृत व्यष्टि वित्त संगठनों द्वारा मांग जमा खाता के विहित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन स्वीकार करने का प्रावधान;

(च) राष्ट्रीय बैंक को व्यष्टि वित्त क्षेत्र के व्यवस्थित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक नीतियां, योजनाएं बनाने और दूसरे उपाय करने पर सलाह देने के लिए व्यष्टि वित्त विकास परिषद के गठन का प्रावधान;

(छ) एसएचजी के व्यक्तिगत सदस्यों से अथवा एक समूह तंत्र द्वारा बचत संग्रह के लिए अनुमति प्राप्त व्यष्टि वित्त संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान;

(ज) आरक्षित निधि के सृजन और खातों के अनुरक्षण और व्यष्टि वित्त संगठनों द्वारा आवधिक विवरण देने के लिए प्रावधान;

(झ) व्यष्टि वित्त क्षेत्र के विकास के लिए प्रयुक्त होने वाले व्यष्टि वित्त विकास और इक्विटी निधि के गठन का प्रावधान;

(ट) पात्र ग्राहकों और व्यष्टि वित्त संगठनों के बीच विवादों के निपटान के लिए एक या अधिक व्यष्टि वित्त ओबड्समैन की नियुक्ति के लिए योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय बैंक को सशक्त करना;

(ठ) विधेयक की विनयामक अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन के लिए जुर्माने का प्रावधान;

(ड) विधेयक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियम निर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त करना;

(ढ) विधेयक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियम तय करने के लिए राष्ट्रीय बैंक को सशक्त करना।

[हिन्दी]

कपास पर आयात शुल्क

2085. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कपास पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां। दिनांक 8.7.2008 से कपास को आयात शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है।

(ख) कपास की घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने तथा इसकी घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए यह छूट प्रदान की गई थी।

[अनुवाद]

बायोमास ऊर्जा

2086. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बायोमास ऊर्जा के विकास के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर बायोमास दहन आधारित विद्युत उत्पादन, चीनी मिलों में खोई सह-उत्पादन, उद्योगों में बायोमास सह-उत्पादन (गैर-खोई), उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास गैसीफायर को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1781.43 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता का कार्यक्रमवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान बायोमास ऊर्जा प्रणालियों के संवर्धन हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

दिनांक 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार कुल संस्थापित क्षमता का कार्यक्रमवार विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1.	बायोमास कम्बस्टन आधारित विद्युत उत्पादन	656.60
2.	चीनी मिलों में खोई सह-उत्पादन	993.83
3.	उद्योगों मे बायोमास गैसीफायर	28.00
4.	उद्योगों में बायोमास सह-उत्पादन (गैर-खोई)	95.00
5.	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु बायोमास गैसीफायर	8.00
	कुल	1781.43

विवरण II

बायोमास ऊर्जा प्रणालियों के संवर्धन हेतु पिछले तीन वर्षों अर्थात 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता (करोड़ रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	2.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99
3.	बिहार	0.83
4.	छत्तीसगढ़	6.11
5.	दिल्ली	0.04
6.	गुजरात	0.60
7.	हरियाणा	0.29
8.	झारखंड	0.01
9.	कर्नाटक	3.67
10.	मध्य प्रदेश	1.06
11.	माहारष्ट्र	5.11
12.	मेघालय	0.24
13.	नागालैंड	1.05
14.	उड़ीसा	0.29
15.	पंजाब	1.00
16.	राजस्थान	0.91
17.	तमिलनाडु	2.50
18.	त्रिपुरा	0.24
19.	उत्तर प्रदेश	8.84
20.	पश्चिम बंगाल	1.32
21.	अन्य*	24.78
	कुल	62.65

*इरेडा सहित वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई निधियां।

[हिन्दी]

व्यवसाय विश्वास सूचकांक संबंधी सर्वेक्षण

2087. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में व्यवसाय विश्वास सूचकांक के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) व्यवसाय संभावना का त्रैमासिक सर्वेक्षण करती है और व्यवसाय विश्वास सूचकांक (बीसीआई) तैयार करती है। जुलाई, 2008 हेतु प्रकाशित किये गये अद्यतन सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार बीसीआई में पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 15% अथवा 22.9 अंकों की गिरावट आई है। एनसीएईआर का सर्वेक्षण यह भी रेखांकित करता है कि समग्र व्यवसाय का विश्वास अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद सकारात्मक बिक्री और उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है। संकेतक बिक्री और उत्पादन की अपेक्षा निर्यात और आयात में कम वृद्धि होने की ओर संकेत करते हैं। अन्य शब्दों में, घरेलू बाजार वैश्विक मांग की स्थितियों की तुलना में मजबूत होने की संभावना है।

(ग) चूंकि वैश्विक विकास में आई मंदी से घरेलू अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार ने मौद्रिक और राजकोषीय उपाय किये हैं जो विकास प्रक्रिया में शामिल हितधारकों के सरोकारों का समाधान करते हैं।

जनजातीय अधिकारिता के लिए विदेशों से वित्त पोषण

2088. श्री सुभाष महरिया: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई विदेशी एजेंसी देश में जनजातीय अधिकारिता एवं आजीविका कार्यक्रम का वित्तपोषण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उन्हें राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जी, हां। इंटरनेशनल फंड फार एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफडी) जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों मे क्रियान्वित झारखंड-छत्तीसगढ़ जनजाति विकास कार्यक्रम (जेसीटीडीपी) तथा उड़ीसा जनजाति अधिकारिता एवं जीविका कार्यक्रम (ओटीईएलपी) को निम्नांकित गतिविधियों हेतु निधि उपलब्ध कराता है:

- जनजातियों की अधिकारिता तथा उसकी खाद्य-सुरक्षा को बढ़ाना तथा उनकी आय में वृद्धि करना;
- उनकी आजीविका की समग्र गुणवत्ता में सुधार;
- स्थानीय समुदायों की क्षमता का निर्माण;
- भूमि, जल तथा वन तक पहुंच बढ़ाने एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने तथा ऑफ फार्म उपक्रम को प्रोत्साहित करना;
- संवर्धित सुपुर्दगी पद्धति हेतु संस्थागत क्षमता का सशक्तिकरण;
- देशी ज्ञान में वृद्धि करना तथा इसको तकनीकी अनुप्रयोगों के साथ मिलाना तथा राज्य में जनजातियों के समर्थन हेतु माहौल तैयार करना।

वर्तमान वर्ष विगत तीन वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु तीन राज्यों को दी गई निधियों का विवरण निम्न प्रकार है:

(आंकड़े अमेरिकी डालर में)

परियोजना	ऋण सं.	2005-06	2006-07	2007-08	2009-10 (10 दिसम्बर तक)
जेसीटीडीपी*	06-इन	265632.98	1458962.87	1245377.04	5512861.15
ओटीईएलपी**	585-इन (ऋण)	438295.84	1070391.50	1202686.69	553531.49
	585-इन (डीएफआईडी अनुदान)	0	0	7796506.81	1056964.66

*झारखंड-छत्तीसगढ़ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम
**उड़ीसा ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलिहुड प्रोग्राम

[अनुवाद]

खुले बोरवेल के संबंध में जांच

2089. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में बोरवेल में गिरकर मरने वाले बच्चों के मामलों की जांच करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने नलकूपों में बार-बार गिरकर मरने वाले बच्चों का मामला जल संसाधन मंत्रालय के साथ उठाया है। आयोग ने नलकूपों की खुदाई के दौरान किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों तथा समुचित पर्यवेक्षण के सुझाव दिये हैं। आयोग ने इस बात पर भी बल दिया है कि नलकूपों की खुदाई हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों को सख्त सजा दी जाए।

जैव-तापीय ऊर्जा संबंधी समिति

2090. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जैव-तापीय ऊर्जा की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार तथा लागू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के लद्दाख जिले में पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के संबंध में सितम्बर, 2007 में एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया था। इस विशेषज्ञ ग्रुप ने मई, 2008 में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह अनुशंसा की कि विद्युत उत्पादन के लिए पूगा में भूतापीय स्थल को दो चरणों में विकसित किया जाना चाहिए। जम्मू एवं कश्मीर की सरकार वाणिज्यिक दोहन हेतु एक परियोजना बना रही है।

एटीएम के बारे में नई प्रौद्योगिकी

2091. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी बैंकों ने एटीएम से कार्ड के बिना धनराशि निकालने के लिए कोई नई प्रौद्योगकी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय बैंकों द्वारा भी इस नई प्रौद्योगिकी के शुरू किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्का वेंडिंग मशीन

2092. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों का देश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सिक्का वेंडिंग मशीन लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालयों और बैंकों से रेलवे स्टेशनों, मॉल्स, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, इत्यादि जैसे प्रमुख स्थानों पर सिक्का मशीन लगाने का आग्रह करता रहा है। रेलवे स्टेशनों पर स्थापित सिक्का मशीनों के राज्यवार आंकड़े निम्नवत् हैं।

महाराष्ट्र-3

केरल-12

तमिलनाडु-1

आवास क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2093. श्री नवीन जिन्दल: क्या आवास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवास क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा इसके मुख्य स्रोत क्या हैं; और

(ग) उन आवास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए गत दो वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उपयोग किया गया?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां। सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत आवास और शहरी अवस्थापना में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है।

(ख) सिनेप्लैक्स, मल्टीप्लैक्स, एकीकृत उपनगर और वाणिज्यिक परिसरों आदि सहित आवास और स्थावर संपदा क्षेत्र में धन प्राप्ति का स्रोत देशों समेत वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ग) कंपनियों के प्रचालन क्षेत्र सहित उन कंपनियों जिनमें निवेश किया गया है, के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण I

अप्रैल 2005 से सितम्बर 2008 तक
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्ति का वर्षवार विवरण
सेक्टर आवास तथा स्थावर संपदा
(सिनेप्लक्स, मल्टीप्लैक्स, एकीकृत उपनगर व वाणिज्यिक परिसर आदि सहित)

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	देश	2005-06 अप्रैल-मार्च		2006-07 अप्रैल-मार्च		2007-08 अप्रैल-मार्च		2008-09 अप्रैल-मार्च		कुल	
		एफडीआई रुपयों में	एफडीआई अमरीकी डालर में	एफडीआई रुपयों में	एफडीआई अमरीकी डालर में	एफडीआई रुपयों में	एफडीआई अमरीकी डालर में	एफडीआई रुपयों में	एफडीआई अमरीकी डालर में	एफडीआई रुपयों में	एफडीआई अमरीकी डालर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आस्ट्रेलिया	0.00	0.06	0.00	0.00	0.74	0.02	0.00	0.00	0.74	0.02
2.	कनाडा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	5.72	245.00	5.72
3.	केमैन द्वीप	218.60	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.60	4.80
4.	साइप्रस	249.13	5.47	842.53	18.43	5,465.29	136.13	7,073.07	170.94	13,630.02	330.97
5.	जर्मनी	0.00	0.00	0.00	0.00	410.25	10.33	13.00	0.30	423.25	10.63
6.	हांगकांग	0.00	0.00	2.00	0.05	79.96	1.90	0.00	0.00	81.96	1.94
7.	इंडोनेशिया	0.00	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.02
8.	इजराइल	0.00	0.00	0.00	0.00	39.10	0.99	0.00	0.00	39.10	0.99
9.	कोरिया (द.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	2,031.89	48.75	2,031.99	48.75
10.	कुवैत	0.00	0.00	65.23	1.42	0.00	0.00	0.38	0.01	65.61	1.43
11.	मारीशस	607.40	13.59	12,129.50	267.84	61,362.34	1,526.34	38,949.35	929.06	113,048.60	2,736.83
12.	एनआरआई	87.28	2.00	0.27	0.01	5,787.31	141.15	7,572.57	180.31	13,447.43	323.46
13.	नीदरलैंड	0.00	0.00	6,820.50	150.01	11,099.00	281.44	0.50	0.01	17,920.00	431.46
14.	नेविस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.45	8.51	364.45	8.51
15.	नाइजीरिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47	0.41	16.47	0.41
16.	सउदी अरब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
17.	सिंगापुर	219.00	4.93	601.59	13.06	638.73	15.94	1,577.72	39.38	3,037.04	73.31
18.	दक्षिण अफ्रीका	0.00	0.00	6.85	0.16	0.00	0.00	0.10	0.00	6.95	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	स्पेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76	1.67	70.786	1.67
20.	स्विट्जरलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	0.15	6.61	0.15
21.	ताइवान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03	0.50	20.03	0.50
22.	थाईलैंड	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
23.	यूएई	120.50	2.67	200.10	4.41	571.36	14.28	28.72	0.65	920.67	22.01
24.	यूके	49.84	1.12	33.01	0.73	45.99	1.14	121.90	2.87	250.74	5.86
25.	यूएसए	153.22	3.45	502.95	11.10	710.63	17.55	915.13	21.74	2,281.94	53.85
26.	ब्रिटिश वर्जीनिया	0.00	0.00	5.50	0.12	0.00	0.00	502.56	11.70	508.06	11.82
27.	वेस्टइंडीज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.97	6.00	256.97	6.00
28.	अनिदर्शी देश	0.16	0.00	0.04	0.00	1,282.47	31.93	8,291.32	194.76	9,573.98	226.70
29.	केन्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87	0.28	1.187	0.28
	सकल योग	1,705.22	38.04	21,211.07	467.34	87,493.37	2,179.13	68,070.37	1,623.74	178,480.03	4,308.25

विवरण II

अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2008 तक
कंपनी वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्ति का ब्यौरा
सेक्टर: आवास तथा रियल स्टेट

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	भारतीय कंपनी का नाम	देश/स्ट	विदेशी सहयोगी का नाम	विनिर्माण की मद	एफसीआई प्राप्ति की राशि	
					(रु. में)	(अमरीकी डालर में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	पाम प्रापर्टी सर्विसेज (भारत) प्रा.लि.	आस्ट्रेलिया	पॉल जॉन सीओएक्स	किराया, खरीद, बिक्री, प्रबंधन कार्य में लगे रियल स्टेट एजेंट, ब्रोकर, मैनेजर	0.63	0.02
2.	पाम प्रापर्टी सर्विसेज (भारत) प्रा.लि.	आस्ट्रेलिया	प्रफुल पटेल	किराया, खरीद, बिक्री, प्रबंधन कार्य में लगे रियल स्टेट एजेंट, ब्रोकर, मैनेजर	0.11	0.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	बंगलौर गोवा एस्टेट्स (प्रा.) लि.	कनाडा	डीआर (एमआरएस) एनआरजीआईएस पीएनि	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	3.50	0.08
4.	बंगलौर गोवा एस्टेट्स (प्रा.) लि.	कनाडा	सलीम ए चतुर एवं अमरति के.सी.	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	3.50	0.08
5.	बंगलौर गोवा एस्टेट्स (प्रा.) लि.	कनाडा	ए.एन. भतेस	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	3.50	0.08
6.	बंगलौर गोवा एस्टेट्स (प्रा.) लि.	कनाडा	फेजल चतुर	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	12.25	0.29
7.	बंगलौर गोवा एस्टेट्स (प्रा.) लि.	कनाडा	करीम एस. अमरिं	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	51.33	1.20
8.	बंगलौर गोवा एस्टेट्स (प्रा.) लि.	कनाडा	शफीक लखि	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	26.25	0.61
9.	बंगलौर गोवा एस्टेट्स (प्रा.) लि.	कनाडा	दरकजली के चतुर	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	51.33	1.20
10.	बंगलौर गोवा एस्टेट्स (प्रा.) लि.	कनाडा	नजिर एम जमेर	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	51.33	1.20
11.	बंगलौर गोवा एस्टेट्स (प्रा.) लि.	कनाडा	यासमीन जिवराज	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	28.00	0.65
12.	बंगलौर गोवा एस्टेट्स (प्रा.) लि.	कनाडा	सलमा रजिन	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	14.00	0.33
13.	आईबीवी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	केमेन द्वीप	ल्योसे दुस्तीस (सीएचएसएएन एसटीडी)	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	218.60	4.80
14.	ट्राइकोन प्रोजेक्ट इंडिया प्रा.लि.	सइप्रस	चेतमोरे सोलुशन्स लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	249.13	5.47

1	2	3	4	5	6	7
15.	ट्राइकोन प्रोजेक्ट इंडिया प्रा.लि.	सहप्रस	त्रिवेणे डेवलपमेंट लि.	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	345.11	7.59
16.	एमार एमजीएफ लैंड प्रा. लि.	सहप्रस	तोडपेर सर्विसेस लि.	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	44.98	0.99
17.	एमार एमजीएफ लैंड प्रा.लि.	सहप्रस	कस्तूरिसेर ट्रेडिंग लि.	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	221.02	4.86
18.	ब्रिलियंट सारे रियलटी प्रा.लि.	सहप्रस	एस.ए.आर.इ. व्युअस लि.	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	24.00	0.54
19.	ट्राइकोन प्रोजेक्ट प्रा. लि.	सहप्रस	त्रिवेणे डेवलपमेंट	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	207.41	4.46
20.	बलाश रियलटर्स प्रा.लि.	सहप्रस	ओविमिंज कम्पनी लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	80.80	2.05
21.	वाटर चार्किट प्रा.लि.	सहप्रस	पैसिफिस्ट्ड डेवलपमेंट्स लिमिटेड	रिक्त स्टेट को लाटों में विकसित व उपविभाजित	66.20	1.55
22.	एनवी रियलटी वेन्चर्स प्रा.लि.	सहप्रस	एक्स खपत कोल्स एवं सीओ (टीआरपूएसटी सीओ-निमिनी)	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.00	0.00
23.	अरिहंत इन्फ्रा. अप्रमेकन इन्फ्रा. डेवलपमेंट	सहप्रस	स्तर पेंक एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	2.03	0.05
24.	एनवी रियलटी वेन्चर्स प्रा.लि.	सहप्रस	मोंटोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.11	0.00
25.	सिपिट्री रियलटी वेन्चर्स प्रा.लि.	सहप्रस	मोंटोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	रिक्त स्टेट कार्यकलाप	0.11	0.00
26.	मोतीस्वाम एस्टेट्स प्रा.लि.	सहप्रस	पुंदेबुर्क एंटिर्पिसेस एसटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	58.59	1.36
27.	इंदेव रियल एस्टेट प्रा.लि.	सहप्रस	लकेव्रेस्त एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	16.35	0.36
28.	इंदेव रियल एस्टेट प्रा.लि.	सहप्रस	लकेव्रेस्त एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	147.18	3.23

1	2	3	4	5	6	7
29.	आरएमबेड गलेरिया (इंडिया) प्रा.लि.	साझप्र	एसो इंडिया प्राइवेट लि.	रिहायशी भवनों का निर्माण	19.07	0.45
30.	वटरमेस बिल्डस प्रा.लि.	साझप्र	फैनेक्टल्य डेवलपमेंट लि.	रियल एस्टेट को साटों में विकसित व उपविभाजित	1.20	0.03
31.	वटर मार्क प्रा.लि.	साझप्र	फैनेक्टल्य डेवलपमेंट लि.	रिहायशी भवनों का निर्माण	187.60	4.45
32.	वटरमेस बिल्डस प्रा.लि.	साझप्र	फैनेक्टल्य डेवलपमेंट लि.	रियल एस्टेट को साटों में विकसित व उपविभाजित	122.50	2.91
33.	वटरमेस बिल्डस प्रा.लि.	साझप्र	फैनेक्टल्य डेवलपमेंट लि.	रियल एस्टेट को साटों में विकसित व उपविभाजित	203.10	4.82
34.	आरएमबेड गलेरिया प्रा.लि.	साझप्र	एसो इंडिया प्राइवेट लि.	रियल स्टेट कार्यकलाप	171.66	4.01
35.	वटर मार्क प्रा.लि.	साझप्र	फैनेक्टल डेवलपमेंट लि.	रियल एस्टेट को साटों में विकसित व उपविभाजित	3.70	0.09
36.	सुप्रीम नर्सिंग एंड हासपिटलिटी लि.	साझप्र	मस फैटीलीअर इन्वेसटमेंट	रियल स्टेट	4.20	0.10
37.	सुप्रीम नर्सिंग एंड हासपिटलिटी लि.	साझप्र	मस फैटीलीअर इन्वेसटमेंट	रियल स्टेट	405.38	10.05
38.	पेसिफिक चेन्नई प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी	साझप्र	वर्ल्ड पावर लि.	रिहायशी भवनों का निर्माण	256.14	6.40
39.	आरएमबेड गलेरिया इंडिया प्रा.लि.	साझप्र	एसो इंडिया को एवं एसपीएसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	12.68	0.32
40.	सुप्रीम बिल्ड कैपिटल	साझप्र	ल्यव अस्पक आई न्युप्रस होल्डिंग	रियल एस्टेट को साटों में विकसित व उपविभाजित	750.00	18.37
41.	पिलोटस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	साझप्र	मेग सैजोआरी लिमिटेड	रियल एस्टेट को साटों में विकसित व उपविभाजित	352.84	8.37
42.	अनुत्तम देव प्रा.लि.	साझप्र	पेम्पर्स एसटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	240.00	6.07
43.	भलस्व प्रा.लि.	साझप्र	जर्मिनेस कम्पनी लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	41.06	1.04
44.	भलस्व रियलटर्स प्रा.लि.	साझप्र	जर्मिनेस कम्पनी लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	247.98	6.28
45.	भलस्व रियलटर्स प्रा.लि.	साझप्र	जर्मिनेस कम्पनी लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	161.11	4.08
46.	डोडी हाउसिंग लि.	साझप्र	त्यअसम्पकआईन्युप्रस होल्डिंग	रियल स्टेट को विकसित और उप विभाजित करना	765.00	19.36

1	2	3	4	5	6	7
47.	वसाल रियलटर्स प्रा.लि.	साइप्रस	जर्विनिअ कम्पनी लिमिटेड	रिहायशी भवनों का निर्माण	272.72	6.92
48.	आरएमवेड प्रा.लि.	साइप्रस	एग्रो इंडिया ओ एंड लैफटीनेंट एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	18.83	0.47
49.	आरएमवेड प्रा.लि.	साइप्रस	एग्रो इंडिया ओ एंड लैफटीनेंट एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	169.48	4.23
50.	त्रिहारी प्रा.लि.	साइप्रस	केटोरेलस एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	535.00	13.37
51.	आरएमवेड गलेरिया इंडिया प्रा.लि.	साइप्रस	एग्रो इंडिया ओ एंड लैफटीनेंट एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	1.41	0.04
52.	मोबीलम प्रा.लि.	साइप्रस	पुंदेर बुर्क एंटरप्राइजेज एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	234.06	5.85
53.	वाटरमार्क्स रेजीडेंसी प्रा.लि.	साइप्रस	फैफिल्ड डेवलपमेंट्स लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	619.10	15.47
54.	आसिनत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	साइप्रस	चेविओ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	226.15	5.55
55.	स्टरलिंग अर्बन डवलपमेंट प्रा.लि.	साइप्रस	ओल्ड लेन इंडिया ग्रुप फुंद लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	887.23	21.95
56.	स्टरलिंग अर्बन डवलपमेंट प्रा.लि.	साइप्रस	ओल्ड लेन इंडिया ग्रुप फुंद लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	220.78	5.46
57.	आरएमवेड गलेरिया प्रा.लि.	साइप्रस	एग्रो इंडिया ओ एवं लैफटीनेंट लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	1.00	0.03
58.	लेक चार्ल्स बिल्डर्स प्रा.लि.	साइप्रस	ब्लगर्ब इंवेस्टेमस लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	40.10	1.02
59.	लेक चार्ल्स बिल्डर्स प्रा.लि.	साइप्रस	ब्लगर्ब इंवेस्टेमस लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	183.70	4.66
60.	ट्राइकोन प्रोजेक्ट इंडिया प्रा.लि.	साइप्रस	त्रिवेनी डेवलपमेंट लिमिटेड	रिहायशी भवनों का निर्माण	23.12	0.59
61.	एसएसडबलीडीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	साइप्रस	इन्वेलिसे इंडस्ट्री रॅल्व ओप्पोर्तुनित्य फुंद एस	रिहायशी भवनों का निर्माण	6.66	0.17
62.	एसएसडबलीडीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	साइप्रस	इन्वेलिसे इंडस्ट्री रॅल्व ओप्पोर्तुनित्य फुंद एस	रिहायशी भवनों का निर्माण	160.58	4.04
63	आरवी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रा.लि.	साइप्रस	वल्डं पर्त लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	4.37	0.11
64.	आरवी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रा.लि.	साइप्रस	वल्डं पर्त लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	1,635.54	40.87

1	2	3	4	5	6	7
65.	वटर मार्क्स रेजीडेंसी प्रा.लि.	साझप्र	पैसिफिक डेवलपमेंट्स लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	4.90	0.12
66.	पैसिफिका होटल्स हैदराबाद प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	साझप्र	वर्ल्ड फोकस लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	24.64	0.62
67.	पैसिफिका (चेन्नई प्रोजे.) इन्फ्रास्ट्रक्चर	साझप्र	वर्ल्ड चैंबर लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	111.12	2.80
68	ओसीनस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	साझप्र	संवेस्त ट्रेडिंग एसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	201.90	4.71
69.	सुप्रीम नर्सिंग एंड हॉस्पिटेलटी लि.	साझप्र	मास ब्राइवेट इन्वेस्टमेंट पवई लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	2.58	0.06
70.	एसएसटीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रा.लि.	साझप्र	इन्वेस्कोमिले इंडस्ट्री रॉलस ओप्पोर्टिनुच फुंड एस	रिहायशी भवनों का निर्माण	39.96	1.01
71	प्रेस्टीज मिट्टी होल्डिंग प्रा.लि.	साझप्र	क्यमेरास इंवेस्टमेंट एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	300.00	7.12
72.	एसएिम इंडिया डेवलपर्स प्रा.लि.	साझप्र	एस्सेस इंडिया वेंतुरे एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.10	0.00
73.	एसएिम इंडिया डेवलपर्स प्रा.लि.	साझप्र	च्यमंचो सर्विसेस एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.00	0.00
74.	सिम्सन डेवलपर्स प्रा.लि.	साझप्र	सेंचो एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.10	0.00
75.	सर्एिम डेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	साझप्र	सेर्तेर एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.10	0.00
76.	सार्एिम डेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	साझप्र	च्यमंचो सर्विसेस एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.10	0.00
77.	मीरोसिम डेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	साझप्र	च्यमंचो सर्विसेस एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
78.	साइमल डेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	साइप्रस	एल्बिस कोचीन आइलैण्ड एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.10	0.00
79.	बिमनको डेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	साइप्रस	बिसफुस सर्विसेस एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.10	0.00
80.	मिरोसिम इंडिया डेवलपर्स प्रा.लि.	साइप्रस	मिरोचेंत एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.10	0.00
81.	मेरांको डेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	साइप्रस	मेर्चेरो लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.10	0.00
82.	सिमसन डेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	साइप्रस	च्यमंचो एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.00	0.00
83.	सीमेलडेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	साइप्रस	च्यमंचो एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.00	0.00
84.	जिमनको डेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	साइप्रस	च्यमंचो एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.10	0.00
85.	मेरांको डेवलपर्स इंडिया प्रा.लि.	साइप्रस	च्यमंचो एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.00	0.00
86.	सिलिवंट स्क्वे प्रा.लि.	साइप्रस	एस.ए.आर.इ. च्युप्रस एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	27.00	0.64
87.	सुप्रीम हाउसिंग व हॉस्पिटेलटी प्रा.लि.	साइप्रस	सस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फण्ड लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	1.63	0.04
88.	अरिहंत इंडो अफ्रीकन इन्फ्रास्ट्रक्चर	साइप्रस	स्तर पैंक एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	174.82	4.07
89.	श्री अहूजा प्रापर्टीज और रिसेटर्स प्रा.लि.	साइप्रस	चुपिनो एलटीडी	चुपिनो एलटीडी	0.00	0.00
90.	डीएलएफ होम्स पंचकुला प्रा.लि.	साइप्रस	ब्रम्ह इंवेस्टमेंट आईएलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	1,148.60	26.81

1	2	3	4	5	6	7
91.	डीएसएफ होम्स पंचकुला प्रा.लि.	सइप्रस	ब्रह्म इंवेस्टमेंट आईएसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	239.65	5.59
92.	डीएलएफ होम्स पंचकुला प्रा.लि.	सइप्रस	ब्रह्म इंवेस्टमेंट आईएसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	200.23	4.67
93.	एक्मे प्रोजेक्ट लि.	जर्मनी	नंब और पार्टनर	रियल स्टेट को लाटों में विकसित व अविभाजित	410.00	10.32
94.	लेबर पैकेजिंग व मोपरे इंडिया प्रा.लि.	जर्मनी	सेसेर फर इंटर वेर्योगेसवेर्व	रियल स्टेट को लाटों में विकसित व अविभाजित	0.25	0.01
95.	आरएमवेडहोचटीफ कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा.लि.	जर्मनी	होचिस्टफ कंस्ट्रक्शन अक्तिएंगेसेलस्चफ	निर्माण	13.00	0.30
96.	वेस्टी टीकॉक्स एडवरटाइजिंग इंडिया प्रा.लि.	हांगकांग	ग्रुप वेकेउक्स आसिया पर्स	अन्य निर्माण उद्योग	0.00	0.00
97.	बीरगो रिसेटर्स प्रा.लि.	हांगकांग	ब्राम एल चेस्तराम	रिहायशी भवनों का निर्माण	54.40	1.29
98.	बीरगो रिसेटर्स प्रा.लि.	हांगकांग	ब्राम एल चेस्तराम	रिहायशी भवनों का निर्माण	25.56	0.61
99.	ग्रीनवे होम्स प्रा.लि.	हांगकांग	बीवू ओएसएफ	रियल स्टेट कार्यकलाप	2.00	0.05
100.	बंगात यूनिवर्सल इंफ्रास्टक्चर्स प्रा.लि.	इंडोनेशिया	प्रसून मुखर्जी	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.50	0.01
101.	बंगात यूनिटिक यूनिवर्सल इंफ्रास्टक्चर्स प्रा.लि.	इंडोनेशिया	सुश तमयी मुखर्जी	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.50	0.01
102.	सर्वेस रिसोरसेज लि.	इजरायल	चेतन पी मेहता एवं प्रबोध के	रियल स्टेट कार्यकलाप	39.10	0.99
103.	मिराए असेट ग्लोबल इनवेस्टमेंट एमबीटी इंडिया प्रा.	कोरिया (दक्षिण)	मिराए असेट इंवेस्टमेंट मत सोल्यो, एसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	699.15	17.47
104.	मिराए असेट ग्लोबल इनवेस्टमेंट एमबीटी इंडिया प्रा.	कोरिया (दक्षिण)	मिराए असेट मपिसेसमेंट मत सोल्यो, एसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	140.40	3.51
105.	ग्रामसन होम प्रा.लि.	कोरिया (दक्षिण)	ह्वन सु अहन	रेस्त्रां और होटल	0.05	0.00
106.	ग्रामसन होम प्रा.लि.	कोरिया (दक्षिण)	चंग अए ओह	रेस्त्रां और होटल	0.05	0.00
107.	मिराए असेट ग्लोबल इनवेस्टमेंट एमबीटी इंडिया प्रा.लि.	कोरिया (दक्षिण)	मिराए असेट इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट कं. लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	1,992.34	27.77
108.	कुन्दन इंडिया कंसलटिंग इंजीनियर्स प्रा.लि.	कोरिया (दक्षिण)	किजोंग ली	रियल एस्टेट को लाटों में विकसित व अविभाजित	0.00	0.00
109.	एएस डेवलपर्स प्रा.लि.	कुवैत	अबीब अहमद	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.26	0.01
110.	एएस डेवलपर्स प्रा.लि.	कुवैत	फिरदौस सिद्दिक	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.13	0.00
111.	किनवी विल्डिंग सिस्टम्स इंडिया लि.	कुवैत	किन्वी इंटरनेशनल कम्पनी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	65.23	1.42

1	2	3	4	5	6	7
112.	आरेव रियलिटी प्रा.लि.	मॉरीशस	इरेओ इंवेस्टमेंट होल्डिंग एसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	3,217.04	70.85
113.	आरेव रियलिटी प्रा.लि.	मॉरीशस	इरेओ इंवेस्टमेंट होल्डिंग एसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	2,219.784	48.89
114.	ग्रांडेवूर रियल एस्टेट प्रा.लि.	मॉरीशस	एम/एस व्यंफोर्ट इन्वेंस्टमेंट लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	1.00	0.02
115.	कोलैंड डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	चिन्नोएन डेवलपर्स मौरिशिअस लिमिटेड	रियल स्टेट को लाटों में विकसित व उपविभाजित	436.24	10.90
116.	पुरिकार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि.	मॉरीशस	एम/एसतिआर इंवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	260.00	5.73
117.	किरबी बिल्डिंग सिस्टम्स इंडिया लि.	मॉरीशस	अल्फनिम इंडस्ट्रीज (एमएयूआर-आईटीआईयूएस) एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	87.12	1.89
118.	ओम शक्ति पावर रियलिटी प्रा.लि.	मॉरीशस	फिरेकपिटल इंवेस्टमेंट मौरिशिअस	रियल स्टेट की खरीद, बिक्री, किराया और प्रचालन	0.10	0.00
119.	रेसीफिक (चेन्नई प्रोजेक्ट) इन्फ्रास्ट्रक्चर्स	मॉरीशस	प्रमरिक आस्फडच्यूस होल्डिंग	रिहायशी भवन का निर्माण	750.00	19.02
120.	सेंचुरी रियल एस्टेट होल्डिंग प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रिब्रिदे सेंचुरी होल्डिंग्ब एसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.00	0.00
121.	सेंचुरी रियल एस्टेट होल्डिंग प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रिब्रिदे सेंचुरी होल्डिंग्ब एसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	230.00	5.83
122.	सेंचुरी रियल एस्टेट होल्डिंग प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रिब्रिदे सेंचुरी होल्डिंग्ब एसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	1,182.25	29.98
123.	प्रेम सागर होटल प्रा.लि.	मॉरीशस	सिंहड इंडियन इंवेस्टमेंट फोरम लिमिटेड	रियल स्टेट को लाटों में विकसित व उपविभाजित	5,150.03	127.61
124.	चिन्हवार्ड बिल्डर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	कपरी डेवलपर्स मौरिशिअस एसटीडी	रियल स्टेट की खरीद, बिक्री, किराया और प्रचालन	618.41	15.32
125.	कक्काडे एस्टेट डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	ग्रफ्होल्सिंग्सक्सिक लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	0.05	0.00
126.	कक्काडे सिटी माल प्रा.लि.	मॉरीशस	विर्तुओउस रेतैल लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	10.00	0.25
127.	टीएसआई बिजनेस फर्कस हैदराबाद प्रा.लि.	मॉरीशस	टी.एस. हैदराबाद 12ए	रियल स्टेट कार्यकलाप	197.04	4.52
128.	कक्काड रियलिटी प्रा.लि.	मॉरीशस	इरेओ इंवेस्टमेंट होल्टिंग विस एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	468.75	11.62
129.	स्काई स्कोप डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	सिंहते डेवलपर्स मौरिटिशिअस लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	652.73	16.17
130.	ग्रास फील्ड पावर कैपिटल डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	फिरे कैपिटल इंवेस्टमेंट मौरिशिअस पी.एल.	रियल स्टेट की खरीद, बिक्री, किराया और प्रचालन	0.10	0.00

1	2	3	4	5	6	7
131.	ग्रास फील्ड फ्लवर कैपिटल डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	फिरे कैपिटल इंवेस्टमेंट मौरिशिअस पी.एल.	रियल स्टेट की खरीद, बिक्री, किराया और प्रचालन	405.31	10.04
132.	ग्रास फील्ड फ्लवर कैपिटल डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	फिरे कैपिटल इंवेस्टमेंट मौरिशिअस पी.एल.	रियल स्टेट की खरीद, बिक्री, किराया और प्रचालन	114.11	2.83
133.	कैप्सटन कन्सट्रक्शन प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रिनिटी कैपिटल (टीएचआरइ) लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	8.00	0.20
134.	कैप्सटन कन्सट्रक्शन प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रिनिटी कैपिटल (टीएचआरइ) लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	892.00	22.29
135.	क्यूबीसी प्रा.लि.	मॉरीशस	इ्र फॅ होल्डिंग्ज इव लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	217.14	5.38
136.	गांधी सिटी फार एडवांस्ड आर एंड डी लि.	मॉरीशस	आमिफ रे इन्वेस्टमेंट 1 एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	20.00	0.47
137.	वैन्नवी एसोसिएट्स (बंगलोर) प्रा.लि.	मॉरीशस	अजिस वैन्नवी एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	300.00	7.00
138.	लक्सक्रेस इन्फ्रा. प्रा.लि.	मॉरीशस	आव प्रोपर्टिएस लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	60.00	1.40
139.	मधेरन रिएलिअी प्रा.लि.	मॉरीशस	आमे मौरिशिअस लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	82.00	1.91
140.	मैनहन्नाम कन्स. लि.	मॉरीशस	21 कैपिटल प्च्च	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	22.50	0.53
141.	जेनटैक्स हार्डवेयर एंड फार्कस प्रा.लि.	मॉरीशस	1 कम्पनी (एमएयूआरआई टीआईयूएस) एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	240.00	5.70
142.	जेनटैक्स हार्डवेयर एंड फार्कस प्रा.लि.	मॉरीशस	1 कम्पनी (एमएयूआरआई टीआईयूएस) एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	625.43	14.85
143.	निशा डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	ऐस रैल्थ लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	393.15	9.16
144.	ट्रायन प्रापर्टीज प्रा.लि.	मॉरीशस	1-2 कोम्पमोरिशिअस	रियल स्टेट कार्यकलाप	240.00	5.95
145.	हीरानंदानी रियलटर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	बच्च बेंचर्स एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	3,044.14	72.26
146.	आइसलैंड स्टारमाल डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	हॉरिज़न वेंचुरे इ	विविध	290.90	7.21
147.	आइसलैंड स्टारमाल डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	हॉरिज़न रैल्थ फुंद	विविध	150.55	3.73
148.	आइसलैंड स्टारमाल डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	इल एवं पस इंडिअ रैल्थ फुंद ल्टव	विविध	759.00	18.81
149.	इंडियाबुल्स प्रापर्टीज प्रा.लि.	मॉरीशस	अरिसोन इंवेस्टमेंटस सुव एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	1,679.94	41.63

1	2	3	4	5	6	7
150.	आइसलैंड स्टारमाल डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	हॉरिज़न वेंचुरे इ	विविध	0.36	0.01
151.	आइसलैंड स्टारमाल डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	हॉरिज़न रत्य इ	विविध	0.19	0.00
152.	सनफ्लावर टाउनशिप प्रा.लि.	मॉरीशस	इरेओ इंवेस्तेमेंत होल्डिंग कस्व एलटीडी	किराया, खरीद तथा बिक्री में लगे रियल स्टेट एजंट, ब्रोकर तथा प्रबंधक	2,461.58	61.00
153.	पेंसीपिफका (चेन्नई प्रोजेक्ट) इन्फ्रास्ट्रक्चर	मॉरीशस	पथ पहुर	रिहायशी भवनों का निर्माण	30.80	0.78
154.	ग्राद्मूर रियल एस्टेट्स प्रा.लि.	मॉरीशस	ब्युफोर्ट इंवेस्टमेंट एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	498.90	10.72
155.	नितेश एस्टेट्स प्रा.लि.	मॉरीशस	अमिफ आई एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	328.49	7.46
156.	सिटी सेंटरमास नासिक प्रा.लि.	मॉरीशस	एरेदेने मौरिशिउस एलटीडी	रियल स्टेट को लाटों में विकसित व उपविभाजित	234.13	5.32
157.	योन हैदपसर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	मॉरीशस	इरेओ इंवस्टमेंट होल्डिंग्ज इ एलटीडी	रियल स्टेट को लाटों में विकसित व उपविभाजित	296.60	6.61
158.	टीएसआई वेंचर्स इंडिया प्रा.लि.	मॉरीशस	त्स्य इंडिया (एमएयूआर आईटीआयूएस)	रियल स्टेट कार्यकलाप	4.36	0.10
159.	सिल्वर रियलटीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	मॉरीशस	फिरे कैपिटल फुंद मौरिशिउस	रियल स्टेट कार्यकलाप	56.21	1.23
160.	श्यामराव एंड कंपनी इंडिया प्रा.लि.	मॉरीशस	टीपीजी-अक्सोन (एमयूआरआई टीआईएस) आई लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	4,600.00	109.14
161.	फ्यवर राइगत प्रा.लि.	मॉरीशस	फिरे बैंगलौर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.90	0.02
162.	ओमेगा सेल्टर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	चंद्रगुप्त इंवेस्टमेंट होल्डिंग सीओ, एलटीडी	रियल स्टेट को लाटो में विकसित व उपविभाजित	112.45	2.42
163.	ओमेगा सेल्टर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	चंद्रगुप्त इंवेस्टमेंट होल्डिंग सीओ, एलटीडी	रियल स्टेट को लाटो में विकसित व उपविभाजित	243.75	5.25
164.	श्री राम प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	मॉरीशस	सन अपोलो इंवेस्टमेंट होल्डिंग तत्व	रियल स्टेट कार्यकलाप	101.10	2.18
165.	टीएसआई वेंचर्स इंडिया प्रा.लि.	मॉरीशस	त्स्य इंडिया मौरिशिउस	रियल स्टेट कार्यकलाप	36.37	0.78
166.	टीएसआई वेंचर्स इंडिया प्रा.लि.	मॉरीशस	त्स्य होल्डिंग (एमएयूआर आईटीआईयूएस)	रियल स्टेट कार्यकलाप	22.94	0.56
167.	धनीलक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	मॉरीशस	वसंदेरा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्ज विइ लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	256.45	6.29

1	2	3	4	5	6	7
168.	धनौलसबी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	मॉरीशस	वसंदेरा इंवेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित शिक्षकी भवनों का निर्माण	256.45	6.29
169.	मंजीरा रिटेल होल्डिंग प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रिनिटी कैपिटल (एसआईएस) लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित शिक्षकी भवनों का निर्माण	288.24	7.07
170.	मंजीरा रिटेल होल्डिंग प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रिनिटी कैपिटल (एसआईएस) लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित शिक्षकी भवनों का निर्माण	245.10	6.01
171.	ओमेगा सेल्टर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	चंद्रगुप्त इंवेस्टमेंट होल्डिंग सीओ, एलटीडी	रियल स्टेट को लाटो में विकसित व उपविभाजित	195.00	4.23
172.	एनवी रियलिटी प्रा.लि.	मॉरीशस	न्यू वेनुस प्राइवेट इक्विटी लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	54.86	1.19
173.	इंडिया बुल्स एस्टेट प्रा.लि.	मॉरीशस	एम/एस फिन लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	6.00	0.13
174.	लोढांडवाला कंटरिंग कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रिनिटी कैपिटल (चाइना) लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	250.60	5.65
175.	टीएसआई वेंचर्स इंडिया प्रा.लि.	मॉरीशस	टस इंडिया (एमएयूआरआईटीआईएस)	रियल स्टेट कार्यकलाप	15.80	0.34
176.	मैसर्स इमार हिल्स टाउनशिप प्रा.लि.	मॉरीशस	इमार होल्डिंग (एमएयूआरआईटीआईएस)	रियल स्टेट को लाटो में विकसित व उपविभाजित	712.36	15.67
177.	इंडिया बुल्स प्रापर्टी प्रा.लि.	मॉरीशस	फिन एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	6.00	0.14
178.	जेनटैक्स मर्चेन्ट्स प्रा.लि.	मॉरीशस	मैरिटो इंवेस्टमेंट्स एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	450.00	10.12
179.	ओरिन रियलिटी प्रा.लि.	मॉरीशस	इंडेक्स इंवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	22.73	0.51
180.	पैसेफिकक्स (बंगलौर प्रोजेक्ट्स) विकास	मॉरीशस	एच वेंचर्स	शिक्षकी भवनों का निर्माण	255.54	6.49
181.	ईटीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस लि.	मॉरीशस	इस एवं एस इंडिया रियल्टर फंड लत्व	उद्योगों का निर्माण और रखरखाव	217.51	5.52
182.	ईटीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस लि.	मॉरीशस	इस एवं एस इंडिया रियल्टर फंड लत्व	उद्योगों का निर्माण और रखरखाव	217.51	5.52
183.	नीडेस एस्टेट प्रा.लि.	मॉरीशस	अमिक आई लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	36.50	0.93
184.	आईवी प्रोजक्ट्स प्रा.लि.	मॉरीशस	सम्सर इंडिया इंडी इन्वेस्टमेंट	रियल स्टेट कार्यकलाप	179.87	4.57
185.	टीएसआई वेंचर्स इंडिया प्रा.लि.	मॉरीशस	बंधन रॅल संपदा	रियल स्टेट का विकास और उपविभाजन	353.68	8.97

1	2	3	4	5	6	7
186.	सनफ्लावर रियल टैक प्रा.लि.	मॉरीशस	इरेओ इंवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड	रियल स्टेट का विकास और उप विभाजन	355.06	9.00
187.	इंडिया बुल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट	मॉरीशस	अरिस्तोन इंवेस्टमेंट होल्डिंग	रियल स्टेट का विकास और उप विभाजन	3,402.53	86.27
188.	महक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	मॉरीशस	कंदिर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग	रियल स्टेट का विकास और उप विभाजन	494.35	12.53
189.	सनफ्लावर रियल टक प्रा.लि.	मॉरीशस	इरेओ इंवेस्टमेंट लिमिटेड	रियल स्टेट का विकास और उप विभाजन	308.98	7.83
190.	आईडीईवो प्रोजक्ट्स प्रा.लि.	मॉरीशस	सस्सर इंडिया इवो इन्वेस्टमेंट	रियल स्टेट कार्यकलाप	365.13	9.27
191.	पैसीफिकआ (बंगलौर प्रोजेक्ट) विकास	मॉरीशस	एच होस्त	रिहायशी भवनों का निर्माण	123.81	3.14
192.	सैंचुरी रियल एस्टेट होल्डिंग प्रा.लि.	मॉरीशस	दब्बिदेइ सैंचुरी होल्डिंग्ब	रियल स्टेट कार्यकलाप	10.00	0.25
193.	सैंचुरी रियल एस्टेट होल्डिंग प्रा.लि.	मॉरीशस	दब्बिदेइ सैंचुरी होल्डिंग्ब	रियल स्टेट कार्यकलाप	584.90	14.86
194.	बंगाल श्रीराम इंटिक सिटी प्रा.लि.	मॉरीशस	डब्ल्यूएसआई/डब्ल्यूएसक्यूआई (एसएलएसआईआईआई) मसक्रिअस इन्वेस्टमेंट	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.20	0.01
195.	हेम इंफ्रास्टक्चर एण्ड प्रोपर्टी डेवलपमेंट	मॉरीशस	इत एवं पस (आई) रॅल्त्य फुद त्व	रियल स्टेट को लाटो में विकसित व उपविभाजित	49.29	1.25
196.	हेम इंफ्रास्टक्चर एण्ड प्रोपर्टी डेवलपमेंट	मॉरीशस	इत एवं पस (आई) रॅल्त्य फुद त्व	रियल स्टेट को लाटो में विकसित व उपविभाजित	146.71	3.73
197.	हेम इंफ्रास्टक्चर एण्ड प्रोपर्टी डेवलपमेंट	मॉरीशस	इत एवं पस (आई) रॅल्त्य फुद त्व	रियल स्टेट को लाटो में विकसित व उपविभाजित	1.30	0.03
198.	हेम इंफ्रास्टक्चर एण्ड प्रोपर्टी डेवलपमेंट	मॉरीशस	इत एवं पस (आई) रॅल्त्य फुद त्व	रियल स्टेट को लाटो में विकसित व उपविभाजित	5.20	0.13
199.	पीईवीएसई बे डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रच बेंचर्स एलटीडी	रियल स्टेट का विकास और उप विभाजन	1.30	0.03
200.	पीईवीवीएसई के डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रच बेंचर्स एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	914.65	23.23
201.	आफ बीट डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	इत एवं पस (आई) रॅल्त्य फुंद त्व	रिहायशी भवनों का निर्माण	0.87	0.02
202.	आफ बीट डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	इत एवं पस (आई) रॅल्त्य फुंद त्व	रिहायशी भवनों का निर्माण	1,193.34	30.31
203.	रनवाल हाउसिंग एण्ड टाउनशिप प्रा.लि.	मॉरीशस	त्रि जीवीएफ (एमवूएआरआईटीआईवूस) अक्षिया आईएनवी, एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	319.20	8.11
204.	वी रहेजा बिल्डर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	बेपी मोरगन (आई) प्राप्टी	रियल स्टेट की खरीद, बिक्री, किराया और प्रचालन	700.00	17.78

1	2	3	4	5	6	7
205.	हीरा नंदानी प्लेस गार्डनस प्रा.लि.	मॉरीशस	हुके 1 एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	966.65	24.55
206.	फैरी एस्टेट प्रा.लि.	मॉरीशस	कॉर्नेल इस्टेट्स एलसीडी	रियल स्टेट का विकास और उप विभाजन	4.50	0.11
207.	रनवाल हाउसिंग एंड टाउनशिप प्रा.लि.	मॉरीशस	सि जीवीएफ (एमयूआरआईटीआईयूएस) आईएमबी, एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	0.70	0.02
208.	ग्रांड रिवलटी प्रा.लि.	मॉरीशस	सिल्वहर ओचर्ड प्रोपेर्टिएस (एमयूआरआईटीआईयूएस) प्रा.ल	रियल स्टेट कार्यकलाप	330.00	8.31
209.	टीएसआई बिजनेस पार्क (हैदराबाद) प्रा.लि.	मॉरीशस	त्स हैदराबाद 12ए	रियल स्टेट कार्यकलाप	24.80	0.62
210.	टीएसआई बिजनेस पार्क (हैदराबाद) प्रा.लि.	मॉरीशस	त्स हैदराबाद 12ए	रियल स्टेट कार्यकलाप	308 75	7.77
211.	आर आर इनफो पार्क प्रा.लि.	मॉरीशस	ब्रूस इंवेस्टमेंटस मौरिशिअस एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	79.16	1.99
212.	आइसलैण्ड स्टार मॉल डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	इल एवं घस इंडिया रैलवय फुंद लव	विविध	0.95	0.02
213.	स्टर्लिंग अर्बन इफ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि.	मॉरीशस	अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रैंत संघ्ट फुंद	रियल स्टेट कार्यकलाप	135.00	3.40
214.	स्टर्लिंग अर्बन इफ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि.	मॉरीशस	अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रैंत संघ्ट फुंद	रियल स्टेट कार्यकलाप	360.00	9.06
215.	टेलापुर टैक्नोसिटी प्रा.लि.	मॉरीशस	सिक्सन स्पेयर (आई) मास्टर फुंद	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	210.00	5.29
216.	सफायर्स कंसट्र प्रा.लि.	मॉरीशस	गोल्डन अर्थ लिमिटेड	रियल स्टेट को लाटों में विकसित व उपविभाजित	6.65	0.17
217.	मंजीरा रीटेल होल्डिंग प्रा.लि.	मॉरीशस	ट्रिनिटी कैपिटल सिक्स एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	144.12	3.63
218.	मंजीरा रीटेल होल्डिंग प्रा.ल.	मॉरीशस	ट्रिनिटी कैपिटल सिक्स एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	122.55	3.08
219.	इन टाइम्स प्रोपर्टीज प्रा.लि.	मॉरीशस	आई-6 कम्पनी (एफयूआरआई टीआईयूएस) लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	388.28	9.70
220.	इन टाइम्स प्रोपर्टीज प्रा.लि.	मॉरीशस	आई-6 कम्पनी (एफयूआरआई टीआईयूएस) लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	240.00	6.00
221.	पूना रियल टोर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	इलेम्बे इंवेस्टमेंट होल्डिंग इव लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	1,685.976	42.13
222.	सन अमेलो रियल एस्टेट एडवाइजर	मॉरीशस	सन अमेलो इंवेस्टमेंट होल्डिंग लव	रियल स्टेट कार्यकलाप	22.50	0.56
223.	आईडीबी प्रोजक्ट्स प्रा.लि.	मॉरीशस	सस्सर इंडिया इंदेव इंवेस्टमेंट	रियल स्टेट कार्यकलाप	384.86	9.54
224.	आईडीबी प्रोजक्ट्स प्रा.लि.	मॉरीशस	[illegible] इंदेव इंवेस्टमेंट	रियल स्टेट कार्यकलाप	320.13	7.94

1	2	3	4	5	6	7
225.	टीएसआई बिजनेस पार्क (हैदराबाद) प्रा.लि.	मॉरीशस	त्स मौरिशिअस फ	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.20	0.00
226.	ट्रिको ट्रान्सवे प्रा.लि.	मॉरीशस	ठम त्रिची (एसएचआरटी आईएस) लिमिटेड	सड़कों, रेलवे का निर्माण और रखरखाव	328.95	8.33
227.	ट्रिको ट्रान्सवे प्रा.लि.	मॉरीशस	ठम त्रिची (एसएचआरटी आईएस) लिमिटेड	सड़कों, रेलवे का निर्माण और रखरखाव	337.65	8.55
228.	विजय एसोसिएट (खाचया कंस्ट.)	मॉरीशस	व्द्व बेंचर्स एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	1,000.00	25.31
229.	विजय एसोसिएट (खाचया कंस्ट.)	मॉरीशस	व्द्व बेंचर्स एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	225.00	5.69
230.	विजय एसोसिएट (खाचया कंस्ट.)	मॉरीशस	व्द्व बेंचर्स एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	1,025.00	25.94
231.	एमके मॉल एंड डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	त्रिनित्य कैपिटल (टैक्सन) एलटीडी	रियल स्टेट की खरीद	500.00	12.65
232.	एमके मॉल एंड डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	इल एवं फस (आई) रैल्त्य फुंद त्तव	रियल स्टेट की खरीद	521.11	13.19
233.	एमके मॉल एंड डेवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	इल एवं फस (आई) रैल्त्य फिक्स डिबेंचिट त्त्व	रियल स्टेट की खरीद	521.11	13.19
234.	नीलकमल रियल ट्रस्ट फण्ड लि.	मॉरीशस	इल एवं फस (आई) रैल्त्य फिक्स डिबेंचिट त्त्व	रिहायशी भवनों का निर्माण	281.38	7.12
235.	नीलकमल रियल ट्रस्ट फण्ड लि.	मॉरीशस	इल एवं फस (आई) रैल्त्य फिक्स डिबेंचिट त्त्व	रिहायशी भवनों का निर्माण	44.31	1.12
236.	टीएसआई बैंचर्स इंडिया प्रा.लि.	मॉरीशस	त्स इंडिया (एसएचआर आईटीआईएस)	रियल स्टेट कार्यकलाप	15.44	0.38
237.	प्रसटिज वाइट फिल्ड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट	मॉरीशस	फिन्त्से फाइव एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	553.88	13.84
238.	कनारे एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	ग्रफ होल्डिंग्स लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	521.12	13.02
239.	मोरगन स्टनले प्रोपर्टीज (इंडिया) रियल एस्टेट	मॉरीशस	मोरगन स्टॅनले प्रोपर्टीएस आईएनसी	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.00	0.00
240.	मोरगन स्टनले प्रोपर्टीज (इंडिया) रियल एस्टेट	मॉरीशस	मोरगन स्टॅनले प्रोपर्टीएस इंडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	13.27	0.33
241.	मोरगन स्टनले प्रोपर्टीज (इंडिया) रियल एस्टेट	मॉरीशस	मोरगन स्टॅनले प्रोपर्टीएस इंव	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.00	0.00
242.	मोरगन स्टनले प्रोपर्टीज (इंडिया) रियल एस्टेट	मॉरीशस	मोरगन स्टॅनले प्रोपर्टीएस इंडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	30.21	0.75
243.	लहरी टैक्टनोपोलिस प्रा.लि.	मॉरीशस	ठब्ल्यूच्च2005/ठब्ल्यूपी/बीसीपी बैंगलौर इलेक्ट्रिक सिट होल्डिन	रिहायशी भवनों का निर्माण	203.52	5.09

1	2	3	4	5	6	7
244.	पुणे एम्बेसी प्रोजक्ट प्रा.लि.	मॉरीशस	अस्त विस्त इंवेस्टमेंटस एसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	220.50	5.51
245.	सहियान रिसोर्सिस लि.	मॉरीशस	इंडिया डिवेलिपिकेशिओन सेमेर	रियल स्टेट कार्यकलाप	132.25	3.35
246.	सहियान रिसोर्सिस लि.	मॉरीशस	इंडिया कैपिटल ओपुर्तिनुतेस	रियल स्टेट कार्यकलाप	119.60	3.03
247.	क्यूबिसि रियलटी प्रा.लि.	मॉरीशस	आईएसआरएफएस (आई) रैत्स फुंद त्रय	रियल स्टेट कार्यकलाप	53.32	1.35
248.	क्यूबिसि रियलटी प्रा.लि.	मॉरीशस	आईएसआरएफएस (आई) रैत्स फुंद त्रय	रियल स्टेट कार्यकलाप	2,057.17	52.16
249.	इस एण्ड टी टैक पार्क लि.	मॉरीशस	इमंग फुंद आई	रिहायशी भवनों का निर्माण	20.16	0.5'
250.	यूनिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	मॉरीशस	स्मरॉव प्रोपेर्तिएस लिमिटेड	रिहायशी भवनों का निर्माण	1,932.00	48.90
251.	मोलडिल प्रोपर्टी प्रा.लि.	मॉरीशस	मोर्दित प्रोपेर्तिएस मौरिशिअस लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	350.40	8.16
252.	पैंट्रिक डेवलपर प्रा.लि.	मॉरीशस	पच फुडुम	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.10	0.00
253.	रिन्हर्सेस बिल्डर कं.प्रा.लि.	मॉरीशस	डी.वी. चिर्न मौरिशिअस ट्रेड	रियल स्टेट का सहरों में विकास और उपविभाजन	930.00	22.78
254.	ओरेंज रियलटी प्रा.लि.	मॉरीशस	इंरेजो इन्वैस्टमेंट होल्डिंग इडट लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	4,716.68	110.15
255.	टीसीके एडवाइजर प्रा.लि.	मॉरीशस	त्रिकोन कैपिटल	रियल स्टेट कार्यकलाप	21.03	0.49
256.	हॉंजत प्रोपर्टीज लिजिंग प्रा.लि.	मॉरीशस	इंरेजो इंवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिट्ड	रियल स्टेट कार्यकलाप	402.66	9.40
257.	सन्नी बिल्डर रियलटर प्रा.लि.	मॉरीशस	बुर्के 3 लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	1,765.68	41.23
258.	लक्ष्मी इन्फ्रा-प्रा.लि.	मॉरीशस	आंस प्रोपेर्तिएस लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	145.26	3.39
259.	क्रिएटिव मंगलौर रिटेल वैंचर्स प्रा.लि.	मॉरीशस	त्रिवस्ते त्वो एसआईएसआईएटी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	289.13	6.86
260.	पुणे धनस्तव प्रोजेक्ट्स पीवीटी एसटीडी	मॉरीशस	अस्त विस्त इन्वेस्टमेंट एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	220.50	5.23
261.	पुणे धनस्तव प्रोजेक्ट्स पीवीटी, एसटीडी	मॉरीशस	अस्त विस्त इन्वेस्टमेंट एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	4.50	0.11
262.	पुणे एम्बदस्तव प्रोजेक्ट्स प्राइवेट एसटीडी	मॉरीशस	पीवूएन्द-एम्बस्त प्रोजेक्ट्स पीवीटी, एसटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	4.50	0.11
263.	सक्सिसे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	मॉरीशस	गोल्डन अर्थ लिमिटेड	रियल स्टेट को सहरों में विकसित व उप-विभाजित	10.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
264.	एलायंस कुशटेल्स प्रोजेक्ट्स (पी) एलटीडी	मॉरीशस	अल्स सुप्रीम होल्डिंग कम्पनी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	7.48	0.17
265.	श्री आद्या प्रोपर्टिस और रियलटर्स पी, एल	मॉरीशस	चि इंडिया एलटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	9.80	0.23
266.	त्रिलकंठ रहंस लैंड्स पीवीटी, एलटीडी	मॉरीशस	अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चुरे रैल संघ फुंद	रियल स्टेट कार्यकलाप	18.00	0.42
267.	गीतांजली एक्सेक्विजे रत्न एसओएल, पी. लिमिटेड	मॉरीशस	सेव डेवलपर्स एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	428.13	9.97
268.	गल्लेरिज मल डेवलपर्स पी. एलटीडी	मॉरीशस	दे बेंचर्स एलटीडी	रिहायशी भवनों का निर्माण	100.00	2.52
269.	फन्दर्ब इंवेस्टर्स पी.एलटीडी	मॉरीशस	कैबेंस्स इस्टेटस एलटीडी	रियल स्टेट को लाटों में विकसित व उपविभाजित	408.12	10.27
270.	सेरेने प्रोपर्टिस पी. एलटीडी	मॉरीशस	आई-3 कम्पनी (एमएयूआर आईटीआईवूएस) एलटीडी	किराया, खरीद, बिक्री, प्रबंधन में लगे ब्रोकर और प्रबंधन	831.32	20.94
271.	सेरेन प्रोपर्टिस पी. एलटीडी	मॉरीशस	आई-3 कम्पनी (एमएयूआर आईटीआईवूएस) एलटीडी	किराया, खरीद, बिक्री, प्रबंधन में लगे ब्रोकर और प्रबंधन	240.00	6.04
272.	मिलेव ट्रेडिंग सीओ. पी. एलटीडी	मॉरीशस	थकस इंवेस्टमेंट होल्डिंग (एमएयूआरआईटीआईवूएस)	रियल स्टेट की खरीद, बिक्री, किराया और प्रचालन	36.50	0.92
273.	सुंफ्लोवेर रैल डवलपी पी. एलटीडी	मॉरीशस	इरेबो इंवेस्टमेंट होल्डिंग एस एलटीडी	रियल स्टेट को लाटों में विकसित व उपविभाजित	2,748.43	65.24
274.	मल्य रत्न पी. एलटीडी	मॉरीशस	इरेबो इंवेस्टमेंट होल्डिंग विलस एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	2,039.41	48.41
275.	अम्बेंस बीलडर पी. एलटीडी	मॉरीशस	इरेबो इंवेस्टमेंट होल्डिंग विलस एलटीडी	रियल स्टेट कार्यकलाप	1,215.85	28.86
276.	एम.के. मल्स एवं डेवलपर्स पीवीटी.एलटीडी	मॉरीशस	ट्रिनिटी कैपिटल (टीइएन) एलटीडी	रियल स्टेट की खरीद, बिक्री, किराया और प्रचालन	500.00	11.68
277.	कोस्टियर्स आईएटी, इएटीआईओएनएल (आई)पीआरओपीआरटीवाय सेर्विस	मॉरीशस	कोस्टियर्स इंटरनेशनल (एमएयूआरआईटीआईवूएस) एलटीडी	किराया, खरीद तथा बिक्री में लगे रियल स्टेट एजेंट, ब्रोकर तथा प्रबंधक	23.30	0.54
278.	रिस बिजनेस पार्क (एचबाएडीआरएचएडी) पीवीटी.एलटीडी	मॉरीशस	त्स हैदराबाद अद 12ए	रियल स्टेट कार्यकलाप	68.38	1.62
279.	बंगलस श्रीराम हिंदेव सिटी पीवीटी, एलटीडी	मॉरीशस	डब्ल्यूएसआई/डब्ल्यूएसमयूजी (एसआरएसएसआईआईआई) एमएयूआरआईटीआईवूएस इंवेस्तोर्स एस.	रियल स्टेट कार्यकलाप	224.80	5.34

1	2	3	4	5	6	7
280.	मंगल क्षीरज हितेच सिटी पीवीटी, एसटीडी	मॉरीशस	डब्ल्यूएसआई/डब्ल्यूएसमॉरी (एसएसएसएसआईआईआई) एमएचआरआईटीआईवूएस इंवेस्टमेंट एस.	रियल स्टेट कार्यकलाप	1,556.49	36.95
281.	एम/एस मटलस प्रोपर्टीस एसटीडी	मॉरीशस	सूस ओरिओनि इंवेस्टमेंट लिमिटेड (एसआरएस)	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	40.00	0.95
282.	एम/एस मटलस प्रोपर्टीस एसटीडी	मॉरीशस	सूस ओरिओनि इंवेस्टमेंट लिमिटेड (एसआरएस2)	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	60.00	1.42
283.	एम/एस मटलस प्रोपर्टीस एसटीडी	मॉरीशस	सूस ओरिओनि इंवेस्टमेंट लिमिटेड (एसआरएस2)	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	100.00	2.37
284.	एम/एस मटलस प्रोपर्टीस एसटीडी	मॉरीशस	सूस ओरिओनि इंवेस्टमेंट लिमिटेड (एसआरएस2)	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	1,200.00	23.74
285.	एम/एस मटलस प्रोपर्टीस एसटीडी	मॉरीशस	सूस ओरिओनि इंवेस्टमेंट लिमिटेड (एसआरएस2)	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	1,500.00	35.61
286.	एम/एस मक्सस प्रोपर्टीस एसटीडी	मॉरीशस	सूस ओरिओनि इंवेस्टमेंट लिमिटेड (एसआरएस2)	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	2,500.00	59.35
287.	पचिफिक (सीएचएसएनएआई पीआरओपेशसीटी) इंफ्रास्ट्रक्चुर	मॉरीशस	पच चुर	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	477.06	12.01
288.	पोस्टीच विडेफिनेट इंवेसमेंत एवं डीएवी, पी	मॉरीशस	मिन्सो वन एसटीडी	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	1,230.54	30.75
289.	पुम रिजलटर्स प्राइवेट लिमिटेड	मॉरीशस	इंरेजो इंवेस्टमेंट होल्डिंग इस लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	309.72	7.74
290.	उमंग रेत्तेच प्रावेट लिमिटेड	मॉरीशस	21 कैपिटल	रियल स्टेट कार्यकलाप	195.00	4.87
291.	पचिफिक (सीएचएसएनएआई पीआरओपेशसीटी) इंफ्रास्ट्रक्चुर	मॉरीशस	पच चुर	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	22.21	0.56
292.	त्रिओन प्रोपर्टीस पी. लिमिटेड	मॉरीशस	1-2 चेम्बस मॉरीशिअस	रियल स्टेट कार्यकलाप	365.44	9.06
293.	अमिलिने वेसुच्चस और फर्मा पीवीटी, एसटीडी	मॉरीशस	सहित स इन्वेस्टमेंट लच	रियल स्टेट कार्यकलाप	2.80	0.07
294.	अमिलिने वेसुच्चस और फर्मा पीवीटी, एसटीडी	मॉरीशस	सहित स इन्वेस्टमेंट लच	रियल स्टेट कार्यकलाप	386.00	9.01
295.	सि वेंचर्स (आईएनडीआईए) प्राइवेट लिमिटेड	मॉरीशस	अस्स इंडिया (एमएचआर आईटीआईवूएस)	रियल स्टेट कार्यकलाप	36.37	0.80
296.	सिवमी मार्ग प्रोपर्टीस	मॉरीशस	स्का इंडिया होल्डिंग मॉरीशिअस इस लिमिटेड	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	4,800.00	117.70

1	2	3	4	5	6	7
297.	एमार एमजी लैंड प्राइवेट लिमिटेड	मॉरीशस	एमार होल्डिंग्स इंक	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	8,302.35	203.58
298.	मंत्री डेवलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड	मॉरीशस	ग्लस इंक रोसे इन्वेस्टमेंट आईएनसी	रियल स्टेट कार्यकलाप	3,000.03	66.74
299.	इवोने रॅल इस्टेटस कंसलटट्स पी. लिमिटेड	मॉरीशस	इवोर्न डेवलपमेंट आईएनटीएल, प्राइवेट लिमिटेड	रियल स्टेट कार्यकलाप	2.00	0.04
300.	अरकेने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	मॉरीशस	एम/एस बेंचन रॅल संपदा कम्पनी	रियल स्टेट का लाटों में विकास और उप विभाजन	255.74	5.06
301.	विट कैपिटल इ होम्स पी. एसटीडी	मॉरीशस	रोहित महाबल डी सूजा	रियल स्टेट कार्यकलाप	4.51	0.11
302.	विट कैपिटल इ होम्स पी. एसटीडी	मॉरीशस	सुनिता कौर	रियल स्टेट कार्यकलाप	0.00	0.00
303.	डी.एस. कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड	मॉरीशस	वरिओउस रिस	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	354.84	8.93
304.	महेश्वर रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	मॉरीशस	एमआरएस.पिंकी रमेश भिरचंदानी	रियल स्टेट का लाटों में विकास और उप विभाजन	0.10	0.00
305.	डी.एस. कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड	मॉरीशस	वरिओउस रिस	मौजूदा भवनों में परिवर्द्धन व परिवर्तन सहित रिहायशी भवनों का निर्माण	143.46	3.61
306.	सेफ्रानी इंफ्रास्ट्रक्चुरे प्राइवेट लिमिटेड	एनआरआई	विक्रम ओमप्रकाश दमनि	स्थावर संपदा गतिविधियां	23.55	0.55
307.	सेफ्रानी इंफ्रास्ट्रक्चुरे प्राइवेट लिमिटेड	एनआरआई	अदि ओमप्रकाश दमनि	स्थावर संपदा गतिविधियां	23.55	0.55
308.	महिन्द्र गेमन डेवलपर्स लिमिटेड	एनआरआई	करिओउस	स्थावर संपदा गतिविधियां	3,240.80	79.48
309.	कलपतरु एवो डेवलपर्स पी. एसटीडी	एनआरआई	मक्स चंद चतैस	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग हौसिस एंड आल्टरनेशनस इन द एजिसटिंग वनस	0.10	0.00
310.	लोच प्रोपर्टीस्ट डीएवी.पी.एसटीडी.	एनआरआई	समयांक सी. वीर	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.00	0.00
311.	लोच प्रोपर्टीस्ट डीएवी.पी.एसटीडी.	एनआरआई	समयक सी. वीर	स्थावर संपदा गतिविधियां	403.86	10.09
312.	लोच डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	एनआरआई	पीएनसी मेनन	स्थावर संपदा गतिविधियां	87.28	2.00
313.	होउसिंग डेवलपमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चुरे लिमिटेड	एनआरआई	वरिओउस	स्थावर संपदा गतिविधियां	7,056.72	167.52
314.	विट कैपिटल होम्स प्राइवेट लिमिटेड	एनआरआई	एमआर रोहित महाबल डीएसओपूल्डर	स्थावर संपदा गतिविधियां	4.20	0.09
315.	स्पनेशी रॅस्टन वेंचुरे प्राइवेट लिमिटेड	एनआरआई	एक्त सपत ओसप एवं सीओ	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.00	0.00
316.	पारसंकर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	एनआरआई	वरिओउ रिस	स्थावर संपदा गतिविधियां	6.27	0.16

1	2	3	4	5	6	7
317.	अकृती निर्मन स्टाटीडी	एनआरआई	चीओअस	स्थावर संपदा गतिविधियां	1,553.79	36.86
318.	नेचर्वेस्त कांस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	एनआरआई	एस. सेमसगर	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिस्टिंगबनस	24.96	0.62
319.	गल्लेरिज मल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	एनआरआई	ब्यूच चेंचर्स लिमिटेड	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिस्टिंगबनस	489.22	12.13
320.	गल्लेरिज मल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	एनआरआई	ब्यूच चेंचर्स लिमिटेड	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिस्टिंगबनस	5.00	0.12
321.	नेचर्वेस्ट कांस्ट्रक्शन प्रा... लिमिटेड	एनआरआई	संजय बेनुरिकर एवं सीमा बेनुरिकर	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिस्टिंगबनस	24.96	0.62
322.	एमार मग संद पी. स्टाटीडी	मिटसैप्ड	इंडिया (आई) प्रा	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	6,820.50	150.01
323.	एमार मग संद पी. स्टाटीडी	मिटसैप्ड	इंडिया इंडिया बी.वी.	शिक्षणी भवनों का निर्माण	11,099.00	281.44
324.	ब्लोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	मिटसैप्ड	ब्लोम इन्टरनेशनल मनीष मधूकर	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.50	0.01
325.	ओर्केनुस संपदा (आई) पी. लिमिटेड	मेसिस	समकक कांत वीर	शिक्षणी भवनों का निर्माण	90.97	2.12
326.	ओर्केनुस इंफ्रास्ट्रक्चुरे कैपीटी.स्टाटीडी	मेसिस	संदल बुड कैपिटल लत्य	स्थावर संपदा गतिविधियां	273.48	6.39
327.	कृष्ण होउसिंग एवं फाइनेन्स (आईएचआईएफ) प्राइवेट लि.	नाइजीरिय	एमआरएवत निलांबदनि	स्थावर संपदा गतिविधियां	15.47	0.39
328.	जीके लेजीसिस और स्ट्रक्चरस् प्राइवेट लिमिटेड	नाइजीरिय	मत सुधाकर कमलंद कुमार	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	1.00	0.02
329.	सफिरो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड	साउदी अरेबिय	फरीद अहमद वसियवत	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	0.03	0.00
330.	सफिरो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	साउदी अरेबिय	सलीम अहमद वसीयत	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	0.03	0.00
331.	सफिरो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	साउदी अरेबिय	इमयाज अहमद वसीयत	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	0.03	0.00
332.	सफिरो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	साउदी अरेबिय	अब्दुल कादर अहमद वसीयत	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	0.03	0.00
333.	सेंसिएंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	सेंसिएंट टेक्नोलोजीज ऐस पीटिकिन	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	0.03	0.00
334.	आर मल डेवलपर्स पी.	सिंगापुर	रिचे कटओवर एसे स्टाटीडी	स्थावर संपदा गतिविधियां	648.48	16.20
335.	सुंदरम ओपुस आईएनटीएल.पी.स्टाटीडी.	सिंगापुर	एसमूएनडब्ल्यूएसयसीआईटीयम (एसआईएनडीएफओआरएफ्ये स्टाटीडी.	शिक्षणी भवनों का निर्माण	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
336.	सुंदव ओपुस आईएनटीएल.पी.एसटीडी.	सिंगापुर	एसयूएनडब्ल्यूएवसीआईटीवाव (एसआईएनबीएपीओआरएसे) एसटीडी.	रिहायशी भवनों का निर्माण	259.37	6.53
337.	सुंदव ओपुस आईएनटीएल.पी.एसटीडी.	सिंगापुर	एसयूएनडब्ल्यूएवसीआईटीवाव (एसआईएनबीएपीओआरएसे एसटीडी.	रिहायशी भवनों का निर्माण	90.63	2.28
338.	सुंदव ओपुस आईएनटीएल.पी.एसटीडी.	सिंगापुर	एसयूएनडब्ल्यूएवसीआईटीवाव (एसआईएनबीएपीओआरएसे एसटीडी.)	रिहायशी भवनों का निर्माण	0.00	0.00
339.	इनवाल कैपिटलंद (आई) पी. एसटीडी.	सिंगापुर	लॉग्वसे पी. एसटीडी	स्थावर संपदा की खरीद, बिक्री, किरायदारी और प्रचालन-रिहायशी और गैर रिहायशी भवन	896.50	22.40
340.	ज्व डेवेंउवस एंडवाटंबिल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	ज्व देवेंउवस अइशव (एस)	अन्य निर्माण उद्योग	5.00	0.13
341.	कमनवस्त हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एसटीडी	सिंगापुर	प्रशांत कोचरि	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिस्टिंग वनस	9.80	0.24
342.	लिफेसवसे सुर्फचे खोअसिंग पीटीडी	सिंगापुर	लिवराम भवानी रावन	स्थावर संपदा गतिविधियां	4.99	0.12
343.	मार्सल रैलव कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	सैमुअल मार्सल	रैल संपदा एजीएन्टीएस, ब्रोकेर्स और मनगेर्स	0.05	0.00
344.	सिसिंग रैलिसिएस प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	गुलशव सिंह सिंधु	स्थावर संपदा गतिविधियां	2.00	0.05
345.	सिसिंग रैलिसिएस प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	गुलशव सिंह सिंधु	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.05	0.00
346.	संगुअर्द कंस्ट्रक्शन पी. लिमिटेड	सिंगापुर	खजर होल्डिंग पे	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	68.72	1.70
347.	संगुअर्द कंस्ट्रक्शन पी. लिमिटेड	सिंगापुर	खजर होल्डिंग पे	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	137.44	3.41
348.	वैश्नवि इंफ्रास्ट्रुक्चे पी. एसटीडी	सिंगापुर	एमआरएस.प्रभा नारायनन	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिस्टिंग वनस	9.75	0.23
349.	वैश्नवि इंफ्रास्ट्रुक्चे पी. एसटीडी	सिंगापुर	एमआर.अनंथ दोरस्वम्य	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिस्टिंग वनस	17.99	0.42
350.	लिफेसवसे सुर्फचे खोअसिंग प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	मालव रावन भारवानी	स्थावर संपदा गतिविधियां	11.00	0.26
351.	मार्सल रैलव कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	इर्म मार्सल	स्थावर संपदा एजेंट, ब्रोकर और मैनेजर	0.05	0.00
352.	ऐस्टान प्रोपेर्टिएस पी. एसटीडी	सिंगापुर	रेचो वेंग पी. एसटीडी	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.20	0.00
353.	अम्बुस्र प्रॉपर्टी डेवलपर्स पी. एसटीडी	सिंगापुर	सितराम भारवानी रावन	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिस्टिंग वनस	116.71	2.51

1	2	3	4	5	6	7
354.	अम्बुजा प्रॉपर्टी डेवलपर्स पी. एसटीडी	सिंगापुर	राजेश बुद्धरानी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंग बनस	77.44	1.66
355.	अम्बुजा प्रॉपर्टी डेवलपर्स पी. एसटीडी	सिंगापुर	हरिचंद एन. बुरानी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंग बनस	77.44	1.66
356.	ऐसस्टन प्रोपर्टीस पी. एसटीडी	सिंगापुर	रेचो बेरी पी. एसटीडी	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.70	0.02
357.	ऐसस्टन प्रोपर्टीस पी. एसटीडी	सिंगापुर	रेचो बेरी पी. एसटीडी	स्थावर संपदा गतिविधियां	229.10	4.97
358.	पुर्षे इंफ्रास्ट्रक्चर एसटीडी	सिंगापुर	सावस खोर	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	34.55	0.85
359.	हेलिओस संपदा प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	रेचो रैंस प्राक्वेट लिमिटेड	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.10	0.00
360.	हेलिओस संपदा प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	रेचो रैंस प्राक्वेट लिमिटेड	स्थावर संपदा गतिविधियां	218.90	4.93
361.	प्लम डेवलपर्स लिमिटेड	सिंगापुर	संजय सहगल	स्थावर संपदा गतिविधियां	20.01	0.49
362.	अरकैने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	एम/एस डाटा होल्डिंग्ज प्राइवेट लिमिटेड	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	100.00	2.24
363.	फ्यूचेनिक्स प्रॉपर्टी होल्ड सर्विसेस पी. एसटीडी	दक्षिण अफ्रीका	ओल्ड म्युचुअल प्रोपर्टीज़ह्ल्स इन एसटीडी	संपदा गतिविधियां	6.85	0.16
364.	बीजे2 इक्विटस इंडिया पीवीटी एसटीडी	स्पेन	बीजी इक्विटस देसर्रोल्लोस इंमोबिलिआरिओ सल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंग बनस	13.35	031
365.	रोज्मसबेने इंफ्रास्ट्रक्चुरे पीवीटी, एसटीडी	स्पेन	गुलाब खीमुजल भगतानी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंग बनस	0.05	0.00
366.	सिमरन कोइस्ट्रक्शन पीवीटी, एसटीडी	स्पेन	गुलाब खीमुजल भगतानी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंग बनस	40.10	0.95
367.	सिमरन कुस्ट्रक्शन पीवीटी, एसटीडी	स्पेन	नवीन गुलाब भगतानी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंग बनस	14.95	0.35
368.	सिमरन कुस्ट्रक्शन पीवीटी, एसटीडी	स्पेन	नवीन गुलाब भगतानी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंग बनस	2.20	0.05
369.	सिमरनस कुस्ट्रक्शन पीवीटी, एसटीडी	स्पेन	नवीन गुलाब भगतानी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंग बनस	0.05	0.00
370.	बीजे2 इक्विटस इंडिया पीवीटी, एसटीडी.	नेदरलैण्ड	ईंदू ईसेस स	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंग बनस	6.57	0.15

1	2	3	4	5	6	7
371.	वेब इन्टरनेशनल सीओआरपी (आईएनडीआईए) प्राइवेट लिमिटेड	ठाणे	चोलामैंडलम इंजीनियरिंग कार्पोरेशन	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशियल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एक्सिसटिंग वनस	20.03	0.50
372.	वेदोन लंद डेवलपमेंट सीओपी.एसटी.डी.	चाइल्ड	अनीश दत्त	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	0.09	0.00
373.	ग्रंद लिविंग इंडिया पीएसटीडी	यू.ए.ई.	फैजल अली मोहम्मद पटेल	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	30.00	0.67
374.	अस्सोत्व रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	चंद्र जैन	स्थावर संपदा	4.59	0.11
375.	सर्सन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	जोहोरी एच सरसनवाला	स्थावर संपदा गतिविधियां	4.50	0.10
376.	अशोक इंफ्रास्ट्रक्चर एसटीडी	यू.ए.ई.	अशोक सुनिअदुवै	स्थावर संपदा गतिविधियां	2.68	0.06
377.	लंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	जम्नो पेरुमल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशियल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एक्सिसटिंग वनस	10.20	0.22
378.	लंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	वर्षा कालवानी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशियल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एक्सिसटिंग वनस	7.43	0.16
379.	लंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	महेश जम्नो कालवानी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशियल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एक्सिसटिंग वनस	10.50	0.23
380.	जक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	जम्नो पेरुमल कालवानी	स्थावर संपदा गतिविधियां	15.00	0.33
381.	जक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	वर्षा कालवानी	स्थावर संपदा गतिविधियां	15.00	0.33
382.	जक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	महेश जम्नो कालवानी	स्थावर संपदा गतिविधियां	7.50	0.16
383.	जक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	वनीत नवीन अस्तपरोत	स्थावर संपदा गतिविधियां	7.50	0.16
384.	बी.टी. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	जम्नो पेरुमल कालवानी	स्थावर संपदा गतिविधियां	1.50	0.03
385.	बी.टी. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	वर्षा कालवानी	स्थावर संपदा गतिविधियां	1.50	0.03
386.	बी.टी. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	महेश जम्नो कालवानी	स्थावर संपदा गतिविधियां	1.50	0.03
387.	बी.टी. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	हर हरीश कापुरिया	स्थावर संपदा गतिविधियां	1.10	0.02
388.	सोल रैल इस्टेटस (आई)पी.एसटीडी.	यू.ए.ई.	राजेश रमेश चंद्र सोबती	स्थावर संपदा गतिविधियां	10.00	0.22
389.	ओवेन फुलट्रोन पी. एसटीडी.	यू.ए.ई.	राजेन्द्र वी. पटेल	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	24.00	0.61
390.	सर्वस रिसोर्सेस लिमिटेड	यू.ए.ई.	हस्त फाइनांशियल सर्विसेस	स्थावर संपदा गतिविधियां	80.50	2.04
391.	स्यू रोसे आईएनवी.एसटीडी.	यू.ए.ई.	मोहन जी, वल्लनि	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.10	0.00
392.	चौचोलिडेम रिअलटोर्स आइसटीएस.पी.एसटीडी.	यू.ए.ई.	अजय भगवानदास कनौनि	सिंहपशी भवनों का निर्माण	0.41	0.01
393.	सोमनाथ प्रोजेक्ट ओगेनिइजेर्स पी. लिमिटेड	यू.ए.ई.	किशोर हजारिमल संघवी	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	132.50	3.28

1	2	3	4	5	6	7
394.	सर्सन डेवलपर्स पीवीटी.एलटीडी.	यू.ए.ई.	भुवनेश्वर एस. सरसनवाला	स्थावर संपदा गतिविधियां	39.13	0.99
395.	सर्सन डेवलपर्स पीवीटी.एलटीडी.	यू.ए.ई.	जोहरी सरसनवाला	स्थावर संपदा गतिविधियां	17.40	0.44
396.	सर्सन डेवलपर्स पीवीटी.एलटीडी.	यू.ए.ई.	जोहरी एच. सर्सनवाला	स्थावर संपदा गतिविधियां	52.83	1.34
397.	चौबोर्तिउम रिजल्टर्स आईएनटीएल. आईएनटीएल.पी.एलटीडी.	यू.ए.ई.	अजय भगवानदास भटिया	रिहायशी भवनों का निर्माण	0.31	0.01
398.	सर्सन डेवलपर्स पी.एलटीडी.	यू.ए.ई.	जोहरिभै सरसवाला	स्थावर संपदा गतिविधियां	10.00	0.22
399.	प्लेन इंजीनियरिंग एलटीडी	यू.ए.ई.	नेशनल पेट्रोलेउम कंस्ट्रक्शन सी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसिटिंगवनस	3.70	0.09
400.	सिसिंग रिसिलिस्स प्राइवेट एलटीडी.	यू.ए.ई.	भुवनेश सिंह बिष्ट	स्थावर संपदा गतिविधियां	1.50	0.03
401.	लेसेर फैकिंग एवं मोरे (आई) पी. लिमिटेड	यू.ए.ई.	प्रदीप कुमार गुप्ता	देवेलोपिंग एवं सुप्रिमिटिंग रैल संपदा इंटो	0.13	0.00
402.	सिसिंग रिसिलिस्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	गणेश ईंसूरन	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.05	0.00
403.	सिसिंग रिसिलिस्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	गणेश ईंसवेरन	स्थावर संपदा गतिविधियां	1.92	0.05
404.	उक टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	वर्षा कातवानी	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	23.50	0.58
405.	ओर्चेन कुलदीप पी. एलटीडी.	यू.ए.ई.	डैनेश सी. पटेल	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	24.80	0.61
406.	सिसिंग रिसिलिस्स प्राइवेट एलटीडी.	यू.ए.ई.	गणेश ईंसवरन	स्थावर संपदा गतिविधियां	1.30	0.03
407.	सेल रैल इस्टेटस (आई) पी.एलटीडी.	यू.ए.ई.	रमेश रमेशचंद्र सेमानी	स्थावर संपदा गतिविधियां	40.80	1.01
408.	उक टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	जम्न पेरमल कल्याण	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	7.50	0.18
409.	उक टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	मोहन जम्बे कातवानी	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	7.50	0.18
410.	उक टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	जमन पेरमल कातवानी	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	23.50	0.58
411.	उक टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	वर्षा कातवानी	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	7.50	0.18
412.	उक टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	मोहन कातवानी	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	23.50	0.58
413.	नोर्थर्न प्रॉपर्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	विनेन्द्र देवानी	स्थावर संपदा गतिविधियां	11.50	0.27
414.	इंद सिसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	फैजल अली मोहम्मद पटेल	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	40.00	0.99

1	2	3	4	5	6	7
415.	एस स्टार प्रॉपर्टी डेवलपर्स लिमिटेड	यू.ए.ई.	एस.एम. सलाहीन	स्थावर संपदा गतिविधियां	75.00	1.65
416.	एस स्टार प्रॉपर्टी डेवलपर्स लिमिटेड	यू.ए.ई.	आरिफ बी. रहमान	स्थावर संपदा गतिविधियां	37.50	1.65
417.	एस स्टार प्रॉपर्टी डेवलपर्स लिमिटेड	यू.ए.ई.	हमीद सैयद सलाहीन	स्थावर संपदा गतिविधियां	37.50	0.82
418.	वेदांत प्रोपर्टीज्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.ए.ई.	अशोक कुमार लोहनि एवं दीपा के लोहनि	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	49.00	1.21
419.	अरोन इंफ्रास्ट्रक्चर पी. एसटीडी.	यू.के.	एमआर. धर्मेश कपूर	किराएदारी, खरीदारी और बिक्री करने और मूल्यांकन करने में लगे स्थावर संपदा एजेंट ब्रोकर और मैनेजर	20.00	0.44
420.	फ्लं ब्वेस्तुक प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	रेखा अशेर	पर्यटन और यात्रा एजेंटों की गतिविधियां	0.44	0.01
421.	फ्लं ब्वेस्तुक प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	जयेश अशेर	पर्यटन और यात्रा एजेंटों की गतिविधियां	0.44	0.01
422.	राव रियल्टी पीटीवी, एसटीडी.	यू.के.	राजेंद्र पटेल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंगबनस	34.65	0.82
423.	राव रियल्टी पीटीवी, एसटीडी.	यू.के.	सैतेश पटेल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंगबनस	34.65	0.82
424.	टिसिब्युरोस (बीओएमबीएक्स) प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	चंदन मयंक शाह	स्थावर संपदा गतिविधियां	45.00	1.11
425.	वदकम रैल संपदा डेवलपर्स पीवीटी.लिमिटेड	यू.के.	एमआर.ज्योति वदगामा	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.05	0.00
426.	वदकम रैल संपदा डेवलपर्स पीवीटी.लिमिटेड	यू.के.	एम.एस. प्रफुल्ल वदगामा	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.05	0.00
427.	बंगलौर गोल्फ इस्टेटस (पी.)	यू.के.	नवीन एन चिवटव	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंगबनस	52.50	1.23
428.	ट्रान्व इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ठअडिटेसेसी पी. त	यू.के.	ट्रान्व इंडिया लिमिटेड	स्थावर संपदा गतिविधियां	4.84	0.11
429.	ट्रान्व इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ठअडिटेसेसी पी. त	यू.के.	ट्रान्व इंडिया लिमिटेड	स्थावर संपदा गतिविधियां	4.84	0.11
430.	शिव शिवम डेवलपर्स पी. लिमिटेड	यू.के.	मधुसूदन कोतेच	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.10	0.00
431.	सेंचूअोद इंफ्रास्ट्रक्चुरे (आई) पी.एसटीडी.	यू.के.	सैयद मोबत एसटीडी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंगबनस	2.23	0.05
432.	सेंचूअोद इंफ्रास्ट्रक्चुरे (आई) पी.एसटीडी.	यू.के.	सैयद ओमर हमीद इमाम	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंगबनस	1.10	0.02

1	2	3	4	5	6	7
433.	सेमूर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	सेमूर मलेक्स एसटीडी.अक	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशल बिल्डिंग इनक्लुसिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंगबनस	2.23	0.05
434.	एम/एस रिवेसिडे होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	एमआर. अनूप सहा	स्थावर संपदा गतिविधियां	11.83	0.27
435.	एम/एस रिवेसिडे होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	एमआर. मुकेश सहा	स्थावर संपदा गतिविधियां	11.83	0.27
436.	एम/एस रिवेसिडे होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	एमआर. अनूप सहा	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.15	0.00
437.	एम/एस रिवेसिडे होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	एमआर. मुकेश सहा	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.15	0.00
438.	एम/एस रिवेसिडे होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	एमआर. अनूप सहा	स्थावर संपदा गतिविधियां	11.80	0.27
439.	एम/एस रिवेसिडे होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	एमआर. मुकेश सहा	स्थावर संपदा गतिविधियां	11.85	0.27
440.	अपकास हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	अशोक कुमार त्रिवेदि	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशल बिल्डिंग इनक्लुसिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंगबनस	20.00	0.45
441.	असक्षेत्र रियल्टस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एमआर. नरेश नगवल, उस	स्थावर संपदा गतिविधियां	21.73	0.48
442.	असक्षेत्र रियल्टस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	नरेश नगवल	स्थावर संपदा गतिविधियां	16.36	0.37
443.	असक्षेत्र रियल्टस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	उमेश नगवल	स्थावर संपदा गतिविधियां	4.70	0.11
444.	पोमिअनि प्रॉपर्टी डेवलपर्स पी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	चंद पुत्र	स्थावर संपदा की खरीद, बिक्री, किराएदारी और प्रचालन-रिहायशी और गैर-रिहायशी भवन	0.31	0.01
445.	शोभा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	1 पन्नस	स्थावर संपदा गतिविधियां	2.88	0.07
446.	शोभा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	701 रि	स्थावर संपदा गतिविधियां	15.41	0.35
447.	असक्षेत्र रियल्टस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	नरेश नगवल	स्थावर संपदा	54.39	1.25
448.	असक्षेत्र रियल्टस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	उमेश नगवल	स्थावर संपदा	8.70	0.20
449.	पोमिअनि प्रॉपर्टी डेवलपर्स पी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	संजय भंडारी	स्थावर संपदा की खरीद, बिक्री, किराएदारी और प्रचालन-रिहायशी और गैर-रिहायशी भवन	0.31	0.01
450.	सिमस टी टेक्सटाईल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एम/एस ग्लोबल आर्डिन फर्नेस एल.पी.	स्थावर संपदा गतिविधियां	17.38	0.38
451.	माहवीर डेवलपर्स पी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	आशोक महावन	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशल बिल्डिंग इनक्लुसिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसटिंगबनस	114.31	2.48
452.	हर्बर्ट प्रोपर्टिस्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	मधुकान भद एवं रमणु स्व एवं वेनुम	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	0.81	0.02
453.	हर्बर्ट प्रोपर्टिस्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	कस्तकर रेहडी गुरुम	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	0.81	0.02

1	2	3	4	5	6	7
454.	हर्बर्ट प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	वेलेति चक्रधर श्रीनिवास	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	0.81	0.02
455.	हर्बर्ट प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	श्रीनिवास रेड्डी गुनुकुल एवं सुनीता	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	0.81	0.02
456.	हर्बर्ट प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	लक्ष्मण कंतमनेनि	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	0.81	0.02
457.	हर्बर्ट प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	स्वरूप कुमार रेड्डी कोट्टपुटि	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	1.62	0.02
458.	हर्बर्ट प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	कोंडेति श्रीनिवास	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	0.80	0.02
459.	हर्बर्ट प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	राम गोपाल सोमरबु	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	0.97	0.02
460.	हर्बर्ट प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	कट्टुरु मुरली कृष्ण	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	0.44	0.01
461.	हर्बर्ट प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	कलिप्रसाद नायडू एवं अन्य नायडू	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	1.30	0.03
462.	ग्वं प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एम्रो इंडिया ओ एवं मैन्टीनेंट लिमिटेड	स्थावर संपदा गतिविधियां	1.00	0.02
463.	ग्वं प्रोपर्टीएस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एम्रो इंडिया ओ एवं मैन्टीनेंट लिमिटेड	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.00	0.00
464.	कन्स रिजलटोर्स बैंगलौर प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एमआर. समक्क वीर	स्थावर संपदा गतिविधियां	80.00	1.96
465.	भिंत टॉवर्स पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	राज नरायन बेआर.	स्थावर संपदा गतिविधियां	25.00	0.54
466.	भिंत टॉवर्स पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	राज नरायन बेआर.	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.10	0.00
467.	बैन कांस्ट्रक्शन पी. एसटीडी	यू.एस.ए.	ए. जयराज	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.75	0.02
468.	बैन कांस्ट्रक्शन पी. एसटीडी	यू.एस.ए.	जोहय्यम पोसित्त	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.75	0.02
469.	बैन कांस्ट्रक्शन पी. एसटीडी	यू.एस.ए.	जोहय्यम पोसित्त	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.01	0.00
470.	उव इंफ्रास्ट्रक्चुरे पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	अनिकृष्णन वैरीवर	स्थावर संपदा गतिविधियां	13.30	0.29
471.	एम/एस स्मन एंटरप्रायजेज प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एमआर. अश्विनी सेनगर	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसर्टिंगक्नस	1.20	0.03
472.	एम/एस स्मन एंटरप्रायजेज प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एमआर. अश्विनी सेनगर	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एनिसर्टिंगक्नस	0.90	0.02

1	2	3	4	5	6	7
473.	एम/एस स्वन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एसआर. प्रिन्स जीत सिंह	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	1.11	0.02
474.	एम/एस स्वन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एसआर. नवदीप सूद	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	1.20	0.03
475.	एम/एस स्वन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एसआर. बलराम एन.एस. कंवन	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	1.11	0.02
476.	ओरेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर पी. एसटीडी	यू.एस.ए.	एसएस. कंव वैन	स्थावर संपदा गतिविधियां	22.50	0.50
477.	प्रमेतुस डेवलपर्स पी. एसटीडी	यू.एस.ए.	प्रवीण पी. कंकरीय	स्थावर संपदा गतिविधियां	1.11	0.03
478.	एम/एस क्वान्टम बिल्ड तकनीकी लिमिटेड	यू.एस.ए.	गोपी मनोहर रेड्डी सिरिनेनि	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	2.50	0.05
479.	एम/एस क्वान्टम बिल्ड तकनीकी लिमिटेड	यू.एस.ए.	राघवेन्द्र अपनगरि	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	5.82	0.11
480.	एम/एस क्वान्टम बिल्ड तकनीकी लिमिटेड	यू.एस.ए.	राजेश चेन्नुरि	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	9.50	0.20
481.	एम/एस क्वान्टम बिल्ड तकनीकी लिमिटेड	यू.एस.ए.	शेखर वी. उप्पलापति	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	4.97	0.11
482.	एम/एस क्वान्टम बिल्ड तकनीकी लिमिटेड	यू.एस.ए.	सुनिता एवं राजशेखर रेड्डी पर्वति	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	10.00	0.21
483.	एम/एस क्वान्टम बिल्ड तकनीकी लिमिटेड	यू.एस.ए.	वम्सी कृष्ण तक्कल्लपति	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	2.64	0.06
484.	एम/एस क्वान्टम बिल्ड तकनीकी लिमिटेड	यू.एस.ए.	वेनुगोपाल एवं अनुराधा रेड्डी पर्वति	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	10.00	0.21
485.	मिंट होम्स पी लिमिटेड	यू.एस.ए.	रामास्वामी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	0.10	0.00
486.	मिंट होम्स पी लिमिटेड	यू.एस.ए.	रामास्वामी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग इंडिपेन्डेन्ट एंड अपार्टमेन्टस इन दा एनविसेटिंग बनस	4.90	0.11
487.	एम/एस वीन प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	डीआर. मोहना आर. वेलगुदि	स्थावर संपदा गतिविधियां	4.96	0.11

1	2	3	4	5	6	7
488.	पेस्टोन लंद डेवलपमेंट सीओपी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	मधु दत	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	0.01	0.00
489.	कपि रैलय कॉंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	अमित वी. दोशि	स्थावर संपदा गतिविधियां	55.80	1.39
490.	सेज रैस इस्टेटस (आई) पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	राजेश रमेशचंद्र सेमानी	स्थावर संपदा गतिविधियां	11.67	0.[illegible]
491.	प्रजय होल्डिंग्स पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	एलबी हैदराबाद इंवेस्टमेंटस इत्त्व	स्थावर संपदा गतिविधियां	517.92	12.29
492.	अमेजेस ग्रुप होल्डिंग पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	सैनय पेकस	स्थावर संपदा गतिविधियां	56.81	1.25
493.	इंफ्रास इंफ्रास्ट्रक्चर (आई) पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	बाबू कलमनेनि	स्थावर संपदा गतिविधियां	19.00	0.47
494.	इंफ्रास इंफ्रास्ट्रक्चर (आई) पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	बाबू कलमनेनि	स्थावर संपदा गतिविधियां	11.00	0.27
495.	इंफ्रास इंफ्रास्ट्रक्चर (आई) पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	रंग व गोरेपति	स्थावर संपदा गतिविधियां	10.04	0.25
496.	इंफ्रास इंफ्रास्ट्रक्चर (आई) पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	चौधरी बोम्ब	स्थावर संपदा गतिविधियां	20.05	0.50
497.	इंफ्रास इंफ्रास्ट्रक्चर (आई) पी. एसटीडी.	यू.एस.ए.	लक्ष्मी वैत्त	स्थावर संपदा गतिविधियां	6.80	0.17
498.	अंबा टाउनशिप पीवीटी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	वसुधै दलिचंद लखनि	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	12.25	0.29
499.	वैस्पजि इंफ्रास्ट्रक्चर पी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	एमआर. नागंद दोरवंम्य	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	9.00	0.21
500.	गंधि सिटी फ्लैट अर्बनेट आर. एवं डी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	गोल्ट कोअस एसोसिएशन त्त्व	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	88.20	2.06
501.	गंधि सिटी फ्लैट अर्बनेट आर. एवं डी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	गोल्ट कोअस एसोसिएशन त्त्व	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	13.06	0.30
502.	वैस्पजि इंफ्रास्ट्रक्चर पी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	एमआर. नरसिम्हा प्रसाद आर.	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	7.50	0.18
503.	प्रसन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	संजय फरीज	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	6.20	0.15
504.	प्रसन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	प्रकाश साह	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	6.20	0.15
505.	एसएन.बी. रैस संपदा प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	सुधा के. वरदराजन	स्थावर संपदा गतिविधियां	1.58	0.03
506.	अभिनम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	यू.एस.ए.	तुषर इम देसै	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	0.86	0.02

1	2	3	4	5	6	7
507.	अभिषम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	यू.एस.ए.	सकेत के देसै	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग हाउसेस एंड अल्टरनेशस इन दा एनक्लोसिंग वर्क्स	0.84	0.02
508.	अंबा टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	चरणजिवेन विशल पटेल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग हाउसेस एंड अल्टरनेशस इन दा एनक्लोसिंग वर्क्स	10.00	0.23
509.	अभिषम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	यू.एस.ए.	महेश गंधि	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग हाउसेस एंड अल्टरनेशस इन दा एनक्लोसिंग वर्क्स	0.86	0.02
510.	नवकर डेवलपर्स पीवीटी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	अनिल दत्तात्रय देसपांडे एवं चित्रा अनी देस्प	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग हाउसेस एंड अल्टरनेशस इन दा एनक्लोसिंग वर्क्स	7.92	0.19
511.	गवखेडे इन्फ्रा रेल संपदा पीवीटी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	डीआर, सुनील गवखेडे	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग हाउसेस एंड अल्टरनेशस इन दा एनक्लोसिंग वर्क्स	0.05	0.00
512.	बीके टाउनशिप और स्ट्रक्चरस् प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	केव सुरेश कुमार	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	40.00	1.01
513.	कैरमत डेवलपर्स पी. एसटीडी	यू.एस.ए.	वैस वै. सिस्त एंचलसेट	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग हाउसेस एंड अल्टरनेशस इन दा एनक्लोसिंग वर्क्स	101.32	2.40
514.	रंगस इंफ्रास्ट्रक्चर (आईएनडीआई) प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	इंदिरा मोरेचरि	स्थावर संपदा गतिविधियां	12.50	0.30
515.	बीके डेवलपिंग्स और स्ट्रक्चरस् प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	केव सुरेश कुमार	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	20.00	0.50
516.	प्रजय होल्डिंग्स पी. एसटीडी	यू.एस.ए.	त्त ईदरबाद इनवेसमेंस आई त्स्य	स्थावर संपदा गतिविधियां	198.35	4.99
517.	ब्रजकेश गृह निर्माण पी. एसटीडी	यू.एस.ए.	मिनि भारत शाह	रिहायशी भवनों का निर्माण	0.05	0.00
518.	इंगस इंफ्रास्ट्रक्चर (आई) पी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	बाबू कंसलेनि	स्थावर संपदा गतिविधियां	10.00	0.25
519.	मेहक डेवलपर्स पी.एसटी.डी.	यू.एस.ए.	अमरनाथ गोयदा	रिहायशी भवनों का निर्माण	2.49	0.06
520.	अंबा टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	चंदकंदन विनयलाल शाह	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग हाउसेस एंड अल्टरनेशस इन दा एनक्लोसिंग वर्क्स	5.00	0.13
521.	अंबा टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	जयुषी दलिचंद लखानि	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग हाउसेस एंड अल्टरनेशस इन दा एनक्लोसिंग वर्क्स	6.10	0.15

1	2	3	4	5	6	7
522.	रिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट एलटीडी.	यू.एस.ए.	जयेश विपिभै पटेल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	3.22	0.08
523.	रिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट एलटीडी.	यू.एस.ए.	राजेन्द्र गोविंदलाल पारीख	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	1.34	0.03
524.	अभिगम इंफ्रास्ट्रक्चर डीएवी. प्राइवेट एलटीडी.	यू.एस.ए.	डीआर. सुरेशचंद्र एमओओएनएटी	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	20.00	0.47
525.	अभिगम इंफ्रास्ट्रक्चर डीएवी. प्राइवेट एलटीडी	यू.एस.ए.	नरेन मूलजी एडीएनडब्ल्यूएसएए	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	10.00	0.24
526.	नचांग इंफ्रास्ट्रक्चर पी. एलटीडी.	यू.एस.ए.	दीपिका जोपड़ा रामालिंगम	स्थावर संपदा को विकसित और उप विभाजित करना	15.93	0.40
527.	ग्रीनफुल सेल्टर प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	कन्निअप्पन सेंथिल कुमार	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	12.13	0.28
528.	ग्रीनफुल सेल्टर प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	कन्निअप्पन सेंथिल कुमार	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	9.06	0.21
529.	ग्रीनफुल सेल्टर प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	कन्निअप्पन सेंथिल कुमार	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	17.55	0.41
530.	गम्पस इंफ्रास्ट्रक्चर पीवीटी.एलटीडी.	यू.एस.ए.	अजय कुमार गुप्ता	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	4.00	0.09
531.	रिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट एलटीडी	यू.एस.ए.	एकलेश विपिभै पीएटीइएल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	4.10	0.10
532.	रिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट एलटीडी	यू.एस.ए.	संजीव गोविंदलाल पारीख	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	10.00	0.24
533.	रिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट एलटीडी	यू.एस.ए.	कुंजल ए. पटेल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रैजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	5.90	0.14

1	2	3	4	5	6	7
534.	रिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट एसटीडी	यू.एस.ए.	संजीव गोविंदलाल पारीख	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंग बनस	0.18	0.00
535.	रिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट एसटीडी	यू.एस.ए.	दिलीप पटेल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंग बनस	9.88	0.23
536.	रिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट एसटीडी	यू.एस.ए.	चेतन पटेल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंग बनस	25.00	0.59
537.	अभिनव इंफ्रास्ट्रक्चर डीएवी.प्राइवेट एसटीडी.	यू.एस.ए.	किशोरभै सी. मेहता	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंग बनस	13.50	0.32
538.	सन सेल्टर प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	अनील कपाडिया	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	0.10	0.00
539.	जी.के. डेवेलेप्मेन्ट और स्ट्रक्चरस् प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	केप सुरेश कुमार	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	7.60	0.19
540.	बैंगलोर वेस्ट रैत्स (पी) लिमिटेड	यू.एस.ए.	भरत सी. शाह एवं अन्य	स्थावर संपदा गतिविधियां	9.95	0.24
541.	बंगलौर वेस्ट रैत्स (पी) लिमिटेड	यू.एस.ए.	20 रिस	स्थावर संपदा गतिविधियां	63.06	1.54
542.	बंगलौर वेस्ट रैत्स (पी) लिमिटेड	यू.एस.ए.	4 रिस	स्थावर संपदा गतिविधियां	10.01	0.25
543.	जीके डेवेलेप्मेन्ट और स्ट्रक्चरस् प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	केप सुरेश कुमार	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	36.60	0.90
544.	विडिसिया प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एमआरएस.ए. चानकी विनैयास	स्थावर संपदा गतिविधियां	3.00	0.07
545.	विडिसिया प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एमआर. सतीश अन्नास करीम	स्थावर संपदा गतिविधियां	6.00	0.14
546.	सेलिब्रेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	कर्नर जेकिनसन सीओ, इंक	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विपणित करना	0.10	0.00
547.	अभिनव इंफ्रास्ट्रक्चर डीएवी.पीवीटी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	अभीजात अमित शाह	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंग बनस	1.40	0.03
548.	मोहनदि सिसेलस पीवीटी, एसटीडी.	यू.एस.ए.	इंडिया कैपिटल कॉर्पोरेशन	इंटरनेट सेवाएं/सूचना प्रौद्योगिकी	0.90	0.02
549.	अभिनव इंफ्रास्ट्रक्चर डीएवी.पीवीटी.एसटीडी.	यू.एस.ए.	अभीजात अमित शाह	कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिडेंशल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एग्जिसटिंग बनस	0.40	0.01

1	2	3	4	5	6	7
550.	आरकेने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू.एस.ए.	एम/एस बेर्गुएन होल्डिंग्स लिमिटेड	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	149.30	3.35
551.	इम्प्रोने रेल इस्टेट्स कंसलटेंट्स पी. लिमिटेड	यू.एस.ए.	इम्प्रोनें डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.00	0.00
552.	स्मीद प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पी. लिमिटेड	यू.एस.ए.	सी दक्कर रेड्डी	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	2.50	0.06
553.	स्मीद प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पी. लिमिटेड	यू.एस.ए.	रंग एम.वी. गोरेंपति	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	2.28	0.05
554.	स्मीद प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पी. लिमिटेड	यू.एस.ए.	सी. दक्कर रेड्डी	स्थावर संपदा को भूखंडों में विकसित और विभाजित करना	7.50	0.17
555.	रंगवस इंफ्रास्ट्रक्चर (आई) पी. एलटीडी.	यू.एस.ए.	पटवर्धन वी. गोरेंपति	स्थावर संपदा गतिविधियां	10.00	0.23
556.	रंगवस इंफ्रास्ट्रक्चर (आई) पी. एलटीडी.	यू.एस.ए.	सुरेंद्र वी. गोरेंपति	स्थावर संपदा गतिविधियां	5.99	0.14
557.	टचो विसेओन इंजीनियरिंग पी. लिमिटेड	यू.एस.ए.	विसेओन इन्टरनेशनल होल्डिंग्स	स्थावर संपदा गतिविधियां	31.25	0.77
558.	पीसन रेंटल प्राइवेट लिमिटेड	ब्रिटिश वर्जिनिया	रन्चक्तेय लिमिटेड	स्थावर संपदा गतिविधियां	502.56	11.70
559.	वेस्टेजेमेंस रेल इस्टेट्स एसडब्ल्यू. प्राइवेट लिमिटेड	ब्रिटिश वर्जिनिया	वी.एच.प्रोपर्तिएस डब्ल्यूएसईकेएम एस कैप	स्थावर संपदा गतिविधियां	5.50	0.12
560.	वैष्णो रिअलटोर्स पीवीटी, एलटीडी.	वेस्ट इंडिज	एमआर. समचक वीर	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	40.70	0.95
561.	जयुक डेवलपर्स इंडिज पीवीटी.एलटीडी.	वेस्ट इंडिज	एमआर. समचक वीर	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	24.42	0.57
562.	स्नो शाईन रिअलटोर्स पीवीटी.एलटीडी.	वेस्ट इंडिज	एमआर. समचक वीर	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	20.10	0.47
563.	कंसुर रिअलटोर्स पीवीटी.एलटीडी.	वेस्ट इंडिज	एमआर. समचक वीर	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	146.51	3.42
564.	वास रिअलटोर्स बैंगलौर पी. एलटीडी.	वेस्ट इंडिज	समचक वीर	रेल संपदा अन्यिवितिएस	25.25	0.59
565.	अभिगम इंफ्रास्ट्रक्चर	किनिया	कांत पी. डोडिया	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	5.00	0.12
566.	राज रेलय पीटीवी.एलटीडी. डेवलपमेंट लिमिटेड	किनिया	किरित वी. पटेल	कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशनल बिल्डिंग इनकुलिडिंग एडिशनस एंड आल्टरनेशनस इन दा एगजिसटिंग वनस	6.87	0.16

1	2	3	4	5	6	7
567.	एम.के. कास्प्स एवं डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	ट्रिनिटि कैपिटल (टौरुस) लिमिटेड	स्थावर संपदा	500.00	12.58
568.	वसुअम्से टाउनशिप पी. एलटीडी	स्व: अंश का अधिग्रहण	पनथिओलिस पनथिओलोउ	संपत्ति विकास	0.00	0.00
569.	अम्स इस्टेट्स पी. एलटीडी.	स्व: अंश का अधिग्रहण	इमर्फ होल्डिंग्ज वस्व एलटीडी	स्थावर संपदा विकास	347.41	8.68
570.	वसुअम्से बिल्डिंग सुचुरे पी. एलएलटीडी.	स्व: अंश का अधिग्रहण	पनथिओलिस पनथिओलोउ	संपत्ति विकास	0.00	0.00
571.	सिलकमत भुमि डेवलपर्स पी.एलटीडी.	स्व: अंश का अधिग्रहण	इंडिया रू भोउंटेस एलटीडी	स्थावर संपदा विकास	969.00	24.21
572.	वसुअम्से बील्डर एवं डेवलपर्स पी.एलटीडी.	स्व: अंश का अधिग्रहण	पनथिओलिस पनथिओलोउ	संपत्ति विकास	0.00	0.00
573.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	मितन गोविंद	निर्माता और विकासक	0.01	0.00
574.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	कैमिस्त गिरधरलाल	बील्डर और कंस्ट्रक्शन	0.01	0.00
575.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	कैरिमजभु बकेर	निर्माता और विकासक	0.01	0.00
576.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	कैरिम सर्मिस्त	निर्माता और विकासक	0.01	0.00
577.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	कैरिम सुर्या	निर्माता और विकासक	0.01	0.00
578.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	इब्राहिम कैरिम	निर्माता और विकासक	0.01	0.00
579.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	जिवेन गोविंद	बिल्डर और कंस्ट्रक्शन	0.01	0.00
580.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	दक्षत गोविंद	निर्माता और विकासक	0.01	0.00
581.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	दक्षत गोविंद	निर्माता और विकासक	0.01	0.00
582.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	नरित नटवरलाल कतन	निर्माता और विकासक	0.01	0.00
583.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	संजय गोविंद	निर्माता और विकासक	0.01	0.00
584.	न्यू वन इंफ्रटेच वेंचेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	भारत वन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	आवास और निर्माण विकास परियोजनाएं	22.88	0.57
585.	दक्षत स्थापत्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	वेनेश दक्षत गोविंद	बील्डर और कॉंसट्रक्शन	0.01	0.00
586.	बीजी2 इक्विटि (आई) पी. एलटीडी.	स्व: अंश का अधिग्रहण	बीजी इक्विटि देसरॉल्लोस इम्मोबिलिआरिओस एस.एल.	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.07	0.00
587.	बीजी2 इक्विटि (आई) पी. एलटीडी.	स्व: अंश का अधिग्रहण	इंटिम्मो इंवेस्तस एस.ए.	स्थावर संपदा गतिविधियां	0.03	0.00
588.	कॉंरपुर टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	भारत वन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	आवास और निर्माण विकास परियोजनाएं	54.74	1.37
589.	इंटू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	लोरेसार इन्वेस्टमेंट (एसएचआईटीआईवूएस) लिमिटेड	निर्माण और स्थावर संपदा	406.24	9.46

1	2	3	4	5	6	7
590.	इंद्र प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	रेच इव अक्रिअ कं. इंवेस्तोर	निर्माण और स्थावर संपदा	402.18	9.37
591.	फस्टटन पर्न प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	एमआर.चोक्सि चंदुलाल पितमरदास	रेल संपदा डेव्हलपमेंट	8.14	0.19
592.	इंद्र प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	त्रिसरे इंवेस्टमेंट लिमिटेड	निर्माण और स्थावर संपदा	203.12	4.73
593.	इंद्र प्रोजेक्ट्स लिटिमेड	अंश का अधिग्रहण	रेच इव अक्रिअ कं. इंवेस्तोर	निर्माण और स्थावर संपदा	4.06	0.09
594.	का कॉर्प डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	न्यू वेस्तुन प्रावेट एकुइहत्व लिमिटेड	स्थावर संपदा विकास	0.05	0.00
595.	नेक्कोतंद प्रोपर्टिएस एवं लसिंग लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	नेक्कोतंद प्रोपर्टिएस एव लसिंग लिमिटेड	आईटी/आईटीएसईबैडएस का विकास	1,640.49	38.21
596.	त्रिसरे डेवलपर्स प्रावेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	मित्सेनिउम त्रिसरे लिमिटेड	स्थावर संपदा विकास	0.01	0.00
597.	एम्बवर मत प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	प्रोझेने इन्टरनेशनल लिमिटेड	स्थावर संपदा	23.08	0.54
598.	सरे ज्युली डेस्टर प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	एस.ए.आर.इ. (सोवायपीआरवूएस)	स्थावर संपदा विकासक	1.00	0.02
599.	या रैलव प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	हिनेस अशिन्च रैल संपदा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	स्थावर संपदा व्यापार	0.10	0.00
600.	अंतर्किक प्रोपर्टिएस कम्पनी लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	तिर्चेनि डेवलपमेंट लिमिटेड	अपार्टमेंट भूमि मकानों की खरीद और निर्माण	202.00	4.72
601.	मित्सेनिज इंफ्रास्ट्रक्चुरे प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	ऐशो इंडिया ओ एवं सैप्टीमेंट लिमिटेड	आवास टाउनशिप, बिल्डअप, अवस्थापना और निर्माण	82.07	1.92
602.	गोल्ट डेवलपर्स (आईएटीएल) प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	गोल्ट इंवेस्त्स और रिसर्टस प्ले लिमिटेड	कंस्ट्रक्शन देवेलपें ऑफ टाउनशिप	0.00	0.00
603.	गोल्ट डेवलपर्स पीवीटी.एलटीडी.	अंश का अधिग्रहण	गोल्ट डेवलपर्स प्राइवेट एलटीडी	व्यवसायिक परिसरों का निर्माण	7,085.58	165.02
604.	प्रिंसीज डेवलपमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	लिंक्वेल्स लिमिटेड	स्थावर संपदा परियोजना, विकास निर्माण और प्रबंधन से संबंधित परामर्शी सेवाएं	0.10	0.00
605.	दल्फ लिमिलेसेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	लिमिलेसेस होल्डिंग इंच	टाउनशिप का निर्माण और विकास	0.05	0.00
606.	वसुअमरे बिल्ड तकनीकी पी. एलटीडी	अंश का अधिग्रहण	एनबी सिटी नवी मुम्बई होल्डिंग सीओ. मौर	संपत्ति विकास	0.10	0.00
607.	वसुअमरे बिल्ड एवं डेवलपर्स पी.	अंश का अधिग्रहण	एनबी सिटी नवी मुम्बई होल्डिंग सीओ. मौर	संपत्ति विकास	0.10	0.00
608.	वसुअमरे बिल्डिंग सचवहरेपी एलटीडी	अंश का अधिग्रहण	एनबी सिटी नवी मुम्बई होल्डिंग सीओ. मौर	संपत्ति विकास	0.10	0.00
609.	वसुअमरे टाउनशिप एलटीडी	अंश का अधिग्रहण	एनबी सिटी नवी मुम्बई होल्डिंग सीओ. मौर	संपत्ति विकास	0.10	0.00
610.	पत्तनिसाम्ब प्रोपर्टिएस पी.एलटीडी.	अंश का अधिग्रहण	सनशाईन होल्डिंग्ब (एमएसआरआईटीआईवूएस) एलटीडी	शिवाजी टाउनशिप विकास	12.00	0.30

1	2	3	4	5	6	7
611.	वसुअम्ते बिल्डर एवं कंस्ट्रक्शन सी.	अंश का अधिग्रहण	एनर्जी सिटी नवी मुम्बई होल्डिंग सीओ. पीटर	संपत्ति विकास	0.10	0.00
612.	वसुअम्ते बिल्डर एवं कंस्ट्रक्शन सी.	अंश का अधिग्रहण	पनविओसिस पनविओडेउस	संपत्ति विकास	0.00	0.00
613.	रेड फ्लेंट अकबर प्रोपर्टीज पी.एल.	अंश का अधिग्रहण	रेड फ्लेंट (आई) रियल संपदा अकबर	भारत और विदेश में निर्माताओं और विकासकों का व्यवसाय	0.05	0.00
614.	तेल्लपुर टेक्नोलोजी पी. एसटीपी.	अंश का अधिग्रहण	सिंगापुर स्पेक्टर (आई) मास्टर	समेकित टाउनशिप का विकास	0.04	0.00
615.	दल्फ होम्स पंचकुला प्रायवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	ब्रह्म इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	रियलिटेशन और व्यावसायिक विकसित निर्माण करना	218.96	5.55
616.	ब्लोस प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	श्री विमी होमि सर्प	कंपनी स्थावर संपदा व्यवसाय में है	4.90	0.12
617.	पेन्ने वय डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	इक्यूटीएस वैंचर्स लि.	निर्माण और विकास तथा स्थावर संपदा	237.50	5.88
618.	स्नवल हाउसिंग एंड टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	थ्रि ग्रुप (एसएसआईटीआईएस) एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	निर्माण सेवाएं/परियोजना प्रबंधन	0.05	0.00
619.	फस्तेन यम प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	श्री चोखित चंदुलाल पैडामर दास	स्थावर संपदा विकास	12.00	0.29
620.	कन्नडेय इंजिनियरिंग (आई) प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	विजेन्द्र कुमार जैन	निर्माण विकास और स्थावर संपदा व्यवसाय	29.00	0.71
621.	गोल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	गोल्ड होरे एव रिसॉर्टस पे	निर्माण विकास और स्थावर संपदा व्यवसाय	0.06	0.00
622.	स्वय सर्किपे डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	सिंगिरे डेवलपर्स मॉरिशियस	निर्माण विकास और स्थावर संपदा संपत्ति	0.10	0.00
623.	सिंवर्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	कपरी डेवलपर्स मॉरिशियस लिमिटेड	निर्माण विकास और स्थावर संपदा संपत्ति	0.50	0.01
624.	बंगलत सपूर्ब हाउसिंग डेवलपमेंट पी.	अंश का अधिग्रहण	सेम्बुल डेवलपर्स मॉरिशियस	निर्माण विकास और स्थावर संपदा संपत्ति	0.10	0.00
625.	लोकंटवला कटारिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	ट्रिनिटी कैपिटल (एफआईपी) लिमिटेड	स्थावर संपदा निर्माण और विकास	278.40	7.06
626.	फस्तून यम प्राइवेट लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	चोखित चंदुलाल चोखित	स्थावर संपदा विकास	5.05	0.13
627.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	संजीव ओसवल	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
628.	सेंचुरी बंगलौर सिटी सेंटर पी. लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	चेन्नई मॉरिशियस लिमिटेड	टाउनशिप हाउसिंग और आवासन	0.95	0.02
629.	सेंचुरी बैंगलौर सिटी सेंटर पी. लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	मैसूर मॉरिशियस लिमिटेड	टाउनशिप हाउसिंग और आवासन	0.05	0.00
630.	एस्सर कॉंसट्रक्शंस लिमिटेड	अंश का अधिग्रहण	एस्सर प्रोजेक्ट्स	निर्माण व्यवसाय	1,332.50	31.63
631.	पलैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पी. लिमि.	अंश का अधिग्रहण	इंटिग्रेटेड ऑफशोर फंड	स्थावर संपदा का निर्माण और प्रोन्नयन	249.99	5.93

1	2	3	4	5	6	7
632.	सूर्यचर्पन इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	चौरसिंदास बगचंद सदरनानि	संपत्तियों का विकास	2.00	0.05
633.	खजन गणेश प्रोपेर्त्य प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	खजन गणपत (एमएचआरआईटीआईयूएस) लिमिटेड	संपत्तियों का विकास	0.05	0.00
634.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सिक्स रिस 1 ज्ञं ईव	आवास और स्थावर संपदा विकास	0.03	0.00
635.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	रानू नुन	आवास और स्थावर संपदा विकास	0.01	0.00
636.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	रमेश आरएसईएचआरआईए	आवास और स्थावर संपदा विकास	0.01	0.00
637.	सूर्यचर्पन इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	चौरसिंदास बगचंद सदरनगिन	डेवलपर्स ऑफ पीआरओपीएमआरटीआईएस.	0.25	0.01
638.	पंचशील ट्रेडिंगस प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	इरेओ इंवेस्टमेंट होल्डिंग इ लिमिटेड	स्थावर संपदा	57.10	1.25
639.	वू विसिओन	स्व: अंश का अधिग्रहण	बुर्केस 2 लिमिटेड	व्यावसायिक ऊर्जा का निर्माण और विकास	2.50	0.06
640.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	श्रीकांत चलिवंद	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
641.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	श्रीकुमार गोपकुमार	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
642.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सिंक्स आर गद्मदुगु	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
643.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सिनिक्सु सुदिरेरि	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
644.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	रवि कंच वी.	आवास और स्थावर संपदा विकास	0.01	0.00
645.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सुमन विजयगोपाल	आवास और स्थावर संपदा विकास	0.01	0.00
646.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सत्य कवचेरि	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
647.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सत्य सिन्हा प्रसाद	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
648.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सेंथिल पलानीसम्मी	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
649.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सिद्धलिंगगोउद रति	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
650.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	41एनओएन रेसिडेंत इविअंस	आवास और स्थावर संपदा विकास	0.21	0.00
651.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सुकिर कुमारेसन	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
652.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	वेंकटेसवरलु रविकांत	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
653.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	विजय कुमार सिंहासेपर	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
654.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सत्य कवत्रि	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
655.	पेनिनसेन इंफ्रास्ट्रक्चुरे पीवीटी.एसटीडी	स्व: अंश का अधिग्रहण	कांत पटेल	व्यावसायिक/रिहायशी भूखंडों का निर्माण	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
656.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	अर्चना बत्रा	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
657.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	लौल प्रसाद कोनर	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
658.	इंडोगल्फ होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	एनबी सिटी नवी	बिल्डिंग डवलपिंग और रेंटिंग	0.10	0.00
659.	गोदरेज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	रेड फोर्ट इंडिया रैल संपदा ब्यूरो	स्थावर संपदा विकास	205.22	4.79
660.	अमृशि बिल्डर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सिटेवूट होस्टिंग्स लिमिटेड	शिक्षासी परिसरों का विकास और निर्माण	123.84	3.07
661.	ज्योम लेबोरेटरी लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	दक्षिण एशिया रेगिओनल	फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्माण	252.24	6.25
662.	ओबेने प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रैल संपदा फुंद	स्थावर संपदा विकास	843.88	20.91
663.	प्लम्ब रैल्थ प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	बोसाच्चे लिमिटेड	टाउनशिप हाउसिंग और अवस्थापना	0.05	0.00
664.	ओर्चिड ग्रेव्यो रैल्थ प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	ग्रेव्यो लिमिटेड	टाउनशिप हाउसिंग और अवस्थापना	0.05	0.00
665.	पुर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	दिवलिम लिमिटेड	टाउनशिप हाउसिंग और अवस्थापना	0.05	0.00
666.	पुणे कॉडवा रैल्थ प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	रॉबर्ट ग्रोव	स्थावर संपदा	0.00	0.00
667.	सब वे इंडिया रैल्थ प्रोजेक्ट्स	स्व: अंश का अधिग्रहण	डब्ल्यूएसआई/डब्ल्यूएसक्यूएआईवी (एसआईवी) पीरिडिअस इंवेस्टर्स	स्थावर संपदा	0.00	0.00
668.	अर्बेन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	ग्रार्च लिमिटेड	टाउनशिप हाउसिंग और अवस्थापना	0.05	0.00
669.	ऐन्चर प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	विविध लिमिटेड	टाउनशिप हाउसिंग और अवस्थापना	0.10	0.00
670.	अग्रिकोल रिअलटोर्स प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	स्वरूपो लिमिटेड	टाउनशिप हाउसिंग और अवस्थापना	0.10	0.00
671.	प्लम्ब रैल्थ प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	ग्रेव्यो मैनेजमेन्ट इए	टाउनशिप हाउसिंग और अवस्थापना	0.00	0.00
672.	अस्सेतेच रैल्थ प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	नरेश नगपाल	आवास और स्थावर संपदा प्रबंधन	12.50	0.28
673.	चोल्टिसर्स आईएनटीएस्ट. प्रॉपर्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	चोल्टिसर्स आईएनटीएस्ट. (एसएएआईटीआईएस) लिमिटेड	स्थावर संपदा एजेन्सी डीलिंग सेवाएं	5.00	0.11
674.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	आशीष श्रीवास्तव	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
675.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	वैनु आनंद वी नायर	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
676.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	ब्रजेश गोयल	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
677.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	वी. सिवनंदन	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
678.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	देवी प्रसाद डबुरि	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
679.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	इसवा वेमुलपल्लि	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
680.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	जयकृष्णन राधकृष्णन	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00

1	2	3	4	5	6	7
681.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	कृष्ण कुमार चवितल	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
682.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	लक्कोजी	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
683.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	नक्कापल्लीविरासेखर बाबू	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
684.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	निरुपमा हैंजरप्पा	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
685.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	सिक्स एनआईआरएस वन होरे इंच	आवास और स्थावर संपदा विकास	0.03	0.00
686.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	पद्मनाभ सी.वे.	आवास और स्थावर संपदा विकास	0.01	0.00
687.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	प्रदीप शंताराम पट	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
688.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	श्रीवमसी याचवापति 2. रवि निक्किलेनेनी	आवास और स्थावर संपदा विकास	0.01	0.00
689.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	इंडेओ इनवेस्टमेंट होल्डिंग III	स्थावर संपदा	0.05	0.00
690.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	रघु पारट्टान	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
691.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	राम मूर्ती सेट्टी	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
692.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	रमेश बाबू डोडी	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
693.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	रमेश बाबू व्यूसिरीकोकाला	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
694.	होम स्वीट होम डेवलपर्स लिमिटेड	स्व: अंश का अधिग्रहण	रंगनाथ बंदे	आवास और स्थावर संपदा	0.01	0.00
	कुल योग				178,480.03	4,308.25

नोट: इस राशि एसआईए/एफआईपीबी रूट, भौतूत अंशों का अधिग्रहण और आरबीआई के ऑटोमेटिक रूट से प्राप्त इनफ्लो शामिल है।

आईएफसीआई से धोखाधड़ी की शिकायतें

2094. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) से धोखाधड़ी की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो आईएफसीआई द्वारा की गई शिकायत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस शिकायत की जांच के लिए इसे गंभीर अपराध अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (ङ) मंत्रालय को आईएफसीआई से सीधी तौर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, आईएफसीआई द्वारा मै. उषा इंडिया लिमिटेड, मै. मालविका स्टील लिमिटेड तथा मै. कोशिका टेलिकॉम लिमिटेड के विरुद्ध बोर्ड के समक्ष दायर याचिका के आधार पर कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237(ख) के तहत जांच के आदेश दिये गये थे। कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा आदेशित ये जांच मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.5.2005 को गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंप दी गई थी तथा इनकी जांच पूरी हो गई है। एसएफआईओ की खोजों के आधार पर कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किया जाना प्राधिकृत था। ऐसे अभियोजन न्यायालय में प्रक्रियाधीन हैं।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को सहायता

2095. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ग) क्या उक्त योजनाओं ने वांछित परिणाम दिये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अपने ऋण कार्यों के भाग के रूप में, सहकारी बैंकों सहित, अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा प्रदान किये गये अल्पावधि तथा दीर्घावधि ऋणों हेतु उनके द्वारा किये गये संवितरण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड का पुनर्वित्त अल्पावधि (अन्य) श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न कृषि तथा ग्रामीण कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु सहकारी बैंकों के लिए भी उपलब्ध है। नाबार्ड की पुनर्वित्त योजनाएं देश भर के सभी पात्र सहकारी बैंकों पर लागू हैं।

(ख) नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों, अल्प एवं मध्यावधि निवेश ऋण तथा चलनिधि सहायता योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 (30 सितम्बर तक) के दौरान क्रमश: 13,665.78 करोड़ रुपये, 14,479.32 करोड़ रुपये, 16,481.63 करोड़ रुपये तथा 8,984.54 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं।

(ग) और (घ) नाबार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के कारण, सहकारी बैंकों द्वारा किया गया कुल संवितरण, जो वर्ष 2002-03 से 19,668 करोड़ रुपये था, वर्ष 2007-08 में बढ़कर 40,515 करोड़ रुपये हो गया है।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कामगार

2096. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंगनवाड़ी कामगार मांग कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए एवं तदनुसार वेतन एवं भत्ते तथा अन्य लाभ प्रदान किये जाएं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। समय-समय पर प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

* उन्हें श्रेणी 'ग' और 'घ' के सरकारी कर्मचारियों का दर्जा और तत्संबंधी लाभ प्रदान किये जाएं।
* उन्हें सरकारी कर्मचारियों की भांति वेतन का भुगतान किया जाए।
* पारिश्रमिक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए।
* सेवा निवृत्ति के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1,00,000 रुपये तथा आंगवाड़ी सहायिकाओं को 50,000 रुपये का एकमुश्त अनुग्रह लाभ प्रदान किया जाए।
* सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भविष्य निधि, पेंशन इत्यादि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाएं।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को स्थानीय समुदाय से आने वाली ऐसी अवैतनिक कार्यकर्त्रियां माना गया है, जो बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अंशकालिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आती हैं।

आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत आधारभूत स्तर की इन कार्यकर्त्रियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करना अथवा सरकारी कर्मचारियों जैसे लाभ प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है।

नई पेंशन योजना

2097. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित पूरे देश की संपूर्ण श्रमशक्ति को नई पेंशन योजना के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों की नई अंशदायी भविष्य निधि का विलय नई पेंशन प्रणाली में करने के संबंध में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से टिप्पणियां मांगी हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा किस प्रकार करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने गैर-संगठित क्षेत्र सहित सभी नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना को लागू करने के लिए अगस्त, 2008 में पीएफआरडीए को अपने अनुमोदन की सूचना दे दी है।

पीएफआरडीए ने प्रारम्भिक कार्रवाई आरम्भ कर दी है और गैर-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। आशा है कि नई पेंशन योजना पहली अप्रैल, 2008 से सभी नागरिकों को उपलब्ध हो जाएगी।

(ग) स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में परिवर्तन पर पीएफआरडीए से अभ्युक्तियां मांगी गयी थीं।

(घ) और (ङ) पीएफआरडीए ने सूचित किया है कि उसने सीपीएफ लाभभोगियों को नई पेंशन योजना में आने के इच्छुक लोगों को इसमें शामिल करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। एनपीएस का स्वरूप, विशेष रूप से पीएफआरडीए द्वारा नियुक्ति पेंशन निधियों की सेवाएं स्वायत्तशासी निकायों के उन कर्मचारियों के लाभ के लिए प्राप्त की जा सकती हैं जो अंशदायी भविष्य निधि से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की ओर जा रहे हैं और यह उसी पद्धति के अनुसार होगा जो स्वायत्तशासी निकायों के 1.1.2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए है। सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) से की गयी आरम्भिक पूछताछ से पता चलता होता है कि ऐसे संगठनों के लिए रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) से की गयी आरम्भिक पूछताछ से पता चला होता है कि ऐसे संगठनों के लिए रिकार्ड-कीपिंग सेवाओं का विस्तार करने हेतु न्यूनतम परिवर्तन अपेक्षित होंगे। तथापि, पीएफआरडीए यह अनुशंसा करना चाहेगा कि जिन कर्मचारियों की अधिवार्षिता से पूर्व 10 वर्ष से कम की सेवा अवधि शेष रही है उन्हें उनके संचित पेंशन धन में संभव कमी से बचने की दृष्टि से निश्चित आय वाले प्रपत्रों में अधिकतम निवेश सहित पूंजी संरक्षण अभिमुखी निवेश वाले विकल्प चुनने की सलाह दी जा सकती है।

[हिन्दी]

दहेज से प्रताड़ित होने वालों को सहायता

2098. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दहेज से प्रताड़ित होने वालों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ गैर-सरकारी संगठनों को भी धनराशि प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) सरकार दहेज उत्पीड़ितों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग दहेज उत्पीड़ितों से शिकायतें प्राप्त होने पर उन्हें कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेज देता है। आयोग कानूनी सलाह और परामर्श भी प्रदान करता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग कानूनी जागरूकता का प्रसार करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान करता है।

[अनुवाद]

बीपीएल सूची

2099. **श्री रेवती रमन सिंह:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजना आयोग द्वारा आकलित संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश मे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन के वास्तविक आंकड़े एकत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो योजना आयोग के आकलन को पार न करने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली आबादी की संख्या तथा अनुपात का आकलन योजना आयोग द्वारा लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद उपभोक्ता व्यय के वृहद नमूना सर्वेक्षण से किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय सामान्य तौर पर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में बीपीएल जनगणना करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देता है ताकि उन ग्रामीण परिवारों की पहचान की जा सके जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सहायता दी जा सकती है। अंतिम बीपीएल जनगणना, 2002 के दिशा-निर्देशों में राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करने का विकल्प दिया गया था जो वर्ष 1999-2000 के लिए योजना आयोग के गरीबी आकलन अथवा अस्थायी गरीब के मामले में 10% अतिरिक्त के साथ समायोजित अंश (योजना आयोग द्वारा निर्धारित) के बराबर हो सकता है। 1999-2000 के गरीबी आकलन के अनुसार ग्रामीण बीपीएल परिवारों की संख्या 3.86 करोड़ निर्धारित की गई थी तथा समायोजित अंश के अनुसार यह संख्या 4.88 करोड़ थी। इस तरह 10% अतिरिक्त, जैसाकि ऊपर बताया गया है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 5.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों को बीपीएल के रूप में पहचान करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण बीपीएल परिवारों की पहचान करने की छूट दी गई थी जो योजना आयोग के गरीबी आकलन से काफी अधिक थी।

चूंकि गरीबी का आकलन योजना आयोग द्वारा किया जाता है, अत: उसे गरीबी की वैकल्पिक अवधारणा और इससे जुड़ी मापन प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं और राज्यों के आस-पास अद्यतन करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं के अलावा प्रयोगात्मक आकलन के डाटाबेस सहित गरीबी के आकलन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए प्रो. एच.डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल पहले ही बना लिया है।

महिला और बाल विकास योजाओं के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र से वित्तपोषण

2100. **श्री विजय कृष्ण:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र से देश में महिला और बाल विकास की योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उक्त प्रयोजनार्थ किसी अंश का योगदान देती है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान की गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और इसमें से राज्य-वार वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) विभिन्न क्षेत्रों में महिला-पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की पूर्ति का आकलन एवं मानीटरन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में महिला-पुरुष समानता संबंधी यू.एन.डी.पी.-भारत सरकार परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना में उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिनका संबंध महिलाओं को देश की मुख्यधारा में लाने के लिए किये जा रहे उपायों का केन्द्र बनने वाली विभिन्न कार्यनीतियों से

है। इस परियोजना की अवधि 2004-2008 है।

महिला-पुरुष समानता संबंधी यू.एन.डी.पी.-भारत सरकार परियोजना का कुल बजट 10 लाख अमरीकी डालर है। यू.एन.डी.पी. ने ही इस परियोजना की पूरी लागत वहन की है। इस परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरन किया गया व्यय इस प्रकार है:

2006-लगभग 1.3 करोड़ रुपये

2007-लगभग 75.9 लाख रुपये

2008-लगभग 37.8 लाख रुपये (आज तक)

इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां जारी नहीं की जाती हैं।

राजकोषीय घाटा

2101. **श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री अधीर चौधरी:
श्री मधु गौड़ यास्खी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही में राजकोषीय घाटे में वद्धि की गति बहुत अधिक रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) चालू वित्त वर्ष 2008-09 के प्रथम छह महीनों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में माह-वार संचयी राजकोषीय घाटा तथा पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के आंकड़े नीचे दिये गये है:

माह-वार संचयी राजकोषीय घाटा
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

माह	2008-09	2007-08
अप्रैल	0.62	0.59
मई	1.38	1.32
जून	1.62	2.38
जुलाई	2.19	2.75
अगस्त	2.20	2.19
सितम्बर	1.94	1.72

केन्द्रीय बजट 2008-09 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के स्तर पर रहने की परिकल्पना की गई है, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत नियत किये गये सकल घरेलू उत्पाद के 3.0 प्रतिशत लक्ष्य के भीतर है और जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत की गुंजाइश है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का अधिक संग्रहण तथा बेहतर कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति से राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहने की आशा है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

2102. **श्री अजीत जोगी:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरन विद्युत क्षेत्र में हुए विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए कोई नई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नीति के अंतर्गत आगामी वर्षों में कितना विदेशी निवेश किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग (डीआईपीपी), जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के आंकड़ों का रख-रखाव करती है, के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में किये गये विदेशी निवेश के विवरण को दर्शाने वाला ब्यौरा निम्नवत् है:

	2005-06 अप्रैल-मार्च		2006-07 अप्रैल-मार्च		2007-08 अप्रैल-मार्च		योग	
रुपये में एफडीआई	अमरीकी डॉलर में एफडीआई	रुपये में एफडीआई	अमरीकी डॉलर में एफडीआई	रुपये में एफडीआई	अमरीकी डॉलर में एफडीआई	रुपये में एफडीआई	अमरीकी डॉलर में एफडीआई
3,863.77	87.09	7,132.19	157.47	38,774.62	968.00	49,770.58	1,212.56

विभिन्न विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली अतिरिक्त विद्युत को परियोजनाओं में निवेश की प्रकृति के आधार पर अलग नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ मुख्य पहलें निम्नानुसार हैं:

(1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण (परमाणु विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) संबंधी परियोजनों के लिए 100% एफडीआई को स्वत: ही अनुमोदन की अनुमति दी गई है। हाल ही में, विद्युत व्यापार को भी बिजली अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विनियमों के अनुपालन की शर्त पर उपर्युक्त में शामिल किया गया है।

(2) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के तहत प्रत्येक लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है।

(3) प्रतिस्पर्धात्मक बोली संबंधी दिशा-निर्देश

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) से अपेक्षित परामर्श करने के पश्चात् वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के प्रापण के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए 19 जनवरी 2005 को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इससे विदेशियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के निवेश को भी बढ़ावा मिलने की आशा है। परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने बिजली के पारेषण के लिए पारेषण सेवाओं के प्रापण हेतु भी प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

(घ) विद्युत क्षेत्र में एफडीआई के लिए कोई भी लक्ष्य तय नहीं किये गये हैं क्योंकि पूंजी का आगमन ज्यादातर संबंधित निवेश परिस्थितियों एवम् विदेशी निवेशकों का भरोसा तथा देश का चयन करने में निवेश जोखिमों की उनकी सूझ-बूझ और निवेश के लिए देश के अंदर क्षेत्र के चयन पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी दीपक पारिख समिति

2103. डा. के.एस. मनोज: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी दीपक पारिख समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार ने अवसंरचना वित्तपोषण के संबंध में दीपक पारिख की रिपोर्ट में की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित किया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कारपोरेट बाण्डों पर स्रोत पर कर कटौती को समाप्त करना और अवसंरचना विकास के लिए भारत के विदेशी

मुद्रा भंडार के कुछ हिस्से का इस्तेमाल करने के लिए भारत अवसंरचना वित्त निगम लि. (आईआईएफसीएल) की एक अपतटीय सहायक कंपनी की स्थापना करना शामिल है। अन्य सिफारिशों पर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के अधीन एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) में जो कि संबंधित निकायों जैसे कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक आदि के बीच मतैक्य विकसित करने के लिए गठित की गई है, विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अप्रत्याशित लाभ संबंधी कर

2104. श्री कीरेन रिजीजू:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री सुनील खां:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बड़े औद्योगिक घरानों विशेषकर पेट्रोलियम कम्पनियों के अप्रत्याशित लाभों के कराधान के संबंध में प्रत्यक्ष कर कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत मानदंड क्या हैं और उक्त प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्यतया, स्वामी की हैसियत से प्राकृतिक संसाधनों का पूरा मूल्य वसूलने के लिए सरकार द्वारा अप्रत्याशित लाभ कर लगाये जाते हैं। तथापि, तेल शोधन कारखाना किसी अन्य विनिर्माण इकाई के समान है जहां सरकार संप्रभु की हैसियत से (लाभ पर कर के रूप में) तथा न कि स्वामी की हैसियत से लाभ में हिस्सा बटाने की हकदार है। इसलिए तेल शोधन कारखाना जैसी विनिर्माण इकाइयों के लाभ पर कोई अप्रत्याशित लाभ या अतिरिक्त लाभ कर लगाने का आर्थिक औचित्य नहीं है।

विद्युत संयंत्रों में खराबी आना

2105. श्री महावीर भगोरा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत संयंत्रों में लगातार खराबी आती रहती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप होने वाले घाटे के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) उत्पादन यूनिट का निष्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे यूनिट की आयु नियोजित समयानुसार रखरखाव, अपेक्षित गुणवत्ता की उपलब्धता और ताप व परमाणु यूनिट के संदर्भ में ईंधन की मात्रा और हाइड्रो यूनिट के संदर्भ में जल की उपलब्धता। गत कई वर्षों में देश की उत्पादक यूनिटों में सुचालक प्रदर्शन यूनिट में सुधरी हुई डिजाइन विशेषता, बेहतर निरूपण सुविधा और रखरखाव के तरीकों के कारण महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। गत कुछ वर्षों में प्लांट लोड फैक्टर के संदर्भ में ताप व परमाणु यूनिटों की संस्थापित क्षमता के इष्टतम उपयोग में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित हुआ है। किंतु परमाणु यूनिटों में सुधार न होने का कारण ईंधन की कमी रहा है। हाइड्रो मशीनों के प्रचालन की उपलब्धता में निरंतर वृद्धि हुई है। बहरहाल, कुछ यूनिटों में उनकी पुरानेपन और अप्रत्याशित घटनाओं/दुर्घटनाओं के कारण खराबी हुई। जबरनबंदी के संदर्भ में ऊर्जा हानि (मिलियन यूनिट में) होती है। ताप संयंत्रों के संदर्भ में जबरनबंदी के कारण संयंत्रवार हुई अनुमानित उत्पादन हानि का ब्यौरा (एक वर्ष में 36 या इससे अधिक बार या महीने में तीन बार) तथा गत तीन वर्षों में (2005-2006 से 2007-2008 और चालू वर्ष में) बार-बार होने वाली खराबियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पुराने व अदक्ष उत्पादक यूनिटों के आवधिक संयंत्र अनुरक्षण, नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) और जीवन विस्तार (एलई) के अलावा आर एंड एम और एल ई कार्यक्रम के भाग के रूप में चलाए जाते हैं ताकि उत्पादक संयंत्रों की जबरनबंदी को न्यूनतम किया जा सके।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान बार-बार जबरनबंदी का विवरण

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	यू.सं.	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा. में)	वर्ष के दौरान बंदी की संख्या	कुल बंदी घंटे	अनुमानित उत्पादन हानि (मि.यू. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	परीच्छा	2	110.00	141	1955.08	215.06
2.	पतरातू	2	40.00	108	1869.63	93.48
3.	पतरातू	9	110.00	101	3464.28	381.07
4.	पतरातू	6	90.00	95	3011.65	301.17
5.	हरदुआगंज-बी	4	60.00	78	3208.13	192.49
6.	डी.पी.एल.	2	30.00	75	1552.28	46.97
7.	पनकी	3	105.00	75	1454.25	159.97
8.	राजघाट	1	67.50	74	436.05	29.43
9.	राजघाट	2	67.50	69	894.70	60.39
10.	पानीपत	1	110.00	67	1078.67	118.65
11.	पनकी	4	105.00	67	1655.17	182.07
12.	डी.पी.एल.	1	30.00	64	1580.43	47.41
13.	पानीपत	8	250.00	64	568.08	142.02
14.	परीच्छा	1	110.00	64	1473.80	162.12
15.	पानीपत	2	110.00	63	1547.98	170.28
16.	बोकारो बी	2	210.00	62	2211.67	464.45
17.	हरदुआगंज-बी	3	60.00	62	2239.40	134.36
18.	तेनुघाट	1	210.00	60	1047.77	220.03
19.	पानीपत	7	250.00	58	4709.82	1177.45
20.	पानीपत	4	110.00	53	511.57	56.27
21.	डी.पी.एल.	6	110.00	52	1132.05	124.53
22.	ओबरा	13	200.00	52	1237.02	247.40
23.	बरौनी	6	105.00	50	5286.35	581.50

1	2	3	4	5	6	7
24.	फरीदाबाद विस्तार	2	55.00	49	1022.70	61.36
25.	जीएनडीटीपी (बठिंडा)	2	110.00	49	880.67	96.87
26.	फरीदाबाद विस्तार	3	55.00	47	2619.13	157.15
27.	ओबरा	8	94.00	46	2484.88	248.49
28.	आई.पी. स्टेशन	4	62.50	45	2651.45	165.72
29.	आई.पी. स्टेशन	5	60.00	44	889.18	53.35
30.	डी.पी.एल.	3	70.00	43	1189.75	89.23
31.	फरीदाबाद विस्तार	1	55.00	42	810.15	48.61
32.	ओबरा	10	200.00	41	1469.00	293.80
33.	ओबरा	12	200.00	41	926.93	192.72
34.	नामरूप एसटी	5	30.00	40	926.93	27.81
35.	बोकारो बी.	1	210.00	37	1378.15	289.41
36.	बोकारो बी	3	210.00	37	2013.67	422.887
37.	आई.पी. स्टेशन	2	62.50	37	873.97	54.62
38.	कोरबा-पश्चिम	4	210.00	37	696.18	146.20
39.	हरदुआगंज-बी	7	105.00	36	2420.13	266.21
40.	कोराडी	5	200.00	36	952.95	190.59
	कुल				68368.35	8113.19

वर्ष 2006-07 के दौरान बार-बार जबरन बंदी का विवरण

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	यू.सं.	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा. में)	वर्ष के दौरान बंदी की संख्या	कुल बंदी घंटे	अनुमानित उत्पादन हानि (मि.यू. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	परीच्छा	2	110	98	2210.83	243.19
2.	पतरातू	2	50	96	3251.38	162.57
3.	हरदुआगंज-बी	7	110	94	2268.10	249.49
4.	फरीदाबाद विस्तार	3	60	86	1885.10	113.11

1	2	3	4	5	6	7
5.	फरीदाबाद विस्तार	1	60	86	2058.88	123.53
6.	परीच्छा	1	110	84	1282.82	141.11
7.	फरीदाबाद विस्तार	2	60	80	3253.60	195.22
8.	पनकी	4	110	78	2117.43	232.92
9.	कच्छ लिग्नाइट	1	70	75	999.38	69.96
10.	पनकी	3	110	70	1267.83	139.46
11.	पतरातू	1	50	67	1485.12	74.26
12.	डी.पी.एल.	3	75	65	1621.23	121.59
13.	हरदुआगंज-बी	3	60	64	1294.72	77.68
14.	डी.पी.एल.	1	30	62	3508.12	105.24
15.	आई.पी. स्टेशन	5	60	60	2918.13	175.09
16.	ओबरा	8	100	59	3979.95	238.00
17.	एन्नौर	2	60	57	1193.15	71.59
18.	डी.पी.एल.	5	75	56	530.35	39.78
19.	नामरूप एसटी	5	30	55	1184.62	35.54
20.	डी.पी.एल.	4	75	53	1792.55	134.44
21.	तेनुघाट	1	210	53	606.80	127.43
22.	बोकारो-बी	2	210	52	1622.12	340.64
23.	बोकारो-बी	3	210	52	2173.28	456.39
24.	डी.पी.एल.	2	30	52	1445.50	43.37
25.	पानीपत	1	110	52	829.90	91.29
26.	कच्छ लिग्नाइट	3	75	51	762.68	57.20
27.	पतरातू	10	110	50	1709.00	187.99
28.	राजघाट	1	67.5	50	1634.08	110.30
29.	तेनुघाट	2	210	49	335.63	70.48
30.	अकरीमोटा लिग्नाइट	2	125	49	4274.52	534.31
31.	कच्छ लिग्नाइट	2	70	47	1177.05	82.39

1	2	3	4	5	6	7
32.	ओबरा	12	200	44	1659.02	331.80
33.	परीच्छा	3	210	44	1190.65	250.04
34.	राजघाट	2	67.5	44	1250.08	84.38
35.	आई.पी. स्टेशन	2	62.5	43	1490.92	93.18
36.	ओबरा	7	100	43	2915.57	291.56
37.	पानीपत	2	110	42	521.38	57.35
38.	जीएनडीटीपी (बठिंडा)	2	110	36	779.65	85.76
39.	ओबरा	11	200	36	1907.20	381.44
40.	ओबरा	13	200	36	2522.05	504.41
	कुल				69310.38	6925.48

वर्ष 2007-08 के दौरान बार-बार जबरन बंदी का विवरण

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	यू.सं.	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा. में)	वर्ष के दौरान बंदी की संख्या	कुल बंदी घंटे	अनुमानित उत्पादन हानि (मि.यू. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	हरदुआगंज	7	105	150	2616.98	274.78
2.	पनकी	3	105	114	1337.38	146.73
3.	फरीदाबाद विस्तार	2	60	100	2293.32	137.60
4.	फरीदाबाद विस्तार	1	60	92	1795.18	107.71
5.	परीच्छा	1	110	89	3296.55	362.62
6.	परीच्छा	3	210	85	1073.10	225.35
7.	परीच्छा	2	110	78	4454.03	489.94
8.	न्यू पारली	1	250	75	792.43	198.11
9.	कच्छ लिग्नाइट	3	75	73	1703.58	127.77
10.	कोरबा ईस्ट-V	1	250	73	2132.10	127.93
11.	फरीदाबाद विस्तार	3	60	69	2132.10	127.93
12.	हरदुआगंज	3	60	68	1236.82	74.21

1	2	3	4	5	6	7
13.	पतरातू	1	50	65	2454.18	122.71
14.	ओबरा	8	94	56	2240.95	210.65
15.	पानीपत	2	110	53	847.07	93.18
16.	पतरातू	7	110	51	1963.65	216.00
17.	राजघाट	1	67.5	51	1421.92	95.98
18.	राजघाट	2	67.5	47	984.67	66.47
19.	पनकी	4	105	44	646.33	67.87
20.	एन्नौर	3	110	43	1268.02	139.48
21.	आई.पी. स्टेशन	2	62.5	43	1453.22	90.83
22.	कच्छ लिग्नाइट	2	70	42	1120.33	78.42
23.	पतरातू	2	50	42	2150.58	107.53
24.	एन्नौर	1	60	41	1256.60	75.40
25.	पतरातू	6	100	40	3037.67	303.77
26.	कच्छ लिग्नाइट	1	70	39	1240.25	86.82
27.	ओबरा	7	94	37	1305.83	122.75
28.	तेनुघाट	2	210	37	857.90	180.16
29.	अमरकंटक	1	30	36	3268.10	98.04
30.	पानीपत	3	110	36	521.83	57.40
31.	सिक्का आरईपी	1	120	36	671.93	80.63
	कुल				52199.68	4741.11

वर्ष 2008-09 के दौरान बार-बार जबरन बंदी का विवरण (अप्रैल, 08 से नवम्बर, 08)

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	यू.सं.	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा. में)	वर्ष के दौरान बंदी की संख्या	कुल बंदी घंटे	अनुमानित उत्पादन हानि (मि.यू. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	न्यूकोसीपुर	1	30.00	116	4,207.65	126.23
2.	न्यूकोसीपुर	2	30.00	73	3,973.70	119.21

1	2	3	4	5	6	7
3.	न्यूकोसीपुर	3	50.00	69	4,334.06	216.70
4.	फरीदाबाद विस्तार	2	60.00	63	4,202.99	252.18
5.	पारस विस्तार	1	250.00	60	2,148.41	537.10
6.	फरीदाबाद विस्तार	3	60.00	58	1,525.54	91.53
7.	फरीदाबाद विस्तार	1	60.00	56	1,193.29	71.60
8.	कच्छ लिग्नाइट	3	75.00	50	767.25	57.54
9.	हरदुआगंज बी	7	105.00	49	3,265.81	342.91
10.	हरदुआगंज बी	3	60.00	45	1348.00	80.88
11.	आईपीटीपीएस	5	60.00	42	2,738.08	164.28
12.	डी.पी.एल.	3	75.00	40	2126.81	159.51
13.	हरदुआगंज बी	5	60.00	40	2,788.31	167.30
14.	संजय गांधी	5	500.00	36	907.00	453.50
15.	डी.पी.एल.	4	75.00	35	1,872.89	140.47
16.	मेजिया	6	250.00	35	3,474.45	868.59
17.	परीच्छा	2	110.00	34	1,652.27	181.75
18.	परीच्छा	1	110.00	33	1,450.71	159.58
19.	न्यू पारली	1	250.00	31	3,260.57	815.14
20.	पतरातू	7	110.00	30	1,876.41	206.41
21.	परीच्छा	3	210.00	29	2,437.04	511.78
22.	उकाई	1	120.00	29	2,561.04	307.32
23.	एन्नौर	2	60.00	28	1,494.64	89.68
24.	ओबरा	7	94.00	28	950.71	89.37
25.	पतरातू	2	50.00	28	1,127.39	56.37
26.	अकरीमोटा लिग्नाइट	2	125.00	27	2,080.02	260.00
27.	बोकारो बी	2	210.00	26	1,679.68	352.73
28.	डी.पी.एल.	6	110.00	26	1,043.36	114.77
29.	पानीपत	2	110.00	26	437.91	48.17

1	2	3	4	5	6	7
30.	कच्छ लिग्नाइट	2	70.00	25	874.95	61.25
31.	न्यूकोसीपुर	4	50.00	25	723.90	36.20
32.	परीच्छा	4	210.00	25	2,162.68	454.16
33.	रोपड़	1	210.00	25	688.36	144.56
34.	अमरकंटक	1	30.00	24	2,275.06	68.25
35.	कोरबा पूर्व V	1	250.00	24	263.29	65.82
	कुल				69,914.13	7,872.84

[अनुवाद]

आवास हेतु लघु ऋण

2106. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक आवास हेतु लघु ऋण का विस्तार करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि का लघु ऋण प्रदान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। बैंक 'एसएचजी-बैंक संबद्धता कार्यक्रम'' द्वारा आवास और आश्रय उन्नयन सहित विभिन्न उद्देश्यकों के लिए ग्रामीण, अर्द्ध शहरी और शहरी क्षेत्र को व्यष्टि ऋण देते हैं। जहां राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी इकाइयों के वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है, एनएचबी वैसे व्यष्टि वित्त संस्थान (एमएफआई) जो इनसे संबद्ध स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों के लिए आवासीय सूक्ष्म वित्त गतिविधियां चलाती हैं, को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएचबी द्वारा एमएफआई को संवितरित राज्यवार ब्यौरा निम्नवत् हैं:

एनएचबी द्वारा एमएफआई को किया गया राज्य-वार संवितरण

(करोड़ रु. में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (5.12.2008 तक)
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	0.50	1.50	–	–
आंध्र प्रदेश	0.38	1.10	2.49	2.86
तमिलनाडु	–	–	–	1.48

1	2	3	4	5
कर्नाटक	–	–	–	2.90
असम	–	–	–	–
उड़ीसा	–	–	–	0.50
गुजरात	–	–	–	–
कुल	0.88	2.60	2.49	7.74

आयकर प्रतिदाय मानदंडों में छूट

2107. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आयकर प्रतिदाय मानदंडों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान कितने आयकर प्रतिदाय जारी किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। तथापि, कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए प्रतिदायों को शीघ्र तैयार करने एवं जारी करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग ने उन सभी आयकर विवरणियों में विवरणियों की प्रोसेसिंग के समय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के क्रेडिट के लिए कुछेक अपवादों के साथ करदाताओं के दावे को स्वीकार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश दिया है, जहां स्रोत पर कर कटौती संबंधी कुल दावा 5 लाख रुपये से अधिक न हो और जहां संगणित प्रतिदाय 25,000 रुपये से अधिक न हो।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान जारी किये गये प्रतिदायों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	जारी किये गये प्रतिदायों की संख्या (आंकड़े लाख में)
2006-07	44.57
2007-08	48.77

भूटान में भारत से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2108. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और भूटान ने, भूटान में भारत सरकार की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को दोगुना करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार एवं भूटान की शाही सरकार के बीच दिनांक 28.7.2006 को हस्ताक्षर किये गए करार के अनुसार भारत सरकार की वर्ष 2020 तक भूटान से कम से कम 5000 मेगावाट बिजली का आयात करने पर सहमति हुई थी।

मई, 2008 में, भारत और भूटान, भूटान से भारत को 5000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात के लक्ष्य को संशोधित कर सन् 2020 तक 10,000 मेगावाट तक करने पर सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

विद्युत का पारेषण एवं वितरण

2109. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री विक्रम केशरी देव:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों में विद्युत के पारेषण एवं वितरण के निजीकरण से विद्युत बचाने में सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में पारेषण एवं वितरण के नुकसान को कम करने हेतु राज्य विद्युत कंपनियों (यूटीलिटीज) को सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य विद्युत कंपनियों को उपर्युक्त सहायता कार्य-निष्पादन पर आधारित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विद्युत के वितरण का निजीकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा उड़ीसा में हुआ है।

विद्युत के वितरण के निजीकरण के पश्चात् वितरण कंपनियों (डिस्काम) के सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीवसी) हानि स्तरों के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना निम्नवत है:

राज्य	प्रारंभिक हानि स्तर		एटी एंड सी हानियां (%)					
			2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
बीएसईएस यमुना पावर लि.	57.2	लक्ष्य	56.45	54.70	50.70	44.65	39.95	-
		उपलब्धि	61.89	54.29	50.12	43.88	39.03	29.08
बीएसईएस राजधानी पावर लि.	48.1	लक्ष्य	47.55	46.00	42.70	36.70	39.10	-
		लक्ष्य	47.40	45.06	40.64	35.53	29.92	27.17
नॉर्थ दिल्ली पावर लि.	48.1	उपलब्धि	47.60	45.35	40.85	35.35	31.10	-
		लक्ष्य	47.70	44.86	33.79	26.52	23.54	18.77

वितरण कंपनियों (डिस्काम) के वितरण हानि स्तरों (%) के बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना निम्नवत् है:

डिस्कॉम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
	ओईआरसी* अनुमोदन	वास्तविक	ओईआरसी* अनुमोदन	वास्तविक	ओईआरसी* अनुमोदन	वास्तविक	ओईआरसी* अनुमोदन	वास्तविक 2008 तक
सेंट्रल इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी	36.0	42.9	33.0	43.5	29.3	41.5	29.3	39.0
नॉर्दर्न इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी	35.0	37.1	31.5	33.2	26.0	31.0	25.5	31.4
वेस्टर्न इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी	31.0	37.8	33.7	36.4	25.0	36.1	25.0	32.8
सदर्न इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी	36.0	41.1	33.0	43.4	30.4	45.4	30.4	45.4

*ओईआरसी-उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग

(ग) से (च) सरकार ने सुधारों को प्रोत्साहित करने तथा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीवसी) हानि में कमी, विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार तथा उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लक्ष्य के साथ वर्ष 2002-03 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) शुरू किया है। लक्ष्य आरंभ में शहरी और अधिक जनसंख्या वाले उपभोग क्षेत्रों में पांच वर्षों में

15% तक एटीवसी हानियों को कम करना था। भारत सरकार ने राज्यों की उप-पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण एवं उत्थान हेतु निवेश घटक के अंतर्गत 17033.58 करोड़ रुपये तक की राशि की 571 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की थी। राज्यों ने अब तक 21159.86 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। कार्यक्रम के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत नकद हानियों में कमी करने के लिए 9 राज्यों को 2879.73 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है।

सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संशोधित शर्तों एवं निबंधनों के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इस कार्यक्रम का विशेष बल हानि कमी की संबंध में वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर है। सटीक आधारभूत आंकड़ों के सतत् एकत्रीकरण हेतु विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणालियों की स्थापना तथा ऊर्जा लेखा के क्षेत्रों में सूचना तकनीक अपनाना उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण एवं उत्थान हेतु किसी परियोजना की मंजूरी से पूर्व अनिवार्य पूर्व शर्तें हैं। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में ली जानी हैं। भाग (क) में आधारभूत आंकड़ों की स्थापना हेतु परियोजनाएं तथा ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा हेतु सूचना तकनीक आवेदनों और सूचना तकनीक आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र शामिल होंगे। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजिशन सिस्टम (स्काज) की स्थापना 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाले परियोजना क्षेत्रों और 350 एम यू की वार्षिक निवेश ऊर्जा वाले परियोजना क्षेत्रों में भी ली जा सकती है। भाग (ख) में नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। आरंभ में दोनों भागों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निधियां ऋण (भाग क के लिए 100% तथा भाग ख के लिए 25%) कोष विशेष क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों जिसके लिए भाग (ख) के अंतर्गत 90% ऋण प्रदान किया जाएगा के सिवाय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से राज्य यूटिलिटियों द्वारा प्राप्त किया जाएगा) के माध्यम से प्रदान की जाएंगी जिन्हें परिवर्तन शर्तों को पूरा करने पर अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा, अर्थात-

(1) भाग (क) परियोजनाओं के लिए ऋण की समग्र राशि विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अपेक्षित आधारभूत आंकड़ा प्रणाली की स्थापना के प्राप्त हो जाने एवं जांच के पश्चात अनुदान में परिवर्तित कर दी जाएगी।

(2) भाग (ख) परियोजनाओं के लिए ऋण के 50% तक 5 वर्षों की सतत् अवधि के लिए परियोजना क्षेत्रों पर 15% एटीवसी हानि स्तरों को प्राप्त करने पर अनुदान (लक्ष्यों की प्राप्ति तक अनुपात) में परिवर्तित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, 30% से अधिक आधारभूत हानि स्तरों के साथ यूटिलिटियों के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर पर यूटिलिटि स्तर हानि कमी (एटीवसी हानि) और 30% से कम आधारभूत हानि स्तरों के साथ यूटिलिटियों के लिए 1.5% की दर पर यूटिलिटि स्तर हानि कमी (एटीवसी हानि) प्राप्त की जानी है।

वर्तमान में 11वीं योजना के लिए पुनर्गठित एपीडीआरपी में निजी वितरण यूटिलिटियां शामिल नहीं हैं।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

2110. श्री पी.सी. थामस:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को दिये जा रहे पारिश्रमिक/परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले दस वर्षों के दौरान उनके पारिश्रमिक/परिलब्धियों में वृद्धि नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इन कार्यकर्ताओं से पारिश्रमिक/परिलब्धियां बढ़ाने के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को देय मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में विगत में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा लिये जा रहे मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा लिये जा रहे मानदेय में भी 250 रुपये प्रतिमाह वृद्धि की गई है। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1.4.2008 से देय है। इन अवैतनिक कार्यकत्रियों द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान लिये गये मानदेय की दरें इस प्रकार हैं:

योग्यता/वर्ष	16.5.97	1.4.2002	1.4.2008
आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों हेतु मानदेय			
गैर-मैट्रिकुलेट	438	938	1438
मैट्रिकुलेट	500	1000	1500
5 वर्ष के अनुभव वाली गैर-मैट्रिकुलेट	469	969	1469
5 वर्ष के अनुभव वाली मैट्रिकुलेट	531	1031	1531
10 वर्ष के अनुभव वाली गैर-मैट्रिकुलेट	500	1000	1500
10 वर्ष के अनुभव वाली मैट्रिकुलेट	563	1063	1563
लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं का मानदेय			
	260	500	750

बट्टे-खाते में डाले गये ऋणों पर ब्याज दर

2111. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार से उसकी नीति के अंतर्गत बट्टे खाते में डाले गये ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत ऋणदात्री संस्थानों के दावों की प्रतिपूर्ति के अव्यवस्थित कार्यक्रम को देखते हुए सरकार ने प्रतिपूर्ति योग्य दावों की दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों पर ब्याज अदायगी का निर्णय लिया है। इन किस्तों पर ब्याज, पहली किस्त की प्रतिपूर्ति की तारीख से वास्तविक प्रतिपूर्ति की तारीख तक अदा किया जाएगा।

[हिन्दी]

नोटों का परिचालन बंद किया जाना

2112. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कतिपय नोटों/सिक्कों के परिचालन को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस निर्णय के बाद अनेक बैंकों ने उक्त नोटों/सिक्कों को लेना बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) 500 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों (केवल 1996 एमजी श्रृंखला वाले) का संचलन बंद करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी बैंकों सहित) को सलाह दी है कि जब भी लोगों द्वारा काउन्टर पर ऐसे बैंक नोट प्रस्तुत किए जाएं तो वे इन्हें पुन: जारी न करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह भी दी है कि इन सभी बैंक नोटों को प्रस्तुत करना वैध माना जाता रहेगा और इसलिए सभी प्रकार के लेन-देनों में इन्हें स्वीकार कर किया जाएगा तथा किसी भी व्यक्ति को इनकी अदला-बदली कराने से इंकार नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ समय में किसी सिक्के का संचलन बंद नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) इन नोटों को स्वीकार करने से इंकार करने के बारे में बैंकों के विरुद्ध अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

ऋणों पर ब्याज दरें

2113. **श्री जुएल ओराम:**
श्री सुभाष सुरेश चंद्र देशमुख:
श्री अबु अयीश मंडल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से विभिन्न प्रकार के ऋणों पर ब्याज दरें घटाने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। ब्याज दर अविनयमित कर दी गई है और आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) का निर्धारण, बैंक द्वारा स्वयं ही वास्तविक निधि लागत, परिचालन खर्च, प्रावधान से संबंधित विनियमन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके संबंधित निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने विगत महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरक्षित नगदी अनुपात (सीआरआर) और रिपो रेट में कमी के मद्देनजर स्वेच्छा से ब्याज दर कम कर ली है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कौशल उन्नयन

2114. **श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोजगार हेतु शहरों में रहने वाले गरीबों के कौशल उन्नयन के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) में व्यापक परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में अनुसूचित जनजातियों हेतु भूमि

2115. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के 22000 भूमिहीन अनुसूचित जनजातीय लोगों के लिए भूमि की खरीद हेतु 700 करोड़ रुपये की सहायता के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2006-07 के दौरान केरल सरकार ने विकास कार्य के लिए भारत सरकार से 630.00 करोड़ रुपये का अनुरोध किया तथा केरल के 22000 भूमिहीन अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास के लिए भूमि खरीद की। यह मामला केरल सरकार को पुन: वापस कर दिया गया है ताकि वह राज्य को आवंटित निधियों के तहत प्रस्ताव संशोधित कर सके।

कपार्ट द्वारा धनराशि का उपयोग

2116. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कपार्ट) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी की श्रमशक्ति, कुल परिव्यय तथा धनराशि के उपयोग सहित उसकी कार्यशील स्थिति क्या है;

(ख) क्या श्रमशक्ति पर्याप्त न होने तथा मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए संस्थागत एजेंसी न होने के कारण इस कार्यालय के कार्य प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यालय को एक प्रभावी तथा क्रियाशील संस्था बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) गुवाहाटी स्थित कपार्ट क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप "ए" के 2 अधिकारी तथा 15 अन्य सहायक स्टॉफ कार्यरत हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान

निधियों का परिव्यय तथा उपयोग की गई राशि नीचे सारणी में दी गई है:

वर्ष	कुल परिव्यय (करोड़ रुपये में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में)
2005-06	3.70	1.96
2006-07	2.79	1.15
2007-08	2.64	1.86

(ख) से (घ) जी, नहीं। गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय के पैनल में 23 संस्थागत निगरानीकर्ता हैं, जो इस कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं निगरानी करने के लिए पर्याप्त हैं। गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय के पैनल में दिये गये संस्थागत निगरानीकर्ताओं की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:

राज्य का नाम	संस्थागत निगरानीकर्त्ताओं की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	10
मणिपुर	1
मेघालय	3
मिजोरम	1
नागालैंड	2
सिक्किम	1
त्रिपुरा	2

इस समय क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी में कोई पद रिक्त नहीं है।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता

2117. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में घोषित ऋण माफी योजना के कारण सहकारी बैंकों का वित्तीय भार बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सरकार को कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के कारण सहकारी बैंकों पर पड़े वित्तीय बोझ की जानकारी है।

सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही 25,000 करोड़ रु. (सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीम बैंकों के लिए 17,500 करोड़ रु. तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों एवं स्थानीय बैंकों के लिए 7,500 करोड़ रु.) दे दिये हैं। शेष प्रतिपूर्ति योग्य दावों के लिए धनराशि जुलाई 2009, जुलाई 2010 एवं जुलाई 2011 में जारी की जाएगी। सरकार ने शेष प्रतिपूर्ति योग्य दावों के संबंध में ब्याज देने का भी निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सहकारी बैंकों के लिए पर्याप्त नकदी सहायता उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित उपाय किये हैं:

* सरकार ने 5,000 करोड़ रु. की प्रारम्भिक निधि से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीम विकास बैंक (नाबार्ड) में अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) निधि बनाई है।

* नाबार्ड खरीफ 2008 के दौरान वास्तविक फसल ऋण के 75% तक पुनर्वित्त दे रहा है, जबकि पिछले वर्षों में यह 35% था।

* नाबार्ड ने सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अपना पुनर्वित्त बजट वर्ष 2007-08 में 18,432 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 21,500 करोड़ रुपये कर दिया है।

* नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों द्वारा चुकौती योग्य देय राशि 6 महीनों तक अस्थगित कर दी है।

* अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को पुनरुज्जीवन के लिए वैद्यनाथन पैकेज के तहत सरकार ने नाबार्ड के जरिये संबंधित एसटीसीसीएस के लिए 4,448.68 करोड़ रु. जारी किये हैं।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा उत्पादन

2118. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री मणी कुमार सुब्बा:
श्रीमती प्रिया दत्त:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 49 मेगावाट तक की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रायोगिक आधार पर एक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मॉडल को अपनाया है जैसाकि 13 अगस्त, 2008 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पवन ऊर्जा हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी हा। मंत्रालय ने समग्र रूप से 49 मेगावाट की ग्रिड-इंटरएक्टिव पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) पर एक प्रदर्शन कार्यक्रम की घोषणा की है। इस प्रदर्शन जीबीआई कार्यक्रम में, पात्र ग्रिड-इंटरेक्टिव पवन विद्युत परियोजना प्रमोटरों, जो त्वरित मूल्यह्रास के लाभ प्राप्त नहीं करते हैं, के लिए 10 वर्षों की अवधि हेतु 0.50 रु. प्रति यूनिट बिजली के प्रोत्साहन का प्रावधान है।

(ग) और (घ) भारत सरकार देश में पवन इलेक्ट्रिक जनरेटर के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से अर्जित आय पर दस वर्षों का करावकाश, त्वरित मूल्यह्रास का लाभ और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से ऋण जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र के निवेशों के माध्यम से वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा दे रही है। विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन सहित आगे और संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चेन्नई द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, संभाव्यता वाले राज्यों द्वारा पवन विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क दर उपलब्ध कराई जा रही है। देश में अब तक 9522 मेवा. की समग्र संस्थापित क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

हडको द्वारा ऋण/सहायता

2119. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हडको सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, सफाई सुविधाओं तथा आवास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों, कारपोरेट जगत, गैर-सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को ऋण/सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने कार्य पूरे किये जा चुके हैं तथा कितने अभी पूरे किये जाने हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात 2006-07 और 2007-08 के दौरान हडको द्वारा वित्तपोषित आवासीय स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सामुदायिक शौचालयों और सफाई व्यवस्था कार्यक्रम के तहत संस्वीकृत स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हडको द्वारा संस्वीकृत आवासीय स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सामुदायिक शौचालय कार्यक्रम के तहत 1271 डब्ल्यूसी/बॉथ यूनिट पूरी हो चुकी हैं और 390 डब्ल्यूसी/बॉथ यूनिट का कार्य प्रगति पर है। शेष कार्यक्रमों हेतु कार्य शुरुआत के विभिन्न चरणों में है।

विवरण I

श्रेणी आवास
वर्ष 2006-07

एजेंसी	राज्य	स्कीम का नाम	परियोजना लागत	ऋण धनराशि	आवासीय इकाइयां
1	2	3	4	5	6
एपी स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन लि.	आंध्र प्रदेश	6 जिलों में ईड्ब्लयूएल रूरल हाउसिंग स्कीम	20000.00	14000.00	80000
एपी स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन	आंध्र प्रदेश	3000 स्टाफ क्वार्टस के निर्माण हेतु व्यापक स्कीम	23000.00	20200.00	3000
असम स्टेट कारपोरेशन हाउसिंग सोसायटी	असम	कैश लोन हाउसिंग स्कीम	3069.63	2300.00	985
स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी	छत्तीसगढ़	विभिन्न जिलों में आईएचएसडीपी स्कीम	1592.96	282.97	1374
स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी	छत्तीसगढ़	बीएसयूपी के तहत 27976 ईडब्ल्यूएस, डीयू का निर्माण	39144.00	3902.00	27976
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भोपाल	मध्य प्रदेश	जेएनएनयूआरएम के तहत स्लम का पुनर्वास	7366.00	2199.00	5764
मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल	मिजोरम	कैश लोन हाउसिंग फेज-VI	117.65	100.00	62
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वक्सं डिवीजन, जीओनएन	नागालैंड	जी ए हाउसिंग फेज-V	400.22	360.00	7
डिपार्टमेंट आफ पावर, जीओएन	नागालैंड	नागालैंड में स्टाफ हाउसिंग	481.51	420.00	3
होम डिपार्टमेंट जीओएन	नागालैंड	पीओएल हाउसिंग फेज-III	1116.18	1000.00	122
नागालैंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट	नागालैंड	स्टॉफ क्वार्टस का उन्नयन	55.74	50.00	29
राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कारपोरेशन	राजस्थान	1000 पुलिस क्वार्टस का निर्माण	53658.00	45125.00	10000
कुल			150001.89	89938.97	129322
वर्ष 2007-08					
बिहार स्टेट रूरल कारपोरेशन हाउसिंग फेडरेशन	बिहार	कम्पोजिट रूरल एच जी	1060.55	890.56	322
रायपुर डेवलेपमेंट अथोरिटी	छत्तीसगढ़	1800 एलआईजी मकानों का निर्माण	3690.00	2880.00	1800
रायपुर डेवलेपमेंट अथोरिटी	छत्तीसगढ़	972 एलआईजी मकानों का निर्माण	1909.98	1555.20	972

1	2	3	4	5	6
स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथोरिटी	छत्तीसगढ़	आईएचएसडीपी स्कीम	4118.03	838.05	33.92
स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथोरिटी	छत्तीसगढ़	6492 ईडब्ल्यूएस, डीयू का निर्माण	7933.15	1961.87	6492
हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन	हरियाणा	पुलिस परसोनल हेतु एचएसजी का निर्माण	6852.00	6000.00	948
मिजोरम इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन	मिजोरम	कैश लोन हाउसिंग स्कीम	904.07	723.30	170
डिपार्टमेंट आफ एक्साईज, जोओएन	नागालैंड	एक्साईस हाउसिंग	125.38	100.00	9
डिपार्टमेंट आफ फोरेस्ट, जोओएन	नागालैंड	स्टाफ क्वार्टस	962.68	800.00	30
होम डिपार्टमेंट, जोओएन	नागालैंड	पुलिस हाउसिंग	2696.84	2327.00	148
नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट	नागालैंड	रेजिडेंशियल काम्पलेक्स का निर्माण	155.20	118.00	11
सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलोईज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	पंजाब	रेजिडेंशियल फ्लैट्स का निर्माण	14378.00	2200.00	632
कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथोरिटी	पश्चिम बंगाल	बीएसयूपी स्कीम के आवासीय घटक	90244	20000.00	70000
कुल			135029.68	40393.98	84926

विवरण II

सामुदायिक शौचालयों और सफाई व्यवस्था कार्यक्रम के तहत संस्वीकृत स्कीम (सांझा स्वच्छता अभियान)

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्र.सं.	शहर प्रस्ताव	स्कीमें	संस्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत	एससी/ अन्य सेस	संस्वीकृत डीयाडी	जारी डीयाडी	डीयाडी जारी करने की तिथि प्रथम	डीयाडी जारी करने की तिथि द्वितीय	जारी डीयाडी प्रथम	जारी डीयाडी द्वितीय	संस्वीकृत व्यय	जारी व्यय	संस्वीकृत व्यवस्थापन/पर्यवेक्षण	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण	संघटक स्वच्छता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पंजाब	1	रोपड़ जोस्वीस्त में 2 शौचालय ब्लॉक का निर्माण (स्कीम सं. 18777)	सुलभ इंटरनेशनल	3/3/2006	16.16	6.00	6.00	6.00	08/01/07	18/05/07	3.00	3.00	4.16	3.46	30		30
		उप योग			16.16	6.60	6.00	6.00			3.00	3.00	4.16	3.46	30		30
हरियाणा	2	झज्जर हरियाणा में बस स्टैंड	सुलभ इंटरनेशनल			4.760	2.40	0.00					0.00	0.00	12	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		समुद्रतिक शौचालयों और सफाई व्यवस्था कार्यक्रम का कार्यान्वयन (स्कीम सं. 18933)															
	3	अंबाला (हरियाणा) में सड़कों पर 8 शौचालय कम्प्लेक्सों का निर्माण (स्कीम सं. 18777825)	सुलभ इंटरनेशनल	16/02/06	75.29	21.2	20.40	20.40	14/09/06	18/05/07	9.60	10.80	35.00	17.50	102		102
		उप योग			75.29	25.96	22.80	20.40			9.60	10.80	35.00	17.50	114	12	102
चंडीगढ़	4	से. 26, चंडीगढ़ में परिवहन क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण (स्कीम सं. 18969)	सुलभ इंटरनेशनल	12/10/2006	11.45	4.08	4.00	4.00	18/05/07		4.00		3.37	3.37	20		20
		उप योग			11.45	4.08	4.00	4.00			4.00		3.37	3.37	20	0	20
गुजरात	5	गुजरात में असंगठित खेलिंग यार्ड और अन्य विभिन्न बंदरगाह क्षेत्रों में जेएमसी द्वारा शौचालय ब्लाकों (109 डब्ल्यूसी और 51 यूरिनल) का निर्माण (स्कीम सं. 18903)	गुजरात मेरीटाइम बोर्ड	4/3/2006	65.69	35.60	22.00	0.00			0.00		0.00	0.00	160		
	6	अहमदाबाद में 1 सीट हेतु समुद्रतिक शौचालयों और सफाई व्यवस्था कार्यक्रम का कार्यान्वयन (स्कीम सं. 18926)	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	30/06/06	7.44	5.04	2.40	2.40	14/11/06		2.40		0.00	0.00	12		12
	7	गुजरात के 20 जिलों में 51 नगरपालिका में 125 स्थानों पर 1341 (1123+218) शौचालयों सीटों का निर्माण (स्कीम (सं. 18927)	गुजरात स्लुईसिंगमत बोर्ड	1/7/2006	776.7	508.5	268.20	115.00	18/05/07		115.00		0.00	0.00	1341	378	963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8	गुवाहाटी अहमदाबाद में लाल दरवाजा में म्यूनिसिपल स्वीपिंग ब्रूम के साथ सामुदायिक शौचालयों और सम्बद्ध व्यवस्था कम्पलेक्स का कार्यान्वयन (स्कीम (सं. 19002)	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं आर्थिक विकास संस्थान	4/10/2006	7.85	4.85	2.8	2.8	18/05/07		2.8		0.00	0.00	14		14
		उप जोन			857.88	553.99	295.40	120.20			120.20		0.00	0.00	1527	378	989
कर्नाटक	9	आंध्र प्रदेश के 2 स्थानों पर 4 सामुदायिक शौचालयों 2 इरिंदर, जिला-रायचूरेरा, कर्नाटक में और 2 कुडुदुलपुर जिला-रंगारेड्डी में के निर्माण हेतु अनुदान (स्कीम सं. 18928) (सब्सिडी 2.40 लाख रु. तक सीमित है)	मैसर्स टॉपलेट एंड टॉपलेट प्रा.लि.	29/6/06	8.52	5.3	2.60	2.40	29/01/07		2.40		0.00	0.00	13		12
		उप जोन			8.52	5.3	2.6	2.4			2.4		0	0	13	0	12
आंध्र प्रदेश	10	आंध्र प्रदेश में जिला रंगारेड्डी में कुकटपल्ली में सामुदायिक शौचालयों और सम्बद्ध व्यवस्था कार्यकलापों के कार्यान्वयन के तहत 5 स्थानों पर पे एंड यूज शौचालय कम्पलेक्सों का निर्माण (स्कीम सं. 18929)	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं आर्थिक विकास संस्थान	3/7/2006	28.74	21.74	6.00	4.00	12/7/07		4.00		0.00	0.00	30	0	20
	11	आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पर 4 सामुदायिक शौचालयों 2 इरिंदर, जिला-रायचूरेरा, कर्नाटक में और 2 कुडुदुलपुर, जिला-रंगारेड्डी में के निर्माण हेतु अनुदान (स्कीम सं. 18923)	मैसर्स टायलेट् एंड टॉपलेट प्रा.लि.	29/06/06	7.28	5.3	2.60	2.60	8/01/07		2.60		0.00	0.00	13		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	12	आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिला-कडप्पा में 2 समुद्रमिक शौचालयों के निर्माण हेतु प्रस्ताव (स्कीम सं. 18982)	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं आर्थिक विकास संस्थान	27/09/06	15.39	11.59	2.6	0.0			0.0		0.00	0.00	13		12
	13.	हैदराबाद में 15 समुद्रमिक शौचालयों का निर्माण (स्कीम सं. 19053)	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं आर्थिक विकास संस्थान	10/1/2007	73.98	56.78	17.2	0.0			0.0		0.00	0.00	86		33
	14.	बीओटी आधार पर एमसी हैदराबाद हेतु हैदराबाद में 2 स्थानों पर समुद्रमिक शौचालयों का निर्माण (स्कीम सं. 19057)	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं आर्थिक विकास संस्था	10/1/2007	9.38	7.18	2.2	0.0			0.0		0.00	0.00	11		
	15	मध्यप्रदेश, जिला जिला हैदराबाद में 2 समुद्रमिक शौचालयों का निर्माण (जिला बस स्टैंड और मंगलौर बस स्टैंड) (स्कीम सं. 19207)	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं आर्थिक विकास संस्थान	6/5/2007	10.84	7.64	3.2	0.0			0.0		0.00	0.00	16		10
		उप योग			145.61	110.23	33.8	6.6			6.6		0.00	0.00	169	0	88
	16	इंदौर में 14 पे एंड यूज समुद्रमिक शौचालयों कम्प्लेक्सों का निर्माण (स्कीम सं. 19017)	म्युनिसिपल कारपोरेशन इंदौर	27/11/06	166.6	116.60	36.A	0.0			0.0		0.00	0.00	182	8 में से 7 कम्प्लेक्स में कार्य प्रगति पर है।	
		उप योग			166.6	116.6	36.A	0			0		0	0	182	0	0
इक्यावन	17	जोधपुर इक्यावन में 2 साइटों पर समुद्रमिक शौचालयों और सफाई व्यवस्था का कार्यान्वयन (स्कीम सं. 19028)	कटिहार डिस्ट्रिक्ट मुसलन शौचालय संस्थान	8/12/2006	28.17	18.17	3.6	3.A	10/9/2007		3.A		0	0	17		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	18	जोधपुर (राजस्थान में 2 साइटों पर समुदायिक शौचालयों और सफाई व्यवस्था का कार्यान्वयन (स्कीम सं. 19029)	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	8/12/2006	26.1	18.1	2.6	2.6	11/7/2007		2.6		0	0	13		13
		उप योग			54.27	36.27	6.2	6			6		0	0	30	0	30
बिहार	19	पूर्णिया कस्बे में 8 समुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (स्कीम सं. 19114)	आदर्श ग्रामीण विकास संस्थान	8/3/2007	56.4	30.80	25.6	0.0					0.00	0.00	128		
		उप योग			56.4	30.8	25.6	0			0	0	0	0	128	0	0
मेघालय	20	अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित सीडी ब्लॉक स्थित जिले के तहत 75 समुदायिक शौचालय इकाइयों का निर्माण (स्कीम सं. 19187)	उप-अनुबंध सह अरुणाचल डीआरडीए सोसा, जिला तिरप की अरुणाचल के तहत निम्नलिखित सीडी ब्लॉक स्थित	26/03/07	30.00	15.00	15.0	7.5	30/01/08		7.5	0.0	0.00	0.00	75		
		उप योग			30.00	15.00	15.00	7.50			7.50	0.00	0.00	0.00	75	0	0
हिमाचल प्रदेश	21	चम्बा स्टैंड क्लिनोग, हिमाचल में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण स्कीम (सं. 19175)	सुलभ इंटरनेशनल	6/5/2007	11.43	2.03	1.6	0.0			0.0	0.0	7.80	0.00	8		
		उप योग			11.43	2.03	1.60	0.00			0.00	0.00	7.80	0.00	8.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	22	बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में समुदायिक शौचालयों और सफाई व्यवस्था स्कीम के तहत 8 पे एंड यूज शौचालयों कम्प्लीशनों का निर्माण (स्कीम सं. 19294)	म्युनिसिपल कारपोरेशन बिलासपुर	23/08 807	119.60	86.00	33.6	16.8	4/8/08		16.8	0.0	0.00	0.00	168	0	
		उप योग			119.60	86.00	33.60	16.80			16.80	0.00	0.00	0.00	168	0	0
		सकल योग			1553.01	992.26	483.00	189.90			176.10	13.80	50.33	24.33	2464	390	1271

सौर ऊर्जा उत्पादन

2120. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले दशक में कम से कम 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना ने सौर ऊर्जा पर आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन की अनुशंसा की है जिसमें वर्ष 2017 तक 1000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन संस्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया है।

(ख) इस संबंध में कार्य योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

बांस के उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में छूट

2121. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य बांस निगम लिमिटेड ने बांस के उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। सरकार को केरल सरकार से केरल राज्य बांस निगम लि. द्वारा विनिर्मित कतिपय मदों जैसे बांस के बोर्ड, अगरबत्ती की सीकों, टूथ पिक्स, बम्बू ब्लाइंड्स और बिक्रेट्स को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) केरल राज्य बांस निगम लिमिटेड की ओर से केरल सरकार के एक पूर्ववर्ती अनुरोध के प्रत्युत्तर में सरकार ने बम्बूप्लाई (रेसिन बांडेड बम्बूमैट बोर्ड) को पहले ही उत्पाद शुल्क से छूट दे रखी है। अगरबत्ती की सीकें उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं। जहां तक शेष उत्पादों का प्रश्न है, 7.12.2008 से सरकार ने सभी विनिर्मित माल पर उत्पाद शुल्क में यथा मूल्य 4 प्रतिशत की कमी कर दी है। इससे केरल राज्य बांस निगम लिमिटेड द्वारा विनिर्मित शुल्क योग्य उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कमी आएगी तथा यह एक राहतकारी उपाय का काम करेगा। फिलहाल इन मदों पर उत्पाद शुल्क दरों में और कटौती करना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

डाकघरों में बचत जमाराशि पर ब्याज दर

2122. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री काशीराम राणा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में डाकघरों में बचत जमाराशि पर ब्याज दरों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा शेयर/म्युचुअल फन्ड्स में निवेश

2123. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने शेयर बाजार/म्युचुअल फन्ड्स में निवेश किया है;

(ख) यदि हां तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का बैंकवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त निवेश के माध्यम से बैंकों को हुए नुकसान का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई.डी.बी.आई. के नाम में परिवर्तन

2124. श्री बसुदेव आचार्य: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक का नाम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई) से बदलकर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड करने को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या सरकार के इस कदम के विरोध में कोई आपत्ति उठाई गई है;

(ग) क्या सरकार का यह प्रस्तावित कदम आई डी बी आई (ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील) एक्ट, 2003 के उपबंधों के एकदम विपरीत हैं;

(घ) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक का नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) लि. से बदलकर आईडीबीआई बैंक लि. करने के उसके प्रस्ताव को अुमोदित कर दिया है।

(ख) से (घ) सरकार को बैंक का नाम बदलने के निर्णय के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन मिले हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया है कि उक्त निर्णय आईडीबीआई (उपक्रमों का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2003 के उपबंधों का उल्लंघन है और यह कि नाम बदलने से बैंक का ध्यान विकास बैंकिंग से हटकर खुदरा बैंकिंग पर केन्द्रित हो जाएगा।

(ङ) सांविधिक उपबंधों से बैंक को निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया से अपना नाम बदलने की शक्ति प्राप्त होती है। बैंक के शेयर धारकों ने भी 99.96% बहुमत से विशेष संकल्प के जरिये "इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) लि. से नाम बदलकर "आईडीबीआई बैंक लि." करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। बैंक के प्रबंधकों ने महसूस किया कि बैंक ने पुराने नाम से आम जनता को इसके वाणिज्यिक बैंकिंग भूमिका का पता नहीं चलता था, जिससे कम लागत की निधियों के लिए बैंक के पास जाने में हिचकिचाहट की संभावना रहती थी। बदले हुए नाम "आईडीबीआई बैंक लि." से दोहरा प्रयोजन पूरा होता है, क्योंकि "आईडीबीआई" वर्षों से सुदृढ़ता की दृष्टि से विकास बैंकिंग की भूमिका का द्योतक है और "बैंक" शब्द कम लागत की निधियों और साथ ही व्यापक रूप से ग्राहकों को बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं की पेशकश के गंतव्य का सूचक है। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, अवसंरचना क्षेत्र, बड़ी कंपनियों एवं मध्यम आकार की कंपनियों के लिए बैंक का बकाया निवेश कुल 63,945 करोड़ रुपये का है, जो बैंकों के बकाया ऋण पोर्टपोलियो का लगभग 70% है। इस प्रकार बैंक का नाम बदल दिये जाने के बावजूद, उसने विकास बैंक के रूप में अपनी भूमिका निभाना जारी रखा है।

वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि पर ब्याज

2125. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि पर अच्छा ब्याज देकर उनकी बचत की रक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी भी मात्रा की सामान्य जमाओं की तुलना में उच्च और नियत ब्याज दर आफर करते हुए सावधि जमा योजना तैयार करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, सरकार ने 2 अगस्त, 2004 से एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 आरम्भ की है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति और सेवानिवृत्त वे व्यक्ति जो 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हैं परन्तु 60 वर्ष से कम हैं, इस योजना में निवेश करने के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत जमाराशियों पर ब्याज दर समान स्वरूप की सरकारी प्रतिभूति पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल के अनुकूल रूप से समान है। वरिष्ठ नागरिकों की जमाओं सहित एक लाख रुपये तक के सभी जमा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा बीमित होते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता

2126. श्री एस. अजय कुमार:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री रामदास आठवले:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा नौकरी के इच्छुक उन पंजीकृत लोगों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उनका आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिल सका;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) एनआरईजीए अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत किसी राज्य सरकार द्वारा उस आवेदक को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का प्रावधान है जिसे रोजगार हेतु उसके आवेदन की प्राप्ति अथवा अग्रिम आवेदन की अवस्था में आवेदन की तारीख, जो भी बाद में हो, के 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है।

बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से दिया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा कर्नाटक की सरकारों ने बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया है. इन राज्यों द्वारा भुगतान किये गये बेरोजगारी भत्ते का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिये गये बेरोजगारी भत्ते का विवरण
1.	मध्य प्रदेश	वर्ष 2006-07 के दौरान बड़वानी जिले में 1574 आवेदकों को 475386 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी गई।
2.	उड़ीसा	3 जिलों नामत: नवरंगपुर, कालाहांडी तथा बोलनगीर में कुल 543 रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को 103462 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिये गये हैं।
3.	कर्नाटक	रायचूर जिले की 8 ग्राम पंचायतों में 679 आवेदकों को 168068 रु. बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिये गये हैं।

पंजाब, तमिलनाडु तथा नागालैंड की सरकारों द्वारा कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। शेष राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

डीडीए द्वारा प्लाटों के आवंटन हेतु योजना

2127. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडीए ने वर्ष 1980-81 में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्लाटों के आवंटन हेतु एक योजना निकाली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी आवेदकों को आश्वासन दिया गया था कि सभी को प्लाट आबंटित किये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने आवेदकों को आवंटन किया जा चुका है;

(घ) कितने आवेदक दो दशकों से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ङ) शेष पंजीकृत आवेदकों को प्लाटों का कब तक आवंटन कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पात्र आवेदकों को भूखंडों के आबंटन के लिए वर्ष 1981 में रोहिणी रिहायशी स्कीम आरंभ की थी। स्कीम में लाटरी निकालकर 5 वर्ष की अवधि में चरणों में भूखंडों का आवंटन किये जाने का प्रावधान था। सितम्बर, 1988 में सभी शेष पंजीकृत व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने का निर्णय लिया गया। यह प्राथमिकता सूची जनवरी, 1989 में तैयार की गई थी और इस संबंध में आबंटन के लिए प्रतीक्षारत सभी पंजीकृत व्यक्तियों को सूचना भेजी गई थी।

(ग) और (घ) अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत कुल 1,10,338 आवेदकों को भूखंडों का आवंटन किया गया है तथा कुल 50,596 आवेदकों को अभी आवंटन किया जाना है।

(ङ) ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों, जिन्हें स्कीम के अंतर्गत भूखंडों का आवंटन अभी किया जाना है, को भूखंडों का आवंटन भूमि के अधिग्रहण/उपलब्धता और उसमें अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने पर ही किया जाएगा। अत: शेष पंजीकृत व्यक्तियों को भूखंडों का आवंटन करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

बैंकों के ऋण के भुगतान में चूक

2128. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक निर्यातोन्मुखी कंपनियों और रीयल एस्टेट कारोबारी बैंकों को ऋणों का पुन: भुगतान करने मे चूककर्ता रहे हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) चालू वैश्विक वित्तीय संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके प्रभाव के परिणामस्वरूप विभिन्न व्यवसाय एवं उद्योग संगठनों, जिनमें निर्यात एवं संपदा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन शामिल हैं, ने अपनी मांगों के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिया है और साथ ही बैंकों को ऋणों की चुकौती करने में अपनी कठिनाइयां बताई हैं।

(ग) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात एवं संपदा क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए आवास ऋणों के संबंध में प्रावधान एवं जोखिम भार घटाना, श्रम प्रधान निर्यातों के लिए निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता, सीमा उत्पाद शुल्क/सीएसटी की पूरी वापसी के लिए तथा निर्यात प्रोत्साहन योजना, आदि के लिए अतिरिक्त निधियों का आवंटन जैसे विभिन्न राहत पैकेज जारी किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा जारी राहत पैकेज की विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति क्रमश: www.pbi.in तथा www.pib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा कर भुगतान संबंधी चूक

2129. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यातोन्मुख इकाई (ईओयू) से करों के भुगतान में चूक हुई;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2007-08 और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी भारी धनराशि की निगरानी और वसूली के लिए किसी कृतकबल का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बाल कलाकार

2130. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''बाल कलाकारों'' के उभरते क्षेत्रों को विनियमित करने हेतु दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने और इस मामले पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बच्चों के टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी कार्यक्रमों में भागीदारी के कारण उनके ऊपर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग से इस संबंध में दिशा-निर्देश बनाने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने टीवी पर दिखाये जाने वाले रियल्टी शोज में बच्चों की सहभागिता के मुद्दे की जांच करने तथा सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है।

एनआरईजीएस के अंतर्गत बीमा सुरक्षा

2131. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के कामगारों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने कामगारों को शामिल किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) 15.7.2008 से जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के अंतर्गत ''ग्रामीण गरीब'' वर्ग में एनआरईजीए श्रमिकों/लाभार्थियों को शामिल किया गया है बशर्ते वे निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करते हों।

1. ग्रामीण परिवार का मुखिया, जो एनआरईजीए के अंतर्गत पंजीकृत किया गया हो तथा उसके पास एक जॉब कार्ड हो, बीमा कवर के लिए पात्र होगा।
2. ऐसे व्यक्ति ने वर्ष के दौरान कम से कम 15 दिन की अवधि के लिए एनआरईजीए के अंतर्गत कार्य किया हो। पात्र व्यक्ति की कवरेज उस तारीख से शुरू होगी जब उसने निर्धारित श्रम दिवसों को रोजगार पूरा कर लिया हो।
3. बीमा कवर को प्रत्येक वर्ष नवीकृत करवाया जाना होगा। अपना बीमा नवीकृत कराने के लिए पात्र होने के लिए लाभार्थी को उस वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों का कार्य किया होना चाहिए।
4. यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा चलायी जा रही किसी अन्य जीवन अथवा विकलांगता बीमा योजना के तहत कवर किया गया हो तो वह इस योजना के अंतर्गत बीमा कवर के लिए पात्र नहीं होगा।
5. 200 रुपये प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष के कुल प्रीमियम का 50% अर्थात 100 रुपये का भुगतान लाभार्थी/नोडल एजेंसी/राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 100 रु. के भारत सरकार के अंश का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम के पास स्थित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जायेगा।
6. ब्लॉक/जिला स्तर पर एनआरईजीए के कार्यक्रम अधिकारी इस योजना के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

जो एनआरईजीए श्रमिक उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा करते हैं वे जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत कवर किये जाने के पात्र होंगे।

निजी शिक्षा संस्थाओं पर कर की बकाया धनराशि

2132. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी शिक्षा संस्थाओं पर आयकर की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही किये जाने/अभियोजन, यदि कोई है, चलाए जाने की अलग-अलग स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर विभाग निजी शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में बकाया आयकर का अलग ब्यौरा नहीं रखता है। यह ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश में फैले सभी क्षेत्र कार्यालयों से डाटा संकलित करना होगा तथा इसके लिए अपेक्षित समय एवं प्रयास प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य के अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता।

चिकित्सा दावों में अनियमितताएं

2133. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत किये गये चिकित्सा दावों में कोई अनियमितता पाई है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसील) ने यह सूचित किया है कि स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत चिकित्सा दावों के तहत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोई प्रणालीगत अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं। तथापि, दावों के मूल्यन एवं निपटान से संबंधित यदा कदा शिकायतें मिली हैं तथा शिकायतें मिलने पर कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा उनका निपटान किया जाता है।

किसी अनियमितता/शिकायत को दूर करने के लिए सतर्कता विभाग, शिकायत कक्ष तथा आरटीआई कक्ष के रूप में पर्याप्त सुरक्षोपाय व्यवस्था भी है।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी बैंकों में निवेश

2134. **श्री वी.के. थुम्मर:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत में प्रचालनरत विदेशी बैंकों में कितना विदेशी निवेश किया गया;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेश के किसी प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) विदेशी बैंक भारत में केवल अपनी शाखाओं के जरिये कार्य करते हैं, जिनको प्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी निवेश प्रस्ताव नहीं मिलता है। भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं से अपेक्षित है कि वे, जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के तौर पर पूंजी लाएं/बनाए रखें। इसके अलावा, ये शाखाएं अपनी पूंजी में बढ़ोत्तरी करने के लिए अपने प्रधान कार्यालय द्वारा अंशदान के जरिये निधियां प्राप्त करती हैं। भारत में परिचालनगत सभी विदेशी बैंकों के स्वामित्व वाली कुल निधियां मार्च 2006, 2007 और 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार क्रमश: 23,952 करोड़ रुपए, 32,848 करोड़ रुपए और 49,158 करोड़ रुपये थीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

किसाऊ जलविद्युत परियोजना

2135. **श्री संतोष गंगवार:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से होकर प्रवाहित होने वाली टोंस नदी पर किसाऊ जलविद्युत परियोजना का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) टिहरी हाइड्रो विद्युत परियोजना से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) उ.प्र. के सिंचाई विभाग ने 1997 में तैयार की थी। उत्तराखण्ड सरकार ने सिद्धांतत: खिसाऊ बांध परियोजना (600 मे.वा.) को नवंबर, 2002 में क्रियान्वयन के लिए टीएचडीसी को आवंटित किया था। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप उत्तराखण्ड सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन था। इसमें शामिल मुख्य मुद्दे विद्युत, सिंचाई और पीने योग्य जल के संघटकों तथा विद्युत का बंटवारा है और इनके बीच परियोजना की लागत का विभाजन किया जाना है। उत्तराखंड सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिकारियों की 10.9.2008 को हुई बैठक के दौरान इस पर सहमति हुई कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी) द्वारा डीपीआर को अद्यतन करके लम्बित मामलों का निपटारा किया जाएगा। तद्नुसार, टीएचडीसी द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श से डीपीआर को अद्यतन करने की गतिविधियां शुरू कर दी गई है। किशाऊ परियोजना से वार्षिक उत्पादन 1216 मिलियन यूनिट के साथ 600 मे.वा. का इष्टतम विद्युत उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की डाउनस्ट्रीम वाली परियोजना में उत्पादन में वार्षिक 472 मिलियन यूनिट तक की बढ़ोत्तरी होगी।

[अनुवाद]

इलाहाबाद बैंक में पद आधारित रोस्टर

2136. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पद आधारित रोस्टर अपनाने से पहले इलाहाबाद बैंक में रिक्तियों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी थी;

(ख) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश के अनुसार पद आधारित रोस्टर अपनाने से पहले इन रिक्तियों को भरा गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भरा जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) इलाहाबाद बैंक में, पद आधारित रोस्टर हेतु पदांतरण से पूर्व, कमी/भरे नहीं गए खाली पदों की कुल संख्या (श्रेणीवार) निम्न प्रकार से हैं:

	संवर्ग	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.
(1)	अधिकारी क.प्र.ग्रे.-वेतनमान-1	शून्य	04	शून्य
(2)	अधिकारी म.प्र.ग्रे.-वेतनमान-2	08	05	शून्य
(3)	लिपिकीय संवर्ग	06	14	शून्य
(4)	सब-स्टाफ संवर्ग	18	16	शून्य

(ख) और (ग) खाली पद आधारित रोस्टर से पद आधारित रोस्टर में पदांतरण पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों ने वर्ष 1996-97 से, चरणबद्ध रूप से अधिकारियों और लिपिकीय संवर्ग की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी और अधीनस्थ स्टाफ के अतिरिक्त अधिकारियों और लिपिकीय संवर्ग के उपरोक्त सभी कमी/न भरे गए खाली पदों को चरणबद्ध रूप से भरा जा चुका है।

अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग में पदों में कमी/भरे नहीं गए खाली पद माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में बैंक के विरुद्ध लम्बित रिट याचिकाओं के कारण नहीं भरे जा सके थे।

(घ) पदों में कमी/भरे नहीं गए खाली पदों को बैंक द्वारा न्यायालय के केवल लम्बित मामलों का समाधान होने के बाद ही भरा जाएगा।

निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी मानदंडों को सरल बनाना

2137. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने संबंधी मानदंडों को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे कितनी निर्यातोन्मुख इकाइयों को लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों की प्रचालन लागत

2138. श्री रामजीलाल सुमन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रभावकारिता में वृद्धि करके उनकी प्रचालन लागत को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) कार्यकुशलता में वृद्धि और परिचालनात्मक लागतों में कमी बैंक प्रबंधन द्वारा विमर्श के मुद्दे हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निष्पादन में सुधार हेतु प्रेरणा, निर्देशन तथा प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने, बैंकों द्वारा अग्रिम, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम, एनपीए, लाभ, आय के अनुपात में लागत आदि सहित, विभिन्न पैरामीटरों पर प्रस्तुत "वार्षिक लक्ष्यों पर आशय विवरण" (एसओआई) के आधार पर उनके सकल निष्पादन की निगरानी करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की है।

[अनुवाद]

पीएफसी द्वारा ऋण दिया जाना

2139. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) द्वारा विभिन्न राज्यों को उनके विद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितना ऋण संवितरित किया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक विभिन्न राज्यों को उनके विद्युत क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए संवितरित किये गये ऋणों का विवरण संलग्न है।

विवरण

अल्पावधि ऋणों को छोड़कर गत तीन वर्षों के दौरान किया गया संवितरण

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	2008-2009 (5.12.2008 तक)	2007-2008	2006-07	2005-06
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1657.0905491	1108.9778561	886.5233802	1332.7269771
अरुणाचल प्रदेश	120.8453483	0.0000000	0.0000000	0.0000000
असम	15.5039587	104.3723845	85.7244377	50.5036878
बिहार	8.6600000	82.4942939	129.0880000	56.8000000
छत्तीसगढ़	138.3826443	518.2169133	521.1243989	227.3945000
दिल्ली	0.2865180	0.3342710	0.0000000	0.0000000
गोवा	0.0000000	13.6300000	0.0000000	0.0000000

1	2	3	4	5
गुजरात	62.9492634	444.3005276	1042.4310537	1051.0191587
हरियाणा	1506.4275686	700.8850137	773.1862936	119.8834641
हिमाचल प्रदेश	178.6958686	256.3994791	86.7673873	98.0665306
जम्मू व कश्मीर	184.3825215	386.0000000	237.0003671	106.9996329
झारखंड	460.1086958	0.0000000	0.0000000	0.5072625
कर्नाटक	583.4220636	1228.0551502	458.4489692	262.2599950
मध्य प्रदेश	1574.5296890	473.1522788	590.6130969	662.5917501
महाराष्ट्र	932.0751234	2508.3006848	1457.7333830	1564.5915099
मणिपुर	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0900000
मेघालय	0.0000000	0.4569600	0.0000000	0.0720000
नागालैंड	0.0000000	0.0000000	0.0000000	9.7868990
उड़ीसा	26.8000000	24.6853196	107.7004257	70.3779847
पंजाब	2.5715631	268.6356867	21.9400414	57.8846372
राजस्थान	865.0744635	1798.5343198	941.3292013	275.9873803
सिक्किम	98.7291007	120.0000000	0.0000000	0.1500000
तमिलनाडु	737.4564916	628.9176500	259.8161942	265.7000000
त्रिपुरा	0.0000000	0.1500000	0.0000000	0.0389636
उत्तर प्रदेश	665.1480131	1389.05580690	1048.6559929	976.2408255
उत्तराखंड	90.9656097	423.7568344	460.1501771	1601.8577927
पश्चिम बंगाल	540.7684795	1415.8124164	2580.7573212	546.3531615
कुल योग	10450.9735335	13895.1261089	11688.9901214	9337.8841132

वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी समिति

2140. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या समिति ने मुद्रास्फीति की तुलना में ब्याज दर कटौती के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) योजना आयोग ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के लिए अगस्त 2007 में ''वित्तीय क्षेत्र सुधार संबधी उच्च स्तरीय समिति'' गठित की थी:

(1) आगामी दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने में उभरती चुनौतियों की पहचान करना और स्थावर क्षेत्र सुधारों की पहचान करना जिससे उक्त आवश्यकताएं अधिक आसानी से वित्तीय क्षेत्र द्वारा पूरी की जा सकें।

(2) वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न भागों के कार्यनिष्पादन की जांच करना और उन परिवर्तनों की पहचान करना जिनसे वित्तीय क्षेत्र स्थावर संपदा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

(3) विनियामक और पर्यवेक्षी आधारभूत ढांचे में उन परिवर्तनों की पहचान करना जो, यह सुनश्चित करते हुए कि जोखिम सीमित रहें, वित्तीय क्षेत्र को अपनी भूमिका निभाने में मदद कर सकें।

(4) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में परिवर्तनों-मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति के संचालन और विधिक तंत्र तथा शैक्षिक तंत्र के परिचालन में परिवर्तनों सहित-की पहचान करना जिसमें वित्तीय क्षेत्र को अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करने में मदद मिल सकें।

समिति ने सितंबर 2008 में अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत की थी जिसमें समष्टि आर्थिक ढांचे, वित्त तक पहुंच बढ़ाने, एक समान मौके देने, अधिक प्रभावी और नकटी बाजार बनाने, एक वृद्धि-अनुकूल विनियामक परिवेश बनाने और ऋण के लिए एक सुदृढ़ आधारभूत ढांचा बनाने के संबंध में व्यापक सिफारिशें की गई थीं।

उक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किये जाने से पहले, इनकी जांच किये जाने की आवश्यकता है।

(ङ) मुद्रास्फीति के सापेक्ष ब्याज दर में कटौती के संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जेएनएनयूआरएम

2141. श्री गणेश सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत अभी तक कुल कितनी राशि का व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के तहत आवासीय इकाइयों का निर्माण शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दिशा-निर्देशों में बदलाव करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत दो उप-मिशनों यथा (1) शहरी अवस्थापना और शासन (यूईजी) तथा (2) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और 2 बहुप्रयोजनीय स्कीमें यथा छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत जारी राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण 1 से 4 में हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 63 शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास और अवस्थापनात्मक सुविधाओं के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) जारी की जाती है। अन्य शहरों के लिए आवास और स्लम विकास कार्यक्रम हेतु एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) आंरभ किया गया है, जिसका उद्देश्य स्लम वासियों को पर्याप्त आश्रय और बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराकर एक स्वस्थ और समर्थ वातावरण के साथ समग्र स्लम विकास के लिए प्रयास करना है।

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत गरीबों के लिए 12,00,000 मकानों का निर्माण करने हेतु मिशन अवधि (2005-12) के लिए आवासीय परियोजनाओं को पूर्ण करने/आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

जेएनएनयूआरएम

शहरी अवस्थापना और शासन के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं के लिए संचित रूप से जारी राशि

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंजूर परियोजनाओं की सं.	मंजूर परियोजनाओं की लागत	अनुमत्य एसीए (लाख रु. में)	जारी एसीए (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	42	392496.56	162380.65	62412.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	8919.70	8027.73	2006.94
3.	असम	2	31610.71	28449.64	7112.41
4.	बिहार	1	3695.40	1847.70	461.93
5.	चंडीगढ़	2	5698.60	4558.88	1544.92
6.	छत्तीसगढ़	1	30364.00	24291.20	6072.80
7.	दिल्ली	1	25378.00	8882.30	0.00
8.	गुजरात	57	418012.59	180745.95	63820.83
9.	हरियाणा	3	21097.70	10550.85	3935.60
10.	हिमाचल प्रदेश	2	2613.06	2090.45	522.61
11.	जम्मू एवं कश्मीर	3	41052.00	36946.80	9236.71
12.	झारखंड	1	28839.15	23071.32	5767.33
13.	कर्नाटक	43	317410.39	138438.31	29123.15
14.	केरल	7	70461.00	45044.00	11216.13
15.	मध्य प्रदेश	17	141045.59	72528.72	21181.44
16.	महाराष्ट्र	63	866790.02	389779.22	141560.35
17.	मणिपुर	1	2580.71	2322.64	580.66
18.	मेघालय	2	21795.72	19616.15	4353.69
19.	मिजोरम	1	1681.80	1513.62	378.41
20.	नागालैंड	1	2525.60	2273.04	568.26
21.	उड़ीसा	3	67182.66	53746.13	10098.53
22.	पंजाब	4	60712.00	30356.00	11326.26
23.	पुडुचेरी	1	20340.00	16272.00	4068.00

1	2	3	4	5	6
24.	राजस्थान	12	96872.17	59838.53	26176.37
25.	सिक्किम	1	2392.01	2152.81	538.20
26.	तमिलनाडु	30	268896.53	116459.09	33598.04
27.	उत्तर प्रदेश	18	209342.43	104918.70	23903.39
28.	उत्तराखंड	4	14794.13	11835.30	2958.71
29.	पश्चिम बंगाल	30	228292.48	83088.10	23554.59
30.	त्रिपुरा	1	7826.00	7043.40	1760.85
	कुल	356	3410718.61	1649069.627	509839.47

विवरण II

जेएनएनयूआरएम शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप-मिशन-2) अनुमोदित कुल परियोजनाएं

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिटों की सं.	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	मंजूर प्रथम किस्त (25% केन्द्रांश	मंजूर दूसरी किस्त (25% केन्द्रांश	मंजूर तीसरी किस्त (25% केन्द्रांश	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कुल एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	19	1707.78	93995	846.92	860.86	211.73	129.12	82.85	423.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	4.10	100	3.36	0.75	0.84	0.00	0.00	0.84
3.	असम	1	1	53.95	1232	48.56	5.40	12.14	0.00	0.00	12.14
4.	चंडीगढ़ (यूटी)	1	2	564.94	25728	396.13	168.81	99.03	0.00	0.00	5.00
5.	छतीसगढ़	1	4	391.45	27976	312.18	79.26	78.05	0.00	0.00	78.05
6.	बिहार	2	9	367.72	14596	179.54	188.18	44.89	0.00	0.00	44.89
7.	दिल्ली	1	15	1814.49	65504	768.73	1045.76	192.18	0.00	0.00	157.72
8.	गुजरात	4	13	1268.87	87504	612.93	655.94	153.23	39.47	11.91	204.63
9.	गोवा	1	1	10.22	155	4.60	5.62	1.15	0.00	0.00	1.15
10.	हरियाणा	1	2	64.23	3248	31.18	33.05	7.79	7.79	7.79	23.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	हिमाचल प्रदेश	1	2	24.01	636	18.27	5.74	4.57	0.00	0.00	4.57
12.	जम्मू एवं कश्मीर	2	2	105.17	5208	84.88	20.29	21.22	0.00	0.00	21.22
13.	झारखंड	2	8	260.04	9188	171.62	88.43	42.90	0.00	0.00	42.90
14.	कर्नाटक	2	7	510.27	21846	272.97	237.30	68.24	0.00	0.00	68.24
15.	केरल	2	6	304.12	22208	202.39	101.73	50.60	0.00	0.00	50.65
16.	मध्य प्रदेश	4	19	520.68	33289	256.67	264.00	64.17	8.48	1.49	74.13
17.	महाराष्ट्र	5	36	4135.48	130612	1932.11	2203.36	483.03	74.18	17.81	575.01
18.	मेघालय	1	2	30.44	600	23.77	6.67	5.94	0.00	0.00	5.94
19.	मिजोरम	1	2	34.33	408	28.91	5.42	7.23	0.00	0.00	7.23
20.	नागालैंड	1	1	134.50	3504	105.60	28.90	26.40	26.40	0.00	41.79
21.	उड़ीसा	2	5	67.17	2316	48.77	18.40	12.19	0.00	0.00	12.19
22.	पंजाब	2	2	72.43	5152	36.15	36.28	9.04	0.00	0.00	9.04
23.	पुडुचेरी	1	2	43.97	1304	32.31	11.67	8.08	0.00	0.00	8.08
24.	राजस्थान	2	2	277.14	17337	169.20	107.95	42.30	0.00	0.00	42.30
25.	सिक्किम	1	1	3.25	52	2.79	0.46	0.70	0.00	0.00	0.70
26.	तमिलनाडु	3	24	2134.11	85607	947.36	1186.75	236.84	14.44	0.00	251.28
27.	त्रिपुरा	1	1	16.73	256	13.96	2.77	3.49	3.49	0.00	3.49
28.	उत्तर प्रदेश	7	15	640.53	27760	295.99	344.53	74.00	28.81	0.00	102.81
29.	उत्तराखंड	3	4	22.88	524	18.08	4.80	4.52	0.00	0.00	4.52
30.	पश्चिम बंगाल	2	76	2411.30	115244	1166.55	1244.75	291.64	9.68	0.00	299.70
	कुल अनुमोदित परियोजनाएं	61	284	17996.28	803089	9032.49	8963.78	2258.12	341.86	121.85	2577.29
	डीपीआर तैयार करने के प्रभार		4								2.04
	पीएमयू		16								2.92
	पीआईयू		62								8.82
	सकल योग	61 शहर		17996.28	803089	9032.49	8963.78	2258.12	341.86	121.85	2591.07

विवरण III

(यूआईडीएसएसएमटी)

राज्य-वार स्थिति (30.11.2008 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	कार्यों की कुल सं.			परियोजनाओं की कुल सं.			कुल लागू की. लागत	कुल केन्द्रीय सहा.	केन्द्रीय हिस्से वाले की लागत (पैरामीटर 9 का 15%)	एडीए को ब्लॉक्स अग्रिम किस्त (पैरामीटर 10+11 का 50%)	चालू वर्ष (अग्रिम और पूर्वती किस्त)						चालू कुल केन्द्रीय सहा.
		अनुमोदित	अग्रिम किस्त	पूर्वती किस्त	अनुमोदित	चालू अग्रिम किस्त	चालू पूर्वती किस्त					05-06	06-07	07-08 अग्रिम किस्त	07-08 पूर्वती किस्त	08-09 अग्रिम किस्त	08-09 पूर्वती किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	75	39		96	44		286511.87	229209.50	4297.68	118902.43	4919.68	25568.26	23546.05				54033.99
2.	असम	16	16		18	18		9488.55	8539.70	142.33	4412.18	0.00	1363.93	1645.22		1228.75		4237.90
3.	बिहार	9	9		9	9		15257.32	12205.86	228.86	6331.79	0.00	3642.83	2689.06				6331.89
4.	छत्तीसगढ़	3	3		4	4		25143.65	20114.92	377.15	10434.61	0.00	2447.46	4289.00				6736.46
5.	गुजरात	48	48		48	48		39694.96	31755.97	595.42	16473.41	2444.18	6002.90	2678.67		4896.32		16022.07
6.	हरियाणा	4	4		4	4		10096.37	8077.10	151.45	4189.99	0.00	0.00	4190.00				4190.00
7.	हिमाचल प्रदेश	3	3		7	6		2786.41	2145.13	40.60	1123.16	0.00	357.33	382.32		85.59		835.04
8.	जम्मू एवं कश्मीर	8	8		34	34		27579.88	24821.17	413.69	12824.27	0.00	10100.02	2724.25				12824.27
9.	केरल	10	9		10	9		31684.00	25347.20	475.26	13148.86	0.00	3363.04	5194.27				8557.31
10.	कर्नाटक	30	22		38	30		68268.57	54598.86	1023.73	28323.16	0.00	8216.71	6991.10		7380.43		21588.24
11.	मध्य प्रदेश	33	26	1	47	37	1	91699.32	73359.46	1375.49	38055.22	0.00	7554.74	10864.86		2640.97	349.68	21409.45
12.	महाराष्ट्र	52	27		69	34		231717.88	185374.30	3475.77	96162.92	0.00	11774.69	10174.78		9589.30		31538.77
13.	मणिपुर	5	1		5	1		6277.00	5649.30	94.16	2918.81	0.00	0.00	644.49				644.49
14.	मेघालय	7	0		8	0		10239.35	9215.42	153.59	4761.30	0.00	0.00	0.00				0.00
15.	मिजोरम	7	6		11	9		14406.46	11525.17	216.10	5878.68	0.00	2234.43	2435.04				4669.47
16.	नागालैंड	34	32	3	36	34	3	55870.52	44696.41	838.86	23186.26	1383.63	4300.70	3245.95	309.99	10701.09		19941.36
17.	सिक्किम	5	1		5	1		3992.82	3593.54	59.89	1856.66	0.00	0.00	735.88				735.88
18.	त्रिपुरा	8	1		8	1		18776.19	14898.57	281.64	8730.93	0.00	0.00	2805.00				2805.00
19.	उत्तराखंड	112	94	44	120	100	45	84754.88	67803.90	1271.32	35173.28	0.00	12168.51	9398.49	1094.9	4878.25	8949.7	36489.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20.	उत्तर प्रदेश	48	35		64	49		116541.07	93232.86	17488.12	48364.54	0.00	20534.14	10340.11		9334.99		40209.18
21.	उत्तरांचल	21	21		22	22		35504.51	28403.61	532.57	14734.47	0.00	5267.37	4122.00		5159.71		14549.08
22.	दादरा और नगर हवेली	2	0		2	0		3103.98	2483.18	46.56	1288.35	0.00	0.00	0.00				0.00
23.	दमन और दीव	1	0		1	0		942.37	753.90	14.14	391.08	0.00	0.00	0.00				0.00
24.	पंजाब	13	6		20	6		38529.00	30823.20	577.94	15989.54	0.00	0.00	7587.04				7587.04
25.	झारखंड	4	4		5	5		9746.55	7797.24	146.20	4044.82	0.00	0.00	4003.32				4003.32
	कुल	558	415	48	691	505	49	1238512.68	990445.44	18577.69	517800.41	8747.49	124897.05	118995.10	1484.9	55695.34	9299.38	319239.27

विवरण IV

कुल अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजना की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	निर्माण हेतु अनुमोदित नई रिहायशी यूनिटों की कुल सं.	सुधार हेतु कुल रिहायशी यूनिटों की सं.	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिटें	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	प्रथम किस्त (50% केन्द्रांश	दूसरी किस्त अनुमोदित	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	65	725.33	29257	0	29257	541.34	183.99	[illegible]	33.79	282.93
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	5.27	0	40	40	4.74	0.53	2.37	0.00	2.37
3.	असम	12	38.31	1668	3725	5393	33.11	5.20	16.55	0.00	16.55
4.	बिहार	10	80.73	6500	0	6500	59.76	20.96	29.88	0.00	29.88
5.	छत्तीसगढ़	14	176.50	14846	0	14846	122.01	54.49	61.00	0.00	61.00
6.	दादरा और नगर हवेली	1	0.50	0	0	0	0.45	0.05	0.23	0.00	0.23
7.	दमन और दीव	1	0.69	16	0	16	0.58	0.11	0.29	0.00	0.29
8.	गुजरात	23	227.49	18405	0	18405	153.13	74.36	76.57	0.00	71[illegible]
9.	हरियाणा	15	238.84	14558	83	14641	182.96	55.88	91.48	0.00	91.48
10.	हिमाचल प्रदेश	3	23.44	816	0	816	16.19	7.25	8.10	0.00	8.10
11.	जम्मू एवं कश्मीर	10	42.40	1770	884	2654	32.23	10.17	16.12	0.00	16.12
12.	झारखंड	1	19.67	1292	0	1292	15.58	4.09	7.79	0.00	7.79
13.	कर्नाटक	25	240.27	13053	0	13053	145.76	94.51	72.88	0.00	72.88
14.	केरल	28	150.07	8964	4564	13528	114.22	35.85	57.11	8.25	61.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	मध्य प्रदेश	33	241.89	16795	369	17164	171.08	70.81	85.54	0.00	85.54
16.	मिजोरम	3	8.27	624	0	624	6.21	2.06	3.11	0.00	3.11
17.	राजस्थान	34	418.82	18349	7285	25634	287.90	130.93	143.95	0.00	143.95
18.	मेघालय	1	21.82	456	0	456	8.97	12.85	4.48	0.00	4.49
19.	मणिपुर	2	16.50	1103	0	1103	12.37	4.14	6.18	0.00	6.18
20.	महाराष्ट्र	51	610.41	41350	0	41350	438.21	172.20	219.10	0.00	193.30
21.	नगालैंड	1	87.74	2496	0	2496	44.14	43.60	22.07	0.00	22.07
22.	उड़ीसा	15	83.63	4884	0	4884	59.13	24.50	29.57	0.00	29.57
23.	पंजाब	3	63.42	2475	2183	4658	32.62	30.79	16.31	0.00	16.31
24.	पुडुचेरी	1	71.03	432	0	432	5.48	11.55	2.74	0.00	2.31
25.	तमिलनाडु	30	225.67	17506	2257	19763	169.19	56.47	84.60	0.00	84.60
26.	त्रिपुरा	1	7.19	400	0	400	6.33	0.86	3.17	0.00	3.17
27.	उत्तर प्रदेश	50	214.79	8920	0	8920	134.71	80.08	67.35	11.05	59.82
28.	उत्तरखंड	2	5.85	231	0	231	2.91	2.95	1.45	0.00	1.45
29.	पश्चिम बंगाल	70	667.26	38184	0	38184	482.34	184.91	241.17	16.03	257.20
	कुल	506	4659.80	265350	21390	286740	3283.66	1376.15	641.84	69.13	1635.49

[अनुवाद]

एटीएम सेंटर

2142. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात सहित देश में और अधिक संख्या में देना बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम सेंटर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) देना बैंक ने सूचित किया है कि वह देश में 343 नए एटीएम स्थापित करने की योजना बना रहा है जिसमें से 27 गुजरात राज्य में होंगे। इसी प्रकार, भारतीय स्टेट बैंक 2138 एटीएम स्थापित करने की योजना बना रहा है जिसमें से 120 गुजरात राज्य में होंगे।

विद्युत की खपत

2143. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति राज्य-वार खपत कितनी है;

(ख) क्या विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत में अंतर-राज्यीय अंतर बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वर्ष 2006-07 तक प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत से संबंधित राज्य-वार सूचना उपलब्ध है और, अत: 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में दी गई सूचना के अंतर्गत इन वर्षों के दौरान इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत दर्शाई गई है। उदाहरण के लिए दादर एवं नगर हवेली में 2004-05 वर्ष के दौरान उच्चतम प्रति व्यक्ति खपत 8478.77 कि.वा. घं जबकि बिहार के मामले में न्यूनतम 75.06 कि.वा. रही है। इन दो मामलों में खपत 2006-07 में क्रमश: 13310.33 कि.वा. तथा 91 कि.वा. वृद्धि हुई है। राज्य अथवा संघशासित क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत के विभिन्न कारण जैसे औद्योगिक गतिविधियां, ग्रामीण विद्युतीकरण में वृद्धि, घरेलू तथा कृषि भार इत्यादि, हैं। इन कारणों के फलस्वरूप इन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत की खपत में काफी अंतर है।

(घ) राष्ट्रीय विद्युत नीति की परिकल्पना के अनुसार 2011-12 तक औसत प्रतिव्यक्ति विद्युत में वृद्धि करते हुए 1000 यूनिटों से अधिक वृद्धि करवा दे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(1) 11वीं योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा 78,700 मे.वा. क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यद्यपि अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार 11वीं योजना के दौरान 79,790 मेगावाट क्षमता वृद्धि व्यवहार्य है। 79,790 मे.वा. में से 30.11.2008 की स्थिति के अनुसार कुल क्षमता 11,322 मे.वा. स्थापित की गई है। तथा 68,468 मे.वा. की शेष क्षमता का कार्य निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से 15000 मे.वा. की क्षमता वृद्धि की योजना है।

(2) 11वीं योजना के दौरान इस प्रणाली में कैप्टिव पावर की 12000 मे.वा. क्षमता वृद्धि की जानी है। जिसमें से 31.10.2008 की स्थिति के अनुसार, 1648 मे.वा. का संचालन पहले ही किया जा चुका है तथा शेष का कार्य निर्माणाधीन है।

(3) देश में त्वरित जल विद्युत विकास हेतु 50,000 मे.वा. जल विद्युत पहल शुरुआत की गई है। कुल 48000 मे.वा. क्षमता की 162 परियोजनाओं की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है जिसमें से लगभग 37,000 मे.वा. की कुल क्षमता की 77 परियोजनाओं का क्रियान्वयन हेतु चयन कर लिया गया है।

(4) गांव तथा ग्रामीण घरों के त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित विद्युतीकरण हेतु स्टैंड एलोन प्रणाली की अनुमति दी गई है।

(5) समुच्चय तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, राजस्व संग्रहण में वृद्धि तथा ग्राहक संतुष्टि सुधार लाने के उद्देश्य से त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की पुन:संरचना की गई है।

(6) उत्पादन परिसम्पत्तियों के उत्तम उपयोग हेतु बिजली की ट्रेडिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(7) क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, पारेषण का वृहद नेटवर्क भी विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रिड के विकास के माध्यम से नवीन अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमताओं को भी शामिल किया जा रहा है।

विवरण

*2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्यवार विद्युत की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत**

(आकड़े कि.वा. घंटे में)

राज्य/यूटी	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
हरियाणा	950.69	1090.39	1208.21
हिमाचल प्रदेश	831.11	765.86	872.00

*यूएन पद्धति के अनुसार सकल वैद्युत ऊर्जा उपलब्धता/जनसंख्या के बराबर प्रति व्यक्ति खपत

1	2	3	4
जम्मू व कश्मीर	608.93	711.01	758.63
पंजाब	1245.23	1436.79	1506.28
राजस्थान	583.32	572.20	590.69
उत्तर प्रदेश	308.83	311.82	340.50
उत्तराखंड	653.78	654.84	706.84
चंडीगढ़	887.26	1553.96	1486.68
दिल्ली	1553.77	1766.94	1417.22
उत्तरी क्षेत्र	564.57	602.56	623.09
गुजरात	1298.78	1283.77	1330.82
मध्य प्रदेश	515.50	580.34	581.73
छत्तीसगढ़	684.84	685.81	934.78
महाराष्ट्र	879.09	934.43	975.43
गोवा	2189.03	1970.08	2097.71
दमन व दीव	7545.68	8300.12	8950.43
दादरा व नगर हवेली	8478.77	11567.67	13310.33
पश्चिमी क्षेत्र	876.68	916.28	969.08
आंध्र प्रदेश	764.75	723.10	802.38
कर्नाटक	660.04	720.43	805.50
केरल	397.83	424.13	440.77
तमिलनाडु	918.08	976.81	1079.94
पुडुचेरी	2094.25	2509.25	2692.81
लक्षद्वीप	376.83	368.29	402.14
दक्षिणी क्षेत्र	735.73	757.79	836.56
बिहार	75.06	85.86	91.00
झारखंड	546.21	548.74	659.15
उड़ीसा	735.49	633.93	664.68
पश्चिम बंगाल	413.53	380.61	396.79
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	345.60	407.77	458.05
सिक्किम	398.19	429.81	533.38
पूर्वी क्षेत्र	357.22	332.21	357.67

1	2	3	4
असम	162.82	170.65	175.09
मणिपुर	257.72	215.21	194.80
मेघालय	513.72	517.54	546.83
नागालैंड	181.22	179.34	173.29
त्रिपुरा	238.88	190.62	178.90
अरुणाचल प्रदेश	280.14	297.66	299.11
मिजोरम	423.39	250.15	262.63
पूर्वोत्तर क्षेत्र	218.92	201.44	203.98
अखिल भारत	612.50	631.41	671.89
अधिकतम	8478.77	11567.67	13310.33
न्यूनतम	75.06	85.86	91.00

एनटीपीसी द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2144. श्रीमती मेनका गांधी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने देश में नई विद्युत इकाइयों की स्थापना के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कितनी राशि का निवेश किया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) एनटीपीसी ने 11वीं योजना में 2490 मेगावाट क्षमता जोड़ी है और 16180 मेगावाट की कुल क्षमता वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन है। नई विद्युत परियोजनाओं के साथ चालू परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा, उनकी अनुमोदित/अनुमानित लागत विद्युत उत्पादन क्षमता और चालू होने का समय क्रमशः विवरण-I और II में संलग्न है।

कम्पनी ने कुछ परियोजनों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार की हैं और बुनियादी सुविधा की उपलब्धता, ईंधन उपलब्धता आदि के आधार पर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु नए स्थलों को चिन्हित भी कर रही है।

विवरण I

एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना/क्षमता	निर्माणाधीन क्षमता (मेगावाट)	स्थल (राज्य)	अनुमोदित लागत करोड़ रुपये में (आधार मूल्य)	पूरा होने का प्रत्याशित वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	कहलगांव-2, (3×500 मेगावाट)	500	बिहार	4002.28 (4 क्वा. 02)+ 1866.10 (1 क्वा. 03)	2008-09

1	2	3	4	5	6
2.	बाढ़-01 (3×660 मेगावाट)	1980	बिहार	8692.97 (4 क्वा. 04)	2011-12*
3.	भिलाई विस्तार विद्युत परियोजना (2×250 मेगावाट) सेल के साथ संयुक्त उद्यम	250	छत्तीसगढ़	3015.54 (2 क्वा. 07)	2008-09
4.	सीपत-1 (3×660 मेगावाट)	1980	छत्तीसगढ़	8323.39 (2 क्वा. 03)	2009-10
5.	कोरबा-3 (1×500 मेगावाट)	500	छत्तीसगढ़	2448.49 (1 क्वा. 06)	2009-10
6.	फरक्का-3 (1×500 मेगावाट)	500	पश्चिम बंगाल	2570.40 (2 क्वा. 06)	2010-11
7.	एनसीटीपीपी-2 (2×490 मेगावाट)	980	उत्तर प्रदेश	5135.33 (2 क्वा. 06)	2009-10*
8.	सिम्हाद्री-2 (2×500 मेगावाट)	1000	आंध्र प्रदेश	5038.53 (1 क्वा. 07)	2011-12
9.	इंदिरा गांधी एसटीपीपी, झज्जर- (3×500 मेगावाट) एचपीजीसीएल व आईपीजीसीएल के साथ संयुक्त उद्यम	1500	हरियाणा	7892.42 (2 क्वा. 07)	2010-11*
10.	वल्लूर टीपीपी (2×500 मेगावाट) टीएनईबी के साथ संयुक्त उद्यम	1000	तमिलनाडु	5552.79 (2 क्वा. 07)	2011-12
11.	कोलडैम एचईपीपी (4×200 मेगावाट)	800	हिमाचल प्रदेश	4527.15 (4 क्वा. 01)	2010-11*
12.	लोहरीनाग पाला एचईपीपी (4×150 मेगावाट)	600	उत्तराखंड	2895.10 (1 क्वा. 06)	2012-13
13.	तपोवन विष्णुगाड एचईपीपी (4×130 मेगावाट)	520	उत्तराखंड	2978.48 (4 क्वा. 06)	2011-12*
14.	मौदा एसटीपीपी (2×500 मेगावाट)	1000	महाराष्ट्र	5459.28 (4 क्वा. 07)	2011-12*
15.	बोंगईगांव टीपीपी (3×250 मेगावाट)	750	असम	4375.35 (4 क्वा. 07)	2011-12
16.	नबीनगर टीपीपी (4×250 मेगावाट) रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम	1000	बिहार	5352.51 (4 क्वा. 06)	2011-12*
17.	बाढ़-2 (2×660 मेगावाट)	1320	बिहार	7341.04 (4 क्वा. 07)	2012-13* पहली यूनिट 2011-12 में)

*बेहतर प्रयासों के आधार पर

विवरण II

एनटीपीसी की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये/आधार तिथि)
1.	रिहंद-3 (मेगा प्रोजेक्ट)	उत्तर प्रदेश	1000	4572.96 (2007 की तीसरी तिमाही)
2.	विंध्याचल-4	मध्य प्रदेश	1000	4773.66 (2008 की पहली तिमाही)
3.	वैल्लूर स्टेज-1, फेज 2-टीएनईबी के जेवी	तमिलनाडु	500	2640.68 (2007 की चौथी तिमाही)
4.	नार्थ करनपुरा एसटीपीपी (मेगा प्रोजेक्ट)	झारखंड	1980	9477.75 (2005 की चौथी तिमाही)
5.	लता तपोवन @एचईपीपी	उत्तराखंड	171	792.00 (2005 की चौथी तिमाही)
6.	कवास सीसीपीपी चरण-2 (मेगा प्रोजेक्ट)	गुजरात	1300	3329.59 (चौथी/2004)
7.	झनौर गंधार सीसीपीपी चरण-2 (मेगा प्रोजेक्ट)	गुजरात	1300	3265.84 (चौथी/2004)

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति

2145. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए एक नई केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना का अनुमोदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय किसी भी चिन्हित संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति छात्रों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से शैक्षिक वर्ष 2007-08 से उच्च श्रेणी शिक्षा की एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना की शुरुआत की है। सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के 125 संस्थानो को अनुमोदन दिया गया है जिनमें प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाएगी। प्रति वर्ष कुल 635 छात्रवृत्तियों की सीमा के तहत प्रत्येक संस्थान को अधिकतम 5 छात्रवृत्ति पुरस्कार आवंटित किये जाएंगे। इन 125 चिह्नित संस्थानों में प्रवेश पाने वाले प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति छात्र इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे बशर्ते वे 5 परस्पर उच्चतम वरिष्ठता प्राप्त प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति छात्रों में आते हों तथा उनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये से अधिक न हो।

इस योजना के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जनजाति छात्र को सरकारी/सरकार द्वारा निधि प्राप्त संस्थानों में शिक्षा शुल्क तथा अन्य अप्रतिदेय शुल्कों को कवर करते हुए छात्रवृत्ति पुरस्कार दिए जाएंगे। तथापि, निजी संस्थानों हेतु प्रति छात्र प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तथा कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग हेतु निजी क्षेत्रीय फ्लाइंग क्लबों हेतु प्रति छात्र प्रति वर्ष 3.72 लाख रुपये अधिकतम सीमा रखी गई है। साथ ही, इस छात्रवृत्ति में (1) वास्तविक व्यय के अधीन प्रति माह प्रति छात्र 2,200 रुपये जीवन निर्वाह खर्च, (2) प्रति छात्र प्रति वर्ष हेतु लेखन सामग्री के लिए 3,000 रुपये तथा, (3) पूरे पाठ्यक्रम के दौरान अद्यतन कम्प्यूटर प्रणाली एवं इसके और साज-सज्जा हेतु 45,000 रुपये एकमुश्त दिये जाने का प्रावधान है।

शिक्षा ऋण

2146. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने हाल ही में शिक्षा ऋणों की ब्याज दर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बैंकों द्वारा शिक्षा ऋणों को हतोत्साहित किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दरें अक्तूबर, 1994 से विनियमित कर दी गई हैं तथा बैंकों द्वारा ये दरें अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) तथा कीमत लागत अंतर संबंधी दिशानिर्देशों के अध्यधीन अपने बोर्ड के अनुमोदन से स्वयं निर्धारित की जाती हैं। तथापि, शिक्षा ऋण योजना संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज दरें बैंक की बीपीएलआर होनी चाहिएं तथा 4 लाख रुपये अधिक के ऋणों पर यह बीपीएलआर+1 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने कार्यान्वयनकर्त्ता बैंकों को शिक्षा ऋण के लिए पात्रता मानदण्डों के साथ व्यापक दिशानिर्देश परिचालित किये हैं। बैंकों को पात्र मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान करना अपेक्षित है तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी गई है कि ऋण आवेदन बिना किसी वैध कारण के अस्वीकार नहीं किये जाने चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाया शिक्षा ऋण 31 मार्च, 2004 के अनुसार 4550 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार 24268 करोड़ रुपये हो गए हैं।

[अनुवाद]

शहरी परिवहन

2147. श्रीमती जयाप्रदा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का उन्नयन करने के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहरी परिवहन आयोजना हेतु एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों से इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु परामर्श/चर्चा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) शहरी परिवहन आयोजना की नई केन्द्र प्रायोजित योजना में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को विभिन्न यातायात और परिवहन अध्ययन करने के लिए कुल लागत के 80% तक तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की कुल लागत के 50% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इस योजना में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 के अनुरूप व्यापक शहरी परिवहन योजना को प्रोत्साहित करने, भू-उपयोग व परिवहन का एकीकरण करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, स्वच्छ विकास तन्त्र (सीडीएम) का अध्ययन करने, सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली (आईटीएस) का अध्ययन करने, जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए शहरी परिवहन योजना के विभिन्न पहलू शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य योजना तैयार करने की प्रारम्भिक अवस्था से ही राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 का मार्गनिर्देशन करना और उसके क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाना है।

(ग) और (घ) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अगस्त, 2008 में यह सलाह दी गयी है कि वे आयोजना स्तर से ही शहरी परिवहन आयोजना से संबंधित केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि विभिन्न अध्ययनों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की परिणति सार्थक परियोजनाओं में हो।

ऊर्जा क्षेत्र में भारत-मिस्र सहयोग

2148. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और मिस्र ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे देश को कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

किशोर न्याय अधिनियम, 2006

2149. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किशोर न्याय अधिनियम, 2006 के अनुसार प्रत्येक राज्य द्वारा एक पैनल का गठन किया जाना अपेक्षित है, जो कि छोड़े गए/परित्यक्त/व्यथित अथवा अपराधी बच्चों का बचाव और पुनर्वास सुनिश्चित करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इसका कोई रिकार्ड है कितनी राज्य सरकारें ऐसी इकाइयां चला रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) वर्ष 2000 में संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में ऐसा कोई उपंबध नहीं है कि राज्यों द्वारा कोई पैनल गठित किया जाए। तथापि, इस अधिनियम में यह उपबंध है कि इस अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य सरकार देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए 'बाल संरक्षण एकक' का गठन करे। इस अधिनियम के कार्यान्वयन में गृहों की स्थापना व संचालन, इन बच्चों तथा इनके पुनर्वास के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों को अधिसूचित करना और इस विषय से संबंधित विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय करना शामिल हैं।

(ख) से (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक किसी भी राज्य सरकार ने बाल संरक्षण एकक गठित नहीं किया है। किंतु, यह मंत्रालय राज्यों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर इस विषय में कार्रवाई करने को कहता रहता है।

राष्ट्रीय विकास निधि

2150. श्री के. सुब्बारायण: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के लिए राष्ट्रीय विकास निधि की कुल धनराशि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस निधि द्वारा वित्तपोषित विकास योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सें कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकारी लेखे में 'राष्ट्रीय विकास निधि' नामक कोई निधि नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु तथा मध्यम उद्योगों को संकट से उबारने के लिए पैकेज

2151. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु तथा मध्यम उद्योगों को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए कोई नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 7.12.2008 को एक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के उपाय किये गये जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

(1) सिडबी को एमएसएमई को ऋण प्रवाह को सुकर करने के लिए या तो एमएसएमई को प्रत्यक्ष रूप से या बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से 7000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा।

(2) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत ऋणों पर संपार्श्विक रहित ऋण को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत के गारंटी कवर सहित विद्यमान गारंटी कवर को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना।

(3) विद्यमान ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत और ऋणों को कवर करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत कवर किये गये ऋणों की रुद्ध अवधि 24 महीने से घटाकर 18 महीने करना।

(4) एमएसएमई बिलों का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों और राज्य सार्वजनिक उद्यमों को सलाह देना।

[अनुवाद]

सरकारी आवासों में ''सोलर वाटर हीटरों'' का लगाया जाना

2152. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का दिल्ली में के.लो.नि.वि. की देखरेख वाले सभी क्वार्टरों में ''सोलर वाटर हीटर'' लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ''सोलर वाटर हीटर'' कब तक लगाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सुविधा को अन्य शहरों में भी प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डी.एम.आर.सी. संग्रहालय

2153. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डी.एम.आर.सी. द्वारा संग्रहालय कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) लिमिटेड ने बताया है कि संग्रहालय की स्थापना दिसम्बर, 2008 के अंत तक पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर अस्थायी आधार पर किये जाने की सम्भावना है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बीमा योजना

2154. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु बीमा योजना में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम पर केन्द्र सरकार तथा बीमा कंपनियों द्वारा कितनी राज-सहायता का भुगतान किया जाएगा; और

(ङ) संशोधित बीमा योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने वर्ष 2008 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) में संशोधन किया है जिसमें प्रीमियम को कम कर दिया गया है तथा योजना के अंतर्गत लाभों की व्याप्ति में वृद्धि की गई है।

(ग) और (घ) संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) प्रीमियम में कमी: प्रीमियम दरों में इस प्रकार की कमी की गई है:

पालिसी	वर्तमान प्रीमियम	संशोधित प्रीमियम	भारत सरकार की आर्थिक सहायता
वैयक्तिक	365	300	200
5 सदस्यों तक	548	450	300
7 सदस्यों तक	730	600	400

(2) मातृत्व लाभ में वृद्धि: संशोधित योजना में मातृत्व लाभ में वृद्धि की गई है जिसमें सामान्य प्रसूति के लिए 2500 रुपये तथा सिजेरियन प्रसूति के लिए 5,000 रुपये के लाभ की वृद्धि की गई है। इस राशि में नवजात शिशु पर 03 महीने तक, किये गये चिकित्सा संबंधी व्यय भी सम्मिलित होंगे।

(3) अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि: इस योजना के अंतर्गत और अधिक परिवारों को शामिल करने के लिए कवरेज हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है।

(4) पहले से विद्यमान बीमारियों का समावेशन: पहले से विद्यमान सभी बीमारियां, जो पहले योजना में शामिल नहीं की गई थी, को अब योजना में शामिल कर दिया गया है।

(5) मजदूरी न मिलने पर लाभ: संशोधित योजना में इस लाभ को बढ़ाकर बीमित के पति/पत्नी के लिए कर दिया गया है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(1) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क;

(2) व्यष्टि वित्त संस्थानों/स्वयं सहायता समूहों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ ताल-मेल विकसित करना;

(3) जनजातीय बोर्ड/जनजातीय विकास संस्थाओं से सम्पर्क करना;

(4) पर्चे-वितरण के माध्यम से योजना का प्रचार; तथा

(5) स्थानीय स्ट्रीट-शो आयोजित करना।

क्रूज लाइनर्स को कर में छूट

2155. श्री नवीन जिन्दल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रूज लाइनर्स को कर में किसी छूट की पेशकश की गई है/की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आयकर अधिनियम की धारा 172 (अनिवासियों के पोत परिवहन कारोबार) के अंतर्गत किसी अनिवासी के अथवा उसके द्वारा अवक्रीत पोत जो भारत में किसी पत्तन पर यात्रियों को ले जाता है, की आय ऐसे परिवहन पर देय राशि का साढ़े सात प्रतिशत होती है। धारा 44ख के विशेष उपबंधों के अंतर्गत पोत प्रचालन के कारोबार से किसी अनिवासी को प्राप्त लाभ-अभिलाभ को निम्नलिखित सकल राशि के साढ़े सात प्रतिशत पर लिया जाता है; अर्थात्:-

(1) भारत में किसी पत्तन पर यात्रियों के परिवहन, पोत से भेजे गये पशुधन, डाक अथवा माल के फलस्वरूप कर-निर्धारिती की ओर से उसे अथवा किसी व्यक्ति को संदत्त अथवा संदेय राशि (भले ही भारत में हो अथवा भारत के बाहर); तथा

(2) भारत के बाहर किसी पत्तन पर यात्रियों के परिवहन, पोत से भेजे गये पशुधन, डाक अथवा माल के फलस्वरूप कर-निर्धारिती द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा भारत में प्राप्त राशि अथवा प्राप्त की गई समझी जाने वाली राशि।

अनिवासियों द्वारा संचालित क्रूज शिपिंग कारोबार से उद्भूत लाभ के कराधान दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार के अध्यधीन हो सकते हैं और अनिवासी दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार के उपबंधों को लागू करने के विकल्प का चयन कर सकता है यदि उसके लिए यह अत्यधिक लाभप्रद हो।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत कारोबार आय के कराधान के सामान्य उपबंधों के अनुसार निवासियों के क्रूज शिपिंग कारोबार कार्यकलाप के लिए आय की संगणना की जाती है।

बचत लैंप योजना

2156. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड़ यास्खी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बचत लैंप योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को पूरे देश में कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) माननीय विद्युत मंत्री ने दिनांक 28.5.2007 को आयोजित सम्मेलन में अपने स्वागत संबोधन के दौरान बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) की घोषणा की। तदनुसार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत स्थापित ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो हेतु अनुमानित लागत 48 करोड़ की योजना तैयार की गई तथा इसे 4.10.2007 को हुई व्यय वित्त समिति की सिफारिशों पर माननीय विद्युत मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। योजना का मूल उद्देश्य लेवरजिंग सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन (सीईआर) द्वारा इंकेन्डेन्सेंट बल्बों की समान लागत पर एफिशिएंट कॉपिक्ट फ्लोरासेंट लैम्प (सीएफएल) उपलब्ध कराना है। योजना द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 400 मिलियन इंकोडेन्सेट बल्बों को परिवर्तित करते हुए लगभग 4000 मे.वा. बिजली तथा कार्बन डाइक्साइड एमिशन की लगभग 24 मिलियन टन कमी करने का प्रस्ताव है। विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में प्रथम पायलट प्रोजेक्ट को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) एक्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया है।

(ग) समूचे राष्ट्र में इस योजना को लागू किये जाने की समय सीमा 11वीं योजना के अंत तक अर्थात मार्च 2012 है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक ऋण

2157. श्री अजीत जोगी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा हाल ही में कितनी विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋणों की मंजूरी दी गई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बैंक द्वारा कुल कितना ऋण प्रदान किया गया है; और

(ग) ऐसे ऋणों के निबंधन और शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) वे विद्युत परियोजनाएं, जिनके लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 1.4.2008 से ऋण अनुमोदित किये हैं, निम्नवत् हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	निष्पादन एजेंसी	वित्तपोषण एजेंसी	अनुमोदन की तारीख	ऋण राशि (मिलियन (यूएस डालर में)	मुख्य शर्तें एवं निबंधन
1	2	3	4	5	6	7
1.	चतुर्थ विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय ऋण	पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लि. (पीजीसीआईएल)	विश्व बैंक (डब्ल्यूबी)	21.10.08	400.00	4 वर्ष की छूट अवधि सहित 30 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि। लंदन इंटर बैंक आफिशियल रेट (एलआईबीओआर) से 30 आधार बिंदु (बेसिस प्वाइंट) ऊपर ब्याज/ कोई प्रतिबद्धता शुल्क नहीं।

1	2	3	4	5	6	7
2.	हिमाचल प्रदेश क्लीन डेवलेपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ट्रांच-1	हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. (एचपीपीसीएल)	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	23.10.08	150.00	5 वर्ष की छूट अवधि सहित 25 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि। ब्याज लंदन इंटर बैंक आफिशियल रेट (लाइबोर) से 20 (बेसिस प्वाइंट) ऊपर। प्रतिबद्धता शुल्क-अप्राप्त ऋण पर 0.15%।

[अनुवाद]

बैंकों की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया

2158. डा. के.एस. मनोज: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय समावेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी क्षेत्र/जोन-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) से शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन हेतु उपयुक्त जिलों की पहचान करने और साथ ही विभिन्न बैंकों के लिए गांवों को आवंटित करने के लिए कहा है। एसएलबीसी से यह भी कहा गया है कि इस संबंध में प्रगति की निगरानी करें। अब तक शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन हेतु देश में 342 जिलों की पहचान की गई है और एसएलबीसी ने बताया है कि इसमें से 155 जिलों ने पहले ही शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त कर लिया है। इस संबंध में क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए कई उपाय शुरू किये हैं:

* वर्ष 2008-09 के बजट में यथा घोषित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी प्रत्येक ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखा में प्रतिवर्ष 250 परिवार के खाते खोलने का लक्ष्य प्राप्त करने के निदेश दिये गये हैं।
* बैंकों को परिवारों को सामान्य क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर वित्तीय पहुंच प्राप्त करने, सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के साथ "अतिरिक्त सुविधा रहित" (नो फ्रिल) खाते खोलने, कृषक क्लबों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), डाकघरों जैसे सिविल सोसायटी संगठनों की सेवाओं का कारोबार सुविधा प्रदाता/कारोबार सम्पर्की माडल, आदि के रूप में प्रयोग करके वित्तीय पहुंच बढ़ाने के अनुदेश दिये गये हैं।
* सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि वर्ष 2008-09 में कृषि ऋण हेतु अपने लक्ष्य का न्यूनतम 3% ऋण विनिमय योजना के तहत ऋण देने के लिए निर्धारित करें।

विवरण

लीड बैंक योजना के अंतर्गत कवर किये गये जिलों की क्षेत्रवार सं. तथा 100% वित्तीय समावेश के अंतर्गत उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या	वित्तीय समेकन के लिए चयनित जिलों की सं.	100% वित्तीय समेकन करने वाले जिलों की सं.
1	2	3	4	5
क. उत्तरी क्षेत्र				
1.	हरियाणा	20	20	20
2.	हिमाचल प्रदेश	12	12	12

1	2	3	4	5
3.	जम्मू और कश्मीर	22	02	–
4.	पंजाब	20	20	11
5.	राजस्थान	33	07	07
6.	चंडीगढ़	01	01	01
7.	संघ शासित क्षेत्र	01	01	01
ख. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र				
8.	अरुणाचल प्रदेश	16	01	–
9.	असम	27	12	01
10.	मणिपुर	09	01	–
11.	मेघालय	07	04	–
12.	मिजोरम	08	01	–
13.	नागालैंड	11	01	–
14.	त्रिपुरा	04	01	–
ग. पूर्वी क्षेत्र				
15.	बिहार	38	19	–
16.	झारखंड	24	03	–
17.	उड़ीसा	30	19	01
18.	सिक्किम	04	02	01
19.	पश्चिम बंगाल	18	09	01
20.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	02	02	02
घ. केन्द्रीय क्षेत्र				
21.	छत्तीसगढ़	18	03	01
22.	मध्य प्रदेश	50	35	–
23.	उत्तर प्रदेश	71	43	09
24.	उत्तराखंड	13	13	13
ङ. पश्चिमी क्षेत्र				
25.	गोवा	02	02	02
26.	गुजरात	26	26	14

1	2	3	4	5
27.	महाराष्ट्र	33	21	01
28.	दादरा और नगर हवेली	01	01	01
29.	दमन और दीव	02	02	02
ङ. दक्षिण क्षेत्र				
30.	आंध्र प्रदेश	22	08	08
31.	कर्नाटक	29	29	29
32.	केरल	14	14	14
33.	तमिलनाडु	30	05	02
34.	लक्षद्वीप	01	01	01
35.	पुडुचेरी	01	01	01
	कुल	620	342	155

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना

2159. श्री महावीर भगोरा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे लोगों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है जो अपने स्वयं के मकानों में रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के ग्रामीण निर्धनों को आवास प्रदान करने के लिए सरकार की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की चल रही इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इससे कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ङ) क्या सरकार का विचार मांग के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास इकाइयों की संख्या बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की गई दसवर्षीय जनगणना के हिस्से के रूप में आवास सूचीयन किया जाता है, जनगणना 2001 के अनुसार उनके द्वारा स्थायी, अर्द्धस्थायी अथवा अस्थायी मकान के रूप में धारित मकान के किस्म के माध्यम से परिवारों के राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला विवरण-I में संलग्न है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में 35000 रु. तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 38500 रु. की वित्तीय सहायता देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली तथा चंडीगढ़ को छोड़कर) के ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) आईएवाई के अंतर्गत रिलीज की गई धनराशि तथा विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत

लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ङ) और (च) इंदिरा आवास योजना चल रही आवंटन आधारित योजना है। योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लक्ष्य निधियों के आवंटन के आधार पर वर्ष दर वर्ष निर्धारित किये जाते हैं।

विवरण I

देश में मकानधारी परिवारों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मकानधारी परिवारों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16,8498,57
2.	अरुणाचल प्रदेश	212,615
3.	असम	4,935,358
4.	बिहार	13,982,590
5.	चंडीगढ़	201,878
6.	छत्तीसगढ़	4,148,518
7.	दिल्ली	2,554,149
8.	गोवा	279,216
9.	गुजरात	9,643,989
10.	हरियाणा	3,529,642
11.	हिमाचल प्रदेश	1,240,633
12.	जम्मू एवं कश्मीर	1,551,768
13.	झारखण्ड	4,862,590
14.	कर्नाटक	10,232,133
15.	केरल	6,595,206
16.	मध्य प्रदेश	10,919,653
17.	महाराष्ट्र	19,063,149
18.	मणिपुर	397,656
19.	मेघालय	420,246
20.	मिजोरम	160,966
21.	नागालैंड	332,050
22.	उड़ीसा	7,870,127
23.	पंजाब	4,265,156
24.	राजस्थान	9,342,294
25.	सिक्किम	104,738
26.	तमिलनाडु	14,173,626
27.	त्रिपुरा	662,023
28.	उत्तर प्रदेश	25,760,601
29.	उत्तराखंड	1,586,321
30.	पश्चिम बंगाल	15,715,915
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73,062
32.	दादरा और नगर हवेली	43,973
33.	दमन और दीव	34,342
34.	लक्षद्वीप	9,240
35.	पुडुचेरी	208,655
	कुल	191,963,935

विवरण II

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय रिलीज तथा निर्मित मकानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		केन्द्रीय रिलीज	निर्मित मकानों की सं.	केन्द्रीय रिलीज	निर्मित मकानों की सं.	केन्द्रीय रिलीज	निर्मित मकानों की सं.	केन्द्रीय रिलीज	निर्मित मकानों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	24609.65	132521	26089.14	146403	36201.00	1948861	46942.16	111721
2.	अरुणाचल प्रदेश	711.88	5327	1056.18	4600	1874.15	6422	978.43	1754
3.	असम	21465.64	104353	22544.21	125441	324429.53	150776	21612.84	47853
4.	बिहार	62437.06	331651	77769.32	349053	95693.97	430864	107681.52	265093
5.	छत्तीसगढ़	4473.57	26578	4011.28	20818	5571.39	30093	7021.45	2326
6.	गोवा	136.95	615	135.45	1115	188.12	735	155.32	442
7.	गुजरात	11959.28	65602	12721.15	65195	17668.82	110908	12551.33	34896
8.	हरियाणा	2008.33	9743	1762.99	10375	2480.72	13398	2591.55	3377
9.	हिमाचल प्रदेश	755.75	3031	629.95	3317	874.96	4029	895.31	1203
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2001.35	8231	1885.71	10667	2717.68	15361	2131.03	4162
11.	झारखण्ड	8823.34	75403	6054.58	57246	9485.46	45936	6720.80	30890
12.	कर्नाटक	9639.02	56944	9993.64	49088	13880.51	39990	9715.57	40569
13.	केरल	5169.28	36413	5557.40	30817	7718.85	37094	8423.27	24803
14.	मध्य प्रदेश	9592.17	59420	7996.44	54544	11201.37	60222	10067.16	30709
15.	महाराष्ट्र	14960.66	94274	16097.35	78427	21914.89	126117	15293.49	31532
16.	मणिपुर	876.39	4962	662.34	3460	837.46	3379	708.44	462
17.	मेघालय	918.84	6678	750.95	4183	590.62	2271	415.92	614
18.	मिजोरम	331.12	2182	294.27	2178	451.92	1918	571.86	996
19.	नागालैंड	928.20	7949	634.89	6321	1240.58	7491	1695.95	13630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उड़ीसा	15047.54	87070	15042.66	81345	20280.02	140853	13324.84	17706
21.	पंजाब	1523.88	7868	1544.07	8250	3067.91	17992	2147.37	3014
22.	राजस्थान	6494.31	38471	6617.51	33397	8888.57	42517	7949.11	14178
23.	सिक्किम	197.04	1296	194.92	1554	230.71	1533	374.02	1090
24.	तमिलनाडु	9999.13	66434	10385.44	27919	14424.69	103379	18629.00	42663
25.	त्रिपुरा	2070.92	11902	3357.26	10612	2745.03	12945	1903.92	62.13
26.	उत्तर प्रदेश	35470.31	185541	34445.43	165469	46720.92	264296	47983.20	108949
27.	उत्तराखंड	1806.85	21722	1714.48	17239	2394.68	18766	1850.57	4416
28.	पश्चिम बंगाल	19355.70	99259	20745.29	128838	26044.64	107575	23426.35	50498
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	90	0.00	62	312.73	297	45.47	49
30.	दादरा और नगर हवेली	25.78	101	0.00	77	38.07	121	0.00	41
31.	दमन और दीव	0.00	6	0.00	8	0.00	12	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	32.64	48	21.26	88	29.54	97	41.34	0
33.	पुडुचेरी	0.00	238	37.50	261	37.50	101	0.00	25
	कुल	273822.58	1551923	290753.06	1498367	388237.01	1992349	373848.59	895874

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता

2160. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वर्तमान में कितनी धनराशि की आवश्यकता है और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा बैंक-वार इस क्षेत्र को कितनी धनराशि आवंटित की जाती है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धनराशि को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की निधि आवश्यकता के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, संसद में अगस्त 2005 में घोषित, एसएमई क्षेत्र को ऋण बढ़ाने संबंधी नीतिगत पैकेज के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकार द्वारा परामर्श दिया गया था कि वे 20% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हासिल करें, जिसे 2009-10 तक, यथा 5 वर्ष की अवधि में, दोगुना करना है। मार्च 2008 में समाप्त वर्ष में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एसएमई को ऋण की प्रगति मार्च 2007 की अपेक्षा 34.33% की वृद्धि दर्शाती है। सितम्बर 2007 की अपेक्षा सितम्बर 2008 में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 24.38% रही है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु और मध्यम उद्यमों को दिया गया बैंक-वार बकाया ऋण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

बैंक	एसएमई अग्रिम				
	सितम्बर, 07	मार्च, 08	सितम्बर, 08	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (सितंबर 08) (%)	मार्च, 08 से सितंबर 08 तक वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद बैंक	4,134	4,610	4,870	17.79	5.64
आंध्रा बैंक	3,664	3,989	4,491	22.57	12.58
बैंक ऑफ बड़ौदा	10,218	11,808	12,684	24.13	7.42
बैंक ऑफ इंडिया	17,786	20,400	22,388	25.87	9.75
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2,188	2,642	2,875	31.40	8.82
केनरा बैंक	16,385	18,600	20,321	24.02	9.25
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5,503	5,983	5,796	5.32	(3.13)
कार्पोरेशन बैंक	3,627	4,025	4,454	22.80	10.666
देना बैंक	3,412	3,885	3,960	16.06	1.93
इंडियन बैंक	3,573	4,355	5,162	44.47	18.53
इंडियन ओवरसीज बैंक	6,575	7,541	7,958	21.03	5.53
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5,647	6,228	6,498	15.07	4.34
पंजाब नेशनल बैंक	15,375	18,198	18,948	23.24	4.12
पंजाब एवं सिंध बैंक	2,153	3,015	3,541	64.44	17.44
सिंडिकेट बैंक	4,734	5,419	5,934	25.35	9.50
यूको बैंक	5,605	6,710	7,061	25.96	5.22
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10,563	12,242	13,884	31.44	13.41
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2,430	2,904	3,171	30.49	9.19
विजया बैंक	2,959	3,468	4,118	39.17	18.74
(राष्ट्रीयकृत बैंक)	**126,532**	**146,022**	**158,113**	**24.96**	**8.28**
भारतीय स्टेट बैंक	65,605	74,039	79,294	20.87	7.10

1	2	3	4	5	6
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर	2,885	3,668	3,674	27.35	0.16
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4,377	5,042	5,477	25.13	8.63
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2,038	2,405	3,139	54.02	30.51
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1,977	2,261	2,425	22.66	7.25
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3,754	4,707	5,433	44.73	15.42
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4,003	3,338	4,655	16.28	39.45
एसबीआई समूह	**84,639**	**95,460**	**104,096**	**22.99**	**9.05**
आईडीबीआई बैंक	1,948	2,314	2,873	47.48	24.16
(सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल)	**213,119**	**243,796**	**265,083**	**24.38**	**8.73**

नशीली दवाओं के जागरूकता अभियान

2161. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरे देश में स्कूली बच्चों में नशीली दवाओं के उपयोग के विरुद्ध कोई जागरूकता अभियान आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अभियान/कार्यक्रम अब तक किन-किन राज्यों में आयोजित किये गये हैं; और

(घ) उक्त अभियान/कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को कहां तक पूरा कर पाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 26 जून, 2008 को नशीली दवाओं के उपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय विषय पर देश भर में स्कूली बच्चों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग के विरुद्ध जागरूकता अभियान आयोजित किया था। कार्यक्रम में जन रैलियां, पदयात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, लघु नाटक, वाद-विवाद, स्कूलों में पोस्टरों का प्रदर्शन, सिनेमाओं में स्लाइडें तथा मोबाईल सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एसएमएस संदेश शामिल थे। इन कार्यकलापों में गैर सरकारी संगठनों और नशा मुक्ति केन्द्रों को भी शामिल किया गया था।

(ग) जिन राज्यों में ऐसे अभियान/कार्यक्रम आयोजित किये गये, वे हैं:

(1) मणिपुर
(2) पश्चिम बंगाल
(3) हिमाचल प्रदेश
(4) चंडीगढ़
(5) गुजरात
(6) दिल्ली
(7) महाराष्ट्र
(8) जम्मू और कश्मीर
(9) तमिलनाडु
(10) कर्नाटक
(11) केरल
(12) गोवा

(13) उड़ीसा

(14) मध्य प्रदेश

(15) आंध्र प्रदेश

(16) राजस्थान

(घ) यह महसूस किया गया है कि अभियान/कार्यक्रम का लक्ष्य पर्याप्त रूप में पूरा हुआ है और इसे अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा।

[हिन्दी]

नवजात शिशुओं की चोरी रोकना

2162. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश के विभिन्न अस्पतालों से नवजात शिशुओं की चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से नवजात शिशुओं के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

समृद्ध अवैध कालोनियों पर माथुर समिति की रिपोर्ट

2163. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में समृद्ध अवैध कॉलोनियों के लिए गठित माथुर समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति को किस तिथि को गठित किया गया था तथा इसने अपनी रिपोर्ट किस तारीख को सौंपी है; और

(घ) उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) समिति ने समृद्ध वर्गों के निवास वाली सैनिक फार्म और अनन्तराम डेरी कालोनी जैसी अनधिकृत कालोनियों के नियमन की वांछनीयता/व्यवहार्यता के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की हैं, इसके साथ-साथ उनके संबंध में मानदण्डों, शर्तों और निबंधनों तथा तौर तरीकों से संबंधित सुझाव भी दिये हैं। अनधिकृत विकासों को रोकने के लिए समिति ने सुझाव और टिप्पणियां भी की हैं।

(ग) समिति दिनांक 25.7.2006 को गठित की गई थी तथा दिनांक 29.12.2006 को इसने अनपी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(घ) इस रिपोर्ट को संबंधित विभागों/संगठनों को उनके दृष्टिकोण/टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है। सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेना उन सभी विभागों से टिप्पणियां/दृष्टिकोण प्राप्त होने पर निर्भर करता है, जिसके लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

एसईजेड में एमएटी लगाया जाना

2164. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में औद्योगिक इकाइयों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं/की जा रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आईबीए का अभ्यावेदन

2165. श्री पी.सी. थामस: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन की मांग काफी समय से लंबित है;

(ख) क्या भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो आईबीए द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1995 में, अंशदायी भविष्य निधि के बदले, पेंशन आरम्भ की गई थी। बैंक कर्मचारियों को, अंशदायी भविष्य निधि के बदले, पेंशन विकल्प का प्रयोग, पेंशन योजना की अधिसूचित तिथि अर्थात् 29 सितम्बर, 1995 से 120 दिनों की अवधि के अन्दर करना अपेक्षित था। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स द्वारा उठाई गई एक मांग, उन बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन के अन्य विकल्प की हैं, जिन्होंने 1995 में पेंशन का विकल्प नहीं चुना था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीएजी के माध्यम से लेखापरीक्षा का विस्तार

2166. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड
श्री मधु गौड़ यास्खी:
श्री के.एस. राव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्थव्यवस्था प्रमुख अवसंरचना तथा अन्य क्षेत्रों में आज की तारीख तक बनाई गई सरकारी-निजी-सहभागी परियोजनाओं में पालन किये जाने वाली वित्तपोषण तथा लेखा प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को अवसंरचना परियोजनाएं विकसित करने वाली निजी फर्मों को अनुचित लाभ देने के संबंध में कोई जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर विकसित अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों की परियोनजाओं की समुचित लेखा परीक्षा हेतु नई तकनीकें एवं पद्धतियां विकसित करने तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से सार्वजनिक लेखापरीक्षा का विस्तार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अर्जन आधारित लेखांकन के संबंधी में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) केन्द्र सरकार पीपीपी परियोजनाओं की परियोजना लागत के 20 प्रतिशत भाग का अर्थक्षम अन्तर निधियन (वीजीएफ) के रूप में वित्तपोषण कर सकती है। प्रायोजक मंत्रालय/राज्य सरकार/सांविधिक निकाय परियोजना के मालिक के तौर पर परियोजना लागत के और 20 प्रतिशत तक सीमित सहायता मुहैया करा सकता है। शेष राशि का वित्तपोषण निजी विकासकर्त्ता द्वारा ऋण/इक्विटी स्रोत के उपयोग द्वारा किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय की वैबसाइट www.pppindiadatabase.com पर उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 1,35,876 करोड़ रुपये की सम्मिलित परियोजना लागत से हवाईपत्तन, पत्तन और शहरी विकास, रेलवे, सड़क और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कुल 300 पीपीपी परियोजनाएं चालू हैं।

पीपीपी परियोनजाओं के संबंध में कोई विशेष सरकारी लेखा प्रक्रियाएं विहित नहीं हैं। जहां केन्द्र अथवा राज्य सरकार इन परियोजनाओं में नकद में निवेश करती है उसे सरकारी खाते में विधिवत् दर्शाया जाता है। सरकार को पीपीपी परियोजना से प्रवाहित किसी राजस्व को भी सरकारी खाते में नकद प्राप्ति के रूप में दर्शाया जाएगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) अवसंरचना, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में सरकारी निजी सहभागी परियोजनाओं की बढ़ती हुई भूमिका के मद्देनजर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस समय पीपीपी

परियोजनाओं की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रणालियों के अनुरूप दिशा-निर्देश विकसित कर रहे हैं।

(च) बारहवें वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार धीरे-धीरे अर्जन आधारित लेखांकन की ओर अग्रसर हो। सरकार से इस सिफारिश को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। अर्जन लेखांकन पद्धति के परिवर्तन मार्ग के लिए सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड द्वारा रूपरेखा तैयार की गई है।

'पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन'

2167. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हेग के 'पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिटट्रेशन (पीसीए)'' के साथ दिल्ली में एक क्षेत्रीय केन्द्र खोलने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) इससे देश को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां। सरकार ने स्थायी माध्यस्थम् न्यायालय (पीसीए) की भारत में क्षेत्रीय सुविधा प्रारंभ करने के लिए स्थायी माध्यस्थम् न्यायालय, हेग के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) इस करार के मुख्य निबंधन और शर्तें इस प्रकार हैं, (1) भारत माध्यस्तम, मध्यक्ता, सुलह और तथ्यों का पता लगाने वाले जांच आयोगों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान कराने में और सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों और अन्य इकाईयों को अन्य समुचति सहायता प्रदान करने में पीसीए के कार्य को सुकर बनाने के लिए पीसीए का मेजबान देश होगा। (2) भारत सरकार पीसीए के लिए कार्यालय, सचिवीय सेवाओं आदि को प्राप्त करना भी सुकर बनाएगी। पीसीए, इसके पदधारियों और न्यायनिर्णायक अधिकारियों को वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी, जो यू.एन. अभिसमय के अनुच्छेद 5 के अनुरूप भारत में यू.एन. के पदधारियों को प्रदान किये गये हैं। तथापि, पीसीए का महासचिव यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पूर्वावधानी लेगा कि इन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो और भारत गणराज्य की विधियों के अनुसार आवासीय बाध्यताओं के दुरुपयोग या अतिलंघन के मामले में, सरकार लागू राजनयिक प्रक्रिया के अनुसार संबद्ध व्यष्टियों से देश को छोड़ने की अपेक्षा कर सकेगी। (3) भारत गणराज्य पर पीसीए या उसके पदधारियों के किन्हीं कार्यों या लोपों के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व उपगत नहीं करेगा। (4) बातचीत द्वारा किसी विवाद का समाधान न होने की दशा में, उसका समाधान पीसीए वैकल्पिक नियमों के अनुसार अंतिम और बाध्यकर माध्यस्थम द्वारा किया जाएगा। (5) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष मध्यस्थों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। (6) सरकार और पीसीए के बीच हस्ताक्षरित करार को उनकी परस्पर सहमति से या किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को समाप्त होने की प्रभावी तारीख से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा।

(ग) नई दिल्ली में क्षेत्रीय सुविधा की स्थापना भारत के लिए फायदाप्रद होगी। यह क्षेत्र में उद्भूत होने वाले विवादों, दो राज्यों के बीच होने वाले विवादों तथा किसी राज्य और गैर-राज्य इकाई, जैसे कि ऐसी कोई विदेशी कंपनियां, जिन्होंने क्षेत्र में निवेश किये हैं, के बीच होने वाले विवादों के संबध में अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय माध्यस्तम की लागत में कमी आएगी, जो विवाद समाधान के एक साधन के रूप में माध्यस्थम् की बार-बार सुविधा लेने को भी प्रोत्साहन देगी। यह भारत से और अधिक विधि विशेषज्ञों को क्षेत्रीय सुविधा के तत्वावधान में आयोजित माध्यस्थमों में भाग लेने में और इस क्षेत्र में विशेषज्ञता अर्जित करने में समर्थ बनाएगी, जिसका घरेलू माध्यस्थम् पर भी फायदाग्राही प्रभाव होगा।

निजी बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

2168. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान पॉलिसी धारकों/गैर-सरकारी संगठनों से निजी बीमा कंपनियों के ठीक से काम न करने तथा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा शिकायतों को दूर करने में असफलता के बारे में शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रवृत्ति क्या है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी बीमा कंपनियां अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से कोई न कोई बहाना बनाकर दावों के निपटान में सामान्यतः विलम्ब कर देती है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2007-08 के दौरान, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ने निजी बीमा कंपनियों से संबंधित जीवन संबंधी खंड में 1406 तथा गैर-जीवन संबंधी खंड में 890 शिकायतों की जांच-पड़ताल की।

(ख) ये शिकायतें सामान्यत: प्रीमियम के समायोजन, पालिसी व्यवस्था, पालिसी दावों, गलत दावों तथा कमीशन की अदायगी नहीं किये जाने, अनापत्ति प्रमाणपत्र को जारी नहीं किये जाने, एजेंसी की समाप्ति, आदि के संबंध में अभिकर्त्ताओं से प्राप्त शिकायतों सहित मामलों से संबंधित थीं।

(ग) ये दावे सामान्यत: बीमा कंपनियों द्वारा तत्परता से निपटाए जाते हैं। तथापि, जटिल मामले और जिनमें जांच-पड़ताल की आवश्यकता होती है उनमें कुछ विलंब होता है।

(घ) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2002 में पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए विनियम अधिसूचित किये हैं। इन विनियमों द्वारा सभी बीमाकर्त्ताओं द्वारा पालिसीधारकों की शिकायतों और परेशानियों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना अपेक्षित है। बीमा कंपनियों से पालिसीधारकों को लोकपाल के बारे में विवरण भेजा जाना अपेक्षित है। आईआरडीए कंपनियों में प्रणाली की निगरानी कर रहा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये विनियम प्रभावी रूप से लागू हैं। बीमा कंपनियों के विरुद्ध पालिसी धारकों, बीमा बिचौलियों तथा विभिन्न आय स्रोतों से प्राप्त शिकायतें भी पंजीकृत की जाती हैं और उन पर नजर रखी जाती है।

आर.जी.पी.पी.एल.

2169. **श्री बालासोबरी वल्लभनेनी:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लिमिटेड (आर.जी.पी.पी.एल.) गैस उपलब्ध न होने के कारण बंद होने के कगार पर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी नहीं। वर्तमान में, रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) ने 1.4 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) पुन: गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की वर्तमान आवश्यकता की तुलना में, सितंबर, 2009 तक 5.4 मिलियन मानक घनमीटर प्रतिदिन आरएलएनजी का समझौता पेट्रोनेट दाहेज से किया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विदेशी ऋण जुटाने हेतु अनुमति

2170. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री उदय सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू अवसंरचना कंपनियों के लिए उनकी परियोजनाओं हेतु विदेशी धनराशि जुटाना सरल कर दिया है जैसाकि दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन भारतीय कंपनियों ने विदेशी ऋणों की मांग की है;

(ग) वित्तपोषण करने वाली एजेंसियों के ब्यौरे सहित अब तक कंपनी-वार कितना विदेशी ऋण प्राप्त किया गया है; और

(घ) संबंधित परियोजनाओं के लिए इन निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति में 22 सितम्बर, 2008 को संशोधन किया गया। क्षेत्र की निधियन संबंधी भारी आवश्यकताओं को देखते हुए, विशेषकर रुपया व्यय की पूर्ति के लिए, अवसंरचना क्षेत्र के उधारकर्त्ताओं के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत रुपया व्यय के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 500 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया। ईसीबी नीति की और समीक्षा करने पर तथा देश में खनन विकास, अन्वेषण और शोधन क्षेत्रों के संवर्धन हेतु 8 अक्तूबर, 2008 से ईसीबी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अवसंरचना क्षेत्र की परिभाषा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। इसके

अतिरिक्त, उभरती वृहत आर्थिक स्थिति, बदलती बाजार दशाएं और विदेशी क्षेत्र के घटनाक्रमों, क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा अनुभव से सीख के मद्देनजर ईसीबी नीति में 22 अक्तूबर, 2008 को और संशोधन किया गया जिससे कि स्वचालित मार्ग के तहत सभी अनुमेय अंतिम उपयोगों के लिए रुपया व्यय तथा/अथवा विदेशी मुद्रा व्यय के लिए प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति दी जा सके।

(ख) और (ग) अवसंरचना क्षेत्र की उन कंपनियों का जिनका ईसीबी वर्ष 2008-09 (31 अक्तूबर, 2008 तक) के दौरान रिजर्व बैंक में पंजीकृत हैं, विवरण संलग्न हैं।

(घ) ईसीबी निधियों का अंतिम उपयोग ईसीबी संबंधित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट है। इसके अलावा, अंतिम उपयोग को उधारकर्ता द्वारा रिजर्व बैंक को फॉर्म ईसीबी-2 में प्रस्तुत की गई मासिक रिपोर्ट जो कंपनी सचिव/सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित तथा नामित प्राधिकृत डीलर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, के माध्यम से मानीटर किया जाता है। यह सुनिश्चित करना कि मांगे गए/उपयोग किये गये ईसीबी, ईसीबी दिशानिर्देशों तथा रिजर्व बैंक के विनियमों/निर्देशनों के अनुरूप हैं, संबंधित उधारकर्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व है तथा ईसीबी दिशा-निर्देशों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाता है और उस पर एफइएमए (फेमा) 1999 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

2008-09 में भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत अवसंरचना के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार

वर्ष 2008-09 (31 अक्तूबर, 2008 तक) के लिए दूरसंचार क्षेत्र के ब्यौरे

महीना-वर्ष	वर्ष	नाम	"क्रेड" नाम	अमरीकी डालर में राशि
1	2	3	4	5
अप्रैल 08	2008	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट कनाडा	250,000,000.00
अप्रैल 2008		रिलांयस कम्युनिकेशन्स लि.	एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट कनाडा	150,000,000.00
अप्रैल 08	2008	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	एच.एस.बी.सी. फ्रांस	50,000,000.00
अप्रैल 08	2008	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	एच.एस.बी.सी. फ्रांस	150,000,000.00
जून 08	2008	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	चाइना डेवलेपमेंट बैंक	750,000,000.00
जून 08	2008	केबल एंड वायरलेस नेटवर्क इंडिया प्रा.लि.	केबल एंड वायरलेस रीजनल बिजनेस सिंग पीटीई	10,000,000.00
जून 08	2008	आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लि.	इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन	40,000,000.00
जून 08	2008	आईडिया सेल्युलर लि.	इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन	210,000,000.00
सितम्बर 08	2008	जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	डीईजी-ड्यूश इन्वेस्टेशंस एंड जर्मनी	25,000,000.00
सितम्बर 08	2008	जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला	150,000,000.00
			योग	1,785,000,000.00

वर्ष 2008-09 (31 अक्तूबर, 2008 तक) के लिए खनन, अन्वेषण और शोधन के ब्यौरे

अक्तू. 08	2008	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	नोरदीया बैंक ए.वी. स्वीडन	100,000,000.00
अक्तू. 08	2008	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	बैंक ऑफ टोकियो मितसुबिसी	300,000,000.00
			योग	400,000,000.00

1	2	3	4	5
		वर्ष 2008-09 (31 अक्तूबर, 2008 तक) के लिए विद्युत क्षेत्र के ब्यौरे		
अप्रैल 08	2008	कोस्टल गुजरात पावर लि.	एशियन डेवलेपमेंट बैंक, मनीला	250,000,000.00
अप्रैल 08	2008	कोस्टल गुजरात पावर लि.	इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन	450,000,000.00
अप्रैल 08	2008	कोस्टल गुजरात पावर लि.	एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया	500,000,000.00
अप्रैल 08	2008	कोस्टल गुजरात पावर लि.	एशियन डेवलेपमेंट बैंक, मनीला	200,,000,000.00
अप्रैल 08	2008	कोस्टल गुजरात पावर लि.	बीएनपी परिवास, सिंगापुर ब्रांच	326,656,000.00
अगस्त 08	2008	सीईएससी लि.	आईसीआईसीआई बैंक लि. हांगकांग	16,000,000.00
अगस्त 08	2008	आर्यन कोल बेनिफिकेशंस प्रा.लि.	इंडियन ओवरसीज बैंक, हांगकांग	80,000,000.00
अगस्त 08	2008	अरेवा टी एंड डी इंडिया लि.	अरेवा टी एंड डी एस.ए.	19,520,497.28
अगस्त 08	2008	बीपी इनर्जी इंडिया प्रा.लि.	बीपी होल्डिंग्स इंटरनेशनल बी.वी.	102,234,638.41
			योग	1944,411,135.69
		वर्ष 2008-09 (31 अक्तूबर, 2008 तक) के लिए अन्य अवसंरचना के लिए ब्यौरे		
अप्रैल 08	2008	धरती ड्रेजिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	जंग हसिंग मैरीन कंस्ट्रक्शन कं. लि.	45,170,000.00
सितम्बर 08	2008	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपो. लि.	सिंडिकेट लोन फ्राम बैंक ऑफ बड़ौदा	325,000,000.00
			योग	370,1700,000.00

विवरण में दिये गये आंकड़े रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में कंपनी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार हैं। आवेदन पत्र उधारकर्ता के आर्थिक क्षेत्र को ग्रहण करता है लेकिन क्षेत्र-वार अंतिम उपयोग को ग्रहण नहीं करता।

लघु वित्त हेतु नई वित्तीय सेवाएं

2171. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण शिल्पियों, शिल्पकारों और कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए नई वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार द्वारा तीन निधियां गठित की गई हैं, नामत:

(1) देश में व्यष्टि-बीमा मध्यक्षेपों की क्षमताओं को बढ़ाने और उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से व्यष्टि वित्त विकास तथा इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ);

(2) वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विकासात्मक और संवर्द्धनात्मक मध्यक्षेपों की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ); तथा

(3) वित्तीय समावेशन के लिए तकनीकी अपनाने की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन तकनीकी निधि (एफआईटीएफ)।

बीपीएल सूची को अंतिम रूप देना

2172. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री टेक लाल महतो:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री के.एस. राव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इस मामले में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की सूची का कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या सूची तैयार करने में हुई विसंगतियों संबंधी शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने बीपीएल सूची के सत्यापन के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी को छोड़कर शेष सभी राज्यों द्वारा बीपीएल जनगणना, 2002 के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों (बीपीएल) की सूची को अंतिम रूप दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ क्योंकि पीयूसीएल बनाम भारत सरकार वाद में वर्ष 2001 की रिट याचिका सं. 196 की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने एक स्थगन आदेश जारी किया था। इस स्थगन आदेश को 14.2.2006 को हटा लिया गया तथा बीपीएल जनगणना के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, कुछ राज्यों में बीपीएल सूची को ग्राम सभाओं के अनुमोदन की जरूरत पूरी करने में काफी समय लगा। आगे दिशानिर्देशों के अनुसार लोक शिकायतों के निवारण के लिए एक द्विस्तरीय अपील तंत्र भी उपलब्ध कराया गया था। कई राज्यों में भारी संख्या में अपीलें प्राप्त हुई जिनके निपटारे में काफी समय लगा। बीपीएल जनगणना 2002 अंक आधार पर परिवारों की रैंकिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए की गई थी तथा राज्यों को योजना आयोग द्वारा दर्शाये गये अनुसार उस राज्य में गरीबों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए विभेदक अंक के विषय में निर्णय लेना था। कई राज्यों ने विभेदक अंक के विषय में निर्णय लेने में समय लिया। मंत्रालय इस मामले को सतत रूप से उच्चतम स्तर तक उठाता रहा है तथा राज्यों को बीपीएल सूची को प्राथमिकता आधार पर अंतिम रूप देने के लिए कहता रहा है। बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिये जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों, नोडल अधिकारियों की बैठकों इत्यादि जैसे मंचों का प्रयोग किया जाता है।

(घ) और (ङ) बीपीएल सूची में अपनी स्थिति से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण के लिए बीपीएल जनगणना, 2002 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक द्विस्तरीय अपील तंत्र उपलब्ध कराया गया। पहली अपील तहसीलदार अथवा एसडीएम, जैसी भी स्थिति हो, के पास दायर की जा सकती है। यदि वह अब भी संतुष्ट न हो तो दूसरी तथा अंतिम अपील कलक्टर के पास दायर की जा सकती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करना/निकालना

2173. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल/बाहर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जी, हां। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अनुसूचित जनजातीय समुदायों को समय-समय पर शामिल/बाहर किया जाता है। हाल ही में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश दिनांक 7.1.2003 (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की सं. 10) दिनांक 8.1.2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित विभिन्न राज्य क्षेत्रों में समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

2174. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री काशीराम राणा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत ऋण मुहैया कराने के लिए बैंकों को क्या दिशानिर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण संवितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बैंकों में ऋण हेतु कितने आवेदन लंबित है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निवेशक सुरक्षा कोष का उपयोग

2175. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवेशकों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए दो अलग-अलग कोषों की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कोषों के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग में निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रावधान है, जिसे 31.10.1998 से कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा शुरू किया गया था। कोष का संचालन निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (निवेशक जागरूकता और सुरक्षा) नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अनुसार एक समिति द्वारा किया जाता है। केन्द्र/राज्य सरकारों/कंपनियों द्वारा कोष में दिये गये विशिष्ट अनुदानों और दानों तथा कोष के निवेश द्वारा सृजित आय के साथ-साथ अदावित लाभांशों, अनुप्रयोग कोषों, परिपक्व जमाराशियों और ब्याज को, जो 7 वर्षों से अधिक समय से अदावित पड़े हैं, इस कोष में जमा किया जाता है। इस कोष का उपयोग संगोष्ठियों, मीडिया कार्यक्रमों के संचालन द्वारा निवेशकों को शिक्षित करने और उनके बीच जागरूकता लाने, निवेशक सुरक्षा के कार्य में लगे विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय करने, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा आईईपीएफ के तहत पंजीकृत संगठनों के माध्यम से अनुसंधान कार्यकलापों आदि के निधियन के लिए किया जाता है।

बजट 2006-07 में एक निवेशक सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसका निधियन सेबी द्वारा वसूले गये दंडों और शास्तियों द्वारा किया जाना था। सेबी ने दिनांक 23 जुलाई, 2007 के प्रशासनिक आदेश द्वारा एक "निवेशक सुरक्षा और शिक्षा कोष" की स्थापना की है। सेबी की सामान्य निधि से निवेशक सुरक्षा और शिक्षा कोष के लिए 10 करोड़ रुपये की प्रारंभिक संचित राशि अलग रखी गई है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण

2176. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत की गई ऋणराशि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की स्वीकृत की गई ऋण राशि की तुलना में गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कहीं अधिक ऋण राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को ऋण देने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को उनके समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना आवश्यक है। मार्च, 2008 के रिपोर्ट किये जाने वाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार पीएसएल का प्रतिशत एससीबी 44.82 रहा, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा है।

[हिन्दी]

बैंकों की निष्पादनकारी आस्तियां और लाभ

2177. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) के कारण बैंकों के लाभ में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के लिए कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग-अलग घोषित गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने और उनका लाभ बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, नहीं। विगत तीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के निवल लाभ ने बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दर्शाई है। विगत तीन वर्ष के लिए एससीबी के कृषि क्षेत्र में निवल लाभ, सकल एवं निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

मद	मार्च, 2006	मार्च, 2007	मार्च, 2008
निवल लाभ	24,582	31,203	42,719
सकल एनपीए	51,097	50,486	56,668
निवल एनपीए	18,543	20,101	24,675
कृषि क्षेत्र में सकल एनपीए	6.718	7,367	9,736

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के एनपीए के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ङ) एनपीए को घटाने, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता सुधारने और एक बेहतर वसूली परिवेश बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने कई कदम उठाये हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के प्रावधानीकरण एवं वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करना, ऋणों को अनुप्योज्य आस्तियों में जाने से रोकने हेतु दिशानिर्देश, कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र का प्रारंभ, एकबारगी निपटान योजनाएं, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002, ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (डीआरटी) अधिनियम, 1993 का अधिनियमन, आदि शामिल हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंक अपनी ऋण वसूली नीतियों के अनुसार अपने एनपीए की वसूली के लिए समुचित उपाय करते हैं।

इसके अलावा, भारत में एक अधिक स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र सुनिश्चित करने, बैंकों की कार्यक्षमता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता बढ़ाने और उनके पणधारकों एवं जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने, सरकार द्वारा उठाये गये व्यापक कदमों के अलावा, जोखिम आधारित विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण सुदृढ़ करने, बासेल समिति के मानदंडों की तर्ज पर पंजी पर्याप्तता मानकों की शुरुआत, प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान निपटान प्रणाली स्थापित करने, बैंकों को अपने ग्राहकों को सेवाएं देने में प्रौद्योगिकी का और अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने, आदि के लिए उपाय निर्धारित किये हैं। एससीबी का निवल लाभ, वर्ष 2005-06 में इन बैंकों के निवल लाभ की तुलना में, वर्ष 2007-08 में लगभग 74% बढ़ गया।

[अनुवाद]

पेयजल के लिए विदेशी सहायता

2178. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उसके ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने कोई विदेशी सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार शुद्ध पेयजल हेतु सहायता मुहैया कराने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चलायी गयी परियोजनाओं का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें स्वयं के तथा केन्द्र से उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिए किसी भी समय सहायता की मांग करती हैं। इन प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा विदेशी सहायता/ऋण के लिए संबंधित देश/विदेशी संगठन को भेजा जाता है।

(ख) और (ग) जर्मनी तथा जापान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सहायता दे रहे हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना, राजस्थान; ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना, महाराष्ट्र तथा ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल जर्मनी की सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना, केरल तथा होगेनक्कल जल आपूर्ति परियोजना, तमिलनाडु जापान की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज

2179. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री गणेश सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नई हाइडल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के कारण राज्य-वार कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विस्थापित व्यक्तियों के लिए कोई पुनर्वास पैकेज तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुनर्वास पैकेज कब तक लागू होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय/राज्य/निजी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों/व्यक्तियों की संख्या के संबंध में परियोजना-वार विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) ने अपने दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 के संकल्प द्वारा राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति (एनआरआरपी), 2007 को अधिसूचित किया है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए ग्राह्य न्यूनतम पैकेज और इस नीति के विस्तृत उद्देश्य संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं। तथापि, राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या एजेंसियों, तथा अन्य अपेक्षित निकायों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे एनआरआरपी, 2007 में निर्धारित मानदंडों से अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार एक नई जल विद्युत नीति, 2008 भी घोषित कर चुकी है, जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कुछ अतिरिक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के प्रावधान रखे गये हैं। नई जल विद्युत नीति, 2008 में अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-III में दी गई हैं। उपर्युक्त दोनों पुनर्वास पैकेजों का कार्यान्वयन किया गया है और वे प्रभावी हैं।

विवरण I

कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाएं-विस्थापित परिवार

(नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत परियोजनाओं को छोड़कर)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (सं.×मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन (मे.वा.)	विस्थापित परिवार/व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	पार्वती चरण-2 (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	4×200	800.00	23 परिवार
2.	चमेरा-3 (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	3×77	231.00	सून्य
3.	पार्वती-3 (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	4×130	520.00	59 परिवार

1	2	3	4	5	6	7
4.	कोलडैम (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	4×200	800.00	अनुपलब्ध
5.	रामपुर (एसजेवीएनएल)	केन्द्रीय	हिमाचल प्रदेश	6×68.67	412.00	29 परिवार
6.	उहल-3	राज्य	हिमाचल प्रदेश	3×33.33	100.00	शून्य
7.	सवारा कुडु	राज्य	हिमाचल प्रदेश	3×36.6	110.00	3 परिवार
8.	अलाइन दुर्हगन	निजी	हिमाचल प्रदेश	2×96	192.00	शून्य
9.	करछम वांगटू	निजी	हिमाचल प्रदेश	4×250	1000.00	243 व्यक्ति
10.	दुग्धिल	निजी	हिमाचल प्रदेश	2×35	70.00	अनुपलब्ध
11.	मलाना-2	निजी	हिमाचल प्रदेश	2×50	100.00	शून्य
12.	सोरांग	निजी	हिमाचल प्रदेश	2×50	100.00	अनुपलब्ध
13.	उड़ी-2 (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	जम्मू और कश्मीर	4×60	240.00	46 परिवार
14.	सेवा-2 (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	जम्मू और कश्मार	3×40	120.00	68 परिवार
15.	चुटक (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	जम्मू और कश्मीर	4×11	44.00	2 परिवार
16.	निम्मू बाजगो (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	जम्मू और कश्मीर	3×15	45.00	शून्य
17.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	केन्द्रीय	उत्तराखंड	4×100	400.00	77 परिवार
18.	लोहरीनागपाला (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	उत्तराखंड	4×150	600.00	उपलब्ध
19.	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	उत्तराखंड	4×130	520.00	अनुपलब्ध
20.	श्रीनगर	निजी	उत्तराखंड	4×82.5	330.00	अनुपलब्ध
21.	महेश्वर	निजी	मध्य प्रदेश	10×40	400.00	9459 व्यक्ति
22.	प्रियदर्शिनी जुराला	राज्य	आंध्र प्रदेश	6×39.1	156.00	शून्य
23.	नागार्जुन सागर टीआर	राज्य	आंध्र प्रदेश	2×25	50.00	शून्य
24.	पुलिचिंटाला	राज्य	आंध्र प्रदेश	4×30	120.00	अनुपलब्ध
25.	लोअर जुराला	राज्य	आंध्र प्रदेश	6×40	240.00	शून्य
26.	कुट्टियाडी अतिरिक्त विस्तार	राज्य	केरल	2×50	100.00	शून्य
27.	पाल्लीवासल	राज्य	केरल	3×20	60.00	शून्य
28.	वाराही विस्तार	राज्य	कर्नाटक	2×115	230.00	शून्य
29.	भवानी बैराज-2	राज्य	तमिलनाडु	2×15	30.00	शून्य
30.	भवानी बैराज-3	राज्य	तमिलनाडु	2×15	30.00	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
31.	तीसरा लो बांध-3 (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	पश्चिम बंगाल	4×33	132.00	9 परिवार
32.	तीस्ता लो बांध चरण-4 (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	पश्चिम बंगाल	4×40	160.00	शून्य
33.	चुजाचेन	निजी	सिक्किम	2×49.5	99.00	शून्य
34.	तीस्ता चरण-3	निजी	सिक्किम	6×200	1200.00	शून्य
35.	तीस्ता चरण-6	निजी	सिक्किम	4×125	500.00	अनुपलब्ध
36.	रंगित-4	निजी	सिक्किम	3×40	120.00	अनुपलब्ध
37.	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	अरुणाचरल प्रदेश	8×250	2000.00	77 परिवार
38.	कामेंग (नीपको)	केन्द्रीय	अरुणाचल प्रदेश	4×150	600.00	355 व्यक्ति
39.	मिन्टूडु	राज्य	मेघालय	2×42	84.00	शून्य
40.	न्यू उम्टू	राज्य	मेघालय	2×20	40.00	शून्य

विवरण II

ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) ने अपने दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 के संकल्प द्वारा राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति (एनआरआरपी), 2007 को अधिसूचित किया है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए ग्राह्य न्यूनतम पैकेज और इस नीति के विस्तृत उद्देश्य नीचे दिये गये हैं।

- पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लाभ सभी प्रभावित परिवारों को प्रदान किये जाएंगे जो पैकेज प्रकाशन की तारीख को प्रभावित परिवारों के रूप में पात्रता रखते हों।
- वह प्रभावित परिवार, जिसका आवास अधिग्रहीत कर लिया गया है या नष्ट हो गया है, को ग्रामीण क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर अथवा शहरी क्षेत्रों में 150 वर्ग मीटर, वास्तविक हानि की सीमा तक सीमित क्षेत्र, नि:शुल्क गृह भूमि आवंटित की जोगी।
- बिना आवास की भूमि वाले गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक प्रभावित परिवार तथा कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक लगातार प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग मीटर कारपोरेट क्षेत्र के घर के हकदार होंगे।
- प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि वाला प्रत्येक परिवार और जिस परिवार की भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है या नष्ट हो गई है, ऐसे प्रभावित परिवार के खातेदार के नाम से सिंचित भूमि का एक हेक्टेयर या असिंचित भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि का दो हेक्टेयर परिवार के खातेदार को, वास्तविक भूमि हानि की सीमा तक कृषि योग्य बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि आवंटित की जाए।

उद्देश्य

(1) विस्थापन को कम करना तथा गैर-विस्थापन या कम विस्थापन वाले विकल्पों को जहां तक हो सके प्रोत्साहित करना।

(2) प्रभावित परिवारों की सक्रिय भागीदारी से, पर्याप्त पुनर्स्थापन पैकेज तथा पुनर्स्थापन प्रक्रिया के तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

(3) यह सुनिश्चित करना कि समाज के कमजोर तबकों, विशेषतया अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए और उनकी समस्या निराकरण के प्रति चिंता एवं संवेदना के साथ अनुग्रहात्मक व्यवहार बनाये रखा जाए।

(4) प्रभावित परिवारों को सतत आय प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करना, और अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना।

(5) विकास आयोजना और इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया में पुनर्स्थापन संबंधी मुद्दों को एकीकृत करना।

(6) जहां विस्थापन, भूमि अधिग्रहण के कारण है, वहां अपेक्षित निकाय तथा प्रभावित परिवारों के बीच आपसी समन्वय के माध्यम से सौहार्दपूर्ण संबंधों को सुगम बनाना।

विवरण III

नई जल विद्युत नीति, 2008 के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं हेतु अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर. एंड आर.) प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं:

1. विस्तार क्षेत्र

चाहे केवल एक ही परिवार जल विद्युत परियोजना के विकास द्वारा प्रभावित हो, निम्नलिखित प्रावधान तब भी लागू होंगे।

2. परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की परिभाषा

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) का अर्थ होगा, वह परिवार जिसका निवास स्थान या अन्य सम्पत्ति, या आजीविका का साधन जल परियोजना के विकास द्वारा प्रभावित हुआ हो और जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना की घोषणा की तारीख से 2 वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में रह रहा हो। प्रभावित परिवार में आबादकार (स्क्वॉटर) भी शामिल होंगे।

3. कृषि श्रमिक की परिभाषा

वह व्यक्ति जो प्रभावित क्षेत्र घोषित होने की तारीख से दो वर्ष पहले से प्रभावित क्षेत्र में सामान्य तौर पर निवास करता हो और अपनी आजीविका मुख्य रूप से कृषि भूमि पर श्रम द्वारा अर्जित करता हो।

4. गैर कृषि श्रमिक की परिभाषा

वह व्यक्ति जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से दो वर्ष पहले से प्रभावित क्षेत्र में सामान्य तौर पर निवास करता हो और जिसके पास प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि न हो किन्तु वह अपनी आजीविका मुख्य रूप से मानवीय श्रम द्वारा या ग्रामीण दस्तकारी द्वारा या जनसमुदाय के लिए कम करके अर्जित करता हो।

5. आबादकार (स्क्वॉटर) की परिभाषा

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना की घोषणा की तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले से बिना किसी कानूनी हक के, प्रभावित क्षेत्र में सरकारी भूमि पर रहने वाला परिवार।

6. पुनर्स्थापन/पुनर्वास कालोनियां

इस नीति का लक्ष्य उन परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को यथासंभव, बने-बनाए घर प्रदान करना है जो जल परियोजनाओं के विकास के कारण विस्थापित हो जाते हैं। तथापि, जहां विकल्प दिया गया हो, वहां इसके बदले में पर्याप्त गृह निर्माण भत्ता प्रदान किया जाएगा।

7. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

इस नीति में परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को सतत आजीविका के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनका लक्ष्य स्थानीय लोगों को अपेक्षित दक्षता प्रदान करना है, निर्माण कार्य शुरू होने से कम से कम छह माह पूर्व परियोजना विकासकर्त्ताओं द्वारा शुरू किये जायेंगे। इससे परियोजना प्रभावित परिवारों तथा परियोजना के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की आशा है।

8. परियोजना प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त लाभ

इस नीति में परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त प्रावधानों पर विचार किया गया है जैसे कि:

* मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां,
* चिकित्सीय सुविधाओं का विस्तार,
* विवाह अनुदान,
* निर्वाह अनुदान,
* सहकारी तथा स्वयं सहायता समूहों के लिए आय उत्पादन योजनाओं हेतु सहायता,
* बीज, कीटनाशक तथा खाद सब्सिडियां, और सिंचाई संबंधी सहायता।

9. अन्य प्रावधान

* परियोजना से 1% नि:शुल्क विद्युत अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए चिन्हित की जाएगी जिसका लक्ष्य परियोजना के जीवनकाल तक आय उत्पादन एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्व का नियमित प्रवाह उपलब्ध कराना, सतत एवं निरंतर आधार पर अतिरिक्त ढांचागत एवं सामान्य सुविधाओं आदि का सृजन करना है। यह सिफारिश की जाती है कि मेजबान राज्य सरकारें भी इस संग्रह के लिए, 12% निशुल्क विद्युत के अपने हिस्से से समानुपातिक 1% की व्यवस्था करेंगी। यह निधि परियोजना के संपूर्ण जीवनकाल में वार्षिक रकम के रूप में उपलब्ध होगी।

* परियोजना के चालू होने की तारीख से 10 वर्ष तक की अवधि तक परियोजना विकासकर्ता द्वारा प्रतिमाह 100 यूनिट विद्युत संबद्ध वितरण कंपनी के माध्यम से प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी। यह आशा की जाती है कि परियोजना प्रभावित परिवार न्यूनतम एक यूनिट प्रतिदिन का न्यूनतम आवश्यक उपयोग करेगा और शेष प्रयोग न की गई विद्युत का मूल्य, यदि कोई है, राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर नकद या किसी वस्तु के रूप में या दोनों के मिश्रण से परियोजना प्रभावित परिवार को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

* परियोजना प्राधिकारी आवश्यकता के अनुसार विद्युत गृह/बांध स्थल से निश्चित घेरे/सतही दूरी तक आरजीजीवीवाई योजना के कार्यान्वयन में स्वयं को शामिल करेंगे। परियोजना प्राधिकारियों को विद्युत गृह/बांध क्षेत्र की इस सतही दूरी के भीतर आरजीजीवीवाई के राज्य सरकार के 10% हिस्से का वहन करना चाहिए।

उपर्युक्त वर्णित अतिरिक्त प्रावधानों के अलावा, वर्तमान में लागू पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति के सामान्य तौर पर लागू प्रावधान आगे भी लागू रहेंगे।

तैयार भोजन

2180. श्री एस. अजय कुमार:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को तैयार भोजन मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुए व्यय का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तैयार गरमा-गरम भोजन की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के कुछ वर्गों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह छूट है कि वे गर्भवती एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं तथा छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषण के रूप में प्रदान किये जाने वाले आहार का स्वरूप तय करें। आंगनवाड़ी केन्द्र में आने वाली गर्भवती एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली सभी माताओं तथा छह वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को मौजूदा दिशानिर्देशों तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पूरक पोषण दिया जा रहा है। पूरक पोषण की केन्द्रीकृत खरीद नहीं की जाती है। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु स्कीम के मानकों के अनुसार राशि प्रदान करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण

2181. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री धी.के. ढुम्मर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी बैंकों के लिए कोई ऐसा नियम बनाने का है कि वे अपने कुल ऋणों का 30% ग्रामीण क्षेत्रों को दें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी नहीं, तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करने पर विदेशी बैंकों से प्राथमिक क्षेत्र के लिए उनके समायोजित निवल बैंक ऋण को 32% तक अथवा तुलन-पत्र से इतर निवेश के समान राशि, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

2182. श्री भर्तृहरि महताब: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के कार्यान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में बैंकों को जारी दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को पेश आ रही दिक्कतों का समाधान मंत्रालय द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों में किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कस्टम हाउस क्लियरिंग एजेंट्स

2183. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में कस्टम हाउस क्लियरिंग एजेंटों की शहर-वार संख्या क्या है;

(ख) इन एजेंटों की नियुक्ति की निबंधन व शर्तें क्या हैं;

(ग) उन्हें मुहैया करायी गयी प्राथमिकताओं/सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अकेले मुम्बई में ही बहुत सारी बिल्स आफ एन्ट्री (बी/ई) निस्तारण हेतु लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) देरी के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही हैं; और

(छ) अन्य शहरों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) शहर-वार सीमाशुल्क गृह एजेंटों की संख्या इस प्रकार है: मुम्बई-11450; चेन्नई-694; दिल्ली-805 एवं कोलकाता 279 ।

(ख) इन एजेंटों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 146 के अंतर्गत बनाए गए सीमाशुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग विनियमन में विनिर्दिष्ट हैं।

(ग) सीमाशुल्क गृह एजेंटों के विशेषाधिकार/कर्त्तव्य/बाध्यताएं सीमाशुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग विनियमन, 2004 में वर्णित हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) मुम्बई तथा अन्य शहरों में लंबित मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

शहर	1.4.2008 से 30.11.2008 के बीच फाइल किये गये आगम पत्रों की संख्या	1.12.2008 को लंबित आगम पत्रों की संख्या
मुम्बई	7,34,349	5,160
चेन्नै	3,52,895	4,027
दिल्ली	3,49,778	16,126
कोलकाता	81,028	3,775

फिक्की द्वारा आर्थिक सुधार कार्यसूची

2184. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने सरकार को आर्थिक सुधार कार्यसूची पर कोई रिपोर्ट सौंपी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) ने अभी हाल ही में सरकार के समक्ष ''भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास की बहाली-सरकार के लिए फिक्की की 100 दिवसीय कार्यसूची'' और ''विकास गति की बहाली और निवेशकों का विश्वास लौटाना-फिक्की की व्यापक कार्यसूची'' शीर्षक से दो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

इन दस्तावेजों में (1) समूची अर्थव्यवस्था में निवेश को तत्काल प्रोत्साहित करना, (2) लेनदेन लागतों में कमी करके अपनी अर्थव्यवस्था की दक्षता और स्पर्धात्मकता बढ़ाना, (3) अभिशासन में नए मानक स्थापित करना, (4) मंडरा रहे राजकोषीय संकट की धारणा का निदान; (5) वित्तीय क्षेत्र में चुनौतियों का निदान करके विनेशकों में विश्वास बहाली करना; और (6) विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात, अवसंरचना और आवास क्षेत्र सहित स्थावर क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों का निदान करने के उपाय दिये गये हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में की गई नीतिगत घोषणाओं ने इसमें से कुछ का पहले ही निदान कर दिया है।

[हिन्दी]

बैंकों में जमाराशियों के लिए गारंटी

2185. श्री रामजीलाल सुमन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सराकर देश में निवेशकों द्वारा सार्वजनिक और प्राइवेट बैंकों में जमा कराई जाने वाली राशि के लिए कोई गारंटी देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंक में धनराशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) देश की बैंकिंग व्यवस्था में लघु निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से छोटे जमाकर्ताओं को बीमा कवर प्रदान करता रहा है। भारत में, जमा बीमा सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है। भारत में जमा बीमा योजना सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों को कवर करती है। डीआईसीजीसी (1) विदेशी सरकार का जमा (2) राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकारों का जमा (3) अंतर बैंक जमा और विदेश में जमा के अलावा सभी जमाओं का बीमा करती है। इस योजना के अंतर्गत प्रति जमाकर्ता बीमा कवर की सीमा ''एक क्षमता और एक अधिकार'' में 1.00 लाख रुपए है। इसके अलावा भारत में एक स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था और बैंक के हितधारकों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये व्यापक कदमों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिम आधारित विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को सशक्त करने, बेसल समिति के मानदंडों इत्यादि की तरह ही पूंजी पर्याप्तता मानक की शुरुआत करने के उपाय विहित किये हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़कों के लिए विश्व बैंक की सहायता

2186. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में विश्व बैंक की सहायता से चलायी गयी ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से 399.5 मिलियन यूएस डालर का ऋण लिया है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश भाग लेने वाले राज्य हैं। पिछले 3 वर्षों

में तथा चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित कार्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है:

राज्य	वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य (करोड़ रु. में)	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़क कार्यों की लंबाई (कि.मी. में)
हिमाचल प्रदेश	2005-06	–	–	–
	2006-07	176.1	108	767.37
	2007-08	98.46	44	427.92
	2008-09	–	–	–
झारखंड	2005-06	–	–	–
	2006-07	–	–	–
	2007-08	–	–	–
	2008-09	44.90	33	150.62
राजस्थान	2005-06	127.95	252	791.49
	2006-07	–	–	–
	2007-08	455.20	473	2156.69
	2008-09	–	–	–
उत्तर प्रदेश	2005-06	–	–	–
	2006-07	276.31	447	935.06
	2007-08	147.15	43	413.88
	2008-09	–	–	–

(ख) पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भाग ले रहे राज्यों को निम्नानुसार निधियां जारी की गईं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	झारखंड	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	कुल
2005-06	44.27	16.78	9.68	128.32	199.05
2006-07	–	–	524.881	225.19	750.00
2007-08	174.58	–	165.48	309.94	650.00
2008-09	33.58	22.45	–	9.16	65.19

पवन ऊर्जा पर भारत स्कॉटलैंड सहयोग

2187. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पवन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए स्कॉटलैंड के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

2188. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास परियोजनाओं के अंतर्गत अस्पतालों, औषधालयों, प्राथमिक विद्यालयों के भवन, पंचायत घरों और सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कराने की योजना रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। ग्रामीम विकास मंत्रालय राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के जरिये मुख्य कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीम रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के प्रशासन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), संपूर्ण स्वच्छता अभियान एवं त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम आदि का कार्यान्वयन करता है। जब भी कार्यक्रम दिशा-निर्देश में यह मंजूरी दी जाती है तभी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियां सृजित की जाती हैं।

पेंशन कोष प्रबंधक

2189. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागरिकों को चार-पांच नए पेंशन उत्पाद देने के उद्देश्य से पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई म्युचुअल फण्ड के अतिरिक्त नए पेंशन कोष प्रबंधकों को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वह सभी नागरिकों पर नई पेंशन योजना लागू करने के लिए प्रारिम्भक कार्रवाई कर रहा है जो कि नई पेंशन योजना को सभी नागरिकों तक विस्तारित करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के रूप में है। नई पेंशन योजना सभी नागरिकों पर लागू करने की योजना की कार्यनीति और ब्यौरे में और अधिक निधि प्रबंधकों की नियुक्ति करना, उपस्थिति बिंदु तथा अभिदाताओं को निवेश के अधिक विकल्प मुहैया कराना शामिल है।

[हिन्दी]

शहरों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

2190. श्री रामदास आठवले: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में छोटे बड़े शहरों तथा महानगरों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पृथक-पृथक राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने तथा उन्हें रोजगार एवं आवास प्रदान करने हेतु कोई उपाय किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किये गये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर योजना आयोग द्वारा समय-समय पर शहरी निर्धनों के आकलन जारी किये जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने जुलाई, 2004 से जून, 2005 तक की अवधि के लिए घरेलू उपभोक्ता व्यय (61वां राउंड) से संबंधित व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया है। इन आंकड़ों से वर्ष 2004-05 के लिए दो अलग उपभोक्ता श्रेणियां प्राप्त हुई हैं। पहली श्रेणी सभी मदों के लिए 30 दिन की

रीकॉल अवधि में एकत्र उपभोक्ता आंकड़ों पर आधारित है। दूसरी श्रेणी के लिए बार-बार न खरीदी जाने वाली पांच खाद्य इतर मदों जैसे कपड़ा, फुटवियर, टिकाऊ सामान, शिक्षा तथा सांस्थानिक चिकित्सा व्यय के लिए 365 दिन की रीकॉल अवधि की तथा शेष मदों के लिए 30 दिन की रीकॉल अवधि का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों उपभोक्ता श्रेणियों को क्रमशः एकसमान रीकॉल अवधि उपभोक्ता श्रेणी तथा मिश्रित रीकॉल अवधि उपभोक्ता श्रेणी कहा गया है। योजना आयोग ने इन दोनों श्रेणियों के आधार पर वर्ष 2004-05 में निर्धनता का आकलन किया है। इन आकलनों के अनुसार एमआरपी तथा यूआरपी दोनों विधियों द्वारा आकलित शहरी निर्धनों की संख्या व प्रतिशतता का राज्य-वार विवरण-I संलग्न है।

देश के छोटे और बड़े शहरों तथा महानगर शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) शहरी क्षेत्रों में, शहरी गरीबों की जीवन यापन स्थितियों में सुधार लाने के लिए दिनांक 1.12.1997 से अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को स्व-रोजगार के लिए व्यक्तिगत/समूह लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है और साथ ही सामाजिक व आर्थिक रूप से लाभप्रद सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार मुहैया कराया जाता है। स्कीम की शुरुआत से लेकर 10.12.2008 तक की सूचना अनुसार संचित रूप से राज्यों/संघ शासित प्रेदशों को राज्यवार जारी केन्द्रीय सहायता तथा स्व-रोजगार/मजदूरी रोजगार के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या संलग्न विवरण-II में है।

साथ ही, स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों की आवासीय बुनियादी सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए 63 चुनिंदा शहरों में 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप-मिशन आरंभ किया गया था। मिशन शहरों से भिन्न कस्बों/शहरों के लिए शहरी गरीबों की ऐसी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV में दिये गये हैं।

विवरण I

शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशतता (वर्ष 2004-05)
(यूआरपी तथा एमआरपी-उपभोक्ता पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	यूआरपी द्वारा		एमआरपी द्वारा	
		व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	28.00	61.40	20.70	45.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.30	0.09	2.40	0.07
3.	असम	3.30	1.28	2.40	0.93
4.	बिहार	34.60	32.42	28.90	27.09
5.	छत्तीसगढ़	41.20	19.47	34.70	16.39
6.	दिल्ली	15.20	22.30	10.80	15.83
7.	गोवा	21.30	1.64	20.90	1.62

1	2	3	4	5	6
8.	गुजरात	13.00	27.19	10.10	21.18
9.	हरियाणा	15.10	10.60	11.30	7.99
10.	हिमाचल प्रदेश	3.40	0.22	2.60	0.17
11.	जम्मू एवं कश्मीर	7.90	2.19	8.50	2.34
12.	झारखंड	20.20	13.20	16.30	10.63
13.	कर्नाटक	32.60	63.83	27.20	53.28
14.	केरल	20.20	17.17	16.40	13.92
15.	मध्य प्रदेश	42.10	74.03	39.30	68.97
16.	महाराष्ट्र	32.20	146.25	29.00	131.40
17.	मणिपुर	3.30	0.20	2.40	0.14
18.	मेघालय	3.30	0.16	2.40	0.12
19.	मिजोरम	3.30	0.16	2.40	0.11
20.	नागालैंड	3.30	0.12	2.40	0.09
21.	उड़ीसा	44.30	26.74	40.30	24.30
22.	पंजाब	7.10	6.50	3.80	3.52
23.	राजस्थान	32.90	47.51	28.10	40.50
24.	सिक्किम	3.30	0.02	2.40	0.02
25.	तमिलनाडु	22.20	69.13	18.80	58.59
26.	त्रिपुरा	3.30	0.20	2.40	0.14
27.	उत्तर प्रदेश	30.60	171.03	26.30	100.47
28.	उत्तराखण्ड	36.50	8.85	32.00	7.75
29.	पश्चिम बंगाल	14.80	35.14	11.20	26.64
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.20	0.32	18.80	0.27
31.	चंडीगढ़	7.10	0.67	3.80	0.36
32.	दादरा और नगर हवेली	19.10	0.15	19.20	0.16
33.	दमन और दीव	21.20	0.14	20.80	0.14

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप	20.20	0.06	16.40	0.05
35.	पुडुचेरी	22.20	1.59	18.80	1.34
	कुल	25.70	807.96	21.70	682.02

नोट:

1. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए असम का निर्धनता अनुपात लिया गया है।
2. गोआ में निर्धनता आकलन के लिए महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा का व्यय वितरण लिया गया है।
3. पुडुचेरी तथा अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के लिए तमिलनाडु का निर्धनता अनुपात लिया गया है।
4. चंडीगढ़ की ग्रामीण व शहरी दोनों निर्धनता के लिए पंजाब का शहरी निर्धनता अनुपात लिया गया है।
5. दादरा व नगर हवेली के निर्धनता आकलन के लिए महाराष्ट्र की गरीबी रेखा व दादरा तथा नगर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग किया गया है।
6. दमन व दीव के लिए गोवा का निर्धनता अनुपात लिया गया है।
7. लक्षद्वीप के लिए केरल का निर्धनता अनुपात लिया गया है।

विवरण II

एसजेएसआरवाई के अंतर्गत संचित वास्तविक और वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1.12.97 से एसजेएसआरवाई के अंतर्गत जारी कुल धनराशि	उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या (व्यक्तिगत)	समूह उद्यमों के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीब महिलाओं की संख्या	व्यक्तिगत/ समूह उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की कुल संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	मजदूरी रोजगार के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों की संख्या (लाख में)
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17757.62	118101	58390	176941	108191	93.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	415.50	465	75	540	314	4.85
3.	असम	5684.22	8638	225	8863	9386	10.39
4.	बिहार	5489.36	23269	19720	42989	6020	54.26
5.	छत्तीसगढ़	2982.11	16367	1606	17973	19586	6.07
6.	गोवा	84.06	595	60	655	1570	1.96
7.	गुजरात	6375.63	33731	76	33807	21376	24.08
8.	हरियाणा	4135.63	23455	5808	29263	38351	4.61
9.	हिमाचल प्रदेश	449.41	2163	426	2589	5058	6.11

1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1457.72	12222	304	12526	22696	0.90
11.	झारखंड	1269.27	0	0	0	0	0.00
12.	कर्नाटक	14463.98	49723	22110	71833	73109	96.18
13.	केरल	5445.40	23014	21429	44443	49463	4.11
14.	मध्य प्रदेश	19729.77	124758	14196	138954	215609	36.98
15.	महाराष्ट्र	27882.70	86288	85318	171606	276765	34.99
16.	मणिपुर	989.51	6	0	6	6902	6.37
17.	मेघालय	590.45	1849	6	1855	1692	2.59
18.	मिजोरम	2776.72	160	0	160	7518	16.34
19.	नागालैंड	1111.69	1286	15	1301	99	2.84
20.	उड़ीसा	5054.19	40877	17812	58689	35430	25.43
21.	पंजाब	807.84	8673	220	8893	16441	5.53
22.	राजस्थान	5651.68	65583	1192	66775	42460	25.25
23.	सिक्किम	495.21	479	0	479	1478	3.71
24.	तमिलनाडु	13347.33	43307	39113	82420	57019	85.66
25.	त्रिपुरा	1826.34	5191	2140	7331	15591	5.85
26.	उत्तर प्रदेश	1372.83	706	30	736	1414	5.00
27.	उत्तराखंड	32516.63	174783	11182	185965	206410	84.65
28.	पश्चिम बंगाल	9265.56	29171	8290	37461	69776	36.74
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	261.06	135	0	135	0	4.53
30.	चंडीगढ़	705.50	291	23	314	5375	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	287.87	67	0	67	219	0.94
32.	दमन और दीव	161.63	68	0	68	0	0.04
33.	लक्षद्वीप	275.31	1475	104	1579	3450	0.00
34.	पुडुचेरी	1054.55	3748	4380	8128	6784	6.27
	कुल	192174.18	900644	314250	1214894	1325552	696.52

विवरण III

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं
(उप मिशन-2)
कुल अनुमोदित परियोजना

25.11.2008 तक की स्थिति
करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की कुल सं.	कुल अनुमोदित केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3	19	1707.78	93995	846.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	4.10	100	3.36
3.	असम	1	1	53.95	1232	48.56
4.	चंडीगढ़ (सं.रा.क्षे.)	1	2	564.94	25728	396.13
5.	छत्तीसगढ़	1	4	391.45	27976	312.18
6.	बिहार	2	9	367.72	14596	179.54
7.	दिल्ली	1	15	1814.49	65504	768.73
8.	गुजरात	4	13	1268.87	87504	612.93
9.	गोवा	1	1	10.22	155	4.60
10.	हरियाणा	1	2	64.23	3248	31.18
11.	हिमाचल प्रदेश	1	2	24.01	646	18.27
12.	जम्मू और कश्मीर	2	2	105.17	5208	84.88
13.	झारखंड	2	8	260.04	9188	171.62
14.	कर्नाटक	2	7	510.27	21846	272.97
15.	केरल	2	6	304.12	22208	202.39
16.	मध्य प्रदेश	4	19	520.68	33289	256.67
17.	महाराष्ट्र	5	36	4135.48	130612	1932.11
18.	मेघालय	1	2	30.44	600	23.77
19.	मिजोरम	1	2	34.33	408	28.91

1	2	3	4	5	6	7
20.	नागालैंड	1	1	134.50	3504	105.60
21.	उड़ीसा	2	5	67.17	2316	48.77
22.	पंजाब	2	2	72.43	5152	36.15
23.	पुडुचेरी	1	2	43.97	1304	32.31
24.	राजस्थान	2	2	277.14	17337	169.20
25.	सिक्किम	1	1	3.25	52	2.79
26.	तमिलनाडु	3	24	2134.11	85607	947.36
27.	त्रिपुरा	1	1	16.73	256	13.96
28.	उत्तर प्रदेश	7	15	640.53	27760	295.99
29.	उत्तराखंड	3	4	22.88	524	18.08
30.	पश्चिम बंगाल	2	76	2411.30	115244	1166.55
	कुल	61	284	17996.28	803089	9032.49

विवरण IV

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

कुल अनुमोदित परियोजनाएं

25.11.2008 तक स्थिति
करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य का नाम	कस्बा/यूएलबी का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिटों की संख्या	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	54	65	725.33	29257	541.34
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	5.27	40	4.74
3.	असम	12	12	38.31	5393	33.11
4.	बिहार	10	10	80.73	6500	59.76
5.	छत्तीसगढ़	13	14	176.50	14846	122.01

1	2	3	4	5	6	7
6.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0.50	0	0.45
7.	दमन और दीव	1	1	0.69	16	0.58
8.	गुजरात	23	23	227.49	18405	153.13
9.	हरियाणा	10	15	238.84	14641	182.96
10.	हिमाचल प्रदेश	3	3	23.44	816	16.19
11.	जम्मू एवं कश्मीर	10	10	42.40	2654	32.23
12.	झारखंड	1	1	19.67	1292	15.58
13.	कर्नाटक	25	25	240.27	13053	145.76
14.	केरल	28	28	150.07	13528	114.22
15.	मध्य प्रदेश	30	33	241.89	17164	171.08
16.	मिजोरम	3	3	8.27	624	6.21
17.	राजस्थान	32	34	418.82	25634	287.90
18.	मेघालय	1	1	21.82	456	8.97
19.	मणिपुर	2	2	16.50	1103	12.37
20.	महाराष्ट्र	47	51	610.41	41350	438.21
21.	नागालैंड	1	1	87.74	2496	44.14
22.	उड़ीसा	15	15	83.63	4884	59.13
23.	पंजाब	2	3	63.42	4658	32.62
24.	पुडुचेरी	1	1	17.03	432	5.48
25.	तमिलनाडु	30	30	225.67	19763	169.19
26.	त्रिपुरा	1	1	7.19	400	6.33
27.	उत्तर प्रदेश	47	50	214.79	8920	134.71
28.	उत्तराखंड	2	2	5.85	231	2.91
29.	पश्चिम बंगाल	67	70	667.26	38184	482.34
	कुल	473	506	4659.79	286740	3283.66

[अनुवाद]

ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी प्रतिवेदन

2191. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए श्री गौरीशंकर घोष की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ समूह (टीएफजी) ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए श्री गौरीशंकर घोष की अध्यक्षता में गठित तकनीकी विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) इस समूह ने सूक्ष्म स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा केन्द्र स्तर पर किये जाने वाले परिवर्तनों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इस समूह ने सुझाव दिया है कि एक शीर्ष परिषद का गठन किया जाए जिसका नाम ''राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मिशन परिषद'' रखा जा सकता है। इस परिषद की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा की जाएगी।

इस समूह ने शासी निकाय के गठन की सिफारिश भी की है जोकि ग्रामीण विकास मंत्री के प्रति जवाबदेह होगा।

(ग) तकनीकी विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

एन.आर.ई.जी.एस. के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कामगार और महिला कामगार

2192. श्री के. सुब्बारायण: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) आरंभ किये जाने से अब तक इसमें नियोजित अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) तथा महिलाओ की कुल संख्या क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 (अक्तूबर, 2008 तक) के दौरान एनआरईजीएस के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला कामगारों के लिए रोजगार के राज्य-वार श्रम दिवस संलग्न विवरण में दिये गये हैं। एनआरईजीए के अंतर्गत रोजगार देने के लिए बुनियादी इकाई परिवार है, एनआरईजीए के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की संख्या ग्रामीण विकास मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

विवरण

श्रम दिवस लाख में

क्र.सं.	राज्य	2006-07			2007-08			2008-09 (अक्तूबर, 2008 तक)		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	202.41	88.31	371.93	557.16	257.18	1160.86	476.60	234.39	1071.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	4.53	1.36	0	1.86	0.83	0.00	2.71	0.68
3.	असम	49.57	265.05	181.43	37.06	190.76	150.43	32.40	122.95	96.41
4.	बिहार	2.81	19.13	103.72	385.3	21.02	233.3	295.43	14.81	178.89
5.	गुजरात	7.07	64.57	50.44	5.33	59.37	41.92	10.70	50.16	33.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	हरियाणा	14.48	0	7.38	19.24	0	12.31	14.19	0.00	7.88
7.	हिमाचल प्रदेश	9.09	6.7	3.66	31.51	10.76	29.36	26.86	6.75	31.49
8.	जम्मू व कश्मीर	1.75	7.5	1.44	2.07	9.62	0.3	1.08	4.40	0.09
9.	कर्नाटक	73.37	45.18	112.24	59.79	37.94	99.42	30.70	16.53	57.43
10.	केरल	4.12	2.54	13.44	10.25	10.26	43.37	10.92	5.17	44.09
11.	मध्य प्रदेश	312.96	959.05	852.53	491.96	1342.46	1147.24	360.38	762.48	720.40
12.	महाराष्ट्र	25.79	65.12	59.05	34.09	71.16	73.93	43.63	97.22	114.93
13.	मणिपुर	0	18.57	9.45	0.13	48.04	15.85	0.96	83.16	25.93
14.	मेघालय	0.07	20.14	47	0.19	36.4	12.76	0.05	37.85	14.31
15.	मिज़ोरम	0	7.85	2.62	0	31.53	10.6	0.00	61.33	24.58
16.	नागालैंड	0	13.08	3.92	0	24.31	7.08	0.00	13.80	1.62
17.	उड़ीसा	189.06	393.87	284.58	98.58	160.66	147.48	51.04	64.15	92.47
18.	पंजाब	10.8	0	5.88	14.61	0	3.12	7.94	0.00	2.43
19.	राजस्थान	159.5	642.9	670.68	322.91	778.6	1158.01	890.07	703.22	2043.31
20.	सिक्किम	0.02	2.38	0.6	0.61	3.66	3.16	0.49	2.79	2.17
21.	तमिलनाडु	102.48	4.34	148.27	370.1	16.99	529.14	464.93	12.82	630.13
22.	त्रिपुरा	7.98	31.17	37.6	37.72	75.95	80.59	41.22	73.24	86.92
23.	उत्तर प्रदेश	467.82	25.62	136.21	732.69	25.21	198.03	463.85	17.89	106.97
24.	पश्चिम बंगाल	158.78	81.88	80.46	351.43	133.7	164.63	154.19	58.57	79.52
25.	छत्तीसगढ़	84.08	318.98	275.29	196.29	544.77	553.42	141.28	310.89	342.16
26.	झारखंड	122.19	209.7	205.46	155.03	311.36	203.12	93.60	185.98	145.51
27.	उत्तराखंड	10.84	0.57	12.37	21.93	3.49	34.36	9.71	1.39	12.25
	संघ राज्य क्षेत्र									
	दादरा और नगर हवेली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0	0	0
	दमन और दीव	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0	0	0
	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0	0	0
	लक्षद्वीप	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0	0	0
	चंडीगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0	0	0
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0	0	0
	पुदुचेरी	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0.81	0.00	1.10
	कुल	2295.24	3298.73	3679	3936	4207.05	6114.62	3621.91	2944.65	5967.89

एन.ए. का अर्थ है-लागू नहीं क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों को एनआरईजीए के अंतर्गत प्रथम तथा द्वितीय चरण में कवर नहीं किया गया था।

0 का अर्थ है-रिपोर्ट नहीं दी गई।

आंगनवाड़ी कामगारों का वेतन

2193. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में अनेक महिलाओं, जिन्होंने आई.सी.डी.एस. योजना के तहत आंगनवाड़ी शुरू की है को पिछली कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है न कि किसी व्यक्ति अथवा संगठन के माध्यम से। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गये व्यय विवरण के आधार पर भारत सरकार स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राशि निर्मुक्त करती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डीटीएटी के कारण राजस्व हानि

2194. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मॉरीशस के साथ "डबल टेक्सेशन अवायडेंस ट्रीटी" (डीटीएटी) के कारण भारी राजस्व हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्व हानि को बंद करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) विदेशी संस्थाओं को शेयरों के अंतरण से उद्भूत पूंजीगत अभिलाभों पर भारत में कर का भुगतान करना आवश्यक नहीं है यदि वे मॉरीशस की निवासी हैं, जिसके साथ भारत के दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय में ऐसे अभिलाभों के निवास आधारित कराधान की व्यवस्था की गई है। तीसरे देशों से विदेशी संस्थाएं, जो भारत में पूंजीगत अभिलाभों संबंधी करों के भुगतान से बचने के लिए भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के उपबंधों का लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, के दृष्टांत सरकार के ध्यान में आए है। मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान के परिहार संबंधी संधि के कारण राजस्व हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि संगत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) जी हां, किसी भी देश के आर्थिक हितों के पूर्वाग्रहों के बिना भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान के परिवाहर संबंधी अभिसमय के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षापायों के साथ-साथ भारत सरकार और मॉरीशस सरकार के सदस्यों समेत एक संयुक्त कार्यदल का गठन 2006 में किया गया था। संयुक्त कार्य दल की अब तक 6 बैठकें आयोजित की गई हैं। संयुक्त कार्य दल के सभी विचार-विमर्शों में भारत ने दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के दुरुपयोग के मामले पर कड़ाई से अपनी चिन्ता व्यक्त की है। भारत सरकार द्वारा भारत की चिन्ता का निवारण करने के लिए आपसी स्वीकार्य समाधान प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

(ङ) (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों एवं वन निवासियों के अधिकार

2196. श्री अजीत जोगी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अभी भी अपने अधिकारों से वंचित हैं जैसाकि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी वन

अधिकारों को मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किये जाने वाले अधिकारों के वंचन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबों के लिए घर

2197. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के तहत राज्य-वार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने घर उपलब्ध कराए गए;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव आने वाले वर्षों के दौरान मांग के अनुपात में घरों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी गरीबों हेतु मकान सुलभ कराने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों में शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शामिल हैं। ये स्कीमें 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किये गये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का भाग है। मिशन अवधि 7 वर्षों अर्थात 2005-2012 तक की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं और मकानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आगामी वर्षों में मकानों की संख्या बढ़ाने का मामला, राज्य सरकारों द्वारा 30.9.2009 से पहले हासिल कि जाने के लिए रखे गए मध्यावधि लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति पर निर्भर करेगा।

विवरण

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा
(उप मिशन-2)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	मिशन शहरों की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमानित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (स्वस्थाने+पुनर्स्थापन+ उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
			वर्ष 2007-08			
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	511.27	14675	250.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	4.102	100	3.36
3.	असम	1	1	53,9504	1232	48.56
4.	चंडीगढ़ (सं.रा.क्षे.)	0	0	0	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7
6.	बिहार	2	9	367.7192	14596	179.54
7.	दिल्ली	1	11	1506.895	57504	630.90
8.	गुजरात	2	3	240.549	15136	115.63
9.	हरियाणा	0	0	0	0	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1	1	14.0148	384	11.21
11.	गोवा	1	1	10.222	155	4.60
12.	जम्मू और कश्मीर	2	2	105.1716	5208	84.88
13.	झारखंड	2	5	195.2863	7218	132.91
14.	कर्नाटक	2	4	271.432	7335	147.57
15.	केरल	2	3	234.9165	17460	155.22
16.	मध्य प्रदेश	1	1	17.4091	1320	13.26
17.	महाराष्ट्र	4	5	1200.652	30034	632.62
18.	मेघालय	1	2	30.4409	600	23.77
19.	मिजोरम	1	2	34.331	408	28.91
20.	नागालैंड	0	0	0	0	0.00
21.	उड़ीसा	2	5	67.16772	2316	48.77
22.	पंजाब	2	2	72.4313	5152	36.15
23.	पुडुचेरी	1	2	43.9741	1304	32.31
24.	राजस्थान	0	0	0	0	0.00
25.	सिक्किम	1	1	3.2497	52	2.79
26.	तमिलनाडु	3	5	1303.847	41586	587.69
27.	त्रिपुरा	1	1	16.72841	256	13.96
28.	उत्तर प्रदेश	5	7	355.5832	17072	162.50
29.	उत्तराखण्ड	3	4	22.8779	524	18.08
30.	पश्चिम बंगाल	2	31	1241.802	54932	610.01
	कुल वर्ष 2007-08	47	114	7926.02	296559	3975.84

1	2	3	4	5	6	7
			वर्ष 2006-07			
1.	आंध्र प्रदेश	2	9	572.61	30320	284.34
2.	चंडीगढ़ (सं.रा.क्षे.)	1	2	564.94	25728	396.13
3.	छत्तीसगढ़	1	4	391.45	27976	312.18
4.	गुजरात	4	10	1028.32	72368	497.29
5.	हरियाणा	1	2	64.23	3248	31.18
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	9.99	252	7.05
7.	कर्नाटक	2	3	238.84	14511	125.40
8.	केरल	2	3	69.20	4748	47.17
9.	मध्य प्रदेश	3	14	428.22	26205	206.02
10.	महाराष्ट्र	5	31	2934.82	100578	1299.50
11.	नागालैंड	1	1	134.50	3504	105.60
12.	राजस्थान	2	2	277.14	17337	169.20
13.	तमिलनाडु	3	19	830.26	44021	359.67
14.	उत्तर प्रदेश	5	5	82.13	4680	38.58
15.	पश्चिम बंगाल	2	45	1169.51	60312	556.54
	कुल वर्ष 2006-07	35	151	8796.16	435788	4435.87
			वर्ष 2005-06			
1.	आंध्र प्रदेश*	1	5	623.90	49000	311.95
2.	मध्य प्रदेश*	1	4	75.05	5764	37.38
	कुल वर्ष 2005-06	2	9	698.95	54764	349.33
	सकल योग	61	274	17421.12	787111	–

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कुल अनुमोदित परियोजनाएं

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6
		वर्ष 2007-08			
1.	आंध्र प्रदेश	32	385.34	4087	300.55
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	5.27	40	4.74

1	2	3	4	5	6
3.	असम	9	26.07	4780	22.32
4.	बिहार	3	31.92	2333	23.21
5.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00
6.	दादरा और नगर हवेली	1	0.50	0	0.45
7.	दमन और दीव	1	0.69	16	0.58
8.	गुजरात	15	155.43	12205	101.59
9.	हरियाणा	0	0.00	0	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	3	23.44	816	16.19
11.	जम्मू और कश्मीर	10	42.40	2654	32.23
12.	झारखंड	1	19.67	1292	15.58
13.	कर्नाटक	20	171.81	8983	103.86
14.	केरल	11	71.45	6267	53.85
15.	मध्य प्रदेश	10	44.72	2518	33.07
16.	राजस्थान	10	186.37	11526	122.24
17.	महाराष्ट्र	20	245.77	18091	181.94
18.	मेघालय	1	21.82	456	8.97
19.	मिजोरम	1	8.27	500	6.21
20.	मणिपुर	2	16.50	1103	12.37
21.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00
22.	उड़ीसा	15	83.63	4884	59.13
23.	पुडुचेरी	1	17.03	432	5.48
24.	पंजाब	2	42.40	3938	25.55
25.	तमिलनाडु	8	79.61	6832	56.64
26.	त्रिपुरा	1	7.19	400	6.33
27.	उत्तर प्रदेश	1	4.29	204	2.78
28.	उत्तराखण्ड	2	5.85	231	2.91
29.	पश्चिम बंगाल	44	365.43	20061	260.70
	कुल वर्ष 2007-08	225	2062.87	114649	1459.48

1	2	3	4	5	6
		वर्ष 2006-07			
1.	आंध्र प्रदेश	25	301.92	25170	210.57
2.	असम	3	12.24	613	10.79
3.	बिहार	7	48.81	4167	36.55
4.	छत्तीसगढ़	14	176.50	14846	122.01
5.	गुजरात	8	72.07	6200	51.54
6.	हरियाणा	15	238.84	14641	182.96
7.	कर्नाटक	5	68.46	4070	41.90
8.	केरल	15	65.25	5985	50.10
9.	मध्य प्रदेश	23	197.17	14646	137.99
10.	राजस्थान	17	140.06	10758	110.08
11.	महाराष्ट्र	15	152.67	13036	120.71
12.	नागालैंड	1	87.74	2496	44.14
13.	तमिलनाडु	22	146.05	12931	112.56
14.	उत्तर प्रदेश	8	29.01	2032	22.11
15.	पश्चिम बंगाल	16	201.20	12824	150.57
	कुल वर्ष 2006-07	194	1938.00	144415	1404.56
		वर्ष 2005-06			
1.	राजस्थान	3	9.03	136	7.22
	कुल वर्ष 2005-06	3	9.03	136	7.22
	सकल योग	422	4009.90	259200	2871.26

[अनुवाद]

लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क दरों में संशोधन

2198. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री चन्द कुमार साय:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क दरों को संशोधित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 7.12.2008 से आयरन ओर फाइन्स पर निर्यात शुल्क दर को 8% मूल्यानुसार से घटाकर 'शून्य' कर दिया गया

है और आयरन और लम्प्स पर निर्यात शुल्क दर को 15% मूल्यानुसार से कम करके 5% मूल्यानुसार कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पी.जी.सी.आई.एल. का सार्वजनिक निर्गम

2199. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) का विचार देश में विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से निधियों का सृजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा उक्त राशि के किस प्रकार व्यय किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों/निदेशकों की नियुक्ति

2200. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री पी.एस. गड़वी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथिअनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में बैंकवार अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों (एमडी)/निदेशकों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों/निदेशकों की नियुक्ति बिना सतर्कता अनुमति के की गई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) आज की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों तथा कार्यपालक निदेशकों के रूप में पदनामित पूर्णकालिक निदेशकों के रिक्त पदों की बैंक-वार संख्या नीचे दी गई है:

पदनाम		रिक्तियों की संख्या
अध्यक्ष	शून्य	
प्रबंध निदेशक	शून्य	
कार्यपालक निदेशक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	02
	पंजाब नेशनल बैंक	02
	केनरा बैंक	01
	सिंडिकेट बैंक	01

कार्यपालक निदेशकों के पदों की उपर्युक्त रिक्तियों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को पहले ही भेज दिये गये हैं तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् उनकी नियुक्ति के लिए आदेश जारी किये जाएंगे।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों/कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक से सतर्कता अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् की जाती है।

[अनुवाद]

कृषि उपस्करों के लिए ऋण

2201. **श्री रेवती रमन सिंह:**
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है जिसमें अपनी सभी शाखाओं को ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपस्करों के लिए ऋण जारी न करने का निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परिपत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने दिनांक 16 मई, 2008 के परिपत्र सं. एबीयू/पीडी एंड एम-4/परि-02/2008-09 के द्वारा शाखाओं को निर्देश दिया है कि अधिक बकाए वाले ट्रेक्टर ऋण खाता धारक विपदाग्रस्त किसान कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं।

इसी परिपत्र के द्वारा बैंक ने इस उपक्षेत्र में कृषि अग्रिमों के काफी अधिक बकाए के मद्देनजर नये ट्रेक्टर और कृषि यंत्र गतिविधियों जैसे पावर टिलर, कम्बाइन हार्वेस्टर इत्यादि के वित्तपोषण पर फिलहाल रोक लगा दी है। बकाए में कमी की प्रगति के आधार पर इस निर्णय की यथासमय समीक्षा की जानी थी। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 21 मई, 2008 के परिपत्र सं. एबीयू/पीडी एंड एम-4/परि-03/2008-09 के द्वारा इस निर्णय को तत्काल प्रभावी रूप से वापस ले लिया और शाखाओं को इन गतिविधियों को विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तपोषित करने का निर्देश दिया।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

2202. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री के.एस. राव:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यू.एम.पी.पी.) को स्थापित करने तथा स्थलों के चयन हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार यू.एम.पी.पी. हेतु स्थलों के चयन हेतु मानदण्डों की समीक्षा करने का है ताकि निजी क्षेत्र द्वारा इन परियोजनाओं हेतु बोली लगाना और अधिक व्यावहारिक बन सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विद्युत मंत्रालय ने पिटहैड स्थानों तथा तटीय स्थानों पर 4000 मेगावाट (प्रत्येक) की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास को सरल बनाने की पहल की है। पिटहैड स्थानों पर यूएमपीपी के स्थल चयन के लिए अपनाए गए कुछ मुख्य मानदंड हैं-कोयला खंडों की निकटता, भूमि और जल की उपलब्धता, कोयला परिवहन संभार तंत्र, स्थल तक सड़क मार्ग तथा रेलमार्ग से पहुंच और प्रारंभिक पर्यावरणीय संभाव्यता।

तटीय स्थानों के यूएमपीपी के लिए उपर्युक्त भूमि तथा पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित मानदंडों के अलावा, अतिरिक्त मानदंड ये हैं कि ये स्थल तटीय विनियम मंडल क्षेत्र से परे होना चाहिए तथा पत्तन की निकटता और साथ ही साथ उनकी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

सीईए/पीएफसी का दल संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से, विभिन्न वैकल्पिक स्थलों का दौरा करता है। अपेक्षित तकनीकी आवश्यकताओं की सर्वोत्तम पूर्ति करने वाले तथा साथ ही साथ संबंधित राज्य सरकार को स्वीकार्य स्थल का, यूएमपीपी की स्थापना के लिए अंतिम चयन किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग

2203. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत उन्हें जारी निधियों को व्यय करने की बजाय उन निधियों पर ब्याज अर्जित कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने ग्रामीण विकास हेतु आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायें प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) सहित विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है। ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु निधियों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए/जिला परिषद/राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम

दिशानिर्देशों के अनुसार अलग खातों में बैंकों में जमा किया जाता है। ये योजनाएं सतत आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं, इस प्रकार निधियों का वर्ष के दौरान मांग एवं कार्यान्वयन स्थिति के अनुसार उपयोग किया जाता है। ब्याज सहित खर्च न की गई शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किया जाता है और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उपयोग किया जाता है।

(ग) एनआरईजीएस सहित इन योजनाओं में ऐसी पद्धति विद्यमान है जिसके माध्यम से पूर्व में रिलीज की गई निधियों के 60% के उपयोग के बाद ही अगली किस्त पर विचार किया जाता है/उसे रिलीज किया जाता है। इससे जिला स्तर पर निधियों के जमा होने की स्थिति को रोका जाता है। अन्य कार्यक्रमों के तहत निधियों के एक स्थान पर जमा होने को हतोत्साहित करने तथा निधियों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक समायोजन किये जाते हैं।

[अनुवाद]

विकास दर

2204. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लंबे समय तक विकास दर बनाए रखने की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) अर्थव्यवस्था के विकास की क्षमता निर्धारित करने वाले बचत और निवेश अनुपात उत्साहवर्धक हैं। सकल घरेलू बचत 2004-05 के सकल घरेलू उत्पाद के 31.8 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद के 34.3 प्रतिशत और 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद के 34.8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। इसी अवधि में सकल घरेलू पूंजी निर्माण 2004-05 के 32.2 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 35.5 प्रतिशत तथा 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद का 35.9 प्रतिशत हो गया।

दसवीं योजना में घरेलू निवेश में देखी गई बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखकर उसे सकल घरेलू उत्पाद के 36.7 प्रतिशत की औसत पर रखने की परिकल्पना की गई है जिसे ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत विकास दर हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद की 34.8 प्रतिशत की घरेलू बचत दर से सहायता मिलेगी।

विद्युत अधिनियम, 2003 की समीक्षा

2205. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 के कतिपय खण्डों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ऊर्जा बचत कार्यकलापों के लिए जन जागरूकता पैदा करने हेतु किसी कोष का सृजन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं होता।

नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

2206. श्री गणेश सिंह:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी नहीं। देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और संवर्धन के लिए सरकारी स्तर पर किसी विदेशी कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम संस्थापित करने के लिए इस मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अंतर्गत विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम संस्थापित किये जाते हैं जिसमें ऑटोमैटिक रूट माध्यम से 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कुल एफडीआई इनफ्लो निम्नानुसार था:

वित्तीय वर्ष	एफडीआई इनफ्लो यूएस मिलियन डॉलर में
2006-07	1.95
2007-08	32.92
2008-09 (सितम्बर, 2008 तक)	41.85

विद्युत परियोजनाओं हेतु आर.ई.सी. ऋण

2207. श्री एस. अजय कुमार: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) का विचार देश में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर.ई.सी. को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आर.ई.सी. द्वारा इस प्रयोजनार्थ संस्वीकृत एवं जारी ऋण की कुल राशि क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां, उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ऋण प्रदान करता है। 2005-06 से 2008-09 (30.11.2008 तक) तक मंजूर परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) जी हां। पिछले 3 वर्षों में आरईसी द्वारा मंजूर और जारी की गई की राशि (30.11.2008 तक) निम्नानुसार है:

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
मंजूरी	6006.04	10364	27274.66	19356.73
वितरण	1553.40	4291.00	4308.04	4594.67

विवरण

2005-06 के वित्त वर्ष से 2008-09 के वित्त वर्ष तक (30.11.2008 तक)
संस्वीकृत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का विवरण

(रु. करोड़)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कंपनी	क्षेत्र	क्षमता (मे.वा.)	ऋण संस्वीकृत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (30.11.2008 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2005-06 के दौरान स्वीकृत										
हाइड्रो										
1.	श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रा.लि.	मै. श्री महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लि.	हाइड्रो	400	250.00	10.00	10.00	101.00	20.60	141.60
2.	उत्तरांचल में 1000 मेगावाट का टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चरण-1	टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन	हाइड्रो	1000	1860.00	201.31	1501.02	42.10	0.00	1744.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	2 मेगावाट का मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट (अतिरिक्त ऋण)	अरुणाचल प्रदेश सरकार	हाइड्रो	2*	6.04	2.61	1.16	2.26	0.00	6.03
4.	सेरलुई की एचईपी (अतिरिक्त ऋण)	मिजोरम सरकार	हाइड्रो	12*	40.00	16.07	17.48	0.00	6.45	40.00
5.	किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश में करचम वांगटू एचईपी	जेपी करचम कारपोरेशन लि.	हाइड्रो	1000	750.00		43.38	40.66	187.50	276.54
				2400.00	2906.04	229.99	1578.04	186.02	214.55	2208.80
	थर्मल									
1.	आंध्र प्रदेश के मृत्तालपल्ली में 500 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट	मै. एपीजेनको	थर्मल	500	1544.51	50.00	150.58	561.38	300.978	1062.93
2.	सूरतगढ़ लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट को अतिरिक्त ऋण	जेआईपीसीएल	थर्मल	300*	272.00	शून्य	शून्य	शून्य		0.00
3.	एस्सार पावर लि.	मै. एस्सार पावर लि.	थर्मल	1500	750.00	शून्य	शून्य	शून्य		0.00
4.	शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट का रोजा कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना	रोजा पावर सप्लाई कंपनी लि.	थर्मल	600	400.00	शून्य	शून्य	शून्य		0.00
				2600.00	2966.51	50.00	150.58	561.38	300.97	1062.83
	आर एंड एम									
1.	गंगवाल एवं कोटला विद्युत गृह चरण-3 (आर एंड एम)	पीएसईबी	आर एंड एम-हाइड्रो	57	34.22	10.10	16.01	1.36	0.00	27.47
2.	गांधीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	जीईबी	आर एंड एम-थर्मल	870	11.27	शून्य	शून्य	0.06	0.00	0.06
3.	उकाई थर्मल पावर प्रोजेक्ट	जीईबी	आर एंड एम थर्मल	850	16.84	शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
4.	धुवरण तर्मल पावर प्रोजेक्ट	जीईबी	आर एंड एम-थर्मल	534	44.41	शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
5.	एस्केप चैनल और एलाइड स्ट्रक्चर, वाल्मीकि नगर पीएच	बीएसईबी	आर एंड एम-हाइड्रो	15	10.66	शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
6.	एस्केप चैनल और एलाइड स्ट्रक्चर देहरी पीएच	बीएसईबी	आर एंड एम-हाइड्रो	6.6	5.10	शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
7.	देहरी पीएच	बीएसईबी	आर एंड एम-हाइड्रो	6165	5.48	शून्य	शून्य	0.00	0.00	0.00
8.	डब्लूडीसी (अपर बारी दोआब कैनाल) पंजाब के गुरुदास जिले में जल विद्युत केन्द्र	पीएसईबी	आर एंड एम-हाइड्रो	91.4	5.52	शून्य	शून्य	1.67	0.28	1.95
					133.49	10.10	16.01	3.09	0.28	29.48
	उप योग (2005-06)			5000.00	6006.04	290.09	1744.63	750.49	515.79	3301.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2006-07 के दौरान स्वीकृत										
हाइड्रो										
1.	किटपी एचएचपी फेज-2 जिला, तवांग, अरुणाचल प्रदेश	जल विद्युत विकास विभाग अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	3	14.07	शून्य	शून्य	4.64	4.98	9.60
2.	तीस्ता फेज-3, सिक्किम में जल विद्युत परियोजना	मै. तीस्ता ऊर्जा लि.	हाइड्रो	1200	2100.00	शून्य	शून्य	355.83	164.48	520.31
3.	तीस्ता फेज-2, सिक्किम में जल विद्युत परियोजना	मै. लेनको एनर्जी प्राइवेट लि.	हाइड्रो	500	400.00	शून्य	शून्य	57.36	0.00	57.36
				1703	2514.07	0.00	0.00	417.83	169.44	587.27
थर्मल										
1.	भुसावल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र	एमएसपीजीसीएल	थर्मल	1000	3693.00	शून्य	शून्य	266.06	486.84	752.90
2.	हरियाणा में 1000 मेगावाट हिसार थर्मल पावर प्रोजेक्ट	एचपीजीसीएल	थर्मल	1200	1536.03	शून्य	शून्य	शून्य	302.40	302.40
3.	600 मेगावाट कोरबा (वेस्ट) थर्मल पावर प्रोजेक्ट	मै. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	थर्मल	600	2078.18	शून्य	शून्य	शून्य	-	0.00
4.	कोरबा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त ऋण	मै. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	थर्मल	500*	205.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				2800	7512.21	0.00	0.00	266.06	789.25	1055.31
	आर एंड एम									
1.	गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रोपड़ के लिए आर एंड एम कार्य (परियोजना-3)	पीएसईबी	थर्मल-आरएण्डएम	6×210	0.79		0.36	0.00	0.00	0.36
2.	गुरुगोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रोपड़ का आर एण्ड एम कार्य	पीएसईबी	थर्मल-आरएण्डएम	6×210	17.33		1.48	0.00	2.57	4.05
3.	जीएसईसीएल गुजरात के गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन का आर एंड एम कार्य	मै. गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन बोर्ड	थर्मल आरएण्डएम	2×120	320.00	शून्य	शून्य	शून्य		0.00
				338.12	0.00	1.84	0.00	2.57	4.41	
	उप जोड़ (2006-07)			4503.00	10364.40	0.00	1.84	683.89	961.25	1646.99
	2007-08 के दौरान स्वीकृत									
	थर्मल									
1	एमआईडीसी, चन्द्रपुर महाराष्ट्र के वरोरा में 270 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट (आरईसी लीड)	मै. वर्धा पावर कंपनी प्रा.लि. (केएसके इनर्जी)	कोयला	270.00	555.00			0.00	200.00	200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	गुजरात में 370 मेगावाट कंबाइंड साइकिल टीपीपी	मै. जीएसईएल	गैस	370	947.00			234.35	405.91	640.26
3.	मध्य प्रदेश में महान सुपर थर्मल प्रोजेक्ट (आरईसी लीड)	मै एस्सार पावर एम.पी.लि.	कोयला	1200.0	1000.00			0.00	0.00	0.00
4.	पंजाब में लेहरा मुहब्बत में 2×250 मेगावाट बेएचटीपी (चरण-2) के लिए अतिरिक्त ऋण	मै पीएसईबी	कोयला	500*	400.00			109.99	214.85	324.84
5.	दुर्गापुर में 300 मेगावाट विस्तार की अतिरिक्त यूनिट	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	कोयला	300	960.00			0.00	0.00	0.00
6.	कच्छ जिले में मुंदड़ा तट पर 2×330 मेगावाट का संयंत्र	मै. अदानी पावर प्रा.लि. गुजरात	आयातित कोयला	660	500.00			0.00	89.88	89.88
7.	भद्रक जिले उड़ीसा के रंडिला गांव में एफएसीओआर क्रोम प्लांट से जुड़े होने वाला कैप्टिव विद्युत संयंत्र	एफएसीओआर प्रा.लि.	कोयला	45	100.00			0.00	0.00	0.00
8.	राजस्थान के बाड़मेर में 1000 मेगावाट की थर्मल परियोजना	मै. रोज वेस्ट पावर प्रा.लि.	लिग्नाइट	1000	600.00			0.00	0.00	0.00
9.	एमआईडीसी, चन्द्रपुर महाराष्ट्र के वरोरा में 270 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-2	मै. वार्धा पावर कंपनी. प्रा.लि. (केएसके एनर्जी)	कोयला	270	448.00			0.00	0.00	0.00
10.	गुजरात में 2×250 मेगावाट का सिक्का कोयला आधारित टीपीपी	जीएसईसीएल	आयातित कोयला	500	1694.54			0.00		0.00
11.	नाभा पंजाब में 1200 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण	नाभा पावर लि.	कोयला		256.80			0.00		0.00
12.	तलवंडी पंजाब में 1200 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण	तलवंडी साबो पावर लि.	कोयला		136.60			0.00		0.00
13.	राजस्थान के बीकानेर में 135 मेगावाट लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट	मै. बीज लिग्नाइट पावर प्रा.लि. (केसके एनर्जी)	लिग्नाइट	135	100.00			60.00	0.00	60.00
14.	उत्तर प्रदेश में 1000 मेगावाट अनपरा सी थर्मल पावर प्रोजेक्ट	मै. अनपरा पावर प्रा.लि.	कोयला	1200	975.00			0.00	172.24	172.24
15.	पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 1000 मेगावाट दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर प्लांट	दामोदर वैली कारपोरेशन	कोयला	1000	3120.00			0.00	325.00	325.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	820 मे.वा. के आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट	कोनासीमा गैस पावर लि.	गैस	820	750.00			0.00	0.00	0.00
17.	1000 मेगावाट वल्लूर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कं.लि. (एनटीईसीएस)	कोयला	1000	3796.487			0.00	217.61	217.61
18.	गुजरात के अमरेली जिले से कोयवाव गांव में 700 मेगावाट सीसीपीपी	जीएसपीसी पीपीवाच पावर कंपनी लि.	गैस	700	1935.44			195.00	3.87	198.87
19.	हजीरा गुजरात में 1×35 मेगावाट सीसी विस्तार विद्युत परियोजना	गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि.	गैस	350	717.24			0.00	72.00	72.00
20.	उत्तर प्रदेश में अनपरा टी 2×500 मेगावाट विद्युत परियोजना	यू.पी. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	कोयला	1000	3693.00			0.00	0.00	0.00
21.	आंध्र प्रदेश में 445 मेगावाट का कोनासीमा गैस आधारित परियोजना के लिए अतिरिक्त ऋण	मै. कोनासीमा गैस पावर लि.	गैस	445*	29.00			0.00	21.13	21.13
22.	बवाना, नई दिल्ली में 1500 मेगावाट प्रगति-2 कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट	प्रगति पावर कारपोरेशन लि., नई दिल्ली	गैस	1500	3637.07			0.00	0.00	0.00
23.	छत्तीसगढ़ में 350 मेगावाट आरकेएम पावर स्टेशन	मै. आरकेएम पावरजेन प्रा.लि.	कोयला	350	270.00			0.00	0.00	0.00
24.	आंध्र प्रदेश में 445 मेगावाट का कोनासीमा गैस आधारित परियोजना के लिए अतिरिक्त ऋण	मै. कोनासीमा गैस पावर लि.	गैस	445*	62.00			0.00	50.35	50.35
25.	भद्रक जिले उड़ीसा के रंडिला गांव में एफसीओआर क्रोम प्लांट से चार्ज होने वाला कैप्टिव विद्युत संयंत्र	एफसीओआर पावर लि.	कोयला	45*	40.00			0.00	0.00	0.00
	उप-योग (2007-08)			12670.0	26723.2	0.0	0.0	599.34	1772.83	2372.17
	थर्मल									
1.	जीएनडीटीपीपी, भटिंडा में आर एंड एम कार्य	मै. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	आरएण्डएम थर्मल	2×110*	471.56			27.75	34.35	62.10
2.	रोपड़ चरण-1 के लिए आरएलए/ सीए अध्ययन	मै. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	आरएण्डएम थर्मल	-	12.36			0.00	4.58	4.58
3.	हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन यूनिट-5 की आर एंड एम स्कीम (60 मेगावाट)	मैं यू.पी. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	आरएण्डएम थर्मल	60*	5.25			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	मुहम्मदपुर एसएचपी का एमओयू	मै. जेवीएनएल	आर एंड एम हाइड्रो	3×3.1	19.32			0.00	0.00	0.00
5.	पवरी एमओयू का एसएचपी	मै यूजेवीएनएल	आर एंड एम हाइड्रो	3×6.8	43.00			0.00	0.00	0.00
				0.00	551.49	0.00	0.00	27.75	38.93	66.67
	उप-योग (2007-08)			12670.00	27274.66	0.00	0.00	627.09	1811.76	2438.85
	2008-09 के दौरान स्वीकृत									
	थर्मल									
1.	आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के दुब्बासली गांव में काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-2	एपीजेनको	कोयला	500	2170.00				0	0.00
2.	मध्य प्रदेश के बैतुल जिले के सरनी में 2×250 मेगावाट सतपुड़ा टीपीएस	एम पी पावर जैनरेटिंग कं. लि.	कोयला	500	2110.00				0	0.00
3.	महाराष्ट्र में 2×500 मेगावाट चन्द्रपुर थर्मल पावर विस्तार परियोजना	एमएसपीजीसीएल	कोयला	1000	1680.00				0	0.00
4.	पचड़ी छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट का कोयला आधारित ताप विद्युत प्रोजेक्ट (चरण-2)	लेनको अमरकंटक पावर प्राइवेट लि.	कोयला	600	600.00				0	0.00
5.	महाराष्ट्र के सिरोडा में 1320 मेगावाट संयंत्र	मै. अदानी पावर महाराष्ट्र ज्ञा.	कोयला	1320	1000.00				0	0.00
6.	पंजाब में राजपुरा में 1200 मेगावाट की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण	मै. नभा पावर लि.	कोयला	1200*	340.80				340.8	340.80
7.	कर्नाटक के रायचूर जिले में टीपीपी यूनिट-8	मै. कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल)	कोयला	250	789				0	0.00
8.	भिलाई विस्तार परियोजना के लिए अतिरिक्त ऋण	मै. एमटीपीसी सेल पावर कं. प्रा.लि.	कोयला	500*	280				0	0.00
9.	तूतीकोरिन में 1000 मेगावाट टीपीपी	मै. एनटीपीएल (एनएलसी-टीएनईबी पावर लि.)	कोयला	1000	3437				0	0.00
10.	600 मेगावाट का चेन्नई थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-2	मै. तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	कोयला	600	2175				133	133.00
11.	600 मेगावाट का चेन्नई थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-2 यूनिट-1	मै. तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	कोयल	600	2475				0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	बेल्लारी, कर्नाटक में 500 मेगावाट कोयला आधारित यूनिट-2 विस्तार विद्युत परियोजना	मै. कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल)	कोयला	500	1736					
				6870.00	18792.80	0.00	0.00	0.00	473.80	473.80
	हाइड्रो									
1.	जम्मू कश्मीर में बंगलीहार के लिए अतिरिक्त ऋण	जेकेपीडीसीएल	हाइड्रो	400*	165.00				0	0.00
				0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	पतरातू थर्मल पावर प्लांट, जिला रामगढ़ झारखंड में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन	झारखंड सरकार (झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के लिए)	आरएण्डएम थर्मल	280*	196.00				0	0.00
				0	196	0	0	0	0	0
	डीडीजी									
1.	आंध्र प्रदेश के खम्म में 4 मेगावाट का एचईपी	मै. कृष्णप्रिया पावर कारपोरेशन लि.	हाइड्रो	4	11.53				0	0.00
2.	पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जलढका पावर प्रोजेक्ट (चरण-1) का आर एंड एम कार्य	पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	हाइड्रो	3×9*	62.03				0	0.00
3.	पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 1×9 मेगावाट जलढका पावर प्रोजेक्ट (चरण-1) का आर एंड ए कार्य	पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	हाइड्रो	9	19.40				0	0.00
4.	उड़ीसा के अंगुल जिले में स्मॉल बैराज एचईपी के लिए अतिरिक्त ऋण	मै. ओपीसीएस	हाइड्रो	20*	8.44				0	0.00
5.	मिजोरम के लोकासिव जिले में सेरलुई वही 12 मेगावाट अतिरिक्त ऋण	मिजोरम सरकार	हाइड्रो	12*	55.93				13.57	13.57
6.	हरियाणा के सिरसा जिले में 1×8 मेगावाट स्टारवायर बॉयोमास प्रोजेक्ट	मै. स्टारवायर (इंडिया) बायोमासा प्रा.लि. दिल्ली	बायोमास	8	25.60					0.00
				21	182.93	0	0	0	13.57	13.57
	उप-योग (2008-09)			6891.00	19336.73	0.00	0.00	0.00	487.47	487.47
	* 2005-06 के वित्त वर्ष से 2008-09 के वित्त वर्ष तक कुल संवितरण				62981.83	290.09	1746.47	2061.47	3776.18	7874.21
	* कुल संवितरण में विगत वर्षों के दौरान संस्वीकृत परियोजनाएं भी शामिल हैं					1553.40	4291.00	4308.04	4594.67	14747.11

भूमि का अवक्रमण और इसका प्रबंधन

2208. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूमि का अवक्रमण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जनसंख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में एक प्रभावी भूमि प्रबंधन तंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद के सहयोग से सैटेलाइट इमेजरी डाटा का प्रयोग करके तैयार किये गये भारत के बंजरभूमि संबंधी एटलस-2005 (वेस्टलैन्ड एटलस ऑफ इंडिया, 2005) में देश में बंजरभूमि का क्षेत्रफल 55.27 मिलियन हैक्टेयर होने की सूचना दी गई है। बंजरभूमि एटलस-2000 में बंजरभूमि के क्षेत्रफल के संबंध में दी गई सूचना से इसकी तुलना करने पर यह देखा गया है कि बंजरभूमि के क्षेत्रफल में 8.58 मि.है. की कमी आई है।

(ग) और (घ) भूमि संसाधन विभाग तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को वाटरशेड आधारित पर कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों अर्थात् भूमि, जल तथा वानस्पतिक आच्छादन का संरक्षण तथा विकास करना है।

[हिन्दी]

कम्पनियों द्वारा दंड का भुगतान

2209. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक कम्पनियों ने अपने ऊपर लगे दंड का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (ग) कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा शास्तियां लगाई जाती हैं। कम्पनियों पर लगाई गई शास्तियों के भुगतान का नियमन और लागू किये जाने का कार्य भी इन न्यायालयों द्वारा अपनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत संबंधित न्यायालयों द्वारा किया जाता है। कम्पनियों पर लगाई गई शास्तियों के भुगातन न करने वाली कम्पनियों की कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

कपार्ट द्वारा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन

2210. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान लोक कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपार्ट) द्वारा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान प्राप्त संस्वीकृत परियोजनाएं एवं उन्हें आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उनके निष्पादन से संतुष्ट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् द्वारा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या तथा स्वीकृत और रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ तिमाही प्रगति समीक्षा बैठक के तंत्र के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की समीक्षा की है। 5 नवम्बर, 2008 को की गई ऐसी समीक्षा के आधार पर कपार्ट से परियोजनाओं को स्वीकृति देने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कहा गया तथा इसके लिए वे या तो एक बाह्य क्रियाकलाप करवा सकते हैं अथवा किसी पेशेवर सलाहकार को शामिल कर सकते हैं। कपार्ट ने आने वाले महीनों में वित्तीय निष्पादन तथा व्यय में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए उपाय किये हैं।

विवरण

2005-06

राज्य	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	स्वीकृत राशि (रु.)	रिलीज की गई राशि (रु.)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	384	77	73	47943028	37203570
अरुणाचल प्रदेश	2				
असम	45	11	9	3633790	3604190
बिहार	107	24	24	7943529	4993892
चंडीगढ़	2				
छत्तीसगढ़	9	5	5	892075	759393
दिल्ली	43	1	1	1612500	
गुजरात	95	39	38	28805593	23135002
हरियाणा	113	53	45	31550556	25132439
हिमाचल प्रदेश	32	10	10	8831689	7737312
जम्मू व कश्मीर	33	12	11	5412580	4508860
झारखंड	26	3	3	808820	615070
कर्नाटक	105	1	1	324000	160000
केरल	105				
मध्य प्रदेश	82	21	19	6409159	5813434
महाराष्ट्र	71	11	11	2785962	1120636
मणिपुर	146	16	16	5909463	3852340
मेघालय	9	1	1	94000	84000

1	2	3	4	5	6
मिजोरम	5	3	3	667150	324000
नागालैंड	51	7	7	4019824	3268924
उड़ीसा	73	48	48	18613635	17699209
पंजाब	14	2	2	885200	726600
राजस्थान	102	35	34	12895595	12049248
सिक्किम	2	1	1	77741	77741
तमिलनाडु	112	8	8	3292480	1869257
त्रिपुरा	55	6	6	978030	932510
उत्तर प्रदेश	425	44	43	17597703	11799043
उत्तराखंड	59	12	12	3832766	2404842
पश्चिम बंगाल	82	26	26	10911990	9549779
कुल	2389	477	457	226728858	179421291
		2006-07			
आंध्र प्रदेश	491	55	47	33365229	16834274
अरुणाचल प्रदेश	2				
असम	95	8	6	2024463	1667363
बिहार	358	13	11	5759282	4648494
चंडीगढ़	4				
छत्तीसगढ़	25	20	8	30975948	10154350
दादरा और नगर हवेली	1	1	1	251250	125625
दिल्ली	28				
दमन व दीव		2	2	347100	109700
गुजरात	90	25	18	30404399	10113614
हरियाणा	156	10	10	3578536	2643686
हिमाचल प्रदेश	38	9	8	2593590	1581671
जम्मू व कश्मीर	32	7	7	1373950	811495
झारखंड	72	35	14	69889022	5349918

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	38	34	12	162474630	11952856
केरल	12				
मध्यप्रदेश	87	13	12	10327773	5415493
महाराष्ट्र	81	52	23	122735718	18740599
मणिपुर	122	7	7	2002727	1329895
मेघालय	2				
मिजोरम	4				
नागालैंड	23	6	5	1797260	948706
उड़ीसा	191	45	23	62179978	6791255
पुडुचेरी	1	1	1	62250	62250
पंजाब	28	3	3	645200	625200
राजस्थान	137	39	25	78113303	8496178
सिक्किम	5	3	2	1184800	957920
तमिलनाडु	93	22	15	28335881	3911836
त्रिपुरा	4	4	4	2028180	936900
उत्तर प्रदेश	549	10	9	7926100	1046000
उत्तराखंड	45	8	7	4019467	2981013
पश्चिम बंगाल	177	14	13	7570105	2984942
कुल	2991	446	293	671966141	121221233
		2007-08			
आंध्र प्रदेश	493	202	182	57453896	29793381
अरुणाचल प्रदेश	3	2	2	328700	201300
असम	146	34	32	15087615	8446800
बिहार	395	85	67	58372283	10814643
चंडीगढ़	15	5	5	2050000	1570000
छत्तीसगढ़	27	7	6	4028849	1561850
दिल्ली	16				

1	2	3	4	5	6
गुजरात	48	20	19	17875053	6046224
हरियाणा	88	28	23	14821555	7697000
हिमाचल प्रदेश	84	19	16	13852764	7894863
जम्मू व कश्मीर	40	20	17	8235560	4655950
झारखंड	47	16	11	6789826	5451761
कर्नाटक	2				
केरल	5				
मध्य प्रदेश	55	10	10	5863525	2204180
महाराष्ट्र	29	9	7	2965699	950220
मणिपुर	160	36	34	15821208	7901666
मेघालय	3	6	6	1401750	676600
मिजोरम	9	6	4	2203050	1278821
नागालैंड	13	11	11	2665991	1410926
उड़ीसा	211	54	47	34718892	13116486
पुडुचेरी	4	2	1	507500	478020
पंजाब	36	13	10	9291858	4962967
राजस्थान	129	35	35	11377646	4398325
सिक्किम	2	1	1	205200	100100
तमिलनाडु	165	28	25	4781726	3353491
त्रिपुरा	25	7	7	2197931	1324793
उत्तर प्रदेश	499	81	70	61972585	25018889
उत्तराखंड	38	2	2	780585	315000
पश्चिम बंगाल	140	28	24	17334056	8025122
कुल	2927	767	674	372985303	159649378
		2008-2009 (चालू वर्ष)*			
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1				
आंध्र प्रदेश	244	49	48	25479365	5212226

*8.12.2008 की स्थिति के अनुसार।

1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	4				
असम	26	5	5	1022031	
बिहार	95	22	20	9631210	4267040
चंडीगढ़	2				
छत्तीसगढ़	15	3	3	650000	
दिल्ली	11	1	1	55890	55890
गुजरात	16				
हरियाणा	49	11	11	3400917	560000
हिमाचल प्रदेश	27	9	8	5716330	2299945
जम्म व कश्मीर	26	5	4	3079200	1025100
झारखंड	21	3	3	791820	81000
कर्नाटक	2				
केरल	5	1	1	263000	
मध्य प्रदेश	15	4	4	1906500	
महाराष्ट्र	11				
मणिपुर	57	6	6	1048204	119700
मिजोरम	3				
नागालैंड	2				
उड़ीसा	79	26	22	8952567	1677985
पंजाब	15	4	4	898600	
राजस्थान	41	5	5	1728398	
सिक्किम	1				
तमिलनाडु	76	6	6	2952605	735187
त्रिपुरा	8	1	1	89100	
उत्तर प्रदेश	93	35	35	17033926	3303633
उत्तराखंड	8	2	2	819540	225000
पश्चिम बंगाल	97	21	21	7691813	1003050
कुल	1050	219	210	93211016	21465756

*8.12.2008 की स्थिति के अनुसार

झेलम नदी पर जल विद्युत परियोजना

2211. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर किसी जल विद्युत परियोजना की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर आने वाली अनुमानित लागत, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता सहित इस पर कितना व्यय आने का अनुमान है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक चालू होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) एनएचपीसी द्वारा जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर निम्नांकित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एचईपी) स्थापित किये गये हैं।

1. उड़ी-2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट: उड़ी-22 एचईपी (4×60 = 240 मे.वा.) एनएचपीसी लि. द्वारा कार्यान्वयनाधीन हैं। परियोजना की अनुमोदित लागत, फरवरी 2005 के मूल्य स्तर पर, 1724.79 करोड़ रुपये हैं। परियोजना को 2010-11 तक शुरू करने का कार्यक्रम है।

2. किशनगंगा एच.ई. प्रोजेक्ट: एनएचपीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही किशनगंगा एच.ई. प्रोजेक्ट (3×100 मे.वा.) की वर्तमान परियोजना लागत नवंबर 2005 के मूल्य स्तर पर 2238.67 करोड़ रुपये है और इसके पूर्ण होने की अनुमानित अवधि 84 महीने है।

बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम

2212. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न पोषण कार्यक्रमों का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) बच्चों के पोषण-स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के प्रभाव का आकलन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के आंकड़ों के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकास के निर्धारित नए मानदण्डों के आधार पर 0-3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में कम वजनी बच्चों का प्रतिशत इस प्रकार है:

एन.एफ.एच.एस.-2 (1998-99)	एन.एफ.एच.एस.-3 (2005-06)
42.7 प्रतिशत	40.4 प्रतिशत

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

2213. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (आई.एस.ए.) में भेदभाव को हटाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां।

(ख) भारत के विधि आयोग ने "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 213 के लोप के लिए प्रस्ताव" पर अपनी 209वीं रिपोर्ट में यह संप्रेक्षण किया कि हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों या पारसियों द्वारा की गई विलों के संबंध में वहां पर विभेद है, जहां पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालयों की साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता के क्षेत्राधिकारों के भीतर विल बनाई गई है और जहां पर ऐसी विल उन क्षेत्राधिकारों के बाहर बनाई गई है और जहां तक उनका संबंध उन क्षेत्राधिकारों के भीतर स्थित स्थावर संपत्तियों से है। अत: आयोग की यह राय है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 213, भारत के संविधान के अनुच्छेद की उल्लंघनकारी होने के कारण विखंडित किये जाने के लिए उत्तरदायी है और तदनुसार, आयोग ने कानून में से धारा 213 का पूर्णरूप से निरसन करने की सिफारिश की है। उक्त रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनकी समीक्षा के लिए परिचालित कर दी गई है।

संशोधित समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

2214. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संशोधित समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी हां। दिनांक 1.4.2007 से 11वीं योजना अवधि में संशोधित समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 1994-95 से 2002-03 तक समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) और वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक संशोधित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया।

11वीं योजना हेतु प्रस्तावों को तैयार करते समय एक बोधगम्य निर्णय लिया गया कि चूंकि आईआरईपी ने पहले ही अपने उद्देश्यों को प्रदर्शित कर दिया है, इसलिए 11वीं योजना के दौरान इसे जारी रखने से कोई लाभकारी उद्देश्य हल नहीं होगा।

आयकर छापे

2215. श्री के. सुब्बारायण: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाले गये आयकर संबंधी छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों में कितनी बेहिसाब धनराशि का पता चला है;

(ग) उन फर्मों या व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके ऊपर ये छापे डाले गए; और

(घ) इन मामलों पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) महोदय, गत तीन वर्षों के दौरान जिन समूहों पर आयकर के छापे डाले गये उनकी संख्या निम्नवत् है:

वित्त वर्ष	समूहों की संख्या
2005-06	550
2006-07	538
2007-08	448

(ख) उपर्युक्त छापों के दौरान जब्त की गई बेहिसाबी परिसंपत्ति का मूल्य निम्नवत है:

वित्त वर्ष	जब्त की गई कुल परिसंपत्तियों का मूल्य (आंकड़े लाख रुपये में)
2005-06	33619.23
2006-07	35497.96
2007-08	43109.54

(ग) ऐसी फर्मों तथा व्यष्टियों जिन पर छापे डाले गए का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) ऐसे मामलों में अप्रकटित आय के कर-निर्धारण, अर्थदण्ड के उद्ग्रहण आदि के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

वैश्विक गरीबी संबंधी विश्व बैंक अनुमान

2216. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी के बारे में अद्यतन अनुमान जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस रिपोर्ट के आलोक में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वव्यापी गरीबी के बारे में विश्व बैंक द्वारा जारी अद्यतन अनुमानों से पता चलता है कि भारत में 1981 से 2005 के दौरान प्रतिदिन 1.25 डालर से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की संख्या 60% से घटकर 40% हो गई है। प्रतिदिन 1 डालर (2005 का मूल्य) से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की संख्या उसी अवधि में 42% से घटकर 24% हो गई है, जो योजना आयोग द्वारा वर्ष 2004-05 के लिये लगाये गये 27.5% गरीबी अनुमान के काफी करीब है। विश्व बैंक गरीबी संबंधी 1990 की विश्व विकास रिपोर्ट में उपयोग में लाये गये विश्वव्यापी गरीबी अनुमानों के पहले सैट के लिए प्रतिदिन एक डालर मानदण्ड का उपयोग करता रहा है। प्रतिदिन 1.25 डालर की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी सीमा का उपयोग करके हाल के अनुमान जारी किये गये हैं। अलग-अलग गरीबी अनुमानों पर आधारित गरीबी अनुमान तथा योजना आयोग के गरीबी अनुमान से यह पता चलता है कि भारत में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। विश्व बैंक तथा योजना आयोग द्वारा अनुमानित संख्या में अंतर मुख्य रूप से इस प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई गई अलग-अलग प्रक्रिया विधि के कारण है। देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन, हमारी पंचवर्षीय योजनों का एक उद्देश्य रहा है। सरकार ने ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए सीधी पहल के रूप में विभिन्न उपाय किये हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2 फरवरी, 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत व्यापक मजदूरी रोजगार योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसे अब देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम में उन सभी ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है जिस परिवार के वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक स्वरोजगार कार्यक्रम भी देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत ग्रामीण बीपीएल परिवारों को स्व-सहायता समूह में गठित किया जाता है तथा ऋण और सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाती है जिससे वे ऐसे आर्थिक कार्यकलाप शुरू कर सकें जिससे स्थायी आधार पर उनकी आय में सतत् रूप से वृद्धि हो सके। इसी तरह, मकानों के निर्माण के लिए भी ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होता है। ग्रामीण अवसंरचना निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे ग्रामीण सड़कें, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता इत्यादि से संबंधित कार्यक्रमों का लक्ष्य भी ग्रामीण जन समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा निजी क्षेत्र के बैंक

2217. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों से पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उन्हें ऐसे बैंकों के साथ कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाया जा सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) मार्च, 2007 और मार्च, 2008 को समाप्त स्थिति के अनुसार, सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का अधिकांश बाजार हिस्सा (करीब 70%) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का है। पूंजी पर्याप्तता के संबंध में, सरकारी क्षेत्र के बैंक एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक दोनों की जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात विनियामक आवश्यकता के 9% से काफी ऊपर है। आस्ति पर आय (आरओए) और इक्विटी पर आय (आरओई) द्वारा मापा जाने वाला निष्पादन सूचकों के संबंध में, पीएसबी का आरओए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आरओए से नीचे है। शायद इसलिए कि पीएसबी विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है और देश के दूरस्थ और बिना बैंक वाले हिस्सों में अलाभकारी शाखाओं का भी परिचालन करता है। मार्च, 2007 और 2008 की स्थिति के अनुसार, पीएसबी का आरओई, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आरओई से ज्यादा है। मुख्य निष्पादनकारी मानदण्डों पर पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये)

मद	मार्च 2007		मार्च 2008	
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक
1	2	3	4	5
जमा	19,11,993	5,43,361	23,56,776 (23.26)	6,66,627 (22.69)

1	2	3	4	5
ऋण	13,73,777	4,20,145	16,96,929 (23.5)	4,72,345 (12.42)
निवल लाभ	20,152	6,465	25,622 (33.6)	8,649 (33.78)
बाजार हिस्सा (%)	70.34	21.23	69.96	21.19
सीआरएआर (%)	12.36	12.01	12.51	14.34
आरओए (%)	0.82	0.81	0.89	0.99
आरओई (%)	13.62	11.59	13.72	9.56

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े वर्ष 2007-08 का वृद्धि प्रतिशत दर्शाते हैं)

(ग) सामान्यत: भारत के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने, विशेष रूप से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य लाने के लिए भी सरकार द्वारा उठाये गये व्यापक कदमों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिम आधारित विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को सशक्त करने, बासेल समिति मानदण्डों इत्यादि की तरह पूंजी पर्याप्तता मानकों की शुरुआत करने के उपाय किये हैं। 1990 के दशक के प्रारम्भ में सुधारों की शुरुआत के बाद बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार आया है। तुलन पत्र और लाभप्रदाता सूचक जैसे आस्ति पर आय, निवल ब्याज मार्जिन, अनुप्रयोज्य आस्तियों का अनुपात, एनपीए के लिए प्रावधान और वर्गीकरण मानदण्ड, पूंजी पर्याप्तता अनुपात इत्यादि यह दर्शाते हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वैश्विक मानदण्डों के समतुल्य हो गया है। इसके अलावा, शीघ्र और कार्यसाधक निर्णय लेने को सुकर बनाने के लिए और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निदेशक मण्डलों को पर्याप्त प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार ने इन बैंकों के लिए फरवरी 2005 में एक स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अनुसार, बैंक के निदेशक मण्डल समग्र कारोबारी रणनीति के भाग के रूप में नए कारोबार में प्रवेश करने से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने, कंपनियों या कारोबारों का उपयुक्त अधिग्रहण करने, अलाभकारी शाखाओं को बंद/समामेलित करने, विदेश में कार्यालय खोलने, अनुषंगी बनाने और किसी कारोबार से निकलने इत्यादि में सक्षम होंगे। सरकार ने जमा, अग्रिम, अनुप्रयोज्य आस्तियां (एनपीए), आय लागत का अनुपात, आस्तियों पर आय, लाभ इत्यादि सहित विभिन्न निष्पादनकारी मानदण्डों पर उनके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लक्ष्यों पर आशय विवरण'' के आधार पर, पीएसबी के समग्र निष्पादन की निगरानी के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया है। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गये कदमों में, वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता की समग्र वृद्धि में योगदान किया है।

कम लागत वाले आवास

2218. श्री उदय सिंह:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने भारत के शहरों को मलिन बस्ती मुक्त बनाने के लिए कम लागत वाले आवासों के निर्माण को प्रोत्साहन देने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी निधियों की आवश्यकता होगी तथा इससे कितने आवासों का निर्माण किया जाना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटकों-शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं (बीएसयूपी) और समेकित आवास तथा मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत, अब तक 1089829 आवासों वाली 790 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा, परियोजना लागत और संस्वीकृत आवासों की संख्या संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं
(उप-मिशन-2)
कुल अनुमोदित परियोजना

25.11.2008 तक स्थिति
(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की कुल सं.	कुल अनुमोदित केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3	19	1707.78	93995	846.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	4.10	100	3.36
3.	असम	1	1	53.95	1232	48.56
4.	चंडीगढ़ (यूटी)	1	2	564.94	25728	396.13
5.	छत्तीसगढ़	1	4	391.45	27976	312.18
6.	बिहार	2	9	367.72	14596	179.54
7.	दिल्ली	1	15	1814.49	65504	768.73
8.	गुजरात	4	13	1268.87	87504	612.93
9.	गोवा	1	1	10.22	155	4.60
10.	हरियाणा	1	2	64.23	3248	31.18
11.	हिमाचल प्रदेश	1	2	24.01	636	18.27
12.	जम्मू एवं कश्मीर	2	2	105.17	5208	84.88
13.	झारखंड	2	8	260.04	9188	171.62
14.	कर्नाटक	2	7	510.27	21846	272.97
15.	केरल	2	6	304.12	22208	202.39
16.	मध्य प्रदेश	4	19	520.68	33289	256.67
17.	महाराष्ट्र	5	36	4135.48	130612	1932.11
18.	मेघालय	1	2	30.44	600	23.77
19.	मिजोरम	1	2	34.33	408	28.91

1	2	3	4	5	6	7
20.	नागालैंड	1	1	134.50	3504	105.60
21.	उड़ीसा	2	5	62.17	2316	48.77
22.	पंजाब	2	2	72.43	5152	36.15
23.	पुडुचेरी	1	2	43.97	1304	32.31
24.	राजस्थान	2	2	277.14	17337	169.20
25.	सिक्किम	1	1	3.25	52	2.79
26.	तमिलनाडु	3	24	2134.11	85607	947.36
27.	त्रिपुरा	1	1	16.73	256	13.96
28.	उत्तर प्रैदश	7	15	640.53	27760	295.99
29.	उत्तराखण्ड	3	4	22.88	524	18.08
30.	पश्चिम बंगाल	2	76	2411.30	115244	1166.55
	कुल	61	284	17996.28	803089	9032.49

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
कुल अनुमोदित परियोजना

25.11.2008 तक स्थिति
(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	कस्बा/यूएलबी का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिटों की संख्या	कुल अनुमोदित केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	1	5.27	40	4.74
2.	असम	12	12	38.31	5393	33.11
3.	बिहार	10	10	80.73	6500	59.76
4.	छत्तीसगढ़	13	14	176.50	14846	122.01
5.	दादरा एवं नगर हवेली	1	1	0.50	0	0.45
6.	दमन एवं दीव	1	1	0.69	16	0.58
7.	गुजरात	23	23	227.49	18405	153.13

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	10	15	238.84	14641	182.96
9.	हिमाचल प्रदेश	3	3	23.44	816	16.19
10.	जम्मू एवं कश्मीर	10	10	42.40	2654	32.23
11.	झारखंड	1	1	19.67	1292	15.58
12.	कर्नाटक	25	25	240.27	13053	145.76
13.	केरल	28	28	150.07	13528	114.22
14.	मध्य प्रदेश	30	33	241.89	17164	171.08
15.	मिजोरम	3	3	8.27	624	6.21
16.	राजस्थान	32	34	418.82	25634	287.90
17.	मेघालय	1	1	21.82	456	8.97
18.	मणिपुर	2	2	16.50	1103	12.37
19.	महाराष्ट्र	47	51	610.41	41350	438.21
20.	नागालैंड	1	1	87.74	2496	44.14
21.	उड़ीसा	15	15	83.63	4884	59.13
22.	पंजाब	2	3	63.42	4658	32.62
23.	पुडुचेरी	1	1	17.03	432	5.48
24.	तमिलनाडु	30	30	225.67	19763	169.19
25.	त्रिपुरा	1	1	7.19	400	6.33
26.	उत्तर प्रदेश	47	50	214.79	8920	134.71
27.	उत्तराखण्ड	2	2	5.85	231	2.91
28.	पश्चिम बंगाल	67	70	667.26	38184	482.34
	कुल	419	441	3934.40	257483	2742.32

जनजातियों हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय अंशदान

2219. श्री किरिप चालिहा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनजातियों हेतु चल रही योजनाओं में केन्द्र के अंशदान में वृद्धि करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) मंत्रालय ने जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों (2008-09 से प्रभावी) में आश्रम विद्यालयों की स्थापना तथा अनुसूचित जनजातियों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को मात्र संशोधित किया है। दोनों

संशोधित योजनाओं के तहत लड़कियों के लिए सभी छात्रावासों तथा विद्यालयों के निर्माण के लिए तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चिन्हित) में लड़कों के लिए छात्रावासों तथा आश्रम विद्यालय के निर्माण के लिए भी राज्य सरकारें 100% केन्द्रीय अंशदान प्राप्त करने के पात्र होंगी। लड़कों के अन्य छात्रावासों तथा आश्रम विद्यालयों के लिए राज्य सरकारों को निधियन तरीका 50 : 50 के अनुपात पर है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्रीय सरकार निर्माण की सारी लागत वहन करती है।

लड़कों तथा लड़कियों के छात्रावासों की योजना विश्वविद्यालय तक भी लागू है। तथापि, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए निधियन, निर्माण का 90% तथा अन्य विश्वविद्यालयों के लिए निर्माण का 45% है।

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परिचय पत्र

2220. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय परिचय पत्र (एमएनआईसी) की प्रायोगिक परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शेयरों की भारी बिक्री

2221. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:**
श्री रामजी लाल सुमन:
श्री सूरज सिंह:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार में भारी पूंजी निवेश किया है, ने हाल ही में भारी मात्रा में शेयरों की बिक्री की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इस प्रकार से भारी मात्रा में शेयरों की बिक्री का भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) कैलेण्डर वर्ष 2007 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश के जरिये निवल अन्तर्वाह 80,914.6 करोड़ रुपये था। वर्ष 2008 के पहले ग्यारह महीनों में निवल बहिर्वाह 44,061.6 करोड़ रुपये हुआ है।

(ग) भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये का मूल्य घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार के कई घटकों से प्रभावित होता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयरों का भारी मात्रा में विक्रय भी एक ऐसा घटक है जिसका कारण सूचकांक में गिरावट की प्रवृत्ति और रुपये के मूल्य में गिरावट होना है।

(घ) सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किये हैं:

1. कार्पोरेट ऋण में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संचयी निवेशों की सीमा बढ़ाकर 6 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है जबकि सरकारी प्रतिभूतियों में इसकी सीमा बढ़ा कर 5 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है।

2. इक्विटी और ऋण में निवेश के क्रमश: 70 : 30 के अनुपात में प्रतिबंधों के संबंध में सेबी विदेशी संस्थागत निवेश विनियमों के विनियम 15(2) में दी गई शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

3. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा, यथा उल्लिखित व्युत्पन्नों सहित प्रतिभूतियों के एवज में जारी वचनपत्रों पर अक्तूबर, 2007 में लगाया गया प्रतिबंध अक्तूबर, 2008 में हटा दिया गया था।

4. व्यापक आधार वाली परिभाषा का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है जिसमें बीस निवेशकों की एक निधि होगी और प्रत्येक निवेशक की धारिता 10 प्रतिशत की पूर्व सीमा की तुलना में 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

5. शुल्क का भुगातन करने पर विदेशी संस्थागत निवेशकों का निरन्तर पंजीकरण किया गया।

6. भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये और डालर के रूप में नकदी निधि में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक की वैबसाइट http://www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

खाद्य और ऊर्जा की अत्यधिक कीमतें

2222. **श्री सुब्रत बोस:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष वाशिंगटन में हुई विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने खाद्य और ऊर्जा की अत्यधिक कीमतों और उनके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में वाशिंगटन में हुई विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने खाद्य और ऊर्जा की ऊंची कीमतों और उनके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि कई विकासशील देशों को ऊर्जा और अनिवार्य खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों की वजह से पहले ही काफी नुकसान पहुंचा है जिस कारण अपनी जनता को लम्बे समय तक आर्थिक तंगी, ऋण और लगातार चल रही वैश्विक मंदी से उबारने के उनके प्रयासों को भारी झटका लग सकता है।

विश्व बैंक समूह ने अपने सहभागी देशों की मदद करने का आश्वासन दिया है और उन देशों को निर्धन लोगों पर खाद्य की ऊंची कीमतों के प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल सहायता मुहैया कराने के लिए 1.2 बिलियन डालर की त्वरित वित्तपोषण सुविधा की घोषणा की है जिसमें से 850 मिलियन डालर के लिए पहले ही अनुमोदन प्राप्त हो चुका है अथवा प्रक्रियाधीन है।

(ग) भारत सरकार ने उचित मूल्य पर खाद्य मदों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए है जिनमें सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के जरिये गेहूं की उपलब्धता बढ़ाना, गेहूं और बासमती के अलावा अन्य किस्मों के चावल के निर्यात पर रोक लगाना, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्न योजना के जरिये समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करना, प्रशुल्कों में कमी करना, वायदा व्यापार में विनियामक उपाय करना, आदि शामिल हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9517/2008]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9518/2008]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9519/2008]

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9520/2008]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9521/2008]

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9522/2008]

(3) लंबित विधि आयोग प्रतिवेदन-दिसम्बर, 2008 के बारे में चौथा वार्षिक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 9523/2008]

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा 3 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा समर्थन का समवर्द्धन प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों पर जागरूकता और प्रशिक्षण के उपायों के बारे में विवरणी) नियम, 2008 जो 10 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 727 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 9524/2008]

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भारतीय कारपोरेट विधि सेवा नियम, 2008, जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 772(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 9525/2008]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रारूप (संशोधन) नियम, 2008 जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 655(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 9526/2008]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 9527/2008]

(2) (एक) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर विड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9528/2008]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9529/2008]

(3) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9530/2008]

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9531/2008]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 30 जून, 2008 के भारत के राजपत्र मे सा.का.नि. 486(अ) में प्रकाशित ऊर्जा संरक्षण (प्रत्यायित ऊर्जा लेखापरीक्षक की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और खपत की गई ऊर्जा के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए रूप और तरीका और समय) नियमावली, 2008 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 9532/2008]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9533/2008]

(ख) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9534/2008]

(ग) (एक) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भोपाल के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9535/2008]

(घ) (एक) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9536/2008]

(ङ) (एक) पावर फाइनान्स कॉरपोरेशन लिटिमेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनान्स कॉरपोरेशन लिटिमेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9537/2008]

(3) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9538/2008]

अपराह्न 12.02 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं चौदहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 4 विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं जिसके संबंध में 20 अक्तूबर, 2008 को सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी:

1. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2008
2. विनियोग (रेलवे) संख्यांक 4, विधेयक, 2008
3. केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 और
4. भेषज और सौन्दर्य प्रसाधन (संशोधन) विधेयक, 2008

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9539/2008]

अपराह्न 12.02 बजे

संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष का विनिश्चय

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत श्री हरिहर स्वाईं के विरुद्ध श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा दी गई याचिका पर लोक सभा अध्यक्ष के दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 के विनिश्चय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 9540/2008]

अपराह्न 12.03 बजे

54वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय. मैं क्वालालमपुर (मलेशिया) में 1 अगस्त से 10 अगस्त, 2008 तक हुए 54वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में रिपोर्ट का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 9541/2008]

अपराह्न 12.03$^{1}/_{4}$ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

26वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

34वां और 35वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नलगौंडा): महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'कपड़ा मिलों की रुग्णता/बंदी' विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन; और

(2) *'देश में बुनकरों की सामान्य स्थिति-बुनकरों के सिरसीला संकेन्द्रित क्षेत्र का केस स्टडी' विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति का 35वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

36वां से 38वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) से संबंधित 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) से संबंधित 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) से संबंधित 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन।

---

*अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था तब पैंतीसवां प्रतिवेदन 12.11.2008 को लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया ,और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी।

अपराह्न 12.04½ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

211वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय मैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यकरण के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के दो सौ ग्यारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं उपरोक्त विषय पर अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 क, जिसे दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-2 के द्वारा जारी किया गया था, के अनुपालन में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के छत्तीसवें (36वें) प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का छत्तीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में 17 अप्रैल, 2008 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन भूमि संसाधन विभाग की वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की मांगों की समीक्षा से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में 24 सिफारिशें शामिल हैं। समिति के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को 26.8.2008 को भेजी गई थी।

ये सिफारिशें मुख्यत: भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करने, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, वाटर शेड विकास के संबंध में नई योजनाओं को कार्यान्वित करने, भूमि अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत/अद्यतन करने तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बायो-ईंधन योजना को आरम्भ करने से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य, जिसे सभा पटल पर रखा गया है, के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा गया माना जाए।

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9542/2008

अपराह्न 12.06 बजे

(दो) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं उपरोक्त विषय पर अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

मैं लोक सभा के 1 सितम्बर, 2004 के बुलेटिन भाग-2 द्वारा जारी आदरणीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 'क' के अनुपालन में ग्रामीण विकास विभाग (2006-2007), 14वीं लोक सभा, की ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) 3 अगस्त, 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण आवास योजना से संबंधित है। समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 25.7.2007 को ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति को भेज दी गई थी। इन सिफारिशों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लोक सभा में अगस्त, 2007 में तथा राज्य सभा में सितम्बर, 2007 में प्रस्तुत किया गया था। सिफारिशों से संबंधित स्थिति को दर्शाने वाली संशोधित की गई कार्रवाई रिपोर्ट लोक सभा में 18.11.2008 को भेज दी गई है।

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9543/2008

उक्त रिपोर्ट में समिति ने 56 सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार को कार्रवाई करने को कहा गया है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से ग्रामीण आवास की जरूरतों तथा उसका वित्त पोषण, ग्रामीण आवास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, डिजाइन और इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन इत्यादि के संबंध में हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई हैं, जो सदन के पटल पर प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा गया माना जाए।

अपराह्न 12.06½ बजे

(तीन) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 63वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): मैं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 63वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

उपर्युक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा कुल मिलाकर तीन सिफारिशें की गई हैं, जिन पर सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की जानकारी इस वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है जोकि सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुबंध में दी गई जानकारी को पढ़कर सभा का बहुमूल्य समय नहीं लूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9544/2008।

अपराह्न 12.07 बजे

(चार) आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008 और 2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 59वें और 67वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008 और 2008-2009) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 59वें और 67वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

मैं, सम्पूर्ण वक्तव्य तथा इसके अनुबंधों में दी गई जानकारी को पढ़ने में सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दें और इसे पढ़ा गया माना जाए।

अपराह्न 12.08 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं आपकी अनुमति से 15 दिसम्बर, 2008 सोमवार से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान किये जाने वाले सरकारी कार्य की निम्नलिखित जानकारी देना चाहता हूं:

1. आज के आदेश-पत्र से आगे ले जाने वाले सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. राज्य सभा द्वारा यथापारित असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 पर विचार तथा पारित किया जाना।
3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारित किया जाना:

   (क) भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2006।

   (ख) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9545/2008।

(ग) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक 2008

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008।

4. राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारित किया जाना:-

(क) पशुओं में संक्रामक रोगों के निवारण एवं नियंत्रण विधेयक, 2005।

(ख) सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2007।

(ग) ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008।

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006।

(ङ) बीज विधेयक, 2004।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9546/2008]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, सदस्यों द्वारा निवेदन।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:

1. देश के पूर्वोत्तर राज्यों की भांति उत्तराखंड में एस.एस.बी. के प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवक (गुरिल्लों) को उनकी आयु सीमा व अर्हता के आधार पर स्थायी नियुक्ति व पेंशन व अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता।

2. उत्तराखंड राज्य में हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ-साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं:

(एक) जैसी की खबर दी जा चुकी है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संसद को अवहेलना-भविष्य निधि निवेश कोष को करोड़ों रुपये की हानि। भविष्य निधि निवेश कोष की हानि, राष्ट्र की हानि है तथा भविष्य निधि की राशि का दुरुपयोग कर्मचारियों के परिश्रम की कमाई की बर्बादी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुप्रबंधन के कारण करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि के लाभों से वंचित हुए हैं। चूंकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में विधि का शासन नहीं है, इसलिए केन्द्र सरकार को संसद के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्रियाकलाप चलाने चाहिएं तथा ईपीएफ की धारा 20 और एमपी अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारी करे।

(दो) पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में पहले ही 40 डॉलर प्रति बैरल की कमी आ चुकी है, जबकि भारत सरकार ने मूल्यों में केवल 5 और 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। इसलिए सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार तुरन्त मूल्यों में कटौती करनी चाहिए, जिससे कि लोगों का एक बड़ा वर्ग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक वस्तुएं खरीद सके तथा बाजार में स्थिरता आ सकें।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित लोक महत्व तथा अविलम्बनीय मामलों को अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करें:

1. देश की बहुमूल्य खनन सामग्री को निजी कम्पनी, उद्योगों को कैप्टिव ब्लाक्स के द्वारा बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। इससे सरकारी राजस्व को हो रही हानि को देखते हुए इसकी नीलामी लगाकार देने के लिए तत्काल अध्यादेश निकाल कर कार्रवाई करें।

2. मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के परिवारों को उनके पालन-पोषण में हो रही तकलीफ को देखते हुए सरकार ऐसे बच्चो के परिजनों को जीवनयापन हेतु आवश्यक सुविधा-पेंशन आदि मुहैया कराये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, संसद सत्र की आगामी सप्ताह की संसदीय कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. भारत सरकार के वित्त मंत्री ने बजट भाषण (2007-2008) में दिल्ली से जयपुर तक एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की थी परन्तु इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं हुई है।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

2. रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में राजस्थान में 5 नई रेलगाड़ियां चालू करने की घोषणा की थी जैसे जयपुर-चंडीगढ़ इत्यादि। इन 5 में से एक को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाए:

(एक) बोगी के भागों के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु भारतीय रेलवे तथा सिल्क ऑटोकास्ट लिमिटेड, केरल के बीच समझौते पर शेयरधारकों के हस्ताक्षर करने की आवश्यकता।

(दो) अलापुझा से मालाबार की ओर जाने वाले दैनिक यात्रियों की कठिनाई को कम करने के लिए रेलगाड़ी सं. 648/649 (कोरानूर-एर्नाकुलम यात्री रेलगाड़ी) का अलापुझा तक विस्तार।

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो मदों को सम्मिलित किया जाए:

(एक) इस वर्ष की अभूतपूर्व वर्षा के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर फल और सब्जियां नष्ट हुई हैं। इस विनाशलीला और प्राकृतिक आपदाओं के निरंतर खतरे को ध्यान में रखते हुए इन नाजुक फसलों को राष्ट्रीय बीमा कवर के दायरे में लाने की आवश्यकता है ताकि फल एवं सब्जी उत्पादकों को सहायता मिल सके।

(दो) रक्षा बलों विशेषकर अधिकारी संवर्ग में श्रमशक्ति की भारी कमी है। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर संसद में चर्चा किये जाने की आवश्यकता है।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद को सम्मिलित किया जाए:

(एक) भारत सरकार को हारमैनी इंडिया यूनिवर्सिटी के नाम से एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आगे आना चाहिए। इस विश्वविद्यालय का एकमात्र उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द और शांति के सार्वभौमिक सिद्धांतों की शिक्षा होना चाहिए। इस विश्वविद्यालय को गीता, कुरान, बाइबल और थिरुक्कुरल की शिक्षा देनी चाहिए।

अपराह्न 12.15 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप-नियम (3) के अधीन श्री बृजभूषण शरण सिंह जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है के स्थान पर अपने सदस्यों में से एक सदस्य को समिति की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप-नियम (3) के अधीन श्री बृजभूषण शरण सिंह जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है के स्थान पर अपने सदस्यों में से एक सदस्य को समिति की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.16 बजे

(दो) लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासौर): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप नियम (3) के अधीन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' जिन्होंने लोक सभा में अपने

स्थान से त्याग पत्र दे दिया है और श्री ब्रजेश पाठक, जो राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, के स्थान पर अपने सदस्यों में से दो सदस्यों को समिति की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप नियम (3) के अधीन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है और श्री ब्रजेश पाठक, जो राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, के स्थान पर अपने सदस्यों में से दो सदस्यों को समिति की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.17 बजे

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री अमर सिंह, जिनका राज्य सभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, के स्थान पर सभा से एक सदस्य को समिति की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री अमर सिंह, जिनका राज्य सभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, के स्थान पर सभा से एक सदस्य को समिति की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.18 बजे

(चार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अधीन सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को श्री कैलाश बैठा जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अधीन सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को श्री कैलाश बैठा, जिन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

[श्री रूपचन्द मुर्मू]

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह राज्य सभा से एक सदस्य को श्री वीर सिंह जिनका राज्य सभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, के स्थान पर सभा से एक सदस्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह राज्य सभा से एक सदस्य को श्री वीर सिंह जिनका राज्य सभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, के स्थान पर सभा से एक सदस्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम शून्यकाल आरम्भ करेंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाखों किसानों से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सात जिलों वाले उत्तरी तेलांगाना क्षेत्र के लिए सिंचाई और पेयजल सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने हेतु गोदावरी नदी पर श्रीराम सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। चूंकि गोदावरी एक अन्तर्राज्यीय नदी है, इसलिए यदि इस पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसी भी परियोजना का निर्माण किया जाता है, तो उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार की स्वीकृति लेनी चाहिए और उन्हें केन्द्रीय जल आयोग की भी अनुमति लेनी चाहिए। यह एक अनिवार्य प्रावधान है। किसी भी सरकार को इससे हटना नहीं चाहिए और किसी भी सरकार को इन सभी चीजों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। किंतु महाराष्ट्र सरकार बिना आंध्र प्रदेश सरकार की स्वीकृति और केन्द्रीय जल आयोग की अनुमति के बाभली और विभिन्न अन्य परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। बाभली मुद्दा न्यायालय में लंबित है। यह मुद्दा इस सभा में काफी पहले भी उठाया गया था। भूमि पूजन और इन सभी परियोजनाओं का निर्माण केवल 2004 के पश्चात् ही आरम्भ हुआ है। बाभली परियोजना का निर्माण वर्ष 2004 में शुरू हुआ जबकि शेष परियोजनों के लिए भूमि पूजन वर्ष 2005 में किया गया ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): सरासर गलत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार को इन सभी परियोजनाओं की कोई भी पूर्व जानकारी नहीं थी। हमारे संसद सदस्य और विधायक उस क्षेत्र में गए। उनके दौरे के पश्चात् ही आंध्र प्रदेश सरकार की जानकारी में यह बात आई, किंतु आंध्र प्रदेश सरकार इन परियोजनाओं के निर्माण को रोकने में पूर्ण रूप से और बुरी तरह विफल रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, एक और मुद्दा है। इन सभी परियोजनाओं के निर्माण को रोकने के उद्देश्य से इस मामले में केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा 5 दिसंबर, 2008 को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया। यदि वे केन्द्रीय जल आयोग की अनुमति और आंध्र प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बिना इन सभी परियोजनाओं का निर्माण करते हैं, तो श्रीराम सागर परियोजना का 'आयाकुट' अलग-थलग पड़ जाएगा। यह उत्तर तेलांगाना जिलों के लिए भारी नुकसानदेह साबित होगा।

आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। इसीलिए, हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का आग्रह कर रहे हैं-हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है-जो इस क्षेत्र का दौरा करेगी और यह देखेगी कि क्या उन्होंने प्रावधान का उल्लंघन किया है और क्या उन्होंने इसके लिए केन्द्रीय जल आयोग की अनुमति ली है। साथ ही क्या उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार की स्वीकृति ली है या नहीं। यह किसी भी परियोजना के निर्माण के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने सत्ता पक्ष सहित सभी राजनैतिक दलों को साथ लेकर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है। मुख्य मंत्री ने

संकल्प पारित किया है। इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। हम भुक्तभोगी है। चूंकि आंध्र प्रदेश राज्य नदी के तट की निचली ओर अवस्थित है।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। आपका प्वाइंट कार्यवाही-वृत्तांत में आ गया है। आप जानते हैं कि मैं सरकार को आपके वक्तव्य का प्रत्युत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, हमारे मुख्य सचेतक यहीं है। हमारे संघ के केबिनेट मंत्री, श्री कपिल सिब्बल भी यहीं हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। आपका प्वाइंट कार्यवाही-वृत्तांत में आ गया है।

अब मैं श्री शैलेन्द्र कुमार से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने जो आपसे वादा किया था, वह पूरा कर दिया।

[अनुवाद]

कृपया अभी बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपने जो कुछ भी बोला है उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासी शम्स उल हसन इसरार जो 13 वर्ष से *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: किसी भी बात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु: केन्द्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल यहां उपस्थित हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय मंत्री को निदेश दिया है *...(व्यवधान)* दोनों ही सरकारें कांग्रेस की हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास है। हमें इस मुद्दे को सुलझाने दें *...(व्यवधान)*

श्री बी. विनोद कुमार (हनमकोंडा): उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार को यह मुद्दा सुलझाने दें *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: ये उच्चतम न्यायालय के निदेश हैं परन्तु प्रधानमंत्री इसमें असफल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, हम यह अनुरोध करते हैं कि सरकार इस मामले पर जवाब दें *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, यह उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बी. विनोद कुमार: महोदय हम केवल इतना चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर जवाब दें *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हम प्रतिदिन संसद में इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे किया अपना वायदा पूरा किया है, अब कृपया अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जो मैंने कहा था, वह मैंने किया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: यदि वे इसका उत्तर आज ही नहीं दे सकते तो सरकार को इस मामले पर कल उत्तर देने दिया जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सरकार को उत्तर देने या कोई वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: सरकार इस महत्वपूर्ण मामले पर जवाब नहीं दे रही है *...(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री भी आज सदन में उपस्थित थे परन्तु उन्होंने भी इसका उत्तर नहीं दिया। अतएव विरोध स्वरूप हम सदन से बाहर जा रहे हैं *...(व्यवधान)* भारत सरकार भी आंध्र प्रदेश मामले जो कि सात जिलों और 18 लाख एकड़ भूमि को प्रभावित कर रहा है के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। *...(व्यवधान)* कृषक समुदाय आत्महत्या कर रहा है। अतएव विरोध में हम सदन से बाहर जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री बी. विनोद कुमार: इस क्षेत्र के युवा पहले ही से बहुत निराश हैं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.30 बजे

[अनुवाद]

इस समय श्री किन्जरपु येरननायडु और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 12.31 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) 17 नवम्बर, 2008 को सोमालिया के जलदस्युओं द्वारा अपहृत ईरानी जलपोत में कार्यरत एक भारतीय कर्मचारी की रिहाई सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री शैलेन्द्र कुमार।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासी शमशुल हसन इसरार, जिसकी उम्र 35 साल है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: शैलेन्द्र जी, आप एक-दो मिनट में अपनी बात खत्म करना, तभी मैं सभी को बुलाऊंगा, नहीं तो दो-चार

माननीय सदस्यों को बुला कर जीरो-आवर को यहीं खत्म कर दूंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार: जिस मालवाहक जहाज में 13 वर्षों से ईरानियन शिपिंग लाइंस, इस्लामिक रिपब्लिक शिपिंग हाउस ऑफ ईरान (डिलाइट) में कार्यरत हैं। ये मालवाहक जहाज मलेशिया से जेद्दाह होते हुए ईरान जा रहा था। जिस पर सोमालिया में 18 डाकुओं ने 17 नवम्बर, 2008 से कब्जा कर रखा है। आज 26 दिन हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक भारतीय, जो हमारे क्षेत्र का निवासी है, वह आज 26 दिन से उस जहाज में अकेला पड़ा हुआ है। उसकी देख-रेख के लिए अभी तक कोई भी सरकार या दूतावास ने पहल नहीं की है, जब कि इस बात को मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, भारत सरकार, विदेश मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्रालय को, दूतावास ईरान और सोमालिया को भी अवगत करा चुका हूं। जिसमें 25 कर्मचारी हैं, जो जहाज मलेशिया होते हुए, जेद्दाह होते हुए ईरान जा रहा था। उसमें रसद एवं पानी भी खत्म हो गया है, उनकी हालत बहुत दयनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार की तरफ से यह बात आनी चाहिए, उनसे बातचीत करके वहां पर पानी एवं रसद पहुंचा कर उन भारतीयों की जान बचाई जाए। इसी प्रकार से सोमालिया दूतावास से कम से कम कांटेक्ट करके, यही नहीं केवल हमारे क्षेत्र में नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिन्दुस्तान के अन्य जगहों के तमाम लोग वहां काम कर रहे हैं, जो बंधक बनाए गए हैं। सोमालिया से जो सूचना मिली है, वह यह है कि अब तक डाकुओं ने सौ मालवाहक जहाज वहां बंधक बनाए हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें भारत सरकार, विदेश मंत्रालय पहल करे और जो हिन्दुस्तानी 26 दिन से बंधक बने हुए हैं, जिन्होंने अपना त्यौहार नहीं मनाया। वे मुस्लिम हैं, उनका बकरीद का त्यौहार था। उनके बच्चे रो रहे हैं, उनकी पत्नी एवं बूढ़ी मां सब बेचैन है। डेली हमारे संसदीय क्षेत्र में फ्रंट पेज पर यह न्यूज निकलती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ से चाहूंगा कि इस पर कुछ बयान आए, सरकार कुछ पहल करे। सोमालिया में जो भारतीय बंधक बने हुए हैं, उन डाकुओं पर कब्जा करके, उनसे इन्हें छुड़ा कर अपने परिवार में उन्हें जाने की इजाजत दी जाए। यह आप सरकार को निर्देशित करें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत ही मानवीय एवं महत्वपूर्ण मामला है। इस पर सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। यहां सरकार के दो-दो, तीन-तीन मंत्री बैठे हुए हैं, यह आतंकवाद और अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, यहां सिब्बल जी बैठे हुए हैं, केबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हैं, इस पर जवाब आना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से इस पर कोई जवाब आए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपके सवाल में कुछ एडीशन कर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब आना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वहां पंजाब के भी बहुत से लोग हैं, मेरे पास भी रिप्रजेंटेशन आई है। पंजाब के भी बहुत से लोग हैं, जो केप्वर किये गये हैं। आप इस बारे में जल्दी कुछ करें।

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): ठीक है सर।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम ने यह कह दिया है कि आपके और हमारे पंजाब के जितने लोग कैप्वर किये हैं, उनके बारे में जरूर कुछ करेंगे।

अपराह्न 12.34 बजे

विशेष उल्लेख

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पशुधन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान भारत की

[श्री संतोष गंगवार]

अर्थव्यवस्था, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के पोषण और स्वरोजगार का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दुग्ध उत्पादन अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन एवं कुक्कुट पालन में भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कृषि द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान का 30 प्रतिशत भाग पशुपालन द्वारा दिया जाता है। पशुपालन एवं पशु उत्पादन की विकास दर करीब छः प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है। बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के बावजूद कुक्कुट पालन का विकास 17 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि कृषि का विकास मात्र दो प्रतिशत पर ठहरा हुआ है। आज भारत के आम किसान, युवा बेरोजगार पशुपालन को जीवनयापन का जरिया बना रहे हैं। पशुपालन खेती के महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में अपना स्थान ले रहा है। जबकि वर्तमान समय में देश की आर्थिक व्यवस्था ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बेहतर शोध और नये अनुसंधान के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की तरह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीवीआर) का गठन करने की आवश्यकता है।

जो देश और जनहित में जरूरी है। अतः वर्तमान समय में पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान के प्रति गम्भीर होने की आवश्यकता है। इसी कारण उच्च स्तरीय एवं तकनीकी समितियों द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.वी.आर.) की स्थापना के संदर्भ में हर बार, जोरदार सिफारिश की गई और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 1996 से 1998 तक, जब मैं संसदीय कृषि स्थायी समिति का अध्यक्ष था, तब भी मैंने सिफारिश की थी कि कृषि से इसे अलग कर के, इस ओर ध्यान दिया जाए, ताकि सरकार के पास लम्बे समय से लम्बित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से स्वतंत्र, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की स्थापना हो सके। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि भारत सरकार इस संबंध में अविलम्ब फैसला ले और प्रभावी कार्रवाई करते हुए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.वी.आर.) के गठन के निर्देश करे, जिससे कि वास्तव में देश के किसान की सही प्रगति हो सके। आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री आलोक कुमार मेहता और डा. अरुण कुमार शर्मा, दोनों माननीय सदस्यों को श्री संतोष गंगवार जी द्वारा सदन में उठाए गए विषय से एसोसिएट किया जाता है।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): डिप्टी स्पीरकर सर, *...(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: डॉ. अरुण कुमार शर्मा, वैटरिनरी साइंटिस्ट हैं। वे इस बात को समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी का नौ नंबर है। मैंने उन्हें आपके विषय से एसोसिएट करने की अनुमति दी है। डॉ. अरुण कुमार शर्मा जी, आप बैठिए। जो आप बोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको बाद में समय दिया जाएगा।

अपराह्न 12.36 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(दो) कच्चे तेल के मूल्य में हुई गिरावट के अनुरूप पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में कटौती नहीं किये जाने तथा परिवाहकों द्वारा करने संबंधी निर्णय के बारे में 20 सितम्बर, 2008 से हड़ताल

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई के महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया था। सरकार जब भी पेट्रोलियम उत्पादों पर कैस बढ़ाती है, तो उसका एक ही आधार होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है। लिहाजा हमारी मजबूरी है कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएं।

मैं आपकी मार्फत सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि इस संबंध में कोई दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए, जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर जो हमारी निर्भरता है, यह निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में और संकट पैदा करेगी।

महोदय, जुलाई के महीने में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का दाम 147 डॉलर प्रति बैरल हो गया था और आज 42 डॉलर प्रति बैरल है। अभी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर केवल 2 रुपए प्रति लीटर घटाए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में 100 डॉलर से ज्यादा कमी हुई है। इसके बावजूद सरकार ने नहीं के बराबर पैसे घटाए हैं। रसोई गैस पर पैसे घटाए नहीं हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। डीजल का भारतीय समाज से बहुत गहन रिश्ता है। इसलिए डीजल के भाव कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर कम होने चाहिए। जिस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, उन्हें देखते हुए डीजल के दाम देश में कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर कम होने चाहिए, लेकिन सरकार ने 2 रुपये कम किये हैं।

महोदय, सरकार को कंपनियों के हितों की ज्यादा चिन्ता है। उसे उपभोक्ता के हितों की चिन्ता नहीं है। इसलिए मेरा आपके मार्फत सरकार से आग्रह है कि सरकार डीजल के दामों में कम से कम 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करे। यह किसान का सवाल है, गरीब का सवाल है और निश्चित रूप से इससे उपभोक्ता पर अत्यधिक भार पड़ रहा है। इसलिए किसी भी कीमत पर यह न्यायसंगत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठिए। जो भी माननीय सदस्य इस विषय से अपने आपको एसोसिएट करना चाहता है, वह कृपया शीघ्र टेबल पर स्लिप भेज दें। आप सबको एसोसिएट कर दिया जाएगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे देश के किसानों का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जे.एम. आरून रशीद, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री बिक्रम केशरी देव, डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्री बची सिंह रावत 'बचदा', श्री रासा सिंह रावत, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री भंवर सिंह डांगावास, श्री मुन्शी राम एवं श्री सुनील खान को श्री रामजी लाल सुमन के विषय से एसोसिएट करने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप मेरी बात सुनिये। देवेन्द्र प्रसाद जी, आप देखिए। मैंने कोई नई लिस्ट तो नहीं बनाई। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपका नाम मैंने इसके नैक्स्ट, पांच नम्बर पर रखा हुआ है, अगर आपको फिर भी मेरे ऊपर एतबार नहीं तो मैं इसका क्या इलाज कर सकता हूं। आप बैठ जायें, जब आपकी टर्न आएगी तो मैं मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री राजमीलाल सुमन: हमारी भावनाओं को पेट्रोलियम मंत्री तक पहुंचाया जाये। यह गरीबों और किसानों से संबंधित मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस वक्त मिनिस्टर साहब तो हैं नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सरकार इस पर रैस्पोंड करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीया सदस्या बोल रही हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): हम आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचा देंगे। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.41 बजे

(तीन) पश्चिम बंगाल में जूट कामगारों द्वारा हड़ताल के बारे में

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मैं सभा का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

पिछले दस दिनों से पश्चिम बंगाल में लगभग 2.5 लाख जूट मिल कामगार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जूट मिल मालिक पहले किये गये सभी समझौतों का उल्लंघन कर रहे हैं। कामगारों को समझौते के अनुसार उपदान, पारिश्रमिक तथा अन्य लाभो से वंचित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उपदान भविष्य निधि तथा अन्य लाभों के संबंध में, मिल मालिकों पर कामगारों का 1000 करोड़ रुपया बकाया है। परंतु मालिकों का रवैया बहुत ही रुखा और कामगार वर्ग के विरुद्ध है। यदि जल्द ही इस स्थिति का समाधान न निकाला गया तो सिंथेटिक लॉबी द्वारा इस स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है।

केन्द्र सरकार का वस्त्र मंत्रालय जूट उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा यह मालिकों को यह कहते हुए प्रभावति कर सकती है कि कामगारों की मांग को माने बगैर सरकार उन्हें क्रयादेश इत्यादि नहीं देगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार, वस्त्र मंत्रालय उस मामले को गंभीरता से ले तथा हड़ताल का हल निकाले ताकि कामगार लाभान्वित हो सके तथा जूट उद्योग, जूट कामगार तथा जूट उत्पादकों पर संकट न आए। मैं मांग करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। श्री गुरुदास दासगुप्त, श्री सांताश्री चटर्जी तथा श्री रूपचंद पाल इस मुद्दे पर अपने आपको इससे सम्बद्ध कर सकते हैं। एक विशेष मामले के तौर पर, मैं श्री गुरुदास दासगुप्त से केवल दो मिनट बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, आप यह पूछ सकते हैं कि इस मामले को हम संसद में क्यों उठा रहे हैं। हड़ताल पश्चिम बंगाल में हुई हैं, तो हम इसे संसद में क्यों उठा रहे हैं? हम इसे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हड़ताल के कारण केन्द्र सरकार को उत्पाद व बिक्री कर भुगतान नहीं किये जाने के कारण लगभग 100 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। इसलिए, केन्द्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है।

दूसरे, मेरे पास वाणिज्य मंत्रालय के सचिव द्वारा श्रम मंत्रालय के सचिव को लिखा गया एक पत्र है जिसमें उन्हें हस्तक्षेप करने को कहा गया है। मैंने उनसे पूछा कि समस्या क्या है? खरीफ का मौसम आ गया है। हमें गेहूं, चावल और चीनी जैसी सामग्री को पैक करने के लिए जूट के बोरे बनाने हेतु 7 लाख गांठ जूट की आवश्यकता है। यदि हड़ताल का औचित्यपूर्ण समाधान कर तुरंत अंत नहीं किया गया तो खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा। खाद्यान्न की खरीद प्रभावति होगी, देश की खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी।

इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के सचिव द्वारा श्रम मंत्रालय के सचिव को एक पत्र भेजा गया है। मैं मांग करता हूं कि श्रम मंत्रालय को मजदूर संघों तथा प्रबंधन की दिल्ली में बैठक बुलानी चाहिए तथा उनके बीच मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए। मेरे कामरेड ने कहा है कि जूट व्यापारी बड़े दोषी हैं। वे सरकार को मिलने वाले पैसे पर सेध लगा रहे हैं, भविष्यनिधि के भुगतान में चूक कर रहे हैं, वे कामगारों के साथ धोखा कर रहे हैं और अब वे एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसमें देश में खाद्यान्न की खरीद संकट में पड़ जाएगी। यह एक अत्यंत गंभीर स्थिति है। खरीफ मौसम आ चुका है; इसलिए कृपया श्रम मंत्रालय को निदेश दें कि वे दिल्ली में एक बैठक बुलाये, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय भी उपस्थित हो।

ऐसा इसलिए क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जूट पैकेजिंग के लिए जूट उत्पादों की 7 लाख गांठ की खरीद की मांग की गई है। यदि इसका निपटारा नहीं किया गया तो जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है इसका लाभ सिंथेटिक लॉबी उठाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: सांताश्री चटर्जी और रूपचंद पाल के नाम को भी इस मुद्दे से संबद्ध किया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आपको एसोशिएट करना है, तो अपने नाम की स्लिप भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री एस.के. खारवेनथन से भाषण देने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात सुनिए। रूपचंद पाल जी जो कह रहे हैं; उसे सुनिये।

...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, जूट हड़ताल की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की मांग से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं जिससे कि न केवल 2.5 लाख कामगारों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है बल्कि केन्द्र सरकार के पैकेजिंग के क्रयादेश भी इस प्रकार कम हो जाएगा कि इससे जूट उद्योग को स्थायी क्षति होगी और जिससे स्वयं पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। यह न केवल भारत सरकार की राजस्व हानि का मामला है, बल्कि यह वर्तमान आर्थिक स्थिति में एक गंभीर क्षति है। जब हजारों लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं, अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो जूट कामगार भी लंबे समय के लिए बेरोजगार हो जायेंगे। इस स्थिति में भारत सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाने एवं हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, कृपया संसदीय कार्य मंत्री को उत्तर देने दें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: दास जी, आप पहले अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप उनको भी एक्साइट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रवासी भारती कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री निश्चित ही

कामगारों से संबंधित इस मामले से संबद्ध हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था तथा केन्द्रीय राजस्व को भी प्रभावित कर रहा है। निश्चित ही, मैं संबंधित मंत्री को इस मामले से गंभीरतापूर्वक अवगत करवाऊंगा।

अपराह्न 12.49 बजे

विशेष उल्लेख—*जारी*

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, वर्ष 2004 के दौरान रेलवे की अनुपूरक मांगों पर बोलते हुए मैंने धर्मपुर होते हुए ईरोड से पलानी के बीच नई रेल लाईन बिछाने के मुद्दे को उठाया था। रेल बजट 2005-06 में इसकी घोषणा की गई थी। प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था तथा 31 नवम्बर 2006 को एक अनुकूल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था परंतु दुर्भाग्यवश रेलवे बोर्ड तथा योजना आयोग ने इस अनुमति पर अपनी अस्वीकृति जता दी। तब मैं इस मुद्दे को जनता के पास ले गया तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 4 और 10 फरवरी के बीच इरोड से पलानी के बीच एक पदयात्रा आयोजित की गई। तत्पश्चात् भारत सरकार ने 2008-09 के पिछले बजट में योजना की घोषणा की तथा अंतिम स्थल सर्वेक्षण का भी आदेश दिया गया। निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया भी 18 अगस्त 2008 को पूरी हो गई परंतु अब तक स्थल ढूढ़ने का कार्य आरंभ नहीं हुआ है।

मैं सरकार से इस मुद्दे पर कार्यवाही करने तथा अंतिम स्थल सर्वेक्षण कार्य पूरा करने और शीघ्रातिशीघ्र धर्मपुर से होते हुए इरोड-पलानी के बीच एक नई लाईन बिछाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, 18 अगस्त को एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। नेपाल और भारत के बार्डर पर, कुशहा बांध बहुत ही भयंकर रूप से एक विनाशकारी और प्रलयकारी बाढ़ को लेकर आया। कुशहा बांध कोई प्राकृतिक आपदा से नहीं टूटा, बल्कि सरकार की लापरवाही से टूटा। वीरपुर में सरकार के जो पदाधिकारी थे, वे लगातार बिहार सरकार के मंत्रालय को और वहां के कमिश्नर को यह खबर देते रहे कि बांध टूट जाएगा। इसका स्तर तो टूट चुका है, कुछ स्तर पहले टूटा, दूसरा स्तर बाद में टूटा, फिर तीसरा स्तर, 18 अगस्त को पूरा बांध टूट गया। बार-बार खबर देने के बावजूद भी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बांध टूट गया। बांध ऐसा टूटा कि हिंदुस्तान में आज तक उतनी बड़ी विभीषिका, उतनी बड़ी प्रलयकारी, विनाशकारी स्थिति कभी पहले उत्पन्न नहीं हुई।

आज भी पांच हजार से दस हजार के बीच लोग लापता हैं। चालीस लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहां प्रधान मंत्री जी गए, पूरी सरकार गई। पूरा देश, पूरा विश्व उस विपदा को लेकर एक था। केन्द्र सरकार ने वहां पैसे दिये। वहां की सरकार के लोगों के लिए मेगा शिविर बनाया। स्टेट से जो भी पैसा गया, वह शहर के शिविर में जाकर रुक गया, गांव में एक पैसा भी नहीं जा सका। वहां की सांसद रंजीत रंजन जी ने प्रधान मंत्री जी से न्यायिक जांच की मांग की है कि एक मंत्री और व्यक्ति की लापरवाही के कारण यह बांध टूटा है जिसके कारण पांच हजार लोगों की हत्या हुई है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बताइए कि क्या चाहते हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मैं वहीं बता रहा हूं कि वहां की स्थिति क्या है। वहां की स्थिति यह है कि तीन महीने हो गए। एक व्यक्ति को साढ़े बाइस सौ रुपये और एक सौ किलो अनाज दिया जाना था। सरकार ने साढ़े बाइस सौ रुपये की एकमात्र किश्त ही दी। दूसरी किश्त देनी थी लेकिन तीन महीने हो गए और अभी तक सरकार ने दूसरी किश्त नहीं दी।

दूसरा, पुनर्वास के लिए जो सर्वे होना था, वहां की सरकार के पदाधिकारी उस सर्वे में जिस व्यक्ति को पैसे देते हैं, उसे कहा जाता है कि यह प्रभावित है। जो गरीब, मजदूर किसान और नीचे वर्ग के लोग हैं, ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे जानकारी न देकर आप क्या चाहते हैं, यह बताइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मैं वही कह रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वहां शिविर में जो लोग रह रहे थे, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई और उस सरकार ने शिविर के सारे लोगों को गांव में भेज दिया। बच्चों के बदन पर कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए घर में अनाज नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं। यह आप पता कर लें। महोदय, एक संसदीय जांच कमेटी बना दी जाये या न्यायिक जांच करवा दी जाये कि बांध कैसे टूटा। सरकार ने पहले इस बारे में बोला भी था। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अभी तक दूसरी किश्त क्यों नहीं दी गयी? विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी नेपाल गये थे और देखकर आये हैं।

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

वहां जो बांध बन रहा है, वह छः सात महीने में भी पूरा नहीं हो पायेगा। आप जानते हैं कि मार्च और अप्रैल में बरसात आ जायेगी, तो पुनः इतनी बड़ी प्रलय आयेगी कि उसे फिर कोई नहीं रोक पायेगा। पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार आदि पूरे जिले इससे प्रभावित हैं। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने जो पैसा भेजा है, कम से कम संसदीय जांच कमेटी द्वारा उसकी मानीटरिंग करवा दी जाये। ...*(व्यवधान)* जो बांध बन रहा है, उसे तेजी से बनवाया जाये। यदि दो महीने के अंदर वह बांध न बना, तो वहां इससे भी बड़ी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। गांवों में पुनर्वास व्यवस्था की जो बात है, केन्द्र सरकार खुद जाकर देखे। ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार पुनर्वास की व्यवस्था अपनी निगरानी में करे। वहां जो किसान प्रभावित हुए हैं, जो आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं, जो बर्बाद हो गये हैं, उनके लिए आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति योजना लागू करने के बारे में सोचा जाये। वहां के जो भी ऋण हैं, चाहे वे किसान के ऋण हैं, बिजली के ऋण हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः इसके पश्चात् कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः उपाध्यक्ष महोदय, वहां बड़ी विनाशकारी स्थिति है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आपका प्वाइंट आ गया है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। आप मंत्री जी से हमें आश्वासन दिलवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं उन्हें इसके लिए कम्पेल नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मैं उत्तर देने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, आंगनवाड़ी कामगार तथा हेल्परों के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस मामले को उठाया गया है। वित्तीय वर्ष 2008-09 का बजट पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने आंगनवाड़ी कामगारों तथा हेल्परों के वेतन को क्रमशः 500 रुपये तथा 250 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की थी। परंतु दुख इस बात का है कि नौ महीने बीत जाने पर भी विभिन्न राज्यों में कार्यरत हजारों आंगनवाड़ी कामगारों तथा हेल्परों को बढ़े हुए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। मैं यहां पर भी कहना चाहता हूं महिला और बाल विकास विभाग ने पिछले माह इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों को परिपत्र जारी किया तथा पत्र लिखे ...*(व्यवधान)* मैं यहां अपने मित्रों को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि बढ़े हुए वेतन तथा बकाया का भुगतान करने के उद्देश्य से गुजरात राज्य सरकार को 40 करोड़ रुपये की राशि जारी किये जाने के बावजूद गुजरात सरकार ने इन कामगारों को बढ़े हुए वेतन और बकाया का भुगतान नहीं किया है।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, गुजरात सरकार ने पहले ही राशि का संवितरण कर दिया है, बात केवल यह है कि ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः इस बढ़ी हुई राशि की घोषणा मुख्य मंत्री महोदय ने विधान सभा चुनाव के समय की थी ...*(व्यवधान)* महोदय, वह यह कह कर अपने आपको बचाना चाहते हैं कि गुजरात सरकार ने इस संबंध में विधान सभा चुनावों के दौरान विशेष घोषणा की थी कि राशि का भुगातन किया जा चुका है। यह वह राशि नहीं है जिसका बजट भाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी। लगभग सभी राज्यों में यही स्थिति है।

महोदय, मैं महिला और बाल विकास विभाग के माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस राशि का भुगतान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को बाध्य करें। गुजरात सरकार का ध्यान

अब आने वाले चुनावों पर लगा हुआ है। वे इस राशि का भुगतान चुनावों के समय करेंगे तथा यह दावा करेंगे कि यह उनकी सरकार है जिसने पैसे का भुगतान किया है। इसलिए मैं, महिला और बाल विकास विभाग के माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे विभिन्न राज्य सरकारों को आंगनवाड़ी कामगारों तथा हेल्परों को इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने हेतु बाध्य करे जैसाकि बजट में घोषणा की गई थी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जयपुर शहर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा केन्द्र सरकार ने पिछली बार बजट में की थी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने भी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अफसोस है कि राजस्थान में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं खोला गया है। मेरा वित्त मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और भारत सरकार से निवेदन है कि राजस्थान में, विशेषकर जयपुर शहर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय शीघ्र ही खोला जाये और उसके लिए स्थान मुकर्रर किया जाये जिससे राजस्थान में शिक्षा बढ़ सके। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में केन्द्रीय विश्वविद्यालय शीघ्र ही खोला जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अन्य मामलों को सायं 6.00 बजे के बाद लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आज कोई विश्रांति काल नहीं होगा।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, हम सायं 6.00 बजे के बाद यहां उपस्थित नहीं होंगे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे दो महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाने हैं।

...(व्यवधान)

श्री सुनील खां: महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सायं 6.00 बजे के बाद आपके मामले पर कार्यवाही करूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत पर कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: शेष मामलों पर सायं 6.00 बजे के बाद कार्यवाही की जाएगी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि विज्ञान और इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान का संवर्धन करने तथा ऐसे अनुसंधान में लगे हुए व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक समुत्थानों तथा अन्य अभिकरणों को ऐसे अनुसंधान के लिए वित्तीय सहयता देने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विज्ञान और इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान का संवर्धन करने तथा ऐसे अनुसंधान में लगे हुए व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक समुत्थानों तथा अन्य अभिकरणों को ऐसे अनुसंधान के लिए वित्तीय सहयता देने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बची सिंह रावत 'बचदा'।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[हिन्दी]

श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्तुत विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008 का मैं स्वागत और समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह विलंब से उठाया गया एक सही कदम है। बहुत समय से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि देश मे बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग की रिसर्च के लिए एक बोर्ड का गठन हो। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: किसी को मुगालता न हो, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आज कोई रिसेस नहीं होगा क्योंकि हमें दो बिल्स पास करने हैं।

श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा': महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि पहले विज्ञान-प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर साइंस एंड इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत ये सारी गतिविधियां होती थी, लेकिन इसका स्कोप बहुत सीमित था और उसके द्वारा बार-बार यह महसूस किया गया कि एक बोर्ड का गठन हो और उसमें बेसिक साइंस को प्रोत्साहन दिया जाए एवं आज का जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में रिसर्च बढ़ाने के लिए न केवल समन्वय का कार्य उसके माध्यम से हो, बल्कि आवश्यक फण्डिंग भी उसके माध्यम से की जा सके एवं इसके द्वारा एक नेटवर्क भी बनाया जा सके। इस दृष्टि से यह विधेयक बहुत संक्षिप्त होते हुए भी, कंक्रीट है। यह विधेयक जिन उद्देश्यों को लेकर लाया गया है, उसमें भी यह स्वीकार किया गया है। इस विधेयक के एसओआर के पैरा 2 में कहा गया है कि जहां भारत को ऐसी उत्कर्षपूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए विज्ञान और इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान में अपनी शक्ति को बनाए रखने तथा उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, वहीं विभिन्न कारणों से राष्ट्रों के बीच बुनियादी अनुसंधान में भारत की अपेक्षित स्थिति में गिरावट आई है और यदि देश को विकासशील ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ समय से अपना स्थान और तेजी बनाए रखनी है तो उन कारणों पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि वास्तव में जो बेसिक साइंस हैं, जब तक हम उस दिशा में नहीं बढ़ते हैं, बेसिक रिसर्च में जब तक उसके नतीजे अनुकूल नहीं आते, तब तक हम टेक्नोलॉजी के डेवलेपमेंट का जो लाभ प्राप्त करना चाहिए, वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के विकास के लिए मंत्रालय के भीतर टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट बोर्ड अलग से काम करता है। उसका भी मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रयोगशालाओं, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से यह काम करना है। चाहे साईंटिफिक रिसर्च हो या टेक्नोलॉजी का विकास हो, तीन संस्थाएं काम करती हैं। एक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एनआईटी है, आईआईटी है और अन्य राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इसके अलावा हमारे देश भर में फैली हुई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। वे विभिन्न विधाओं में कार्य करने वाली हैं। तीसरा जो फैक्टर है, जिससे इस टेक्नोलॉजी का लाभ प्राप्त होना है, वह है हमारे देश की अपनी इंडस्ट्री। इन तीनों का जब तक समावेश नहीं होता, तब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में देश को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और नेशनल लैबोरेट्रीज मूल रूप से इनकी अधिकांश फंडिंग सरकार की ओर से होती है। चूंकि इंडस्ट्री अब पब्लिक सेक्टर में कम है, प्राइवेट सेक्टर में अधिक है। इसलिए हमें थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पालिसी, जिसे 1 जनवरी, 2003 को स्वीकार किया गया था, उसमें एक विषय का उल्लेख आया था कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी साइंस टेक्नोलॉजी के विकास के लिए फंड बनाना चाहिए। उसमें देश के उद्योग का, उद्योगपतियों का योगदान होना चाहिए। मैं इस विधेयक में देख रहा था कि इंडस्ट्री का योगदान नहीं है। इतना जरूर है कि अदर सोर्स से योगदान आएगा। ठीक है कि अभी मंदी का दौर है, लेकिन बहुत लम्बे समय तक यह रहेगा, मैं नहीं मानता। देश के अंदर काफी सुधारात्मक उपाय भी हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुधार के उपाय हो रहे हैं। देश की इंडस्ट्री में, बूम का पीरियड आया था क्योंकि पिछले एक दशक में काफी बड़ी ग्रोथ उसके अंदर हुई थी। हम देखते हैं कि उद्योगपतियों का मुनाफा हजारों हजार करोड़ रुपये का हुआ था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में या बेसिक रिसर्च के क्षेत्र में, जिसका लाभ आखिरकार घरेलू इंडस्ट्री को होने वाला है, उसका योगदान नगण्य है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस दिशा में भी इंडस्ट्री को कैसे प्रेरित किया जाए, यह देखना चाहिए। हम देखते हैं कि समय-समय पर जब मंत्रालय की बैठकें होती हैं या सम्मेलन होते हैं, उसमें यह विषय आता है। तब यह विषय आता है कि उन्हें प्रेरित किया जाए और उनका भी अंशदान आना चाहिए।

मैं एक और उल्लेख करना चाहूंगा, वह भी समसामयिक है। देश में 11 और 13 मई, 1998 को हमारे वैज्ञानिकों ने परमाणु और हाइड्रोजन का सफल परीक्षण किया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो पहले से ही था। प्रति वर्ष हमारे देश में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बड़ी गम्भीरता से मनाया जाता है। इसमें मंत्रालय की ओर से काफी वृद्धि हुई है। यह हम लोगों ने शुरू किया था। मुझे संतोष है कि इसे मौजूदा सरकार ने और विशेष रूप से विज्ञान

और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आगे बढ़ाया और इस पर विशेष चिंतन किया। इससे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का इनीशिएटिव हमारे वैज्ञानिकों को मिला है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रीय उद्घोष थे, जय जवान-जय किसान, जिन्हें हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक राष्ट्रीय संकल्प के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया था, उसमें तीसरा आयाम जोड़ा था-जय विज्ञान। जय विज्ञान का उद्घोष वास्तव में देश को प्रेरणा देने के लिए और विज्ञान को मजबूती का आधार देने के लिए था। इस दृष्टि से जैसे हमारे एग्रीकल्चरल या मिनिस्टरी ऑफ डिफेंस के वित्तपोषण की बात भारत सरकार की ओर से होती है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है, अन्य रिलेटिड मिनिस्टरीज हैं, इन्हें भी इम्फेसिज देना होगा, अन्यथा हम बेसिक रिसर्च में पिछड़ सकते हैं या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हमें अन्य देशों से पीछे रहना पड़ सकता है, जिसका खामियाजा हमें आयात करने के रूप में भुगतान पड़ता है और हम टेक्नोलॉजी का आयात करते हैं।

मैं पुन: एक भेद का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जो टीडीबी है, टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी फंडिंग का जो मुख्य स्रोत था वह विज्ञान उपकरण के विदेश से आयात पर सेस लगाने का था ताकि आयात हतोत्साहित हो और यहां एक फंड का क्रिएशन हो जाए और उस फंड से देश में तकनीक को विकसित करने के लिए हम फंडिंग कर सकें। चूंकि अब इसमें ऐसा कोई सेस का विषय नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है उसमें एक संकल्प यह व्यक्त किया गया है कि देश में रिसर्च एंड डैवलेपमेंट पर देश की जीडीपी का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए, ऐसा एक संकल्प 1 जनवरी 2003 को प्रस्तुत किया गया था। जब पहले आर एंड डी का जो खर्चा कुल जीडीपी का 0.7 प्रतिशत था वह बढ़कर 1.4 प्रतिशत तक गया था लेकिन इसमें और वृद्धि की आवश्यकता है।

अपराह्न 1.13 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन* हुए]

माननीय मंत्री जी से यह मांग जरूर रहेगी कि इसमें पूरा एक्सरसाइज करके भारत सरकार विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 2 प्रतिशत जीडीपी का निश्चित रूप से फंड प्रदान करे ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बढ़ोतरी हो सके और बढ़ोतरी से हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे का स्थान बने, ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए।

एक सर्क डिवीजन (एस एंड ईआरसी) की बात आई थी कि सर्क की कई स्कीम हैं और उसमें एक फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस एंड टैक्नोलॉजी (फिस्ट) का प्रोग्राम भी काफी लोकप्रिय हुआ था। उसके अलावा विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो बेसिक रिसर्च में डिमांड आती थी वह सर्क के द्वारा ही मंजूर होती थी और वह विभाग के द्वारा ही संचालित होती थी। आज बोर्ड की मंशा यह है कि बोर्ड आटोनोमस बॉडी के रूप में काम करेगा और मेरा सुझाव यह है कि अनेक रिसर्च की डिमांड्स ऐसी आती हैं जोकि कई अन्य मंत्रालयों में भी वही रिसर्च का काम होता है चाहे वह आईसीएमआर में है या आईसीएआर में है। पता चलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायटेक्नालॉजी में भी वही काम उसी दिशा में चलता है। इसलिए डाटा बेस से यह देखा जाना चाहिए कि एक विषय पर ठीक तरह की फंडिंग हो जाए और एक विषय पर आगे बढ़ने के लिए हम काम कर सकें।

माननीय मंत्री जी जो बिल लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि पूरा सदन उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहेगा। मैं एक त्रुटि की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह त्रुटि असल में ट्रांसलेशन करने में हुई है। हिंदी विधेयक में अध्याय दो के पैरा तीन में "बोर्ड का गठन और निगमन" के (च) अनुच्छेद में इसे अध्यक्ष दिखा दिया गया है। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से संबंधित भारत सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशित पदेन-अध्यक्ष; लेकिन अध्यक्ष असल में साइंस एंड टेक्नालॉजी विभाग के भारत सरकार के सचिव, पदेन अध्यक्ष वह है लेकिन हिन्दी अनुवाद में दो-दो अध्यक्ष मुद्रित किए गए हैं। अब यह संशोधन के माध्यम से इसे लाया जा सकता है। इसका संशोधन लाना चाहिए। अंग्रेजी में तो यह करेक्ट है। हिंदी में यह त्रुटि हुई है, इसलिए इसे और जगह भी देखा जाना चाहिए। ऐसा न हो कि इसमें अनेक त्रुटियां रहे और इसके कारण यह प्रभावित हो। माननीय मंत्री जी का स्टॉफ इसे देख लेगा और इसे संशोधित कर देंगे। इस अवसर पर यही निवेदन करते हुए कि बोर्ड का गठन अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया है और बोर्ड का काम न केवल फंडिंग तक ही रहे बल्कि कार्यक्रमों के समन्वयन करने तक तथा देश के अंदर विषयों को चिन्हित करना होना चाहिए। इसका बहुत वाइड स्कोप है। वास्तव में यह जो ताकत है, आने वाले समय में देश को मिले। नियमों की रचना मंत्रालय के द्वारा होगी तो नियमों में ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए कि फंड का कहीं भी दुरुपयोग करने की स्थिति न रहे। इसमें फंड के कहीं भी दुरुपयोग करने की स्थिति ही न रहे। बिल में प्रावधान किया गया है कि किसी ऑफिस के लिए कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा यदि वह गुड फेथ में है। यह ठीक है लेकिन नियमों में अवश्य ही कड़ाई आनी चाहिए ताकि दुरुपयोग की स्थिति न आए और पर्याप्त फंड मिले।

सभापति जी मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सभापति महोदय धन्यवाद। इस देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु यह विधेयक लाने के लिए मैं सर्वप्रथम अपने वरिष्ठ अधिवक्ता और कुशल मंत्री माननीय कपिल सिब्बल को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा।

वस्तुत: श्रीमती सोनिया जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान और इंजीयिनरिंग अनुसंधान बोर्ड के गठन के लिए इस प्रस्ताव की 15 मई, 2008 को घोषणा की थी। घोषणा के 197 दिनों बाद ही छ: महीनों के भीतर माननीय मंत्री ने इस बोर्ड के गठन के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत कर दिया है। एक बार पुन: मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूंगा।

विधेयक का खण्ड 3 बोर्ड के गठन के संबंध में है। यह बोर्ड एक उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त निकाय है जिसके पास आवश्यक और वित्तीय स्वायत्तता है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव इसके अध्यक्ष हैं। प्रस्तावित बोर्ड का उद्देश्य आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना, आवश्यक स्वायत्ता और प्रदान करना और अनुसंधान की गति को बढ़ावा देना और अनुसंधानकर्त्ताओं को निधियां मुहैया करवाना है। जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चर्चा करते हैं तो इस देश की 110 करोड़ जनसंख्या अपने पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहर लाल नेहरू जी की आभारी हैं जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आपकी जानकारी के लिए हमें वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1948 में आणविक अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए उन्होंने होमी जे. भाभा को नियोजित किया था। उनके बाद हमारे महान नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत महत्व दिया। श्री राजीव गांधी के द्वारा किये गये अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही आज भारतीय युवक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। इसी प्रकार से केन्द्र में कांग्रेस की जो भी सरकार आई है उसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर अत्यधिक बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से इस देश के शिक्षाविद समुदाय को बढ़ावा मिलता है जो युवकों को वि में अग्रणी स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। प्रस्तुत किया गया यह विधेयक अन्य राष्ट्रों से तुलनीय है।

आपकी सूचना के लिए मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 1993 और 2004 के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वभर से होने वाले प्रकाशनों में से 2.16 प्रतिशत भारत से और 2.62 चीन से प्रकाशित हुए हैं। 1993 और 2004 के दौरान भारतीयों ने 1.84 लाख अनुसंधान दस्तावेज लिखे थे जो विश्व भर में अनुसंधान दस्तावेजों का 1.91% था और इस संदर्भ में भारत का स्थान 13वां था। ऐसी स्थिति में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अनुसंधान और विकास को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिए।

महोदय, आस्ट्रेलिया का ही उदाहरण लें। आस्ट्रेलिया में अनुसंधान और विकास व्यय के लिए कर कटौती 125% है, इसके अलावा पिछले वर्ष के व्यय की आधार राशि से अधिक सिर्फ अनुसंधान और विकास व्यय के लिए कर कटौती 175% है। इसी प्रकार चीन में पात्र अनुसंधान और विकास व्यय के लिए कर कटौती 1150% है, जापान में 8 से 10 प्रतिशत का कर क्रेडिट है और इसके अतिरिक्त अनुसंधान और विकास के लिए 5% व्यय की व्यवस्था अलग से है। कोरिया में सात वर्षों की कर राहत मुहैया करवायी गयी है। सिंगापुर में अनुमोदित अनुसंधान और विकास परियोजना पर किये गये व्यय पर 100% कटौती की व्यवस्था है। यू.के. में बड़ी कंपनियों द्वारा किये गये अर्ह अनुसंधान और विकास व्ययों के लिए 125% की कटौती की गयी है। यू.एस. में 100 प्रतिशत कर राहत दी गयी है अथवा 60 माह की अवधि में किश्तों में ऋण चुकाने की व्यवस्था की हुई है। कनाडा में अनुसंधान और विकास के लिए 20% कर क्रेडिट दिया हुआ है। फ्रांस में अनुसंधान और विकास ऋण 50 प्रतिशत है। आयरलैंड में रूई कम के लिए 20 प्रतिशत अनुसंधान और विकास कर क्रेडिट है। हमारे राष्ट्र के सांख्यिकीय आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में विकास और अनुसंधान पर होने वाले व्यय में पिछले कुछेक वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। अनुसंधान और विकास पर होने वाला व्यय वर्तमान में हमारे सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम है जिसके 2010 तक बढ़कर 2% तक होने की संभावना है। अतएवं हम अनुसंधान और विकास के लिए वास्तव में उपाय कर रहे हैं। मौजूदा विधेयक से इस देश के युवाओं के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। मैं इस विधेयक का समर्थन और स्वागत करता हूं।

मैं इस विधेयक के खंड 17 का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की शक्ति बोर्ड की शक्ति को करती है।

मेरा मानना है कि इस खंड की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: बोर्ड के गठन का उल्लेख खंड 3(2) और (3) में किया गया है। खंड 3(3) में कहा गया है कि बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे यहां (क) से (ञ) तक उद्धृत सभी व्यक्ति

केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं। अतएव, बोर्ड को हटाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव इस पर विचार किया जा सकता है।

महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक लाने के लिए मैं अपने वरिष्ठ माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल की प्रशंसा करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विधेयक का स्वागत करता हूं। विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं दो या तीन बिंदुओं का उल्लेख करना चाहता हूं।

हम अपने देश के आकार के कई अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रो. सी.एम. राव ने चीन की उपलब्धियों की तुलना में अनुसंधान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है। हम यह जानकर वास्तव में विक्षुब्ध हैं कि हम दिशाहीन हैं। अब, यदि यह बोर्ड कोई दिशा प्रदान कर सकता है, तो यह एक स्वागतयोग्य कदम है।

दूसरे, सामान्य रूप से हमारा ज्यादातर अनुसंधान और विशेष रूप से बुनियादी अनुसंधान देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। कई बार हमारे अनुसंधान मार्गनिर्देश पश्चिमी जरूरतों और आवश्यकताओं से अधिक प्रेरित होते हैं। हम पाते हैं कि इन अनुसंधानों का परिणाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पश्चिमी हितों के अनुकूल है किंतु अपवाद भी हैं। हमारे पास इसरो, डीआरडीओ, नेशनल फिजीकल लैबोरेट्री और सीएसआईआर की शानदार उपलब्धियां हैं। यदि हम इस अवधि के दौरान दर्ज और हासिल किये गये पेटेंटों की संख्या पर नजर डालें, तो पाएंगे की चीन की तुलना में पेटेंटों की संख्या काफी अपर्याप्त है क्योंकि नवीकरण के लिए उपलब्ध सुविधाएं बहुत सीमित हैं और एक जटिल प्रक्रिया मौजूद है। धनराशि की उपलब्धता, कानून और ये सभी चीजें इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हालांकि इस विधेयक के जरिये वित्तपोषण, प्रशासन और इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा तथापि इसे पर्याप्त स्वायत्तता मिलनी चाहिए ताकि यह नए-नए क्षेत्रों का पता लगा सके जिससे इन्हें यथाशीघ्र पेटेंट करवाया जा सके और हमारे पास वैश्विक रूप से तथा देश में दोनों ही स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो।

हो यह रहा है कि कनिष्ठ वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नौकरशाही के शिकार हो रहे हैं। हमने देखा है कि कृषि के क्षेत्र में, कनिष्ठ वैज्ञानिक आत्महत्या कर रहे हैं और हमने यही स्थिति आईसीएआर और अन्य संस्थानों में भी देखी है। वे नई खोजों के लिए आवश्यक स्वतंत्रता के बारे में वैज्ञानिक नौकरशाही से पूरी तरह खफा है। कभी-कभार उन्हें धनराशि की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक नौकरशाही कहती है "आपने यह कार्य पूरा कर लिया है। आपको एक और वर्ष क्यों चाहिएं।" नई खोजों के क्षेत्र में इस प्रकार का नौकरशाही दृष्टिकोण वास्तव में अड़चन पैदा कर रहा है।

महोदय, एक बहुत ही क्षमतावान मंत्री मौजूद हैं और अब यह बोर्ड भी बनने जा रहा है। मेरा अभी भी यह मानना है कि यह बोर्ड ऐसी स्थिति में उचित कार्य करेगा।

हम यह भी पाते हैं कि अनुसंधान और विकास पर होने वाला व्यय न केवल आम बजट में अपेक्षाकृत काफी कम बल्कि अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी काफी कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अनुसंधान और विकास एक प्रमुख क्षेत्र है और इसके बिना हम ज्ञान अर्थव्यवस्था के बारे में कतई आगे नहीं बढ़ सकते।

मैं दो और अन्य बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। अनुसंधान संतुलित होना चाहिए। कुछेक क्षेत्रों में हम काफी तरक्की कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, हमने साफ्टवेयर में तो काफी कुछ किया है किंतु हार्डवेयर में हम पिछड़ रहे हैं। साफ्टवेयर और हार्डवेयर में असंतुलन है, जिसके कारण हम अनेक अन्य देशों से पिछड़ रहे हैं। ज्ञान आयोग पहले ही कतिपय सिफारिशें कर चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह प्रस्ताव रखा है कि अन्वेषी मस्तिष्क को कनिष्ठ स्तर, विद्यालय के स्तर पर किस तरह से प्रोतसहित किया जाए। राष्ट्रीय विज्ञान परिषद संग्रहालय, साइंस क्लब और अन्य संस्थाएं उभरते वैज्ञानिकों की प्रतिभा को प्रोत्साहति कर रहे हैं।

नई खोज के लिए विद्यालय स्तर पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। महाविद्यालय स्तर पर भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि भविष्य में वे अपनी वैज्ञानिक अभिरुचि में कार्यरत रहें, जिसकी परिणति अन्ततोगत्वा नई खोजों में चमत्कार के रूप में हो सकती है।

इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि इस बोर्ड को स्वयं को मात्र तथाकथित अनुसंधानों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। पारम्परिक ज्ञान के मामले में भी, उत्कृष्ट स्तरों पर कार्य हुए हैं किंतु उन्हें अनदेखा किया जा रहा है और अन्ततोगत्वा ऐसा होता है कि किसी समय पर कुछ निहित स्वार्थ साधने वाले उस ज्ञान को हासिल कर लेते हैं और इनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग करते हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि बोर्ड का औपचारिक ढांचे/ विश्वविद्यालय ढांचे, राष्ट्रीय प्रयोगशाला और राज्य प्रयोगशाला ढांचे

[श्री रूपचंद पाल]

के स्तर पर अनुसंधान या महाविद्यालय स्तर या उच्च शिक्षा स्तर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे अनुसंधान के लोकप्रिय विज्ञान स्तर पर भी विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए, जहां लोग साइंस क्लब स्तर और अनेक कई स्तरों पर उभरते युवाओं, उभरते वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें।

एक या दो और अन्य बातें हैं, जिनके उल्लेख के पश्चात् मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। भारत में न केवल लोकतांत्रिक लाभ के कारण महान क्षमता है, जैसाकि यहां उल्लेख किया गया है बल्कि भारत में बुद्धिमान लोगों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है। उनमें से अनेक विदेश जा रहे हैं, जिसे मेधावी लोगों का पलायन कहा जाता है। किंतु वित्तीय संकट, मंदी की हाल ही की स्थिति में और वहीं की मजौदा अस्त-व्यस्तता के मद्देनजर भी, तथा हमारे देश, उदाहरणस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्ध हो रहे अवसरों के कारण भी अनेक उत्कृष्ट पेशेवर देश में लौट रहे हैं। किंतु मेरा निवेदन है कि यह केवल सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका भेषज, जैव प्रौद्योगिकी और यहां तक कि बुनियादी अनुसंधान क्षेत्र में भी विस्तार किया जाना चाहिए।

हम कुछ नामों से परिचित है जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उत्कृष्ट स्तर पर हैं। उपयुक्त स्थिति को देखते हुए, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को बड़ी संख्या में अपनी रिक्तियों को भरने का अवसर दिया गया है। जिसके तहत उनके निदेशकों को विश्व के विभिन्न हिस्सों में साक्षात्कार करने का अनुरोध किया गया है ताकि हमारे ज्ञान के आधार को मजबूत बनाने तथा अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्टता की खोज में और अधिक ज्ञान हासिल करने के लिए हमारी अनुसंधान प्रणाली और हमारी शिक्षा प्रणाली में विजिटिंग प्रोफेसर, अध्यावेताओं और अन्य विद्वानों को लाया जा सके।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे साथी सदस्य आएंगे और दो-तीन बातें और कहेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, आपने विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008 पर मुझे बोलने की अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

इस देश में साइंस एंड टेक्नोलोजी ऐसा क्षेत्र है जिसे टॉप प्रायरिटी नहीं दी गई है जिसका खामियाजा हम विगत कुछ वर्षों से भुगत रहे हैं क्योंकि आज टेक्नोलोजी की एडवांस आइटम्स हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। इस आयात से हमारे देश को घाटा हो रहा है। अगर वर्षों पहले हम इसे अपना फोकस पाइंट रखते तो मैं समझता हूं कि दुनिया के कई देश भारत के आम आदमी की इनोवेटिव कैपेसिटी से वाकिफ हैं। इसी वजह से अमरीका और जापान जैसे देशों में भारत के वैज्ञानिक देखे जाते हैं। जहांगीर भाभा जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिनका अटॉमिक एनर्जी के फील्ड में बड़ा योगदान रहा है। अमरीका में इनका कार्य ज्यादा चला। हम यह कहना चाहते हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, साईंस एंड टेक्नोलोजी के क्षेत्र में इधर काफी बढ़ोतरी हुई है। हम उसके लिए बधाई देना चाहते हैं कि जो मून मिशन रहा है, उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने सफलता पायी है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उस क्षेत्र में मंत्री जी ने मील का पत्थर लगाने का काम किया है लेकिन रोबोटिक्स जैसे क्षेत्र में जो डेवलेपमेंट है, वे स्पेस रिसर्च कार्यों में ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, उसे ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए।

लेकिन रोबोटिक्स, ऑटोमेशन जैसे जो रिसर्च के आउटपुट हैं उनको आम जनता का रोजगार खत्म करने के कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। इस बात की हमारी अनुशंसा होगी। हम यह कहना चाहते हैं कि जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसका कान्स्टीट्यूशन कुछ इस तरह होना चाहिए जिससे हर क्षेत्र के जानकार लोग उसमें रहें और वे अपनी बातों को रख सकें, इनोवेटिव एनवॉयरमेंट पैदा हो सके ताकि प्रायरिटी लिस्ट तैयार हो सके कि किस क्षेत्र में रिसर्च वर्क ज्यादा जरूरी है। यह देश कृषि प्रधान देश बहुत लंबे समय से कहा जा रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में पर्याप्त रिसर्च नहीं है। जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ हद तक रिसर्च हुई भी हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर का कान्ट्रीब्यूशन हैं, लेकिन हमारा जो स्टेक है, उसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे बोर्ड में इस बात को प्राथमिकता के तौर पर देखा जाना चाहिए कि खाद्य प्रसंस्करण और कृषि के क्षेत्र में रिसर्च पर इंफेसाइस करे। रोड टेक्नोलॉजी जो सौ साल पहले थी आज भी वही है। मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है, नये-नये प्रोडक्ट आ रहे हैं और उन्हें मोर एफीसिएंट, चीपर तरह-तरह के एडीशंस दिये जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो टेक्नोलॉजी है वह बहुत लंबे समय से चल रही है। ऑप्शन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी उसे एडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, जो रिसर्च करने की जरूरत है वह तो नहीं ही हो रही है। इसलिए इस क्षेत्र पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से हम यह कहना चाहेंगे कि वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहन के कुछ पैकेज मिलने चाहिए। इसमें कुछ कमी हुई है और इसके कुछ आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि ऐसे समाचार आ रहे हैं, और ऐसी सूचना मिली है कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस से साइंटिस्ट दूसरे क्षेत्रों में जॉब खोज रहे हैं। भारत में जिन जगहों पर जहां कहीं पर भी

रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उसका आउटपुट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका विकेन्द्रीकरण, उसका जो उत्पाद हैं, जो रिसर्च आपने की, वो अभी तक लेबोरेटरी के अंदर बंद है। आज कृषि के क्षेत्र में बहुत रिसर्च होने के बावजूद पुरानी पद्धति से गांव, देहात में कृषि हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण का भी बहुत अच्छा-खासा आयाम उसे नहीं मिला है, जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रोटेंसी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम माननीय मंत्री जी को इस बोर्ड बिल को लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हम यह आशा करते हैं कि जो सुझाव हमने दिये हैं उन पर अमल किया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, मैं विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008 का समर्थन करता हूं जो माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया है।

मेरा आशय विज्ञान एवं इंजीयिनरिंग में मूल अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा ऐसे अनुसंधान, अकादमी संस्थाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक घरानों में लगे व्यक्तियों और ऐसी अनुसंधान हेतु अन्य एजेंसियों तथा उनसे संबंधित मामलों हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए एक बोर्ड के गठन करने का है।

काफी लम्बे समय के बाद सरकार देश में अपनी वैज्ञानिक क्षमता में वृद्धि करने हेतु एक बोर्ड की शुरुआत करने का विचार कर रही है। यह यू.एस.ए. की नेशनल साइंस फाउन्डेशन की तर्ज पर हैं। ज्ञान के युग में एक प्रतिस्पर्धी भागीदार बनने के उद्देश्य से देश के लिए आवश्यक है कि इस वास्तविकता पर प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करे। दिन-प्रतिदिन बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के दौर में वैश्विक स्तर पर उन्नत मूलभूत विज्ञान अनुसंधान में हो रहे तेज परिवर्तनों के कारण देश को अपने मूलभूत अनुसंधान के स्तर में भी सुधार करने की आवश्यकता है।

कौशल विकास के लिए समेकित तन्त्र का विकास करने की भी आवश्यकता है। इस समय देश में ऐसे समन्वय का अभाव है। वास्तव में विज्ञान एवं विकास संबंधी अनुसंधान कार्य विभिन्न विभागों में किये जा रहे हैं। इनमें समन्वय नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और सरकार के अनेक मंत्रालय अपने विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं।

लेकिन, वास्तव में, मंत्रालयों में आपसी समन्वय नहीं है। अब इस बात की आवश्यकता है कि सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय हेतु एक तंत्र होना चाहिए तथा विभागों के बीच भी समन्वय होना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है।

यह भी कहा गया है कि सरकार शुरू में इस ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 3000 करोड़ रुपये की कायिक निधि का सृजन करेगी जो बाद में बढ़कर 15000 करोड़ रुपये हो सकती है। लेकिन सच यह है कि सकल घरेलू उत्पाद का बहुत कम प्रतिशत हमारे अनुसंधान एवं विकास पर खर्च हो रहा है। 2003 का प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य भी एकदम पुराना है एवं उसमें सामान्य बाते हैं। अब विश्व बदल गया है। हमें इन अधिनियमों में संशोधन करना चाहिए। अन्यथा हमारे पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसकी आवश्यकता है।

यह अनुमान लगाया गया है कि देश में इस समय अनुसंधान एवं विकास पर किया जाने वाला व्यय देश के सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत है। हम सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से कम खर्च कर रहे हैं जबकि अन्य विकसित देश इससे बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं। इसकी भी आवश्यकता है कि हमें इस पर ज्यादा बल देना चाहिए और अधिक धन व्यय करना चाहिए ताकि हम इस अनुसंधान एवं विकास कार्य का प्रयास कर सकें।

इस समय के बदलते वैश्विक परिदृश्य में पेटेन्ट प्रणाली का विकास हुआ है। पहले ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी। इस समय बौद्धिक सम्पदा अधिकार का स्वरूप सामने आया है। पहले हमारे ऋषियों एवं मुनियों ने बहुत कुछ दिया; और उन्हें इसके बदले किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन, अब हम जो कुछ करते हैं सब वाणिज्य एवं व्यापार की दृष्टि से करते हैं। अत: हमारी समस्त बौद्धिक सम्पदा भी व्यापार की वस्तु बन गई है। विश्व के इस बदलते परिदृश्य में, सरकार ने अनुमान लगाया है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी पेटेन्ट के लिए आवेदनों की संख्या 72000 होगी। सरकार ने अनुमान लगाया था कि 2011-2012 तक जो कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है ये आवेदनों की संख्या 72,000 तक हो जाएंगी।

आपका तन्त्र क्या है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वैज्ञानिक इस संबंध में पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपना आवेदन देने के बाद वे अत्यधिक धनराशि का भुगतान कर रहे हैं। इसके बावजूद अनुसंधान सहायता, परीक्षक उपलब्ध नहीं हैं। कागजातों की संवीक्षा, आंकड़ा एकत्रीकरण आदि के भी उपकरण उपलब्ध नहीं है। आज

[श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी]

इन सबका अभाव है क्योंकि ये कार्य वाणिज्य मंत्रालय देखता है। उसके पास ये साधन नहीं हैं तथा उसे इस पेटेन्ट कानून एवं अन्य वस्तुओं संबंधी जो नये प्रकार का कार्य दिया गया है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय के पास इन सारी बातों की संवीक्षा करने की जानकारी नहीं है। हमारे देश में हमारे पास जांच हेतु कुशल अनुसंधान सहायता नहीं मिल रही है।

किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रतिभा पलायन के कारण अनेक वैज्ञानिक एवं युवा बेहतर पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं। उन्हें यहां बेहतर पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। अच्छे वैज्ञानिक प्राप्त करने के लिए एक अच्छा पैकेज दिये जाने की आवश्यकता है।

औद्योगिक घरानों का ही मामला लें। हम इन औद्योगिक घरानों को इतनी अधिक छूट दे रहे हैं। लेकिन वे क्या कर रहे हैं? क्या वे अनुसंधान पर धन खर्च कर रहे हैं? सरकारी क्षेत्र में भी इसकी आवश्यकता है। उन्हें एक निश्चित धनराशि खर्च करनी चाहिए। इस तरह का कानून होना चाहिए ताकि उनसे अनुसंधान एवं विकास पर एक निश्चित धनराशि, उनके निवेश की एक निश्चित प्रतिशतता खर्च करने को कहा जाए। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन औद्योगिक घरानों के मामलों में जो धनराशि खर्च नहीं कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कानून होना चाहिए कि वे इस कायिक कोष में धनराशि दें ताकि हमारे पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु पर्याप्त निधियां रहें।

औद्योगिक घरानों को आकृष्ट करने की आवश्यकता है। हमें उन्हें कर छूट देनी चाहिए। अन्य देश यह छूट दे रहे हैं। अमरीका और जापान जैसे देश अनुसंधान एवं विकास पर एक अच्छी खासी धनराशि खर्च कर रहे हैं। जहां तक कर में छूट का संबंध है, वे कर में पर्याप्त छूट दे रहे हैं। हमारे देश में, हम इतना खर्च नहीं कर रहे हैं। ऐसा किये जाने की आवश्यकता है। हमें अनुसंधान एवं विकास पर और खर्च करना चाहिए कर में छूट प्रदान करनी चाहिए। आस्ट्रेलिया में, पात्र अनुसंधान एवं विकास व्यय के संबंध में 125 प्रतिशत कर रियायत दी जाती है। जापान 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर क्रेडिट के रूप में प्रदान कर रहा है। कोरिया करावकाश दे रहा है। सिंगापुर स्वीकृत अनुसंधान एवं विकास पर हुए खर्चों के लिए एक सौ प्रतिशत कटौती की छूट की अनुमति दे रहा है। यू.के. में कर योग्य अनुसंधान एवं विकास खर्च के लिए 125 प्रतिशत कटौती की छूट दे रहा है। यूएस भी 60 महीने की अवधि से अधिक के लिए शत प्रतिशत कटौती या परिशोधन की छूट दे रहा है। विभिन्न विकसित एवं विकासशील देश अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दे रहे हैं। अतः, हमें भी कुछ कर छूट देनी चाहिए ताकि औद्योगिक घराने अनुसंधान एवं विकास पर और धनराशि खर्च करने हेतु आगे आएं। सरकार को ऐसी नीतियां लानी चाहिए।

जहां तक रक्षा व्यय का संबंध है, हम उन्हें अच्छी धनराशि दे रहे हैं। हम संसद में रक्षा क्षेत्र को धनराशि देने में कभी कंजूसी नहीं करते हैं। हमारे देशवासी भी रक्षा क्षेत्र में धनराशि खर्च करने के प्रति कंजूसी नहीं दिखाते हैं। हम डीआरडीओ में अनुसंधान कार्य पर काफी धनराशि खर्च कर रहे हैं लेकिन परिणाम अपेक्षित स्तर तक नहीं मिल रहा है।

मैं केवल यह बता रहा हूं कि यहां कोई निगरानी प्रणाली नहीं है। यहां सीएसआईआर है तथा कई विभाग एवं मंत्रालय हैं जो अनुसंधान एवं विकास का कार्य कर रहे हैं। उनके बीच भी कुछ समन्वय होना चाहिए। जहां तक प्रद्योगिकी पहलू का प्रबंध है, डीआरडीओ को निधियां मुख्यत: प्रौद्योगिकी में सुधार लाने हेतु दी जाती हैं। प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु कुछ कदम उठाए जाने चाहिए।

माननीय मंत्री ने यह विधेयक पुर:स्थापित किया है। मैं अपने दल की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा लाए गए तथा सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ बातें जानना चाहता हूं। आज तक हमारे यहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। यह विभाग, वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है। फिर समस्या क्या है? मंत्रालय को क्यों लगता है कि इसे बदला जाना चाहिए और अधिक अनुसंधान कार्यों विशेषकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान कार्यों हेतु एक विशेष बोर्ड होना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं इस विचार का समर्थन करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक आधारभूत अनुसंधान में उत्कृष्टता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए तथा कुछ और तंत्र विकसित किये जाने चाहिए। वे विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की स्थापना करने जा रहे हैं। यह होना चाहिए परन्तु स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

दूसरे, ऐसी आशंका है कि यह बोर्ड इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य तक ही सीमित रहेगा। कृषि क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। आजकल, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान पर और अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता है। यदि कृषि क्षेत्र में कुछ नवीन उपाय किये जाएं तो हमारा देश और आगे बढ़ सकता है।

विभिन्न आईआईटी तथा अन्य इंजीनियरिंग क्षेत्रों के बीच समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाएगा? संबंधित इंजीनियरिंग संस्थाओं को मिलाकर गठित यह बोर्ड किस प्रकार कार्य करेगा? इस विधेयक से यह पहलू अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि मंत्री महोदय इस बारे में हमें जानकारी देंगे।

अंत में, मैं आवंटन का उल्लेख करना चाहता हूं। वित्तीय ज्ञापन से यह बात समझ आती है कि वर्ष 2008-2009 हेतु 200 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। इस बोर्ड के लिए यह पर्याप्त नहीं है। वर्ष 2008-2009 हेतु क्या बजटीय आवंटन है? जहां तक ग्यारहवीं योजना का संबंध है तो इसका क्या अर्थ है? मेरा मानना है कि सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए और मुझे लगता है कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इन सभी मुद्दों को स्पष्ट करेंगे।

यह सच है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और विज्ञानकर्मी हैं। हमारे देश में बड़ी संख्या में विज्ञान स्नातक हैं और मुझे लगता है कि यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इस अनुसंधान कार्य में वे किस प्रकार शामिल होंगे? इन सभी कार्यों में युवा विज्ञानकर्मियों को किस प्रकार शामिल किया जाएगा? इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे मंत्री महोदय-जोकि पूरी तरह योग्य और सक्षम हैं-वह इस पर विचार करेंगे।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यहां उठाए गए सभी बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, मैं विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय श्री कपिल सिब्बल साहब इस विषय में बहुत ही योग्य एवं अनुभवी मंत्री के रूप में हमारे समक्ष आए हैं। जहां तक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग में जब कभी हम आपके विचार सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको अनुभव है।

इस विधेयक में देखा गया है कि अध्यक्ष के अलावा योजना आयोग और तमाम अन्य संस्थाओं के लोगों को इसमें पदेन सदस्य के रूप में रखा गया है। मैं चाहूंगा कि जो हमारा वैज्ञानिक अंतरिक्ष नासा है, उसे भी इसमें अगर पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लें तो बहुत अच्छा होगा। पूरे देश में, चाहे वे आईटी कालेज हों या आईआईटी के वरिष्ठ कालेज हों, उनमें से भी लें तो उनके अच्छे सुझाव एवं विचार हमारे बीच में आ सकते हैं और समय-समय पर आने वाली जो समस्याएं एवं दिक्कते हैं या तमाम इस तरीके से इंजीनियरिंग या अनुसंधान से जुड़े हुए सवाल हैं, वे हल हो सकें।

अभी हमारे बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से इस विषय में अपनी बातें रखी हैं। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे यहां के जो इंजीनियर्स हैं या तमाम वैज्ञानिक हैं, क्या कारण है कि वे एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते रहते हैं। वे केवल इसलिए एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रतिभा है, उसके मुताबिक उन्हें मानदेय या वेतन नहीं मिलता, इस कारण वे एक विभाग से दूसरे विभाग में आते-जाते रहते हैं। आते-जाते रहते हैं। यहां तक कि बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली इंजीनियर्स हैं, जो विदेश भी गए हैं। मुझ बेहद खुशी इस बात की है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के मैम्बर होने के नाते जब हम लोग इसरो में गए, तो हम लोगों ने वहां देखा कि जो चन्द्र यान भेजा गया, वह वहां के छोटे-छोटे इंजीनियरों ने बनाया था। वहां के जो डायरेक्टर और प्रिंसीपल वैज्ञानिक ने हमें बताया कि हमारे यहां के जो छोटे-छोटे इंजीनियर्स हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उन लोगों की अपनी तकनीक, अपनी सूझबूझ और अपनी प्रतिभा के अनुसार उन्होंने चन्द्रयान का निर्माण किया। यह देश के और हमारे लिये बहुत ही गौरव की बात है कि जो हमारे छोटे-छोटे और अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने अपनी योग्यता के अनुसार चन्द्रयान बनाया और अंतरिक्ष में भेजा।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञान और शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए जो बोर्ड आप बना रहे हैं, उनमें अपने यहां के जो अच्छे वैज्ञानिक हैं, उनके लिए उपयुक्त होगा कि देश के अच्छे अनुसंधान केन्द्रों में उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधाएं और सहूलियतें प्रादन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद दी जाए। इससे इंजीनियरिंग क्षेत्र का अनुसंधान हो या किसी भी क्षेत्र का अनुसंधान हो, हमारे देश की प्रतिभाओं को अच्छे कार्य करने के अवसर मिलेंगे। इससे वे भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी विकास के रास्ते पर ले जाएंगे।

इन्हीं बातों के साथ, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: आपका धन्यवाद।

मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य केवल दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक अच्छा विधेयक है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को और बढ़ावा मिलेगा, जहां भारत एक वैश्विक केन्द्र बन सकता है। इसलिए यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया है और इसका आशय बोर्ड की स्थापना करना है। उक्त प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपये की कायिक निधि आवंटित की जा रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वे लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे जैसाकि सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है।

उद्देश्य और कारणों के विवरण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, बॉयोटेक्नोलॉजी, औषध तथा भेषज क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। यहां पर मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पायी है, इस संबंध में वित्त मंत्री ने ऑन रिकार्ड कहा है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन एक स्तर पर आकर ठहर गया है। इससे यह पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का काम कम हुआ है इसलिए खाद्यान्न उत्पादन एक स्तर पर आकर ठहर गया है। भविष्य में, जैसाकि आज देखा जा रहा है अफ्रीका, यूरोप और विश्व के अन्य भागों में खाद्यान्नों की कमी हो सकती है। खाद्य सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमें अपनी कृषि को और सुदृढ़ करना होगा और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का काफी काम किया जाना होगा।

मैं खेद के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि कृषि और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में समन्वय का अभाव है। इस क्षेत्र में यह देखा जा सकता है। प्रयोग से उपयोग तक प्रौद्योगिकी का अंतरण करना देश की प्रथम कृषि नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य था। लेकिन मुझे हीं लगता कि प्रयोग से उपयोग तक प्रौद्योगिकी का अंतरण हो रहा है। मैं केबी के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र से आता हूं। हरित क्रान्ति के बाद मैंने कृषि क्षेत्र में काफी परिवर्तन होते देखे हैं इसके लिए मैं डा. स्वामीनाथन फाउंडेशन और वंदना शिवा फाउंडेशन जैसे अनुसंधान फाउंडेशनों तथा किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे एक पुनीत सेवा कर रहे हैं। वे अपने बलबूते पर यह काम कर रहे हैं उन्हें अपने क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए सरकार को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए ताकि देश के निर्धनतम लोगों को इसका लाभ मिल सके।

अनेक अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं तथा अनेक उद्योग भी स्थापित हो रहे है लेकिन इनका पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर बेहद विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। हमें इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित काफी कार्य करना है ताकि हमारा पर्यावरण, वन और वन्य जीव बचे रहे। इस बात की भी घोर अनदेखी की गई है। उदाहरणार्थ हम बाघों की संख्या को ले सकते हैं और इस बारे में भारत तथा चीन की तुलना कर सकते हैं, तुलना करने पर हमें पता चलता कि जहां चीन में इनकी संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर भारत में इनकी संख्या कम होती जा रही हैं। इसके क्या कारण हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है और बाघों द्वारा शिकार किये जाने वाले जानवरों की संख्या में भी कमी आ रही है। बाघों को बचाए रखने के लिए भी काफी अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता है और बाघ अभयारण्यों में और अधिक जानवर होने चाहिए ताकि बाघों को आसानी से शिकार मिल सके।

खनन क्षेत्र के संबंध में, मैं बाक्साइट खनन का एक उदाहरण देना चाहता हूं जहां एल्यूमिनी या एल्यूमीनियम उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। जब बाक्साइट निकाला जाता है तो इसके साथ लाल मिट्टी भी निकलती है। इस मिट्टी पर घास का एक तिनका भी नहीं उगाया जा सकता। यदि यही लाल मिट्टी, जलाशयों या नदी में मिल जाती है और मानव द्वारा इसका उपयोग किया जाता है या इस जल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के अन्न का उपयोग किया जाता है तो इससे अल्जाइमर रोग हो सकता है जोकि पुणे एल्युमीनियम फैक्टरी में व्याप्त था अत: बाक्साइट खनन को तुरंत रोका जाना होगा। यदि बॉक्साइट का खनन करने वाली कंपनियां वास्तव में संसाधनों का दोहन करना चाहती है हालांकि इससे बेरोजगारी फैलेगी, लेकिन इससे पिछड़े क्षेत्रों में काफी काम मिलेगा और इससे देश को काफी राजस्व भी मिलेगा लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि क्या निगमित सामाजिक दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की दुख-तकलीफें दूर की जा सकें और क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हम संचार और इंटरनेट, बायो-टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं तथा भेषज क्षेत्र में भी कुछ प्रगति की है। दोहा दौर की वार्ता में आज तक हमें कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। आज जीवन रक्षक दवाईयां बहुत महंगी है। एक गरीब आदमी इनका खर्च वहन नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्रीय मानव अधिकार मिशन, जिसे इस कार्य को करना चाहिए था उसने यह काम नहीं किया। कम से कम मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कालाहांडी में तो इसे समुचित तरीके से नहीं किया गया है। हमें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए बड़े-बड़े स्वास्थ्य शिविर लगने चाहिए।

यह एक अच्छा विधयेक है। आखिर में देर से ही सही, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बोर्ड की स्थापना के विचार के लिए बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों में सक्रिय विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और लोगों के वित्तपोषण में भी पारदर्शिता बरती जाएगी। अत: यह अवसंरचना विकास; वन और पर्यावरण, खनन क्षेत्र, इत्यादि पर भी लागू होना चाहिए और इन क्षेत्रों को आगे आना चाहिए। इस विषय पर बोलने हेतु समय देने के लिए मैं माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं।

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा तथा जो विचार मेरे साथियों ने रखे हैं उनकी पुनरावृत्ति न करने का प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर संबंधित सलाहकार या स्थायी समिति ने गहन विचार नहीं किया है। मैं कुछ तकनीकी बिंदुओं के बारे में बताउंगा तथा उसके बाद कुछ आम बिन्दुओं के बारे में बताऊंगा लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

इस विधेयक के खण्ड 3 के उपखण्ड 3 तथा अंतिम तीन खण्डों 'ज' से 'ञ' में अकादमिक संस्थाओं तथा अन्यों से सदस्य शामिल किये जाने का प्रावधान है। मैं केवल यह सुझाव देना चाहूंगा कि क्या इसे अभी लेना संभव है। 'ज' के लिए यह 'तीन से अधिक नहीं' सदस्य हैं। इसी प्रकार 'झ' तथा 'ञ' के लिए हैं। मैं समझता हूं कि भाषा के कम से कम तीन सदस्य हो सकते हैं या होने चाहिएं। हमारे देश में आई.आई.टी. सहित अनेक विश्वविद्यालय हैं। अत: केवल तीन सदस्य और कि 'तीन से अधिक नहीं का अर्थ है कि यह एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं या शून्य भी हो सकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि 'अनधिक' शब्द के स्थान पर 'कम से कम' शब्द प्रतिस्थापित किये जाने चाहिए। संभवत:, उसी धारा के खण्ड 5 में खण्ड च से ज में विनिर्दिष्ट योग्यताएं एवं अनुभव, कार्यकाल में मुद्रण संबंधित गलती है। अब, 'च' से तात्पर्य भारत सरकार के सचिव, 'छ' से तात्पर्य भारत सरकार के सचिव आदि हैं। यहां जो दिया गया है उसके स्थान पर 'ज' से 'ञ' होना चाहिए।

अब, इस विधेयक के पृष्ठ 3 पर इस विधेयक के खंड 3 में उपखण्ड 7 के अंतर्गत बोर्ड के किसी कृत्य या कार्यवाहियों को केवल इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता है।

अपराह्न 2.00 बजे

इसी उपधारा के खण्ड (ख) के अन्तर्गत 'नियुक्ति में दोष' जैसे शब्दों से मैं अप्रसन्न हूं। 'दोष' शब्द के स्थान पर 'गलती' शब्द प्रतिस्थापित होना चाहिए। इसी प्रकार अगले खण्ड में प्रक्रिया में अनियमितता कहा गया है। अनियमितता बहुत ही कठोर शब्द है। अत: यहां मैं कहना चाहता हूं कि इसे 'गलती' या 'जानबूझकर न की गई गलती' से प्रतिस्थापित किया जाए। इस पर विचार किया जाए।

धारा 5, उपधारा (2) में यह कहा गया है कि 'निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–एक प्रख्यात वैज्ञानिक। मेरा सुझाव है कि इसे 'अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक से प्रतिस्थापित किया जाए। यह संभवत: ज्यादा उपयुक्त होगा।

अगले खण्ड में यह कहा गया है कि 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव, पदेन उपाध्यक्ष होंगे। जब हम धारा 3(क) में आते हैं तो यह कहा गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। अत: निगरानी समिति का उपाध्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष है तो मेरे विचार से यह उपयुक्त नहीं है। इस पर गौर किया जाना चाहिए। बोर्ड का अध्यक्ष निगरानी समिति या उपाध्यक्ष नहीं हो सकता।

धारा 8 आवेदन के बारे में है। यहां मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन नियमों के अंतर्गत इसका प्रावधान किया जा सकता है–ऐसे आवेदन एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम दो बार प्राप्त की जाएं या की जाएंगी। इसी प्रकार बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार प्राप्त की जाएं या की जाएंगी। इसी प्रकार बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार या जितनी भी बार आवश्यक हो, होंगी। इस बात का इन नियमों के अंतर्गत प्रावधान किया जाए लेकिन इसका ध्यान भी रखा जाए। ऐसे ही निगरानी समिति की वर्ष में कम से कम दो बार या जितनी भी बार आवश्यक हो, की जाएं।

यहीं कुछ बातें हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं। अन्त में उद्देश्य एवं कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि मूलभूत अनुसंधान की आयोजना, प्रोत्साहन एवं वित्तपोषण के लिए वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड एक प्रमुख बहु-आयामी अनुसंधान वित्त पोषण एजेन्सी के रूप में काम करेगा। आयोजना के अंतर्गत इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि बोर्ड यूजीसी, एआईसीटीई, सीएसआईआर और अन्य एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले वित्त पोषण पर कैसे निगरानी रखेगा। अन्यथा अनुसंधान कार्यक्रम की पुनरावृत्ति या बारम्बार पुनरावृत्ति होगी, जो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक निधि अथवा सरकारी पैसे का उपयुक्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अत: आयोजना इस

[प्रो. बसुदेव बर्मन]

प्रकार से की जाए कि अनुसंधान कार्यक्रम की कोई पुनरावृत्ति या बारम्बार पुनरावृत्ति न हो।

औद्योगिक घरानों के बारे में एक और बात है। मेरे एक माननीय साथी ने इस बात को उठाया है। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आयोजना करते समय या नियम बनाते समय क्या सरकार ऐसे कुछ प्रावधान करने के लिए औद्योगिक घरानों से कह सकती है कि वे वार्षिक कारोबार का 2.3 प्रतिशत अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च करें। कुछ विकसित देशों में यह खर्च 5-6-7 प्रतिशत तक है। मेरा केवल यही सुझाव है कि सरकार नियमों में ऐसे कुछ प्रावधान करें जिससे कि औद्योगिक घराने अपने वार्षिक कारोबार का 2-3 प्रतिशत अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च कर सके।

धन्यवाद तथा मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): महोदय, मैं हमारे विद्वान मंत्री, श्री कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

वे विशेषकर जड़ी-बूटी या औषधि के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग एक बोर्ड का गठन करने में कर रहे हैं। हम विज्ञान के माध्यम से अनन्त क्षितिज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उड़ीसा औषधि युक्त पौधों से परिपूर्ण राज्य है जो संसार भर में इस संबंध में एक अग्रणी राज्य है।

आप अलबेरा नामक जड़ी बूटी के बारे में जानते होंगे। यह जड़ी-बूटी उड़ीसा में पैदा होती है किंतु इसे हजारों गुना अधिक कीमत पर अमरीका में बेचा जा रहा है। हम पर कर लगाया जा रहा है और वे गरीब आदमी का पैसा ले जा रहे हैं। इसी प्रकार तुलसी और नीम भी उड़ीसा में पैदा होते हैं। बोर्ड के गठन के बाद हमारे वैज्ञानिकों और विद्वानों के नए-नए विचारों को भी पहचान मिलेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे परम्परागत विद्वानों द्वारा खोजी गई इन जड़ी बूटियों के माध्यम से मानवता को बचाने के लिए इस क्षेत्र में नई खोज करें।

मैडम क्यूरी द्वारा कैंसर की दवा का आविष्कार करने से पहले हमारी 'रामायण' में इसके इलाज का उल्लेख मिलता है। जब रावण बीमार था तो उस समय के महान वैध धनवन्तरि ने उन्हें इसके इलाज की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि एक सुनहरे पंखों वाला पक्षी आकाश में विचरण कर रहा है और वह एक पवित्र स्थान पर उतरेगा। यदि उस पक्षी की बीट का सेवन किया जाए तो यह कैंसर के उपचार में भी उपयोगी साबित हो सकता है। कैलाश मानसरोवर पर उपलब्ध स्वर्ण मिट्टी में इसके मिलने की अपार संभावना है। वैध ने इस बीट को एकत्र करने और उसे घाव पर लगाने की सलाह दी ताकि इसका आसानी से उपचार हो सके। अपनी कविता में मैं प्राय: यह कहता हूं कि "आपको अपने जीवन में कोई बेकार वृक्ष और अपनी जिंदगी में एक अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। आप संसार भर में जहां भी जाएंगे।

[हिन्दी]

सब पेड़ों के औषधीय गुण होते हैं, जैसे

[अनुवाद]

जड़ी-बूटियों से एड्स का भी उपचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

एड्स का उद्भव दक्षिण अफ्रीका में हुआ। एक पागल आदमी द्वारा एक रोगी चिपांजी के साथ रहने से यह रोग उस जानवर से आदमी के शरीर में आया। इस घातक रोग का उपचार धर्मब्रह्म नामक नीम के पौधे से किया जा सकता है जो उड़ीसा में पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति धर्मब्रह्म के पेड़ के नीचे बैठकर पवित्र 'मंत्र' का उच्चारण कर सकता है। उस पेड़ में एक छेद कीजिए और उसमें केवल 100 ग्राम अधपके चावल डालिए, उड़ीसा में अरुआ चावल कहा जाता है, फिर उस छेद को बंद कर दीजिए। उस पेड़ के नीचे बैठकर पवित्र मंत्र का उच्चारण कीजिए। 21 दिन के बाद ये चावल क्रीम में बदल जाएंगे। इस क्रीम को 21 भागों में बांटकर रोज एक भाग का सेवन करें। हर रोज इस मंत्र का उच्चारण करें:

उग्रम बीरम महाविष्णुं, जुड़ंतम सर्वत्र मुखम्
निग्रहम् भीषणम मडम, मृत्युर, मृत्युं नामामयहम्।

[अनुवाद]

मैं आपको इसका एक बढ़िया प्रमाण दे सकता हूं। आप वहां पर अनुसंधानकर्त्ताओं को भेज सकते हैं। अत: उपचार हमारी अपनी जड़ी बूटियों में छिपा हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय को एक अनुसंधान विश्वविद्यालय बना दिया जाए और हमारे राज्य में एक हर्बल विश्वविद्यालय होना चाहिए। आयुर्वेदिक कालेज को भी आयुर्वेदिक अनुसंधान विश्वविद्यालय बना दिया जाए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, हम हमेशा दावा करते हैं कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों को

संख्या सबसे अधिक हैं। यदि आप भारतीयों द्वारा किये गये अनुसंधानों की गुणवत्ता को देखें तो मेरे विचार से हमें विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया में होने वाले आविष्कारों में अपना अग्रणी स्थान होने का दावा नहीं करना चाहिए। यदि आप विश्वस्तर पर पंजीकृत भारतीय पेटेंट की संख्या देखें तो हम शीर्ष 20 देशों में भी नहीं आते हैं। अत: भारत में अनुसंधान और विकास पर गहन ध्यान देने की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जाती रही है।

जब हम अनुसंधान और विकास की बात करते हैं तब सामान्यत: हम अनुसंधान के स्थान पर 'विकास' पर ध्यान देते हैं। हम अनुसंधान और विकास' को एक पैकेज के रूप में देखते हैं किन्तु हमारा प्रयास पहिये की खोज पुन: करने जैसा होता है। जब हम औषधि तथा भेषज कंपनियों की बात करते हैं तो लम्बे समय से ये रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही हैं। अब हाल ही में हम अपने मालिक्यूल और अपनी औषधि सुपुर्दगी प्रणाली विकसित कर रहे हैं। आधुनिक समय में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी यह उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। इस पर ध्यान दिये जाने की लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी, अतएव मैं एक अधिवक्ता जो अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरुष बन गये हैं तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं के द्वारा लाये गये इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं उनके द्वारा की गयी इस पहल का स्वागत करता हूं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले, मैं यह नहीं जानता हूं कि अन्य सभी मंत्रियों के समान, जिसमें अपने मंत्रित्वकाल में भी मैं शामिल हूं, मंत्री जी प्रस्तावित बोर्ड में सरकार के सचिवों को सदस्य के रूप में रखने को क्यों आतुर रहते हैं। हम वास्तव में सरकार के सचिव पर ही नहीं रुकते बल्कि भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिवों को भी बोर्ड का सदस्य बनाने का प्रयास करते हैं। अत: यह रोजगार गारंटी योजना बन गयी है और हमने सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है कि सेवारत नौकरशाह बोर्ड में शामिल किये जायेंगे और जब वे सेवानिवृत्त हों तब भी हम उनका सदस्य बनना सुनिश्चित करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोर्ड के संघटन को देखें। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव, योजना आयोग के सदस्य सचिव जैव प्रौद्योगिकी विभाग में सरकार के सचिव, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में सरकार के सचिव, स्वास्थ्य विज्ञान के सचिव और इस प्रकार के अन्य लोग शामिल हैं। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यदि वह वास्तव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहते हैं तो आप यह पद विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े सर्वोत्तम लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं चाहे वह सरकार में हों अथवा नहीं हों? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनमें से सब प्रमुख वैज्ञानिक नहीं होंगे। मैं डा. माशेलकर को जानता हूं जो सीएसआईआर के सचिव थे और एक अग्रणी वैज्ञानिक थे तथा ऐसे कई अन्य लोग भी हैं। भारत सरकार में वास्तव में सक्षम वैज्ञानिक हैं। अत: मुझे कोई संदेह नहीं है कि उन्हें बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि आप इसमें सरकार के सचिवों तक ही क्यों सीमित रह रहे हैं। अत: मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप इसे खुला रखिए तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सर्वोत्तम प्रतिभाओं को बोर्ड में शामिल करने का प्रयास करें।

दूसरा मुद्दा यह है कि अमरीका में एक बहुत अच्छा माडल उपलब्ध है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान देश में कहीं भी अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। वे अभिनव विचार सामने लाने वाले संगठनों तथा व्यक्तियों से अनुदान प्रदान करते हैं। अत: आपको भी ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार आपको एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास करना चाहिए जिससे आप देश में कहीं भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आविष्कारों को वास्तव में प्रोत्साहन दे सकें।

इससे जुड़ा तीसरा मुद्दा है कि आपने तीन विज्ञानों नामत: भेषज, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का उल्लेख किया है। किन्तु आपने नैनो टेक्नोलॉजी का नाम नहीं लिया है। नैनो टेक्नोलोजी के समान कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां अब सामने आ रही हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए किन्तु सबसे महत्वपूर्ण यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि आप नवीकरणीय प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम का उल्लेख क्यों नहीं करते जो इन सब श्रेणियों में से किसी में शामिल नहीं होगा। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर अब भारत कार्य करने जा रहा है। श्री दिनशा पटेल नाखुश हो सकते हैं क्योंकि तेल और गैस को इस प्रकार का महत्व नहीं मिलाने जा रहा है। परन्तु, हमें नवीकरणीय प्रौद्योगिकी, सौर प्रौद्योगिकी तथा सामुद्रिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है जो आपकी जिम्मेदारियों में से एक है। अत: हमें इस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। जब आपने कई सचिवों का उल्लेख किया है तब आपने इस विभाग का बिल्कुल ही उल्लेख नहीं किया है। अत: आप यह सुनिश्चित क्यों नहीं करते कि इसे भी शामिल किया जाए?

एक अन्य विषय जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है वह है नये विचारों के संपोषण का। जब आप अनुसंधान और विकास की बात करते हैं कई विचार आगे नहीं बढ़ पाते और आरंभिक स्तर पर उचित वित्तपोषण की कमी के कारण आकार नहीं ले पाते हैं। व्यावसायिक स्तर पर दोहन की बात तो छोड़ दें, प्रयोगशाला स्तर पर लाने के

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

लिए भी पर्याप्त सहायता नहीं है। अत: मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह ऐसे अभिनव विचारों के संपोषण पर विशेष रूप से ध्यान दें जो अवधारणा स्तर पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। अत: हमें उन्हें प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए।

अपराह्न 2.14 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

दूसरी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों से निकलने वाली नई अनुसंधान और विकास संबंधी संकल्पनाओं का पता लगाने में कार्यरत एक बहुत बढ़िया संगठन है। इसे भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के प्रो. श्री गुप्ता द्वारा चलाया जाता है। मेरे विचार से यह ऐसा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छोटी संकल्पनाओं को पोषित पल्लवित किया जाता है। मैं श्री कपिल सिब्बल से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे कई अच्छे विचारों का पल्लवन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वे मूर्त रूप ले सकें। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं इस विषय पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैंने सिर्फ उनकी टिप्पणियों को ही नहीं बल्कि उनके द्वारा दिये गये मूल्यवान सुझावों को भी बहुत ही तन्मयता से सुना है।

महोदय, मैं इन सुझावों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले कुछ उन प्रश्नों के संबंध में पृष्ठभूमि का उल्लेख करना चाहता हूं जिनमें यह पूछा गया है कि हमारे लिए एक बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा हम मंत्रालय में वित्तपोषण प्रणाली को संचालित करने वाले निकाय सी.ई.आर.सी. की अपनी पुरानी अवसंरचना के साथ ही क्यों नहीं जुड़े रहे।

महोदय, मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्र आगे बढ़ना चाहता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनना चाहता है उसके लिए बुनियादी अनुसंधान में निवेश करना व उसे बढ़ावा देना जरूरी होता है। इसे वस्तुत: राष्ट्रीय नीति का विषय होना चाहिए। निस्संदेह, इसके प्रौद्योगिकीय और आर्थिक निहितार्थ हैं। बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना शिक्षा में दीर्घकालीन निवेश जैसा है। राष्ट्रीय विकास के लिए एक समग्र रणनीति है। इसके लिए एक दीर्घकालीन नीति अवसंरचना की जरूरत है। इसके लिए संस्थागत स्थिरता की भी जरूरत है तथा इसे सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। यदि हम लोग विश्व के विकसित देशों को देखें तो पाएंगे कि उनके अधिकांश बुनियादी अनुसंधान वित्तपोषण का कार्य स्वायत्त संस्थाओं के पास है। जैसाकि आपको पता है, जहां तक बुनियादी अनुसंधान का प्रश्न है सरकार द्वारा इसका वित्तपोषण किया जाना चाहिए। निजी उद्यमी बुनियादी अनुसंधान में निवेश नहीं करने जा रहे हैं। वित्तपोषण का स्रोत सरकार में होना चाहिए। परन्तु वित्तपोषण को कैसे संवितरित किया जाए? यदि यह सरकार के पास बना रहता है तो यह नौकरशाही प्रक्रियाओं में उलझा रहेगा। यदि आप विश्व के अन्य देशों में विद्यमान पद्धति को देखें यथा संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल साइन्स फाउण्डेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हैं जो सभी स्वास्थ्य अनुसंधानों का वित्तपोषण करते हैं। ब्रिटेन में पांच वित्तपोषण संस्थाएं हैं। कनाडा में दो वित्तपोषण संस्थाएं हैं। परन्तु ये सभी स्वायत्त हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश भारत में वित्तपोषण तंत्र मंत्रालय के पास है और वित्तपोषण प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन का काम भी मंत्रालय के पास है तथा इसी की वजह से ये सभी नौकरशाही के नियंत्रणाधीन है और इस प्रकार वित्तपोषण के लिए आपको एस.ए.एफ.सी. अथवा एनईएफसी से सम्पर्क करना होगा जिसमें पूरी प्रक्रिया में दो से तीन वर्ष लग जाते हैं। इसलिए परिणाम यह होगा कि अनुसंधान के लिए जब प्रस्ताव आएंगे तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और तीन वर्ष का विलम्ब हो जाने के पश्चात् अनुसंधान का पूरा प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाएगा।

मैंने इन नौकरशाही नियंत्रणों से बाहर निकलने का कठिन प्रयत्न किया है। इस प्रकार, आपने बोर्ड गठित करने का जो कारण पूछा है वह यही है। हम नौकरशाही प्रक्रियाओं के दलदल में नहीं फंसना चाहते जो कि वित्तपोषण के कार्य को शीघ्र व प्रभावी ढंग से सम्पन्न होने में सहायक नहीं होती जबकि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में यह जरूरी है। इसलिए इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य इन नौकरशाही नियंत्रणों से मुक्त होना है जिसके बारे में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री कहते रहे हैं 'डि-ब्यूरोक्रेट-साइन्स' अर्थात् नौकरशाही से मुक्त होना तथा एक ऐसा तंत्र स्थापित करना जो नेशनल साइन्स फाउण्डेशन की तर्ज पर स्वायत्त और स्वतंत्र हो। नेशनल साइन्स फाउण्डेशन भी यही करता है। पैसा मंत्रालय के पास जाता है और मंत्रालय पैसा बोर्ड के पास भेजता है और तब बोर्ड यह निर्णय लेता है कि अनुसंधान के विविध क्षेत्रों में किसका वित्तपोषण किया जाए और किसका नहीं। इसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपनी पसंद से यहां निजी उद्योगों का वित्तपोषण कर सकते हैं, प्रयोगशालाओं का वित्तपोषण कर सकते हैं, अनुसंधान संस्थाओं का वित्तपोषण कर सकते हैं, अथवा व्यक्ति विशेष का वित्तपोषण कर सकते हैं। परन्तु यह कार्य निश्चित रूप से किसी स्वायत्त निकाय के समग्र नियंत्रण के अंतर्गत होना चाहिए।

अब हमारे प्रिय सहयोगी श्री सुरेश प्रभु ने यह मुद्दा उठाया है कि हमारे पास भारत सरकार के सचिव क्यों हैं। मैं आपको

मात्र एक पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वित्तपोषक तंत्रों में से एक है। अनेक अन्य भी हैं। उदाहरणार्थ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से स्वतंत्र होकर अपना वित्तपोषण स्वयं करता है, सी.एस.आई.आर. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से स्वतंत्र अपना वित्तपोषण स्वयं करता है, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इत्यादि की यही स्थिति है। अनेक बहुविध वित्तपोषण एजेन्सियां हैं। हमने कुल मिलाकर यही किया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो इस देश में करीब 50 प्रतिशत प्राकारबाह्य अनुसंधान मुहैया कराता है, के वित्तपोषण तंत्र को एक स्वायत्त संस्था को दे दिया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विभाग के साथ ऐसा नहीं किया गया है। इस विभाग में अन्य सचिव क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कोई वैज्ञानिक संगठन नहीं है जो अनुसंधान कार्यों की जांच करने जा रहा है। यह एक ऐसा संगठन है जो वित्तपोषण तंत्र की निगरानी करने जा रहा है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधित्व है और यह एकमात्र ऐसा विभाग नहीं है जिसका इसमें प्रतिनिधित्व है; इसमें अन्य विभागों का भी प्रतिनिधित्व है। इसमें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का प्रतिनिधित्व है, पृथ्वी विज्ञान विभाग का प्रतिनिधित्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वित्तपोषण किया जाता है तो इनमें से प्रत्येक सचिव को अपने आंतरिक कार्यक्रम का पता होता है ताकि दोबारा वित्तपोषण न हो। वस्तुत: वे लोग इन कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करेंगे। जब पृथ्वी विज्ञान के सचिव को पता होगा कि एक खास अनुसंधान एवं विकास तंत्र चल रहा है और यह बोर्ड धन खर्च करना चाहता है तो यह बात उसे पता होती है कि इस धन का उपयोग इस संदर्भ में किया जाए अथवा इसके अन्य पहलू के साथ इसका सामंजस्य स्थापित किया जाए। वस्तुत: हमने जानबूझकर विभिन्न सचिव रखे हैं ताकि दोबारा वित्तपोषण न हो तथा जहां परस्पर कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हो वहां यह कार्य उत्कृष्टता से हो। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है। मैं इसी बात का उल्लेख करना चाहता था।

कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया था कि 'आपके पास कोई कोष क्यों नहीं हैं। ठीक यही कारण है कि हम इस बोर्ड का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक कोष हो और वित्तपोषण तंत्र यहां मौजूद है। हमने धारा 5 की शर्तों के अनुसार एक निगरानी समिति गठित की है क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि यह वित्तपोषण तंत्र स्वतंत्र रूप से बिना किसी निगरानी के निर्णय ले।

इस प्रकार एक निगरानी समिति गठित करने का हमारे पास वास्तविक कारण है तथा इस निगरानी समिति का अध्यक्ष एक सुप्रसिद्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय समिति का वैज्ञानिक होगा। हम इसे सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का वैज्ञानिक क्यों न हो जिसे अनुसंधान के कतिपय पहलुओं के बारे में जानकारी हो। इस जानकारी का हम लाभ उठाएंगे। इसमें कोई हानि नहीं है। अनिवासी भारतीय भी हो सकते हैं जो अंतरांष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक हों। हम ऐसी संस्था का अध्यक्ष बनने से उन्हें क्यों रोकें। यह एक अभिवादन योग्य प्रावधान है क्योंकि स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने के सिवाय हम यह भी नहीं चाहते कि इसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र न हो। इसलिए हमने एक निगरानी समिति गठित की है जिसमें नेशनल एकेडमिज ऑफ साइंस, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस तथा नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के अध्यक्ष शामिल होंगे। निश्चित रूप से इसके उपाध्यक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होंगे क्योंकि वह वित्तपोषण तंत्र में शामिल है।

अत: अगर किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाना है तो वह निगरानी समिति में शामिल हैं ताकि उनसे वे प्रश्न पूछे जा सकें और वे इसका उत्तर सही ढंग से दो सकते हैं। वास्तव में, हमने इन सभी तंत्रों के बारे में काफी सावधानीपूर्वक विचार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (2) कोई दोहराव न हो; (2) स्वायत्तता हो; (3) कि किसी भी अनुसंधान क्षेत्र की ठीक तरह से जांच की जा सके। मेरा मानना है कि सम्पूर्ण प्रयोजन पांच उद्देश्यों के लिए है जिसके लिए हमने यह विधेयक लाने का निर्णय लिया है–(क) सभी प्रमुख विज्ञान वित्तपोषण एजेंसियों का विकास और इनके बीच अनुसंधान का समन्वय, जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूं; (ख) बाहरी अनुसंधान वित्तपोषण तथा परियोजना कार्यान्वयन की संचालनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि करना; (ग) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार संवर्धन के लिए राजनीतिक योजनाएं विकसित करना; (च) सामूहिक अनुसंधान के लिए समरूपी विदेशी फाउंडेशन के साथ साझेदारी करना; और (ङ) अन्य स्रोतों से दान स्वीकार कर, बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशियों की वसूली करके तथा बोर्ड द्वारा किये गये निवेशों से किसी आय के द्वारा बुनियादी अनुसंधान में निवेशों को बढ़ावा देना।

महोदय, मेरा मानना है कि हम सभी को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। हाल ही में देश भर में तथा मुम्बई में लोगों पर आतंकवादी हमलों के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस हुई थी।

अचानक हमें यह महसूस हुआ कि अपने पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके जिससे वे उपयुक्त मानव संसाधन का विकास करने के अलावा अद्यतन प्रौद्योगिकियों तथा अद्यतन हथियारों के साथ आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला कर सकें। राष्ट्रीय सुरक्षा के

[श्री कपिल सिब्बल]

लिए जो महत्व आधुनिकीकरण का है, वही महत्त्व आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। एक राष्ट्र के रूप में हमने अभी तक यह महसूस नहीं किया है कि जब तक हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश नहीं करेंगे, जब तक हम अनुसंधान एवं विकास में निवेश नहीं करेंगे, तब तक हम उन राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे जो हमसे काफी आगे हैं और जिनके आर्थिक विकास का पैटर्न हमसे काफी आगे है। जब तक यह देश इसे महसूस नहीं करता है, मुझे आशंका है कि तब तक हम इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि इस देश में अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया है। वे बिल्कुल सही हैं। अनुसंधान एवं विकास में हमारा निवेश हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत है। लेकिन, महोदय, इस 0.8 प्रतिशत में भी 0.7 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र से अर्थात् सरकार से है और निजी क्षेत्र का निवेश 0.1 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, इस देश में निजी क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास में बिल्कुल योगदान नहीं कर रहा है। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। जहां कहीं भी निजी क्षेत्र योगदान कर रहा है, वह इस तथ्य के कारण है कि उस क्षेत्र में आर्थिक विकास हो रहा है। उदाहरणार्थ, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निजी क्षेत्र इसलिए योगदान कर रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। निजी क्षेत्र जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान कर रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। अत:, हमारी पहली आवश्यकता अर्थव्यवस्था का विकास करने की है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होगा, वैसे-वैसे निजी क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास में अधिकाधिक निवेश करेगा। लेकिन निजी क्षेत्र के निवेश न होने की स्थिति में यह बिल्कुल आवश्यक और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है कि हम अनुसंधान एवं विकास में निवेश जारी रखें। अन्यथा, अगर हम शेष विश्व में प्रतिस्पर्धी होना चाहते हैं तो हम वह नहीं कर पाएंगे जिन्हें किये जाने की आवश्यकता है।

मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। इस देश में आज पी.एच.डी. करने वालों की संख्या 5000 से कम है। 15 वर्ष पूर्व चीन तथा भारत समान स्तर पर थे। लेकिन आज चीन में 40,000 पीएचडी कर रहे हैं जबकि हम तुच्छ स्तर पर बने हुए हैं। इसकी क्या वजह है? इसका कारण यह है कि हम संस्थाओं में निवेश नहीं करते हैं। हम उत्कृष्टता के संस्थाओं में निवेश नहीं करते हैं हम राजनीति के दलदल में फंसे हुए हैं। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से यह विनती करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिस तरह आतंकवाद के अभिशाप का मुकाबला करने के लिए कल आप सभी एकजुट हुए और एक स्वर में बोले, उसी प्रकार आप सभी को एकजुट होकर और एक स्वर में बोलना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके इस देश में उपलब्ध विशाल प्रतिभा का उपयोग हमारे देश को आगे ले जाने तथा 21वीं सदी में हमें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किया जाए। अगर हम एक स्वर में ऐसा नहीं करते हैं, तो मुझे आशंका है कि हम इस देश के साथ काफी अन्याय करेंगे।

यह आगे की ओर सिर्फ एक कदम है। मेरे अनुसार यह एक काफी अपर्याप्त कदम है। मेरा मानना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की आवश्यकता है, वैसे परिवर्तन जिसमें हमें यह नहीं देखना चाहिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमने कितना निवेश किया है, उस संदर्भ में कि इससे हमें कितना प्रतिलाभ मिलेगा। हम सभी चीजों को आर्थिक दृष्टि से देखते हैं। कृपया याद रखें कि दुनिया में जो भी महान आविष्कार किये गये हैं, उनमें किसी में भी प्रतिलाभ के बारे में नहीं सोचा गया। विज्ञान का निर्माण असफलताओं पर होता है, न कि सफलताओं पर। जब आप असफल होते हैं तब आप आविष्कार के लिए और कठिन प्रयास करते हैं। अत: जब अर्थशास्त्री यह प्रश्न करते हैं कि आपको इतनी राशि दी गई लेकिन आपने इससे क्या परिणाम हासिल किया, यह गलत मानसिकता है, गलत प्रश्न है। सही प्रश्न पूछे जाने तथा सही कार्य किये जाने की आवश्यकता है। मुझे आशंका है कि वर्षों से हम एक राष्ट्र के रूप में इस मानसिकता को विकसित नहीं कर सके हैं।

अब मैं उन कुछ मुद्दों पर संक्षिप्त उत्तर दूंगा जिन्हें माननीय सदस्यों ने उठाया है और इन्हें यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि एक अन्य विधेयक पेश किया जाना है।

श्री बची सिंह रावत ने आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात की और हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'प्रौद्योगिकी दिवस' मनाया जाना चाहिए जो कि हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। 11 मई को 'प्रौद्योगिकी दिवस' मनाया जाता है।

हम अनुसंधान एवं विकास में हमारा निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि 11वीं योजना के अंत तक ऐसा किया जाएगा। हम ऐसा करना चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया कि विधेयक के हिंदी संस्करण में कोई त्रुटि है। मैंने इसे नोट कर लिया है। जब विधेयक को वास्तव में अंतिम रूप दिया जाएगा, तब उस त्रुटि को ठीक कर दिया जाएगा तथा मैं माननीय सदस्य को यह बताने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कर में छूट तथा योग्यता की बात की। मैं यह बता दूं कि कर में छूट पहले से ही उपलब्ध हैं। उदाहरणस्वरूप, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर में छूट उपलब्ध है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भार संबंधी कटौती 150 प्रतिशत है। कई निजी कंपनियों में अनुसंधान एवं विकास प्रभाग को अन्य प्रभागों से अलग किया जा रहा है ताकि दिये जा रहे 150 प्रतिशत भार संबंधी कटौती का लाभ उठाया जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्पाद तथा कर के संदर्भ काफी ज्यादा दूर है तथा यह हमें ज्ञात है। अतएव, जहां तक कर को छूट तथा प्रोत्साहनों का संबंध है, उसे इस विधेयक से कुछ भी लेना-देना नहीं है लेकिन सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इस लाभ का विस्तार करके अच्छा काम किया है।

श्री रूपचंद पाल ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि हमारा अनुसंधान कार्य दिशाहीन है। तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, जो एक मंत्री के रूप में करना चाहिए था, लेकिन मेरा विश्वास है कि गत कुछ वर्षों में हमने अनुसंधान को दिशा प्रदान करने की कोशिश की है तथा हमने सचमुच में समूची वैज्ञानिक समुदाय को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है।

महोदय, इस तथ्य पर कुछ टिप्पणियां की गई हैं कि इस देश में उत्पादित पेटेंट काफी अपर्याप्त हैं। यह बिल्कुल सही है तथा इसका कारण भी सीधा है। यदि आप विश्व की किसी प्रमुख अर्थव्यवस्था को देखें तो एक मिलियन जनसंख्या पर अनुसंधान तथा विकास कार्य करने वाले लोगों की संख्या 3,000 से 4,000 तथा कुछ स्कैंडिनेवियन देशों में प्रति एक मिलियन जनसंख्या पर लगभग 6,000 से 7,000 है। भारत में यह आंकड़ा 156 है। अतएव, आप किस प्रकार विकसित देशों का मुकाबला करेंगे जहां प्रति मिलियन जनसंख्या पर अनुसंधान तथा विकास कार्य करने वालों की संख्या 6,000 से 7,000 है जबकि हमारे देश में यह मात्र 150 है? आप वैज्ञानिकों से सफलता पाने की आशा किस प्रकार रख सकते हैं? आप उनसे आशा नहीं रख सकते हैं।

एकमात्र रास्ता और अधिक शिक्षण संस्थान खोलने, एकमात्र रास्ता समावेशी अर्थव्यवस्था स्थापित करने, एकमात्र रास्ता शिक्षा प्रणाली का विस्तार, एकमात्र रास्ता और अधिक शिक्षक और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, एकमात्र रास्ता पर्याप्त शैक्षिक संस्थान खोलना तथा यह देखना है कि सीट की कमी नहीं हो ताकि हम राजनीतिक विवाद से बचें कि पर्याप्त सीट नहीं है तथा अतएव यह करें या वह करें। जब तक कि हम, एक राष्ट्र के रूप में, इसका मुकाबला नहीं करे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए एकमात्र रास्ता निजी क्षेत्र को आगे आने देने का है क्योंकि सरकार केवल अपने बलबूते पर यह नहीं कर सकती है। सरकार के पास हजारों संस्थान स्थापित करने के लिए वित्त या योग्यता उपलब्ध नहीं है जो इस देश के लोगों के लिए आवश्यक है। लेकिन हम फिर राजनीतिक विवाद में उलझ जाते हैं।

महोदय, मैं इस सभा से विनती करता हूं कि जब आप प्रौद्योगिकी के बारे में बोल रहे हैं तथा जब आप शिक्षा के विषय में बोल रहे हैं तब कृपया इसमें राजनीति नहीं लाएं क्योंकि इस देश को अवश्य ही आगे बढना चाहिए तथा हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, 21वीं शताब्दी में इस देश को महानतम देशों में एक होना चाहिए। यह किया जाना है तथा यह राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।

श्री रूपचंद पाल ने साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के विषय में कहा। ऐसा क्यों है कि हम हार्डवेयर के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं? कारण साधारण है। 1974 से जब प्रथम पोखरन विस्फोट किया गया था, हमें किसी प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं दी गई तथा विशेषरूप से 1990 से जब एनएसजी दिशानिदेश विकसित किये गये। सौभाग्यवश, चीन को हर प्रौद्योगिकी तक पहुंच मिली जो उसे अमेरिका से मांगी।

मैंने इस विषय पर गहन अध्ययन किया। परिणाम यह था कि भारतीय मस्तिष्क जिन्हें इन प्रौद्योगिकियों से वंचित रखा गया को अन्ततः अपने सम्मुख कम्प्यूटर पर निर्भर होना पड़ा था इस देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति लानी पड़ी।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, शायद कुछ अन्य चीजों से मनोग्रस्त रहने के चलते वे हार्डवेयर के बारे में बोल रहे हैं जबकि उन्हें परमाणु प्रौद्योगिकी पर बोलना चाहिए था।

श्री कपिल सिब्बल: मैं परमाणु प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं हार्डवेयर के विषय में बोल रहा हूं क्योंकि महोदय यदि आप अन्यथा न लें तो प्रत्येक सुपर कम्प्यूटर का दोहरा उपयोग है।

श्री रूपचंद पाल: यह एक अलग मामला है।

श्री कपिल सिब्बल: यह अलग मामला नहीं है। यदि आप विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो आपको कम्प्यूटेशनल विज्ञान की आवश्यकता है। यह इसलिए कि कम्प्यूटेशनल विज्ञान आपको गति देता है; यह आपको 10 गुणी गति से अनुसंधान करने देता है जैसाकि इसके बिना आप अनुसंधान करते हैं। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं आपको बीच में बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वह मशीनरी जिसका दोहरा उपयोग हो, वह हमें किसी समय नहीं दी गई। सौभाग्यवश, वह समाप्त हो चुका है, सौभाग्यवश हमारी उन

[श्री कपिल सिब्बल]

प्रौद्योगिकी तक पहुंच होगी तथा हम अपना प्रयास जारी रखेंगे तथा हार्डवेयर शक्ति भी बनेंगे।

त्रिपाठी जी ने इस देश में अनुसंधान एवं विकास कार्य में निम्न निवेश तथा पेटेंट आवेदन के विषय में सही ही कहा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह निवेश बढ़ाया जाने वाला है तथा हम इसे आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करने जा रहे हैं।

मैंने पांडाजी के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि यह बोर्ड किसलिए गठित किया गया है। यह भी बताना है कि हमें आईआईटी तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों को क्यों शामिल नहीं करना चाहिए। हम इन संस्थाओं में से किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं। यह केवल वित्तपोषण तंत्र है तथा हमने इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से इसे हटाकर एक स्वायत्त निकाय जो मंत्रालय के अंदर नहीं है, बनाया है। अतएव, यह वित्तपोषण तंत्र वित्तपोषण करेगा, आईआईटी को भी वित्तपोषण करेगा तथा इंजीनियरिंग संस्थानों को भी वित्तपोषण कर सकेगा। इसे निजी या सरकारी किसी संस्था को वित्तपोषित करने से रोका नहीं गया है। अतएव, उन संस्थाओं को इस प्रणाली में लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह वास्तव में बिना किसी कुशलता के प्रणाली पर भार होगा।

शैलेन्द्र जी ने नासा के विषय में कहा तथा इसमें नासा को किस प्रकार लाएं। यह आवश्यक नहीं है क्योंकि नासा इसका अंग नहीं है। एक पृथक मंत्रालय है। पृथक वित्तपोषण तंत्र है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में इन कार्यक्रमों को दोहराना नहीं चाहते हैं। अतएव, वह आवश्यक नहीं है।

प्रबोध जी ने खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन में स्थिरता के विषय में कहा। मैं मानता हूं कि ये वैध मुद्दे हैं लेकिन फिर यह वित्तपोषण तंत्र है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में है। इस तंत्र का उपयोग कृषि के लिए वित्तपोषण करने में भी किया जा सकता है। यह समस्या है ही नहीं। हम वास्तव में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मिलकर उनके वित्तपोषण तंत्र के लिए कार्य कर सकते हैं। जहां तक खाद्य उत्पादन का संबंध है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस वर्ष प्राप्त किया गया खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन है। इस प्रकार का खाद्यान्न उत्पादन कभी नहीं हुआ है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 232 मिलियन टन उत्पादन कभी नहीं हुआ।

श्री रूपचंद पाल: परन्तु भूख सूचकांक के बारे में क्या कहना है?

श्री कपिल सिब्बल: क्या मैं यह कह रहा हूं कि इस खाद्यान्न उत्पादन की वजह से भारत में कृषि की समस्या सुलझ गयी है अथवा इसने गरीबी की समस्या को सुलझा दिया है अथवा भूख की समस्या को सुलझा दिया है? नहीं। किसी ने उल्लेख किया था कि हमने स्वीकार किया है कि खाद्यान्न उत्पादन स्थिर हो गया है। मैं सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। यह स्थिर नहीं हुआ है। हमने इस देश में खाद्यान्न उत्पादन का रिकार्ड स्थापित किया है।

जहां तक बाधों की संख्या का प्रश्न है, वस्तुत: इसका मेरे द्वारा स्थापित तंत्र से कुछ लेना-देना नहीं है।

बसुदेव बर्मन जी द्वारा खण्ड 3 और खण्ड 5 के बारे में कुछ मुद्दे उठाये गये हैं। मैं सिर्फ यह उल्लेख करना चाहता हूं कि उनकी बात खण्ड 5 के संबंध में सही है। इसे (च) से (ज) नहीं होना चाहिए बल्कि इसे (ज) से (ञ) होना चाहिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इसे सुधार लिया जाए। मैं यह बताने के लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं।

मैं नहीं समझता कि दिये गये कुछ अन्य सुझाव पूर्णत: तर्कसंगत है क्योंकि उन बातों को सोद्देश्य इस अधिनियम में रखा गया है, परन्तु इस खास सुझाव को युक्तियुक्त पाया गया है और हम इस संबंध में जो भी जरूरी होगा, करेंगे।

तत्पश्चात्, सुरेश प्रभु जी ने सचिवों के रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यह वास्तव में रोजगार गारंटी योजना नहीं है क्योंकि मैंने सचिवों को यहां रखने के पीछे औचित्य बता दिया है। लेकिन, जहां तक रोजगार गारंटी का प्रश्न है, यह तो राजनीति और अन्य सब जगह विद्यमान है।

यह जीवन का अंग है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की रोजगार गारंटी चाहता है।

महोदय, मेरा विश्वास है कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में क्या कहना है? ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: यह एक अलग मंत्रालय है। ऐसा नहीं है मानो—यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है—यह वित्तपोषण तंत्र अन्य मंत्रालय के साथ सहयोग नहीं करेगा। ...*(व्यवधान)* हां, वास्तव में, वे प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य करेंगे। यह वित्तपोषण तंत्र अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ किसी क्षेत्र को किये जाने से नहीं रोकता है। इसलिए हम किसी प्रकार का अनुसंधान का निषेध करने नहीं जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जब सब लोगों ने सवाल किये, चर्चा की और यदि मैं जवाब नहीं दूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैंने बिना जवाब दिये ...*(व्यवधान)* मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। इसलिए मैंने आपका वक्त लिया। मैं आप सब लोगों का आभारी हूं कि आपने मुझे वक्त दिया, जिससे मुझे जवाब देने का मौका मिला और मैंने आज जो बात कही है, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप लोग मेरे साथ उठकर एक आवाज में इसी सदन में कहोगे कि साइंस एंड टैक्नोलोजी को आगे बढ़ाओ और उसे पूरी तरीके से सरकार का समर्थन होना चाहिए, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और हमारे देश में जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया है, उन्हें आपको एम्पावर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विज्ञान और इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान का संवर्धन करने तथा ऐसे अनुसंधान में लगे हुए व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक समुत्थानों तथा अन्य अभिकरणों को ऐसे अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता देने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"खण्ड 2 से 22 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 22 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री कपिल सिब्बल: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.43 बजे

सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 26–सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक पर चर्चा करेंगे।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता।

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना और विनियमन का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना और विनियमन का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें ताकि यह विधेयक आज पारित किया जा सके। मेरा यह विनम्र निवेदन है।

अब श्री रूपचंद पाल।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं यथासंभव संक्षेप में बोलूंगा और मैं इस विधेयक पर कुछ टिप्पणियां करूंगा।

[श्री रूपचंद पाल]

शुरू में, इस सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक की अवधारणा थी कि छोटे उद्यमों और उद्यम पूंजी द्वारा निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए लेकिन अन्तत: ऐसा हो गया कि इसमें और लोग भी होंगे तथा यह लघु उद्यमों एवं उद्यम पूंजी द्वारा निवेश के लिए भी उपयुक्त होगा। जब स्थायी समिति ने इस विधेयक पर विचार किया था तो उसने कतिपय क्षेत्रों में गंभीर आशंकाएं व्यक्त की थी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पूरी हेराफेरी हो सकती हैं। विशेष रूप से यह इस तथ्य के दृष्टिगत सीमित दायित्व कैसे सार्थक होगा जबकि यह अनेक अन्य मौजूदा अधिनियमों से संबधित है।

उदाहरणार्थ, यह कर-वंचन के हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूके में एलएलपी स्वयं कर प्रावधानों के लिए जवाबदेह है। लेकिन हमारे देश में कर से संबंधित सारी बातें आयकर अधिनियम 1961 से निर्देशित होती हैं।

इसके बाद प्रश्न है कि जब तक अधिकरण और अपीलीय अधिकरण नहीं बनता है तब तक क्या अन्तरिम उपबंध बनाए जाएंगे? समिति ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह कब और कैसे लागू किया जाएगा। नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसका कारण है कि इसमें कानूनी अड़चनें हैं। अत: इस अन्तरिम अवधि में इससे बहुत अव्यवस्था हो सकती है। अत:, मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तरिम प्रावधान क्या हैं। मुझे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए था।

अब मैं प्रकटीकरण के बारे में बात करूंगा, 'सेबी' बार-बार यह खुलासा करती आई है कि कंपनियां प्रकट अथवा गैर पारदर्शी संचालन के विभिन्न छद्म तरीकों से किस प्रकार बाजार और निवेशकों को धोखा दे रही हैं। हमें गायब हो जाने वाली कंपनियों की बदनाम कहानी का पता है।

विवरणियों के बारे में किये गये दण्ड प्रावधान भी अपर्याप्त हैं। यह इस तरीके से बनाया गया है कि यह जानना कठिन है कि दण्ड की मात्रा क्या होगी। मान लीजिए यदि विवरणी जमा करने की अनिवार्यता का उल्लंघन बार-बार किया तो क्या दण्ड मिलेगा? क्या यह दण्ड उतना ही होगा जितना कि शुरू में उल्लंघन करने पर दिया जाता है?

अब नामांकित भागीदारों की बात की जाए, किसी घटना विशेष के समय वे किस प्रकार और कब जिम्मेदार होंगे? समापन एवं विघटन के बारे में न्यूनतम दो भागीदारों का उल्लेख है। किसी भागीदार विशेष की मृत्यु की स्थिति में यदि यह संख्या दो से कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस प्रकार की असाधारण स्थिति से निपटने का ध्यान इस विधेयक में नहीं रखा गया है।

स्थायी समिति ने स्पष्ट रूप से अनेक बातों का उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ, डिजीटल सिगनेचर की परिभाषा सूचना प्रौद्योगिकी प्रावधानों के संबंध में यह सुस्थापित एवं स्वीकृत है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विधेयक के पहले प्रारूप में जो समिति को दिया गया था उसमें यह व्यवस्था नहीं की गई थी। अत: डिजीटल सिगनेचर की परिभाषा के संबंध में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

इसी प्रकार के अन्य अनेक क्षेत्र हैं। इसी प्रकार कंपनी सचिव अधिनियम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट, इंस्टीट्यूट आफ कास्ट्स एंड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट, अधिवक्ता अधिनियम में संशोधनों के क्या परिणाम होंगे? अत: यह प्रायोगिक ही है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मुझे पुरानी स्कीम में विभिन्न स्टेकहोल्डरों का साक्ष्य लेने एवं उनके विचार सुनने का अवसर मिला था। उनमें से कुछ लोगों ने कतिपय बातें कही हैं। लेकिन इस विधेयक में वे बातें शामिल नहीं हैं। अत: मेरा विचार है कि यदि फिर कभी विचार किया जाए तो इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए। मैं सभी बातों पर ब्योरेवार टिप्पणी कर सकता हूं लेकिन समय का अभाव है।

लेकिन अपनी आपत्तियों के बावजूद, सैद्धांतिक रूप से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री सुरेश प्रभु बोलेंगे। कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, यह सीमित दायित्व का विधेयक है। मुझे आशा है कि समय सीमित नहीं है। अत: कृपया, सीमित दायित्व के बारे में बात करने के लिए हमें असीमित समय दीजिए। मैं अपना भाषण यथासंभव शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए।

महोदय, यदि कोई व्यक्ति, कोई सामान्य कारोबार चलाना चाहता है तो उसके समक्ष अनेक संभावनाएं हैं जैसे एकल स्वामित्व के रूप में, भागीदारी के रूप में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक प्राइवेट कंपनी, व्यक्तियों के संघों के रूप में। वह कोई धर्मार्थ न्यास बना सकते हैं। अत: सहकारी संगठनों तथा अन्य तरीकों सहित अनेक संभावनाएं हैं। लेकिन इसमें हमेशा एक खामी यह रही है कि भागीदारी में निरन्तरता नहीं रह पाती है। मान लीजिए, दो भागीदार हैं यदि भागीदारों में से एक की मृत्यु हो जाती है

तो भागीदारी अस्तित्व में नहीं रहती है। इसलिए कोई एक निरन्तर चलने वाली कम्पनी हो जो भागीदारी की समाप्ति के बाद भी कार्य करती रहे। इसलिए, इस प्रकार का विधेयक लाने की आवश्यकता थी।

महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जो सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक 2008 के रूप में आ रहा है।

लेकिन, महोदय, मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में एक उपबंध है जिसमें कहा गया है कि कम से कम दो और अधिक से अधिक 20 भागीदार होने चाहिए और यदि 20 से अधिक भागीदार होते हैं तो आप भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत एक भागीदार कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकते। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि विधेयक पर केवल सरसरी तौर पर विचार किया जा रहा है। समय की कमी के कारण मैं इसे पूरा नहीं पढ़ सका। लेकिन मुझे अधिकतम भागीदार के उपबंध के बारे में कोई उपयुक्त उल्लेख नहीं मिल सका।

इस मामले में आप क्या करेंगे? क्या हम 20 से अधिक भागीदार रख सकते हैं या नहीं? अत: इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। यहां इसका अत्यंत स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसलिए, मैं इसके बारे में आश्चर्य कर रहा था।

महोदय, यहां जिस एक काफी महत्वपूर्ण उपबंध का वास्तव में उल्लेख किया गया है। वह भागीदारी के वर्तमान कानून में विद्यमान है। इसके साथ एक समस्या यह थी कि कोई भागीदार निश्चित रूप से अपने कार्य के लिए उत्तरदायी तो होता ही है, साथ ही वह अन्य भागीदारों के कार्यों के लिए भी संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी भी होता है। अत:, अगर अन्य भागीदार कतिपय ऐसे कार्य करते हैं जो कि भागीदारी के हित में बाधक हैं, तो भागीदार सभी के कार्यों के लिए तब भी संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी होगा। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह उपबंध काफी स्वागतयोग्य है कि यह सीमित भागीदारी उस दायित्व को कम करने का प्रयास करती है और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अतएव पुन: ये काफी महत्त्वपूर्ण बिंदु हैं। उनका उल्लेख यहां किया गया है। एक बिंदु समापन किये जाने के बारे में है। वास्तव में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू पर विचार करें। यह मुद्दा ऐसा नहीं है जो कि केवल भागीदारी से जुड़ा हुआ है। सामान्यतया भारत में दिवाला कानूनों का पूरी तरह मूल्यांकन किये जाने तथा इनमें व्यापक बदलाव किये जाने की आवश्यकता है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमरीका के कानून के अंतर्गत एक चैप्टर-11 है जिसका उल्लेख दिवाला कानून के अंतर्गत किया गया है। अगर किसी भागीदारी, किसी कंपनी, किसी कार्पोरेट निकाय को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसकी परिसंपत्तियां इसकी देयताओं से कम हैं, तो वह चैप्टर-11 के अंतर्गत संरक्षण मांग सकता है और उस अवधि के दौरान वह कारोबार चला सकता है और इस प्रकार वे व्यवसाय से उचित ढंग से सुनियोजित निकास को सुनिश्चित करते हैं और कारोबार को इसके बाद भी जारी रखा जा सकता है जबकि दिवाला कार्यवाही की जाती है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू विशेष पर गौर करें जिसका उल्लेख यहां नहीं किया गया है। अत:, मैं इसका सुझाव देता हूं।

रूपांतरण से संबंधित मुद्दे के संबंध में वास्तव में इस विधेयक में एक उपबंध है कि सीमित दायित्व भागीदारी का रूपांतरण भागीदारी में अथवा यहां तक कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत लिमिटेड कंपनियों जैसे उच्च निकायों में संभव है। मैं इस संबंध में सोच रहा था। वैसी स्थिति में क्या होगा जबकि ऐसे निकायों का रूपांतरण दायित्वों में किया जाता है? इसका कर प्रभाव क्या होगा? मेरा मानना है कि वास्तव में यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है किसी निकाय का एक फर्म से दूसरे फर्म में अन्तरण काफी गंभीरतापूर्वक, काफी सुचारू ढंग से प्रतिकूल कानूनों के किसी उपबंध को आकृष्ट किये बिना होता है जैसाकि वास्तव में अपेक्षित है। अत:, मेरा पुन: यह मानना है कि हमें इसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा जिस पर वास्तव में समुचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए वह है भागीदार का दायित्व, जिसका समाधान किया गया है। मेरा मानना है कि संभवत: मंत्री महोदय को सदन को यह आश्वासन देना चाहिए कि वे भागीदारी अधिनियम, 1932 में व्यापक संशोधन भी लाएंगे क्योंकि इस पर भी समुचित पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): मैं सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2008 का समर्थन करता हूं।

मैं माननीय मंत्री श्री प्रेमचंद गुप्ता को एम.सी.ए. 21 कार्यक्रम अर्थात् कंपनियों के पंजीकरण में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए बधाई देना चाहूंगा। इसके काफी अच्छे परिणाम और काफी अच्छे फीडबैक प्राप्त हुए हैं। अत:, काफी समय बाद यह भारत में कंपनियों के पंजीकरण तथा विनियमन की प्रणाली में एक बड़ा बदलाव है। अत:, इसके माध्यम से हमारी सरकार ने इस प्रकार के कार्यकलाप में वैश्विक विकास के साथ सामंजस्य बनाया है।

[श्री आलोक कुमार मेहता]

मेरे कुछ विशेष प्रश्न हैं। आप सीमित दायित्व भागीदारी फर्मों का पंजीकरण किस प्रकार करेंगे? इसकी प्रक्रिया क्या होगी? एल.एल.पी. अर्थात् सीमित दायित्व भागीदारी फर्म के लिए कर ढांचा क्या होगा? क्या यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह होगा अथवा लिमिटेड कंपनियों की तरह अथवा किसी भागीदारी फर्म की तरह होगा? मेरा तीसरा प्रश्न यह है। क्या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी फर्म में बदला जा सकता है? मेरे ये तीन प्रश्न हैं?

मुझे काफी आशा है कि इस प्रणाली के माध्यम से अधिक से अधिक फर्में पंजीकृत होंगी और यह अधिनियम देश के उद्यमियों को सुविधा प्रदान करेगी। यह एक मध्यमार्गीय प्रणाली है। प्राइवेट लिमिटेड फर्मों की कई समस्याएं होती हैं। भागीदारी फर्मों में काफी दायित्व होता है। अत:, मेरा मानना है कि इन दोनों के बीच यह उद्यमियों को अधिक समाधान प्रदान करता है और इस प्रणाली में अधिकाधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव तथा वकीलों को रोजगार मिलेगा।

इस उम्मीद के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक 2008 जो राज्य सभा से पारित होकर लोक सभा में चर्चा और पारित करने हेतु माननीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता जी ने रखा है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

जैसा अभी सम्मानित सदस्यों ने कहा कि जो प्राइवेट या सरकारी सैक्टर की कंपनियां सीमित दायित्व की हैं, अगर वे पार्टनरशिप में रहती हैं तो मेरे ख्याल से सबकी सामूहिक जिम्मेदारी रहती है। इसलिए इस विधेयक का महत्व बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो एकल दायित्व की कंपनियां हैं, उनमें एक तरह से उन कंपनियों की मोनोपली होती है। यह बहुत अच्छा बिल है। इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, कार्य के क्षत्रों में बंटवारा भी होगा और एक तरह से जो सामूहिक भागीदारी होगी, उससे कंपनियां ज्यादा जिम्मेदार होकर आगे तरक्की करेगी।

मैं पुन: इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2008 का उद्देश्य सीमित दायित्व भागीदारी के गठन एवं विनियमन तथा इससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध बनाना है।

यह विधेयक कतिपय संशोधनों के साथ 2006 के विधेयक को प्रतिस्थापित करेगा। स्थायी समिति ने इस विधेयक के लिए कई सिफारिशें की हैं। लेकिन सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है तथा माननीय मंत्री सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने स्थायी समिति की कुछ सिफारिशों को शामिल किया है। इस विधेयक में कतिपय उपबंध हैं यथा कंपनी कानून के लिए उपबंध करने के लिए, नए व्यवसाय साधन का प्रस्ताव करने के लिए आदि। वास्तव में यह कार्पोरेट ढांचा नए कानून के अंतर्गत एक अन्य कार्पोरेट ढांचे के निर्माण को सुकर बनाता है। यह कहा जाता है कि इस ढांचे का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना है। लेकिन क्या होगा? निश्चित रूप से कुछ पेशेवर सीमित दायित्व भागीदारी के इस कानून का लाभ उठा सकते हैं और अपनी कंपनियां बना सकते हैं। कंपनी कानून में जो कमी है वह इस पर प्रयोज्य नहीं होगा और उन्हें व्यवसाय के लिए बेहतर विकल्प मिल सकता है। लेकिन अगर कोई इस राहत को प्राप्त करता है और कंपनी से बाहर चला जाता है, तो क्या होगा? यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि दायित्व भागीदार के साथ जाएगा अथवा नहीं। विधेयक में इसके बारे में विशिष्टतया कुछ नहीं कहा गया है। अगर कुछ भागीदार इस नई कंपनी अथवा इस कार्पोरेट घराने से चला जाता है, तो अन्य भागीदारों के साथ क्या होगा? क्या देनदारी का दायित्व शेष भागीदारों पर जाएगा अथवा नहीं? इसे माननीय मंत्री द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए।

निश्चित रूप से यह विधेयक एक नई सहकारिता की तरह है और इसकी जांच के बाद मुझे उम्मीद है कि स्थायी समिति ने जो भी सिफारिश की है, सरकार भविष्य में उसके अनुसार एक व्यापक विधेयक लाएगी और स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को शामिल करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। इससे पहले कि अगले वक्ता से अनुरोध किया जाये। मैं इस विधेयक को पारित होने तक समय में वृद्धि करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि सभा इस बात पर सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य: जी, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा से बोलने का अनुरोध करूंगा।

अपराह्न 3.00 बजे

श्रीमती तेजस्विनी गौडा (कनकपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहीं से बोलने की अनुमति चाहती हूं। आज मैं अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री जो कि भारत का गौरव हैं, को बधाई देना चाहूंगी। उनके कुशल नेतृत्व में भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में मान्यता मिली है जो कि पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस समय मैं जनशक्ति, तकनीकी शक्ति और उद्यमियों को बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने इस उपलब्धि को मिलकर प्राप्त किया है।

निस्संदेह एलएलपी विधेयक पहले 15 दिसम्बर, 2006 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक विभागों से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था। माननीय समिति ने कई सिफारिशें की थीं जिन्हें जांच के बाद सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उन्हें विधेयक में सम्मिलित करने के लिए सरकार ने इस सत्र के दौरान एक नया विधेयक लाना उपयुक्त समझा। अतएव इस सम्माननीय सदन में श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में हमारी यू.पी.ए. सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

मैं अपने मंत्री श्री प्रेम चंद गुप्ता को इस पहल के लिए बधाई देती हूं। मुझे कुछ शंकाएं हैं। एलएलपी को एक ऐसे वैकल्पिक कारपोरेट व्यावसायिक के रूप में देखा गया है जो सीमित देयता के लाभ तो देता है, साथ ही अपने सदस्यों को आपसी सहमति से हुए करार के आधार पर भागीदार के रूप में अपनी आंतरिक संरचना को सुव्यवस्थित करने की अनुमति देता है। उसी समय, यह वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में लगे लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप व्यावसायिक रूप से कुशल वाहन बनाने की भी अनुमति देता है। मेरे मस्तिष्क में कुछेक शंकाएं हैं। मैं माननीय मंत्री से इन प्रश्नों का उत्तर चाहती हूं।

सर्वप्रथम, इस प्रस्तावित नए विधान से लाभान्वित होने वाले लोग अथवा प्रयोक्ता कौन होंगे? दूसरे, सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि भारत में एलएलपी के कराधान की रूपरेखा, एलएलपी विधेयक 2008 सहित भारत में अपना व्यवसाय जमाने वाले दूसरे देशों अथवा विदेशी एलएलपी की तुलना में इसकी प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी? तीसरे, सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत चलाए जा रहे एमसीए 21 कार्यक्रम की इलेक्ट्रानिक प्रणाली से एलएलपी का पंजीकरण सहजता से हो? चौथे, सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक नियमों को समय पर तैयार किया जाये और उन्हें जारी किया जाए ताकि अधिनियम के समय एलएलपी विधेयक, 2008 के उपबंधों को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके? पांचवें, सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि संभावित लाभार्थियों को विभिन्न पेशेवरों से प्रमाणपत्र प्राप्त करके जमा कराने संबंधी आवश्यकता सहित अनावश्यक और परिहार्य प्रबिधियों और जटिलताओं से बचाया जा सके। तथा पहला एलएलपी कब तक पंजीकृत हो पाएगा?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देती हूं।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विधान पर हुए वाद-विवाद में भाग लिया जिसे कि आज हम पारित करने जा रहे हैं।

महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि कमोबेश एक जैसे हैं। श्री रूपचंद पाल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। जैसेकि उन्होंने उल्लेख किया है, यह बिल्कुल सच है कि स्थायी समिति ने पहले यह सिफारिश की थी कि एलएलपी फर्म में भागीदारों का दायरा सीमित होना चाहिए; परंतु आज की व्यावसायिक आवश्यकता जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है; के मद्देनजर हम यह महसूस करते हैं कि यह प्रतिबंध अधोगामी कदम होगा और आज की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा। आज हमारे सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र 50 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। आप यह जानते ही हैं कि हम सूचना प्रौद्योगिकी आतिथ्य क्षेत्र में सबसे आगे हैं। अतएव हमें चाहिए कि इस संख्या पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और हमें यह खुला रखना चाहिए। पहले भागीदारी फर्मों में कम से कम दो और अधिकतम 20 भागीदारों की अनुमति थी।

परंतु हमने यह निर्णय लिया है कि एलएलपी फर्मों में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने माननीय स्थायी समिति की कमोबेश सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

कराधान का मुद्दा उठाया गया था। आप इसकी प्रशंसा करेंगे कि कराधान का मामला वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग देख रहा है। हालांकि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी एलएलपी फर्मों पर कर संबंधी किसी नियम का कोई दुष्प्रभाव न पड़े। ऐसा हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारी एलएलपी न केवल स्थानीय बाजार अपितु विदेशी बाजारों में भी काम करेंगी। अतएव, जहां तक कराधान मामले का संबंध है हम निश्चित रूप से इसमें शामिल रहेंगे और हमारा मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाएगा ताकि हमारी एलएलपी को कोई हानि न हो।

अगला मुद्दा परिवर्ती व्यवस्था के बारे में उठाया गया था, जिसे रूपचंद पाल जी ने उठाया था। हम एनसीएलटी को लागू करने

[श्री प्रेमचंद गुप्ता]

का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, अब मामले की सुनवाई जल्द होने की आशा है चूंकि यह 10 या 12 क्रम पर सूचीबद्ध है। मेरे विचार से संवैधानिक पीठ इसकी सुनवाई करेगी। एक बार इसका निपटान हो जाए, तत्पश्चात् हम यह सुनिश्चित करेंगे कि संपूर्ण प्रक्रिया लागू की जाए तथा इसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। परंतु इस बीच न्यायालय मौजूद हैं तथा मामले को न्यायालय में उठाया जा सकता है।

नामित भागीदार के दायित्व के मुद्दे को श्री रूपचंद पाल तथा मेरे मित्र श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा भी उठाया गया था। सभी भागीदारों का एलएलपी में उनकी वचनबद्धता की सीमा तक दायित्व होगा। एलएलपी की उनकी परिसम्पत्तियों की सीमा तक प्रतिबद्धता होगी, परंतु भागीदार का दायित्व एलएलपी में की गई वचनबद्धता तक सीमित होगा।

वे हिस्से के अनुसार रोकड़ में अथवा व्यक्तिगत व्यवस्था एवं समझौते के माध्यम से किसी विशिष्ट भागीदार के उत्तरदायित्व जवाबदेही एवं देयता की प्रतिशतता का निर्धारण कर सकते हैं।

श्री रूपचंद पाल द्वारा इन मुद्दों को उठाया गया था।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था। वे स्वयं भी एक प्रख्यात सनदी लेखाकार है। मैं उनसे अनेक अवसरों पर परामर्श करता आया हूं और वे मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैंने हमेशा उनके सुझाव को पूरा महत्त्व दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज वे यहां मौजूद हैं, और उन्होंने कुछ अत्यंत समीचीन मुद्दों को उठाया है।

संकल्पना आधारित नियम बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक नियम बनाने का संबंध है हमने एक परामर्शदात्री प्रक्रिया अपनाई है। कानून बनाने के लिए हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे सभी पेशेवर संस्थानों से भी परामर्श किया है। हमने उनका मत प्राप्त किया है तथा पेशेवर लोगों से भी परामर्श किया है। नए विधान को बनाने में हमने करीब-करीब सभी शेयरधारकों से परामर्श किया है। अब हमने यह किया है कि इन नियमों को बनाया गया है; तथा इन्हें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाईट पर डाला गया है। अगर आप उनका अवलोकन करें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आपको सभी अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराने में हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी और हम निश्चित ही इस पर आपके सुझाव चाहते हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु का अगला प्रश्न भागीदारों की संख्या अर्थात कम से कम दो तथा अधिकतम 20 भागीदारों के बारे में था। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि अब यह संख्या असीमित है चूंकि हमारे पेशेवर निकायों पर इस सीमा को लागू किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। आप भी इस बात की सराहना करेंगे कि अमेरिका अथवा ब्रिटेन में किसी एक फर्म के 10,000 भागीदार हो सकते हैं।

परंतु हमारी पेशेवर फर्मों की एक सीमा थी। उनके अधिक भागीदार नहीं हो सकते थे इसलिए उनके कार्य की व्याप्ति सीमित थी। परंतु इस बढ़ती हुई संख्या के साथ वे विश्व में कहीं भी अपनी शाखा खोल सकते हैं। वे विश्व में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। मेरे विचार से संख्या में छूट एक अच्छा कदम है। मुझे आशा है कि आप इसकी सराहना करेंगे।

श्री आलोक मेहता ने एक मुद्दा उठाया कि एक एलएलपी को पंजीकृत होने में कितना समय लगेगा तथा यह किस प्रकार किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विधिवत भरे गए दस्तावेजों को स्वीकार कर रहे थे तथा अब सब कुछ एमसीए 21 कार्यक्रम के माध्यम से किया जा सकता है। आप इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपनी विवरणी दाखिल कर सकते हैं तथा अब न्यूनतम कागजी कार्य होता है। जहां तक एलएमपी का संबंध है, ऐसे ही प्रावधान रखे जाएंगे।

कराधान के मुद्दे पर आते हैं, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि हम निश्चित ही इसे वित्त मंत्रालय के साथ उठायेंगे।

तेजस्विनी जी एक 'तेजस्विनी' महिला हैं, उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। उनके द्वारा उठाया गया एक प्रश्न यह था कि प्रस्तावित विधान के संभावित लाभार्थी कौन होंगे। किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले लोग यथा पेशेवर, सनदी लेखाकार, वकील, कम्पनी सेक्रेटरी आदि सभी इसमें शामिल हैं। किसी भी प्रकार के पेशेवर की फर्म में बहुत से भागीदार हो सकते हैं। परंतु उस फर्म के अधिनियम के विनियम उन पर लागू होंगे। सनदी लेखाकार, प्रतिवक्ता (सॉलीसीटर) फर्म के भागीदार नहीं हो सकते क्योंकि यह विशिष्ट अधिनियम ऐसा करने से रोकता है। परंतु जहां तक सनदी लेखाकार अधिनियम का संबंध है, मेरा विचार है कि इसका संशोधन किया जा रहा है। इसका पहले ही संशोधन किया जा चुका है और सनदी लेखाकारों के विभिन्न पेशे के लोग भागीदार हो सकते हैं।

महोदय, लघु और मध्यम उद्यमों, छोटी फर्मों, छोटे पेशेवरों तथा फर्म जहां विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर मिलकर काम कर सकते हैं तथा एक छत के नीचे ही सेवाएं दे सकते हैं। यह व्यापार करने का एक अत्यंत क्रांतिकारी तरीका होगा। मुझे आशा है कि हमारे

सभी छोटे उत्पादक तथा छोटे व मध्यम उद्यम इस उपबंध का लाभ उठायेंगे।

जहां तक कराधान का संबंध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि हमारे एलएलपी अलाभकारी स्थिति में नहीं होंगे। श्रीमती तेजस्विनी द्वारा उठाया गया अगला प्रश्न यह था कि एलएलपी के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी और सरकार इसको निर्बाध कार्यकरण को किस प्रकार सुनिश्चित करेगी। जैसाकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एमसीए 21 कार्यक्रम एक ई-गवर्नेंस कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में एलएलपी के पंजीकरण को शामिल करेगा। एलएलपी फर्मों का पंजीकरण पूरी तरह से कागज रहित प्रक्रिया होगी।

जहां तक नियमों का संबंध है, जैसा मैं श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु को स्पष्ट कर चुका हूं कि हमने अधिकांश नियमों को मंत्रालय की वेबसाईट पर डाल दिया है। मुझे अपने सहयोगियों से सुझाव प्राप्त करने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। अगर विधान पारित हो जाता है तो सरकार को अत्यंत प्रसन्नता होगी क्योंकि यह अगले 20 वर्षों की आवश्यकता को पूर्ति करेगा।

इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सर्वश्रेष्ठ संभावित विधान तैयार किया है। मैं दृढ़ता के साथ तो नहीं कहता परंतु हमारा प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष 1 अप्रैल तक हम पहली एलएलपी कम्पनी को पंजीकृत कर लेंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ ही मैं पुन: एक बार अपने सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और विधेयक को पारित करने के लिए माननीय सभा के समक्ष रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना और विनियमन का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 81 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 81 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची से चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री विधेयक पारित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.18 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 37वें प्रतिवेदन पर प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मद संख्या 27-श्रीमती अर्चना नायक।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा 23 अक्तूबर, 2008 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 37वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 23 अक्तूबर, 2008 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 37वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब विधेयक पुर:स्थापित किए जाएंगे। श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख-उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.19 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित*

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2008 (धारा 2 आदि का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.19$^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008* (नए अनुच्छेद 45क का अंत:स्थापन)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थपित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.20 बजे

(तीन) प्रवेश परीक्षा (उत्सादन) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का उत्सादन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का उत्सादन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. आर. सेनथिल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.20$^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

(चार) समान पाठ्यक्रम (उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर) विधेयक, 2008*

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि देश में उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम की प्रणाली लागू करने के लिए राष्ट्रीय उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 12.12.2008 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 12.12.2008 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम की प्रणाली लागू करने के लिए राष्ट्रीय उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. आर. सेनथिल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.21 बजे

(पांच) राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु एक आयोग का गठन करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु एक आयोग का गठन करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह-उपस्थित नहीं।

श्री काशीराम राणा।

अपराह्न 3.21$^{1}/_{2}$ बजे

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008*
(नए अनुच्छेद 279क आदि का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 12.12.2008 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.22 बजे

(सात) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008*
(धारा 304क आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.22$^{1}/_{2}$ बजे

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008*
(सातवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 12.12.2008 में प्रकाशित।

श्री काशीराम राणा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.23 बजे

(नौ) विद्युत (निरसन) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत अधिनियम, 2003 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विद्युत अधिनियम, 2003 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.23$^{1}/_{2}$ बजे

(दस) उपशामक देखरेख (शिक्षा और प्रशिक्षण) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश की स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में उपशामक देख-रेख को मान्यता; मेडिकल कॉलेजों और संस्थाओं में उपशामक देखरेख में शिक्षा और प्रशिक्षण, चिकित्सालयों में उपचार सुविधाएं तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश की स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में उपशामक देखरेख को मान्यता; मेडिकल कालेजों और संस्थाओं में उपशामक देखरेख में शिक्षा और प्रशिक्षण, चिकित्सालयों में उपचार सुविधाएं तथा उनसे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 12.12.2008 में प्रकाशित।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.24 बजे

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008*
(अनुच्छेद 130 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह—उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.24$^{1}/_{2}$ बजे

(बारह) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2008* (धारा 2 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 12.12.2008 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एल. राजगोपाल—उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.26 बजे

(तेरह) आत्महत्या को अदण्डनीय अपराध के रूप में मानना विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि आत्महत्या करने के प्रयत्न को दांडिक अपराध के रूप में न मानने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आत्महत्या करने के प्रयत्न को दांडिक अपराध के रूप में न मानने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.28 बजे

निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 47 पर चर्चा करेगी।

प्रो. एम. रामदास—अनुपस्थित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 12.12.2008 में प्रकाशित।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सुधार आयोग के बारे में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इतने महत्त्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और इस विधेयक को लाने के अच्छे इरादों का भी समर्थन करता हूं जिनके लिए मैं महसूस करता हूं कि सरकार को देश में अति आवश्यक निर्वाचन सुधारों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

हम प्राय: भारत के प्रभावी कार्यशील लोकतंत्र का देश होने के नाते भारत में अति प्रगतिशील लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। हम सभी को इस पर गर्व है परंतु यह देखना है कि देश की आंतरिक स्थिति कितनी सुदृढ़ है। विभिन्न घटनाओं और विभिन्न मुद्दों की रिपोर्टें हैं जो काफी परेशान करते हैं। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

इस समय तक विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि इस विशेष रिपोर्ट को विस्तारपूर्वक चर्चा से दूर क्यों रखा जा रहा है। इस देश में निर्वाचन सुधारों पर चर्चा करने हेतु विधेयक लाने के लिए इस पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम नहीं है।

अपराह्न 3.29 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ *पीठासीन हुईं*]

हम हमेशा सुशासन के लिए अच्छे उद्देश्यों और अच्छे इरादों वाले अच्छे प्रतिनिधियों और अच्छे राजनीतिक दलों के बारे में सोचते हैं। जब हम चुनावों के बारे में बात करते हैं तो हम विभिन्न राजनेताओं द्वारा दिये गये योगदान को माने बिना एक दूसरे की अत्यधिक आलोचना करते हैं। इस देश के विकास में हर कोई योगदान दे रहा है। प्रत्येक राजनेता अपनी ओर से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। हम प्राय: दूसरे को इस दृष्टि से देखते हैं मानों दूसरा राजनीतिक दल इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा करके हम अपने लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। अत: इस तरह के अवसर पर जब हम निर्वाचन सुधारों की बात और चर्चा कर रहे हैं तो सभी एक जैसी सोच वाले व्यक्तियों और राजनीतिक दलों को एकजुट होकर एकमत मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि हम अपने देश में प्रभावी और कार्यशील लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के अपने लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त कर सकें। आज कल हम देख रहे हैं कि हर एक, दो या तीन महीनों में चुनाव हो रहे हैं। अब आप की सरकार अपने निर्धारित चुनाव घोषणापत्र के अनुसार अधिक कार्य नहीं कर

[श्री कीरेन रिजीजू]

पाएगी। आपके पास इन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं होगी क्योंकि आप चुनावों का सामना कर रहे हैं और चुनावी दिशानिर्देश हैं तथा प्रतिबंध हैं।

जब चुनाव होते हैं तो देश के माहौल में बदलाव होता है और आपकी एक दूसरे की अधिक आलोचना करने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि आपके एक बार पांच वर्ष के लिए निर्वाचित होने पर, सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वह उन नीतियों को कार्यान्वित कर सके जिनका उसने जनता से वादा किया है। अत: सरकार का एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए जो उसे स्थिरता देगा। अनेक राजनेता कुछ विचारों के साथ निश्चित कार्यकाल के बारे में बोले हैं कि देश में सारे चुनाव संसद और विधानसभा चुनावों के साथ होने चाहिए। इससे हमारी पूरी प्रणाली में एक प्रकार की स्थिरता आएगी। हमारे देश में इतनी विविधता है कि जिसके कारण हम हर महीने चुनाव नहीं करा सकते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे और अब हम लोक सभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि यदि हम मंत्री से मिलना चाहें तो वह चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। मैं संसद सदस्य हूं और मैं चुनाव अभियान में व्यस्त हूं। अत: लोगों के लिए समय कहां बचा है? यदि इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो मेरा विचार है कि हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल हो सकता है।

नि:संदेह, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली एक बड़ी विरासत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें महान शासन प्रणाली दी है। परंतु यह समय इस बात की समीक्षा और उस पर विचार करने का है कि संविधान ने हमें जो प्रणाली और उपबंध दिये हैं उनमें आमूल-चूल परिवर्तन और थोड़ी समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारी चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न धनवानों और बाहुबलियों के हस्तक्षेप से निपटने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता को उदाहरण के तौर लीजिए। अनेकों बार जनता हमारे बारे में छानबीन करती है और कहती है कि कई सांसदों की आपराधिक पृष्ठभूमि है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहां पर बैठे सभी सांसद अपराधी हैं। परंतु जनता की नजरों में अच्छी छवि नहीं बनती। वे महसूस करते हैं कि यहां बैठे व्यक्ति संसद में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। हमें इस प्रकार की बन रही छवि को गिराने की आवश्यकता है। परंतु मोटे तौर पर हमें आरोप को स्वीकार करना होगा क्योंकि राजनीतिक को भी आंतरिक सुधारों की आवश्यकता है। आपको प्रत्याशी का चयन कैसे करना है और अपने एजेंडे का प्रचार कैसे करना है; प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए इस बारे में थोड़ा गंभीरतापूर्वक आत्मचिंतन करना आवश्यक है कि कैसा प्रत्याशी हो और हम जनता के समक्ष अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें।

ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मैं महसूस करता हूं कि गत दस वर्षों में सरकारें इन पर विचार नहीं कर पाई है। मैं केवल इस सरकार विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सारी सरकारें जनता की आशाओं पर खरी नहीं उतर पाई हैं। अत: प्रत्येक राजनीतिक दल के भीतर गंभीरतापूर्वक आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है।

जब हम चुनाव की बात करते हैं तो हम हमेशा निष्पक्ष चुनावों पर जोर देते हैं। अब निष्पक्ष चुनाव केवल तभी होंगे जब व्यवस्था ठीक हो जाए।

[हिन्दी]

मैडम, आप दिल्ली से आती हैं। अभी आप कुर्सी पर बैठी हैं। हम लोग जो सही डिजर्विंग कैंडीडेट्स हैं, वे कभी-कभी जीत नहीं पाते हैं।

[अनुवाद]

क्योंकि समान अवसर उपलब्ध नहीं है। जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडीडेट्स हैं, मोस्ट डिजर्विंग पर्सन्स हैं, वे हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड मनी और मसल्स पावर नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि वे फुल लाइफ लोगों के बीच काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और क्वालीफाइड भी हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं और जिनको चुनाव नहीं जीतना चाहिए, वे चुनाव जीतकर आ जाते हैं। इससे हमें बड़ा दुख होता है। हमारे सिस्टम के ऊपर भी इससे धब्बा लगता है।

सही आदमी किस तरह से चुनकर आएं उसके लिए इलेक्शन कमीशन के हाथ में, उसके दायरे में क्या-क्या प्रावधान हैं, उसे कैसे एम्पावर्ड किया गया है, सरकार के पास क्या प्रावधान है, उनको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि इलेक्शन रिफार्म्स लाना चाहिए; पोलिटिकल पार्टीज को इसे देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन भी दिया गया है, लेकिन हमें ये चीजें जमीन पर दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि हम लोग जिस पोलिटिकल पार्टी में हैं, वह भी सही है या नहीं क्योंकि कभी-कभी छोटे राज्यों जैसे गोवा या पूर्वोत्तर राज्यों में देखा गया है कि चुनाव एक सिम्बल से जीतकर आते हैं, अगले दिन वे दूसरी पोलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में टेंथ शिडयूल में अमेंडमेंट हुआ था, दल-बदल के लिए एक-तिहाई का प्रावधान था। एनडीए सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसे अमेंड करके दो-तिहाई बहुमत का प्रावधान किया गया, फिर भी डिफेक्शन को रोका नहीं जा सका। इस

प्रवृत्ति पर सीरियस लागम लगाने की जरूरत है। आप किसी सिम्बल पर चुनाव जीतकर आते हैं और बिना वजह से पार्टी को छोड़ते हैं, अपने लाभ के लिए पार्टी को छोड़ते हैं, तो फिर उस पर ऐसा कानूनी प्रावधान लागू होना चाहिए कि वह व्यक्ति जिन्दगी भर चुनाव न लड़ सके। यह जनता के साथ धोखा है। आपको किसी एक प्लेटफार्म पर, एक सिम्बल पर, एक पर्टीकुलर प्रोग्राम-पॉलिसजी, मेनिफेस्टो के आधार पर जनता ने वोट दिया है, चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी ने आपको मंत्री का पद ऑफर कर दिया तो आप दूसरी पार्टी में चले गए, ये सब ऐसी बातें हैं जिनको स्ट्रीमलाइन करने के बारे में सीरियस विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए आल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए और उसमें यह सजेशन लिया जाए क्योंकि लॉ कमीशन की जो 170वीं रिपोर्ट है, वह भी कुछ हद तक जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई नहीं है। उसमें कुछ रिकमेंडेशन्स ऐसी हैं, जो हमारी व्यवस्था पर प्रैक्टिकली लागू नहीं हो सकती हैं। इस चीज पर भी गौर करने की जरूरत है कि कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, उसे इन-टोटो हमें इम्प्लीमेंट करना है, यह भी सही नहीं होगा।

मैडम आप अभी चेयर पर हैं, हम सभी लोग लोक सभा में निर्वाचित होकर आए हैं, तो हम लोगों का यह दायित्व बनता है कि कैसे हम इस सिस्टम के बारे में अपने विचार रखें।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: मैं आपके विचारों की सराहना करती हूं।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू: इसके साथ ही हम आम लोगों के बीच में विश्वास कैसे जगाएं। कभी-कभी इस हाउस में ऐसे सीन होते हैं जो कम्फर्टेबल नहीं होते हैं। कुछ बातें ऐसी की जाती हैं जो सेल्फ-डिस्ट्रिक्टिव होती हैं, उदाहरण के लिए अटेंडेंस की बात है। किसी इम्पोर्टेंट बिल पर चर्चा हो रही है, फिर भी सभा में सदस्यों की कमी है। पार्लियामेंटरी फंक्शनिंग में ये सभी चीजें भी जरूरी हैं। एक तो, जमीनी हकीकत को देखते हुए इलेक्ट्रानिक रिफार्म्स करना है। दूसरे, हाउस और असेंबलीज के अंदर फंक्शनिंग, को भी देखने की जरूरत है। हमें कई नियम पुस्तक दी गई है। लेकिन उन रूल बुक्स को हम कहां तक अपने आचरण में शामिल कर पाते हैं, कभी-कभी उस पर भी प्रश्न-चिन्ह लगता है। हम लोग रूल बुक्स को जरूरत कोट करते हैं, लेकिन उसे अपने फेवर में कोट करते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आज आजादी के 62 साल हो चुके हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो अंग्रेजों के समय बनाए गए थे। यह बिल्कुल सही समय है जब हमें इन पर पुन: विचार करना होगा। मैंने इन प्रावधानों पर बहुत जोर दिया है। कानून की कोई कमी नहीं है, प्रावधानों की कोई कमी नहीं है, उसे रि-विजिट करने से हमें किसी ने नहीं रोका है, तो हम उन पर रि-विजिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। माननीय कानून मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इमिडिएटली आल-पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और इस लोक सभा का टेन्योर खत्म होने से पहले इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रप्पन, मेरी आपसे विशेष अपील है कि यदि आप इस विधेयक को वापस भी लें तो भी आपको सरकार से एक वचन लेना होगा कि सरकार कतिपय मुद्दो पर निश्चित रूप से विचार करेगी अन्यथा हम इस विधेयक पर मतदान कराने के लिए दबाव डाल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बहुत महत्त्वपूर्ण चर्चा है। अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर करीब 900 रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां हैं। जिनमें निर्दलीय भी शामिल हैं। हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक देश होने के नाते आज यहां गरीबी है, निरक्षरता है, भूख से जनता जूझ रही है। जहां तक चुनाव में आचार संहिता की बात कही जाती है, तो वह कहीं पर लागू नहीं हो पाती है। मैं देख रहा था कि इस विधेयक में निर्वाचन सुधार आयोग के अध्यक्ष की बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के कोई रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष बनाए जाएं। मेरा सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, जो कि अनुभवी हों। मैं सुझाव के तौर पर यह भी कहना चाहूंगा कि विभिन्न राजनैतिक दलों के जो नेता हैं, उन्हें भी परामर्श के लिए पदेन सदस्य के रूप में इस आयोग में रखा जाए, ताकि समय-समय पर उनके जो अनुभव हैं, जब चुनाव सुधार की बात हो तो वे आपस में चर्चा कर सकते हैं। इस आयोग में रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सदस्य के रूप में रखने की बात कही गई है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता हैं, उन्हें समय-समय पर बुलाकर उनसे परामर्श करने की बात है,

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

यह भी एक अच्छी बात है। इस आयोग का कार्यालय दिल्ली में खोला जाना चाहिए। इस विधेयक में ये बातें कही गई हैं, मैं उनसे सहमत हूं।

एक बात समय-समय पर उठती है तथा लोक सभा और विधान सभाओं में महिला आरक्षण बिल की बात प्रमुखता से होती है। राज्यों की पंचायतों में देखा जाए तो कहीं 40 प्रतिशत, कहीं 45 प्रतिशत और कहीं 50 प्रतिशत महिलाएं चुनकर आई हैं, जहां पर महिला आरक्षण है। इस प्रकार से हम भी इसकी सिफारिश करेंगे कि लोक सभा और विधान सभाओं में महिला आरक्षण होना चाहिए। माननीय मंत्री रेणुका जी ने ताली बजाकर मेरी बात का स्वागत किया है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूं। लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव है। जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं हैं, वे चुनकर नहीं आ पाएंगी। चुनाव सुधार की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारी गरीब, एस.सी., एस.टी. और ओबीसी की महिलाएं हैं, उनके लिए भी कुछ आरक्षण होना जरूरी है, तब जाकर लोकतांत्रिक देश में महिला आरक्षण की जो बात की जा रही है, वह पूरी हो पाएगी। यह मेरा एक सुझाव है। मैं यह नहीं कहता कि आप इसे मान लें। यह मेरा व्यक्तिगत और मेरी पार्टी का भी मत है। इसलिए मैंने इसे प्रमुखता से रखा है।

इस विधेयक में कहा गया है कि चुनाव के समय निजी वाहनों पर रोक लगाई जाए और नशाबंदी की बात भी कही गई है। बहुत से ऐसे राजनैतिक दल हैं, जो लोगों को शराब पिलाकर, पकड़कर, बरगलाकर किसी भी प्रकार से वोट ले लेते हैं। भोली-भाली जनता को ठगकर वे यहां सदन में चुनकर आ जाते हैं। इस पर रोक लगाने की बात कही गई है। हम देख रहे हैं कि कितने सालों से चुनाव हो रहे हैं, जब से यह गड़बड़ी शुरु हुई है, पता नहीं कितने लोग चिन्हित किये गये हैं, कितने ही राजनैतिक दल और नेता चिन्हित किये गये हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं हो पाई है। चुनाव आचार-संहिता कड़ाई से तभी लागू हो पायेगी, जब हम कड़ाई से उन पर अंकुश लगाएंगे, इनको पनिशमेंट देंगे, तभी जाकर हमारा मकसद पूरा हो पाएगा।

जहां तक धन-बल, जातिगत राजनीति और धार्मिक उन्माद को लेकर राजनीतिक की जाती है, इस पर भी अंकुश लगाना चाहिए। आज देश के अंदर 70 प्रतिशत काला धन है। चुनाव में गरीब कैंडिडेट जनता के बीच जाकर, उनकी सेवा करके जनता से वोट लेता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो काला-धन बांटते हैं लेकिन उन पर आज तक कोई अंकुश नहीं लग पाया है। चुनाव सुधार में एक बात और आई है कि सरकारी खजाने से चुनाव के लिए धन खर्च किया जाए और व्यक्तिगत तौर पर धन खर्च न किया जाए। बहुत सारे फैडरल देशों में प्रत्याशी टी.वी. पर या जनता के बीच में खड़े होकर अपनी पार्टी की बात रखता है और जनता के लिए क्या-क्या करना है, वह बताता है और चुनाव जीतता है। लेकिन हमारे यहां का चुनाव काफी महंगा है और इसका स्वरूप बिगड़ा हुआ है। इसमें सुधार करने के लिए माननीय श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी प्रस्ताव लाए हैं जोकि बहुत जरूरी है और अच्छा बिल है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।

हमारे चुनावों में बल का भी बहुत प्रयोग होता है। हरदोई में विधान सभा का चुनाव हुआ और हम वहां गये थे। हम अपनी सांसद, माननीया उषा वर्मा जी के साथ चुनाव प्रचार में गये थे। जिस गांव में गये, वहां का जो प्रधान था, गांव का कोटेदार और प्रधान ये दो ही प्रमुख होते हैं, पूरे गांव की राजनीति, गांव की इकोनोमी और गांव का विकास इन्हीं दो लोगों पर निर्भर होता है। किसी भी गांव में आप चले जाइये, वहां पर बहुत सी महिलाएं घेर कर कहती हैं कि हमें पेंशन नहीं मिली, हमें राशन नहीं मिलता है, हमें जमीन नहीं मिली, हमें मकान नहीं मिला, प्रधान हमें सुन नहीं रहा है। चुनाव के पीरियड में जब हमारी इनसे बात हुई तो पता चला कि सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष के, वहां के लोकल प्रत्याशी ने इतना दबाव डाल दिया कि अगर यहां पोलिंग में हार हुई तो तुम्हारा बस्ता रखवा लेंगे और तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। यह दहशत लोगों के अंदर हुई। हम लोग उन्हें समझाते रहे लेकिन हमारे समझाने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। एक तरफ तो हम चुनाव सुधार की बात करें लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल के लोग कहीं न कहीं से अपना रास्ता ढूढ़ लेते हैं।

जहां तक जातिगत राजनीति की बात है, जातिगत राजनीति खुल्लम-खुल्ला होती है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। अगर हम कहें कि हम पाक-साफ हैं तो यह गलत होगा। हर राजनीतिक दल जाति का सहारा लेकर चुनाव लड़ता है। यह भी खत्म होना चाहिए। इसीलिए लोक सभा, विधान सभा की सीटों को सुरक्षित कर दीजिए कि इतनी महिला, इतने पुरुष, जाति के आधार पर हो तो उसे भी फिक्स करा दीजिए। जो राजनीतिक दल इसका पालन न करे, उसका रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग से खत्म कर दिया जाए। यह होगा, तभी जाकर हम चुनाव सुधार की बात कर सकते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव लड़ा जाता है। मैं विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की बात आपको बता रहा हूं। एनडीए जो एक छोटी सी पार्टी थी आज सारे देश की पार्टी बन गयी है। उसका केवल एक सहारा रहा कि धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव लड़ा जाए। चाहे फैजाबाद में ढांचे का विवाद रहा हो या मंदिर-मस्जिद रहा हो। तमाम मान्यताएं हैं लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं, हम केवल इन बातों को पढ़ते रहे हैं। इतिहास को पढ़ने पर पता लगता है

कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ऐसा किया गया। मानवता और लोकतंत्र के लिए यह एक खतरा है। लोगों के दिलों में भाईचारा और कौमी एकता जो बनी होती है उसमें बिखराव और वैमनस्यता आ जाता है। चुनाव के पीरियड से लेकर अब तक लोगों में ऐसी दुश्मनियां हुई कि उसमें लोगों ने अपनी जानें गवाई हैं और वहां का विकास पीछे छूट गया। इस पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है।

आदर्श आचार-संहिता की हम लोग बहुत दुहाई देते हैं। कुछ उम्मीदवारों को इसलिए रिलेक्सेशन दिया जाता है कि केन्द्र में या राज्य में उनकी सरकार होती है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। छोटी पार्टियों पर तो अंकुश लगाया जाता है, लेकिन जो दल सत्ता पक्ष के होते हैं, उन पर अंकुश नहीं लगाया जाता है। वे उम्मीदवार चाहे जितना आचार संहिता का उल्लंघन करें, इस प्रकार का भेदभाव होता है। हमें चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से लागू करना चाहिए।

शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात भी चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आती है। हम भी चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्वक हों, कोई दुश्मनी पैदा न हो, वैमनस्य पैदा न हो, धार्मिक उन्माद पैदा न हो और कोई ऐसी बात न हो, जिससे लोगों के दिलों को ठेस पहुंचे और बाद में वह विकराल रूप ले ले। निष्पक्ष चुनाव हों, सब राजनीतिक दल इसके हिमायती हैं।

जहां तक चुनावों में धन प्रयोग पर अंकुश लगाने की बात है, विधान सभा चुनावों में या लोक सभा चुनाव के समय ज्यादा खर्च करने की पाबंदी है, लेकिन वह एक दिखावा है। अब तो चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया है कि आप रोज कितना खर्च कर रहे हैं, उसके लिए एक रजिस्टर बना हुआ है और उसे एसडीएम से जा कर अप्रूवल करवा लिया। जो ओब्जर्वर जाते भी हैं, वे कितना देखेंगे। एक-एक क्षेत्र में 40-40 या 50-50 उम्मीदवार हैं। कभी-कभी तो आप देखेंगे कि आदमी को चुनाव चिन्ह ढूढ़ने में पांच मिनट का समय लग जाता है। इस पर भी रोक लगानी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि चुनाव के समय पर हम किस प्रकार कड़ाई से रोक लगा सकते हैं। जहां तक प्रलोभन दे कर वोट मांगने की बात है, इस तरफ भी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए।

माननीय सदस्यों, विधेयक के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। इस विधेयक पर बोलने के लिए मेरे पास 7 और वक्ताओं की सूची है। यदि सभा सहमत हो तो चर्चा का समय एक घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदया: अत:, इस विधेयक के लिए सभा को एक घंटे और बढ़ाया जाता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: एक बात जो बहुत प्रमुखता से सामने आई है, वह यह है कि अभी तक तो हम वोटर आई कार्ड से वोट देते थे। अब तो मतदाता सूची में भी मतदाता की फोटो लगती है। उत्तर प्रदेश में मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची आदि का काम बहुत जोरों से चल रहा है। मतदाता पहचान पत्र को इतना आवश्यक कर दिया जाए कि जिसके पास वह न हो, मतदाता सूची में उसका नाम न हो, उसे सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलें, वे सब समाप्त कर दी जानी चाहिएं। जिस दिन से ऐसा हो जाएगा, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति, जो 18 साल से ऊपर का है, वह मतदाता पहचान पत्र बनाने को प्राथमिकता देगा। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हों, चाहे बैंक में खाता क्यों न हो, किसान बही क्यों न हो या राशन कार्ड बनाने की बात क्यों न हो, आप तत्काल उनसे मतदाता पहचान पत्र मांग लीजिए। अगर उसके पास मतदाता पहचान पत्र है, तब तो आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या अन्य किसी तरह का काम कीजिए, अन्यथा उसे मना कर दीजिए कि पहले मतदाता पहचान पत्र ले कर आओ। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र बनवाएगा।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को वोट डालना कम्पलसरी करना चाहिए। अगर वोट न डाले तो सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। उसे जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वे सब समाप्त कर दी जानी चाहिएं। आप देखते हैं कि गांव में पंचायतों के चुनावों के समय 80 साल या 100 साल के लोगों को चारपाई पर उठा कर वोट डलवाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा कौन सा कारण है कि मतदाता विधान सभा या लोक सभा के चुनावों में वोट डालने नहीं जाता है। आप देखें कि कहीं पर 25 परसेंट वोट, कहीं पर 30 या 35 परसेंट वोट डालते हैं।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

जो उम्मीदवार ज्यादा वोट पा जाता है वह विजयी हो जाता है। 70 परसेंट देश की जनता को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि क्षेत्र का विकास होना है या जो जनप्रतिनिधि यहां से चुनकर जा रहा है वह योग्य है या नहीं, वह पढ़ा लिखा है या नहीं, वह क्षेत्र का विकास कर सकता है या नहीं। वे इससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। इस तरह से प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक देश में चुनाव की प्रक्रिया का क्या मतलब है? मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार सरकारी नौकरियों में क्वालिफिकेशन और ऐज फिक्स की गई है उसी प्रकार से चुनावी उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन और ऐज फिक्स होनी चाहिए, ऐसा होने से ही हम प्रजातंत्र और लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं और चुनाव में सुधार कर सकते हैं।

पंचायत के चुनाव चाहे प्रधान या ब्लॉक प्रमुख के, चुनाव में जनप्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार है। एक बहस यह भी हुई थी कि लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्याशी काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो कैसे उन्हें वापिस बुलाया जाए। लेकिन यह संभव नहीं हैं। पंचायत जैसे छोटे चुनावों में ऐसा हो सकता है लेकिन पंचायत के जनप्रतिनिधि ही इस बात को कहते हैं कि अगर हमें वापिस बुलाने की बात है तो लोक सभा, राज्य सभा या विधान सभा के तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, कम रुचि रखते हैं, जिनका विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें भी वापिस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से जो बहस छिड़ी है हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा है, इस पर हमे रोक लगानी चाहिए। आज इसी सदन में, इसी लोक सभा में बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता जिन्हें सजा मिल गई और वह चुनाव लड़ने से वंचित हो गए, लेकिन किसी ने चाहे जिनता क्राइम किया हो और उसे सजा नहीं मिली है, वे बराबर लोक सभा एमपी का चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतकर आ रहे हैं। उनके क्षेत्रों में इतना खौफ और डर है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। चुनाव आचार संहिता कड़ाई से लागू होनी चाहिए और चुनाव सुधार आयोग का गठन होना चाहिए। यहां इस मुद्दे पर बात चल रही है, यह सही है लेकिन इन मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए।

एक प्रत्याशी कभी-कभी दो या तीन जगह से चुनाव लड़ता है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए ताकि एक प्रत्याशी केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार पर्चा दाखिल करे। लेकिन होता यह है कि चुनाव खत्म हो जाता है तो पता चलता है कि एक या दो जगह से जीत गए और एक जगह फिर से इलैक्शन होना है। हमें इसके लिए आर्थिक स्थिति को भी देखना होगा क्योंकि इसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। जब दोबारा चुनाव होता है तो सीधा असर जनता पर पड़ता है, खास तौर से गरीब जनता पर इसका असर ज्यादा पड़ता है। इस पर भी रोक लगानी चाहिए।

एक बात बहुत प्रमुखता से आई है, चूंकि हम पर्सनल पब्लिक ग्रिवांसिस, लॉ एंड जस्टिस में चुनाव सुधार पर चर्चा करते हैं तो उसमें डिस्कशन होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है और वे बाहर भी रहते हैं। अब इतना आसान हो गया है कि अगर बाहर रहने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ना होता है तो वहां से आकर हिन्दुस्तान में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर फोटो पहचान पत्र लेकर चुनाव लड़ता है। इस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इसके लिए टाइम फिक्स करना होगा कि कौन सा व्यक्ति कितने दिनों या वर्षों तक बाहर रहा है। इसके साथ यह भी देखना पड़ेगा कि वह चुनाव लड़ने का हकदार है या नहीं? इसके लिए टाइम फिक्स करना पड़ेगा।

सभापति महोदया: टाइम तो फिक्स है लेकिन घटाने या बढ़ाने की बात है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: समय घटाने या बढ़ाने के बाद भी इसे गंभीरता से देखना पड़ेगा। बहुत जगह ऐसी हैं जहां नए स्कूल भवन पोलिंग बूथ बन गए और नए भी बन रहे हैं लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां ये सब नहीं हैं वहां मोबाइल मतदान केन्द्र बनाकर, अधिकारी भेजकर वोट दिलाना चाहिए। इस तरह से यह व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने कुछ सुझाव आपके और सदन के सम्मुख पेश किये हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को प्राइवेट मैम्बर बिल के माध्यम से सदन के पटल पर चर्चा के लिए रखने का काम किया है। मैं समझता हूं कि यह इलैक्शन रिफॉर्म्स से जुड़ा हुआ दूसरा बिल है, जिस पर हम चर्चा करने के लिए इस 14वीं लोक सभा में बैठे हैं। इलैक्शन रिफॉर्म्स से सीधा तात्पर्य है कि जो अभी तक की व्यवस्था है, उसमें बेहतरी कैसे हो। पहले की जो पुरानी व्यवस्था थी, उसमें कुछ कमी आ गई थी। उसके सुधार के बहुत सारे उपाय किये गये, लेकिन जो जमीनी कठिनाइयां हैं, उन पर विचार अवश्य होना चाहिए और सुधार की दिशा में और कदम बढ़ाने चाहिएं ताकि अधिक से अधिक देश की जनता वोट दे सकें। गांव और देहात, जहां के लोग वोट देने से, वास्तविक

वोटिंग से वंचित रहते थे, उन्हें मुख्य धारा में शामिल कर अधिक से अधिक वोटिंग कैसे कराई जाए, चुनाव सुधार का यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है कि अलग-अलग तरह की राय आ रही हैं। आज गांवों में, जहां बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, वहां से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, आज उनका यह ठिकाना नहीं है कि वे कहां के वोटर हैं, उनके पास वोटर आई.कार्ड है या नहीं और यदि है तो सिचुएशन रेस्टोर होने तक वे वोटिंग राइट के लायक, अपनी इलिजिबिलिटी, अपना रजिस्ट्रेशन, अपना आई. कार्ड पा सकेंगे या नहीं, यह अभी तक निश्चित नहीं है। यह एक विशेष स्थिति है, लेकिन सामान्य स्थिति में भी जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे बिहार के गांवों के लोग माइग्रेट करते हैं और अन्य जगहों पर जाकर काम करते हैं, उन लोगों की समस्या यह है कि वे दो या तीन महीने के लिए काम करने के लिए बाहर गये और घर लौटकर भी आये, लेकिन घर लौटकर आने के बाद पता चला कि वोटर आई. कार्ड बनने का काम खत्म हो गया है। अब उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। हमने पिछले दिनों देखा है कि जो लिस्ट्स आई हैं, उन लिस्ट्स में बहुत से ऐसे नाम हैं, जिनके सामने फोटो नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। 15 से 20 परसैन्ट गांव, देहात में ऐसे लोगों की संख्या है, जहां या तो वोटर का फोटो नहीं है या एड्रैस गलत है। आई. कार्ड उनके घर पर भेज दिया गया, लेकिन वह पहुंचा या नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब वोट डालने की बात आयेगी तो पहले से ही यह अनाउंस किया जा रहा है कि बिना वोटर आई. कार्ड के वोट डालने नहीं दिया जायेगा। उद्देश्य उनके मूल अधिकार का उन्हें प्रयोग करने देना है। वे लोग अपने इस अधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें, सुधार का यह उद्देश्य होना चाहिए। सुधार का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि चाहे दस परसैन्ट मतदान हो, लेकिन हम गेट पर खड़े रहेंगे और यदि वोटर के पास आई. कार्ड नहीं है तो हम उसे वोट नहीं डालने देंगे। सुधार इस दिशा में होना चाहिए कि इलैक्शन से पहले जो वोटर आई. काड्र्स हैं, वे पूरी तरह से बन जाएं। गवर्नमैन्ट मशीनरी के माध्यम से यह सुनिश्चित करना इलैक्शन कमीशन का काम है और दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि बूथ तक पहुंच कर लोग अपनी इच्छा से, फ्रीडम के साथ वोट डाल सकें। ये दोनों कार्य बखूबी किये जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ इलैक्शन के पहले का समय ही काफी नहीं है। चार साल बीतने के बाद यदि इलैक्शन कमीशन या विभाग जाग्रत होता है कि हमें वोटर आई. काड्र्स बनाने हैं और इलैक्शन से ठीक पहले यदि ये जागरुकता दिखाते हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है। यह एक कांटीन्युअस प्रोसैस होना चाहिए और पदाधिकारी नियुक्त होने चाहिएं जो साल में एक-दो बार कैम्पेन चलायें, अवेयरनैस के लिए प्रोग्राम चलायें कि वोटिंग कितनी महत्वपूर्ण है।

वोट डालने के लिए अधिक से अधिक वोटिंग हो, इसके लिए लोगों को जागरुक करें तथा उनके लिये आई कार्ड की नितांत आवश्यकता है, उसे पूरा किया जाये। इस ओर सरकार को मजबूत कदम उठाना चाहिए। यह बेसिक नीड है। हम चाहे रिफार्म्स की तमाम बातें करें, अगर यह पूरा नहीं हुआ तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जब तक 80-90 प्रतिशत वोट नहीं पड़ेंगे, मैं नहीं समझता कि कम्पलसरी वोटिंग इस लोकतांत्रिक देश में हो सकती है। जहां पर विचारों की उन्मुक्तता है, जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें कम्पलसरी वोटिंग लाना आवश्यक है, यह मेरा निजी विचार है। कम्पलसरी वोटिंग उस राज्य के लिए नहीं है जहां पर हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ ओपीनियन नहीं है, यह कम्पलसरी वोटिंग एक बहुत ही गलत कदम होगा। मैं अपने मित्र श्री शैलेन्द्र जी से इस विषय पर इत्तफाक नहीं रखता हूं। उन्होंने ऐज और क्वालिफिकेशन बॉर की भी चर्चा की है। मैं नहीं समझता कि इस देश में ऐज और क्वालिफिकेशन बॉर लगाने के बाद लोग वोटिंग के लिए आयेंगे। हमारा उद्देश्य है कि वोटिंग के लिए अधिक से अधिक लोग आवें क्योंकि हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों से आते हैं। जहां अब इस सरकार ने एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया है, इनफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, इन तमाम सुधारों के बावजूद ऐसी स्थिति नहीं है कि शतप्रतिशत लोग शिक्षित हो जायें और क्वालिफिकेशन बॉर रखकर कम्पलसरी एजुकेशन जैसा कुछ ऐसा लागू हो जाये, ऐसी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आप एक ऐसे सैक्शन को वोट डालने से वंचित करेंगे जो मजबूरीवश अशिक्षित रह गया है। उसे पर्याप्त हिस्सा नहीं मिला, उसे सोसायटी की तरफ से अवसर नहीं मिला जिससे कि वह शिक्षित हो सकता, क्या आप ऐसे सैक्शन को वोट डालने से वंचित कर देंगे? मैं इस बात के भी विरुद्ध हूं और स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ऐज और क्वालिफिकेशन का कोई बैरियर इलैक्टोरल कैंडीडेचर के लिए नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदया, आचार संहिता बनाई गई, यह बहुत अच्छी बात है। इलैक्ट्राल रिफार्म्स का व्यावहारिक पहलू यह है कि हम आचार संहिता को लागू करने के लिए तत्पर हैं। हम मानवीय अवगुणों से भी भरे हुये हैं, हमें ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इलैक्ट्राल रिफार्म्स के नाम पर जहां जहां भी सख्ती हुई, उसके बहुत ही गलत परिणाम भी निकले। सख्ती के नाम पर वोट को प्रभावित करने, माहौल को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कहीं कोई नाम इतना भयावह हो गया, इतना दहशत वाला हो गया कि उससे सिस्टम प्रभावित हुआ। उस डर से अधिकारी भी सही बात पहचानने के बजाय, उनके डर से कुछ गलतियां करते करते इलैक्शन को प्रभावित करते रहे ह। दूसरी तरफ यदि आप उस उद्देश्य की तरफ जायें कि

[श्री आलोक कुमार मेहता]

अधिक से अधिक लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ वोट कर सकें, वहां भी प्रभावित करने की कोशिश की गई। वहां हमारी जो फोर्सेज तैनात की गईं, पता नहीं किसकी इंस्ट्रक्शन्स थीं, किसकी गाइडलाइन्स थीं कि वहां गांव के गरीब लोग डर कर बिना वोट डाले ही चले गये या फिर कहीं कहीं उन्हें कुप्रभावित करने की कोशिश की गई कि फलां के लिए वोट डालें, नहीं तो चले जायें। वहां सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा सुझाव है कि इलैक्शन कमीशन में ऑन लाइन एक हियरिंग सैल होना चाहिए और किसी तरह से ऐसी कम्पलेंट को अटैंड करने के लिए उसके पास पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल में इस बात को शामिल करना चाहिए।

सभापति महोदया, जिस किसी चुनाव स्थान के रिटर्निंग आफिसर्स होते हैं, चाहे लोक सभा का चुनाव हो, विधान सभा का चुनाव हो या पंचायत का तीन स्तरीय चुनाव हो, हर जगह एक विषम परिस्थिति बनी हुई है।

प्रोटोकोल के मामले में एक कलेक्टर सांसद से नीचे होता है लेकिन उसके सामने इस तरीके से पेश होना होता है कि उसका प्रभाव पूरे पांच साल होता है। हमें चिन्ता होती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सख्ती के साथ इसलिए नहीं कर पाये, क्योंकि कलेक्टर नाराज हो गया और कल को रिटर्निंग अफसर की कुछ गलत करने की मंशा हो तो वह कुछ भी कर दे–मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह एक व्यावहारिक समस्या है। आज कहीं भी यदि एमपीलैड्स का मामला हो या किसी भी तरह के विकास का मामला हो, उसमें आप सख्ती नहीं कर सकते हैं। आप चाहे मॉनीटरिंग एंड विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन रहिए, लेकिन इस तरह की सख्ती अगर आप करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि कल को यही पदाधिकारी आपका रिटर्निंग अफसर होगा और जब चुनाव होगा तो वह प्रोटोकाल में आपसे बहुत ऊपर होगा, इसलिए हो सकता है कि वह प्रभावति हो सके। इन बारीक बिन्दुओं को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे उपाय निकाले जाने चाहिएं, चाहे आप दूसरी जगह के पदाधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में डिप्यूट कीजिए या फिर कोई और उपाय कीजिए, लेकिन ऐसा उपाय कीजिए ताकि जो रात-दिन के ताल्लुकात वाले पदाधिकारी हैं, उनके बीच प्रोटोकॉल का एस्टेब्लिश सिस्टम व्यावहारिक रूप से लागू रह सके, नहीं तो आप देख सकते हैं कि प्रखण्ड के प्रमुख हैं और बीडीओ हैं, आज तक यह डिफाइन नहीं किया जा सका है कि दोनों के बीच में किस तरह का प्रोटोकॉल रिलेशन होगा? यह हर स्तर पर हो रहा है और आज का मुखिया, जो एक बेसिक लिमिट से जीता हुआ जनप्रतिनिधि है, उसको हटाने का अधिकार, उसे बर्खास्त करने का अधिकार किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दे दिया जाता है। इसमें सुधार की जरूरत है। यह डैमोक्रेटिक व्लैयूज का उल्लंघन है। इस देश में इस चीज की स्वतंत्रता है कि जिसको जनता ने चुना, उसको जनता ही पांच साल बाद या निर्धारित समय के बाद वापस करेगी। हां, अगर उसने कोई गलती की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पद से उसे हटाने या निष्कासित करने का अधिकार उसे नहीं मिलना चाहिए। इस दिशा में भी चुनाव आयोग की ओर से नियम होने चाहिएं।

हम इस बात को बिल्कुल एग्री करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेफिनिशन का बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकता है। सोर्स ऑफ जस्टिस कहता है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि किसी स्टेट में उन्माद पैदा करके इलेक्शन के पहले और बाद की स्थिति में अंतर पैदा किया गया तो इसे भी संज्ञान में लेकर, उस पर आधारित कोई निर्णय लेने का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि यदि एक परम्परा रही, यदि एक जगह ट्रेंड बना तो पूरे देश में ऐसा हो सकता है और यह बहुत ही गलत ट्रेंड होगा।

सभापति महोदय: मेहता जी आप समाप्त कीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता: इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण बिल को लाकर ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के कार्यों में सुधार की दिशा में दिशानिर्देश करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और इन तमाम सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरचरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): सभापति महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं अपने सहयोगी, श्री सी.के. चन्द्रप्पन के चुनाव सुधार आयोग के गठन के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने क लिए खड़ा हुआ हूं। हम इस मुद्दे पर पिछले कुछ वर्षों से चर्चा करते रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव प्रभावी लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है। हमें चुनावों का काफी अनुभव है। हमारे देश में लोक सभा के 14 बार सफलतापूर्वक चुनाव करवाये जा चुके हैं। कतिपय राज्य विधान सभाओं में 14 से अधिक बार चुनाव करवाये गये हैं। कार्यकाल पूरा होने से पहले सदन को भंग किया गया। अत:, पांच वर्ष के अंतर की तुलना में चुनाव बहुत बार हुए। लोकतंत्र के 60 वर्षों के अपने अनुभव में हम यह पाते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका

हम अपने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में सामना कर रहे हैं।

हमें वर्तमान साधारण बहुमत निर्वाचन प्रणाली की तुलना में बेहतर निर्वाचन प्रणाली की आवश्यकता है। वर्तमान प्रणाली की तुलना में आनुपातिक प्रतिनिधित्व अधिक उपयोगी हो सकता है। हमें शीघ्रातिशीघ्र महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी। हमें चुनावों को अपराधीकरण से मुक्त करने की आवश्यकता है। चुनावों का राज्य द्वारा वित्तपोषण आवश्यक है। यदि चुनाव सुधार आयोग का गठन किया जाता है तो उसे सांसदों को जनता द्वारा वापिस बुलाये जाने के प्रावधान की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सर्वप्रथम, मैं राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने की आवश्यकता के बारे में बताना चाहता हूं। हाल ही में, राजनीति के अपराधीकरण के बारे में समाचारपत्रों में काफी चर्चा की गई थी। 2004 के चुनावों के बाद सभी संसद सदस्यों से अपनी पृष्ठभूमि के विवरण देने को कहा गया था और वर्तमान लोक सभा के ही 100 से अधिक संसद सदस्यों ने अपने शपथ पत्रों में कहा है कि उन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। कर्नाटक विधान सभा के हाल ही में हुए चुनावों में सरकारी तंत्र ने चुनावों में धन शक्ति और मदिरा शक्ति को कम करने के प्रयास में 45 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, मदिरा और अन्य वस्तुएं जब्त की थी। परन्तु यह कर्नाटक चुनावों में खर्च की गई धनराशि का केवल एक छोटा भाग है।

हर कोई जानता है कि महज एक विधान सभा निर्वचन क्षेत्र में चुनाव के लिए भी लगभग 4 से 5 करोड़ रुपये खर्च किये गये। गरीब और मध्यम वर्ग के सामान्य लोग तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। यदि ऐसी प्रवृत्ति जारी रहती है तो केवल धनाढ्य व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार के प्रयासों के बावजूद हमारे चुनावों में अभी भी बहुत अधिक धनशक्ति, मदिरा शक्ति और गुंडागर्दी का उपयोग होता है। निस्संदेह, इसके चलते निर्वाचकों में निराशा उत्पन्न होती है और लोगों का एक बड़ा वर्ग मतदान में भाग न लेकर अपने आप को इस प्रक्रिया से अलग रख रहा है।

यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे लोगों को अधिकार जताना चाहिए और उन्हें चुनावों में भाग लेना चाहिए। परन्तु यदि विकल्प सीमित है कि या तो धनी व्यक्ति को वोट दो या गुंडा तत्व को वोट दो या किसी अन्य प्रकार के प्रभाव में वोट दो और यदि उसके विकल्प के लिए इस प्रकार की मजबूरी है तो निस्संदेह वे चुनावों की इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अपने आप को अलग रखने का प्रयास करते हैं।

यह बताया गया था कि विगत चुनावों में चुनावों की अवधि के दौरान सैकड़ों बंदूक, हजारों गोलियां और बम भी जब्त किये गये थे। गड़बड़ी बहुत सामान्य बात है और इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन भी गड़बड़ी को रोकने में सहायक नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अत:, हमारी निर्वाचन प्रणाली को राजनीति के अपराधीकरण से बचाने के लिए हमें अधिक गंभीर प्रयास करने और अधिक कड़े कानूनों की आवश्यकता है।

महोदया, मैं साधारण बहुमत निर्वाचन प्रणाली, जो हमारे देश में अपनाई गई है, के बारे में बोलना चाहता हूं। हमने इस निर्वाचन प्रणाली, समग्र लोकतांत्रिक प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली से लिया है। निस्संदेह, हम ब्रिटिश प्रणाली की सभी अच्छी बातों को नहीं अपना रहे हैं।

मुझे यह बताया गया था कि अधिक सर्दी के तीन महीनों को छोड़कर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बैठक लगातार होती है। इस वर्ष हमारी संसद की बैठक चालीस दिन के भी कम हुई है। यदि यह बैठक 23.12.2008 तक होती है तो इस वर्ष में केवल 45 दिन की बैठक का रिकार्ड होगा। साधारण बहुमत की अवधारणा जैसी अन्य प्रणालियां ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली गई हैं। असम में हमारा बहुत खराब अनुभव रहा है जहां कुछ अलगाववादी ताकतों ने मांग की कि चुनाव रोक दिये जाएं और उन्होंने चुनावों का बहिष्कार करने के लिए कहा। वहां पर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में दो प्रतिशत से भी कम मतदाताओं ने चुनावों में भाग लिया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कुछ सैकड़ों वोट लेकर विधान सभा में बैठे थे। कई अन्य स्थानों पर भी हमारी प्रणाली में वास्तविक प्रतिनिधित्व परिलक्षित नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए यदि हम चौदहवीं लोक सभा के मतों का प्रतिशत लेते हैं तो न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्षी दल इस प्रकार के प्रतिनिधित्व को प्राप्त कर सकता है। कुछ राजनीतिक दल जिनके मतों का प्रतिशत अधिक नहीं है, वे संसद में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। कुछ विधान सभाओं में यह संभव नहीं हो रहा है।

अत:, हमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाना चाहिए। यह सच है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी गंभीर खतरे हैं। ऐसा हो सकता है कि विविध धर्मों, जातियों और उप-जातियों वाले हमारे देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से जाति या उप जाति का प्रवेश राजनीति में हो जाएगा परन्तु इन परिस्थितियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मेरे विचार से वर्तमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या दोगुनी करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व और 51 प्रतिशत के साथ बहुमत की निर्वाचन प्रणाली का मिश्रण बेहतर होगा। इसका तात्पर्य है कि 50 प्रतिशत लोगों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित किया

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

जा सकता है और 50 प्रतिशत संसद सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होंगे। यदि इस प्रणाली, जिसे कई यूरोपीय देशों में अपनाया जा रहा है और अपनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है, को अपनाया जाता है तो यह एक बेहतर प्रणाली हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, महिला आरक्षण बहुत आवश्यक है। यह आश्चर्य की बात है कि सदन में और बाहर लगभग सभी राजनीतिक दल सहमत हैं कि विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए परन्तु आखिरकार सर्वसम्मति न होने के नाम पर महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। यह जरूरी है और महिला आरक्षण के बगैर हमारा लोकतंत्र पूर्णरूपेण लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है।

महोदया, चुनावों के राज्य द्वारा वित्तपोषण के संबंध में मैंने आपको पहले बताया था कि चुनावों में किसी उम्मीदवार के खड़े होने के लिए धन-बल अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कुछ लोग सामाजिक सेवा में अनुभव के बगैर और राजनीतिक कार्यकलापों में अनुभव के बगैर चुनाव लड़ रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि उन्होंने भू-संपदा अथवा किसी अन्य प्रकार के कारोबार से सम्पत्ति अर्जित की है, वे राजनीति में आना चाहते हैं और चुनावों में भाग लेते हैं। हरेक को चुनाव लड़ने का अधिकार है परन्तु यदि राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा धन को व्यय करने में सक्षम उम्मीदवार को टिकट देने का निर्णय करने लगेंगे तो जैसाकि मैंने पहले कहा था चुनाव अमीर लोगों तक ही सीमित हो जाएंगे। चुनाव में राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को राज्य द्वारा वित्त पोषण करने से यह संभव है। इसमें पैसा तो खर्च होगा लेकिन लोकतंत्र इससे ऊपर है।

हमें हमारे लोकतंत्र की रक्षा करनी है। इसलिए, वाहनों, पोस्टरों, पर्चों, चुनाव अभियान के लिए व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले अन्य खर्चों पर सीमा निर्धारित होनी चाहिए और राज्य द्वारा वित्त पोषण अनिवार्य है। स्वाभाविक रूप से, ऐसे मामले में इस प्रकार की हानि समाप्त हो जाएगी।

महोदया, वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में बहुत बड़ी चर्चा हुई है। एक आशंका यह है कि यदि वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया आरंभ होती है तो इसके क्या क्या कारण होने चाहिएं। इस प्रणाली के कारणों में दुर्व्यवहार, संसदीय गतिविधियों में भाग न लेना, धन के लिए अपने पद का दुरुपयोग करना या अक्षमता हो सकते हैं। वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया के लिए सभी प्रकार के कारण हो सकते हैं। जहां तक अक्षमता तत्व का संबंध है इसकी परिभाषा का प्रश्न एक बहुत गंभीर प्रश्न है। हम इसका समाधान कर सकते हैं। इस संबंध में एक ही समस्या हो सकती है कि बहुदलीय निर्वाचन प्रणाली में वापस बुलाए जाने की प्रणाली को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। यदि 51 प्रतिशत लोग किसी उम्मीदवार का समर्थन करते हों तो यह प्रणाली अधिक लाभदायक होगी। यदि वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में सभी पराजित उम्मीदवार इकट्ठे हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से वो किसी भी उम्मीदवार को वापस कर सकेंगे और इससे बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। अत: मैं इन्हीं कुछ समस्याओं पर चर्चा करना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त अन्य कई बातें भी हैं। भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन की आवश्यकता है; भारत को एक अलग तरह की निर्वाचन प्रणाली की आवश्यकता है और इस बारे में हमने कई चर्चाएं भी की हैं। देश में लगभग सभी निर्वाचन आयुक्तों ने निर्वाचन सुधारों की मांग की थी। मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावित सुधार और किये गये सुधार बहुत लाभदायक नहीं हैं। उनके अनुसार उम्मीदवार एक शपथ पत्र दायर करेंगे जिसमें वे अपनी शैक्षिक योग्यता और अपनी धन-सम्पत्ति का उल्लेख करेंगे। मेरे विचार से शैक्षिक योग्यता का उल्लेख मात्र करने से बेहतर निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। इस देश में इतनी अधिक निरक्षरता के बावजूद, हमारे लोग जो मतदाता हैं-काफी समझदार हैं। उन्होंने अपनी व्यस्कता सिद्ध की है और उन्होंने गत 60 वर्षों में चुनावों में अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध की है।

लेकिन हमें वास्तव में इसी की जरूरत है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि हम राजनीति के अपराधीकरण को कैसे रोकें? भारतीय दांडिक विधि प्रणाली में एक अजीब समस्या है। इसमें एक राजनीतिक प्रदर्शनकारी और एक कातिल को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। इस संबंध में दो भिन्न-भिन्न प्रकार की श्रेणियां होनी चाहिएं। यदि, जैसाकि मेरे सहकर्मी श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी प्रस्ताव कर रहे हैं, इस प्रकार की बात पर चुनाव सुधार आयोग विचार करता है और यदि ऐसा होता है तो इन सभी बातों पर चर्चा की जानी चाहिए। हम चुनाव सुधार आयोग की प्रस्तावित अनुशंसा पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं, जिससे एक बेहतर स्वतंत्र और स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली के निर्माण में सहायता मिलेगी।

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): धन्यवाद, महोदया। मैं माननीय श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी द्वारा लाए गए चुनाव सुधार आयोग के समर्थन में बोल रहा हूं। मैं समर्थन करता हूं तो मैं यही कहूंगा कि इसके कुछ खंडों पर मेरी कतिपय आपत्तियां हैं जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा।

महोदया, कल हमने मुम्बई में आतंकी हमले पर दिन-भर चर्चा की। अगर आपने मुंबई में हुए हमलों को दूरदर्शन पर देखा

होता तो आपने जनता और भारत के लोगों का गुस्सा देखा होता। दुर्भाग्यवश, यह क्रोध आतंकवादियों अथवा आतंक का कारण बनने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत के राजनेताओं के विरुद्ध था। ऐसे अनेक समाचार संदेश हैं जो यह कहते हैं कि भारत में राजनेता बुरे हैं। वस्तुत:, हमने दु:खपूर्वक एक माननीय संसद सदस्य को टी.वी. पर एक चैनल में यह कहते हुए देखा कि वह राजनेता होने पर शर्मिंदा है। ऐसा क्यों है? हमारे सामने यही प्रश्न है। क्या लोकतंत्र बुरा है? नहीं, लोकतंत्र कभी भी बुरा नहीं हो सकता।

लेकिन लोकतंत्र सक्रिय होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता प्रतिनिधियों की पसंद पर निर्भर है और प्रतिनिधियों की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के कार्यकरण और चुनाव प्रणाली से जुड़ी हुई है।

ऐसी पृष्ठभूमि में हमारे चुनाव निष्पक्ष होने चाहिएं। आज जिस प्रकार से चुनाव किये जाते हैं, यद्यपि सार्वजनिक जीवन में प्रतिभाशाली पुरुष और स्त्रियां हैं, भ्रष्ट चुनाव प्रणाली उन्हें सत्ता के गलियारों में आने से लगातार रोक रही है। अत:, हमें चुनावसुधारों की आवश्यकता है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सबसे प्रमुख बात जिससे हम सभी चिंतित है वह धन-बल और बाहुबल का प्रयोग है। एक कारण जिसकी वजह से भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह है राजनैतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता। एक माननीय सदस्य ने बताया कि चुनावों के दौरान कर्नाटक में 48 करोड़ रुपये की शराब और धन जब्त किया गया। हम सभी यह जानते हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि चुनावों के दौरान बेहिसाब काफी धनराशि खर्च की जाती है। यह धन कहां से आता है? मैंने कहीं पढ़ा था कि जहां एक राजनेता को 5 रुपए पहुंचने होते हैं, वहां एक नौकरशाह को 50 रुपए इकट्ठे करने होते हैं। इस 50 रुपए की राशि को एकत्र करने की प्रक्रिया में, जनता को अकार्यकुशलता और अपमान का सामना करना पड़ता है। इससे हर नागरिक को 500 रुपये की राशि का नुकसान उठाना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में चुनाव व्यय को कम करके ही भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। जैसाकि विधेयक में सुझाया गया है, चुनाव व्यय को कम करने के लिए राज्यों को चुनाव के लिए व्यय करना चाहिए और उम्मीदवारों को अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सख्त कानूनों और निगरानी के माध्यम से हर प्रकार के अप्रत्यक्ष और गोपनीय व्यय को रोकना चाहिए।

ऐसे ही कुछ सुझाव हैं कि हमें मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। मैं इस अनिवार्य मतदान का पूरा समर्थन करूंगा। कारण बहुत ही स्पष्ट है। मैंने मुंबई में हुए आतंकी हमले पर लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया। यह प्रतिक्रिया आक्रोश स्वरूप थी और इसमें राजनेताओं के खिलाफ गुस्सा फूटा था। इन राजनेताओं के खिलाफ वास्तव में कौन क्रुद्ध है? वस्तुत: कौन इन टेलीविजन चैनलों को एसएमएस भेज रहा था? मैंने अभी-अभी अपने मित्रों के साथ चर्चा की। मैंने उनसे पूछा कि एक राजनेता कौन होता है। मैंने उन्हें एक लघु कथा सुनाई। अगर किसी बस में कोई किसी लड़की से दुर्व्यवहार करता है और आप भी उसी बस में सफर कर रहे हों, आप यह निर्णय करते हैं कि इसके बाद आप बस से यात्रा नहीं करेंगे, आप कार खरीदेंगे और आपके परिवार की सभी महिला सदस्य कार से यात्रा करेंगे तो आप एक व्यवसायी हैं। दूसरे, आप दुव्यर्वहार को देखें और कहें कि यह क्या है और समाचार पत्रों की ओर न देखने का निर्णय लेते हैं तो आप एक नौकरशाह हैं। तीसरे, अगर आप कहते हैं कि यह बहुत गलत हैं, आप बस से उतर जाते हैं अपने मित्रों के पास जाते हैं और इस बारे में पीने के दौरान बातें करते हैं और हंसी में इसे उड़ा देते हैं तो आप एक कम्प्यूटर इंजीनियर हैं। केवल वही व्यक्ति राजनेता बन सकता है जो यह कहे, "यह तुम क्या वाहियात कर रहे हो" अथवा जो भी घट रहा है उस पर प्रश्न करता है अथवा कम से कम चालक को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। एक राजनेता वह व्यक्ति है जो कम से कम अपने आस-पास घट रही घटनाओं के प्रति थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया करता है।

भारत में स्थिति यह है और भारत में काफी संख्या में लोग हैं, लेकिन वे राजनैतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और न ही वे अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान देते हैं। बल्कि वे बैठकर हर चीज के बारे में शिकायतें करते रहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे लोकतंत्र में भागीदारी की भूमिका निभा सकें, हमें मतदान को अनिवार्य बनाना होगा।

दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात लोकतंत्र को गतिशील बनाना है। लोकतंत्र का अंत मतदान के साथ ही नहीं हो जाता है। चुनाव समाप्त होने और लोगों के विभिन्न पक्षों पर निर्वाचित होने के बाद भी जनता और प्रशासन के साथ निरंतर परस्पर संपर्क होना चाहिए। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि संप्रग सरकार ने लोकतंत्र को गतिशील बनाने का कार्य किया है और वास्तव में यह पूरे विश्व के लिए एक मॉडल था तथा इससे सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित कर इसने वास्तव में लोगों को शक्ति प्रदान की है जिससे वे सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न उठा सकते हैं और नीतियों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

[डा. आर. सेनथिल]

सदस्यों को वापस बुलाए जाने (रिकॉल) के बारे में आवाज उठी थी और इस पर इस कारण से मेरी भिन्न राय है कि भारतीय मतदाता ऐसे समय में सदस्यों को वापस बुलाए जाने (रिकॉल) पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हैं। मेरे विचार से हमें इसके लिए कुछ और समय चाहिए। यदि आप कारण जानना चाहते हैं तो आप देखें कि मुंबई में आतंकी हमलों को जनसंचार माध्यमों प्रेस और मीडिया ने किस तरह कवर किया। इस समय यदि आप लोगों से पूछते कि क्या किया जाना चाहिए तो वे कहते हैं कि "महाराष्ट्र विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाय।"

आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें, आप चाहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। वे चाहते हैं कि पूरी सरकार इस्तीफा दें, वे चाहते हैं कि पूरी सरकार को वापस बुलाया जाए क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया भावनात्मक रही है और वह जानकारी और तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस तरह का मामला होने के कारण इस स्थिति में बुलाया जाना (रिकॉल) जल्दीबाजी होगी और हमें कुछ और परिपक्व होना है।

अंतत: सिर्फ चुनाव सुधार से ही लोकतंत्र को जिम्मेदार, गतिशील एवं लोगों को स्वीकार्य नहीं बनाया जा सकेगा। चुनाव सुधार को प्रशासनिक सुधार के साथ जोड़ना होगा। मैं विधेयक में महिलाओं, विभिन्न समूहों आदि को समानुपातिक रूप से आरक्षण दिये जाने जैसे अन्य सुझावों को स्वीकार करता हूं। एक मात्र बात जिसका मैं विरोध करता था वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली के बारे में था जहां राजनीतिक दल, दल के नाम पर मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जब वे पाते हैं कि उन्हें कितना मत मिला है तो वे उस आधार पर उम्मीदवार का चयन करते हैं। मैं समझता हूं कि भारत में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि लोगों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच भारी अंतर है। यदि यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत मे आती है तो यह लोगों और जनप्रतिनिधियों के बीच के अंतर को और बढ़ाएगी, क्योंकि एक नया तंत्र आएगा जहां जो भी संसद सदस्य अथवा विधायक बनना चाहता है। वह लोगों को यह समझाने नहीं जाएगा कि वह एक अच्छा व्यक्ति है लेकिन बल्कि वे अपने नेताओं के पास जाएंगे और यह एक बिल्कुल अलग तरह की गुटबंदी हो जाएगी और मैं समझता हूं कि यह भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली होनी चाहिए, जहां उम्मीदवार लोगों के पास सीधे जाएं और यह स्पष्ट करें कि वह क्या है और उसे उनके समक्ष क्या वायदा करना चाहिए। लोगों के पास उन्हें रोकने और उन्हें यह कहने का सदैव अधिकार होना चाहिए कि मैंने आपको मत दिया है और आपने यह नहीं किया है। मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र को इस समय कम से कम ऐसा होना चाहिए।

हमने पहले भी इसी मुद्दे पर कई बार चर्चा की है। हमारे पास चुनाव सुधार के बारे में इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, भारतीय विधि आयोग 117वें प्रतिवेदन की सिफारिशें हैं और संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें हैं। वास्तव में इन सभी सिफारिशों को प्रभावकारी नहीं बनाया गया है और उन पर विचार नहीं किया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि सरकार को चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि संसद और विधान सभाओं के चुनावों में बेहतर उम्मीदवार सामने आ सकें। इस प्रकार, मैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली संबंधी खंड को छोड़कर इस विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदया, आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा (कनकपुरा): महोदया, वर्ष 1885 में जब इस देश को आजाद करने के लिए हमारे लोगों को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए अंग्रेजी शासन के खात्मे हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया तो महात्मा गांधी, नेहरू जैसे हमारे पूर्वजों ने जोशीले भारत का सपना देखा जो सभी को समानता प्रदान करेगा, जो भूख को खत्म करेगा, जो समुदायों, क्षेत्रीयताओं और भाषाओं के बीच असमानता को कम करेगा। मैं अपने मित्र कामरेड चंद्रप्पन जी को आज इतना अद्भुत और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूं। चुनाव सुधार समय की जरूरत है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भारत को पूरी दुनिया में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही जब आतंकवादियों ने मुंबई में हमला किया तो सबने राजनेताओं को निशाना बनाया, जबकि हमने राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा नहीं की। हम वाद-विवाद की गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित करें? पंचायत से संसद तक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कैसे करें? यह लोगों पर है और यदि इस देश के लोग लोकतंत्र के महत्व को नहीं समझते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस स्थिति को नहीं बचा सकता। हम एक जोशीला भारत बनाने के लिए, राज्यों के लिए वित्त पोषण, अनिवार्य मतदान और लैंगिक समस्या तथा मीडिया की भूमिका का भी समर्थन करना चाहते हैं। अच्छे लगों को अच्छे विधायी निकायों में आना चाहिए।

हाल ही में कर्नाटक राज्य में हुए चुनावों को देखें जहां से मैं आती हूं। किसी भी साधारण व्यक्ति, शिक्षक के किसी बच्चे, दलित समुदाय अथवा कमजोर वर्ग के किसी बच्चे अथवा युवक को पर्याप्त तरजीह नहीं दी गई और निश्चित रूप से भारत में

महिलाएं सर्वाधिक उपेक्षित और निशाने पर हैं जबकि भारत ने इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को पैदा किया जिन्होंने इस देश पर 18 वर्षों तक शासन किया, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और मार्गदर्शन दिया। उन्होंने भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। लेकिन आज हम लड़ रहे हैं, हम इस सभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के हेतु संघर्ष कर रहे हैं जबकि हम भारतीय जनसंख्या के 51 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? इसका कारण आप जानते हैं।

महोदया, हमारे लिये यह गर्व की बात है कि आज आप इस सभा की अध्यक्षता कर रही हैं; आप भी एक ऐसी ही उपेक्षित समुदाय से संबंध रखती हैं लेकिन कड़ी मेहनत से आप आगे आईं। हमें अपने दलों के भीतर लड़ाई लड़नी है, हमें अपने समाज के अंदर लड़ाई लड़नी है क्योंकि धन और बाहुबल बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इसलिए, हमें पंचायत से संसद तक निर्वाचित होने के लिए सभी स्तरों पर लड़ना होता है। केवल हम ही इस दर्द को समझते हैं।

यहां बहुत से भाई हैं, पिता हैं, जो महिलाओं का आदर करते हैं और उन्हें बहुत महत्व देते हैं, लेकिन 545 सदस्यों के मुकाबले उनकी संख्या बहुत कम है। मैं नहीं जानती, अगर सब ऐसा सोच रहे हैं। तीसरे कॉमरेड चन्द्रप्पन सोच रहे हैं तो हम इस विधेयक को प्रस्तुत करने और पारित कराने में क्यों समर्थ नहीं हैं। यद्यपि श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती सुमित्रा महाजन जैसे नेतागण इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, फिर भी हम इस विधेयक को पारित कराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं।

हाल ही में मुझे कुछ देशों का दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां राज्य द्वारा वित्तपोषण होता है। राजनीति में अवैध धन और बल का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए भारत का निर्वाचन आयोग एक अधिकार प्राप्त विधिक निकाय है। यह विधायिका में अच्छे लोगों को आने से रोकेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कई बार ऐसे सुझाव दिये हैं और हमें उन पर गर्व है। मेरी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निश्चित रूप से कई गांधीवादियों को पैदा किया है। हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदि। लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण ऐसे ही अनेक साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंच गए हैं, अन्यथा कोई नहीं पहुंच पाता।

हाल ही में, कर्नाटक में हुए चुनावों में अनेक प्रतिष्ठित और जाने-माने राजनेता चुनाव हार गए; हम बहुत ही खतरनाक चुनावी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं–यद्यपि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए हमारे यहां अच्छे कानून और अच्छी संस्थाएं हैं फिर भी अवैध धन का उपयोग लगातार बढ़ रहा है लेकिन हम यह सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं कि ये कानून उन सब चीजों पर नजर रखें और राजनीतिक प्रक्रिया को बचाएं।

कर्नाटक में खनन लॉबी की बहुत ही खतरनाक और नकारात्मक भूमिका रही है–मैं असंगत बात कह रही हूं–हमारे नियम असंगत हैं; प्रकृति राष्ट्रीय सम्पदा है, लेकिन लचीले कानून अत्यधिक धन सम्पदा एकत्रित करने की छूट दे रहे हैं। 10-15 वर्षों में लोगों ने करोड़ों रुपये बनाए हैं और अब वे जनसाधारण और भोले-भाले लोगों का वित्तपोषण कर रहे हैं। वे भूखे लोग अब पूछ रहे हैं 'लाल नोट' और 'हरा नोट' कहां है अर्थात् 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट कहां हैं?

मैं एक गरीब पत्रकार हूं और मैं अलग ही पृष्ठभूमि से आई हूं। मैडम सोनिया गांधी, हमारी पार्टी की अध्यक्ष के आशीर्वाद से ही मुझे चुनाव लड़ने का टिकट मिला और मैं जीती अन्यथा, आज भी दलगत शिकायतें हैं कि कुछ खामियां रह गई हैं। हमें इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रक्रिया का सही करना होगा अन्यथा प्रबुद्ध लोग आगे नहीं आ पाएंगे।

आज वाद-विवाद की गुणवत्ता और उपस्थिति स्तर की अत्यधिक आलोचना हुई है। हमारे यहां लोक सभा चैनल है; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और देश के लोग हमें देख रहे हैं कि कितनी उपस्थिति है, वाद-विवाद की गुणवत्ता कैसी है आदि। नेहरु के समय में इस सभा में कितने प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ थे? आज इसमें कोई भी रुचि नहीं ले रहा है। राजनीति में वाद-विवाद की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट आई है जिसकी वजह है सभा में प्रबुद्ध राजनेताओं का न आना। इसलिए, हमें चुनावों का राज्य द्वारा वित्तपोषण किये जाने का समर्थन करना चाहिए और उसमें राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों को इसका प्रतिशत अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए। अत: कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किस प्रकार से वित्त पोषण किया जाए। विचारों के आदान-प्रदान के दौरान हमें पता चला कि जर्मनी में राज्य वित्त पोषण प्रणाली है। आप अमरीकी राष्ट्रपति श्री ओबामा के चुने जाने को भी देख सकते हैं। अमरीका में भी लोगों द्वारा ही वित्त पोषण किया जाता है। चयन खुला और पारदर्शी होना चाहिए। अगर मैं योग्य उम्मीदवार हूं तो विधिक रूप से मुझे जनसाधारण से धन संग्रह करने की अनुमति होनी चाहिए। आप कुछ सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि कोई कितनी राशि संग्रहित कर सकता है और इसे प्रकाशित किया जाना चाहिए।

आज लिंग, समस्या और अपराधीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महिला उम्मीदवारों को आगे आने से रोका जा रहा है

[श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा]

जबकि शक्तिशाली अपराधी राजनीति में आ रहे हैं। यहां तक कि दस से भी अधिक मामलों में दोषी पाए गए अभियुक्त कानून में विद्यमान त्रुटियों का लाभ उठा कर छूट जाते हैं और खुले आम राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। जब ऐसे लोगों को पार्टी का टिकट मिल रहा है तो आम आदमी को टिकट कैसे मिल सकता है?

जैसाकि एक महिला नेता पीठासीन हैं, मैं यह उदाहरण देने की हिमाकत करना चाहूंगी। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, हमारे दल में राजनीति विज्ञान की योग्य सुशिक्षित स्नातक को टिकट दिया, जो एक शिक्षक की पुत्री हैं और जिन्होंने पिछले 25 वर्षों तक राजनीतिक दल की सेवा की है। वह जिला परिषद् की सदस्य और नगरपालिका अध्यक्ष भी रहीं। उनका नाम कल्पना है और उनके विश्वसनीयता को देखते हुए ही हमारे दल के नेता ने उन्हें टिकट दिया। जैसे ही उन्हें टिकट दिया गया कुछ लोगों ने उन्हें बुरा-भला कहा, मुझे भी मीडिया में बुरा-भला कहा गया। आप सोचिए हमें कैसे लगा होगा। वे इस तरह का व्यवहार महिला उम्मीदवारों के प्रति क्यों करते हैं जबकि वे योग्य होती हैं। लिंग भेद की समस्या को केवल बोलकर ही सुलझाया नहीं जा सकता। श्री चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक में की गई सिफारिश का मैं पुरजोर समर्थन करती हूं। यह कुछ-कुछ हमारे जन्मसिद्ध अधिकार जैसा है। इस राष्ट्र के निर्माण में भी हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे।

अन्त में, मैं मीडिया द्वारा निभाई जा रही भूमिका के बारे में बात करना चाहूंगी। मैं मीडिया से हूं। मीडिया द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की कवरेज को आवंटित समय को आप देख सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर वे विभिन्न राजनीतिक दलों को कवरेज देते हैं। आज मीडिया निहित स्वार्थी तत्वों के अधीन है। मेरा सुझाव है कि चुनाव जैसे कठिन समय में मीडिया में सभी राजनीतिक दलों को समान समय दिया जाना चाहिए, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों को जैसे जनजातियों, विशेषकर उन ग्रामीण लोगों को, जो मीडिया या विज्ञापन के लिए कुछ व्यय करने में असमर्थ हैं। अपने दल के या अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उनके लिए विशेष समय आरक्षित किया जाना चाहिए। तभी मतदाताओं को खुश करने के लिए उन्हें समान अवसर प्राप्त हो सकता है।

आज, लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन विधि-निर्माता हैं। वे पंचायत सदस्य और संसद सदस्यों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझती हूं यही उचित समय है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को शिक्षित होना चाहिए। विद्यालयों में संविधान को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए ताकि वे अपने अधिकार और दायित्वों को समझ सकें। तभी वे राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्येक योग्य व्यक्ति के लिए मतदान में भाग लेना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। आज राजनीतिज्ञों के बारे में लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि क्या वे अनिवार्य रूप से मतदान में भाग लेंगे। भारतीय नागरिक की हैसियत से यह उनका संवैधानिक अधिकार है, मतदान में भाग लेना उनका प्राथमिक कर्त्तव्य है। अब समय आ गया है जब स्कूलों, कालेजों और राजनैतिक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से नागरिकों को शिक्षित किया जाए, तभी अच्छे लोग, सेवा भाव वाले लोग राजनीति में आ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री चन्द्रप्पन को इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी और जिस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

एडवोकेट सुरेश कुरुप (कोट्टायम): आदरणीय सभापति महोदया, मैं इस सदन के समक्ष इस प्रकार का गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक लाने के लिए अपने सहयोगी श्री सी.के. चन्द्रप्पन को बधाई देता हूं।

महोदया, हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली पर गर्व है। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि एशिया में बहुत सारे अन्य देशों विशेष रूप से हमारे पड़ोसी देशों, जिन्होंने हमारे साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी, में धीरे-धीरे सैन्य शासन लागू हो गया था, लेकिन हमने बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद स्वयं को लोकतंत्र के रूप में कायम रखा। वास्तव में, जब भी लोकतांत्रिक प्रणाली पर संकट आया तो हमारे देश के अनपढ़ व्यक्तियों ने देश में लोकतंत्र को कायम रखने हेतु पहल की। वास्तव में हमारा देश एकजुट है। विभिन्न धर्मों और भाषाओं के होते हुए भी हमारा देश लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षवाद के कारण एक है। ये दो स्तंभ हैं जो हमारे देश को एकजुट बनाते हैं। अतः हमारे देश के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी बहुमूल्य है कि इसे हर कीमत पर कायम रखा जाना चाहिए।

मुझे लगता है कि अब यह बिल्कुल उचित समय है कि हम अपने लोकतंत्र की कार्यप्रणाली तथा चुनाव कराये जाने के तरीके पर विचार करें। विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों तथा न्यायविदों से बहुत सारे सुझाव आए हैं।

सभापति महोदया: माननीय सदस्यगण, इस विधेयक के लिए आवंटित समय पूरा हो गया है। मेरे पास पांच और सदस्यों की सूची है जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। यदि सदन सहमत है तो चर्चा के लिए समय को एक घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे सुझाव आए हैं कि राज्य चुनावों का वित्तपोषण करें। हमारी प्रणाली के सामने एक बड़ा खतरा धनशक्ति है जिसे हम सभी चुनावों में देखते हैं। चुनाव में प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा है, परन्तु यह एक खुला रहस्य है और हर कोई यह जानता है कि प्रत्येक उम्मीदवार कानून द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च कर रहा है। यह धन कहां से आता है? यह स्पष्ट है कि यह धन विभिन्न माफिया स्रोतों, व्यापारियों और बेईमान लोगों सहित विभिन्न क्षेत्रों से आता है। चुनाव के दौरान ये सभी तत्व प्रकाश में आते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार इन तत्वों से धन लेने के लिए मजबूर है। इसलिए, यह सही समय है कि हम इसे समाप्त करें। मेरा यह मानना है कि राज्य द्वारा उम्मीदवार को चुनाव के लिए धन दिये जाने के सुझाव को गंभीरता से लिया जाए और यह देखने के लिए एक प्रणाली लागू की जानी चाहिए कि सरकार उम्मीदवारों को धन प्रदान करती है। हमारी पार्टी का लम्बे समय से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में कहती रही है। निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

जैसा कि विधेयक में बताया गया है कि कोई भी उम्मीदवार, जो अपने प्रतिद्वंद्वी से कम से कम एक मत अधिक प्राप्त करता/करती है, वह निर्वाचित हो जाता/जाती है। राजस्थान विधान सभा के हाल ही में हुए चुनावों में प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष केवल एक मत के अंतर से चुनाव हार गए। निस्संदेह यह एक त्रुटि है। इसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। मेरा सहयोगी कह रहा था कि 50 प्रतिशत सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व और 50 प्रतिशत सीधे चुनाव के माध्यम से भरी जाएं। मेरे सहयोगी ने यहां बताया कि इस 50 प्रतिशत आनुपातिक प्रतिनिधित्व में लोगों को कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, परन्तु राजनीतिक दल एक ऐसे व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है जिसे मतदाता पसंद न करते हों। अत: इस कमी से पार पाने के लिए राजनीतिक दल सात या आठ या नौ उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित कर सकते हैं तथा यह घोषणा कर सकते हैं कि इनमें से एक विधान सभा या संसद, जो भी मामला हो, के लिए निर्वाचित होगा। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक राजनीतिक दल सात या आठ या नौ उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित करके मतदाताओं से कह सकता है कि इन सभी उम्मीदवारों में से केवल एक उम्मीदवार निर्वाचित होगा। इस प्रक्रिया से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। यह अत्यंत अनिवार्य है कि चुनावों की वर्तमान प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाए। नेपाल जैसे नए लोकतांत्रिक देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक चुनाव करवाये गये हैं। इसलिए, यदि नेपाल जैसा नया लोकतांत्रिक छोटा प्रदेश इसे कर सकता है तो मैं समझता हूं कि हम अपनी चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिए इसे निर्भीकता से अपना सकते हैं।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित है। यह विधेयक इस सदन के समक्ष है। मैं नहीं जानता कि सरकार इसके लिए सर्वसम्मति की बात क्यों करती है। मैंने सदन में कभी भी नहीं देखा है कि विधेयक केवल सर्वसम्मति से पारित होते हैं। यदि सरकार की राजनीतिक इच्छा है तो सरकार विधान लाए और विरोध के बावजूद इसे पारित कराए। इस सदन में हिंदू संहिता विधेयक किस प्रकार पारित किया गया था? हमारे विरोध के बावजूद स्वर्गीय राजीव गांधी ने मुस्लिम विधेयक किस प्रकार प्रस्तुत किया था? इस सदन में बहुत सारे उदाहरण हैं। पोटा किस प्रकार पारित किया गया? विभिन्न क्षेत्रों से सभा के अन्दर और बाहर विरोध के बावजूद तत्कालीन सरकार ने संसद का संयुक्त सत्र बुलाया और चाहे ठीक हो या गलत, इसे पारित कराया। उनका इस विधेयक को प्रस्तुत करने और इसे पारित कराने का राजनीतिक निर्णय था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कम से कम अब तो महिला आरक्षण विधेयक लाने पर विचार करे और इसे पारित कराए तथा महिलाओं को न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिया जाये ...*(व्यवधान)* यदि राजनीतिक इच्छा है तो इसे किया जा सकता है। सच यह है कि सरकार टालमटोल कर रही है और यूपीए का नेतृत्व एक सम्माननीय महिला के हाथों में होने के बावजूद सरकार की राजनीतिक इच्छा नहीं है।

इन सारी बातों के लिए एक चुनाव सुधार आयोग आवश्यक है। इस आयोग को इन सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों, जनता, शिक्षविदों, बुद्धिजीवियों और समाज के अन्य विभिन्न वर्गों का साक्ष्य लेना चाहिए और इस बारे में सिफारिश करनी चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

हमें अपने लोकतंत्र तथा अपनी निर्वाचन प्रणाली की कार्य प्रणाली पर पुन: विचार करना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इन सभी मुद्दों का समाधान किया गया है और मैं अपने माननीय सहयोगी श्री के.सी. चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

***श्री रविचन्द्रपन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): महोदय, प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाने का प्रावधान है। प्रजातांत्रिक सरकार जनता की, जनता द्वारा तथा जनता के लिए होती है। जीवंत प्रजातंत्र के लिए एक सुचारू चुनाव प्रक्रिया की आवश्यकता है। विश्व में सरकार के गठन के कई तरीके ईजाद किये गये हैं। यह पाया गया है कि सरकार का प्रजातांत्रिक रूप जिसमें जनता द्वारा अपनी सरकार बनाने का प्रावधान है, सबसे अच्छी व्यवस्था है। भारत को स्वतंत्रता मिलने पर, जिसे हमने कितने ही बलिदान देकर हासिल किया था। हमने एक सरकार बनाई जो लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप थी। हमें यह उम्मीद थी कि हम एक ऐसी सरकार का चयन करेंगे जो जनता के हित के लिए विधान बनाएगी तथा शासन करेगी। वह उम्मीद अब धीरे-धीरे समाप्त हो गई है और हम अपने आपको एक ऐसी मुश्किल में पा रहे हैं जिसमें लोगों का विश्वास प्रजातंत्र से उठता जा रहा है।

इस निराशा का कारण स्पष्ट है चुनाव के दौरान अपनाए गए भ्रष्ट तरीकों तथा धोखाधड़ी के कारण यह निराशा पैदा हुई है।

हमारी चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कई वर्षों से कई समितियां गठित की जाती रही हैं। चुनाव सुधार सदैव एक मुख्य मुद्दा रहा है। सरकार को कई रिपोर्टें सौंपी गई हैं। उन सभी रिपोर्टों में पाई गई सारी सिफारिशों को अभी भी कार्यरूप में लाना बाकी है। इन सभी को अभी भी लम्बित अवस्था में रखा गया है। 1970 में तारकंडे समिति की रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके बाद गोस्वामी समिति की रिपोर्ट भी आई। फिर चुनाव सुधार पर इन्द्रजीत समिति की रिपोर्ट आई। उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस कठिन समय में हमारे आदरणीय सहयोगी श्री सी.के. चन्द्रप्पन ने चुनाव सुधार के लिए विधि निर्माण हेतु इस सभा में एक विधेयक का प्रस्ताव किया है। मैं ऐसे समय में उनके इस प्रयास का स्वागत करता हूं जब लोगों का विश्वास प्रजातंत्र से उठता जा रहा है। यह एक समायोचित कदम है।

उन्होंने इस विधेयक के पारित होने के एक महीने भीतर ही एक चुनाव सुधार आयोग के गठन करने तथा इसे एक अधिनियम बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने एक वर्ष के भीतर इसे सौंपने के लिए एक समय-सीमा भी दी है। इस समय-सीमांकन की विशिष्टताओं के साथ ही इस कानून की सार्थकता है।

हमारा चुनाव आयोग स्वयं भी बहुत से चुनाव सुधार लाया है। मतदाताओं की मतदान की उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन शुरू की गई है। उम्मीदवारों से अपनी सम्पत्ति के ब्यौरे अनिवार्य रूप से देने के लिए कहा गया है। नामांकन के समय उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यताओं तथा उन पर चल रहे आपराधिक मामलों, यदि कोई हों, के संबंध में जानकारी देनी होगी। फिर भी आज लोगों ने चुनाव प्रणाली में धनबल तथा बाहुबल के कारण इसमें विश्वास खो दिया है। धनबल तथा भाड़े के गुंडों के कारण पैदा किये गये इस आतंक को दबाने के लिए कानून को और शक्तिशाली बनाना जरूरी है।

पहले कदम के रूप में चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार की अवधि अवश्य कम की जानी चाहिए। इस इलैक्ट्रानिक मीडिया के युग में रैलियों को अवश्यक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बड़ी जनसभाओं की अनुमति एकदम नहीं दी जानी चाहिए और हां उम्मीदवारों को मतदाताओं से मिलने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए तथा चुनाव प्रचार के लिए उन्हें नुक्कड़ सभाएं करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। इससे चुनाव खर्च को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।

जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है सरकार को अपना कार्यभार त्याग देना चाहिए। अंतरिम सरकार सभी दलों की होनी चाहिए। जब आम चुनाव की घोषणा हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र अवश्य दे देना चाहिए।

हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में तीसरा सबसे बड़ा चुनावी निकाय त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है। स्थानीय निकाय का चुनाव भी चुनाव आयोग के दायरे में आना चाहिए। पंचायती राज प्रणाली में लोग बिल्कुल निचले स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे निकायों का चुनाव भी अवश्य ही प्रजातांत्रिक तरीके से, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग द्वारा इसका संचालक किया जाए। मध्यावधि उप चुनावों के दौरान चुनाव आयोग कानून व्यवस्था भी अपने हाथ में ले लेता है तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराता है।

हमारे स्व. नेता अन्ना ने कहा था कि लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है जिसे धनबल और बाहुबल से निजात दिलाने की जरूरत है। हमारी चुनाव प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। करोड़ों की संख्या वाले हमारे राष्ट्र को आत्मविश्वास और आशा रखनी चाहिए। अन्ना ने कहा कि लोगों का निर्णय भगवान के निर्णय जैसा है। हमारे लोकतंत्र की आज की नियति में बदलाव लाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में श्री चन्द्रप्पन द्वारा लाया गया यह विधान मददगार सिद्ध होगा। इसलिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। यह जरूरी है क्योंकि हमारा राष्ट्र एक विशाल राष्ट्र है जिसकी महान परंपराएं हैं। इस विधान का सभी को समर्थन करना चाहिए और इसे अवश्य पारित किया जाना चाहिए। हमारा लोकतंत्र दुनिया के महानतम तथा बड़े लोकतंत्रों में से एक है।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

राजतंत्र के दौरान भी हमारे प्राचीन भारत में प्रजातंत्र था। तमिलनाडु में चोल शासनकाल में ग्राम प्रशासन एक चुना हुआ निकाय था और प्रतिनिधियों का चयन ताड़ पत्र के तरीके से होता था। जब शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हुआ था, जैसाकि अब उपलब्ध है, तब भी लोगों को मताधिकार प्राप्त था। जनप्रतिनिधियों के चयन के लिए कुडावोलाई पद्धति प्रचलित थी। हमारे देश में ऐसी प्रजातांत्रिक परंपराएं थी। राष्ट्र समूहों में हमारा देश सबसे अधिक मतदाता संख्या वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी चुनाव प्रक्रिया अवश्य ही स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए और यह अत्यंत जरूरी भी है। अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार के चयन में सार्थक कार्य करके हम अपने लोकतंत्र तथा इसके मूल्यों की रक्षा करें।

एक सार्थक जनप्रतिनिधि सरकार बनाने पर जोर देते हुए मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा लाए गए चुनाव सुधारों संबंधी विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): सभापति महोदया, मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय सहयोगी श्री चन्द्रप्पन सभा के समक्ष जो गैर-सरकारी विधेयक लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। सुधार करना अच्छी बात है। निरंतर बदलाव लाते रहना उत्कृष्टता के लिए किया जाने वाला प्रयास है। इसलिए, प्रारंभ में हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इस देश में एक बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि महात्मा गांधी ने भारतीयों के मूल चरित्र को समझ लिया था। वे शुरू से ही जानते थे हम अनुशासनहीन नस्ल के लोग हैं और हम किसी भी चीज का पालन करना नहीं चाहते हैं। इसलिए महात्मा गांधी का आंदोलन असहयोग पर आधारित था। वे जानते थे कि ब्रिटेन जैसे एक अनुशासित राष्ट्र को इस देश से बाहर करने के लिए हमारी कमजोरियां का कैसे उपयोग किया जाए। इसी प्रक्रिया के कारण, हम भगत सिंह या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता संग्राम में पीछे रह गए जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए हथियार उठाया था। अतः हम सभी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हमारे यहां कोई रक्तपात नहीं हुआ। यहां कोई भयंकर मार-काट नहीं मची। हमें आजादी मुफ्त में मिली और हमें ऐसी आजादी मिली जिसके शायद हम हकदार नहीं हैं। इसके कारण, इस महान सभा में, हम अभी भी राजनीति का उपहास करते हुए अनेक वरिष्ठ सदस्यों को देखते हैं। कुछ देर पहले एक मंत्री सहित कुछ वक्ताओं ने कहा कि हमें राजनीति को विज्ञान या घर अथवा जो कुछ भी हो, से बाहर रखना चाहिए। फिर अनेक संसद सदस्य बार-बार यह कहते हैं कि राजनेता गलत होते हैं और अच्छे लोगों को अवश्य आना चाहिए। मैं उन अत्यंत सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे स्वयं को कम शिक्षित समझते हैं, इस देश के किसी अन्य नागरिक से कम भारत प्रेमी समझते हैं, इस देश के किसी अन्य भारतीय से कम देशभक्त समझते हैं। मैं उनसे वास्तव में, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं। एक मनुष्य के रूप में, जनसमूह के रूप में, राजनेताओं ने अपना विश्वास खो दिया है। हम अपना उपहास स्वयं करते हैं।

महोदया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप एक सक्रिय सदस्य है और आप इस देश को अच्छी तरह देखती है। आप मुझे किसी न्यायालय के शीर्ष स्तर से निचले स्तर के किसी एक न्यायाधीश का नाम बताएं जिसने कार्यकाल के दौरान, न कि कार्यकाल के बाद बल्कि कार्यकाल के दौरान ही न्यायिक प्रणाली की असफलता के लिए आलोचना की है। आप किसी एक पुलिस अधिकारी या मा.प्र.से. अथवा भा.वि.से. के किसी एक अधिकारी का नाम बता दें, जिन्होंने कार्यकाल के दौरान सेवा की आलोचना की है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। आपने उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद और अपनी पेंशन प्राप्त करने के बाद ऐसा करते देखा होगा और वे सदैव प्रसन्न नजर आते हैं। इसलिए, हम एकमात्र ऐसी नस्ल हैं जो अपना उपहास स्वयं उड़ाते हैं। समय आ गया है कि हमने स्वयं यह भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि हम वे लोग नहीं हैं जो मुंबई और अन्य स्थानों पर बैनर लगाकर जोर-जोर से चिल्लाते हैं कि हमें लोकतंत्र से नफरत है हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से नफरत करते हैं। हम वैसे लोग नहीं है।

मैं किसी व्यक्ति के प्रति आग बबूला नहीं हूं। यह देश ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां इसे होना चाहिए और इसे राजनेताओं के साथ शुरू होना है क्योंकि भिज्ञता अथवा अनभिज्ञता से हमने इस देश में सामाजिक नेतृत्व को प्रोत्साहित नहीं किया है। इसलिए, सम्पूर्ण भार राजनीतिक दलों पर आ जाता है। हमें यह समझना होगा कि हमें अपने अंदर आत्म-सम्मान को सृजित करना है।

महोदया, मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक नियम बनाए और कहा कि जिलाधीश संसद सदस्यों के लिए भगवान होंगे तथा उप-जिलाधीश विधायकों के लिए भगवान होंगे और वे इस बात को देखेंगे कि आप चुनाव के दौरान कैसा व्यवहार करते हैं। वे आपको रिपोर्ट कार्ड देंगे और वे सभी शक्तियां उन नौकरशाहों को सौंप देंगे। वे नौकरशाह क्या कर रहे थे? वे हर तरफ सौंदेबाजी कर रहे थे। यदि कोई व्यक्ति विधायक के रूप में निर्वाचित होना चाहता था। तो उप जिलाधीश को खुश रखना होगा, यदि आप लोक सभा के

[श्री तथागत सत्पथी]

लिए निर्वाचित होना चाहते हैं, तो नोडल जिलाधीश को आपसे प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए, बाद में, जब वे सज्जन सेवानिवृत्त हुए, तो गुजरात से चुनाव लड़ने चले गए और वे भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव लड़ना चाहते थे और फिर हमने, इस देश ने यह महसूस किया कि वे सभी सुधार जिसे वे भारत में लागू करने का प्रयास कर रहे थे, मात्र एक स्वांग था। वे सभी बातें निरर्थक थीं क्योंकि वे अपनी कद्दावर छवि बनाना चाहते थे और यह सोचकर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे कि तंत्र को ठीक कर सकते हैं लेकिन उन उद्देश्यों के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी।

अब, हम स्वयं को भयाक्रांत महसूस करते हैं। जब लोग बैनर लेकर सामने आते हैं और कहते हैं कि हम लोकतंत्र से नफरत करते हैं, वो वास्तव में आतंकवादियों या माओवादियों के हाथों में खेल रहे हैं। यही खेल वे खेलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आम आदमी इस देश में कार्यरत लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास खो दे। यह प्रणाली खराब नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं और जो सक्षम नहीं है। इसलिए, निर्वाचन प्रक्रिया में परिवर्तन या सुधार निश्चित रूप से ऐसी बातें हैं जिसे आप सभी को समर्थन देना चाहिए।

यह कहा जाता है कि इस देश में अनेक लोग हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलते हैं। जब मैं यह सुनता हूं तो अक्सर मुझे हंसी आ जाती हैं क्योंकि मैं पाता हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने वाले वही लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं अथवा ऐसे पद पर नहीं है जहां वे भ्रष्ट हो सकते हैं। लेकिन उनको एक मौका दें, उनको एक अवसर दें तो क्या वे भ्रष्ट नहीं होंगे। नि:संदेह वे भ्रष्ट होंगे और वे वैसे लोगों से ज्यादा भ्रष्ट होंगे जिनके खिलाफ वे बोलते हैं। इसलिए यह ईमानदार या बेईमान होने का प्रश्न नहीं है; आपकी स्थिति क्या है, सवाल इसका है।

हम चुनावों में सरकार द्वारा धन दिए जाने की बात कर रहे हैं। सरकार चुनावों का वित्तपोषण कैसे कर सकती है। सरकार किसे वित्तपोषण करेगी? क्या चुनावों में सरकारी वित्तपोषण केवल मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों तक सीमित होगा। यदि ऐसा होता है, तब क्या होगा जब लोग कहेंगे कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। सर्वप्रथम, अच्छा व्यक्ति कौन है? मैं समझता हूं मैं अच्छा हूं; आप समझते हैं कि आप अच्छे हैं। इसलिए अच्छा व्यक्ति कौन है? हर व्यक्ति अच्छा है जब तक कि उसे अवसर प्राप्त न हो। जब अवसर आता है, तभी जांच होती है कि क्या वह वास्तव में अच्छा है या बुरा है। इसलिए यदि आप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तक ही वित्तपोषण करते हैं, तो आप अनेक निर्दलीय तथा तथाकथित "अच्छे लोग" को छोड़ देंगे। इसलिए मेरी राय में, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया का वित्तपोषण गलत है और हमें उस पर विचार तक नहीं करना चाहिए।

लेकिन हम प्रत्याशियों को सीमित नहीं कर सकते। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं अनेक सुझावों में से एक सुझाव यह देना चाहूंगा, जिसे माननीय सदस्य ने दिया है कि वित्तपोषण के स्थान पर हमें यह कहना चाहिए कि हमें जनप्रतिनिधि को सच बोलने के लिए कहना चाहिए। आप यह कैसे करेंगे? पहली झूठी बात हमें यह कहने के लिए कहा जाता है जो हम शपथ के अंतर्गत हस्ताक्षर करते हैं कि हमने इतनी धनराशि चुनाव में खर्च की है। यदि मैं ऐसी स्थिति में हूं और ऐसा निर्णय लेने में सक्षम हूं, तो मैं कहूंगा कि हमें कोई सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें जनप्रतिनिधियों को सच बोलने के लिए बाध्य करना चाहिए। यदि बराक हुसैन ओबामा जैसा कोई गरीब व्यक्ति, जिसकी पत्नी हमारे हैदराबादी हीरे जैसा कोई नकली हीरा पहनती थी, 60 मिलियन डालर व्यक्तिगत रूप से जुटा सकता है और अपने चुनाव के लिए सरकार से कोई धनराशि नहीं ली, तो उन्होंने ऐसा कैसे किया? तरह-तरह की अफवाह है और अमरीका में पत्रिकाओं ने लिखा है कि अपने चुनाव में उन्होंने एक बिलियन डालर से अधिक धनराशि व्यय की है। एक गरीब व्यक्ति द्वारा बिलियन डालर से अधिक व्यय किया जाना यह दर्शाता है कि प्रत्येक देश में लोकतांत्रिक ढांचा निश्चित रूप से खर्चीला होता जा रहा है। अत: प्रश्न यह नहीं है कि व्यक्ति को कितना व्यय करना चाहिए, प्रश्न यह है कि आप हमें सच बताने के लिए बाध्य कर रहे हैं या नहीं। पहले हमें सच बोलना आरंभ करना चाहिए और अन्य लोगों को सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

महोदया, मैं जानता हूं मेरा समय समाप्त होने वाला है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। मतदाता पहचान पत्र बनाने में यह देश सैकड़ों करोड़ रुपये व्यय करता है। उन कार्डों का बहुविध उपयोग किया जाना था। कार्डों का उपयोग अन्य स्थानों पर पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उस कार्ड के साथ अन्य कोई लाभ नहीं दिये गये। शुरू-शुरू में तो वह कार्ड बहुत महत्वपूर्ण रहा। आज, लोग उन कार्डों की चिंता भी नहीं करते। पहले उपाय के रूप में, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सरकार वास्तव में किसी तरह के चुनाव सुधार के बारे में विचार कर रही है तो एक बात जिसे वे उदाहरण के लिए कर सकते हैं, वह यह है कि इन कार्डों को आने वाले चुनावों में, जब भी आपके नेता इस देश में चुनाव कराना चाहते हैं, वैध माना जाए। इसका कारण यह है कि हम अमरीका की तरह नहीं है जहां सब कुछ अनिवार्य है, सब कुछ विनिर्णित होता

है। यह जनसाधारण की इच्छा पर निर्भर करता है। मेरे विचार से इस चुनाव में उस कार्ड को अनिवार्य किया जाना चाहिए। बिना मतदाता कार्ड के मतदाता को मत डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप ऐसा एक चुनाव में करते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। तभी सरकार द्वारा फोटो खींचने तथा उन पहचान पत्रों को तैयार करने में व्यय किये गये सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपये का उपयोग हो पायेगा अन्यथा उन पर किया गया व्यय व्यर्थ जाएगा।

ऐसे ही अनेक मुद्दे हैं; यह तो केवल एक छोटा सा उदाहरण है। आपने मुझे यह अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र ठीक ही कहा गया है, इसलिए नहीं कि लोगों की संख्या अधिक है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के सफल और उत्साहपूर्ण कार्यकरण के लिए। लोकतंत्र और चुनाव कराए जाने का हमें बहुत अच्छा अनुभव है। इसका पूरा श्रेय, चुनाव आयोग को जाता है जिसने छह दशकों में 14 लोक सभा चुनाव, सैकड़ों राज्य चुनाव कराए हैं। लेकिन इसके साथ ही हम महसूस करते हैं कि बेहतर परिणामों के लिए कुछ किया जाना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र और अधिक प्रभावी हो सके तथा लोगों का लोकतंत्र हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका के 2000 फ्लोरिडा स्टैंड का अनुभव है। चुनाव कराने में हमारा चुनाव आयोग बहुत ही कारगर है। साथ ही ऐसे बहुत से बुरे तत्व, प्रभाव तथा बुराइयां हैं तो हमारी निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित कर रही है। हमारे पास ऐसी बहुत सी रिपोर्टें हैं जैसे इन्द्रजीत गुप्ता समिति रिपोर्ट, दिनेश गोस्वामी समिति रिपोर्ट, भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट और संविधान समीक्षा समिति की रिपोर्ट। इन सभी रिपोर्टों में देश की चुनाव प्रक्रिया में सुधार किये जाने की अत्यावश्यकता की तरफ इशारा किया गया है।

इस संदर्भ में, मैं मेरे माननीय मित्र श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा लाए गए इस विधायी प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन इस विधेयक को लाने वाले के सभी प्रस्तावों का मैं पूरी तरह समर्थन नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनावों के वित्तपोषण को ही ले लीजिए। मैं नहीं जानता कि हमारे देश में यह किस प्रकार से व्यवहार्य होगा। इस प्रस्ताव से राजनीतिक दल तो लाभ उठाएंगे लेकिन उस निर्दलीय उम्मीदवार का उदाहरण लीजिए जो चुनाव लड़ रहा है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर चुनावों का वित्तपोषण राज्य द्वारा किया जाता है तो आप निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कैसे कर सकते हैं। इन सब बातों की सावधानीपूर्वक संवीक्षा और जांच किये जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह देखने की भी जरूरत है कि अत्यधिक नियंत्रण करने से कहीं हमारी निर्वाचन प्रक्रिया फीकी न पड़ जाए। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है।

यह लोगों का धर्मनिरपेक्ष समारोह है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अधिक प्रतिबंध और नियंत्रण इसकी गरिमा को कम कर देंगे। हमारी प्रक्रिया का ध्यान से अध्ययन और जांच किये जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, मैं चुनाव सुधार आयोग के गठन के प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह अत्यावश्यक है। जैसाकि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि आयोग को विभिन्न प्रस्तावों का गहराई से अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। जिस पर यह सम्माननीय सभा विचार कर सकती है और तभी हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व में आदर्श लोकतंत्र बन सकेगा।

[हिन्दी]

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी जो विधेयक लाये हैं, उसे मैं सपोर्ट करता हूं। मेरी कांस्टीटुएंसी दमन और दीव यूनियन टैरिटरी है। मेरी कांस्टीटुएंसी में ज्यादातर वर्कर्स बिहार, यू.पी. और उड़ीसा से हैं। लेकिन वहां अभी जो वोटर लिस्ट्स में नाम हैं, उनके बारे में दूसरी पार्टी के लोग अपोज करते हुए बोलते हैं कि यू.पी. बिहार और उड़ीसा के लोगों के नाम इलैक्टोरल रोल में नहीं होने चाहिए। मेरे यहां डाबेल एक ग्राम पंचायत है, वहां चालीस हजार लोगों की बस्ती है और आठ हजार वाइर्स हैं। वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए यदि कोई जाता है तो उसे कहते हैं कि आप अपना प्रूफ लाइये। लेकिन उनके पास जो प्रूफ हैं, उसमें जो लोग फैक्टरियों में काम करते हैं, उनके पास वहां केकाइर्स हैं या जो लोग मकान मालिकों के घर में किराये पर रहते हैं, उनके रेसीडैन्स प्रूफ हैं, पंचायतों के रेसीडैन्स प्रूफ हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं। मेरे क्षेत्र में लगभग साढ़े तीन हजार फैक्टरियां हैं और उनमें ज्यादातर यू.पी., बिहार और उड़ीसा के वर्कर्स काम करते हैं। वोटर लिस्ट में नाम एड करने के लिए फार्म नम्बर-6 भरते हैं, उसके साथ विलेज पंचायत का रेसीडैन्स का प्रूफ या जिसके घर में रहते हैं, उसका रेसीडैंस प्रूफ अथवा जिस फैक्टरी में काम करता है, उसका कार्ड लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम एड नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि इसमें सुधार लायें और इन सब लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करायें क्योंकि ये लोग वहां पांच,

[श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल]

दस, पन्द्रह और बीस सालों से रह रहे हैं। लेकिन उन्हें वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में कहें कि वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम एड करें और उन्हें वोट देने का अधिकार दें।

सभापति महोदया, हमारे यहां जो बड़े लोग हैं, वे ज्यादातर वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन जो वोटिंग करने के लिए जाते हैं, उनमें आम जनता के लोग, जो फैक्टरी आदि में काम करते हैं, वे लोग ही वोट डालने के लिए जाते हैं। लेकिन उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि उनके नाम वहां की वोटर लिस्ट में एड करें।

[अनुवाद]

***श्री पन्नियन रवीन्द्रन** (तिरुवनन्तपुरम): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। चुनावी सुधारों पर चर्चा करने के लिए यह उपयुक्त समय है क्योंकि राजनीतिज्ञों की छवि दागदार हो गई है। हम सभी यह जानते हैं कि इस सभा में कुछ सदस्यों की आपराधिक पृष्ठभूमि है। संदेहास्पद अतीत वाले लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इन्द्रजीत गुप्ता आयोग तथा कई अन्य आयोगों ने समय-समय पर चुनाव सुधारों पर अपनी रिपोर्टें दी है लेकिन इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है।

उम्मीदवार धनबल, राजनीतिक तथा बाहुबल के सहारे चुनाव जीत जाते हैं। हाल के कर्नाटक चुनाव के संबंध में जो समाचार आया है वह बहुत ही आहत करने वाला है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन यह सुविदित है कि इस चुनाव पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। समाचार पत्र की रिपोर्ट यह है कि खान लॉबी ने धन-बल के सहारे जीत हासिल कर ली है। सभापति महोदया, इससे हमारी चुनाव प्रणाली को नए रूप देने तथा कुछ सुझाव देने की आवश्यकता महसूस होती है।

प्रथम, चुनाव का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। वाहन, पोस्टर और अन्य प्रचार मशीनरी राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी भी बाहरी प्रायोजक की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जो उम्मीदवार चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन ही करते हैं उन्हें चुनाव पूर्व ही अयोग्य करार देने के लिए कानून होना चाहिए। हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में कोई भी उम्मीदवार जो अधिक मत पाता है चुनाव जीत जाता है। यह सही प्रतिनिधित्व नहीं है। यहां तक कि कुल मतदान के 30% मत पाने वाले उम्मीदवार भी चुनाव जीत जाते हैं। सभी मान्यताप्राप्त दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों की एक प्राथमिकता सूची प्रकाशित की जानी चाहिए। प्राप्त मतों के आधार पर प्राथमिकता सूची वाले उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि चुनाव पांच सौ चुनाव क्षेत्रों में होता है और किसी दस को मात्र 1% मत मिलते हैं तो उस दल के पांच उम्मीदवारों को उसकी प्राथमिकता सूची से चुना जा सकता है। प्राथमिकता और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की इस प्रक्रिया से धर्म और जाति आधारित मतदान की प्रथा को हतोत्साहित किया जा सकता है। यह तरीका लोगों का वास्तविक जनादेश सुनिश्चित करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा महिलाओं के प्रतिनिधित्व का है। हम सभी इसकी बात करते हैं और हम लम्बे समय से महिला आरक्षण विधेयक के बारे में सुनते आ रहे हैं। हमें महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं कर सकता। हमें अवश्य यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगामी चुनाव में एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हो। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह हमारे बदलते समय की मांग है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की छवि को बचाने तथा उसे बनाए रखने के लिए एक चुनाव सुधार विधेयक आवश्यक है।

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अपराह्न 5.25 बजे

आधे घण्टे की चर्चा

बच्चों में कुपोषण

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब सभा आधे घंटे की चर्चा पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदया, मैंने बच्चों के कुपोषण के बारे में चर्चा की मांग की थी और सरकार ने उसे स्वीकार किया। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

17 अक्तूबर, 2008 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया था, जिससे हमारा समाधान नहीं हुआ था। यह स्वीकार किया गया था कि कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है लेकिन उस समस्या का पूर्ण रूप से हल नहीं निकला है। यह समस्या सिर्फ महिला और समाज कल्याण

मंत्रालय द्वारा इसका मौनीटरिंग किया जाये, इसका पर्याय निकाला जाये या इस का हल निकले, इस विचार का मैं नहीं हूं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और एक मंत्रालय पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। फिर भी इसके बावजूद मंत्रालय जो काम कर रहा है, उसमें कुछ दुरुस्ती होनी चाहिए। मैं इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में सरकार पर किसी प्रकार की टीका करने की बजाय, मैं चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, हर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र होता है और ग्रामीणों में विशेषकर दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसकी अनेक वजह हैं जिसके लिए मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि गर्भवती मातायें हैं, उनके गर्भ में जो बच्चा पलता है या जब पैदा होता है, वह कुपोषित होता है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कुपोषित बच्चे पैदा होने से तीन साल से कम उम्र के 40 प्रतिशत बच्चों का वेट कम होता है। इस वेट कम होने की वजह उनके शरीर में आयरन की कमी है। उन्हें एनीमिया हो जाता है, विटामिन की कमी होती है, ऐसे बच्चे कुपोषित होते हैं और ऐसे बच्चे फिर से पैदा न हों, अच्छे बच्चे पैदा हों, इसके लिए हमें माताओं की रक्तअल्पता का ख्याल करने की जरूरत है और इसके लिए मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है, यह मैं जानना चाहूंगा? आज हमारे देश में कुपोषित बच्चों की जो संख्या है, इसमें बीपीएल के अंतर्गत आने वाले जो गरीब परिवार हैं, 20 करोड़ 17 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी संख्या दिखाई जाती है। मैं आपके माध्यम से यहां कहना चाहूंगा कि हम जो बीपीएल की लिस्ट बनाते हैं, उनमें जिन परिवारों को हम लेते हैं, इस पर भी कहीं न कहीं विचार होना चाहिए। गरीब लोगों के घर में जो बच्चे पलते हैं वे भी कुपोषण का शिकार होते हैं। बीपीएल में जो परिवार आते हैं, अगर 13 रुपया 66 पैसा से कम वह कमाता है तो वह बीपीएल में आता है और अगर वह 14 रुपया कमा लेता है तो वह बीपीएल की लिस्ट से निकल जाता है। यह राष्ट्रीय मानक बहुत गलत है, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि इस महंगाई के जमाने में अगर 14 रुपया कमाने वाला बीपीएल की लिस्ट से निकल जाता है तो इसका भी परिणाम ऐसे परिवारों के बच्चों पर होता है। कुल मिलाकर सरकार को सारे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद की संस्था ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के बच्चे कुपोषण को प्राप्त हैं। इसकी यह वजह है कि उन्हें पोषक आहार नहीं मिलता है और पोषक आहार मिलने के जो अनेक कारण हैं उनमें गरीबी भी है। विटामिन-ए, विटामिन-बी, विटामिन-सी, आयोडीन और आयरन की जो कमी दिखाई देती है, इस वजह से ग्रामीण ही नहीं शहरी बच्चों में भी कुपोषण का जाल फैलता जा रहा है। मैं मंत्री महोदया से कहूंगा कि आपका मंत्रालय जो प्रामाणिक प्रयास कर रहा है वह कम हैं। इसमें हमारे अन्य मंत्रालयों जैसे, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। ग्रामीण मंत्रालय की जिम्मेदारी इसमें इसलिए आती है कि जो बीपीएल की लिस्ट हम बनाते हैं उसमें ग्रामीण मंत्रालय को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसके कुछ मानक बदलें। हमारे महाराष्ट्र में कुपोषण के संदर्भ में एक सम्माननीय डा. अभय भंग के नाम से एक समिति बनायी गई थी। उन्होंने महाराष्ट्र में एक रिपोर्ट बनायी है और उससे एक भयावह तस्वीर सामने आई है। उन्होंने उसमें लिखा था कि अगर हमने कुपोषण पर आज रोक नहीं लगाई तो वर्ष 2020 तक कुपोषण की समस्या अनियंत्रित हो सकती है। कुल मिलाकर कुपोषण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और यह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं माननीया मंत्री महोदया से यह कहना चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य मंत्रालय, आपूर्ति मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय और साथ ही मानव रिसोर्सेज मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों की मदद लेकर इसका हल निकालने का प्रयास आपके मंत्रालय द्वारा होना चाहिए। कुपोषण को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमें उठानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि माताओं में रक्तअल्पता है, खून की कमी है उनके पोषण, अच्छे आहार के लिए आप क्या प्रयास करने जा रही हैं? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को गरीबी के कारण जो पोषक आहार नहीं मिलता है उसके लिए भी आपको अच्छा प्रयास करना चाहिए और आप क्या करने जा रही है यह भी बताइए? मैं आपूर्ति मंत्रालय के माध्यम से, यहां पर मंत्री महोदय तो हैं नहीं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि आपको इसमें खुद यह लिखना चाहिए कि जहां पर पीडीएस की दुकानें होती हैं, हर गांव में दुकानें नहीं है और इसीलिए कई गांवों में गरीब लोगों को सस्ता अनाज नहीं मिलता है। इस कारण से भी कई बार कई परिवारों के बच्चों में भुखमरी होती है। पीडीएस की शॉप हर गांव में पहुंचे क्या इसके लिए आपके मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास हो रहा है? अंत्योदय योजना के अंदर बीपीएल के लोगों को जो 35 किलो अनाज मिलता था उसको अब 20 किलो अनाज दिया जा रहा है, यह भी कुपोषण की एक वजह बनी हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इन सारी बातों के लिए आपने इन मंत्रालयों से मदद लेने का प्रयास किया है? जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है उसमें क्वालिटी के साथ क्या कैलोरीज हैं, उसमें कैलोरीज के बारे में क्या आप मॉनीटरिंग करते हैं?

मैं मंत्री महोदया से आंगनवाड़ियों की संख्या के बारे में भी पूछना चाहूंगा, आंगनवाड़ियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर आंगनवाड़ियां नहीं है और आंगनवाड़ियां हैं भी तो वहां पर बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं हैं। अनेक जगहों पर इमारत न होने की वजह से बच्चों को असुविधा है। कहीं कहीं आंगनवाड़ी है तो वहां बाथरूम भी नहीं है, कहीं इमारत नहीं है।

[श्री हंसराज गं. अहीर]

इन बातों पर भी हमें ख्याल करना पड़ेगा कि हम जितने प्रयास करने जा रहे हैं, उनमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। इन सारी बातों का अवलोकन होना चाहिए, मॉनीटरिंग होनी चाहिए और आने वाले दिनों में कुपोषण समाप्त करने के लिए क्या हम इससे हटकर कुछ और प्रयास करने जा रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने जितने मंत्रालयों के नाम गिनाए, क्या इन सारे मंत्रालयों की मदद लेने की आप पहल करेंगे? अगर करने जा रहे हैं तो उसके संबंध में अपने जवाब में बताएं।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदया, धन्यवाद। मैं मानीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे समेकित बाल विकास परियोजनाओं से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार करें। मैं आंगनवाड़ी सहायकों और कार्यकर्त्ताओं को दिया जाने वाला मानदेय, जो बकाया था, को बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री तथा सरकार को धन्यवाद देता हूं। पिछले कई वर्षों से वे इसके लिए अनुरोध कर रहे हैं और केवल पिछले सप्ताह ही परिपत्र आया है और अब उनको लगभग 1500 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन यह अभी भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है।

यहां प्रश्न यह है कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत उन महिलाओं और बच्चों के 80 प्रतिशत को सम्मिलित किया जाता है जो रक्तअल्पता से ग्रसित हैं, और समेकित बाल विकास परियोजना के द्वारा इन बच्चों को रक्ताल्पता की समस्या से मुक्ति दिलाना है और उन्हें स्वस्थ बनाना है, के लिए केवल समेकित बाल विकास परियोजना केन्द्र खोलना काफी नहीं है। जैसाकि मेरे माननीय सहयोगी ने उल्लेख किया है, कई स्थानों में भवन नहीं हैं। बिना बाथरूम का कोई भवन किसी काम का नहीं है क्योंकि न केवल सहायकों और कार्यकर्त्ताओं को बल्कि बच्चों की भी इसकी जरूरत है। पेयजल की सुविधा सबसे आवश्यक चीज है।

इस देश में 10,50,000 आंगनवाड़ी काम कर रहे हैं और इन सभी आंगनवाड़ियों में काम करने वाले लोग, सहायक और कार्यकर्ता, जो करीब 20 लाख है, को स्वयंसेवक के रूप में समझा जाता है। श्रम संबंधी स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि उनकी सेवाओं को तो नियमित करने की बात छोड़ दीजिए, उन्हें कम से कम भविष्यनिधि और स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के साथ उन्हें ई.आई.आई. सुविधा दी जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि समेकित बाल विकास परियोजना को और सफल बनाने के लिए तथा न्यूनतम मजदूरी देने के लिए क्या इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। स्वैच्छिक सेवा वास्तव में स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि वे पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता हैं। सुबह से अपराह्न 3.30 बजे तक वे काम कर रहे हैं। एक स्वैच्छिक कार्य केवल एक से दो घंटे का होता है।

जिन राज्यों में उन्हें राज्य सरकारों द्वारा धन दिया जा रहा है वहां उनसे और कई काम भी कराए जा रहे हैं। केवल गोवा जैसे राज्यों में ही सहायकों को लगभग 5000 रुपये दिये जाते हैं लेकिन बिहार जैसे राज्य में राज्य सरकार द्वारा एक पैसा भी नहीं दिया जाता और केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, आंगनवाड़ी सेविकाओं और कार्यकर्त्ताओं को सिर्फ उतना ही दिया जाता है। यदि आंगनवाड़ी सेविकाएं और कार्यकर्ता स्वयं रक्तअल्पता के शिकार हो जाते हैं तो वे बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदया: कृपया माननीय मंत्री से सवाल पूछिए।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: जी, महोदया। इसलिए मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं कि क्या इन सेविकाओं तथा कार्यकर्ताओं को दिये जा रहे मानदेय में सुधार करने, बढ़ाने, बाथरूम बनाने और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दी जा रही सुविधाओं के साथ-साथ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की कोई संभावना है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): महोदया, सर्वप्रथम मैं इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने पर दोनों माननीय सदस्यों श्री हंसराज गं. अहीर जी और श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

[हिन्दी]

मैं बहुत खुश हूं कि किसी ने सोचा कि इस बुनियादी मुद्दे को सदन में पेश करें ताकि सारे देश और दुनिया की नजर इस पर जाए। यह वाकई हमारे लिए शर्म की बात है कि देश में इतनी तरक्की होने के बाद भी आज हमारे यहां बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। कुपोषण की शुरुआत रातों-रात नहीं होती है। आपने सही कहा है कि एक मां, जो खुद कुपोषण की शिकार है, उसकी कोख में पलते हुए बच्चों को भी कुपोषण की शिकायत हो जाती है। इसे देखते हुए देश के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने और यूपीए चेयरपरसन के सुझाव से हमने एक खास मंत्रालय इन्हीं मुद्दों की देख-रेख करने के लिए बनाया है। पिछले तीन साल से यह मंत्रालय काम कर रहा है और

[अनुवाद]

आप इसकी सराहना करेंगे कि हमने अनुपूरक पोषाहार की धनराशि वास्तव में दोगुना कर दी है। हमने इसे दोगुना कर दिया है ताकि सभी लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें। हमने पोषाहार के लिए धनराशि में वृद्धि की है और

[हिन्दी]

इसीलिए हमने कहा है कि इसमें बीपीएल का कोई फर्क नहीं है। जितने बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, सभी को एक नजर से देखा जाता है और

[अनुवाद]

वे सभी लाभार्थी है और पात्र हैं।

[हिन्दी]

बीपीएल की सीमा हम पर लागू नहीं होती है। जो बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, उन सभी को हम पौष्टिक आहार देने का प्रयास करते हैं।

[अनुवाद]

हमने अभिसरण के लिए भी कहा है। माननीय सदस्य श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी की यह बात बिल्कुल सही है कि हमें अवसंरचना का निर्माण करना होगा। प्रथम, हमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे 90 प्रतिशत जलजनित रोगों के कारण बीमार पड़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप, संक्रमणों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता घटती है और उन्हें अतिसार हो जाता है। हमारे लगभग 11 प्रतिशत बच्चे अतिसार रोग के कारण 5 वर्ष की आयु से पूर्व मर जाते हैं। हमने ओरल रिहाइड्रेशन की शुरुआत की है जो पर्याप्त नहीं है परंतु यह कामचलाऊ व्यवस्था है। स्थायी व्यवस्था अनिवार्य है। अत:, हम अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण कर रहे हैं जहां हमने पंचायती राज से भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है जहां हम आंगनवाड़ियों का निर्माण कर सकें। मैं अन्य मंत्रालयों से भी अपने साथ जुड़ने का अनुरोध करती रही हूं ताकि हम इन आंगनवाड़ियों का निर्माण कर सकें।

अब, आंगनवाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। कोई भी आगे आकर आंगनवाड़ी की मांग कर सकता है ताकि हम इसकी स्थापना कर सकें।

[हिन्दी]

उसमें कोई पोपुलेशन नार्मस नहीं हैं। एक जमाने में हम लोग जरूर कहते थे कि जब तक इतने लोग नहीं आएंगे, तब तक हम आंगनवाड़ी नहीं खोलेंगे। जहां हमें जरूरत महसूस होती है, वहां हम आंगनवाड़ी जरूर चलाते हैं। आंगनवाड़ी टीचर्स और हैल्पर्स के लिए हमने ओनोरेरियम बढ़ा कर पहली अप्रैल, 2008 से बैकलॉग से एरियर देते हुए, सारे देश के आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स को दे रहे हैं। मैं मानती हूं कि गांव के लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं।

[अनुवाद]

क्योंकि वे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वे विकास के सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

[हिन्दी]

हम गर्भवती महिला की बच्चे पैदा होने तक और छह महीने बाद तक इनकी देखभाल करते हैं। हम फ्री खाना देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, चिकित्सा करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन सिखाते हैं। इसलिए मैं हाउस की स्पोर्ट चाहती हूं कि यह औरत जो इतना काम कर रही है, कुछ सहूलियत तो दें, ताकि एक बिल्टअप आंगनबाड़ी हो

[अनुवाद]

ताकि वे वास्तव में कुछ पका सकें और कुछ सकारात्मक कार्य कर सकें और बच्चों की देखभाल कर सकें।

[हिन्दी]

कुपोषण को समझने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि

[अनुवाद]

कुपोषण से राष्ट्र की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है।

[हिन्दी]

यह सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ महिला या बच्चों की बात है, इसलिए हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चे की देखभाल सिर्फ एक औरत ही करेगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका हमारे देश की तरक्की पर असर पड़ता है। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा हम बच्चों को

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

जो शिक्षा देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, उससे इनके सीखने के तरीके पर भी असर पड़ता है। जैसे आज के दिन मध्य प्रदेश में बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हो रही है।

[अनुवाद]

कुपोषण के कारण हमारे देश में काफी संख्या में मृत्यु होती हैं।

[हिन्दी]

हां, यह अलग परम्परा है कि हम संसद में हमेशा कहते हैं कि

[अनुवाद]

कुपोषण के कारण कोई मृत्यु नहीं होती है।

[हिन्दी]

क्योंकि कुपोषण से कौन मरता है, इसका हमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन यह सच है कि कुपोषण की वजह से शरीर कमजोर बन कर हम दूसरी बीमारियों का शिकार बनते हैं। और उससे हम मर जाते हैं। यह सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बच्चे तो नाजुक होते हैं। वे लोग छोटी उम्र के हैं, उन पर जल्दी असर नजर आता है, मगर बड़ों पर भी इसका बहुत असर पड़ता है।

मैडम, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर इस पार्लियामेंट के बाहर मैं आपका परीक्षण कराऊंगी तो आप में से 50 परसैंट से ज्यादा लोग इस हाउस में भी कुपोषण के शिकार होंगे। *...(व्यवधान)* अगर आप देखने में तन्दुरुस्त लग रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप तन्दुरुस्त हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): आप जांच करवाइए।

श्रीमती रेनुका चौधरी: मैं जांच करवा दूंगी। हम आपकी भी देखभाल करते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: एनेक्सी में यह प्रोविजन है, आप जांच करवाइए।

श्रीमती रेनुका चौधरी: इसके बड़े मल्टी-फैसेटिड प्रोब्लम्स होते हैं और इसमें लो-प्रोडक्टिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से देश की कमाई कम हो जाएगी। फिर वे लो-इनकम और पावर्टी के शिकार हो जाते हैं।

[अनुवाद]

यह अति गंभीर स्थिति है।

[हिन्दी]

हमें अपनी ह्यूमन केपिटल को इरोड नहीं करना चाहिए। हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी गोल्स) पर दस्तखत किया है। हमारा इरादा है

[अनुवाद]

कि हम मां के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे और इसे घटाकर 1990 से 2015 के बीच एक तिहाई तक करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

मेटरनल मोरटेलिटी रेट हमें कम करनी चाहिए। इसकी कोशिश में हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीस और ये सब सिखाते रहते हैं। हमारे आंगनवाड़ी में जो औरत आती है, उसे हम समझाते रहते हैं। मगर एक बात है कि हम सारा पैसा केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों तक पहुंचा देते हैं, पार्लियामेंट में हम जवाब देते हैं, मगर राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी पहचानने में और उठाने में कई बार पीछे रह जाती हैं।

[अनुवाद]

यह अति दुर्भाग्यपूर्ण हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: इसके लिए मानीटरिंग कमेटी बनाइए।

श्रीमती रेनुका चौधरी: हमारी कई मानीटरिंग स्कीम्स हैं। मगर जब तक वे जवाब नहीं देंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

[अनुवाद]

इस समस्या को तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्यों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है।

सभापति महोदय: आप उपयोगिता प्रमाण-पत्र और उसमें लाभार्थियों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनुका चौधरी: वह तो आप भी जानती हैं, उसे मुझे हाउस में कहना भी नहीं चाहिए। हमने

[अनुवाद]

कोस्ट शेयरिंग

[हिन्दी]

मैथड्स रखे हैं,

[अनुवाद]

वर्ष 2009-2010 के वित्तीय वर्ष से केन्द्र और राज्यों के बीच

[हिन्दी]

90 परसेंट हम दे रहे हैं, दस परसैंट सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के लिए हम नार्थ-ईस्ट से पूछ रहे हैं ताकि उनकी अपनी एक ऑनरशिप ऑफ द स्कीम होगी और वे जवाबदेह होंगे।

[अनुवाद]

शेष राज्यों में हमने अनुपूरक पोषाहार के लिए 50-50 और पूर्वोत्तर के अलावा सभी राज्यों को 90-10 के लिए कहा है।

[हिन्दी]

इनके लिए हम कह रहे हैं और आज के दिन हमने जो एसएनपी बढ़ा दिए हैं, इसकी वजह से,

[अनुवाद]

हमें बच्चों को पोषक देने योग्य होना चाहिए।

[हिन्दी]

मैडम, मेरी एक राय है कि जो भी खाना खिलाते हैं, उसमें हमें फोर्टीफिकेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार गांवों में फ्लोराइड पानी होता है और अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर बच्चों तक नहीं पहुंचता है तो फ्लोराइड शरीर से जो भी न्यूट्रीशन है, उसे खींच लेता है, उसकी वजह से हड्डियां एवं दांत नरम हो जाते हैं और बच्चों के टेढ़े पांव एवं टेढ़ा शरीर आपको नजर आता है, आप जब अपने-अपने क्षेत्र में फ्लोराइड एरियाज में जाकर देखते हैं। ऐसी कई समस्याएं आती हैं। हमारे पास ग्यारह स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जिनमें हमारी हाई डैंसिटी मैल-न्यूट्रीशन चल रही है। इन स्टेट्स में अगर हम तुरंत इसका कुछ इमीडिएट रिएक्शन नहीं करेंगे तो बहुत बुरा होगा। इसलिए हमने आज के दिन देश भर में

[अनुवाद]

सूचना को माना है। हम प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ कर रहे हैं। हम आईसीडीएस योजना के प्रशिक्षण संघटक के लागत संबंधी मानदंडों को संशोधित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

हम रिवार्ड्स इंसेंटिव्स और एवार्ड्स दे रहे हैं, जहां आईसीडीएस फंक्शनरीस अच्छा काम करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के लिए इंसेंटीवाईस करने की सोच रहे हैं।

[अनुवाद]

खाद्य और पोषाहार बोर्डों को सुदृढ़ बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि अगर आप आज के दिन चाहते हैं कि कुपोषण को हटाएं तो पौष्टिक आहार का रंग, रूप एवं तरीका आप लोग नहीं जानते। यह इन्फोरेशन और जानकारी कहीं भी नहीं मिलती है।

[अनुवाद]

हमारे लिये खाद्य और पोषाहार बोर्डों को सुदृढ़ बनाना महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

डिस्ट्रिक्ट एवं स्टेट लेवल तक हमारे पास इन्फोरमेशन रहे

[अनुवाद]

कि हमें यह सूचना प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

हर स्टेट के लिए हमें सोच-समझ कर इलाज करना चाहिए, क्योंकि देश भर में हर स्टेट की समस्या एक नहीं होती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया, उदाहरण के लिए, यदि आप पूर्वोत्तर को लें तो आप देखते हैं कि वहां पर थायराइड और घेघा बहुत अधिक है।

[हिन्दी]

और वहां के लोग अनजाने में वही सब्जी खाते हैं।

[अनुवाद]

जिनके कारण घेघा रोग होता है।

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

[हिन्दी]

ग्वाइटरजनस फूड खाते हैं। लोकल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है लोकल लोग समझते हैं कि लोकल टेस्ट का खाना खाएंगे, तो वहां हम मार खाएंगे क्योंकि लोगों को जानकारी कम है। कई बार बदलती कृषि प्रणालियों के कारण हमारी खान-पान की आदतों में भी बदलाव हुआ है।

[अनुवाद]

उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में कुछ खास गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी की अतिरोचक घटना हुई। पूर्व जोन कभी फ्लोराइड नहीं लिया परंतु बच्चों में फ्लोराइड रोग का प्रभाव देखा गया।

[हिन्दी]

बहुत सारी इन्वैस्टीगेशन करने पर मुझे पता चला कि जब ग्रांड फादर इमली से खाना बनाते थे यानी इमली को निचोड़ कर उसके पानी से वे अपना खाना, साम्बर रसम आदि बनाते थे और उसकी वजह से जो फ्लोराईड होता था वह शरीर से निकल जाता था, लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चरल पैटर्न बदला और किसानों ने वहां हाईब्रीड टमाटर उगाने शुरू किये, तो वहां औरतों ने इमली को छोड़कर खटाई के लिए टमाटरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। टमाटर के इस्तेमाल की वजह से फ्लोराइड शरीर से बाहर नहीं गया। उनकी लाइकोपिन बढ़ती गई, जो उनके लिए अच्छी थी। मगर शरीर से फ्लोराइड बाहर नहीं निकला और वे बच्चे फ्लोराइड के शिकार बन गए।

[अनुवाद]

पोषण और कुपोषण, अल्प-पोषण और अतिपोषण दोनों ही अति जटिल विषय हैं और इसकी बारीकी से विस्तृत जांच किये जाने की आवश्यकता है और हमें प्रत्येक राज्य के लिए विशेष समाधान लाने हेतु सक्षम होना चाहिए ताकि हम स्थानीय विद्यमान स्थितियों पर दृष्टिपात कर सकें कि इन क्षेत्रों में क्या-क्या होता है और हम इसकी वहां उपलब्ध संसाधनों से रोकथाम कैसे कर सकते हैं। खाद्य के पौष्टिकरण पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यह मिथ्या विश्वास है। जो लोग कहते हैं कि फोर्टीफिकेशन करने से वह शरीर पर लागू नहीं होता, यह गलत बात है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दर्शाता है कि नहीं होता, यह गलत बात है।

[अनुवाद]

हमारे मूल निवासियों की बुद्धिमत्ता जो दिखाती है कि सूक्ष्म पोषाहार ने इष्टतम स्तर में पौष्टिकरण में सदैव व्यक्तियों की सहायता की है। हम सबकी तरह विटामिन लीजिए।

[हिन्दी]

दूध में मिलाने पर पीने के लिए ड्रिंक्स का नाम लेकर लोग इतने बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट्स छापते रहते हैं और लोगों से पैसे वसूल करते हैं। जब हम अपने लिए लेते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते कि देश के गरीब लोगों के बच्चों का कुपोषण समाप्त करने के लिए मायक्रो न्यूट्रीशन फोर्टीफिकेशन बहुत जरूरी है।

महोदया, इसके साथ-साथ हम नए गोल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हैल्थ स्टेंडर्ड्स को अपने आप पर लागू कर रहे हैं। इसकी वजह से हम अपने बच्चो के पौष्टिक आहार और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम ठीक तरह से अंदाज लगाकर मॉनीटर कर सकते हैं, जो बहुत रीयलिस्टिक है।

[अनुवाद]

कुपोषण के वार्षिक प्रतिशत को घटाकर 40 प्रतिशत करना, अत्यधिक कुपोषण के 15.8 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत में वृद्धि अब चुनौती है कि पूरे देश में कुल कुपोषण के प्रतिशत को घटाया जाए।

[हिन्दी]

महोदया, दोनों माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी और वैल्यूएबल सलाह हमें दी है। इसकी वजह से हम देश भर में एक मास न्यूट्रीशसन अवेयरनैस कार्यक्रम लागू कर रहे हैं।

[अनुवाद]

पोषण संबंधी सूचना देना महत्वपूर्ण है॥

[हिन्दी]

पहले अपने देश में कई माताएं अपने बच्चों को आदतन स्तनपान कराती थीं, लेकिन आज के दिन हमें मांओं को सिखाना पड़ता है कि बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए। बच्चे के पैदा होने के एक घंटे के अंदर-अंदर उसे स्तनपान कराना चाहिए, ताकि

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर घटाई जा जा सके।

[हिन्दी]

बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए उन्हें स्तनपान कराने की बहुत जरूरत है।

[अनुवाद]

बदलती कार्य पद्धतियां बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को अपर्याप्त छुट्टियां

[हिन्दी]

ये सब देखते हुए, बच्चों पर असर पड़ता है।

[अनुवाद]

वे कुपोषण के शिकार होते हैं। फलों, सब्जियों और पोषाहार का घर पर परीक्षण।

[हिन्दी]

बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम अपने घरों में रैफ्रिजरेटर रख कर भी, अगर कुपोषण का शिकार बन सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कि आम जनता को, जहां गांवों में कई बार फ्रैश तरकारी भी नहीं मिलती है, कई ट्राइबल एरियाज में जहां लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, उनकी क्या हालत होगी। हम इस समस्या को हल कैसे करें। यह सोचते हुए, हमने कई इनीशिएटिव्स लिये हैं। दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ काम करते हुए,

[अनुवाद]

आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमैंट्स

[हिन्दी]

हम आई.सी.डी.एस. आंगनवाड़ियों के माध्यम से फ्री चिकित्सा हेतु देते हैं।

[अनुवाद]

छह महीने से पांच वर्ष के बच्चों को विटामिन ए सप्लीमेंटस में है।

[हिन्दी]

हम लागू कर रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता रोग नियंत्रण कार्यक्रम

[हिन्दी]

जो देश भर में लागू है, इसके लिए आपको याद होगा कि कई बार हमने कहा कि नमक का फोर्टीफिकेशन आयोडीन के साथ होना चाहिए। आयोडाइज्ड साल्ट हमें सब को देना चाहिए, क्योंकि आज कोई ऐसी राज्य सरकार नहीं है, जिनके इलाके में कुपोषण नहीं।

[अनुवाद]

अत:, हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और नये समय के साथ चलना होगा और हम नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपना पाएंगे।

[हिन्दी]

भारत देश चांद पर पहुंच सकता है, पर देश में कुपोषण नहीं हटा सकता है, यह चलने वाली बात नहीं है।

[अनुवाद]

इसका कारण केवल यह है कि हमने अपने आप इन मुद्दों पर विचार नहीं किया है और हमारे पास भूख और छिपी हुई भूख को मिटाने के लिए योजना होना चहिए।

[हिन्दी]

यह जो गुप्त भूख हमारे लोगों में है,

[अनुवाद]

यह सूक्ष्म पोषाहार अल्पता है।

[हिन्दी]

लोग सोचते हैं कि चावल दो, अनाज दो तो यह बहुत हो गया। चावल पकाकर दो और पतली सी दाल बच्चों के मुंह पर फेंक दो, यह बहुत खाना हो गया। यह नहीं है। इसमें माइक्रो

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

न्यूट्रिशन की डैफीसिएंसी होती हैं और इस माइक्रो न्यूट्रिशन डैफीशिएंसीज को देने के लिए

[अनुवाद]

हमें खाद्य की पौष्टिकता पर विचार करना होगा।

[हिन्दी]

जिसकी वजह से हम बच्चों को दे सकते हैं।

[अनुवाद]

मंत्रालय के बीच नीति निदेश, समीक्षा और

[हिन्दी]

हां, प्रधानमंत्री जी ने इन सब समस्याओं को देखते हुए कई इनीशिएटिव्ज लिए हैं। जैसे

[अनुवाद]

प्रभावी समन्वय हेतु भारतीय राष्ट्रीय पोषाहार चुनौती परिषद की स्थापना।

[हिन्दी]

ताकि हम देश में कुपोषण के चैलेंज को उठा सकें।

[अनुवाद]

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

[हिन्दी]

जो तीन प्रोग्राम लागू कर रहा है।

[अनुवाद]

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना

[हिन्दी]

ये तीनों देश भर में आज के दिन लागू हैं

[अनुवाद]

कृषि और सहकारिता विभाग के दो कार्यक्रम हैं-खाद्य उत्पादन और बागवानी क्षेत्र में वृद्धि करें।

[हिन्दी]

जहां चेंजिंग एग्रीकल्चरल पैटर्न में

[अनुवाद]

हमें स्थानीय नागरिक को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने चाहिए जो उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और खाद्यान्नों की उच्च पैदावार दे पाएं जिससे बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ की आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो क्योंकि उनकी खानपान की अलग-अलग आदतें हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो योजनाएं हैं-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और स्वजलधारा।

[हिन्दी]

जिसकी वजह से लोगों की आमदनी बढ़े, वे कमा सकें और बच्चों के लिए और परिवार के लिए वे पौष्टिक आहार खरीद सकें। यह सब देखते हुए

[अनुवाद]

कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए

[हिन्दी]

हमें अलग-अलग स्ट्रेटेजीज लागू करनी पड़ती है। बहुपक्षीय जो सैण्टर और स्टेट लेविल पर अगर हम कर सकते हैं तो फिर हमारे कुछ तरीके होंगे।

[अनुवाद]

ग्यारहवीं योजना में पोषाहार में निवेश

[हिन्दी]

हमने बहुत बजट बढ़ा दिया है।

[अनुवाद]

कुपोषण का लक्ष्य बनाकर

[हिन्दी]

हमारा एस.एम.पी. रेट बढ़ गया है।

[अनुवाद]

अति कुपोषित के लिए कैलोरिफिक नार्म्स और फीडिंग नार्म्स।

[हिन्दी]

हम रिवाइज करके लागू करने वाले हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रित-लक्षित आधार पर।

[हिन्दी]

मैं सोचती हूं कि इस हाउस में जितने मेरे ऑनरेबिल कुलीग्स हैं, अगर हम सब अपने-अपने क्षेत्र में, इलाकों में इस मुद्दे को उठा सकते हैं, इस पर हम फोकस लगा सकते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि जब आप लोग कुछ कहते हैं तो लोग सुनते हैं। जनता पर उसका असर पड़ता है और लोग समझते हैं कि इसमें कुछ होगा, इसीलिए तो ये सुना रहे हैं।

[अनुवाद]

सांसदों का पक्ष समर्थन और संवेदीकरण।

[हिन्दी]

और बाल विवाह जैसी प्रैक्टिसेज हैं। इसका हम इसीलिए खंडन नहीं करते हैं कि बच्ची सिर्फ छोटी उम्र की है, लेकिन वह सबसे बड़ी बात है। मगर यह भी बात है कि छोटी लड़की छोटी उम्र में शादी करेगी तो उसी उम्र में वह मां भी बन जाती है और वह खुद जब बालिका है तो वह मां कैसे बन सकती है और मजबूरी में बनेगी भी तो

[अनुवाद]

मेरे विचार से आपको यह बात समझ में आनी चाहिए।

[हिन्दी]

तो मैं सोचती हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें सरकार की कोई सीमा नहीं है। यह इंसानियत के नाते हमें करना चाहिए कि हम अपने इलाकों में कुपोषण हमेशा के लिए हटा दें।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बहत अधिक है क्योंकि वह मां बनने के लिए तैयार नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से वह तैयार नहीं है।

[हिन्दी]

जो हम बहुत बड़ा मल्टी मीडिया कैम्पेन लेना चाहिए और सब को हर मौके पर बोलना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं सोचते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके साथ-साथ जो मेन प्लेयर्स इसमें हैं,

[अनुवाद

हम पोषण जागरूकता का माहौल उत्पन्न करते हैं। इसके लिए हम किशोरी शक्ति योजना नाम से एक कार्यक्रम भी चलाते थे।

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

ताकि जवान लड़कियों को हम समझायें।

[अनुवाद]

विद्यालय फीडिंग कार्यक्रम, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी स्वच्छता, सार्वजनिक और पारिवारिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों को सुदृढ़ बनाना-हमने इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विभिन्न स्तरों पर अभिसरण किया है।

[हिन्दी]

अब कुछ भयंकर स्टैस्टिक्स मैं आपको सुनाऊंगी, जिसे सुनकर हम सबको चौंक उठना चाहिए।

[अनुवाद]

विश्व में हर पांचवां बच्चा भारत में रहता है।

[हिन्दी]

यह हमारी बड़ी पापुलेशन की वजह से है।

[अनुवाद]

विश्व में हर तीसरा अल्पपोषित बच्चा भारत में रहता है। 22 प्रतिशत शिशुओं का जन्म के समय कम वजन होता है।

[हिन्दी]

यह वास्तविकता है।

[अनुवाद]

तीन वर्ष तक के 40.4 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है और 15.8 प्रतिशत बच्चे अति कुपोषित हैं। पांच वर्ष तक के

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

42.5 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है और इनमें से 15.8 प्रतिशत बच्चे अति कुपोषित हैं।

[हिन्दी]

जब इन संख्याओं को हम देखते हैं,

[अनुवाद]

जीवित जन्में 1000 में से 57 बच्चे अपने जीवन का पहला वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अत: मां और बच्चे दोनों की रक्षा करने के लिए बच्चे को स्तनपान कराना अति महत्वपूर्ण हैं और हमें शिशु और मां की मृत्यु दर को घटाने में सक्षम होना होगा। 79.9 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है। इस पर मैं यह भी कह सकती हूं कि इस संसद भवन में आप सब पायेंगे कि 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों में खून की कमी है।

[हिन्दी]

अहीर जी ने यह भी बात उठायी कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में बाथरूम्स होने चाहिए। यह वास्तविकता है। इस मुद्दे को हाउस में उठाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम सोचते ही नहीं कि उनकी सहूलियत के लिए एक शौचालय दें। जब तक इर्दगिर्द में सफाई नहीं होगी, तब तक बच्चे बीमारियों के शिकार बनेंगे। क्योंकि, वे छोटी उम्र के हैं और कुपोषण के शिकार है, इसलिए उनकी इम्युनिटी कम होती है।

[अनुवाद]

वे बीमार होते हैं और बदले में यह होता है कि उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती है।

[हिन्दी]

वे बार-बार बीमार हो जाते हैं, उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है, इसकी वजह से दूसरी बीमारियां उनको हो जाती हैं। इसका असर उन पर पड़ता है और वे उसे एक साल की उम्र तक भी पूरा नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

जब आप इस सब पर नजर डालते हैं तो आप मानेंगे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पूरे देश में कुपोषण को समाप्त करने, घटाने के लिए लक्षित कार्यक्रम चलाया है, हमने विभिन्न रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणालियां स्थापित की है और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। अब हमने सारी बस्तियों को सम्मिलित करने के लिए आंगनवाड़ियों की संख्या में वृद्धि की है। 'नो व्हेयर चिल्ड्रन' पर विचार करने के लिए हमें भी सहायता की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

जो स्कूल भी नहीं जाते, काम पर भी नहीं जाते, घर पर रह जाते हैं कि जानवर को चारा देना है, मां-बाप के नौकरी से वापस आने तक खाना पकाकर रखना है, उन बच्चों को तो कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं होती है।

[अनुवाद]

हमें पोषण सुरक्षा दायरे को सम्मिलित करने में सक्षम होना चाहिए। इन बच्चों को भी इस दायरे में लाया जाना चाहिए। निर्माण के लिए सभी निधि आवंटित नहीं की जाती है परंतु प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मैंने एमपीलैड्स कमेटी से भी इजाजत ली कि एमपी के एमपीलैड फंड से हम आंगनवाड़ी बना सकते हैं॥

[अनुवाद]

हमने पंचायती राज मंत्रालय को पत्र लिखा है कि उसे पंचायती राज से हमें भूमि आवंटित करनी चाहिए और आंगनवाड़ियों का निर्माण करने में सहायता करनी चाहिए।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी चलाने का काम हमारा है, उसे हमारे हाथों पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें राजनीतिक तौर से कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, यहां काम होता है।

[अनुवाद]

यह भारत का सबसे अधिक गैर-राजनैतिक एवं सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष नेटवर्क है।

[हिन्दी]

हर आंगनवाड़ी में हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। यहां माताएं और बच्चे आकर एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं।

[अनुवाद]

इसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसे उस स्थिति में छोड़ देना चाहिए।

श्री सुधाकर रेड्डी जी ने आंगनवाड़ियों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक की सिफारिश की है। यह बहुत अच्छा होगा लेकिन इस समय यह संभव नहीं होगा। हम श्रम संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें, यदि उनसे किसी भी प्रकार से आंगनवाड़ी शिक्षकों की सहायता होती है, तत्काल जांच करेंगे। हम उसके लिए तैयार है।

कुछ राज्य कुछ मानदेय दे रहे हैं, जो अलग से मिलता है। लेकिन मैंने सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी टीचर्स पर आंगनवाड़ी काम के अलावा जो दूसरे काम थोप देते हैं, तो उसके लिए

[अनुवाद]

उन्हें अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्हें आंगनवाड़ी टीचरों का शोषण नहीं करना चाहिए क्योंकि वे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आंगनवाड़ी शिक्षकों के बिना आजकल हम आगे नहीं बढ़ सकते; इसलिए उनको मान्यता दी जानी चाहिए, उनका समुचित सम्मान किया जाना चाहिए और उनको जो देय है वह उनको दिया जाना चाहिए; और हम सभी को उनका समर्थन करना चाहिए। राज्यों पर उनके मानदेय के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।

सभापति महोदया: आप उन्हें स्थायी रोजगार अवश्य प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनुका चौधरी: अगर हाउस की सिफारिश मिल जाएगी तो

[अनुवाद]

हम वह क्यों नहीं कर पाएंगे?

मलेरिया से शरीर में खून की कमी हो जाती है। परिणामत: मलेरिया के रोगी में खून की कमी हो जाती है। प्रत्येक मंत्रालय के कार्यों से हमें अवगत होना चाहिए। लगभग 14 मंत्रालय हमारे संपर्क में हैं और इन 14 मंत्रालयों को महिलाओं और बच्चों की जरूरतों के प्रति जागरुक बनाया जाना चाहिए। यह मेरा राष्ट्रीय मिशन है जिससे हम कुपोषण को कम कर पाएंगे और किसी दिन इसका उन्मूलन कर सकेंगे क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि वर्ष 2015 तक भारत विश्व की सबसे युवा सृजनात्मक जनसंख्या का मेजबान देश बन जाएगा। इसलिए, हम न केवल लोगों बल्कि बुद्धिमत्ता का योगदान कर रहे होंगे, हम विश्व में सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रहे होंगे। इसलिए, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दें, उन्हें आज अच्छा पोषण दें क्योंकि कुपोषण से बचने के लिए 33 प्रतिशत अधिक धनराशि की आवश्यकता है। अपने बच्चों के पोषण के लिए खर्च करना हमारे लिए सस्ता है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि इस सरकार ने इन बातों पर ध्यान देते हुए अनुपूरक पोषाहार घटक में पहले से अधिक वृद्धि की है। मैं आशा करता हूं कि इस सभा के सहयोग से हम एक दिन देश में कुपोषण में अत्यधिक कमी ला पाएंगे।

सभापति महोदया: माननीय मंत्री जी इस विषय पर अधिक ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए आपका धन्यवाद।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया: अहीर जी, माननीय मंत्रीजी ने बहुत अच्छी तरह बताया है। मैंने तो उन्हें थैंक्स कहा है।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर: मैं जानना चाहता हूं कि जो गांव पीने के पानी में फ्लोराइड के प्रमाण से ग्रसित हैं, मैडम ने उल्लेख किया है इसलिए मैं कह रहा हूं, फ्लोराइड वाला गांव आर्डिंटीफाइएबल होता है। क्या आप उन गांवों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाना चाहती हैं?

इसके अलावा मैं एक अन्य प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने मलेरिया के बारे में कहा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपको मंत्री जी बताएंगे।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर: सभापति महोदया, मैंने इससे पहले भी कहा था कि मैं अकेले मंत्रालय पर पूरी जिम्मेदारी डालना नहीं चाहता। ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अहीर जी, किन-किन गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी है, यह देखकर मंत्री जी आपको अलग से बता देंगे।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर: मैंने जो प्रश्न किया है, उसका जवाब तो आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): फ्लोराइड युक्त गांवों में अलग से फ्लोराइड मुक्त करके सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध हो, उसके लिए अलग से योजना है। ...*(व्यवधान)* उसे शुद्ध करके साफ पीने का पानी देने का प्रबंध है।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदया, मैं सरकार का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों, विशेषकर अनुसूचित जनजाति सूची से हटाए गए कुछ समुदायों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

यदि आप वर्ष 1952 के बाद से देखें तो केरल और कर्नाटक में भी मराठी समुदाय अनुसूचित जनजाति सूची में है। रा.ज.ग. सरकार अर्थात् वर्ष 2002 के बाद से के समय बिना किसी ठीक जांच अथवा मूल्यांकन के [illegible] समुदाय को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया। तत्कालीन सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय का कोई औचित्य नहीं है। केरल सरकार, चाहे वह यूडीएफ हो अथवा एलडीएफ सरकार हो और चाहे वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समिति हो और अल्पसंख्यक समिति हो, इन्होंने इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार का सर्वसम्मति से प्रतिनिधित्व किया है। जनजाति की मुख्य विशेषज्ञ उनका शैक्षिक पिछड़ापन और उनकी आदिम प्रकृति है, उनकी भौगोलिक विशेषता एवं उनका सामाजिक पिछड़ापन है। जहां तक केरल में मराठी समुदाय का संबंध है ये विशेषताएं उनमें अब भी हैं। कासरगोड से मात्र दस किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग अनुसूचित जनजाति सूची में है लेकिन उससे दूसरी ओर रहने वाले लोग अनुसूचित जनजाति में नहीं हैं। वस्तुत: यह गरीब समुदाय के साथ किया गया अन्याय है।

मैं सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने और उचित संशोधन लाने का अनुरोध करता हूं ताकि उन्हें अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जा सके।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): महोदया, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान छह समुदायों को जनजातीय दर्जा प्रदान करने संबंधी असम के एक अतिमहत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 1993 के बाद कई वर्षों से यह मुद्दा बना हुआ है। राज्य सरकार ने कई अवसरों पर इन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की थी। यहां तक कि श्री अमर राय प्रधान की अध्यक्षता में वर्ष 1976 में एक संसदीय प्रवर समिति भी गठित की गयी थी। इसने 14 अगस्त, 1997 को लोक सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें असम में कई स्थानिक दौरों और इस विषय के गहन अध्ययन के पश्चात् असम के चाय और पूर्व-चाय बागानों की जनजातियों से संबंध रखने वाली राजबोंगशीस, ताय-अहमोस, मट्टक्स, मोरन, चुटियास कोच और विभिन्न जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गयी थी। संसद की प्रवर समिति ने भारत सरकार से इन समुदायों को शामिल करने की सिफारिश भी की थी। तथापि, भारत सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी कारण, मेरा निवेदन यह है कि यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है और यहां तक कि असम विधानसभा में इस मुद्दे पर एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। असम विधान सभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य संबंधित मंत्रियों से मिलने आया था और तत्काल इस मुद्दे विशिष्ट समाधान के लिए इसका प्रतिनिधित्व किया। लेकिन एक बात यह है कि यह कार्य राज्य की मौजूदा जनजातियों के हितों को प्रभावित किये बिना किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा जनजातियों की स्थिति बहुत दयनीय है। आदिवासी अपनी गतिविधियों के कई क्षेत्रों में अपने औचित्यपूर्ण अधिकारों का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि असम राज्य सरकार ने मिसिंग, देवरी, सोनोवाल कचारी, तीवा, राया और थेलंग कचारी जैसी जनजातियों को स्वायत्त परिषद् का दर्जा प्रदान किया है फिर भी असम राज्य सरकार ने इन जनजातियों को पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान नहीं किये हैं। इसी कारण से, ये जनजातीय समुदाय अब भी पिछड़े हुए हैं। अत:, स्वाभाविक रूप से इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। चालीस राज्य सरकारी विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों के मामले में 29,375 से भी अधिक पद अब भी रिक्त पड़े हैं। उन्हें अभी भरा जाना है। इसलिए, इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इन छह समुदायों को जनजातियों का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह एक सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। जब असम के लोगों के सभी समुदाय इसका समर्थन कर रहे हैं तो यह कार्य अविलम्ब किया जाना चाहिए। इसलिए, भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है जैसाकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों, ने कई बार इन छह समुदायों को जनजाति का दर्जा देने का वायदा किया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी वचन दिया था और असम के मुख्यमंत्री ने भी इसका वायदा किया था। कई केन्द्रीय मंत्रियों ने जब असम का दौरा किया तो उन्होंने इन छह समुदायों से वायदा किया था। ये समुदाय अनिश्चितता की स्थिति से अब भी पीड़ित हैं। इसी कारण, परसों, वे असम से इतनी दूर चलकर जंतर-मंतर आए और धरना दिया। इसलिए, इस मामले पर

गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और इसका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदया, मेरे विचार भी वही हैं जो श्री सोनोवाल जी ने व्यक्त किए हैं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं सारे सदन और केन्द्रीय मंत्रीमंडल का ध्यान पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पीटीटीआई) के 75000 विद्यार्थियों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 1995 में, एनसीटीई नियमों में संशोधन किया गया था लेकिन पीटीटीआई ने एनसीटीई के मानदंडों का पालन नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया कि पीटीटी संस्थान गैर-कानूनी हैं और उनके पास प्रमाणपत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है यद्यपि एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

इस स्थिति में 75,000 पीटीटीआई विद्यार्थियों में से एक ओर 40,000 विद्यार्थी पहले से ही प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, 20000 विद्यार्थियों को उनका प्रमाण-पत्र मिल चुका है और 15,000 विद्यार्थियों को अभी तक उनका प्रमाण पत्र नहीं मिला है और दूसरी ओर 40,000 पक्ष पश्चिम बंगाल के प्राथमिक वर्ग में खाली पड़े हैं।

दोनों में अंतर को कम करने के लिए हमारे माननीय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, श्री पार्थो डे और मैं स्वयं इस समस्या को सुलझाने हेतु 30 अक्तूबर, 2008 को श्री अर्जुन सिंह, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री तथा सचिव और एनसीटीई के चेयरमैन से पहले ही मिल चुके हैं।

इसलिए मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के मानदंडों को पूरा करने हेतु एक अतिरिक्त एक वर्षीय 'ब्रिज कोर्स' की अनुमति प्रदान करें। ऐसा इसलिए, क्योंकि एक वर्ष के बाद अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये शिक्षक स्थायी हो जाएंगे और एक वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद शेष छात्रों को उनका प्रमाण पत्र मिल जाएगा जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए, इस तरीके से समस्या सुलझ जाएगी और छात्रों को न्याय मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): महोदया, उत्तराखण्ड राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा 18,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का कोटा आवंटित था, जो धीरे-धीरे घटते-घटते 6,000 मीट्रिक टन रह गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा इस बारे में लगातार मांग की गयी है और मैंने भी इस मामले को कई बार सदन में उठाया है, लेकिन यह कोटा बढ़ा नहीं है। इसकी वजह से बीपीएल कैटेगरी के परिवारों को भी अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इसी तरह से खाद्य तेल, जो 15 रुपए किलो प्रति परिवार अन्त्योदय और अन्नपूर्ण योजना में मिलना था, उसकी सुविधा भी उत्तराखण्ड राज्य को नहीं मिली है। साथ ही चीनी, मिट्टी का तेल और रसोई गैस के जो कनेक्शन्स मिलने हैं, उनमें वृद्धि नहीं होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: आपके माध्यम से मेरी मांग है कि हमारा खाद्यान्न का कोटा बहाल किया जाए, खाद्य तेल 15 रुपये किलो प्रति परिवार की जो योजना है, उसका लाभ दिया जाए और रसोई गैस की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि देश में कोयले की कमी है और इसकी वजह से देश के सभी राज्यों में जितने भी बिजली बोर्ड्स हैं, जहां बिजली का निर्माण होता है, उन सभी बोर्ड्स को कोयले की आपूर्ति में कमी हो गयी है जिसकी वजह से बिजली का निर्माण कम हो रहा है। ऐसी स्थिति होते हुए भी कोल मंत्रालय तथा सीआईएल द्वारा कोयले की ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी की जा रही है। यह बहुत गलत है। आज देश में कोयला मंत्रालय और सीआईएल, देश के सभी उद्योगों को कोयला आपूर्ति करती हैं। यह सब कुछ जानते हुए कि हमारे यहां 52 मीट्रिक टन कोयले की कमी है, कोयला मंत्रालय द्वारा ई-आक्शन किया जाता है, जिसमें ट्रेडर्स को कोयला दिया जाता है। जिन उद्योगों को कोयले की जरूरत है, उनको कोयला नहीं दिया जाता है। कोल कंजम्पशन इंडस्ट्री को कोयला न देने के कारण, मैं मानता हूं कि ई-ऑक्शन के द्वारा सीधे-सीधे कोयले को ब्लैक करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि देश में बिजली की कमी है। सभी कोल-बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को 100 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति करें। साथ ही, लघु उद्योगों पर भी इसका परिणाम हो रहा है। ई-ऑक्शन के माध्यम से कोयले की कालाबाजारी को कोल मंत्रालय द्वारा जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको रोकने के लिए ई-ऑक्शन प्रणाली तुरंत रोकी जाए और जिन्होंने कोयले की मांग की हो, केवल उन्हीं को कोयला दिया जाए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदया, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण इश्यू देश के सामने लाना चाहता हूं।

देश में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो डिनोटीफाइड और नोमेडिक ट्राइब्स कहलाते हैं, जिनको वर्ष 1871 से ब्रिटिश सरकार

[श्री हरिभाऊ राठौड़]

द्वारा क्रिमिनल कास्ट के रूप में घोषित किया गया था। इस काले कायदे में ये लोग रहे और वर्ष 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको विमुक्त करते हुए कहा कि जाओ, आज से आप लोग मुक्त हैं। उन लोगों को जिस फेसिंग में रखा गया था, उसको तोड़कर पंडित जी ने उनको विमुक्त किया था। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा जी ने भी उनके लिए करने की कोशिश की, राजीव गांधी जी ने भी उनके लिए करने की कोशिश की। लेकिन उनका यह सपना अभी भी अधूरा है। ये 15 करोड़ लोग आज भी बहुत बदतर एवं दयनीय स्थिति में हैं। इनके लिए भारत सरकार ने नेशनल कमीशन फार डिनोटीफाइड एंड नोमेडिक ट्राइब्स का गठन किया था। इस कमीशन ने 2 जुलाई को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है, जिसे अब तक पांच महीने गुजर चुके हैं। उसके बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुझे बताया था कि हम जल्द ही इस विषय को कैबिनेट के सामने लाएंगे। मेरा यह कहना है कि इन 15 करोड़ लोगों की जो बात मैं बार-बार सदन में करता हूं, जिस तरह से मंडल आयोग को 20 साल तक दबा दिया गया था,

सभापति महोदया: आप अपनी बात रखें कि आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं अपनी बात ही रख रहा हूं। इतने लम्बे अर्से से उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे लोग इसमें हैं, जैसे लोधी हैं, गुर्जर हैं, बंजारे हैं, कंजर हैं, विषाद हैं, मल्लाह हैं, गंगापुत्र हैं, केवट हैं, भाट हैं, गडरिया हैं, रायदा हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं कि रेनके कमीशन उनके लिए क्या है। ये तो सोए हुए हैं।

सभापति महोदया: आप अपनी मांग रखिए कि सरकार से आप क्या चाहते हैं?

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं मांग ही रख रहा हूं। मदारी हैं, जोगी हैं, गाड़ी लुहार हैं, मनिहार हैं, सपेरा हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मंडल आयोग 20 साल तक लागू नहीं हुआ था इसी तरह से कहीं इस रेनके कमीशन का हाल न हो। ये जो नेशनल कमीशन फार डिनोटिफाइड एंड नोमोडिक ट्राइब्स (रेनके कमीशन) इन लोगों के लिए था। मैं विश्वास करता हूं कि यह काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। मुझे डर है कि कहीं अभी चुनाव न हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो हमारी बात फिर रह जाएगी।

सभापति महोदया: आप फिर नहीं कर पाएंगे। अब आप बैठ जाएं।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन 15 करोड़ लोगों की जो मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए यह जो रेनके कमीशन बना था, उसकी सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाए।

सभापति महोदया: आपकी बात आ गई है कि सरकार करे. वह जरूर करेगी, अब आप बैठ जाएं।

श्री हरिभाऊ राठौड़: बस आप आदेश दे दें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदया, अजमेर सांस्कृतिक, शैक्षिक और पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण नगर है। यह राजस्थान के बीचों बीच स्थित है। सन् 1956 तक यह केन्द्र शासित प्रदेश रहा। यहां सभी धर्मों की संगम स्थली है। चाहे महामहिम राष्ट्रपति हों, प्रधान मंत्री जी हों, सभी दलों के नेता हों या सांसद हों, सब अजमेर शरीफ में और पुष्कर आना चाहते हैं।

सभापति महोदया: सबको वहां ले जाएं।

प्रो. रासा सिंह रावत: लेकिन अभी तक अजमेर हवाई यातायात से जुड़ा हुआ नहीं है। देशी-विदेशी पर्यटक जो वहां जाते हैं, उन्हें काफी असुविधा होती है, क्योंकि वे पहले प्लेन से जयपुर जाते हैं और फिर वहां से रोड से अजमेर पहुंचते हैं। अजमेर को हवाई यातायात से जोड़ने के लिए वहां हवाई अड्डा स्थापित किया जाए। अजमेर स्वतंत्रता संग्राम की रणस्थली रही है। राजपूताना में सब रियासतें थीं, सब रजवाड़े थे। आजादी की लड़ाई अजमेर को केन्द्र में रखकर वहीं लड़ी गई। महात्मा गांधी जी वहां आए, जमनालाल बजाज भी आए, जवाहर लाल नेहरू जी, लोकमान्य तिलक जी सारे लोग अजमेर गए।

सभापति महोदया: इतिहास की किताबों में यह सब कुछ है।

प्रो. रासा सिंह रावत: ब्रिटिश काल में भी और मुगल काल में भी अजमेर महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है, लेकिन वह आज भी हवाई अड्डे से वंचित है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां शीघ्र ही हवाई अड्डा बनाकर अजमेर को भी हवाई यातायात से जोड़ा जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब श्री जे.एम. आरून रशीद बोलेंगे।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदया, मैं यहां से बोलना चाहता हूं। मैं तमिल में बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदया: मैं समझती हूं आपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री जे.एम. आरून रशीद: तमिल भाषान्तरकार यहां हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया प्रतीक्षा करें क्योंकि भाषान्तरकार उपस्थित नहीं हैं। इसे सभा की कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

श्री जे.एम. आरून रशीद: मैं अंग्रेजी में बोलूंगा।

सभापति महोदया: ठीक है।

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदया, तमिलनाडु में विशेषकर डिंडीगुल और त्रिची से पहले से ईआई चर्म और सब्जी शोधित चर्म (वेजीटेबल टेन्ड लेकर) का निर्यात किया जा रहा था। सरकार ने इससे काफी राजस्व अर्जित किया। अब सरकार विदेशों से कच्चा चर्म अर्द्ध-परिष्कृत चर्म, ईआई चर्म और सब्जी शोधित चर्म का आयात करने की अनुमति प्रदान कर रही है। बड़ी कंपनियां उस चर्म का आयात कर रही हैं। सरकार ने इआई चर्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए बड़ी कंपनियां त्रिची और डिंडीगुल से ईआई चर्म और सब्जी शोधित चर्म नहीं खरीद रही हैं। इस ईआई चर्म शोधशाला में मुख्य रूप से महिलाएं, मुसलमान, दलित और पिछड़े समुदाय के श्रमिक हैं। ये लोग काफी मुश्किल में हैं। पहले, डिंडीगुल में लगभग 90 उद्योग थे। अब मात्र 45 उद्योग हैं जो यहां काम कर रहे हैं।

पहले त्रिची में लगभग 92 इकाइयां थीं अब मात्र 40 इकाइयां काम कर रही हैं। अन्य सभी इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ईआई चर्म पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्क में छूट दे ताकि इन छोटी इकाइयों के लिए सुविधाजनक हो। अन्यथा, सरकार को बड़ी कंपनियों द्वारा आयातित कच्चे चर्म, अर्द्धशोधित चर्म और ईआई चर्म पर आयात शुल्क लगाना चाहिए। अब बड़ी कंपनियां गलत तरीके से निर्यात के द्वारा सभी रियायतों का लाभ उठाकर शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रही हैं। छोटे व्यापारी ऐसा नहीं कर सकते।

महोदया, इस समय पूरे भारत में केवल तमिलनाडु के डिंडीगुल और त्रिची जिलों में ईआई चर्म और सब्जी शोधित चर्म का उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इआई चर्म पर लगाए गए निर्यात शुल्क और कच्चे चर्म, ईआई चर्म और अर्द्ध-शोधित चर्म पर आयात शुल्क लगाए जिसे बड़ी कंपनियों द्वारा आयात किया जा रहा है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: सभापति महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान के विद्यार्थी एक स्वतंत्र पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद बनाने की मांग को लेकर 17 अक्तूबर से हड़ताल पर हैं। इस समय भारतीय पशु चिक्तिसा विज्ञान अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत है। आप इस बात को जानते होंगे कि पशु चिकित्सा विज्ञान और पादप विज्ञान, विज्ञान की पूर्णत: अलग-अलग शाखा हैं। लेकिन भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान का आवश्यक उचित सुविधा तथा समर्थन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 8 डिवीजन हैं और भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए निधियों के आवंटन की प्रतिशतता आईसीएआर के कुल आवंटन का मात्र 8 से 10 प्रतिशत है।

महोदया, पशु चिकित्सा विज्ञान हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सूखे और बाढ़ जैसी विपरीत जलवायु परिस्थितियों विशेषकर तब जब भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा हो, में भी सतत रूप से मौजूद रहते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में पशु पालन क्षेत्र का योगदान 4.2 प्रतिशत है और यह कृषि के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 26 प्रतिशत है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार को एक पृथक भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद का गठन करना चाहिए। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने अनेक अवसरों पर एक पृथक भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद गठित किये जाने की सिफारिश की है और इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1996-97 के दौरान इस सम्माननीय सभा में आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन सरकार ने अब तक तरह-तरह के बहाने बनाकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

अब, विद्यार्थी एक पृथक भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थापित करने हेतु लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। देश में इस समय 38 से अधिक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, 7 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और 2 राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान हैं। सरकार द्वारा उनका भरण-पोषण और संरक्षण किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पृथक भारतीय पशुविज्ञान अनुसंधान की स्थापना की जानी अति आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस महीने की 15 तारीख को दिल्ली में जंतर-मंतर पर छात्र आन्दोलन करने

[डा. अरुण कुमार शर्मा]

वाले हैं। यह एक शैक्षिक मुद्दा है और छात्रों को ज्यादा दिनों तक आंदोलन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस महीने की 15 तारीख से पहले उनके साथ मिल-बैठ कर इस समस्या का समाधान निकाले।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): महोदया, मैं डा. अरुण कुमार शर्मा द्वारा उठाये गये मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदया, मुझे सार्वजनिक महत्व के इस गम्भीर मुद्दे को उठाने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह मुद्दा कई लाख प्रशिक्षित एसएसबी स्वयंसेवियों के लिए स्थायी समाधान हेतु भारत सरकार की प्रभावी कार्य योजना के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सभापति महोदया, हाल ही में, कुछ दशकों के दौरान असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों के लगभग 50,000 एस.एस.बी. स्वयंसेवियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षित किया गया तथा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत तथा अलग-अलग गतिविधियों के अधीन उन्हें नियमित अभ्यास तथा रिफ्रेशर कोर्स करवाए गए। सरकारी वर्दी के साथ-साथ उन्हें दैनिक भत्ता, जेब खर्च और यात्रा भत्ता दिया गया। ये प्रशिक्षित एसएसबी स्वयंसेवियों ने सीओ, एसएओ और एपी आदि असैनिक अधिकारियों के माध्यम से राजनीतिक स्थिति, सार्वजनिक मांग, घुसपैठ, आतंकवाद तथा असामाजिक और देशद्रोही तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गतिविधियों पर सूचना एकत्रित करने की प्रशंसनीय सेवा करते रहे हैं।

आप इस तथ्य से भी अवगत होंगे कि 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान एसएसबी स्वयंसेवियों ने सराहनीय सेवा की थी। इस संबध में यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त सही तथ्यों के बावजूद बड़े आश्चर्य की बात है कि एसएसबी के संबंधित प्राधिकारियों ने प्रशिक्षित एसएसबी (वीवीएफ) स्वयंसेवियों तथा उनकी गतिविधियों को उत्तर-पूर्व क्षेत्र से हटा दिया, जबकि भारत-भूटान और भारत-नेपाल की सीमाओं पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एसएसबी संगठन द्वारा ही की जाती है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार ने वर्तमान वर्ष 2008 के दौरान एसएसबी की 20 नई बटालियनें बनाने का निर्णय लिया है और नए कास्टेबलों की भर्ती और संवर्ग प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षित एसएसबी स्वयंसेवियों के दिल और दिमाग में कुंठा और कमी की भावना घर कर गई है क्योंकि पिछले कुछेक वर्षों के दौरान उनकी उपेक्षा की गई है तथा उनके साथ भेदभाव किया गया है, जबकि हाल ही में नए कर्मियों की भर्ती की जा रही है।

सभापति महोदया: कृपया पेपर से न पढ़ें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: सभापति महोदया, प्रशिक्षित एसएसबी स्वयंसेवियों की ग्रासदी उस दिन से कई गुणा बढ़ गई है जब वर्ष 2000 में गृह मंत्रालय ने एसएसबी संगठन को यूनियन कैबिनेट सैक्रेटरी से लिया था।

सभापति महोदया: आपकी मांग क्या है?

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं आपको बड़े खेद के साथ इस तथ्य से अवगत करा रहा हूं कि हाल के कुछ वर्षों में, भारत के केन्द्रीय सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को काफी संख्या में अभ्यावेदन दिये गये, लेकिन इस संबंध में कुछ ठोस नहीं किया गया जो गंभीर चिंता और खेद का विषय है।

सभापति महोदया, उपर्युक्त को देखते हुए, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से सविनय अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रशिक्षित एसएसबी स्वयंसेवियों को उचित न्याय दिलाने के लिए लम्बे समय से एसएसबी स्वयंसेवी एसोसिएशन की केन्द्रीय समिति द्वारा उठाई गई काफी समय से होने वाली जायज मांग को पूरा करने के लिए समुचित उपाय करें।

सभापति महोदया: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*....(व्यवधान)**

सभापति महोदया: श्री शिशुपाल पटले।

....(व्यवधान)

सभापति महोदया: आपको यहां पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप अपनी मांग केवल कुछ शब्दों में ही कहें।

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया

*....(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): सभापति महोदया, मैं श्री बैसीमुथियारी से अपने आपको सम्बद्ध करना चाहता हूं।

सभापति महोदया: आपका नाम सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

....(व्यवधान)

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*....(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पटले (भन्डारा): महोदया, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। देश में लाखों मजदूर हाथ से कपड़ा बुनने का काम करते हैं, जिन्हें हम बुनकर कहते हैं। आजादी के समय से महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चल कर उन्होंने कपड़ा बुनने का काम किया। उनके विकास के लिए हर राज्य में हाथमक महामंडल विस्थापन हुआ। लेकिन ये ऐसे बुनकर हैं, जिनके लिए कामगार सुरक्षा कानून अभी तक नहीं बना है। जिनके जीवन की सुरक्षा अभी तक सरकार ने नहीं की है। इनकी मजदूरी प्रतिदिन 20 रुपये से ऊपर नहीं है। इनका पीएफ नहीं काटा जाता है। इनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा नहीं मिलता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनके लिए कामगार सुरक्षा कानून बनाया जाए और इनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था सरकार करे। जिस तरह से बीड़ी मजदूरों को असंगठित कामगार रहते हुए भी सरकार ने पेंशन लागू की है, वैसे ही असंगठित बुनकर कामगारों को भी पेंशन के दायरे में लाया जाए। इन्हें स्वावलम्बी बनाते समय हाथमक महामंडल से 25 हजार रुपया देने की बात है। इनके लिए 25000 की राशि बहुत कम है इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि इस राशि को एक लाख किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब सभा, 15 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.35 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा सोमवार, 15 दिसम्बर, 2008/24 अग्रहायण 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	201
2.	श्री अजीत जोगी श्री बृजकिशोर त्रिपाठी	202
3.	डा. के.एस. मनोज	203
4.	श्री रघुवीर सिंह कौशल श्री पी. करुणाकरन	204
5.	डा. सत्यनारायण जटिया श्री विजय कृष्ण	205
6.	श्री महावीर भगोरा श्री वरकला राधाकृष्णन	206
7.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	207
8.	श्री सुग्रीव सिंह श्री एल. राजगोपाल	208
9.	श्री हंसराज गं. अहीर डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	209
10.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री जीवाभाई ए. पटेल	210
11.	श्री अबु अयीश मंडल	211
12.	श्री रेवती रमन सिंह	212
13.	श्री सुव्रत बोस श्री हितेन बर्मन	213
14.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री गिरधारी लाल भार्गव	214
15.	श्री पी.सी. थामस	215
16.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री अजय चक्रवर्ती	216
17.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	217
18.	श्रीमती निवेदिता माने	218
19.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	219
20.	श्री एन.एन. कृष्णदास	220

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2049, 2051, 2104, 2127, 2206
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2045, 2124, 2175, 2205
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2020, 2035, 2056, 2097, 2118
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	2031, 2043, 2099, 2102, 2134
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2096, 2162, 2199
6.	अजय कुमार, श्री एस.	2050, 2126, 2180, 2207
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2006, 2140, 2187
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	2011, 2066
9.	आठवले, श्री रामदास	2031, 2076, 2126, 2146, 2190
10.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	2042, 2118
11.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	2025
12.	बहुगुणा, श्री विजय	2042
13.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2012, 2039, 2143, 2188, 2212
14.	बर्मन, श्री हितेन	2037, 2039, 2075
15.	बर्मन, श्री रनेन	2007, 2039, 2075
16.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	2033, 2112
17.	भगोरा, श्री महावीर	2105, 2159, 2197
18.	भाईलाल, श्री	2031
19.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2109, 2169
20.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2030, 2044

1	2	3
21.	बोस, श्री सुब्रत	2084, 2222
22.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2221
23.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2216
24.	चालिहा, श्री किरिप	2019, 2038, 2219
25.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2041, 2121, 2172
26.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2095
27.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1998, 2163, 2200
28.	चिन्ता मोहन, डा.	2221
29.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2024
30.	चौधरी, श्री पंकज	2048, 2065
31.	चौधरी, श्री अधीर	2053, 2101, 2128
32.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	2172
33.	देव, श्री विक्रम केशरी	2065, 2109
34.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2080, 2113, 2151, 2159
35.	दत्त, श्रीमती प्रिया	2019, 2033, 2037, 2118
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2067, 2139, 2200, 2210
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2089, 2101, 2156, 2166
38.	गांधी, श्रीमती मेनका	2035, 2073, 2144, 2189, 2213
39.	गंगवार, श्री संतोष	2060, 2135
40.	घुरन राम, श्री	2071
41.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2049
42.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	2035, 2078, 2117, 2197
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	2031, 2048, 2220
44.	जयाप्रदा, श्रीमती	2023, 2037, 2130, 2147
45.	जिन्दल, श्री नवीन	1993, 2093, 2155
46.	जोगी, श्री अजीत	2080, 2102, 2196
47.	जोशी, श्री प्रहलाद	2126
48.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2016, 2094, 2183
49.	खां, श्री सुनील	2104
50.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2091, 2152, 2193
51.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2031, 2087, 2099, 2216
52.	कृष्ण, श्री विजय	2100
53.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2044
54.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2069, 2142, 2210
55.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2005, 2035
56.	महरिया, श्री सुभाष	1997, 2088
57.	महतो, श्री नरहरि	2039, 2051, 2075
58.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2109
59.	महताब, श्री भर्तृहरि	2059, 2133, 2172, 2182, 2210
60.	महतो, श्री टेक लाल	2172
61.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2004, 2031
62.	मंडल, श्री सनत कमार	2061
63.	माने, श्रीमती निवेदिता	2089, 2101, 2156, 2166
64.	मनोज, डा. के.एस.	2103, 2158
65.	मसूद, श्री रशीद	2036, 2054
66.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1996, 2034, 2086, 2172, 2186
67.	मिश्रा, डा. राजेश	2049

1	2	3
68.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2074, 2145, 2172, 2210
69.	मंडल, श्री अबु अयीश	2108, 2113
70.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2021, 2098, 2170, 2203
71.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2085
72.	निखिल कुमार, श्री	2022, 2031, 2039, 2063, 2128
73.	ओराम, श्री जुएल	2003, 2113
74.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2027, 2031, 2149, 2191, 2214
75.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1995, 2092, 2153, 2194, 2202
76.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2035, 2117
77.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2001, 2130, 2178
78.	पासवान, श्री सुकदेव	2034
79.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2031, 2123, 2126, 2174
80.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2107, 2161, 2198
81.	पाठक, श्री हरिन	2070
82.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2057
83.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2077, 2110, 2159
84.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2031, 2055, 2102, 2129, 2177
85.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2205
86.	राजगोपाल, श्री एल.	2031, 2201
87.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	2072
88.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2032
89.	रामदास, प्रो. एम.	2047
90.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2034
91.	राणा, श्री काशीराम	2031, 2122, 2174
92.	रानी, श्रीमती के.	2039
93.	राव, श्री ई. दयाकर	2014
94.	राव, श्री के.एस.	2082, 2166, 2172, 2202
95.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2039, 2064, 2218
96.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2039, 2118, 2222
97.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2106, 2160
98.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2051, 2072
99.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2040
100.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2044
101.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2055, 2058, 2132, 2181, 2209
102.	रिजीजू, श्री कीरेन	2004, 2031, 2104
103.	साई प्रताप, श्री ए.	2015
104.	साय, श्री नन्द कुमार	2107, 2161, 2198
105.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2038, 2116
106.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2026, 2106, 2120, 2171, 2204
107.	सेन, श्रीमती मिनाती	2019, 2216
108.	सैलेन्द्र कुमार, श्री	2062, 2136
109.	शर्मा, डा. अरविन्द	2046
110.	शर्मा, श्री मदन लाल	2047
111.	शेखर, श्री नीरज	2013
112.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2020, 2035, 2056, 2097, 2154
113.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2018

1	2	3
114.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	2002
115.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2009, 2039, 2125, 2176
116.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2109, 2217
117.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2000, 2031, 2129, 2163, 2177
118.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2111, 2167
119.	सिंह, श्री दुष्यंत	2081
120.	सिंह, श्री गणेश	2068, 2141, 2179, 2206
121.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2029
122.	सिंह, श्री मोहन	2052
123.	सिंह, श्री रेवती रमन	2099, 2164, 2201
124.	सिंह, श्री सुग्रीव	2107, 2161, 2198
125.	सिंह, श्री सूरज	2221
126.	सिंह, श्री उदय	2031, 2218
127.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2039
128.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2038
129.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2008, 2118
130.	सुब्बारायण, श्री के.	2074, 2079, 2150, 2192, 2215
131.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2017
132.	सुमन, श्री रामजीलाल	2028, 2138, 2185, 2221
133.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1994, 2115
134.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2010, 2033, 2056, 2090, 2130
135.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	2004
136.	थामस, श्री पी.सी.	2110, 2165
137.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1998, 2058, 2123, 2134, 2181
138.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2002
139.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2035,2 137, 2184, 2211
140.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2022, 2101, 2119, 2169, 2202
141.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2043, 2122, 2159, 2172, 2173
142.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2035, 2114, 2168
143.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2036
144.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2020, 2056, 2131, 2179, 2208
145.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2089, 2101, 2156, 2195
146.	यादव, श्री गिरिधारी	1999
147.	यादव, श्री राम कृपाल	2034
148.	यास्खी, श्री मधु गौड	2089, 2101, 2156, 2166, 2180
149.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2031, 2048, 2083, 2148

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
कार्पोरेट कार्य	:	
वित्त	:	202, 203, 208, 210, 215, 217, 218, 219
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	211
विधि और न्याय	:	216
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	206
विद्युत	:	201, 205
ग्रामीण विकास	:	204, 207, 209
जनजातीय कार्य	:	214
शहरी विकास	:	212
महिला और बाल विकास	:	213, 220

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
कार्पोरेट कार्य	:	2016, 2026, 2058, 2069, 2073, 2094, 2209
वित्त	:	1993, 1994, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2029, 2030, 2034, 2043, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2055, 2057, 2059, 2062, 2063, 2065, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2074, 2075, 2077, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2087, 2091, 2092, 2095, 2097, 2101, 2103, 2104, 2106, 2107, 2111, 2112, 2113, 2117, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128, 2129, 2132, 2133, 2134, 2136, 2137, 2138, 2140, 2142, 2146, 2150, 2151, 2154, 2155, 2158, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2181, 2183, 2184, 2185, 2189, 2194, 2195, 2198, 2200, 2201, 2204, 2215, 2217, 2221, 2222
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	1999, 2040, 2214, 2190, 2197, 2218
विधि और न्याय	:	2021, 2031, 2167, 2213, 2220

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	1996, 2033, 2035, 2061, 2080, 2086, 2090, 2118, 2120, 2187, 2206, 2214
विद्युत	:	1995, 2008,2 017, 2038, 2042, 2064, 2102, 2105, 2108, 2109, 2135, 2139, 2143, 2144, 2148, 2156, 2157, 2169, 2179, 2199, 2202, 2205, 2207, 2211
ग्रामीण विकास	:	2028, 2032, 2041, 2047, 2076, 2099, 2116, 2126, 2131, 2159, 2172, 2178, 2182, 2186, 2188, 2191, 2192, 2203, 2208, 2210, 2216
जनजातीय कार्य	:	2015, 2027, 2036, 2088, 2115, 2145, 2173, 2196, 2219
शहरी विकास	:	1997, 2000, 2009, 2018, 2054, 2060, 2078, 2093, 2119, 2127, 2141, 2147, 2152, 2153, 2163
महिला और बाल विकास	:	2005, 2010, 2011, 2019, 2037, 2039, 2044, 2056, 2089, 2096, 2098, 2100, 2110, 2130, 2149, 2162, 2180, 2193, 2212.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।